पं· ·श माला, खंड 23, अंक 6

सोमवार, 19 मार्च, 2012

29 फाल्गुन, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept. 2014

(खण्ड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 23, दसवां सत्र, 2012/1933 (शक)

अंक 6, सोमवार, 19 मार्च, 2012/29 फाल्गुन, 1933 (शक)

विषय	**कॉलम**
निधन संबंधी उल्लेख	1
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
प्रश्नकाल के निलंबन की मांग	2
सदस्यों द्वारा निवेदन	
केन्द्रीय रेल मंत्री द्वारा कथित इस्तीफे के बारे में	2-6
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64	6-50
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80	50-226
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	226-1129
अध्यक्ष द्वारा बधाई	
सचिन तेंदुलकर और सायना नेहवाल को उनके प्रदर्शन पर बधाई	1129-1130
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1130-1134
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12	1134
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2009-10	1134
नियम 377 के अधीन मामले	1134-1146
(एक) असम के पंचग्राम में बराक नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	1135
(दो) उपलब्ध लाभार्थियों को कृषि कार्य के लिए अनुमति देने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	1135-1136

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(तीन) 'मेहंदी उद्योग' को केन्द्रीय बिक्री कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री लालचंद कटारिया 1136-1137

(चार) प्रस्तावित न्यू विशाखापतनम-साई नगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन को विजयवाड़ा-गुंटुर-नालगोंडा-सिकंदराबाद-मनमाड से होकर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव 1137

(पांच) मध्य प्रदेश इटारसी में स्थित आयुध निर्माणी में रोजगार कार्यालय के माध्यम से स्थानीय लोगों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता

श्री उदय प्रताप सिंह 1137-1138

(छह) उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुन:संरेखण किए जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज 1138-1139

(सात) देश के विद्यालय परिसरों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली 1139-1140

(आठ) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहमदाबाद-हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा खंड पर समपार संख्या 121ग को खोले जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण 1140-1141

(नौ) गोवा में आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को गिराए जाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चौड़ा किए जाने संबंधी कार्य को रोके जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक 1141-1142

(दस) उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोफीपुर फायरिंग रेंज के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 1142-1143

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के गरहा, जबलपुर में केंद्रीय विद्यालय को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह 1143-1144

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघा मिल को फिर से चालू किए जाने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 1144

(तेरह) बिहार के गोपालगंज में दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली अप्रोच रोड की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता

श्री पूर्णमासी राम 1144

विषय | कॉलम

(चौदह) तमिलनाडु राज्य को केंद्रीय पूल से और अधिक बिजली आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 1145

(पन्द्रह) ओडिशा के बोलांगीर जिले में बडमाल स्थित आयुध निर्माणी में पिनाक रॉकेट यूनिट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव 1145-1146

(सोलह) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी भाग में रेल बुकिंग काउंटर खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा 1146

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री जसवंत सिंह 1147-1151

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 1151-1154

श्री नवीन जिंदल 1154-1160

डॉ. मनमोहन सिंह 1160-1169

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 1244

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण, श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष

श्री गुरुदास दासगुप्त 1245-1265

श्री अधीर चौधरी 1265-1270

डॉ. मुरली मनोहर जोशी 1270-1284

श्री शैलेन्द्र कुमार 1284-1290

डॉ. बलीराम 1290-1293

श्री शरद यादव 1293-1299

श्री कल्याण बनर्जी 1299-1304

श्री ए. सम्पत 1304-1308

श्री भर्तृहरि महताब 1308-1312

श्री अनंत गंगाराम गीते 1312-1315

श्री सी. शिवासामी 1315-1318

विषय	कॉलम

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 1318-1321

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 1321-1324

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 1325-1326

श्री कामेश्वर बैठा 1326-1328

श्री गणेश सिंह 1328-1329

श्रीमती पुतुल कुमारी 1330-1331

चौधरी लाल सिंह 1331-1334

श्री एस.एस. रामासुब्बू 1334-1335

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी 1336

श्री जगदम्बिका पाल 1336-1338

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 1338-1339

श्री अर्जुन राम मेघवाल 1339

श्री मल्लिकार्जुन खरगे 1339-1372

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1373-1374

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1374-1384

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1385-1386

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1386-1388

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 19 मार्च, 2012/29 फाल्गुन, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मुझे सभा को अपने पूर्व सहयोगी श्री हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिद्दीक 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। श्री सिद्दीक उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व राज्यमंत्री भी रहे।

श्री सिद्दीक आठवीं लोक सभा के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री सिद्दीक ने लोगों के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे।

श्री हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक का निधन 72 वर्ष की आयु में 13 मार्च, 2012 को हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं। अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

प्रश्नकाल के निलंबन की मांग

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय रेल मंत्री के कथित त्यागपत्र के बारे में सर्वश्री गुरुदास दासगुप्त, यशवंत सिन्हा और बसुदेव आचार्य से प्रश्नों के निलंबन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कार्य संचालन नियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अंतर्गत सदस्य प्रश्न काल के निलंबन की मांग कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गुरुदास दासगुप्त जिन्होंने इस आशय के प्रस्ताव की भी सूचना दी है, वे लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 388 के अंतर्गत भी प्रश्न काल के निलंबन का प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। नियम 388 के अनुसार, कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा, कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाये। सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। नियम, 388 के उपबंधों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः प्रश्न काल के निलंबन का कोई प्रश्न नहीं है।

तथापि, विशेष मामले के रूप में, मैं सदस्यों को संक्षिप्त निवेदन करने की अनुमति दे रही हूं। तत्पश्चात् हम लोग प्रश्न काल लेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

केन्द्रीय रेल मंत्री द्वारा कथित इस्तीफे के बारे में

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, इस देश में एक गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। संसद का सत्र चल रहा है और यह संसद रेल मंत्री के बारे

में पूर्णतया अनभिज्ञ है। रेल मंत्री इस सदन में बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। यदि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, तो क्या प्रधान मंत्री ने उनके त्यागपत्र को स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा है?

[हिन्दी]

क्या स्थिति है कि यह जानने का हक सदन को बनता है या नहीं बनता है? यह स्थिति अप्रत्याशित नहीं है। कोई मंत्री इस्तीफा दे दे, तो प्रधान मंत्री जी जो कैबिनेट को हैड हैं, उनका दायित्व बनता है वह उस पोर्टफोलिओ को किसी और को दें और सदन को इस बात की सूचना दें कि मैंने इस पोर्टफोलिओं को किसी और को दे दिया है। लेकिन सारी बातें हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं और सदन को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। पिछले दिनों सुषमा जी ने इस इश्यू को रेज किया और जो जवाब सरकार की तरफ से आया, सदन के नेता ने जो जवाब दिया, वह असंतोषजनक था। उसके बाद दो दिन शनिवार-इतवार को हम लोग अखबारों में पढ़ते रहे कि यह हो रहा है वह हो रहा हे, ऐसे खींचातानी चल रही है, लेकिन कोई जानकारी इस सदन को नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सदन के नेता के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन प्रधानमंत्री सदन के नेता नहीं हैं, होने चाहिए थे, दूसरी बात है कि नहीं बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए। वे कैबिनेट के हैड हैं। फर्स्ट एमंग्स इक्वल्स हैं, कौन मंत्रिपरिषद में है और कौन मंत्रिपरिषद में नहीं है, यह बताने का काम प्रधानमंत्री का होता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकारी पक्ष से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री तत्काल सदन में आएं और सदन को विश्वास में लेकर बताएं कि रेल मंत्रालय का क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: दिनेश त्रिवेदी जी सदन के सदस्य हैं और उपस्थित हैं। मैं मांग करता हूं कि दिनेश त्रिवेदी जी स्वयं उपस्थित हो कर स्थिति स्पष्ट करें। अगर वे कुछ कहना चाहें तो वे कहें।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: उन्हें पूरी ओपोरचुनिटी देनी चाहिए कि वे इस बात को कहें। प्रधानमंत्री जी को सदन में तत्काल आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: बसुदेव जी, आप बहुत संक्षेप में बोलिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं पिछले 33 वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि किसी रेल मंत्री को सत्र के दौरान रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया हो। हमने गत शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाया था। उसका उत्तर क्या मिला? सदन के नेता ने कहा कि सरकार, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष से माननीय मंत्री को मिले पत्र पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अब हमें समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट मिल रही हैं कि मंत्री जी ने त्यागपत्र दे दिया है। परन्तु, हमें इसकी जानकारी नहीं है। सभा को इसकी जानकारी नहीं है। सभा को विश्वास में नहीं लिया गया है। परंपरा यह है कि जब कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो माननीय प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देते हैं। मंत्री के त्यागपत्र देने के क्या कारण हो सकते हैं? देश में इस बारे में संदेह है। मेरी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री सभा में एक वक्तव्य दें और सभा को वस्तु स्थिति की जानकारी दें। हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को त्यागपत्र मिला है अथवा नहीं। सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभा को हल्के में न किया जाए। मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री तत्काल सभा में स्थिति को स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। आप अपनी बात को बहुत लम्बा कर देते हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, त्यागपत्र मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। चूंकि श्री त्रिवेदी एक विशेष पार्टी के प्रतिनिधि थे और वह राजनैतिक पार्टी एक बहुदलीय सरकार का हिस्सा है। अतः, लोकतान्त्रिक सिद्धांतों के अनुसार यह स्वाभाविक है कि यदि किसी सदस्य की पार्टी उससे त्यागपत्र देने के लिए कहे तो उसे सम्मान के साथ त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और उनके लिए यह उचित है। मेरे लिए यह कोई मुद्दा नहीं है।

मेरे लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि इसके पीछे नाटक चल रहा है। इस बात को समझा जाए कि संसद का

सत्र चल रहा है और संसद को इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमें घटनाक्रम की जानकारी दें। हमें इस संबंध में कोई उत्तर नहीं मिला। यदि मैं गलत नहीं हूं तो श्री प्रणब मुखर्जी ने यह कहा था कि हमें कोई त्यागपत्र नहीं मिला है। यही बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। मेरा मुद्दा यह है कि क्या एक बहुदलीय सरकार को इसी तरह कार्य करना चाहिए? किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। यह एक बहुदलीय सरकार है। क्या एक बहुदलीय सरकार को इसी प्रकार कार्य करना चाहिए? यदि कोर्ट बहु-दलीय सरकार अपने कार्यों का प्रबंध नहीं कर सकती, सरकार के अन्य घटकों की राय पर विचार नहीं करती और यदि इससे देश में इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा होती है तो इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि यह सरकार की कमजोरी और कुप्रबंधन को दर्शाता है। यह केवल सरकार की कमजोरी को दर्शाता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। आपने अपनी बात कह दी है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, श्री यशवंत सिन्हा ने अपनी टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि शुक्रवार को मेरा उत्तर सही नहीं था। मेरा उत्तर इस रूप में सही था क्योंकि, उस दिन तक हमें तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष से केवल एक पत्र प्राप्त हुआ था। उस समय तक अर्थात पिछले शुक्रवार को सभा की बैठक के दौरान हमें रेल मंत्री से कोई त्यागपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। प्रधान मंत्री ने मुझे यह बताया है कि कल शाम को त्यागपत्र उनके पास पहुंचा था और उस पर विचार किया जा रहा है तथा संवैधानिक परंपरा के अनुसार उसे राष्ट्रपति को प्रेषित करना होगा। संविधान में स्पष्ट भाषा में यह उल्लेख किया गया है कि मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर आसीन रहेगा और राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सहायता और परामर्श से यह निर्णय लेता है।

अतः, कल रात प्रधान मंत्री को श्री दिनेश त्रिवेदी का त्याग पत्र मिला है और प्रधान मंत्री उस पर विचार कर रहे हैं। जैसे ही उस पर कोई निर्णय लिया जाता है? प्रधान मंत्री सभा को इसकी जानकारी देंगे और हमें यह जानकारी सबसे पहले सभा को देने का अवसर मिला है। यह सत्य है कि उस समय सभा का सत्र चल रहा था परन्तु, आम बजट पेश होने के पश्चात सभा स्थगित हो गई। तत्पश्चात, शनिवार और रविवार को अवकाश था और उसके पश्चात् आज मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, क्या वह इस समय रेल मंत्री हैं? क्या वह रेल बजट पर चर्चा का उत्तर देंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वह उत्तर दे चुके हैं। अब हम प्रश्न काल आरंभ करते हैं। उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

पूर्वाह्न 11.13 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 61, श्री प्रताप राव गणपतराव जाधव।

व्यापार घाटा

***61. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मद-वार निर्धारित आयात और निर्यात संबंधी लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति का ब्यौरा क्या है और उनमें अन्तर, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विशेषकर नवम्बर, 2011 में व्यापार घाटा बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ते व्यापार घाटे के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यापार नीति की समीक्षा सहित व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(i) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के निर्धारित एवं प्राप्त निर्यात लक्ष्य (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कोलकाता के अनुसार) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मूल्य बिलियन अम.डा. में)

वर्ष	निर्यात लक्ष्य	निर्यात प्राप्ति
2008-09	175	185.30
2009-10	लक्ष्य निर्धारित नहीं था	178.75
2010-11	200	251.14
2011-12	300	267.41 (अप्रैल-फरवरी) अनंतिम

(ii) मदवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। आयात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(iii) नवम्बर, 2011 माह के लिए व्यापार घाटा अक्तूबर, 2011 (अनंतिम) के दौरान हुए 18.8 बिलियन अम.डा. की तुलना में 16.6 बिलियन अम.डा. का (अनंतिम) रहा है। चालू वर्ष 2011-12 (अप्रैल-फरवरी) के प्रथम ग्यारह महीनों के लिए व्यापार घाटा पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि के दौरान हुए 115.3 बिलियन अम.डा. की तुलना में 166.8 बिलियन अम.डा. (अनंतिम) रहा है, जिसमें वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(iv) वैश्विक आर्थिक संकट, यूरोप में सर्वाधिक ऋण संकट तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से हमारे निर्यातों के लिए मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चालू वर्ष के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम रहा है क्योंकि आयात योग्य वस्तुओं की उच्चतर कीमतों और बढ़ी हुई मांग दोनों के कारण आयातों में वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम, उर्वरक, सोना, खाद्य तेल आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है। उनकी मांग में भी वृद्धि हुई है। इनके कारण आयातों का उच्च मूल्य रहा था।

(v) बढ़ते हुए व्यापार घाटे के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, हमने मामले की गंभीरता को समझा है। व्यापार घाटे को कम करने के एक साधन के रूप में वर्ष 2013-14 तक पण्य वस्तुओं के निर्यातों को दोगुना करने के लिए कार्यनीतिक दस्तावेज एवं कार्यनीति योजना नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यनीति तैयार की गई है।

(vi) वैश्विक परिस्थितियों में अनिश्चितता होने के बावजूद भारत ने अपनी विश्व में कई अन्य देशों की तुलना में काफी तीव्र सुधार किया। निर्यात में यह वृद्धि मुख्यतया भारत सरकार द्वारा अपनाई गई बहुआयामी कार्यनीति के कारण हुई है। वैश्विक संकट और इसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे निर्यातों में सुधार लाने के लिए वर्ष 2009 के बाद कई कदम उठाए हैं। निम्नलिखित मध्यमार्गी सुधार किए गए हैं :

(क) अगस्त, 2009 में घोषित उपाय

- फोकस बाजार स्कीम के तहत 26 नए बाजारों को जोड़ा गया है।
- फोकस बाजार स्कीम के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों (एफ.एम.एस.) को 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है।
- फोकस बाजार स्कीम के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों (एफ.पी.एस.) को 1.25% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है।

- बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.-पी.एस.) के अंतर्गत 13 नए बाजारों को अभिज्ञात किया गया है।

- मौजूदा संयंत्र एवं मशीनरी की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनके स्पेयर्स मोल्ड्स आदि के आयात पर निर्यात दायित्वों को ई.पी.सी.जी. स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट निर्यात दायित्वों से घटाकर 50% कर दिया गया है।

- ग्रीन उत्पादों के निर्यात तथा पूर्वोत्तर से उद्भव होने वाले कुछ उत्पादों के निर्यात के लिए फोकस उत्पाद स्कीम के लाभ बढ़ा दिये गये हैं।

- मूल्यवर्धित विनिर्माण निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए एडवान्स ऑथराइजेशन स्कीम के अंतर्गत आयातित निविष्टियों पर 15% मूल्यवर्धन निर्धारित किया गया है।

(ख) जनवरी/मार्च, 2010 में घोषित उपाय

- एफ.पी.एस. के अंतर्गत 8 डिजिट लेवल के 112 नए उत्पाद जोड़े गये हैं जो सभी बाजारों में निर्यात के लिए एफ.ओ.बी. मूल्य का 2% की दर से लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

- 8 डिजिट लेवल के 113 नये उत्पादों को सभी बाजारों में निर्यात पर विशेष एफ.पी.एस. के अंतर्गत निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 5% की दर से उच्चतर लाभ दिया जाता है।

- 8 डिजिट लेवल पर एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत 1837 नये उत्पादों को जोड़ा गया है जो विशिष्ट बाजारों को निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 2% की दर से लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

- एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत चीन और जापान जैसी दो नए बड़े बाजारों को जोड़ा गया है।

- तिमोर लेस्टे को नये एफ.एम.एस. देश के रूप में जोड़ा गया है जो सभी उत्पादों के निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 3% की दर से लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

(ग) अगस्त 2010 में घोषित किये गये उपाय

- लगभग 135 मौजूदा उत्पादों का एफ.पी.एस. के अंतर्गत 2% बोनस का अतिरिक्त लाभ की अनुमति दी गयी है। प्रमुख सेक्टरों में शामिल है हस्तशिल्प, रेशम के कालीन, खिलौने और खेलकूद का सामान, चमड़ा उत्पाद एवं चमड़े के पदत्राण, हथकरघा उत्पाद एवं इंजीनियरी मदें जैसे साइकिल के पुर्जे और ग्रैंडिंग मीडिया बाल्स शामिल है।

- एफ.पी.एस. के अंतर्गत 256 नये उत्पादों को जोड़ा गया है। प्रमुख सेक्टर/उत्पाद समूह है इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिकी, रबड़ एवं रबड़ उत्पाद।

- निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 5% की दर से वी.के.जी.यू.वाई. के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इन्स्टेंट चाय और सी.एस.एन.एल. कार्डिनल को शामिल किया गया है।

- सिले-सिलाये वस्त्र क्षेत्र के लगभग 300 उत्पादों को एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत 27 ई.यू. देशों को निर्यात के लिए 6 और माह अर्थात (अक्तूबर 2010 से मार्च, 2011) के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।

- भारतीय निर्यातक परिसंघ द्वारा किये गये हाल ही के प्रारंभिक अध्ययन से यह व्यक्त होता है कि इन स्कीमों खासकर फोकस बाजार स्कीम (एफ.एम.एस.) और बाजार लिंक्ड फोकस उत्पाद स्कीम (एम.एल.एफ.पी.एस.) ने भारत के निर्यात आधार के विविधीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगस्त, 2009 में एफ.एम.एस. के अंतर्गत जोड़े गये 27 नये देशों में से 15 देशों को होने वाले निर्यातों में वैश्विक मंदी के बावजूद प्रभावकारी वृद्धि दर्ज की गयी है।

- फोकस बाजार स्कीम में एक नया बाजार जोड़ी गयी है।

(घ) फरवरी, 2011 में घोषित उपाय

- **एम.एल.एफ.पी.एस.**: 15 विशिष्ट देशों को निर्यात के लिए 335 नये उत्पादों को प्रोत्साहन दिया गया है। ई.यू. (27 देशों) को निर्यात के लिए 8 डिजिट

लेवल पर अध्याय 63 (टेक्सस्टाइल मेड अप्स) के 71 नये उत्पादों को जोड़ा गया।

- एफ.पी.एस. के अंतर्गत 8 डिजिट लेवल पर बोनस लाभ (अतिरिक्त 2%) के लिए 147 उत्पादों को प्रोत्साहन दिया गया। अब ये निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 4% या 7% की दर से लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। इनमें शामिल है, अध्याय 57 के अंतर्गत आने वाली इंजीनियरी मदें, इलेक्ट्रॉनिकी मदें, स्टेशनरी मदें, हाथ से बनायी गयी कालीनें तथा अन्य फर्श बिछावन आदि।

- सभी बाजारों में निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 2% की दर से लाभ प्राप्त करने के लिए 57 नये उत्पादों को जोड़ा गया।

- अभियान्त्रिकी, औषधीय एवं रसायन सेक्टरों के 49 उत्पादों को कवर करते हुए एक विशेष सहायता के रूप में, 6 माह की अवधि अर्थात् 1-10-2011 से 31-3-2012 तक के लिए 1% की दर से विशेष सहायता देने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत विशेष बोनस लाभ स्कीम नामक एक नई स्कीम की शुरुआत की गई है।

- भौगोलिक लक्ष्य के साथ निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से फोकस उत्पाद स्कीम के अंतर्गत विशेष फोकस बाजार स्कीम नामक एक नई स्कीम जोड़ी गई। इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कुल देशों की संख्या 41 (12 देश लैटिन अमेरिका क्षेत्र से, 22 देश अफ्रीकी क्षेत्र से और 7 देश सी.आई.एस. क्षेत्र से) है। इन देशों को निर्यात किए जाने पर इस स्कीम में 1% का अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। इसलिए इन देशों को किया गया निर्यात, निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 4% की दर से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे।

- आई.टी.सी.एच.एस. वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत शामिल निर्यात की सभी मदों अर्थात सिले-सिलाए परिधानों को एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया गया है और वे यदि उनका निर्यात 1-04-2011 - 31-03-2012 के दौरान यू.एस.ए. एवं ई.यू. को किया गया है तो वे निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य का 2% की दर से प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे।

- 1-4-2011 से प्रभावी हुए निर्यातों के लिए निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2% की दर से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु फोकस उत्पाद स्कीम में रसायन/भेषजीय, वस्त्र, हस्तशिल्प, इंजीनियरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र से विशेषकर 130 अतिरिक्त मदें शामिल की गई हैं।

- एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत मदों की सूची का विशिष्ट देशों के लिए कृषि ट्रैक्टर > 1800 सी.सी. क्षमता वाले नए मदों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है जो अब तुर्की को किए गए निर्यात के लिए शुल्क क्रेडिट के लिए पात्र होंगे। चीनी मशीनरी और उच्चतम प्रेशर वाइलर ब्राजील, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और मिस्र के लिए पात्र होंगे। इस स्कीम को प्रिंटिंग स्याही, लेखन स्याही आदि के लिए सभी मौजूदा एम.एल.एफ.पी.एस. देशों हेतु भी बढ़ा दिया गया है। एम.एल.एफ.पी.एस. के अंतर्गत शामिल मदें निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य का 2% की शुल्क क्रेडिट स्क्रिप दर प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- स्टेट्स होल्डर इन्सेंटिव स्क्रिप भी वर्ष 2012-13 के लिए बढ़ा दी गयी है।

- कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद शहर, समुद्री उत्पादों के लिए भुवनेश्वर और बांस एवं केन उत्पादों हेतु अगरतला को निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, दुनिया में वही देश अच्छा माना जाता है जिसका निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से ज्यादा होता है परन्तु भारत जितना निर्यात करता है, उस आयात से आधे से भी कम निर्यात किया जाता है जिसके कारण दुनिया में हमारे एक रुपये का मूल्य पचास पैसे से भी कम है। यह व्यापार का घाटा हमें रुपये की बजाए डॉलर में बताया जाता है जिसे आम आदमी समझ ही नहीं सकता। सरकार ने वर्ष 2010 में निर्यात का टार्गेट ही नहीं रखा। एक कारनामे की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संसद में एक प्रश्न का जवाब है कि 2009-10 में 53380 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसे डॉलर में 109 बिलियन डॉलर का व्यापार

घाटा बताया गया। दूसरे प्रश्न में जवाब दिया गया कि 2010-2011 में यह घाटा 119 बिलियन डॉलर था जबकि 10 बिलियन डॉलर का यह घाटा बढ़ा परंतु रुपये में बताते हुए इसे 4,51,544 करोड़ रुपये यानी 82000 करोड़ रुपये का घाटा कम बताया गया। डॉलर में घाटा बढ़ता है लेकिन रुपये में यह घाटा कम होता है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती। इस तरह से संसद और सांसदों को गुमराह करने का काम भी इस मंत्रालय की ओर से किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया, एक अखबार में न्यूज है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, इस घाटे से संबंधित जो मंत्री हैं, वे गांधी परिवार के नजदीकी बताये जाते हैं और एक फाइव स्टार होटल में बैठकर वे अपने मंत्रालय का कारोबार चलाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं, नहीं, यह आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, मैं यहां पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। कपास और चीनी के निर्यात को बढ़ावा देकर निर्यात मूल्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस साल कपास और चीनी का उत्पादन बढ़ा परंतु कपड़ा मिलों के दबाव में आकर माननीय कृषि मंत्री जी एवं माननीय प्रधान मंत्री जी की सलाह के बिना कपास का निर्यात बंद कर दिया गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न कहां पूछ रहे हैं?

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री जी की सलाह नहीं ली गई और माननीय प्रधान मंत्री जी से भी बातचीत नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी ने निर्यात बंद हटाया। मेरा सरकार से आपके माध्यम से प्रश्न है कि क्या सरकार ने व्यापार घाटा कम करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा इस आधार पर की है कि व्यापार घाटा कम क्यों नहीं हो रहा है?

श्री आनन्द शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तृत उल्लेख किया है कि क्या कारण है कि विश्व में आर्थिक मंदी 2008-09 आई। इसके बाद दुनिया में हलचल हुई। दुनिया में उस क्राइसिस के बाद हर देश के आर्थिक विकास और आयात-निर्यात पर प्रभाव पड़ा। हर देश वही निर्यात करता है जो बनाता है और दूसरे देश के बाजार में जिस चीज की जरूरत होती है। हमने विदेश व्यापार नीति के तहत स्पष्ट किया है कि हम क्या लक्ष्य रखते हैं? यह सही है कि वर्ष 2009-10 में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था। इसका एक कारण है। मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में बताना चाहता हूं कि मई, 2009 में भारत का निर्यात 1 माइनस टेरिटरी में था, 39.4 प्रतिशत शून्य से नीचे था। तब हमने नीति बनाई कि किस तरह से इसे नेगेटिव टेरिटरी से बाहर निकालकर साल के अंत तक पोजीटिव टेरिटरी में लाएं ताकि जो दबाव करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड एकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है उस पर काबू पाया जा सके। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बड़ा कारण क्या है? जैसे आपने कहा कि आयात ज्यादा क्यों है? माननीय सदस्य अनुभवी हैं, उन्हें जरूर इस बात का ज्ञान होगा कि भारत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, गैस और फर्टीलाइजर आयात करता है। ये हमारे देश में संपूर्ण मात्रा में नहीं है इसलिए 80 प्रतिशत एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आयात करना पड़ता है। विश्व में तेल और पेट्रोलियम की कीमतों में भारी उछाल आया है। पहले 45-50 डॉलर प्रति बैरल था, वर्ष 2009-10 में 90 डॉलर प्रति बैरल हो गया और अब 120 डॉलर प्रति बैरल है। हमने आंकड़े सदन के सामने रखे हैं। पिछले वर्ष 2010-11 का हमारा लक्ष्य 200 बिलियन डॉलर था। बिलियन डॉलर इसलिए है क्योंकि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में होता है और करेंसी का फ्लक्चुएशन होता रहता है। पिछले साल अगर मुझे यह उत्तर देना होता, तब एक डॉलर 45 रुपए में था और इस साल 12 मार्च से 50 रुपए का हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, जो डब्ल्यू.टी.ओ. और आई.एम.एफ. रखता है इसलिए किसी भी देश के लिए रुपए और डॉलर में बयान देना आवश्यक है। इस साल हमने लक्ष्य 300 बिलियन डॉलर रखा था। निर्यात 21 प्रतिशत बढ़ा है। आप आंकड़े देखें, 2009-10 में जब विश्व में 12 से 14 प्रतिशत व्यापार में कमी आई तो विश्व के

बड़े बाजारों चाहे यूरोप या अमेरिका, जहां भारत निर्यात करता है, वहां कमी आई लेकिन फिर भी हम 175 बिलियन डॉलर पर रहे। इस साल हमने 300 बिलियन डॉलर का टार्गेट रखा था। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि फरवरी महीने तक लगभग 268 बिलियन यू.एस. डॉलर तक निर्यात हुआ है। मार्च के आंकड़े नहीं आए हैं, हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक बता पाएंगे कि 300 बिलियन डॉलर हुआ या 298 बिलियन डॉलर हुआ। लेकिन लगभग हम अपने लक्ष्य के नजदीक हैं। अगर इम्पोर्ट बिल बढ़ा तो यह नहीं है कि हमारा आयात दुगना है। आयात दुगना नहीं है। अगर आप आयात के आंकड़े देखें तो यह जरूर है कि बढ़ा है। मैंने ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का कारण की विस्तृत जानकारी उत्तर में भी दी है, सदन को भी दी है कि उसके कारण क्या हैं?

आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि यह एक वास्तविकता है कि दूसरे देशों के बाजार में कितनी मांग हो, वह भारत का वाणिज्य मंत्रालय तय नहीं करता, वह वहां के बाजार तय नहीं करते। डॉलर की कीमत क्या है, वह हम नहीं तय करते और तेल कीमत क्या हो, वह भी हमारे पास नहीं है।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यध्म से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस साल कपास का उत्पादन बढ़ा, मैं जानना चाहता हूं कि कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते समय माननीय मंत्री जी ने क्या कृषि मंत्रालय से सलाह ली थी अथवा पंत प्रधान जी से सलाह-मशविरा किया था या कपड़ा मिल वालों के दबाव में आकर उन्होंने कपास के निर्यात पर बंदी लगाई थी।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां के किसानों के उत्पाद का अगर ज्यादा प्रमाण में निर्यात किया जायेगा तो आज जो कपास उत्पादक किसान हैं, वे आत्म हत्याएं नहीं करेंगे। उन्हें कपास के ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं। यदि उसके निर्यात को बढ़ावा मिलता है, कपास के अच्छे दाम मिलते हैं तो महाराष्ट्र में जो कपास उत्पादक किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन आत्म हत्याओं पर भी रोक लग सकती है। माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है कि किन कारणों से माननीय मंत्री जी ने कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था तथा क्या माननीय कृषि मंत्री जी से इस संबंध में सलाह ली थी? उन्हें मेरे इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए।

श्री दत्ता मेघेः आप जब चाहे तब बंद कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदयाः आप जवाब सुनिये।

श्री आनन्द शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे मालूम है कि यह एक ऐसा विषय है, जो चर्चा में भी है और चिंता का विषय भी है। हम मार्च महीने में हैं, मैंने पहले ही बड़ी विनम्रता से सदन को यह बात बताई कि मार्च महीना वाणिज्य मंत्रालय के लिए, अधिकारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना होता है। चूंकि हम चाहते हैं कि हमने जो अपने लक्ष्य बनाये हैं, उन्हें हम पूरा करें। इसलिए...*(व्यवधान)* कोई भी देश का अधिकारी, वाणिज्य मंत्री और जो नीति से संबंधित व्यक्ति है और वह ऐसा कोई निर्णय वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए और गंभीरता को देखते हुए लेता है, सरकार जब नीति बनाती है, उस समय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आनन्द शर्माः वे मेरी बात सुनना नहीं चाहते...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप उनकी बात सुन लीजिए। आप क्या चाह रहे हैं? आप उनका जवाब तो सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप जवाब सुन लीजिए, आप क्या चाह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः उन्हें जवाब देने दीजिए। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

श्री हरिन पाठक: महोदया, कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, यदि आप मुझे सूचना देंगे तो मैं इस पर अवश्य विचार करूंगी। यह कह रहे हैं, अभी आप बैठ जाइये। प्लीज बैठ जाइये। जब बैठेंगे, तभी वह जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इस तरह से नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। इस तरह से कैसे प्रश्न काल चलेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप ऐसा मत कीजिए, कृपया बैठ जाइये। ऐसे कैसे प्रश्न काल चलेगा। आप प्रश्न ही पूछते रहेंगे, उन्हें उत्तर तो देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये, आप खड़े क्यों हैं। जब हम खड़े हैं तो आप क्यों खड़े हैं। आप बैठिये और शिष्टाचार निभाइये। अगर आप लोगों को इस विषय पर विस्तृत चर्चा चाहिए तो आप इसके लिए नोटिस दे दीजिए। इस पर चर्चा करवा दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, खड़े क्यों हो गए हैं? मंत्री जी को उत्तर तो देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: मैडम, मंत्री जी कहानी सुना रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया: कहानी नहीं सुनाएंगे, उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप खड़े क्यों हो गए हैं, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, ये प्रश्न भारत के आयात और निर्यात से संबंधित है। जहां तक कपास की बात है उस पर अलग से चर्चा के लिए सरकार तैयार है। यह एक गंभीर स्थिति है...*(व्यवधान)* देश के सामने गंभीर स्थिति है।...*(व्यवधान)* यह प्रश्न नहीं है।...*(व्यवधान)* प्रश्न कपास पर नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री आनन्द शर्मा: यदि वे उत्तर नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या सरकार ने भौतिक निर्यातों, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और निर्यात से होने वाली आय के बारे में कोई अध्ययन करवाया है।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द शर्मा: शरद जी, क्या आप बोलने नहीं देंगे? अगर आप जवाब चाहते हैं तो पहले शांत हो जाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप आसन की ओर देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आनन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदया, कपास के उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जब भी कोई देश अपनी नीति बनाता है तो वह किसान, बाजार, निर्यात और उद्योगों को सामने रखकर ही अपनी नीति बनाता है। इस देश में कपड़ा के क्षेत्र में दस करोड़ लोग काम करते हैं और रोजगार पाते हैं। टैक्सटाइल मिल्स और देश के बुनकर...*(व्यवधान)* हमारा जो कपास है।...*(व्यवधान) कपास की फसल...(व्यवधान) कपास की फसल उतनी ही है, जितनी पिछले साल थी।...(व्यवधान)* चीन में कपास की फसल भारत से बहुत ज्यादा है।...*(व्यवधान)* लेकिन चीन दुनिया के बाजार में कपास नहीं दे रहा है।...*(व्यवधान)* हमारा 90 प्रतिशत कपास देश के बाहर चला गया है।...*(व्यवधान)* अगले महीने के बाद मण्डियों में कोई कपास नहीं बचेगा।...*(व्यवधान)* भारत के अंदर टैक्सटाइल मिल्स बंद हो जाएंगी।...*(व्यवधान)* हैण्डलूम सेक्टर बर्बाद हो जाएगा।...*(व्यवधान)* उसके बाद यही लोग सरकार से इस बारे में प्रश्न पूछेंगे।...*(व्यवधान)* आप ही लोग हमसे पूछेंगे कि आपने रोक क्यों नहीं लगाई।...*(व्यवधान)* उस वक्त हम लोगों को भारी कीमत पर कपास का इंपोर्ट करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* हमने जो निर्णय लिया है, वह बिल्कुल संतुलित निर्णय है।...*(व्यवधान)* हमने किसानों के हित में निर्णय लिया है।...*(व्यवधान)* और कोई कीमत नहीं टूटी है।...*(व्यवधान)* मैं सदन को कीमत बता सकता हूं।...*(व्यवधान)* कीमत वही है।...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में वही कीमत है।...*(व्यवधान)* आन्ध्र प्रदेश में भी वही कीमत है।...*(व्यवधान)* मेरे पास आंकड़े हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप नोटिस दे दीजिए, हम इस पर चर्चा करा लेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री किरोड़ी लाल मीणा जी, प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: महोदया, मैंने प्रश्न पूछ लिया है, जवाब चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, आपको क्या पूछना है?

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या, सरकार ने भौतिक निर्यातों, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और निर्यात से होने वाले वाली आय के बारे में कोई अध्ययन करवाया है और क्या सरकार वर्ष 2011-12 के निर्धारित लक्ष्य, 300 बिलियन अमरीकी डॉलर को प्राप्त करने में सफल हो जाएगी?

श्री आनन्द शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न के उत्तर में पिछले चार साल का ब्यौरा दिया है। मैंने सदन को यह भी सूचना दी है कि हमने 300 अमरीकी डॉलर का लक्ष्य बनाया है। हमने पांच वर्ष की नीति बनाई है। जिस नीति के तहत हम वर्ष 2014 तक भारत के निर्यात को दो गुणा करना चाहते हैं। दुनिया के एक्सपोर्ट्स के अंदर लगभग 2 प्रतिशत पर हमारा स्थान पहुंचा है। पहले वह 1 प्रतिशत था, अब 1.9 प्रतिशत है। 300 बिलियन डॉलर की हमें पूरी आशा थी, पर जो हमारे ट्रेडिशनल बाजार हैं, उनमें गिरावट आयी है, खास तौर पर यूरो जोन के अन्दर क्राइसिस आया है, अभी तक वहां पर स्थिरता नहीं आयी है और मांग नहीं बढ़ी है, फिर भी हम 300 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच रहे हैं। वर्ष 2011 के जो आंकड़े हैं, 295-298 कहीं भी हो सकते हैं, मैं अप्रैल के पहले सप्ताह में यह जानकारी माननीय सदन को और माननीय सदस्यों को दे सकता हूं। जहां तक स्टडी की बात है, देखिए स्टडी कमीशन करके छह महीने में रिपोर्ट आएगी। यहां हर दिन निगाह रखनी पड़ती है कि डॉलर की कीमत क्या है, रुपए की कीमत क्या है, किस बाजार में कितना है? हर 15 दिन के बाद इसको असेस किया जाता है, उसके मुताबिक रणनीति बनती है। हमने अपनी विदेश व्यापार नीति में अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करने की पूरी एक स्ट्रैटजी बनायी है। हम नए बाजारों में गए हैं, जिन बाजारों में मांग है, हमने 41 नयी मार्केट्स दो बड़े फैसलों में वर्ष 2009 में खोली हैं, 26 मार्केट्स हमने उन बाजारों में खोली हैं, जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हैं और दस बाजार हमने दुनिया के दूसरे हिस्सों में खोले हैं। उसके बाद हमने सारी समीक्षा करके जनवरी, 2010 में दो और बाजार उनमें शामिल किए गए हैं, उसमें चीन और जापान हैं। 41 मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन के बाद ही हम व्यापार में कुछ संतुलन बना सके हैं। अगर यह न करते तो अमेरिका और यूरोप के बाजारों में जो मंदी आयी थी, उसका और भी प्रतिकूल प्रभाव भारत पर पड़ता।

[अनुवाद]

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट कैंटीनों के लाभ

*62. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी.एस.डी.) द्वारा अर्जित लाभ का 50 प्रतिशत लाभार्थियों/ग्राहकों के कल्याणार्थ खर्च करना अपेक्षित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभ का कुछ हिस्सा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ भी नियत किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस लाभ का एक हिस्सा भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही सी.एस.डी. कैंटीनों की स्थायी अवसंरचना/भवनों में सुधार हेतु उपयोग में लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यविधि अपनाए जाने का प्रस्ताव है कि सी.एस.डी. केंटीनों द्वारा अर्जित लाभ का दुरुपयोग न हो?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लाभ का 50% जो कैंटीन ट्रेड अधिशेष (सी.टी.एस.) होता है, को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है तथा शेष 50% को लाभार्थियों/ग्राहकों के कल्याण पर खर्च किया जाता है।

कैंटीन सेवाएं नियंत्रण बोर्ड (बी.ओ.सी.सी.एस.) द्वारा विधिवत अभिपुष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी.एस.डी. के 50% लाभ का इस्तेमाल नीचे बताए अनुसार तीनों सेनाओं की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है :-

(i) मनश्चिकित्सीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति।

(ii) चिकित्सीय आधार पर सेवामुक्त किए गए कार्मिकों को मासिक अनुरक्षण अनुदान।

(iii) सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा विधवाओं के लिए वाणिज्यिक उद्यम शुरू करने के लिए अनुदान।

(iv) सभी नि:शक्त बच्चों को छात्रवृत्ति।

(v) चिकित्सा उपकरण जैसे श्रवण उपकरण/कृत्रिम अंग तथा व्हील चेयर की खरीद के लिए अनुदान।

(vi) द्वितीय विश्वयुद्ध सेनानियों को अनुदान।

(vii) ऐसे रोगियों को यात्रा खर्चे की प्रतिपूर्ति जिन्हें बड़ी बीमारियों में इलाज के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में जाना पड़ता है।

(viii) मृतक सैन्य कार्मिकों की विधवाओं की बेटियों को अनुदान।

(ix) सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर निकटतम संबंधी को मासिक पुनर्वास अनुदान।

(x) वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता।

(xi) ऐसे रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को अनुदान जो सेवा के दौरान दिवंगत हुए हों।

(xii) विरचना कमांडरों/कमांडिंग अफसरों द्वारा उपयुक्त माने गए अन्य कल्याण उपायों पर व्यय।

(xiii) लाभार्थी संगठनों के कार्मिकों तथा परिवारों के लिए ऐसी अन्य कल्याण योजनाएं जो ऊपर शामिल नहीं हैं।

तीनों सेनाओं के कल्याण की उपर्युक्त सभी योजनाओं का उपयोग भूतपूर्व सैनिक भी करते हैं।

सरकार का इस लाभ के किसी भी भाग का इस्तेमाल भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही सी.एस.डी. कैंटीनों के लिए स्थाई अवसंरचना/भवनों में सुधार के लिए किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, जहां देश में सैनिकों या पूर्व सैनिकों की बात आती है, मुझे लगता है कि उस पर देश एकमत होता है। उस पर सदन के सदस्य भी एक जैसी भावनाएं रखते हैं। लेकिन जब मैं पूर्व सैनिकों की बात करता हूं तो कई बार दुख भी होता है कि वन रैंक वन पेंशन की मांग बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। उस पर भी इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जब आदर्श हाउसिंग स्कैम जैसी बात आती है, तो लगता है कि जिस

सरकार के साथ जुड़े हुए या कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने उसमें से फ्लैट लिये या बाकी खाये, क्या उनसे कुछ उम्मीद करनी चाहिए?...*(व्यवधान)* मैं प्रश्न भी पूछूंगा, लेकिन जो काले कारनामे आपने किये हैं, वे भी बताने पड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कैंटीन पर प्रश्न है, आप कैंटीन पर पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, आदर्श हाउसिंग स्कैम से ये अपना पीछा ऐसे नहीं छुड़ा सकते।...*(व्यवधान)* यह पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई बात है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जब चर्चा होगी, उस वक्त बात करियेगा, अभी प्रश्न पूछिये। यह प्रश्नकाल है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, उनकी विधवाओं के लिए, उनके अनाथ बच्चों के लिए जो घर बने थे, ये उसके लिए आज शर्मसार नहीं हैं, उसके ऊपर सीना चौड़ा करके कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं अपना प्रश्न पूछूंगा, लेकिन जब इसी सदन में बवाल हुआ था तो आपके मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा था।...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न यह है कि लाखों पूर्व सैनिक, जिन्हें सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से एक सुविधा दी जाती है, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या उसका 50 प्रतिशत, जो लाभ होता है, एक आप कंसोलिडेशन फंड में भेज देते हैं और 50 परसेंट उनके वेलफेयर के ऊपर आप खर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, वर्ष 1955 से प्रथा है कि आप लोग देते हैं ताकि उसमें जो ब्रेक्रेज हैं या उनके लिए कैपिटल की जरूरत है, उसके लिए सरकार देती है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सन् 2008-09, 2009-10 के लिए जो क्वांटिटेटिव डिस्काउंट और सी.एस.डी. का जो ट्रेड सरप्लस था, क्वांटिटेटिव डिस्काउंट का जो पैसा बनता है, वह 258 करोड़ 24 लाख 6,411 रुपये है और सी.टी.एस., जो कैंटीन ट्रेड सरप्लस है, उसके 226 करोड़ 52 लाख 83 हजार 82 रुपये बनते हैं। जो उनका 50 प्रतिशत हिस्सा था, क्या यह उनको दिया गया या नहीं दिया और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? यह मेरा पहला प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरकार और यह मंत्रालय पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये सबसे ज्यादा चिंतित हैं और संप्रग सरकार ने ही भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के अधीन भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया है।

समान रैंक समान पेंशन के संबंध में मेरे विचार से इस सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले को सुलझा लिया है और हमने अन्य रैंकों की महत्वपूर्ण श्रेणी, जो हमारे पूर्व सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा है, के लिए भी पर्याप्त प्रयास किया है साथ ही अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त समान रैंक वाले लोगों के बीच असमानता खत्म करने के लिए पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की गयी है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और हम इस संख्या में काफी कमी करने में सफल हुए हैं। हम इस समस्या को लगातार सुलझा रहे हैं और इस मांग पर पूरी तरह कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट की विस्तृत सुविधा देश भर के सैनिकों के लिए उपलब्ध है तथा यह पूरे देश में एक केन्द्रीय डिपो, 34 डिपो तथा 3,730 ईकाईयों द्वारा कैन्टीनों के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह सुविधा देश भर के पूर्व सैनिकों के लिये भी उपलब्ध है।

एक माननीय सदस्य द्वारा सी.टी.एस. के संबंध में एक वर्ष विशेष के बारे में पूछा गया है। हुआ यह कि कैग द्वारा अपनी 2010-11 की रिपोर्ट में सी.टी.एस. के बांटे जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है तथा टिप्पणी की गयी है और आदर्श दिशा निर्देशों के बारे में पूछा गया है। इसी कारण उस वर्ष की सी.टी.एस. राशि को रोका गया है और जैसे ही वर्तमान वर्ष में प्रावधान किया जाता है तो उन्हें यह भी दे दिया जायेगा ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटोनी): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कहा है मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। जब माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाये जिनका मुख्य प्रश्न से वास्तव में सम्बन्ध नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये हैं तो मुझे उनका उत्तर देने की अनुमति प्रदान की जाये। अन्यथा यह बिना वास्तविक तथ्यों को शामिल किए ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित हो जायेगा।

सबसे पहले जहां तक समान रैंक-समान पेंशन का संबंध है। यह लगभग 23 लाख पूर्व सैनिकों द्वारा लगातार की जाने वाली मांग है। लेकिन हमारी संप्रग सरकार आरंभ से ही पूर्व सैनिकों की दशा सुधारने के लिए वचनबद्ध है। यही कारण है कि संप्रग एक के समय पहली बार हम लोगों ने पूर्व-सैनिकों की पेंशन में वृद्धि की है। संप्रग दो के समान भी हमने पूर्व-सैनिकों की पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की है। मुझे पता है कि अभी भी कुछ मुद्दे हैं, कुछ अनियमितताएं हैं। हम तथ्य को नकार नहीं रहे हैं। इसीलिये हम लगातार पूर्व सैनिकों के पेंशन लाभों को बेहतर बना रहे हैं और पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा इंगित की गयी विभिन्न अनियमितताओं को दूर करने की पुनः कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी पूर्व-सैनिकों की रक्षा सुधारने हेतु बहुत गंभीर है।

दूसरी बात जहां तक आदर्श मुद्दे का संबंध है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मुख्य प्रश्न कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के बारे में है और इस समय इस तरह के मुद्दे उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हमारी सरकार ने, न कि विपक्ष ने, और इससे पहले कि कोई सी.बी.आई. जांच के लिये कहे, मामले को सी.बी.आई. जांच हेतु देने का साहसी फैसला लिया है। सी.बी.आई. अब मामले की लगातार जांच कर रही है। उन्होंने कई जगहों पर छापे मारे हैं, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि कुछ महीनों के अंदर ही वे अंतिम रिपोर्ट पेश कर देंगे। कृपया तब तक इंतजार कीजिए। यही मैं कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के बारे में उनकी सरकार ने काफी कुछ किया है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आज भी लाखों...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम लोग क्वैश्चयन पर आ जाएं। स्कोप से बाहर बात जा रही है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, आज भी पूर्व सैनिकों को वह लाभ नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अब प्रश्न पर आ जाइए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं उस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, जहां पर वह दिक्कत है। जहां हजारों लोग हर वर्ष मिलने आते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: तो आपको वह प्रश्न पूछना चाहिए था।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय आडवाणी जी से पहले मिले, सुषमा जी मिले ओर इण्डिया गेट पर आकर अपने मैडल वापस किए। इसलिए यह कहना कि कर दिया है, गलत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपने प्रश्न पर आइए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा ...*(व्यवधान)* कृपया करके सैनिकों पर राजनीति न करें।...*(व्यवधान)* और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, सी.बी.आई. इनक्वायरी करने से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन यह टोकाटाकी हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए, उससे बाहर मत जाइए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सी.बी.आई. इनक्वायरी से उन विधवाओं के अनाथ बच्चों को घर वापस नहीं मिल रहे हैं। उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटस क्या है, वह बाद में पूछ लेंगे। लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2009-10 का पैसा आपने इस लिए नहीं दिया, क्योंकि सी.ए.जी. ने कहा है। लेकिन इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि

[अनुवाद]

दुर्भाग्य से, क्यू.डी. को अवमुक्त ने करने, जोकि मात्रात्मक छूट है, और सी.डी.एस. को गलत तरीके से कैग के साथ जोड़ा गया है, लोक लेखा समिति के समक्ष रखी गयी रिपोर्ट प्रारम्भिक तौर पर यू.आर.सी. के कैग द्वारा लेखा परीक्षा करने पर जोर देती है। इसे ठीक से नहीं समझा गया है क्योंकि 26 मई 2011 को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राय दी है कि यू.आर.सी. सरकारी उद्यम नहीं है और इसलिये इनका कैग द्वारा लेखा परीक्षा नहीं कराया गया है।

[हिन्दी]

मैडम, अगर वह ऑडिट के अंदर नहीं आती है तो सरकार क्यों विलम्ब कर रही है, वह सेवाएं और पैसा देने के लिए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हजारों सैनिक उन सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं। अगर यह ओपिनियन एक वर्ष पहले आयी थी तो फिर आपकी सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी है? पूर्व सैनिकों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सैंकड़ों करोड़ रुपए आपने अपने खाते में क्यों रखे, जो कि सैनिकों के लाभ के लिए थे, उनको सुविधाएं देने के लिए थे? यही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए.के. एंटनी: महोदया, माननीय सदस्य के अनुसार विधि मंत्रालय और हमारे मंत्रालय की स्थिति यह है कि वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि परम्परा और प्रक्रियानुसार इनकी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाती। परन्तु यह सशस्त्र सेनाओं का मत है, हमारा मंत्रालय उसका समर्थन करता है तथा विधि मंत्रालय ने भी इसका अनुमोदन किया है। जबकि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कहना है कि यह सार्वजनिक निधि है और इसकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। लोक लेखा समिति ने भी संसद को एक रिपोर्ट दी है कि इसकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए, हमारा मंत्रालय अब इसकी जांच कर रहा है और जांच पूरी हो जाने के बाद हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और उसे संसद में प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दो हजार दो सौ करोड़ रुपए की पेंशन वृद्धि की है और 12 लाख भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन वृद्धि का लाभ दिया है। जहां तक वन रैंक वन पेंशन का सवाल है, उस पर मंत्री जी का बढ़ा सकारात्मक रुख है। मैं उत्तराखण्ड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य इलाका है। वहां ऐसे परिवार हैं, जिनके लोग सेना में भर्ती होते हैं और हम लोग सभी सैनिकों को सलाम करते हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सी.एस.डी. कैंटीन का लाभ उत्तराखण्ड के सुदूर इलाकों में, जैसे देवप्रयाग, गजा, सतपुल, बीरोंखल एवं नागनाथ पोखरी में छोटी सी.एस.डी. कैंटीन खोलने की सरकार की क्या कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू: अध्यक्ष महोदया, नए यू.आर.सी. खोलने के लिए निश्चित दिशानिर्देश हैं और वह वर्तमान सैनिकों की संख्या, मौजूदा भूतपूर्व-सैनिकों की संख्या, यू.आर.सी. तक उनकी पहुंच के साथ-साथ अन्य घटकों पर भी निर्भर है। इसके अलावा, यदि कोई नया यू.आर.सी. खोला जाना है तो यह संबंधित राज्य द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने पर निर्भर होता है। इसलिए हम इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं और जब भी जरूरत होती है तो हम नई शाखा खोलने की स्वीकृति दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 63 श्री अम्बिका बनर्जी उपस्थित नहीं। श्री एस. पक्कीरप्पा उपस्थित नहीं।

श्री हसन खान

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

+
*63. **श्री अम्बिका बनर्जी:**
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

+चूंकि श्री अम्बिका बनर्जी और श्री एस. पक्कीरप्पा सभा में उपस्थित नहीं थे, माननीय अध्यक्ष ने श्री हसन खान को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और स्वीकृत किए गए अथवा लम्बित रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर 2011-12 के दौरान कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार नियत/जारी/आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में किन्हीं अड़चनों/बाधाओं का सामना कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डा. सी.पी. जोशी): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुमोदन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लक्ष्य स्कीमवार निर्धारित किए जाते हैं न कि राज्यवार। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध III में दिया गया है।

(ङ) और (च) जी हां। कार्यान्वयन में प्रगति ठेकेदारों के निम्न निष्पादन, वन/वन्य जीवन/रेलवे स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने में विलंब, कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या, भूमि अधिग्रहण में विलंब आदि के कारण प्रभावित हुई है।

सरकार द्वारा अपनी सभा परियोजनाओं को पूरा किए जाने में होने वाले विलंब को न्यूनतम करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जाना, विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटें स्थापित किया जाना, जन उपयोगी सुविधाओं को स्थानांतरित किए जाने, भूमि अधिग्रहण मुद्दों से संबंधित बाधाओं को दूर किए जाने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया जाना आदि। इसके अलावा, विलंबित परियोजनाओं का सघन अनुवीक्षण और आवधिक समीक्षा, उन्हें शीघ्र पूरा किए जाने के लिए मुख्यालय और फील्ड यूनिटों में की जाती है।

ये परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं और उनके पूरा होने की वास्तविक तारीख अभिज्ञात करना समय पूर्व होगा।

अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों 2008-09 से लेकर (29-02-2012 की स्थिति के अनुसार) और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुमोदन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	137	118
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	9

1	2	3	4
3.	असम	58	58
4.	बिहार	24	16
5.	छत्तीसगढ़	126	61
6.	गोवा	30	20
7.	गुजरात	70	55
8.	हरियाणा	84	74
9.	हिमाचल प्रदेश	61	61
10.	जम्मू और कश्मीर	21	18
11.	झारखंड	72	69
12.	कर्नाटक	119	109
13.	केरल	38	38
14.	मध्य प्रदेश	110	39
15.	महाराष्ट्र	188	158
16.	मणिपुर	13	13
17.	मेघालय	16	16
18.	मिजोरम	20	20
19.	नागालैंड	11	11
20.	ओडिशा	170	123
21.	पंजाब	77	71
22.	राजस्थान	71	71
23.	सिक्किम	1	1
24.	तमिलनाडु	50	28
25.	त्रिपुरा	10	10
26.	उत्तर प्रदेश	325	183

1	2	3	4
27.	उत्तराखंड	141	131
28.	पश्चिम बंगाल	66	56

_अनुबंध II_

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा

क्र.	स्कीम का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (31-01-2012 तक)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना								
(i)	चार लेन में चौड़ीकरण (कि.मी.)	3520	2203	3165	2693	2500	1780	2500	1515
(ii)	पुलों का निर्माण (संख्या)	3	1	2	0	2	0	1	0
(iii)	बाईपासों का निर्माण (संख्या)	17	3	13	3	12	5	7	0
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से इत्तर								
(i)	न्यून ग्रेड वाले खंडों का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	80	47	20	31	1	1	20	14
(ii)	चार लेन में चौड़ीकरण (कि.मी.)	51	63	79	69	138	99	104	41
(iii)	दो लेन में चौड़ीकरण (कि.मी.)	1176	1153	1321	1234	1117	1042	1070	513
(iv)	कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	706	1010	1058	1013	1213	1016	1080	469
(v)	सड़क गुणता सुधार (कि.मी.)	1350	2470	2510	3168	2307	2026	1872	1905
(vi)	पुलों का पुनरुद्धार/निर्माण (संख्या)	92	77	132	122	187	103	129	69
(vii)	बाईपासों का निर्माण (संख्या)	8	4	6	0	15	3	7	2
(viii)	मिसिंग लिंक का निर्माण (कि.मी.)	26	16	9	3	3	0	0	0

अनुबंध III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आवंटित निधि और व्यय का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.	राज्य का नाम	आवंटन				व्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^ (फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	192.97	348.39	254.77	167.99	196.38	348.39	254.77	93.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
3.	असम	88.25	206.29	177.64	231.43	87.65	206.29	177.64	125.25
4.	बिहार	104.02	245.45	199.15	225.54	95.02	245.45	199.15	189.23
5.	चंडीगढ़	3.39	2.95	8.81	6.00	3.39	2.95	8.81	0.57
6.	छत्तीसगढ़	67.42	79.65	53.53	98.05	65.74	79.65	53.53	29.02
7.	दिल्ली	15.80	17.21	52.58	8.00	15.80	17.21	52.58	5.70
8.	गोवा	34.39	33.16	30.14	8.00	34.39	33.16	30.14	4.79
9.	गुजरात	102.33	150.26	111.60	124.96	101.06	150.26	111.60	75.48
10.	हरियाणा	103.23	152.16	143.69	115.00	103.23	152.16	143.69	82.69
11.	हिमाचल प्रदेश	76.21	80.46	95.72	136.26	76.21	80.46	95.72	80.65
12.	झारखंड	96.41	117.90	112.70	105.00	96.41	117.90	112.70	71.81
13.	कर्नाटक	215.30	305.43	276.65	343.31	214.91	305.42	276.65	254.05
14.	केरल	72.53	141.23	109.00	173.82	73.20	141.23	109.00	118.24
15.	मध्य प्रदेश	110.14	150.16	134.24	96.69	98.35	150.16	134.24	63.45
16.	महाराष्ट्र	195.18	326.18	265.53	286.52	196.87	326.18	265.53	164.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	23.77	19.65	63.88	78.28	23.65	19.65	63.88	23.79
18.	मेघालय	51.60	61.54	79.08	70.55	50.77	61.54	79.08	45.12
19.	मिजोरम	13.55	5.52	24.23	60.00	13.55	5.52	24.23	20.63
20.	नागालैंड	30.60	30.46	26.94	54.00	30.60	30.46	26.94	11.97
21.	ओडिशा	209.55	333.70	230.71	313.28	208.84	333.70	230.71	226.52
22.	पुडुचेरी	2.95	9.22	3.93	5.00	2.95	9.22	3.93	4.05
23.	पंजाब	156.77	188.49	115.00	129.11	156.77	188.49	115.00	98.00
24.	राजस्थान	214.35	140.24	147.31	183.08	216.54	140.23	147.31	86.96
25.	तमिलनाडु	133.77	168.40	182.13	190.37	131.96	168.40	182.13	119.54
26.	उत्तर प्रदेश	223.51	433.21	452.55	359.21	222.20	433.21	452.55	223.75
27.	उत्तराखंड	112.40	160.91	130.83	141.46	112.29	160.91	130.83	41.17
28.	पश्चिम बंगाल	95.30	147.00	120.61	210.00	95.30	147.00	120.61	197.62
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	1.89	5.00	0.00	0.00	1.89	2.13
	भाराराप्रा	12566.47	11744.70	17918.94	28412.90	10497.21	9017.96	12563.94	20755.69
	सीमा सड़क संगठन	650.00	756.00	760.00	620.00	645.80	723.49	714.31	367.38
	एस.ए.आर.डी.पी.-एन.ई.*	1000.00	1200.00	1500.00	1600.00	643.72	658.55	1004.81	1443.86
	एल.डब्ल्यू.ई.*	0.00	125.00	750.00	1200.00	0.00	5.00	718.05	862.71

*राज्य वार आवंटन तैयार नहीं किये गये।

^अनंतिम.

[हिन्दी]

श्री हसन खान: नेशनल हाईवे प्रपोजल्स के बारे में जो स्टेटवाइज इन्होंने आंकड़े दिए हैं, उसमें जम्मू और कश्मीर के बारे में लिखा है कि वहां से 21 प्रपोजल्स आए हैं और उसमें मिनिस्टरी ऑफ नेशनल हाईवे ने 18 अप्रूव्ड किए हैं। मैं समझता हूं कि इन 18 प्रपोजल्स में से नेशनल हाईवे नम्बर -1, श्रीनगर से लद्दाख में जो जोजिला टनल है, वह भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि मंत्री जी ने हाल ही में अपनी मीटिंग के बाद बयान दिया, जो जम्मू-कश्मीर के तमाम लीडिंग इंग्लिश और उर्दू पेपर्स में भी निकला कि जोजिला टनल के कंस्ट्रक्शन का

काम अगस्त में शुरू होगा और इसका फाउंडेशन स्टोन अगस्त में ही रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद बी.आर.ओ. के चीफ इंजीनियर ने बयान दिया कि अभी तक योजना के हाईवे के टनल के बारे में डी.पी.आर. मौसूल नहीं हुआ है और इसमें डिले हो सकता है। इस वक्त जो बजट पेश किया गया है, उसमें भी इस किस्म की कोई चीज दिखाई नहीं देती है, जिससे यह पता चल सके कि यह प्रपोजल मंजूर हुआ है और इसके लिए फंड्स रखे गए हैं और जिसका कंस्ट्रक्शन अगस्त से शुरू होने वाला है।

मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यह प्रपोजल जो इन्होंने हाईवे नम्बर-1 में टनल का एप्रूव किया है, वह पास हुआ है और क्या यह अगस्त में शुरू होगा जबकि ग्रीव वाले, जो एजेंसी हैं वे कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई डी.पी.आर. मौसूल नहीं हुआ है?

डॉ. सी.पी. जोशी: अध्यक्ष महोदया, यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण कनैक्टिवीटी का इश्यू है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जोजिला की कनैक्टिवीटी का काम हमने बी.आर.ओ. को दिया था, वह दो पार्ट में कर रहे हैं। एक पार्ट की डी.पी.आर. का काम सब्मिटी करने की स्टैज में आ गया है। इसलिए हमने कहा है कि उस कनैक्टिवीटी को हम प्रारंभ करेंगे और दूसरा डी.पी.आर. का पार्ट है, वह एवलांचिज और जिस तरह की वहां स्थिति बनी हुई है, उसके कारण डी.पी.आर. रिपोर्ट आने में समय लगेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पूरी मंशा है कि इस कनैक्टिवीटी को हम तेज़ गति से काम करके करें, जिससे वहां के लोगों को कनैक्टिवीटी मिल सके। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा है कि अगस्त में जोजीला के फर्स्ट फेज़ का फाउण्डेशन हम ले करेंगे।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, वैसे जो भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि यह घिसा-पिटा उत्तर है। जब भी सर्फेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट्स कब स्वीकृत हुए? प्रोजेक्ट्स कब तक पूरे हो जाएंगे तो जिस प्रकार का घिसा-पिटा उत्तर इसमें दिया गया है, ऐसे जवाब पहले भी दिए जाते रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने कहा है कि प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में जो डिले होता है, उसके लिए आपने नेशनल हाइवे एथॉरिटी ऑफ इण्डिया की रीज़नल आफिसीज़ सेटअप कर दी हैं, उनको पूरा अधिकार दे दिया है, चाहे वह लैण्ड एक्वीजीशन से संबंधित हो, चाहे वह शिफ्ट ऑफ यूटीलिटी से संबंधित हो, यह सब कामों का निस्तारण करेंगे। मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कुल कितने प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हुए हैं और पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रति किलोमीटर सड़कों के निर्माण का सरकार का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को सरकार ने किस सीमा तक प्राप्त किया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से दो बहुत ही प्रमुख हाइवे, एन.एच.-24 और एन.एच.-58 गुजरती हैं। अब उन सड़कों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव, मेरी जहां तक जानकारी है कि मंत्रालय के द्वारा बहुत पहले तैयार कर लिया गया, लेकिन आज तक चौड़ीकरण का काम एन.एच.-24 और एन.एच.-58 पर प्रारम्भ नहीं किया गया है। वहां की जनता को रोज़ वहां दो-दो घंटे जाम से जूझना पड़ता है, उसे झेलना पड़ता है। लोग गाजियाबाद से दिल्ली आना नहीं चाहते हैं, बचते हैं, जबकि गाजियाबाद एक औद्योगिक शहर है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय से जो मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर के साथ ही इस प्रश्न का भी उत्तर दें कि एन.एच.-24 और एन.एच.-58 के चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव मंत्रालय के पास है, वह अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ है?

अध्यक्ष महोदया: आप कितने प्रश्न पूछेंगे? बहुत प्रश्न हो गए।

डॉ. सी.पी. जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क के निर्माण के संबंध में माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है। वह हम सभी की भी चिंता है। आप स्वयं जानते हैं कि चाहे भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, चाहे यूटीलिटी शिफ्ट करने का सवाल हो, जब तक राज्य सरकार आगे आकर इसमें मदद नहीं करती है, तब तक वह काम नहीं हो सकता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए। जवाब सुन लीजिए। उन्होंने तो जवाब पूरा ही नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जवाब पूरा तो करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. सी.पी. जोशी: माननीय सदस्य, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि अभी मंत्रालय ने जो काम किया, उसमें रिकार्ड 7300 किलोमीटर का अवार्ड किया, जो अभी तक का रिकॉर्ड है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी, आप मुझे संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि एन.एच.ए.आई. डिक्लेयर करना और रोड कंस्ट्रक्शन करने के बीच में लगभग चार साल का समय लगता है। रोड डिक्लेयर करने के बाद रोड को बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने, फॉरेस्ट क्लियर करने, और यूटीलिटी शिफ्ट करने का काम, राज्य सरकारों की मदद से ही संभव हो सकता है। कुछ जगहों पर राज्य सरकार अपने लोकल रीजन्स के कारण भूमि अधिग्रहण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर नहीं कर पाती है। वाइल्ड लाइफ की जो स्ट्रिक्चर्स हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के कारण दो से तीन साल लग जाते हैं। हमारा मंत्रालय पूरी तरह से इस बात के लिए भिज्ञ है कि सड़क निर्माण के कार्य को तीव्र गति से करना है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में हमने मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की कमेटी बनाकर उन्हें अधिकृत करने का काम किया है। हमने रीजनल जी.एम. बनाने का काम किया है और इसलिए मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल हमने 7300 किलोमीटर अवार्ड किया है, जो अभी तक रिकॉर्ड है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए। मंत्री महोदय, आप इधर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. सी.पी. जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदया, एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत हमने 43000 किलोमीटर सड़क के काम को अवार्ड किया है। एस.आर.डी.पी. के अंतर्गत 3300 किलोमीटर के सड़क के कार्य को अवार्ड किया है, वर्ल्ड बैंक के 3000 किलोमीटर के सड़क के कार्य को हमने हाथ में लिया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 21500 किलोमीटर की सड़क को नए कार्यक्रम में लेने के अंतर्गत बारहवीं योजना में एश्योर किया है कि हम बी.पी.सी. का नया मॉडल ला रहे हैं और लगभग बीस हजार किलोमीटर की सड़क टू-लेन की बनाएंगे। अभी लगभग 15000 किलोमीटर की सड़क सिंगल लेन और डबल लेन है। एन.डी.ए. की सरकार सिंगल लेन को डबल लेन नहीं कर पायी। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपना काम पूरा कर पाएंगे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी तक जो सड़क बनाने का काम है, जिसमें हमारी सरकार ने आश्वस्त किया है कि बीस किलोमीटर सड़क पूरी बनाएंगे। चुनाव में जाने से पहले हम बीस किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाने के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* अभी तक हम लगभग पन्द्रह किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाने का कार्य कर रहे हैं और 7003 किलोमीटर सड़क बनाकर हम 33 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाने का काम करके दिखाएंगे।

श्री अधीर चौधरी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपको शायद यह जानकारी होगी कि नेशनल हाईवे-34 बंगाल की एक लाइफ लाईन माना जाता है। हम लोग कई सालों से सुन रहे हैं कि ये डबल लेन, फोर लेन होगी। ये काम किसी कंसेशनेयर्स को हैंडओवर किया गया, लेकिन ये जो लोग हैं, ये अभी काम शुरू करने में सफल नहीं हुए। जब कंसेशनेयर्स को काम हैंडओवर किया जाता है, इसकी मेंटीनेंस कौन करेगा, इसे लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है। वे लोग कहते हैं कि मेंटीनेंस करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। आम जनता इसमें क्या करें? उनका लैंड एक्वीजिशन करने में और कंस्ट्रक्शन करने में जो वक्त लगता है, उसके पहले ये रोड डेमेज हो जाती हैं। इस कारण से आम जनता

को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या इसके लिए कोई मेकेनिज्म है? जब तक इस काम को ये लोग नहीं करेंगे, उस समय तक उसका मेंटीनेंस कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी किस की है?

डॉ. सी.पी. जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम सड़क एन.एच.ए. डिक्लेयर करते हैं, तब स्टेट गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च नहीं करती है, एन.एच.ए. खर्च करती है। जब एन.एच.ए. हमें एवार्ड कर देते हैं, तब कंसेशनेयर्स को उस पर खर्च करना पड़ता है। यह बात सही है कि आज अलग-अलग प्रांतों में जो एन.एच.ए. सड़कें डिक्लेयर हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च नहीं कर रही है और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, वे कम हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम अगले साल लगभग तीन हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करके, जहां जहां ऐसी सड़कें हैं, उन सब सड़कों को ठीक कराने का काम करेंगे।

मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो भी सड़क खराब है, कृपया आप उसके लिए लिख कर भेजें, हम उसे ठीक कराने का काम करेंगे।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

*64. +**डा. भोला सिंह:**

श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों सहित देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या और उनके द्वारा सामना की जा रही अन्य समस्याओं का आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ङ) यदि हां, तो इनमें पाई गई कमियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लोगों में जागरूकता पैदा करने सहित योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के साथ उनके परिवार और समाज द्वारा दुर्व्यवहार को रोका जा सके?

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) जनगणना 2001 के अनुसार, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 7.7 करोड़ थी। वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष पेश आई मुख्य समस्याओं में कुछ निम्नलिखित है:-

- जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा
- स्वास्थ्य देखभाल
- वित्तीय सुरक्षा
- दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण
- स्वतंत्र और सकारात्मक जीवन निर्वाह
- जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहारा।

(ग) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार है:-

1. वृद्धजन समेकित कार्यक्रम योजना (आई.पी.ओ.पी.)
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.-एन.ओ.ए.पी.एस.)
3. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एन.पी.एच.-सी.ई.)।

उल्लिखित योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

उल्लिखित के अतिरिक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एन.आई.एस.डी.) तथा आई.पी.ओ.पी. की योजना के अंतर्गत समर्थित तीन क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (आर.आर.टी.सीज) वृद्धजनों के लिए कार्यरत सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(घ) और (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, आई.पी.ओ.पी. का प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन कराए गए थे। इन अध्ययनों की कुछ सिफारिशें वित्तीय मानकों में बढ़ोत्तरी, समर्थित परियोजनाओं के प्रकारों में बढ़ोत्तरी और केन्द्रों में विशिष्टीकृत चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता इत्यादि थी।

उल्लिखित सिफारिशों के आलोक में, आई.पी.ओ.पी. को 1-4-2008 से संशोधित किया गया था। वित्तीय मानकों के संशोधन के अतिरिक्त, अनेक अभिनव परियोजनाओं अर्थात् अल्झीमर रोग/डिमेंसिया रोगियों के लिए दवा देखभाल केन्द्र, वृद्धजनों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक, वृद्धजनों के लिए हेल्प लाइनें और परामर्श केन्द्र, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु पात्रता के रूप में जोड़ा गया था।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 1-4-2011 से इसके तहत पात्रता न्यूनतम की आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है तथा 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन धनराशि के केन्द्रीय अंश को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है।

(च) इस संबंध में किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:-

* मीडिया में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधायी और कार्यक्रमों संबंधी प्रावधानों का प्रचार।
* समर्थन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में एन.आई.एस.डी. के प्रयासों को बढ़ाने के लिए तीन क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों की संस्वीकृति।
* ग्राही गैर-सरकारी संगठनों के बैंक खातों में सीधे सहायता अनुदान का ई भुगतान/टेलीग्राफी अंतरण।
* प्रत्येक वर्ष एक अक्तूबर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाना तथा वृद्धजनों के कल्याणार्थ उनके योगदान की मान्यता में प्रमुख वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को "वयोश्रेष्ठ सम्मान" प्रदान करना।

अनुबंध

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	योजना के संक्षिप्त ब्यौरे
1	2	3	4
1.	समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना 1992 से क्रियान्वित की जा रही है तथा 1-4-2008 से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए दी जाती है जैसे:- * वृद्धाश्रम; * दवा देखभाल केन्द्र; * चल चिकित्सा यूनिट; * अल्झीमर रोग/डिमेंसियां रोगियों के लिए दवा देखभाल केन्द्र;

1	2	3	4
			* वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक; * वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्प लाइनें और परामर्श केन्द्र; * बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम विशेषरूप से विद्यालयों और महाविद्यालयों में; * क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले किसी परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, इसमें राज्यों द्वारा कम से कम समान अंशदान देकर संपूरित किया जाना होता है।
3.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	21 राज्यों में 100 जिलों को कवर करने के लिए, 2010-11 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक निम्न हैं :- * जिला अस्पतालों/सी.एच.सी./पी.एच.सी./उप केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना; * वृद्धजनों के लिए 10 बिस्तर वार्डों वाले 100 जिला अस्पतालों में समर्पित सेवाएं; * नई दिल्ली (एम्स), चैन्नै मुम्बई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, त्रिरुवन्तपुरम और गुवाहाटी में 30 बिस्तर वार्डों के साथ वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित त्रिस्तरीय चिकित्सा केयर प्रदान करने के लिए 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थाओं को सुदृढ़ करना, और * उक्त 8 संस्थाओं में वृद्धावस्था दवाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करना और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: भोला सिंह जी, कृपया समय का ध्यान रखिएगा।

डॉ. भोला सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके आदेश के आलोक में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज इस देश में लगभग दस करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी सुरक्षा, सम्मान सम्पदा की रक्षा के लिए और उन्हें प्रताड़ित होने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कई योजनाओं का शुभारम्भ किया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, क्या यह बात सही है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई.पी.ओ.पी. के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जो मानक अध्ययन के कदम उठाए गए, उस कमेटी ने सरकार से वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए क्या अनुशंसाएं कीं और उन अनुशंसाओं में कितनी अनुशंसाओं का सरकार ने कार्यान्वयन किया और जो अनुशंसाएं कार्यान्वित नहीं हुईं, वे क्यों नहीं हुईं?

श्री मुकुल वासनिक: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वृद्धजनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर रखा है। खास करके वृद्धजनों के जान-माल की सुरक्षा से संबंधित सरकार ने क्या पहल की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। सन् 1999 में भारत सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई, उसके पश्चात् भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवायज़री भेजी और इस तरह के निर्देश दिए। कानून-व्यवस्था उनके आधीन रहने की वजह से कुछ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान वृद्धजनों की सुरक्षा के संबंध में बनाने का काम करना चाहिए। उस एडवायजरी में जो बातें रखी गईं, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था-

[अनुवाद]

ऐसे मार्केट या क्षेत्रों की पहचान करना जहां अधिक संख्या में वृद्ध व्यक्ति रहते हों। वृद्ध व्यक्तियों के घरों में व्यक्तिगत रूप से जाना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जिला स्तर या वृद्ध व्यक्तियों के मामलों की निगरानी और अनिवार्य समीक्षा तथा हेल्पलाईन स्थापित करना। उसके बाद सन् 2007 में भारत सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरणपोषण और कल्याण अधिनियम बनाया।

[हिन्दी]

उस पर हमने सन् 2009 में कुछ नियम बनाएं, वे नियम भी हमने तमाम राज्यों को भेजें। अब तक सिर्फ 12 ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने 2007 में जो कानून बना है, उसके तहत सारे कदम उठाए हैं। हमारी कोशिश चल रही है कि राज्य सरकारें यह कानून नोटीफाई करें, कानून के तहत जो नियम हैं, उन्हें नोटीफाई करें और वृद्धजन के सम्बन्ध में जहां तक जान-माल की सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में जो बातें हैं, उन तमाम बातों को कारगर तरीके से लागू करें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

*65. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों की असंतोषजनक स्थिति की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे सड़क खंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित/उपयोग की गई धनराशि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रखरखाव और मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की अवस्था का आवधिक आकलन निष्पादक एजेंसियों द्वारा क्षति के प्रकार

और मात्रा को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक उपाय किए जाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षतिग्रस्त करने वाले मुख्य कारक हैं - अपर्याप्त पेवमेंट संरचना, वीयरिंग सरफेस का समय पर सुदृढ़ीकरण और नवीकरण किए जाने का अभाव, वाहनों का अधिक भार, निधि आवंटन की सीमित उपलब्धता, जलवायु संबंधी कारक आदि। तदनुसार, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात घनत्व और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर उनकी अवस्था के आकलन के अनुरूप उपलब्ध संसाधनों से समय समय पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधि का आवंटन राष्ट्रीय राजमार्गवार नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक एक- वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई और उनकी अवस्था के आधार पर निधि आवंटित करके अनुरक्षण के लिए उपलब्ध निधि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

विवरण

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए आबंटित और व्यय की गई निधियां

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.25	97.70	56.25	63.89	67.06	64.13	65.37	46.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.82	0.02	0.91	2.73	26.53	27.07	6.41	4.16
3.	असम	40.20	40.47	78.85	67.19	111.36	99.04	62.90	39.32
4.	बिहार	44.50	38.02	69.51	50.92	93.84	79.06	81.04	46.01
5.	चंडीगढ़	0.68	0.80	0.75	0.67	0.66	0.31	0.68	0.37
6.	छत्तीसगढ़	27.26	27.76	33.40	31.94	22.66	22.66	24.91	9.82
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
8.	गोवा	5.01	4.61	5.35	4.93	4.85	1.66	9.04	1.08
9.	गुजरात	42.04	41.92	43.03	41.68	82.74	82.21	66.05	54.09
10.	हरियाणा	19.64	19.79	18.97	18.61	30.06	28.15	21.62	20.50
11.	हिमाचल प्रदेश	18.84	20.94	31.37	26.43	22.25	21.69	37.39	30.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	झारखंड	20.38	18.56	28.97	18.23	33.20	32.92	18.18	10.52
13.	कर्नाटक	71.24	67.04	64.76	66.98	77.61	61.43	52.59	32.38
14.	केरल	21.75	30.12	28.50	60.45	52.08	41.88	34.62	12.89
15.	मध्य प्रदेश	48.66	50.37	57.15	59.53	45.39	43.30	35.46	11.75
16.	महाराष्ट्र	62.92	53.04	66.98	65.38	104.40	99.50	99.33	80.84
17.	मणिपुर	10.24	9.72	7.24	7.61	18.68	17.46	25.30	7.70
18.	मेघालय	17.53	17.41	14.78	17.79	48.92	44.93	47.22	22.74
19.	मिजोरम	9.20	7.40	3.58	2.22	39.69	37.44	24.42	8.13
20.	नागालैंड	10.78	12.55	12.30	10.72	14.57	12.77	51.40	36.74
21.	ओडिशा	52.55	61.88	59.50	61.83	80.77	80.77	37.48	26.17
22.	पुडुचेरी	1.10	1.47	1.63	0.89	3.46	1.64	1.51	0.19
23.	पंजाब	25.58	27.47	23.00	26.86	21.38	16.13	19.45	14.28
24.	राजस्थान	72.35	75.06	76.53	48.39	85.72	77.30	101.05	81.82
25.	तमिलनाडु	49.40	46.55	32.62	41.21	54.36	53.90	51.21	28.32
26.	उत्तर प्रदेश	55.22	61.04	73.93	84.93	97.50	97.11	103.02	69.86
27.	उत्तराखंड	21.87	20.86	25.31	23.40	73.59	59.46	64.79	27.60
28.	पश्चिम बंगाल	31.49	21.69	27.15	36.70	57.65	54.75	26.41	17.72
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.आई.)$	70.00	70.00	87.94	87.94	617.65	617.65	92.00	92.00
31.	सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.)$	26.35	21.68	24.00	23.73	65.00	44.50	55.00	40.86
	कुल जोड़	961.86	965.94	1,058.76	1,053.68	2,053.63	1,920.82	1,318.43	875.16

एस - फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार

एस - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

वायु प्रदूषण

*66. **श्री मंगनी लाल मंडल:**

श्री पी. कुमार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रमुख शहरों में दर्ज किए गए वायु प्रदूषण स्तर का औसत रुख क्या है;

(ख) क्या यह प्रदूषण अनुमेय सीमाओं के अन्दर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम रहे; और

(च) वायु प्रदूषण को कम करने तथा उसके कारण होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2) नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_2) और पी.एम.$_{10}$ (10 माइक्रोन से नीचे आकार वाले विविक्त पदार्थ) के संदर्भ में सभी प्रमुख नगरों नामश: दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता का मॉनीटरन करता है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 के लिए उपलब्ध आंकड़ा विवरण-I के अनुसार SO_2 के स्तर सभी नगरों में निर्धारित मानकों (वार्षिक औसत - 50 यू.जी./एम^3) के भीतरी हैं, जबकि NO_2 के स्तर मानकों (वार्षिक औसत - 40 यू.जी./एम^3) से दिल्ली और कोलकाता में लगातार बढ़े हैं और PM_{10} के स्तर इन सभी नगरों में निर्धारित मानकों (वार्षिक औसत - 60 यू.जी./एम.^{3}) से बढ़े है। इस प्रकार जहां तक परिवेशी वायु का संबंध है SO_2NO_2 और PM_{10} के स्तरों की अस्थिर प्रवृत्ति रही है।

(घ) और (ङ) सी.पी.सी.बी. द्वारा चितरंजन राष्ट्रीय कैन्सर इन्स्टीट्यूट कोलकाता को दो जानपदिक-रोगविज्ञान अध्ययन सौंपे गए थे, नामत: दिल्ली में मानव स्वास्थ्य (वयस्कों) पर वायु प्रदूषण संबंधी प्रभावों का जानपदिक-रोगविज्ञान अध्ययन" और "दिल्ली में परिवेशी वायु गुणता, अन्त:श्वसनीय लक्षण और बच्चों के फेफड़ों की कार्य क्षमता।" पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक और अध्ययन नामश: "पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव - हैदराबाद में मौत के कारण, "इन्स्टीट्यूट आफ हैल्थ सिस्टम, हैदराबाद को सौंपा गया।

उपर्युक्त उल्लिखित तीन अध्ययनों के निष्कर्षों का सार संलग्न विवरण-II में संलग्न है।

(च) सरकार ने परिवेशी वायु गुणता को बेहतर बनाने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और उनसे होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

(i) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना;

(ii) दिल्ली के अलावा 16 नगरों में परिवेशी वायु गुणता में सुधार के लिए कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन;

(iii) आटो फ्यूल नीति के अनुसार स्वच्छतर ईंधन (बी.एस. III/IV अनुवर्ती) की शुरुआत;

(iv) कुछ चयनित नगरों और शहरों में गैसीय ईंधन की शुरुआत;

(v) 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा चयनित नगरों में बी.एस. IV अनुवर्ती पैसेंजर कारों की बिक्री और पंजीकरण;

(vi) कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से लाभकारी कोयले का उपयोग;

(vii) प्रयुक्त वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए 'प्रदूषण नियंत्रणाधीन' (पी.यू.सी.) साटिर्फिकेट स्कीम लागू करना;

(viii) दो स्ट्रोक-दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 2 टी पूर्व-मिश्रित पेट्रोल का विक्रय;

(ix) जेनरेटर सेटों के लिए अधिक कड़े उत्सर्जन मानकों का कार्यान्वयन;

(x) छह महानगरों में किया गया स्रोत संविभाजन अध्ययन;

(xi) पर्यावरण संरक्षण (सी.आर.ई.पी.) हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी चार्टर की सिफारिशों का वायु प्रदूषित उद्योगों की सत्रह श्रेणियों के लिए कार्यान्वयन;

(xii) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मॉनीटरिंग नेटवर्क की स्थापना;

(xiii) उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए वायु प्रदूषित उद्योगों का निरीक्षण और मॉनीटरन;

(xiv) चयनित नगरों में मेट्रो रेल की स्थापना सहित सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना।

विवरण-I

भारत के चार प्रमुख नगरों में परिवेशी वायु गुणता की स्थिति

(2008-2010 की स्थिति)

क्र.सं.	नगर का नाम	राज्य	2008			2009			2010		
			एस.ओ.$_2$	एन.ओ.$_2$	पी.एम.$_2$	एस.ओ.$_2$	एन.ओ.$_2$	पी.एम.$_2$	एस.ओ.$_2$	एन.ओ.$_2$	पी.एम.$_2$
1.	चैन्नई	तमिलनाडु	9	14	63	9	17	73	9	15	59
2.	दिल्ली	संघशासित क्षेत्र	6	57	214	6	50	252	5	55	261
3.	मुम्बई	महाराष्ट्र	9	40	127	6	41	117	4	19	97
4.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	8	64	103	11	68	126	11	62	99

मानक (वार्षिक औसत):

एस.ओ.$_2$ - 50 एच.जी./एम.^{3}

एन.ओ.$_2$ - 40 एच.जी./एम.^{3}

पी.एम.$_2$ - 60 एच.जी./एम.^{3}

विवरण-II

वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभावों के संबंध में किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों का सार

(i) **सी.एन.सी.आई., कोलकाता द्वारा "दिल्ली में मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषकों; विशेषत: अन्त:श्वसनीय विविक्त पदार्थ (आर.एस.पी.एम.) और अन्य कांसिनोजीन्स को जानने के लिए जानपदिक-रोगविज्ञान अध्ययन"।**

✓ **अन्त:श्वसनीय लक्षण:** दिल्ली के निवासियों में उच्च श्वसनीय लक्षण 1.5-गुणा और निम्न अन्त:श्वसनीय लक्षण 1.8-गुणा अधिक पाए गए।

✓ **फेफड़ों की कार्यक्षमता:** 40.3% दिल्ली निवासियों में फेफड़ों की कार्यक्षमता नियंत्रित समूह के

20.1% की तुलना में कम पाई। दिल्ली के निवासियों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी के दोनों प्रकार अर्थात् प्रतिबंधित (नियंत्रित में 11.4% की तुलना में 22.5%), अवरोधक (नियंत्रित में 6.6% की तुलना में 10.7%) तथा (अवरोधक और प्रतिबंधित दोनों) काफी बढ़े ($p<0.05$) पाए गए।

✓ **वायु प्रदूषण के प्रति कोशिकीय फेफड़ा प्रतिक्रिया:** दिल्ली के नागरिकों के थूक में नियंत्रित समूह में 6.9±1.6 एलविओलर मैक्रोफेज़िज प्रति एच.पी.एफ. की तुलना में 12.9±2.6 एलविओलर मैक्रोफेजिज एच.पी.एफ. पाया गया और दिल्ली के नागरिकों में एलविओलर कणों से भरा पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका के आकार में बढ़ोतरी हुई।

✓ दिल्ली के नागरिकों के थूक में ग्रामीण नियंत्रित समूह की तुलना में बहुत से कोशिकीय परिवर्तन भी पाए गए। थूक कोशिका विज्ञान में परिवर्तन परिवेशी PM_{10} स्तर से सकारात्मक रूप से सहसंबंधित थे।

(ii) **सी.एन.सी.आई. कोलकाता द्वारा "दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता, बच्चों में अन्त:श्वसनीय लक्षण और फेफड़ों की कार्य क्षमता संबंधी अध्ययन"।**

✓ **अन्त:श्वसनीय और सम्बद्ध लक्षण:** नियंत्रित समूह की तुलना में दिल्ली के बच्चों में उच्च श्वसनीय लक्षण 1.8-गुणा और निम्न श्वसनीय लक्षण 2-गुणा अधिक पाए गए थे जिससे उनमें श्वसन संबंधी रोग होने की संभावना बहुत अधिक रहती है।

✓ शीतकाल के दौरान बच्चों में ये लक्षण पाए गए जब वायु में PM_{10} का स्तर वर्ष में सबसे अधिक होता है जबकि मानसून में जब विविक्त वायु प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता है, ये लक्षण कम पाए गए। इससे विविक्त वायु प्रदूषण का सकारात्मक संबंध स्थापित होता है।

✓ **फेफड़ों की कार्यक्षमता:** अध्ययन के परिणामों में नियंत्रित समूह में फेफड़ों की कार्यक्षमता में 25.7% की कमी की तुलना में दिल्ली के छात्रों में यह कमी 43.5% पाई गई। दिल्ली के बच्चों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में प्रतिबंधित (नियंत्रित समूह में 14.3% की तुलना में 20.3%) (नियंत्रित समूह में 8% की तुलना में 13.6%) और मिश्रित, (प्रतिबंधित और अवरोधक दोनों) (नियंत्रित समूह में 3.5% की तुलना में 9.6%) कमी के दोनों प्रकार पाए गए।

✓ **वायु प्रदूषण के प्रति कोशिकीय फेफड़ा प्रतिक्रिया:** दिल्ली के स्कूली बच्चों के थूक में 3.1-गुणा एलविओलर मैक्रोफेज़िज (ए.एम.) पाया गया। ए.एम. संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि विविक्त प्रदूषण के लिए वृहत प्रभावन का सूचक है चूंकि ए.एम. श्वसनित प्रदूषकों के लिए कोशिकीय सुरक्षा की प्रथम रेखा का प्रतिनिधित्व करता है।

✓ दिल्ली के स्कूली बच्चों में थूक कोशिका विज्ञान में परिवर्तन का परिवेशी PM_{10} स्तर से सकारात्मक रूप से सहसंबंधित थे।

(iii) **इन्स्टीटयूट ऑफ हैल्थ सिस्टम, हैदराबाद द्वारा "पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव - हैदराबाद में मौत के कारण संबंधी अध्ययन"।**

✓ यहां पंजीकृत मौतों की संख्या और चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मौतों में अन्तराल है।

✓ यह अध्ययन संबद्ध बीमारियों और मौत के लिए वायु प्रदूषकों की सहयोगी भूमिका सुझाता है। तथापि इस अध्ययन में कई सीमाएं हैं। मर्त्यता आंकड़ों का विश्लेषण हैदराबाद के अस्पतालों में उपलब्ध रिकार्ड सूचना पर आधारित है। वर्तमान अध्ययन अनुपलब्धता के

कारण अन्य घटकों की जांच पड़ताल नहीं कर सकता जो कि कार्डिओवैसकुलर और अन्त:श्वसनीय मर्त्यता का कारण बन सकते थे जैसे कि समाजार्थिक स्तर, पोषणीय पैरामीटर, व्यवसायिक इतिहास, आदि।

✓ प्रभावन के मूल्यांकन में और परिवर्तन निष्कर्ष, में सीमाओं के कारण मौजूदा अध्ययन के निष्कर्ष प्राथमिक अवलोकन समझे जाएं।

जोखिम भरे व्यवसाय में बाल श्रमिक

*67. **श्री सुशील कुमार सिंह:**

श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल श्रमिकों के लिए जोखिम भरे कार्यों के रूप में अधिसूचित किए गए व्यवसायों और प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में उद्योगों सहित देश के विभिन्न भागों में अनेक बच्चों को ऐसे व्यवसायों में नियोजित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे जोखिम भरे कार्यों में मारे गए बाल श्रमिकों सहित नियोजित किए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितना है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों तथा बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, 18 व्यवसायों और 64 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। ऐसे विनिर्दिष्ट व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) और (ग) जब कभी देश के किसी भी भाग में प्रतिषिद्ध व्यवसाय में नियोजित बाल श्रमिकों की कोई घटना सरकार के ध्यान में आती है तब उपयुक्त विधायी तथा पुनर्वास उपाय किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रतिषिद्ध व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्य करते पाए गए और बाद में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से बचाए गए/कार्य से हटाए गए तथा पुनर्वासित किए गए बच्चों की राज्य वार और वर्ष वार संख्या संलग्न विवरण-II में दिए गए अनुसार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जोखिमकारी व्यवसाय में किसी भी बाल श्रमिक के मारे जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) 2008-11 के दौरान की गयी कार्रवाई का ब्यौरा सलंग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) सरकार, कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए देश के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली के मुख्यधारा में शामिल किए जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान (जी.आई.ए.) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शामिल न किए गए जिलों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना लागत के 75% की सीमा तक सीधे ही निधियां प्रदान की जाती हैं। बाल श्रम नीति के अंतर्गत, भारत सरकार निम्नलिखित तीन प्रमुख तत्वों के साथ एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है:-

(i) कानूनी कार्रवाई योजना;

(ii) बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना; और

(iii) बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्रवाई।

उपर्युक्त उपायों के बाल श्रम उन्मूलन की प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम रहे हैं।

विवरण-I

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची

भाग-क

व्यवसाय (गैर-औद्योगिक कार्यकलाप)

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय:

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

(2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों से काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) अस्थाई लाइसेन्स प्राप्त दुकानों में पटाखों और आतिशबाजी का सामान बेचने से संबंधित कार्य;

(7) बूचड़खाना अथवा वधशाला;

(8) ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(9) ढलाई कारखाना;

(10) विषैले अथवा ज्वलनशील पदार्थों अथवा विस्फोटकों की उठाई-धराई;

(11) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;

(12) खान (जलगत एवं भूमिगत) एवं कोयला खादान;

(13) प्लास्टिक इकाइयां एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(14) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(15) ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, चाय की दुकानें, रिसॉर्ट, स्पा अथवा अन्य मनोरंजन केंद्र; और

(16) गोताखोरी।

(17) हाथियों की देखभाल।

(18) सर्कस में कार्य

भाग-ख

प्रक्रियाएं (औद्योगिक कार्यकलाप)

(1) बीड़ी बनाना।

(2) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।

(3) सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक।

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है।

(5) दियासलाई (माचिस) विस्फोटक पदार्थों तथा पटाखों का निर्माण।

(6) अभ्रक काटना और उसके टुकड़े (विखण्डन) करना।

(7) चमड़ा बनाना।

(8) साबुन बनाना।

(9) चर्म/चमड़े का शोधन/रंगना।

(10) ऊन की सफाई।

(11) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना शामिल है।

(12) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित)।

(13) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य।

(14) सीसा, मैंग्नीज, पारा, क्रोमियम, कैडमियम, बैनजीन, कीटनाशक और एसबेस्टस जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं।

(15) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिसूचित "खतरनाक कार्य" और धारा 2 (सी.बी.) में उल्लिखित "जोखिम पूर्ण प्रक्रियाएं"।

(16) कारखाना अधिनियम, 1948 की (1948 का 63) की धारा 2 (क) (iv) में यथापरिभाषित मुद्रण।

(17) काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया।

(18) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में टांका लगाने (सोल्ड्रिंग) की प्रक्रिया।

(19) अगरबत्ती का निर्माण।

(20) आटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरुआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिंग इकाइयां (लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग)।

(21) ईंटों या खपरैलों का निर्माण।

(22) रुई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना।

(23) डिटरजेंट का निर्माण।

(24) फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस)।

(25) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना।

(26) क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों की उठाई धराई।

(27) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण।

(28) चूना भट्टा और चूना निर्माण।

(29) ताला बनाना।

(30) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, खान सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, भण्डार टाइप सैटिंग, कारों के पुर्जे जोड़ना, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना।

(31) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना।

(32) कांच का निर्माण जिसमें चूड़ियां बल्ब, ट्यूबों का निर्माण भी शामिल है।

(33) रंजक (डाई) और रंजक द्रव्यों का निर्माण।

(34) कीटनाशकों का निर्माण और उनकी उठाई धराई।

(35) इलैक्ट्रानिक उद्योग में जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है।

(36) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण।

(37) खेल कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है।

(38) फाइबर ग्लास और प्लास्टिक तथा सांचा ढलाई व प्रसंस्करण।

(39) तेल की पिराई और परिष्करण।

(40) कागज बनाना।

(41) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग।

(42) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है।

(43) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहां फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है।

(44) आरा मिल-सभी प्रक्रियाएं।

(45) रेशम उद्योग।

(46) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं।

(47) पत्थर तोड़ना और पीसना।

(48) तम्बाकू प्रसंस्करण जिसमें तम्बाकू का पेस्ट (लेई) बनाना तथा किसी भी रूप में उसकी उठाई धराई शामिल है।

(49) टायर निर्माण, मरम्मत, री-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण।

(50) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना।

(51) जरी का काम (सभी प्रक्रियाएं)।

(52) इलैक्ट्रोप्लेटिंग।

(53) ग्रेफाइट का चूर्ण करना और आनुषंगिक प्रक्रिया।

(54) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना।

(55) हीरों की कटाई और पालिश।

(56) खानों से स्लेट का निस्तारण।

(57) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना।

(58) अत्यधिक गर्मी और सर्दी के सम्पर्क में आने से संबंधित प्रक्रियाएं (उदाहरणार्थ भट्टी के पास काम करना)।

(59) मशीनीकृत मछली पालन।

(60) खाद्य प्रसंस्करण।

(61) पेय पदार्थ उद्योग।

(62) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई।

(63) लकड़ी की यांत्रिक कटाई।

(64) भंडागार कार्यकलाप।

(65) मुक्त सिलिका जैसे स्लेट, पेंसिल उद्योग, पत्थर कटाई, स्लेट पत्थर खनन, पत्थर खदानें और गोमेद उद्योग के सम्पर्क वाली प्रक्रियाएं।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	बचाए गए/वापिस लिए गए बच्चों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जून, 11 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	शून्य	3685	274	227
2.	आन्ध्र प्रदेश	10779	13689	1858	4692
3.	बिहार	1126	7998	8552	17617

1	2	3	4	5	6
4.	छत्तीसगढ़	1674	1063	5164	4914
5.	गुजरात	845	1437	2129	193
6.	हरियाणा	1164	1354	1293	उ.न.
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	43	उ.न.
8.	झारखंड	4785	1816	1015	2216
9.	कर्नाटक	4549	3217	135	278
10.	महाराष्ट्र	3495	5150	5113	3854
11.	मध्य प्रदेश	9582	9692	13344	11307
12.	ओडिशा	10283	10585	14416	उ.न.
13.	पंजाब	428	1023	123	149
14.	राजस्थान	11630	12326	4415	142
15.	तमिलनाडु	7950	6321	6325	2022
16.	उत्तर प्रदेश	26390	40297	28243	2794
17.	पश्चिम बंगाल	3127	13187	2215	1236
18.	दिल्ली*	356	370	508	482
19.	केरल	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.
20.	लक्षद्वीप	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
21.	मिजोरम	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.

*दिल्ली के आंकड़े क्रमश: कलेण्डर वर्ष (1 जनवरी - 31 दिसम्बर) 2008, 2009, 2010 और 2011 के हैं।

विवरण-III

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गयी कार्रवाई

वर्ष	निरीक्षण	उल्लंघन	अभियोजन	दोषसिद्धि	उन्मुक्ति
2008	355629	2709	11149	742	8326
2009	295572	1719	11033	1312	307
2010	213544	2219	8854	1226	256
2011*	8354	239	71	उ.न.	उ.न.

*अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्टें अभी प्राप्त होनी हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

*68. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**

श्री महेश्वर हजारी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वयनाधीन रोजगारोन्मुखी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से राज्य-वार कितने पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया;

(घ) क्या देश में बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) सरकार द्वारा कार्यान्वयनाधीन महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुखी योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, पारंपरिक शिल्पियों तथा बेरोजगार युवाओं को संगठित करके अतिलघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व रोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 से एक ऋण संबद्ध राजसहायता कार्यक्रम - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) एक संपूर्ण स्व रोजगार योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को आय अर्जक आस्तियों/आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सतत् आय उपलब्ध कराना है जिससे कि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। इसे अब पुनर्संगठित करके राष्ट्रीय आजीविका मिशन कर दिया गया है।

(iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि हेतु, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक उस परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से इच्छुक होते हैं, को न्यूनतम 100 दिनों का सुनिश्चत वेतन रोजगार उपलब्ध कराता है।

(iv) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.-आर.वाई.) - शहरी क्षेत्रों के लिए **आवास एवं शहरी**

गरीबी उन्मूलन मंत्रालय 01-12-1997 से अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उन्मूलन केन्द्र प्रवर्तित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। योजना शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार प्राप्त निर्धनों को लाभप्रद्र रोजगार प्रदान करने, उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने तथा साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग कर वेतन रोजगार प्रदान करने का प्रयास करती है। योजना का 2009-2010 से व्यापक रूप से नवीकरण किया गया है।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार 31-12-2011 को देश में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालय की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) देश में वर्ष 2008, 2009, 2010 तथा 2011 में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से क्रमश: 3.05 लाख, 2.62 लाख, 5.10 लाख एवं 4.70 लाख रोजगार चाहने वालों का नियोजन किया गया। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2008, 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान किए गए नियोजन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) रोजगार और बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। दो सर्वाधिक हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या, जो कि 2004-05 में 10.84 मिलियन थी वह 2009-10 में गिरकर 9.50 मिलियन रह गई तथा बेरोजगारी दर भी, जो कि 2004-2005 में 2.3 प्रतिशत थी वह 2009-10 में कम होकर 2.0 प्रतिशत रह गई।

(च) सरकार जनसंख्या के जीवनयापन स्तर में सामान्य रूप से सुधार लाने के लिए उसकी आय में बढ़ोत्तरी हेतु तीव्र गति से उत्पादक रोजगार पर ध्यान केन्द्रित करके सतत् प्रयास कर रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। भारत सरकार अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमी विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती रही है।

विवरण-I

31-12-2011 को देश में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की राज्य एवं संघ क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार कार्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	52
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ़	18
6.	दिल्ली	14
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	41
9.	हरियाणा	56
10.	हिमाचल प्रदेश	15
11.	जम्मू और कश्मीर	17
12.	झारखण्ड	41
13.	कर्नाटक	40
14.	केरल	89
15.	मध्य प्रदेश	58

1	2	3
16.	महाराष्ट्र	47
17.	मणिपुर	11
18.	मेघालय	12
19.	मिजोरम	3
20.	नागालैंड	8
21.	ओडिशा	40
22.	पंजाब	46
23.	राजस्थान	38
24.	सिक्किम*	
25.	तमिलनाडु	34
26.	त्रिपुरा	5
27.	उत्तराखण्ड	24
28.	उत्तर प्रदेश	92
29.	पश्चिम बंगाल	77
(ख)	**संघ शासित क्षेत्र**	
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
31.	चण्डीगढ़	2
32.	दादरा और नागर हवेली	1
33.	दमन और दीव	2
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पुडुचेरी	1
	कुल	966

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण-II

वर्ष 2008, 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किया गया राज्य-वार नियोजन

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियोजन			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.3	1.0	0.9	0.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	@	0.0	0.0	0.0
3.	असम	0.7	2.9	0.6	3.1
4.	बिहार	0.4	4.0	3.2	2.3
5.	छत्तीसगढ़	1.5	1.5	2.2	0.9

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	@	@	4.1	0.2
7.	गोवा	1.7	1.8	1.8	1.4
8.	गुजरात	217.7	153.5	202.8	223.9
9.	हरियाणा	2.4	1.8	5.8	6.9
10.	हिमाचल प्रदेश	2.1	0.3	1.1	3.2
11.	जम्मू और कश्मीर	-	0.5	1.7	1.3
12.	झारखण्ड	1.7	2.7	12.5	8.7
13.	कर्नाटक	0.8	1.3	2.0	2.1
14.	केरल	16.6	14.2	11.5	13.5
15.	मध्य प्रदेश	5.5	5.2	9.0	6.6
16.	महाराष्ट्र	10.8	23.9	207.3	165.6
17.	मणिपुर	0.2	@	0.6	@
18.	मेघालय	@	0.1	0.0	@
19.	मिजोरम	@	0.0	0.0	0.0
20.	नागालैंड	@	0.1	0.0	@
21.	ओडिशा	2.8	4.8	5.4	2.9
22.	पंजाब	1.8	1.7	2.1	3.2
23.	राजस्थान	3.8	4.7	0.8	1.1
24.	सिक्किम*				
25.	तमिलनाडु	22.3	16.4	17.4	11.2
26.	त्रिपुरा	0.3	0.7	0.7	0.9
27.	उत्तराखण्ड	2.0	5.5	1.3	1.1
28.	उत्तर प्रदेश	1.6	6.4	7.2	5.6
29.	पश्चिम बंगाल	5.1	2.6	2.5	3.0

1	2	3	4	5	6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.4	0.5	0.3	0.1
31.	चंडीगढ़	0.3	2.2	0.0	0.2
32.	दादरा और नागर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0
33.	दमन और दीव	0.6	0.0	0.0	0.0
34.	लक्षद्वीप	@	0.0	0.0	0.0
35.	पुडुचेरी	0.4	1.3	0.5	0.1
	योग	304.9	261.5	509.6	469.9

टिप्पणी: @आंकड़े पचास से कम

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

*69. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी का घरेलू उत्पादन अनुमानित उत्पादन से अधिक होने की स्थिति में इसके दो मिलियन टन के अनुमेय कोटे से अधिक का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कारण क्या हैं तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान उच्च चीनी उत्पादन के मद्देनजर सरकार ने खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन नवम्बर, 2011 और फरवरी, 2012 महीने के दौरान 10 लाख मी. टन के दो खेपों में चीनी की 20 लाख मी. टन के निर्यात की अनुमति दी है। इसके अलावा, सरकार ने द्विपक्षीय करार को पूरा करने हेतु मालदीव को 0.19 लाख मी. टन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को अधिमानी कोटा के अंतर्गत 0.18 लाख मी. टन, वर्ष 2011-12 के चीनी मौसम के दौरान निर्यात संवर्धन पूंजीगत समान (ई.पी.सी.जी.) के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने हेतु 1.16 लाख मी. टन के निर्यात की अनुमति प्रदान की। अब तक वर्ष 2011-12 के चीनी मौसम के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आज की तारीख तक 11.85 लाख मी. टन की मात्रा के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

वन्य जीवों का मारा जाना

*70. **श्री दत्ता मेघे:**

श्री जगदीश शर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वन्यप्राणी अभयारण्यों और प्राणी विज्ञान पार्कों में अनेक जंगली जानवर/अन्य जानवर मारे गए हैं अथवा मार दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन जानवरों के मारे जाने के कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) देश के वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीवों के प्रबंधन और सुरक्षा का कार्य संबंधित राज्य/संघशासित सरकारों द्वारा किया जाता है। वन्यजीव अभयारण्यों में मारे गए वन्यजीवों के राज्य-वार ब्यौरे मंत्रालय में संकलित नहीं किए जाते। तथापि विगत तीन वर्षों के दौरान प्राणी उद्यानों में मारे गए वन्यजीवों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीवों के मरने के मुख्य कारणों में प्राकृतिक मौतें, परभक्षण, समान प्रजातियों के जानवरों के बीच मुकाबले के लिए आपसी लड़ाई, आकस्मिक मौत, अवैध शिकार आदि शामिल हैं। प्राणी उद्यानों में वन्यजीवों के मरने के प्रमुख कारणों में वृद्धावस्था, जराजीर्णता, आपसी लड़ाई, श्वासरोध, विषाक्तता आदि शामिल है।

(ग) देश के प्राणी उद्यानों में रह रहे पशुओं के संदर्भ में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर नियम, 2009 को मान्यता के अंतर्गत पशुओं के अनुरक्षण और स्वास्थ्य देखरेख के लिए मानदण्ड और मानक निर्धारित किए गए हैं जिनका अनुसरण करना सभी चिड़ियाघरों के लिए अनिवार्य हैं। यदि चिड़ियाघर के उचित अनुरक्षण में प्रबंधन की ओर से कोई चूक होती है, तब संबंधित चिड़ियाघर संचालक/राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई भी की जाती है।

यद्यपि वन्य जीव अभयारण्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघशासित सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन केन्द्र सरकार भी ऐसे अभयारण्यों में वन्यजीवों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

(i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित करके और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामलों में दण्डों को बढ़ाया गया है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध (अपराधों) हेतु किया गया" है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(ii) वन्यजीवों और उनके वासस्थलों को संरक्षित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार देश भर में महत्वपूर्ण वासस्थलों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्वों को सृजित किया गया है।

(iii) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावासों में सुधार के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः 'वन्यजीवों वास-स्थलों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

(iv) प्राणी उद्यानों के उचित प्रबंधन और वहां के पशुओं/सहवासियों के अनुरक्षण की मॉनीटरी और निरीक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थापित किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्राणी उद्यानों में सुधार और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

(v) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शक्ति सम्पन्न बनाया गया है।

(vi) राज्य/संघशासित सरकारों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार देश भर में महत्वपूर्ण वास-स्थलों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्वों को सृजित किया गया है।

(vii) वन्यजीव और उनके उत्पादों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए कानून के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को स्थापित किया गया है।

(viii) वन और वन्यजीव राज्य विभागों के अधिकारियों द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान प्राणी उद्यानों में मारे गए राज्य-वार वन्यजीव

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	2008-09*	2009-10*	2010-11*	2011-12* (01-03-2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	3	4	
2.	आन्ध्र प्रदेश	124	157	188	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	18	5	
4.	असम	36	34	42	
5.	बिहार	40	175	19	1
6.	छत्तीसगढ़	34	50	41	0
7.	दिल्ली	38	27	109	7
8.	गोवा	1	5	7	0
9.	गुजरात	331	301	380	7
10.	हरियाणा	62	36	94	
11.	हिमाचल प्रदेश	51	43	51	
12.	जम्मू और कश्मीर	0		5	
13.	झारखंड	98	65	80	12
14.	कर्नाटक	1299	799	367	9
15.	केरल	170	121	162	
16.	मध्य प्रदेश	70	120	77	10
17.	महाराष्ट्र	95	92	242	9
18.	मणिपुर	15	77	25	
19.	मेघालय	3	12	10	0
20.	मिजोरम	3	5	3	
21.	नागालैंड	11	14	5	

1	2	3	4	5	6
22.	ओडिशा	104	116	179	6
23.	पंजाब	78	77	113	11
24.	राजस्थान	95	90	130	
25.	सिक्किम	3	4	6	
26.	तमिलनाडु	182	213	233	4
27.	त्रिपुरा	31	55	61	6
28.	उत्तर प्रदेश	177	177	147	
29.	उत्तराखंड	34	30	27	
30.	पश्चिम बंगाल	158	153	132	9
	कुल	3354	3069	2944	95

*केवल संकटापन्न प्रजातियों के लिए चिड़ियाघर द्वारा सूचना भेजी गई है। (चिड़ियाघर नियम, 2009 को मान्यता के अंतर्गत यथाअधिदेशित)

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार

*71. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:**

कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा विभिन्न इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आधुनिकीकरण के इस कार्य के परिणामस्वरूप प्रत्येक संयंत्र की क्षमता में वृद्धि सहित किए जाने वाले कुल निवेश/होने वाले व्यय का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा: (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वर्तमान चरण में अपनी क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता को 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) से बढ़ाकर 21.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) करने के लिए भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर स्थित अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा सेलम स्थित विशेष संयंत्र में आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना आरंभ की है।

सेल के संबंध में संकेतात्मक निवेश/व्यय 61,870 करोड़ रुपये है जिनके आधुनिकीकरण एवं विस्तार के वर्तमान चरण में होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, रावघाट खान में विकास और रॉ मेटेरियल डिवीजन (आर.एम.डी.) के तहत विद्यमान खानों में निवेश के लिए 10,264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सेलम इस्पात संयंत्र (एम.एस.पी.) का विस्तार सितम्बर, 2010 में पूरा कर लिया गया है। अन्य संयंत्रों के लिए सभी प्रमुख पैकेजों के आर्डर दे दिए गए हैं और ये पैकेज क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) इसके 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम स्थित विशेष संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता और वर्तमान आधुनिकीकरण एवं विस्तार के परिणामस्वरूप इसमें संभावित वृद्धि तथा संकेतात्मक निवेश/व्यय के संयंत्र-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	संयंत्र	उत्पाद	वर्तमान क्षमता (एम.टी.पी.ए.)	विस्तार के बाद क्षमता (एम.टी.पी.ए.)	संकेतात्मक निवेश (करोड़ रुपये)
सेल	भिलाई इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	3.93	7.0	17,266
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	1.80	2.2	2,875
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	1.90	4.2	11,812
	बोकारो इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	4.36	4.61	6,325
	इस्को इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	0.50	2.50	16,408
	सेलम इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	0.0	0.18	1,902

(घ) सेल के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के वर्तमान चरण को वर्ष 2013 तक पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट

*72. **श्री पूर्णमासी राम:**

श्री आनन्द प्रकाश परांजपे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अद्यतन 'वन स्थिति' रिपोर्ट में यह पाया गया है कि वर्ष 2009 और 2011 की अवधि के दौरान भारत में 367 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की विशुद्ध कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या वर्ष 2009-11 की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश के खम्माम जिले सहित विभिन्न क्षेत्रों में वनों का बड़ा भू-भाग समाप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में वनरोपण के लिए और क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी हां। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 (आई.एस.एफ.आर. 2011) के अनुसार देश के वनावरण में भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2009 में दिए गए पूर्व आकलन की तुलना में 367 वर्ग कि.मी. तक कमी आ गई है।

(ख) भारत वन स्थिति रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्नवत हैं:-

- देश का वन तथा वृक्षावरण 78.29 मिलियन हेक्टेयर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% है। इसमें 2.76% वृक्षावरण शामिल है।
- देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 4000 मीटर ऊंचाई से ऊपर 183135 वर्ग किलोमीटर निकालने के बाद वन और वृक्षावरण 25.22% बैठेगा क्योंकि ये क्षेत्र वृक्षों के विकास में सहायता नहीं करते।
- देश के पहाड़ी और जनजातीय जिलों में, पूर्व आकलन की तुलना में वनावरण में क्रमशः 548

वर्ग किलोमीटर और 679 वर्ग किलोमीटर की कमी सूचित की गई है।

- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में देश का एक-चौथाई वनावरण है। पूर्व आकलन की तुलना में वनावरण में 549 वर्ग किलोमीटर की निवल कमी हुई है।
- इसी अवधि के दौरान कच्छ वनस्पति आवरण में 23.34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
- वनों के बाहर भारत का कुल बढ़ता हुआ वन और वृक्ष स्टॉक 6047.15 मिलियन सी.यू.एम. अनुमानित है जिसमें वनों के भीतर 4498.73 मिलियन सी.यू.एम. और वनों के बाहर 1548.42 मिलियन सी.यू.एम. शामिल है।
- देश में कुल बांस क्षेत्र 13.96 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है।
- देश में कुल कार्बन स्टॉक 6663 मिलियन टन अनुमानित है।

(ग) भारत वन स्थित रिपोर्ट 2011 के अनुसार 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इत्यादि में वनावरण में 867 वर्ग किलोमीटर तक की कमी दर्शायी गई है। आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में भी अक्तूबर, 2006 और मार्च, 2009 के बीच 182 वर्ग किलोमीटर वनावरण की हानि हुई है।

(घ) उन राज्यों के नाम जहां वनावरण में कमी आई है और इसके कारण, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा देश में वन और वृक्षावरण के विस्तार हेतु निम्नलिखित पहल की गई है:

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में अवक्रमित वनों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) वन प्रमंडल स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के विकेन्द्रित तंत्र के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 31-10-2011 को स्थिति के अनुसार, 2002 में इस स्कीम की शुरुआत से 18.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रुल को संसाधित करने के लिए देश में 28 राज्यों में 800 एफ.डी.ए. परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ii) वन प्रबंधन तीव्रीकरण स्कीम (आई.आई.एफ.एम.एस.) के अन्तर्गत वन सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण जैसे अवसंरचना, आग से सुरक्षा, वन सीमांकन, अग्रपंक्ति स्टाफ तथा संचार हेतु निर्माण सुविधाओं के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों से वनावरण में वृद्धि हुई है।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अन्तर्गत 'हरित भारत, हेतु एक राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य 5 एम.एच.ए. वन/गैर वन भूमि पर वनों/वृक्षावरण में वृद्धि तथा अन्य 5 एम.एच.ए. पर वनावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

(iv) 13वें वित्त आयोग के निर्णय के अंतर्गत, राज्यों को राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष राज्य में उनके वनावरण के आधार पर 'वन अनुदान' के रूप में 5000 करोड़ रु. का अनुदान आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस पर प्रत्येक राज्य में सघनता के आधार पर वनों की गुणवत्ता का आकलन करते हुए विचार किया गया है।

(v) हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, हिमालय प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और राजस्थान द्वारा विभिन्न बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं।

विवरण

देश में वनावरण में राज्य/संघ राज्य-वार कमी और उसके कारण

क्र.सं.	राज्य	आई.एस.एफ.आर. 2009 की तुलना में परिवर्तन (वर्ग कि.मी.)	कमी के प्रमुख कारण
1.	आन्ध्र प्रदेश	-281	नए पुनर्सृजन/पौधारोपण के बाद लघु चक्रानुक्रम वाली फसलों की खेती संबंधी प्रबंधन हस्ताक्षेप, कुछ अतिक्रमित क्षेत्रों में वन अनुमति।
2.	मणिपुर	-190	शिफ्टिंग कृषि चक्र में कमी और बायोटिक दबाव के कारण राज्य में वनावरण में कमी।
3.	नागालैंड	-146	शिफ्टिंग कृषि चक्र में कमी और बायोटिक दबाव के कारण राज्य में वनावरण में कमी।
4.	अरुणाचल प्रदेश	-74	शिफ्टिंग कृषि चक्र में कमी और बायोटिक दबाव के कारण राज्य में वनावरण में बदलाव।
5.	मिजोरम	-66	शिफ्टिंग कृषि चक्र में कमी और बायोटिक दबाव के कारण राज्य में वनावरण में कमी।
6.	मेघालय	-46	शिफ्टिंग कृषि चक्र में कमी और बायोटिक दबाव के कारण राज्य में वनावरण में कमी।
7.	केरल	-24	युकेलिप्टस, टीक, एकेसिया मैंगियम, रबर और बगीचों में शेड बियरिंग वृक्षों की कटाई के कारण राज्य में वनावरण में कमी।
8.	असम	-19	अवैध कटाई, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमणों और शिफ्टिंग खेती रीतियों के कारण वनावरण में कमी।
9.	त्रिपुरा	-8	रबर पौधारोपण हटाने और शिफ्टिंग खेती रीतियों के कारण राज्य में वनावरण में कमी।
10.	महाराष्ट्र	-4	-
11.	छत्तीसगढ़	-4	बांधों के निर्माण के कारण वन क्षेत्रों का विलय
12.	उत्तर प्रदेश	-3	-
13.	गुजरात	-1	वनों के बाहर (टी.ओ.एफ.) में निजी कटाई के कारण राज्य में वनावरण में कमी।
14.	चण्डीगढ़	-0.22	
	कुल	-866.22	

समुद्री मालवाड़ा प्रभारों में कमी

*73. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**

श्री मनोहर तिरकी:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में समुद्री मालभाड़ा प्रभारों में भारी कमी देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस कमी के अनुमान क्या हैं;

(ग) समुद्री मालभाड़ा प्रभारों में कितनी कमी हुई है तथा देशों के बीच उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जो इससे प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इस कमी के प्रमुख कारण क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) गत दो वर्षों में समुद्री माल भाड़ा दरों में गिरावट के अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) समुद्री माल भाड़ा प्रशुल्कों में गिरावट की सीमा के साथ देशों के बीच उन मार्गों का ब्यौरा जिन पर इसका प्रभाव पड़ा है संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) माल भाड़ा प्रशुल्कों में गिरावट के मुख्य कारण हैं:- (i) पोतों का बढ़ता आकार और व्यापार में वृद्धि की तुलना में उपलब्ध टनभार की जरूरत से अधिक क्षमता; (ii) बाज़ार में तेज़ी के समय आर्डर किए गए पोतों की सुपुर्दगी शुरू हो गई जिससे माल भाड़ा दरों पर दबाव बना; (iii) चीन और एशिया के अन्य भागों में विकास की गति में कमी आने से कच्चे माल के साथ-साथ विनिर्मित माल की मांग में कमी आ गई जिससे अंतरा-एशियाई व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा: और (iv) यूरोपीय देशों में मांग में कमी।

विवरण-I

गत दो वर्षों के दौरान समुद्री माल भाड़ा-दर में कमी

कार्गो की किस्म	पोत की किस्म	फरवरी, 2010 को अनुमानित दर अमरीकी डॉलर प्रति दिवस	फरवरी, 2012 को अनुमानित दर अमरीकी डॉलर प्रति दिवस	कमी %
1	2	3	4	5
1. कच्चा तेल	वी.एल.सी.सी.	50000	20000	-60%
	सुएजमैक्स	39000	17000	-56%
	एफ्रामैक्स	12000	11000	-89%
2. पेट्रोलियम उत्पाद	डर्टी टैंकर	12000	14000	17%
	क्लीन-एम.आर.	8000	5500	-31%
	क्लीन हैंडी	17000	16000	-6%
3. शुष्क बल्क कार्गो	केप साइज़	33000	5000	-85%
	पैनामैक्स	25000	7700	-69%
	हैंडीमैक्स	21000	8000	-62%

1	2	3	4	5
4.	प्रति टी.ई.यू. कंटेनर दरें (20' कंटेनर के लिए) अमेरीकी डॉलर में			
	मार्ग:			
	चीन - उ. यूरोप - (पश्चिमी तट)	2100	1800	-14%
	चीन - उ. यूरोप	2100	700	-67%
	चीन - सिंगापुर	310	225	-27%
	चीन - अमेरीकी पूर्वी तट	3500	3000	-14%
	चीन - द. अमेरिका	2300	1550	-33%
	चीन - ऑस्ट्रेलिया	1200	750	-38%
	भारत-यूरोप	1500	850	-43%
	भारत-स्पेन/इटली (भूमध्यवर्ती)	1800	950	-47%
	भारत-अमेरिकी पूर्वी तट	2500	1750	-30%
	यूरोप-भारत	1300	750	-42%
	भूमध्य सागर पत्तन-भारत	800	450	-44%

विवरण-II

जल मार्गों के ब्यौरे सहित समुद्री माल भाड़े में कमी की सीमा

कार्गो/पोत की किस्म	मार्ग	फरवरी, 2010 को दर अमरीकी डॉलर प्रति दिवस	फरवरी, 2012 को दर अमरीकी डॉलर प्रति दिवस	कमी %
1	2	3	4	5
कच्चा तेल				
वी.एल.सी.सी.	पी गल्फ-हॉलैंड	27000	3750	-86%
वी.एल.सी.सी.	पी गल्फ-संयुक्त राज्य अमेरिका	21000	2300	-89%
वी.एल.सी.सी.	पी गल्फ-जापान	41600	25000	-40%

1	2	3	4	5
वी.एल.सी.सी.	पश्चिमी अफ्रीका-भारत	45000	32000	-29%
सुएक्स मैक्स	पी गल्फ-चीन	27000	23000	-15%
सुएक्स मैक्स	पश्चिमी अफ्रीका-संयुक्त राज्य अमेरिका	26200	14300	-45%
सुएक्स मैक्स	पश्चिमी अफ्रीका-भूमध्यवर्ती यूरोप	29000	16600	-43%
एफ्रामैक्स	पी गल्फ-संयुक्त राज्य अमेरिका	15700	12000	-24%
एफ्रामैक्स	मैडी.-संयुक्त राज्य अमेरिका	2000	11200	-44%
ड्राई बल्क कार्गो				
केप साइज़	ब्राज़ील-हालैंड	32000	10000	-69%
केप साइज़	ऑस्ट्रेलिया-जापान	30000	4200	-86%
पैनामैक्स	ऑस्ट्रेलिया-चीन	24000	950	-96%
पैनाामैक्स	द. अफ्रीका-हॉलैंड	13300	2200	-83%
सुप्रामैक्स	यूरोप-सुदूर पूर्व	31000	12000	-61%
सुप्रामैक्स	सुदूर पूर्व-यूरोप	13000	3000	-77%
सुप्रामैक्स	पूर्वी तट भारत-चीन	23000	6200	-73%
प्रति टी.ई.यू. कंटेनर दर (20' कंटेनर के लिए) अमेरीकी डॉलर में				
मार्ग:				
चीन - उ. अमेरिका-पश्चिमी तट		2100	1800	-14%
चीन - उ. यूरोप		2100	700	-67%
चीन - सिंगापुर		310	225	-27%
चीन - अमेरिका पूर्वी तट		3500	3000	-14%
चीन - द. अमेरिका		2300	1550	-33%
चीन - ऑस्ट्रेलिया		1200	750	-38%
भारत-यूरोप		1500	850	-43%

1	2	3	4	5
भारत-स्पेन/इटली (भूमध्यवर्ती)		1800	950	-47%
भारत-अमेरिका पूर्वी तट		2500	1750	-30%
यूरोप-भारत		1300	750	-42%
भूमध्य सागर पत्तन-भारत		800	450	-44%

[हिन्दी]

यूरोपीय संघ-भारत व्यापार शिखरवार्ता

*74. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:**

श्री रामकिशुन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में यूरोपीय संघ-भारत शिखरवार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-व्यापारिक मुद्दों और सरकारी अधिप्राप्ति के संबंध में भारत का रुख क्या है तथा इस संबंध में यूरोपीय संघ की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) 12वीं भारत ई यू शिखर वार्ता का आयोजन 10 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में किया गया था। इस शिखर वार्ता के दौरान परस्पर हित के कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ग) भारत का विचार है कि व्यापार एवं गैर व्यापार मुद्दों को मिलाना नहीं चाहिए। गैर-व्यापार मुद्दों पर विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय निकायों में, जिनका भारत एक जिम्मेदार सदस्य है, सर्वोत्तम चर्चा होती है।

सरकारी अधिप्राप्ति के संबंध में हमारी स्थिति सुस्पष्ट है। भारत विश्व व्यापार संगठन में एल्यूरीलैटरल एग्रीमेंट आन गवर्नमेंट प्राक्युरमेंट (जी.पी.ए.) का वर्ष 2010 में पर्यवेक्षक हुआ था। यह पी.जी.ए. का सदस्य नहीं है और कोई बाजार पहुंच वचनबद्धता नहीं की है। तथापि भारत की एक उत्कृष्ट जी.पी. प्रणाली है और इस क्षेत्र की नीति विकसित की जा रही है।

लड़ाकू विमानों की खरीद

*75. **श्री पी.सी. मोहन:**

श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना में विमानों/प्रशिक्षु विमानों और हेलीकॉप्टरों की कमी दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में फ्रांस से 126 मध्यम बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमान 'रेफल' सहित विभिन्न देशों से विमानों/हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए किए जा रहे/अंतिम रूप दिए गए सौदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर अनुमानत: कितना व्यय होने की सम्भावना है;

(घ) 'टाईफून' सहित अन्य विमानों के मुकाबले 'रेफल' को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं तथा उनकी क्षमताओं का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त विमानों ने फील्ड मूल्यांकन परीक्षण के सभी मानदंडों को पूरा किया है; और

(च) इन विमानों की सुपुर्दगी कब तक शुरू किए जाने/पूरी किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। नए विमानों को शामिल किया जाना और मौजूदा विमानों को हटाया जाना एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय वायुसेना आपके युद्धक विमान, हेलिकॉप्टर तथा परिवहन विमान बेड़े में वृद्धि के लिए अतिरिक्त सुखोई-30 एम.के. I विमान, हल्के युद्धक विमान, मध्यम लिफ्ट हेलिकॉप्टर, उन्नत हल्के हेलिकॉप्टरों के साथ-साथ सी-130 जे तथा सी-17 परिवहन विमानों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया में है। मध्यम बहु भूमिका वाले युद्धक विमान (एम.एम.आर.सी.ए.), आक्रामक हेलिकॉप्टरों तथा भारी लिफ्ट हेलिकॉप्टरों तथा पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों तथा मध्यम परिवहन विमानों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अपने प्रशिक्षक बेड़े के लिए मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक तथा उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों की अधिप्राप्ति को अनुमोदन प्रदान किया है। बुनियादी प्रशिक्षक विमानों की अधिप्राप्ति के लिए एक प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उपर्युक्त अधिप्राप्तियों पर कुल खर्च का पता सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही चल सकेगा।

(घ) और (ङ) मध्यम बहु भूमिका वाले युद्धक विमानों (एम.एम.आर.सी.ए.) की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध लड़ाकू विमानों के छह विनिर्माताओं को जारी किए गए थे। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्राप्त किए गए छह प्रस्तावों में से रेफल के लिए मै. द सॉल्ट एविएशन और यूरोफाइटर टाइफून के लिए मै. ई.ए.डी.एस., जर्मनी के प्रस्तावों को फील्ड मूल्यांकन परीक्षण में तकनीकी अपेक्षाओं पर खरा पाया गया। संविदा वार्ता समिति (सी.एन.सी.) जो अभी चल रही है, ने मै. द सॉल्ट एविएशन के प्रस्ताव को लागत के संदर्भ में सबसे कम पाया। सी.एन.सी. द्वारा अपनी सिफारिशों के प्रस्तुत किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(च) 18 विमानों वाली एम.एम.आर.सी.ए. की पहली स्क्वाड्रन के संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने के 3 से 4 वर्ष के भीतर सेवा में शामिल किए जाने की संभावना है। शेष 108 विमानों का विनिर्माण मै. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत किया जाएगा और इनके अनुवर्ती सात वर्षों में शामिल किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

एकीकृत वस्त्र पार्क

*76. **श्री वैजयंत पांडा:**

श्री रवनीत सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित वस्त्र पार्कों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में मौजूद वस्त्र पार्कों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु कोई आकलन/समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा रोजगार सृजन करने हेतु देश में कुछ नए एकीकृत वस्त्र पार्क स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार पहचान किए गए स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी लागत आएगी तथा इन पार्कों हेतु निवेश संबंधी क्या प्रक्रिया प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) से (घ) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) के तहत इसके प्रारंभ से अब तक भारत में 40 वस्त्र पार्क स्थापित किए गए हैं। इनमें से 24 पार्कों में उत्पादन शुरू हो गया है। वस्त्र पार्कों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इस योजना के तहत गठित की गई परियोजना अनुमोदन समिति एकीकृत वस्त्र पार्कों के निष्पादन का आकलन, समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए आदेशित है।

सरकार ने अक्तूबर, 2011 में 21 नए वस्त्र पार्क अनुमोदित किए हैं। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। परियोजना लागत 2338.56 करोड़ रु., अनुमानित निवेश 8312.12 करोड़ रु. है और सृजित होने वाले रोजगार की संख्या 3,88,363 है।

विवरण-I

विद्यमान एकीकृत वस्त्र पार्क

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	अनुमोदन की	अनुमानित परियोजना लागत (करोड़ रु.)	भा.सर. का योगदान	जारी अनुदान	यथाअनुमोदित इकाइयों की सं.	अभी चालू इकाइयों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हैदराबाद हाई टेक विविंग पार्क	महबूब नगर	01-07-2006	58.00	23.20	12.00	29	-
2.	हिंदुपुर व्यापार अपैरल पार्क लिमिटेड	अनंतपुर	01-07-2006	102.27	40.00	24.00	400 looms 3700 Garment-ing machi-nes 2 Units	80 looms 1 unit for silk reeling
3.	पोचमपल्ली हैण्डलूम पार्क लिमिटेड	पोचमपल्ली	01-07-2006	34.00	13.60	13.60	6 unified clusters with 2000 looms	500 looms
4.	ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सीटी प्राइवेट लिमिटेड	विशाखापट्टनम	01-07-2006	134.42	40.00	40.00	17	10
5.	मास फैब्रिक्स (इंडिया) पार्क लिमिटेड	नेल्लोर	20-03-2008	254.70	40.00	12.00	16	-
6.	गुजरात इको टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	सूरत, गुज.	25-11-2005	128.75	40.00	40.00	33	24
7.	मुंद्रा सेज टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पार्क लिमिटेड	कच्छ, गुज.	03-02-2006	103.53	40.00	40.00	11	3
8.	फेयरडील टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	सूरत, गुज.	25-09-2007	105.63	40.00	24.00	53	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	ब्राज इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	खेदा, गुज.	01-07-2006	114.77	40.00	36.00	21	5
10.	सान्या टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	सूरत, गुज.	20-03-2008	116.77	40.00	36.00	50	4
11.	सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड	सूरत, गुज.	01-07-2006	104.76	40.00	36.00	27	2
12.	मेट्रो हाई-टैक कोआपरेटिव पार्क लिमिटेड	इचलकरंजी, म.प्र.	25-11-2005	106.50	40.00	36.00	86	30
13.	प्राइड इंडिया कोआपरेटिव टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	इचलकरंजी, म.प्र.	03-02-2006	58.19	23.28	20.95	85	71
14.	बारामती हाई टैक टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	बारामती, म.प्र.	01-07-2006	108.52	40.00	34.83	22	12
15.	श्री धैर्यशील माने टैक्सटाइल पार्क को-आप सोसाइटी लिमिटेड	इचलकरंजी, म.प्र.	01-07-2006	72.25	28.90	8.67	167	-
16.	पूर्णा ग्लोबल टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	हिंगोली, म.प्र.	16-05-2008	91.80	36.72	22.02	41	1
17.	दि ग्रेट इंडियन लिनन एण्ड टैक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी	पेरूनदुरई, टी.एन.	03-02-2006	149.45	40.00	12.00	20	-
18.	सीमा टैक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर	कुदालोर, टी.एन.	25-11-2005	111.60	40.00	12.00	10	-
19.	पालादाम हाई टैक विविंग पार्क	पल्लाडम, टी.एन.	03-02-2006	55.42	22.17	22.17	90	71
20.	कोमारापालयम हाई टैक विविंग पार्क लिमिटेड	कोमारपलायम, टी.एन.	01-07-2006	34.82	13.93	12.54	57	32
21.	करूर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क	करूर, टी.एन.	21-03-2007	116.10	40.00	40.00	42	22
22.	मदुरई इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	मदुरई, टी.एन.	05-03-2007	87.30	34.92	31.43	15	5
23.	जयपुर टैक्स विविंग पार्क लिमिटेड	किशनगढ़, आर.जे.	25-11-2005	96.81	38.72	23.24	51	22
24.	किशनगढ़ हाई टैक टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	किशनगढ़, आर.जे.	01-07-2006	110.57	40.00	36.00	37	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	नेक्स्ट जेन टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	पाली, आर.जे.	21-03-2007	101.40	40.00	24.00	53	-
26.	जयपुर इंटेग्रेटेड टैक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड	बागरू, आर.जे.	16-05-2008	53.53	21.41	16.29	20	-
27.	लोट्स इंटेग्रेटेड टैक्स पार्क	लुधियाना पं.	05-03-2007	110.26	40.00	36.00	8	4
28.	रिदम टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पार्क लिमिटेड	नावांशहर, पं.	16-05-2008	125.46	40.00	24.00	14	3
29.	लुधियाना इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	लुधियाना, पं.	18-12-2008	116.19	40.00	24.00	55	-
30.	ई.आई.जी.एम.एफ. अपैरल पार्क लिमिटेड	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	01-07-2006	130.50	40.00	24.00	73	-
31.	डोडाबल्लापुर इंटैग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क	डोड्डाबालापुर, कर्नाटक	01-07-2006	80.25	32.09	30.56	72	33
32.	सी.एल.सी. टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	छिंदवाड़ा, एम.पी.	18-12-2008	95.65	38.26	11.48	20	-
33.	आर.जे.डी. इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क	सूरत, गुज.	29-05-2008	106.50	40.00	36.00	579	149
34.	दीसन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	धूले, महा.	29-05-2008	103.12	40.00	12.00	50	शून्य
35.	अस्मीता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	थाणे महाराष्ट्र	29-05-2008	200.79	40.00	4.00	65	शून्य
36.	कांचीपुरम ए.ए.सी.एम. हैण्डलूम सिल्क पार्क	कांचीपुरम, टी.एन.	12-04-2010	86.96	33.53	शून्य	115	ला.न.
37.	वैगई हाई टैक विविंग पार्क	थेनी, टी.एन.	27-08-2009	65.13	24.00	2.44	90	ला.न.
38.	इसलामपुर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	सांगली, महा.	16-05-2008	102.08	40.00	40.00	12	7
39.	लातूर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	लातूर, महा.	29-05-2008	102.61	102.61	40.00	36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	भारत फैबटैक्स एण्ड कारपोरेट पार्क प्राइवेट लिमिटेड	पाली, राज.	Feb-09	103.08	40.00	4.00	27	शून्य
	Total (40)			4140.44	1487.35	954.22		

विवरण-I

विद्यमान एकीकृत वस्त्र पार्क

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान	अनुमोदन की	पार्क में अनु. (करोड़ रु.)	अभी तक (करोड़ रु.)	पार्क में अनुमानित रोजगार प्रत्यक्ष	पार्क में अनुमानित रोजगार अप्रत्यक्ष	अभी तक रोजगार प्रत्यक्ष
1	2	3	4	10	11	12	13	14
1.	हैदराबाद हाई टेक विविंग पार्क	महबूब नगर	01-07-2006	208.00	16.71	2500	2500	-
2.	हिंदुपुर व्यापार अपैरल पार्क लिमिटेड	अनंतपुर	01-07-2006	265.49	50.00	10500	22000	200
3.	पोचमपल्ली हैण्डलूम पार्क लिमिटेड	पोचमपल्ली	01-07-2006	50.00	42.00	5000	3000	500
4.	ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सीटी प्राइवेट लिमिटेड	विशाखापट्टनम	01-07-2006	4878.03	568.00	60000	90000	17000
5.	मास फैब्रिक्स (इंडिया) पार्क लिमिटेड	नेल्लोर	20-03-2008	1982.00	31.37	31000	15000	-
6.	गुजरात इको टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	सूरत, गुज.	25-11-2005	705.00	397.75	8000	17000	1200
7.	मुंद्रा सेज टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पार्क लिमिटेड	कच्छ, गुज.	03-02-2006	775.00	440.53	3077	4500	485
8.	फेयरडील टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	सूरत, गुज.	25-09-2007	312.65	124.46	2900	4300	458

1	2	3	4	10	11	12	13	14
9.	ब्राज इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	खेदा, गुज.	01-07-2006	550.00	94.76	6250	12500	291
10.	सान्या टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	सूरत, गुज.	20-03-2008	298.61	96.58	3155	4733	219
11.	सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड	सूरत, गुज.	01-07-2006	230.56	130.80	1000	2000	50
12.	मेट्रो हाई-टैक कोआपरेटिव पार्क लिमिटेड	इचलकरंजी, म.प्र.	25-11-2005	335.00	125.50	5000	5000	1230
13.	प्राइड इंडिया कोआपरेटिव टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	इचलकरंजी, म.प्र.	03-02-2006	203.00	110.00	1500	2500	2800
14.	बारामती हाई टैक टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	बारामती, म.प्र.	01-07-2006	250.00	150.00	5500	6000	2883
15.	श्री धैर्यशील माने टैक्सटाइल पार्क को-आप सोसाइटी लिमिटेड	इचलकरंजी, म.प्र.	01-07-2006	376.55	16.10	3300	5000	-
16.	पूर्णा ग्लोबल टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	हिंगोली, म.प्र.	16-05-2008	205.00	50.00	1100	550	200
17.	दि ग्रेट इंडियन लिनन एण्ड टैक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी	पेरूनदुरई, टी.एन.	03-02-2006	418.05	18.08	5000	7500	-
18.	सीमा टैक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर	कुदालोर, टी.एन.	25-11-2005	475.00	17.46	5000	15000	-
19.	पालादाम हाई टैक विविंग पार्क	पल्लाडम, टी.एन.	03-02-2006	161.34	110.00	2500	3500	1950
20.	कोमारापालयम हाई टैक विविंग पार्क लिमिटेड	कोमारपलायम, टी.एन.	01-07-2006	125.66	53.00	1500	1500	800
21.	करूर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क	करूर, टी.एन.	21-03-2007	227	125	3000	4000	1320
22.	मदुराई इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	मदुरई, टी.एन.	05-03-2007	409.76	93.00	3000	4000	1100
23.	जयपुर टैक्स विविंग पार्क लिमिटेड	किशनगढ़, आर.जे.	25-11-2005	250.00	61.15	3000	9000	450
24.	किशनगढ़ हाई टैक टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	किशनगढ़, आर.जे.	01-07-2006	416.72	134.11	4000	8000	600

1	2	3	4	10	11	12	13	14
25.	नेक्स्ट जेन टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	पाली, आर.जे.	21-03-2007	416.18	42.00	9450	10000	-
26.	जयपुर इंटेग्रेटेड टैक्सक्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड	बागरू, आर.जे.	16-05-2008	45.92	42.74	4400	8800	-
27.	लोट्स इंटेग्रेटेड टैक्स पार्क	लुधियाना पं.	05-03-2007	847.71	250.00	2400	2950	1000
28.	रिदम टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पार्क लिमिटेड	नावांशहर, पं.	16-05-2008	339.84	68.40	11000	14000	137
29.	लुधियाना इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड	लुधियाना, पं.	18-12-2008	217.00	51.00	10000	10000	-
30.	ई.आई.जी.एम.एफ. अपैरल पार्क लिमिटेड	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	01-07-2006	160.00	40.52	10000	30000	-
31.	डोडाबल्लापुर इंटैग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क	डोड्डाबालापुर, कर्नाटक	01-07-2006	132.73	160.25	2000	2000	250
32.	सी.एल.सी. टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	छिंदवाड़ा, एम.पी.	18-12-2008	301.73	16.48	2000	1000	-
33.	आर.जे.डी. इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क	सूरत, गुज.	29-05-2008	Crores	105.52	4270	6405	943
34.	दीसन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	धूले, महा.	29-05-2008	721.68	33.37	4410	6615	शून्य
35.	अस्मीता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	थाणे महाराष्ट्र	29-05-2008	673.23	110.80	7634	11451	शून्य
36.	कांचीपुरम ए.ए.सी.एम. हैण्डलूम सिल्क पार्क	कांचीपुरम, टी.एन.	12-04-2010	119.86	1.53	18000	-	ला.न.
37.	वैगई हाई टेक विविंग पार्क	थेनी, टी.एन.	27-08-2009	145.22	1.70	6080		ला.न.
38.	इसलामपुर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क, प्राइवेट लिमिटेड	सांगली, महा.	16-05-2008	334.28	323.00	10000	-	1844
39.	लातूर इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	लातूर, महा.	29-05-2008	257.42	163.00	10000		742

1	2	3	4	10	11	12	13	14
40.	भारत फैबटैक्स एण्ड कारपोरेट पार्क प्राइवेट लिमिटेड	पाली, राज.	Feb-09	416.54	-	9450	-	-
	Total (40)			19237.76	4466.67	297876	352304	38652

*पार्क निरस्त कर दिए गए हैं।

विवरण-II

21 नए अनुमोदित पार्क

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमानित निवेश (करोड़ रु. में)	अनुमानित रोजगार की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	लीपाक्शी इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क, अनंतपुर	आन्ध्र प्रदेश	103.98	659.63	15000
2.	व्हाइटगोल्ड इंडिग्रेटिड स्पेनटेक्स पार्क, रंगा, रेड्डी जिला	आन्ध्र प्रदेश	105.01	578.98	6500
3.	केजरीवाल इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि., सूरत	गुजरात	113.59	401.86	5198
4.	हिमाचल टेक्सटाइल्स पार्क, ऊना	हिमाचल प्रदेश	103.90	335.46	12100
5.	जम्मू और कश्मीर इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल्स पार्क, कथुआ	जम्मू और कश्मीर	47.11	141.95	10083
6.	गुलबर्ग टेक्सटाइल्स, पार्क, गुलबर्ग	कर्नाटक	49.09	18.11	10935
7.	खेड टेक्सटाइल पार्क, पुणे	महाराष्ट्र	104.67	974.56	9250
8.	बिरला इंटिग्रेटिड टैक्सटाइल पार्क, अमरावती	महाराष्ट्र	121.40	305.28	11935
9.	कागल इंडस्ट्रीयल टेक्सटाइल्स टेक्नोलॉज़ी पार्क, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	106.83	289.00	5000

1	2	3	4	5	6
10.	सुन्दराराव सोलंकी कोआपरेटिव टेक्सटाइल पार्क, बीड	महाराष्ट्र	105.81	430.76	3400
11.	काल्लापना आवड़े टेक्सटाइल्स पार्क, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	109.45	326.83	2224
12.	एसिएटिक कोआपरेटिव पावरलूम टेक्सटाइल्स पार्क, शोलापुर	महाराष्ट्र	101.03	330.00	2500
13.	राजस्थान इंडिग्रेटिड अपैरल सिटी, भिवंडी	राजस्थान	296.51	552.37	91000
14.	मेवाड़ इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल्स पार्क, भीलवाड़ा	राजस्थान	112.00	220.00	27500
15.	जयपुर कालीन पार्क लि., दौसा	राजस्थान	101.94	118.94	88550
16.	हिमांडा इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल्स पार्क, बलोतरा	राजस्थान	111.59	375.08	15000
17.	एस.एल.एस. टेक्सटाइल पार्क, बागलपुर	तमिलनाडु	126.20	145.22	21030
18.	पल्लावाड़ा टेक्नीकल टेक्सटाइल्स पार्क लि., चेन्नई	तमिलनाडु	117.07	335.77	26300
19.	एडीसन इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल्स पार्क, अगरतला	त्रिपुरा	63.22	211.67	5258
20.	श्री लक्ष्मी कोटसायन लि., कानपुर	उत्तर प्रदेश	119.08	1102.65	7000
21.	हौजरी पार्क, हावड़ा	पश्चिम बंगाल	119.08	458.00	12600
			2338.56	8312.12	388363

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में महिलाएं

*77. **श्री भूदेव चौधरी:**

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में सेवा-वार और वर्ष-वार महिलाओं की वास्तविक संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेवा-वार और वर्ष-वार कितनी महिलाओं की भर्ती की गई;

(ग) क्या लड़ाकू विमानों और युद्ध संबंधी अन्य कार्यों के निर्वहन के लिए महिला पायलटों की भर्ती करने का

कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इस संबंध में ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) सशस्त्र बलों में महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान दीनों सेनाओं और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं में महिलाओं की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	सेना	नौसेना	वायुसेना	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं		
				सेना चिकित्सा कोर	सेना दंत चिकित्सा कोर	सैन्य नर्सिंग सेवा
2009	1030	176	915	801	90	3067
2010	999	191	889	872	91	3634
2011	1055	288	936	893	99	3626

(ख) वर्ष 2009 से 2011 के दौरान कमीशन प्राप्त महिला अफसरों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	सेना	नौसेना	वायुसेना	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं		
				सेना चिकित्सा कोर	सेना दंत चिकित्सा कोर	सैन्य नर्सिंग सेवा
2009	70	24	125	109	03	202
2010	93	39	145	59	03	606
2011	164	68	134	46	09	97

(ग) भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलटों सहित रक्षा बलों में युद्ध संबंधी कार्यों (समाघात ड्यूटियों) में महिलाओं को भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2006 में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और वर्ष 2011 में तीनों सेनाओं की उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन ने महिलाओं को समाधान ड्यूटियों में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।

(घ) महिला अफसर सहित अफसरों की भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सशस्त्र बलों में महिला अफसरों की भर्ती के लिए कोई अलग स्वीकृत नफरी नहीं है और उन्हें अपनी-अपनी सेना में अफसरों की कुल प्राधिकृत नफरी में से ही भर्ती किया जाता है। अफसरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर योग्यता के आधार पर की जाती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग से कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों को स्थायी कमीशन प्रदान करने संबंधी नीति दिनांक 11 नवंबर, 2011

के सरकारी नीति पत्र में निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

(i) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अफसरों के साथ अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला अफसर तीनों सेनाओं की विशेष शाखाओं अर्थात जज एडवोकेट जनरल और सेना के सैन्य शिक्षा कोर और नौसेना और वायुसेना में उनकी अनुरूपी शाखाओं; नौसेना में नौसेना कंस्ट्रक्टर और वायुसेना में लेखा शाखा में स्थायी कमीशन प्रदान करने हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र होंगी;

(ii) उपर्युक्त के अलावा, वायुसेना में अल्प सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अफसरों के साथ अल्प सेवा कमीशन प्राप्त महिला तकनीकी, प्रशासन, संभारिकी और मौसम विज्ञान शाखाओं में स्थायी कमीशन प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र होंगी;

स्थायी कमीशन, उम्मीदवार की इच्छा और सेवा विशेष की आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता, उम्मीदवार की योग्यता जैसा कि प्रत्येक सेवा द्वारा निर्धारित किया गया हो, के अध्यधीन प्रदान किया जाता है।

सरकार, महिला अफसरों को ज्यादा से ज्यादा गैर-समाघात शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान करने के मामले में संवेदनशील है।

इसके अलावा, सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन प्रदान करने संबंधी मामला उच्चतम न्यायालय के निर्णयाधीन है।

वाहनों पर कर

*78. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में वाहनों पर लगाए जा रहे अलग-अलग पंजीकरण और अन्य करों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे करों को लगाए जाने में एकरूपता सुनिश्चित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूरे देश में एक समान पंजीकरण कर कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में वाहनों पर लगाए गए करों में एकरूपता नहीं हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर लगाए गए करों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले करों में एकरूपता लाने के लिए परिवहन विकास परिषद के कार्य बल के अधीन गठित समूह ने दुपहिया, कार, हल्के मोटर वाहन, टैक्सी, मैक्सी कैब, दस टन तक के सकल यान भार वाले माल वाहनों के लिए बिक्री मूल्य के न्यूनतम 6 प्रतिशत दर की सिफारिश की है।

उक्त सिफारिशों पर, 13 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में हुई सड़क विकास परिषद की 34वीं बैठक में विचार किया गया था। बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मोटर वाहन करों के युक्तिकरण के मुद्दे के संबंध में राज्य परिवहन मंत्रियों के एक अधिकार-प्राप्त समूह का गठन किया गया है।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूप पंजीकरण कर के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह मुद्दा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आता है और उनमें आपसी सर्वसम्मति अपेक्षित होगी।

विवरण

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार मोटर यान करों की दरें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बस	ट्रक/माल यान, ट्रेलर और ट्रैक्टर	दुपहिया
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश (मार्च, 2011)	स्टेज कैरिज ए.पी.एस.आर.टी.सी.-	ट्रक: आधार: एल डब्ल्यू	एक बारगी टैक्स वीसी का 9%

1	2	3		4
	मुफसिल सेवाएं: सकल यातायात आय का 7%	**एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु.)**	दूसरे यान की स्थिति में 12%
	शहरी सेवाएं: सकल यातायात	300 तक	404	
	आय का 5% प्राइवेट:-	12,000-15,000	2,967	
	नगर सेवा:	> 15,000	2,967 रु.+	
	सामान्य सेवाएं: 330 रु. से 660 रु. (दैनिक किमी पर)		15,000 किग्रा. से अधिक प्रत्येक	
	एक्सप्रेस सेवाएं: 822 रु.		250 किग्रा के	
	मुफसिल सेवाएं:		लिए 66 रु.	
	सामान्य सेवाएं: 441 रु.	ट्रेलर:		
	से 948 रु. (दैनिक किमी पर)	**एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु.)**	
	एक्सप्रेस सेवाएं: 1,092 से 3,500 रु.	762 तक	230	
	कांट्रेक्ट कैरिज	3,048 से 4,000	690	
	ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट-3,675 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही			
	राज्य व्यापी परमिट-2,625 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	> 4,000	345 रु + प्रत्येक 250 किग्रा प्रति	
	जिला परमिट-1,207 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही		तिमाही के लिए 40 रु.	
	आइडल कांट्रेक्ट कैरिज-850 रु.	ट्रेक्टर:		
	प्रति सीट प्रति तिमाही	**एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु.)**	
		762 तक	230	
		3,048 से 4,000	690	
		> 4,000	690 रु. + प्रत्येक 250 किग्रा के लिए 80 रु.	
अरुणाचल प्रदेश (मार्च 2009)	एक बारगी टैक्स 40,000 रु.	ट्रक: 2,960 रु. प्रति वर्ष ट्रैक्टर: 400 रु. प्रति वर्ष ट्रैलर: 350 रु. प्रति वर्ष		एक बारगी टैक्स (5 वर्ष) 400 रु.

1	2		3		4	
असम	आधार: बैठने की क्षमता:		ट्रक:		आधार: यू.एल.डब्ल्यू.-एक बारगी	
(मार्च 2011)	**व्यक्तियों की सं.**	**टैक्स (रु.)**	आधार: अधिकृत क्षमता		टैक्स-	
			क्षमता (एम.टी.)	**टैक्स (रु.)**	**यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु.)**
	10 तक	7,500 रु. प्रति वर्ष 1,900 रु. प्रति तिमाही	1 तक	2,000 रु. प्रति वर्ष 500 रु. प्रति तिमाही	65 तक	2,600
					65-90	3,600
	13 तक	11,000 रु. प्रति वर्ष 2800 रु. प्रति तिमाही	1-3	4,000 रु. प्रति वर्ष 1,000 रु. प्रति तिमाही	90-135	5,000
					135-165	5,500
					>165	6,500
	14 से 30	12,000 रु. प्रति वर्ष रु. 3,000 प्रति तिमाही	3-9	4,000 रु. प्रति वर्ष+ 3 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी प्रति वर्ष 800 रु. 1,000 रु. प्रति तिमाही + 3 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी प्रति वर्ष 200 रु.	ट्रेलर/संबद्ध साइड कार: 1500 रु.	
	>30	12,000 रु. प्रति वर्ष+30 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 110 रु. 3,000 रु. प्रति तिमाही + 30 से अधिक, प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 28 रु.			पुराने यानों को अन्य राज्यों से अंतरित किए जाने पर असम में पंजीकृत कराना अपेक्षित होता है। एक बारगी टैक्स का निर्धारण मूल्य-ह्रास अनुमत किए जाने के बाद किया जाता है:	
					आयु के वर्ष	**दर @ (%)**
			>9	9,000 रु. प्रति वर्ष + 12 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी के लिए 300 रु. रु. 2,250 प्रति तिमाही + 9 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी के लिए 80 रु.	5 तक	7
					5-10	10
					>10	12
	ओमनी टूरिस्ट बस: 15,000 रु. प्रति वर्ष 3,750 रु. प्रति तिमाही डीलक्स/सुपर डीलक्स/एक्सप्रेस बस: 12,000 रु. प्रति वर्ष+ 31 से अधिक प्रत्येक सीट के		>12	11,500 रु. प्रति वर्ष + 12 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी के लिए 400 रु.		

1	2		3		4
	लिए 120 रु. 3,000 रु. प्रति तिमाही+31 से अधिक प्रत्येक सीट के लिए 30 रु. ऑल असम सुपर डीलक्स कांट्रेक्ट कैरिज: 50,000 रु. प्रति वर्ष 12,500 रु. प्रति तिमाही			000 रु. प्रति तिमाही+12 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी 100 रु.	
			ट्रैक्टर:		
			क्षमता (एमटी)	**टैक्स (रु.)**	
			2 तक	1,000 रु. प्रति वर्ष 250 रु. प्रति तिमाही	
			2-5	2,000 रु. प्रति वर्ष 500 रु. प्रति तिमाही	
			5-9	4,000 रु. प्रति वर्ष 1,000 रु. प्रति तिमाही	
			>9	6,000 रु. प्रति वर्ष 1,500 रु. प्रति तिमाही	
बिहार (मार्च 2011)	आधार: बैठने की क्षमता		ट्रक: आधार आर.एल.डब्ल्यू.		कुल लागत का 3%, 3 15 वर्ष की आवधिकता
	व्यक्तियों की सं.	**टैक्स प्रति वर्ष**	**आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स प्रति वर्ष**	
	13-26	1,583.50 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 रु.	500 तक	298.50 रु.	
			500-2,000	298.5 रु. + 34 रु. 500 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए	
	27-32	3,036 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 79 रु.			
	33 अथवा अधिक	3,485 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 53 रु.	2,000-4,000	502.50 रु. + 51.50 रु. 2,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए	

1	2	3	4
		4,000-8,000 838.50 रु. + 51.50 रु. 4,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए >8,000 1,662.50 रु. + 136.50 रु. 8,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए ट्रैक्टर: वीसी का 1%, वैट सहित ट्रेलर: एक बारगी टैक्स आर.एल.डी. (किग्रा) टैक्स 3,000 तक 4,000 रु. >3,000 6,000 रु.	
छत्तीसगढ़ (मार्च 2011)	**श्रेणी** **टैक्स** साधारण 160 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष डीलक्स 230 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष एक्सप्रेस 180 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	**ट्रक**: आधार जी.वी.डब्ल्यू. 2,000 किग्रा तक 300 रु. प्रति तिमाही, 500 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 75 रु. प्रति तिमाही ट्रैक्टर कृषि प्रयोजन के लिए: आधार यू.एल.डब्ल्यू. **यू.एल.डब्ल्यू.यू. (किग्रा) टैक्स प्रति तिमाही** 1000 तक 175 रु. 1,000-2,000 255 रु. प्रति तिमाही 1,000 किग्रा तक 175 रु. प्रति तिमाही 1,000-2,000 किग्रा 255 रु. प्रति तिमाही **ट्रेलर**: 75 रु. प्रत्येक 200 किग्रा	एलटीटी: वीसी का 4%
गोवा (मार्च, 2011)	50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष; यात्री टैक्स:	7,500 रु. प्रति वर्ष खनन 9,000 रु. प्रति वर्ष	150 रु. प्रति वर्ष

1	2	3	4
	श्रेणी **यात्री टैक्स रु. पीएस** स्टेज कैरिज 30 टूरिस्ट परमिट 50 ऑल इंडिया परमिट 150		
गुजरात (मार्च, 2011)	आधार: बैठने की क्षमता कांट्रेक्ट कैरिज **बैठने की क्षमता** — **टैक्स प्रति वर्ष** 12 तक — 1,200 रु. प्रति वर्ष 12-20 — 3,000 रु. >20 — 3,600 रु. प्रति वर्ष स्लीपर ओमनी बस **बैठने की क्षमता** — **टैक्स प्रति वर्ष** 20 तक — रु. 9,000 प्रति सीट प्रति वर्ष >20 — रु. 12,000 प्रति सीट प्रति वर्ष **लक्जरी ओमनी बस** **बैठने की क्षमता** — **टैक्स प्रति वर्ष** 20 तक — 4,620 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष >20 — 6,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	**ट्रक:** आधार जी.वी.डब्ल्यू. **डी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा)** — **टैक्स** 7,500 तक — बिक्री मूल्य का 6% >7,500 — बिक्री मूल्य का 6%+ 1,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 650 रु. प्रति वर्ष 7,500-12,000 — बिक्री मूल्य का 8% >12,000 — बिक्री मूल्य का 12% **ट्रैक्टर:** 2 टन से अधिक: 2,000 रु. प्रति वर्ष + 1,000 किग्रा से अधिक अतिरिक्त 400 रु. प्रत्येक 1,000 किग्रा अथवा 2 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के लिए	बिक्री मूल्य का 6%
हरियाणा* (मार्च, 2009) दुपहिया	**स्टेज कैरिज** (i) किराए के लिए चलने वाले	ट्रक: आधार जी.वी.डब्ल्यू. **जी.वी.डब्ल्यू.** — **टैक्स रु. प्रति**	90.72 किग्रा-150 रु. तक यू.एल.डब्ल्यू. के साथ दुपहिया के

1	2	3	4
वाहनों और कार संबंधी मोटर यान कराधान वही है जो जनवरी, 2011 में था।	और यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग होने वाले-550 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष अधिकतम 35,000 रु. के अध्यधीन (ii) फरीदाबाद और गुड़गांव शहर प्राइवेट बस सर्विस योजना के अंतर्गत जारी किए गए परमिट के अधीन किराए के लिए चलने वाले - 18,000 रु. प्रति वर्ष (आधी बॉडी बस के लिए) और 30,000 रु. प्रति वर्ष (पूरी बॉडी बस के लिए) **कांट्रैक्ट कैरिज** (i) फरीदाबाद और गुड़गांव शहर प्राइवेट बस सर्विस योजना, 2004 के अंतर्गत जारी किए गए परमिट के अधीन चलने वाले - 18,000 रु. प्रति वर्ष (आधी बॉडी बस के लिए) और 30,000 रु. प्रति वर्ष (पूरी बस के लिए) (ii) किसी धार्मिक संस्था द्वारा स्वामित्व वाले और इसका उपयोग केवल अपने कार्मिकों और भक्तों जैसा भी मामला हो, को लाने ले जाने के लिए किया जाता है - 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष।	**एमटी** — **वर्ष** 1.2 तक — 300 1.2-6 — 1,200 6-16.2 — 2,400 16.2-25 — 3,500 >25 — 4,500	लिए एक मुश्त एक बारीय कर 90.72 किग्रा से अधिक यूएलडब्ल्यू के साथ दुपहिया के लिए, दर निम्नलिखित है: **वीवी (लाख रु.)** — **कर की दर (वीवी का %)** 0.60 तक — 2 0.60-4 — 4 >4 — 5
हिमाचल प्रदेश (मार्च, 2011)	**स्टेज कैरिज:** 500 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष कांट्रेक्ट कैरिज: 1,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	**ट्रक:** एल.जी.वी.: 1,500 रु. प्रति वर्ष एम.जी.वी.: 2,000 रु. प्रति वर्ष एच.जी.वी.: 2,500 रु. प्रति वर्ष **ट्रैक्टर और ट्रेलर:** 1,500 रु. प्रति वर्ष	15 वर्ष की आवधिकता के लिए एल.टी.टी. आधार: इंजन क्षमता **इंजन क्षमता** — **टैक्स** 50 तक सीसी — मूल्य का 3% >50 सीसी — मूल्य का 4%

1	2		3		4
जम्मू और कश्मीर (मार्च, 2011)	1,100 रु. प्रति तिमाही		1,100 रु. प्रति तिमाही		एक बारगी टैक्स मोटर साइकिल: 4,000 रु. स्कूटर: 2,400 रु.
झारखंड (मार्च, (2011)	आधार: बैठने की क्षमता		ट्रक आधार: आर.एल.डब्ल्यू.		एक बारगी टैक्स 352 रु.
	व्यक्ति	**टैक्स रु. प्रति वर्ष**	**आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु.)**	
	27-32	3,036 + 27 व्यक्तियों से ज्याता परन्तु 32 व्यक्तियों तक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 79 रु.	<500	253 रु. प्रति वर्ष + 500 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 29 रु.	
			2,000-4,000	432 रु. प्रति वर्ष + 2000 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 40 रु.	
			4,000-8,000	760 रु. प्रति वर्ष + 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 49.50 रु.	
	>32 व्यक्ति	3,485 + 33 व्यक्तियों से ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 53 रु.	**ट्रैक्टर**: 100 रु. प्रति वर्ष **ट्रेलर**: > 8,000 किग्रा आर.डब्ल्यू.: 1,568.00 रु. + 8000 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 120 रु.		
कर्नाटक (मार्च 2010)	>सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गों पर ही चलने वाले 12 यात्री सिटिंग: 300 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही		ट्रक: आधार: आर.एल.डब्ल्यू.		एक बारगी टैक्स
			आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा.)	**रु.**	**वीसी** **टैक्स (%)**

1	2	3		4	
	स्टेडिंग: 100 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	2,000 तक	10,000 एक बारगी टैक्स	50,000 रु. तक	10
	>12 यात्री: 600 प्रति रु. तिमाही	2,000-3,000	15,000 एक बारगी टैक्स	लगभग 50,000 रु.	12
	स्टेडिंग: रु. 100 प्रति सीट तिमाही	3,000-5,500	20,000 एक बारगी टैक्स	रु. 125 प्रति तिमाही	
	>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रैक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 151 (2) का अनुपालन करने वाले: 1,000 रु. प्रति तिमाही	5,500-12,000	1,800 प्रति तिमाही	बिजली पर चलने वाले मोटर साइकिल: 4% ऑफ वीसी	
		12,000-15,000	2,200 प्रति तिमाही		
	>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रैक्ट कैरिज: 2,500 रु. प्रति तिमाही	>15,000	2,200 प्रति तिमाही + 15,000 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 75 रु.		
	>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रैक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 151(2) का अनुपालन करने वाले और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अंतर्गत जारी किए गए विशेष परमिट द्वारा कवर किए गए: 1,000 रु. प्रति तिमाही	ट्रैक्टर: 1,500 रु. एक बारगी टैक्स ट्रेलर: 500 रु. एक बारगी टैक्स			
	>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रैक्ट कैरिज, मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम, 128 का अनुपालन करने वाले: 2,750 रु. प्रति तिमाही				
केरल (मार्च, 2009)	स्टेज कैरिज	आधार: यू.एल.डब्ल्यू.		15 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स मूल्य 6%	
	(i) साधारण सेवाएं - प्रत्येक बैठे हुए यात्री (ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा) 600 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही + सिटी सर्विस टैक्स के अनुसार 210 रु. प्रति खड़े यात्री	**यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु. प्रति तिमाही)**	पुरानी मोटर साइकिल	
		300 तक	135	**सीसी**	**टैक्स**
		1,000 तक	220	95 से कम	280 (2 वर्ष के लिए)
		1,000-1,500	420		

1	2		3		4	
	प्रति तिमाही		1,500-2,000	550	>95	360 (2 वर्ष
	(ii) फास्ट यात्री और एक्सप्रेस		2,000-3,000	705		के लिए)
	सेवाएं- प्रत्येक बैठे हुए यात्री		3,000-4,000	840		
	(ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा)		4,000-5,500	1,210		
	600 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही +		5,000-7,000	1,430		
	सिटी सर्विस टैक्स के अनुसार		7,000-9,000	1,760		
	210 रु. प्रति खड़े यात्री प्रति		9,000-9,500	1,870		
	तिमाही		9,500-10,500	2,090		
	कांट्रैक्ट कैरिज		10,500-11,000	2,310		
	व्यक्तियों की	**टैक्स रु. प्रति**	11,000-12,000	2,530		
	सं.	**तिमाही**	12,000-13,000	2,750		
	12-20	530	13,000-14,000	2,970		
	>20	780	14,000-15,000	3,080		
			>15,000	3,080 + 15,000		
	अंतर्राज्यीय मार्गों पर यान संचालन			किग्रा से ज्यादा 250		
	प्रत्येक यात्री के लिए 1,540 रु.			किग्रा अथवा इसके		
	प्रति तिमाही			भाग के लिए 110 रु.		
			ट्रैक्टर: 880 रु. प्रति वर्ष			
			ट्रेलर: 155 रु. प्रति तिमाही			
मध्य प्रदेश*	**बस की श्रेणी**	**स्पेयर टैक्स (प्रति**	बगैर न्यूमेटिक टायर के माल यान: आधार		आधारः यू.एल.डब्ल्यू.	
(मार्च, 2011)		**सीट प्रति वर्ष**	आर.एल.डब्ल्यू.			
		रुपए)	**आर.एल.डब्ल्यू.**	**रुपए प्रति**	**यू.एल.डब्ल्यू.**	**रुपए प्रति**
	ए.सी.	230	**(एमटी)**	**तिमाही**	**(किग्रा)**	**तिमाही**
	डीलक्स	230	2 तक	600	70 तक	18
	एक्सप्रेस	180	2-4	900	>70	28
	साधारण	160	4-6	1,300		
	स्टेज कैरिज (प्राइम रूट)		6-8	1,700		
			8-10	2,100		
	बस की श्रेणी	**टैक्स (प्रति सीट**	10-12	2,500		
		प्रति वर्ष रुपए)	12-14	2,900		
	ए.सी.	प्रथम 100 किमी के	14-16	3,300		
		लिए 250 रु. + प्रत्येक	16-18	3,700		
		10 किमी के लिए	>18	3,700 + रु. 500		
		20 रु.		प्रति तिमाही		

1	2	3	4
	डीलक्स एक्सप्रेस — प्रथम 100 किमी के लिए 250 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 15 रु. 180 साधारण — प्रथम 100 किमी के लिए 240 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु.	न्यूमेटिक टायर के साथ सभी यान: मूल स्लैब का 1.5 गुना माल यान (न्यूमेटिक टायर के बगैर अन्य राज्य): मूल स्लैब का 85% ट्रैलर: आधार यू.एल.डब्ल्यू. **यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)** — **रुपए प्रति तिमाही** 1,000 तक — 28 >1,000 — 66	

स्टेज कैरिज (साधारण रूट)

बस की श्रेणी	**टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)**
ए.सी.	प्रथम 100 किमी के लिए 200 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 15 रु.
डीलक्स एक्सप्रेस	प्रथम 100 किमी के लिए 180 रु. प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु. 180
साधारण	प्रथम 100 किमी के लिए 160 रु. प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु.

स्टेज कैरिज (दूरस्थ रूट)

बस की श्रेणी	**टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)**
ए.सी.	प्रथम 100 किमी के लिए 160 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु.

1	2	3	4
	डीलक्स एक्सप्रेस — प्रथम 100 किमी के लिए 140 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 5 रु. 180 साधारण — प्रथम 100 किमी के लिए 120 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए स्टेज कैरिज **बस की श्रेणी** — **टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)** 4 से 6 — 50 7-12+1 — 150 >12+1 — 800		
महाराष्ट्र (मार्च, 2011)	आधार: उठाने की क्षमता **स्टेज कैरिज, एम.एस.आर.टी.सी., बी.ई.एस.टी. और अन्य:** 71 रु. पी.पी.पी.ए.+नगर निगम क्षेत्र में 3.5% का यात्री टैक्स और किराया संग्रहण पर अन्य क्षेत्र में 17.5% **कांट्रैक्ट कैरिज:** साधारण ओमनी बस: **व्यक्ति** — **टैक्स** 6-12 — 1,000 रु. पी.पी.पी.ए. 12-24 — 1,700 रु. पी.पी.पी.ए. >24 — 1,900 रु. पी.पी.पी.ए. टूरिस्ट: 5,500 रु. पी.पी.पी.ए. एसी टूरिस्ट बस: 6,500 रु. पी.पी.पी.ए. नॉन-एसी स्लीपर बर्थ कोच: 5,000 रु. प्रति बर्थ प्रति वर्ष एसी स्लीपर बर्थ कोच: 7,000 रु. प्रति बर्थ प्रति वर्ष	ट्रक: आधार: जी.वी.डब्ल्यू. **डी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा)** — **रु.** एल.एम.वी. — एक बारगी टैक्स के रूप में 5,400 रु. प्रति वर्ष, अथवा 37,800 रु. एम.जी.वी. — एक बारगी टैक्स के रूप में 7,500 रु. प्रति वर्ष अथवा वार्षिक दर का 7 गुना एच.जी.वी. — एक बारगी टैक्स के रूप में 12,150 रु. प्रति वर्ष अथवा वार्षिक दर का 7 गुना **ट्रेलर:** माल उठाने के लिए प्रयोग:	एल.टी.टी. वीसी का 7%

1	2	3	4
	साधारण बसों के लिए चलने के लिए विशेष परमिट: 5,000 रु. पी.पी.पी.ए.	**जी.वी.डब्ल्यू.** | **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 16,500 तक | 12,150 >16,500 | 12,150 + प्रति 500 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 450 रु. कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग: **जी.वी.डब्ल्यू.** | **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 4,500-7,500 | 1,500 >7,500 | 3,000 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे ट्रैक्टरों को छूट।	
मणिपुर (मार्च, 2006)	16 सीटों तक 1,000 रु. प्रति वर्ष प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 80 रु. + 960 रु. यात्री टैक्स (16 यात्रियों तक) और प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 80 रु.	**ट्रक:** 5 टन तक और प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए 320 रु. + माल भाड़े की कीमत पर अथवा एकमुश्त आधार पर प्रति रु. 6 पैसे माल टैक्स **ट्रैक्टर:** 80 रु. प्रति वर्ष **ट्रेलर:** 60 रु. प्रति वर्ष	**किग्रा** | **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 100 तक | 60 >100 | 100
मेघालय* (मार्च, 2011)	**बैठने की क्षमता** | **कर (रुपए प्रति वर्ष)** 30 तक | 5,250 >30 | 5,250 + प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 60 रु. >5 | 1,500	**ट्रक:** 3 मीट्रिक टन से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1 मीट्रिक टन के लिए 2,250 रुपए प्रति वर्ष और 525 रुपए **ट्रैक्टर:** **मीट्रिक टन** | **रुपए प्रति वर्ष** 2 तक | 450 2-5 | 900 >135 | 2,850	10 वर्ष के लिए बारगी कर **किग्रा** | **कर (रु.)** 65 तक | 1,050 65-90 | 1,725 90-135 | 2,400 लागत का 2.5 प्रतिशत

1	2	3	4
	ट्रैलर: 10 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स **ट्रैलर** **रुपए प्रति वर्ष** हल्के 450 मध्यम 1,125 भारी 1,875		
मिजोरम (मार्च, 2011)	100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष यात्री टैक्स: 1,400 रु. प्रति वर्ष	**ट्रक**: एक एम.टी. से ज्यादा बोझ ढोने के लिए प्राधिकृत वाहनों के लिए 840 रु. प्रति वर्ष, प्रत्येक ½ एम.टी. के लिए 205 रु. प्रति वर्ष माल टैक्स: 2,900 रु. प्रति वर्ष **ट्रैक्टर**: आधार: उठाने की क्षमता **उठाने की क्षमता (एम.टी.)** **टैक्स (रु.)** > 2 125 2-3.5 250 >3.5 700 **ट्रेलर**: 250 रु. प्रति वर्ष	150 प्रति वर्ष
नागालैंड (मार्च, 2011)	ऑल इंडिया टूरिस्ट: 300 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,500 रु. यात्री टैक्स. ग्रामीण और शहरी बस: 120 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,000 रु. यात्री टैक्स	**ट्रक**: 304 रु. x एम.टी. + रु. 188 प्रति वर्ष माल टैक्स: **वहन क्षमता (एमटी)** **रु.** <2 500 2-5 1,000 5-10 1,500 10-20 2,000 20-30 2,500 >30 3,000 **कृषि ट्रैक्टर**: 580 रु. प्रति वर्ष	एक बारगी टैक्स 15 वर्ष के लिए मूल मूल्य का 5%
ओडिशा (मार्च, 2011)	आधार: क्षमता, प्रति दिन कवर की गई दूरी और माहवार सेवा की	पंजीकृत लादान भार (आर.एल.डब्ल्यू.) ट्रक के लिए दर	<19किग्रा ए.एल.डब्ल्यू.: 150 रु. प्रति वर्ष

1	2		3		4	
	प्रकृति				>91 किग्रा यू.एल.डब्ल्यू.: 200 रु.	
	दूर (किमी)	**टैक्स**	**आर.एल.डब्ल्यू. एम.टी.**	**प्रति वर्ष**	प्रति वर्ष	
	160 तक	172 रु. प्रति वर्ष	1 तक	540 रु.		
		अतिरिक्त 576 रु.	1-2	2,356 रु.		
		(साधारण) 895 रु.	2-5	2,446 रु. + 444 रु.		
		(एक्सप्रेस)		अतिरिक्त टैक्स		
	160-240	196 रु. प्रति वर्ष		3,773 रु. + 1,182 रु.		
		अतिरिक्त 720 रु.	5-10	अतिरिक्त टैक्स		
		(साधारण) 1,120	10-13	5,363 + 1,816 रु.		
		(एक्सप्रेस)				
	240-320	रु. 245 प्रति वर्ष		अतिरिक्त टैक्स		
		अतिरिक्त 955 रु.	13-16.2	78,00 रु. + 2,640		
		(साधारण) 1,550 रु.		रु. अतिरिक्त टैक्स		
		(एक्सप्रेस)	>16.2	7,800 रु. + 2,640		
	>320	294 रु. प्रति वर्ष		रु. अतिरिक्त टैक्स +		
		अतिरिक्त 1,146 रु.		120 रु./अति. 500		
		(साधारण) 1,746 रु.		किग्रा		
		(एक्सप्रेस)	ट्रेलर के लिए दर			
	प्रत्येक खड़े हुए यात्री के लिए:		1 तक एमटी	196 रु. प्रति वर्ष		
	152 रु. प्रति वर्ष			अतिरिक्त 96 रु.		
			1-3 एमटी	750 रु. प्रति वर्ष 370		
				अतिरिक्त रु.		
	स्टेज कैरिज से भिन्न यान		>3 एमटी	1,500 रु. प्रति वर्ष		
				738 रु.		
	व्यक्ति (सं.)	**टैक्स**				
	25 तक	307 रु. प्रति वर्ष				
		अतिरिक्त 413 रु.				
	>25	768 रु. प्रति वर्ष				
		अतिरिक्त 1,032 रु.				
पंजाब (मार्च, 2007	स्टेज कैरिज		आधार: जी.वी.डब्ल्यू.		**मोटर का मूल्य (रु.)**	**एकमुश्त टैक्स**
	साधारण बस-2.25 रु. प्रति किमी प्रति दिन		**जी.वी.डब्ल्यू. (टन)**	**टैक्स (रु. प्रति वर्ष)**	15,000 तक	मूल्य का 3%
	साधारण एच.बी. ए.सी. बस (3x2				>15,000	मूल्य का 4%

1	2	3		4
	सीट)-1.00 रु. प्रति किमी प्रति दिन	1.2 तक	3,000	
	इंटीगरल कोच (2x2 सीट बस)-	12-6	4,000	
	0.50 रु. प्रति किमी प्रति दिन	6-16.2	5,000	
	दूसरे राज्यों से आने वाले स्टेज	16.2-25	8,000	
	कैरिज बस:-	>25	15,000	
	रेसीप्रोकल करारों के अंतर्गत प्रति हस्ताक्षरित बस-3.70 रु. प्रति किमी प्रति दिन	परमिट होल्डर के आवास के स्थान से 25 किमी की दूरी के भीतर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा रहे ट्रोली वाले ट्रेक्टर के परमिट होल्डर-2,000 रु. प्रति वर्ष		
	रेसोप्रोकल करारों के अंतर्गत प्रति हस्ताक्षरित बस-5.00 रु. प्रति किमी प्रति दिन			
	मिनी बस 30,000 रु. प्रति वर्ष			
	सिटी बस सर्विस 60 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही			
	नगर सीमाओं के बाहर चलने वाली सिटी बसें			
	साधारण बस: 4.50-रु. प्रति किमी प्रति दिन			
	एच.वी. ए.सी. बस: 2.00 रु. प्रति किमी प्रति बस प्रति दिन			
	कांट्रैक्ट कैरिज			
	टूरिस्ट बस:-			
	साधारण और डीलक्स 6,000 प्रति सीट प्रति वर्ष			
	वातानुकूलित-5,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष			
	इंटिग्रल कोच-4,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष			
	ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट			
	साधारण बस-2,000 रु. प्रति वाहन प्रति दिन			
	डीलक्स बस-3,000 रु. प्रति वाहन प्रति दिन			
	वातानुकूलित-4,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष			
	3. ओमनी बस 150 रु. प्रति दिन			

1	2				3		4	
राजस्थान (मार्च, 2011)	**वाहन का मूल्य**	**0-2 लाख**	**2.01 से 4 लाख**	**>4 लाख**	आधार: चेसिस का मूल्य (सी.ओ.सी.)		इंजन की क्षमता-एक बारगी टैक्स	
	सम्पूर्ण वाहन के रूप में खरीदा गया	वाहन की लागत का 12%	वाहन की लागत का 15%	वाहन की लागत का 1.5%	आर्टिकुलेटेड वाहन:			
	चेसिस के रूप में खरीदा गया	0.7%	0.7%	चेसिस की लागत का 0.8%	**सी.ओ.सी. (लाख रु.)**	**टैक्स (रु.)**	**इंजन की क्षमता (सीसी)**	**टैक्स**
					10 तक	आर.टी. के रूप में होर्स की 2% लागत + एस आर.टी. के रूप में 0.40% सी.ओ.सी.	<100 >100	बी.सी. का 4% बी.सी. का 8%
					>10	20,000 रुपए + 50 रुपए प्रति 1 लाख अथवा आरटी के रूप में 10 लाख रुपए से अधिक लागत का तत्संबंधी भाग तथा 4,000 रुपए + 50 रुपए प्रति 1 लाख अथवा एस.आर.टी. के रूप में 10 लाख रुपए से अधिक लागत का तत्संबंधी भाग		
					आर्टिकुलेटिड से भिन्न			
					सी.ओ.सी. (लाख रु.)	**टैक्स (रु.)**		
					3 तक	आर.टी. के रूप में 1.5% सी.ओ.सी.		

1	2	3	4
			एस.टी. अधिकतम 2250 रुपए + एस.आर.टी. के रूप में 1.0% सी.ओ.सी.
		3 लाख रु. से 6 लाख रु. तक	2250 रु. + आर.टी. के रूप में 3 लाख रु. से ऊपर 0.75% + 2000 रु. + एस.आर.टी. के रूप में 3 लाख रु. ऊपर 0.35% सी.ओ.सी.
		6 लाख रु. से 10 लाख रु. तक	4500 रु. + आर.टी. के रूप में 6 लाख रु. से ऊपर 0.95% + 3050 रु. + एस.आर.टी. के रूप में 6 लाख रु. ऊपर 0.5% सी.ओ.सी.
		10 लाख रु. से ऊपर	8300 रु. + आर.टी. के रूप में 10 लाख रु. लागत अथवा इसके भाग के लिए प्रति 1 लाख रु. 50 रु. + 5050 रु. + एस.आर.टी. के रूप में 10 लाख रु. से ऊपर लागत अथवा इसके भाग के लिए 50 रु. प्रति 1 लाख रु.

1	2		3		4	
सिक्किम* (सितम्बर 2011)	गैर-परिवहन यान अथवा शैक्षिक संस्थान बसों के रूप में पंजीकृत ओमनी बसें:		ट्रक: आधार: जी.वी.डब्ल्यू.		आधार: इंजन की क्षमता	
			जी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा)	**कर (रु.)**	**इंजन की क्षमता (सीसी)**	**कर रु. प्रति वर्ष**
	बैठने की क्षमता	**कर (रु.)**	500 तक	1,000		
	10 तक	2,000	500-2,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 500 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,000 + 110 रु.	80 तक	150
	>10	2,000 + प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 200 रु.	2,000-4,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 2000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,620 + 130 रु.	80-170	300
			4,000-8,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 4000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 2,660 + 85 रु.	170-250	450
			78,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किया अथवा 8000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 4,021 + 110 रु.	>250	600
			ट्रैक्टर: आधार: यू.एल.डब्ल्यू.			
			यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा.)	**कर (रु.)**		
			500 तक	500		
			500-2,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा		

1	2	3	4
			500 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 500+120 रु.
		2,000-4,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 2000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,220+125 रु.
		4,000-8,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 4000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 2,220+290 रु.
		>8,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 8000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 6,860 + 320 रु.
		ट्रैलर: आधार: जी.वी.डब्ल्यू.	
		जी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा.)	**कर (रु.)**
		1.00 तक	500
		1,000-2,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 1000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 500+50 रु.

1	2	3		4
		2,000-4,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 2000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 700+ 80 रु.	
		4,000-8,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 4000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,340 + 150 रु.	
		>8,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 8000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 3,740 + 200 रु.	
तमिलनाडु (मार्च, 2011)	स्टेज कैरिज: 400 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	आधार: आर.एल.डब्ल्यू.		एक बारगी टैक्स मूल्य पर 8%
	टैक्स का 25% अधिभार टूरिस्ट ओमनी बस: बैठने की क्षमता: <35+1: 35+1 अथवा अधिक वाहन के फ्लोर क्षेत्र के प्रत्येक वर्गमीटर के लिए 4,900 रु. प्रति तिमाही 35 + 1 और अधिक: 3,000 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	**आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा में)**	**रु.**	
		3,000	19,200 एल.टी.	
		3,001-5,500	950 प्रति तिमाही	
		5,501-9,000	1,500 प्रति तिमाही	
		9,001-12,000	1,900 प्रति तिमाही	
		12,001-13,000	2,100 प्रति तिमाही	
		13,001-15,000	2,500 प्रति तिमाही	
त्रिपुरा* (मार्च, 2011)	42 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	**ट्रक**: 4,200 रु. प्रति वर्ष **ट्रैक्टर**: प्रथम 500 के लिए किग्रा रु. 500 + प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए 200 रु.		रु. 110 प्रति वर्ष

1	2	3	4
		ट्रैलर: प्रथम 500 किग्रा के लिए 400 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त 200 किग्रा के लिए 50 रु.	
उत्तराखंड (मार्च, 2011)	तिमाही 20 सीट तक 350 रु. + 35 सीट तक 30 रु. प्रति सीट 590 रु. + 35 रु. प्रति सीट यात्री टैक्स: 160 रु. प्रति सीट प्रति माह कांट्रैक्ट कैरिज	ट्रक/ट्रेक्टर/ट्रेलर: एक क्षेत्र के लिए प्रति एम.टी. 70 रु. और एक क्षेत्र से ज्यादा के लिए प्रति एम.टी. 85 रु. माल टैक्स: मैदानी मार्गों के लिए प्रति एमटी अथवा इसके भाग के लिए 210 रु. प्रति तिमाही और प्रति एम.टी. 85 रु.	एक बारगी टैक्स 800 रु.-1,500 रु.
उत्तर प्रदेश (मार्च, 2011)	<5 वर्ष पुराने: 110 रु. प्रति सीट प्रति माह 330 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 1,200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 5-10 वर्ष पुराने: 115 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 345 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 1,250 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष >10 वर्ष पुराने: 120 रु. प्रति सीट प्रति माह 360 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 1,300 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	ट्रक/ट्रेलर: आधार: जी.वी.डब्ल्यू. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 230 रु. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 850 रु. कृषि ट्रेलरों को टैक्स से छूट है ट्रेक्टर: आधार: यू.एल.डब्ल्यू. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 500 रु. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 1800 रु. कृषि ट्रैक्टर को टैक्स से छूट है	एक बारगी टैक्स वाहन के मूल्य का 7%
पश्चिम बंगाल* (मार्च, 2011)	स्टेज कैरिज आधार: बैठने की क्षमता प्रति तिमाही 31.25 रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही + 10% तिमाही कुल कर	ट्रक: आधार: आर.एल.डब्ल्यू. (तिमाही) **आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा) — कर (रु.)** 2,000 तक — 150 2,000-3,500 — 262.50 3,500-5,500 — 525 5,500-7,000 — 712.50 7,000-9,000 — 862.50 9,000-12,000 — 1387.50 12,000-14,000 — 1875	आजीवन कर **इंजन की क्षमता (सीसी) — कर (रु.)** 80 — 1,560 80-170 — 3,125 170-250 — 4,685 250 — 6,250

1	2	3		4
		14,000-15,000	2062.50	
		15,000-16,250	2325	
		>16,250	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए 1550 रु. प्रति तिमाही + 37.50 रु. प्रति तिमाही कर का + 50%	
		25,000	4293.75	
		26,400	4631.25	
		31,000	5643.75	
		ट्रैलर		
		आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**कर प्रति तिमाही (रु.)**	
		2,000 तक	437.50	
		2,000-4,000	587.50	
		4,000-6,000	756.25	
		6,000-8,000	981.25	
		8,000-10,000	1337.50	
		10,000-12,000	1862.50	
		12,000-13,000	2218.75	
		13,000-14,000	2481.25	
		14,000-15,000	2743.75	
		>15,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा और 15000 से अधिक के लिए 2743.75 प्रति तिमाही + रु. 50 प्रति तिमाही	

1	2	3		4
		ट्रैक्टर		
		यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	कर प्रति तिमाही (रु.)	
		500	1,600	
		750	1,705	
		1,000	1,810	
		1,250	1,915	
		1,500	2,020	
		1,750	2,125	
		2,000	2,230	
		2,250	2,380	
		2,500	2,530	
		2,750	2,680	
		3,000	2,830	
		3,250	2,980	
		3,500	3,130	
		3,750	3,280	
		4,000	3,430	
		4,250	3,955	
		4,500	4,480	
		5,000	5,005	
		5,250	5,530	
		5,500	6,055	
		5,750	6,580	
		6,000	7,105	
		6,250	7,630	
		6,500	8,155	
		6,750	8,680	
		7,000	9,205	

1	2		3		4	
			7,250	9,730		
			7,500	10,255		
			7,750	10,780		
			8,000	11,305		
			10,000	11,830		
			15,000	16,630		
			20,000	28,630		
			25,000	40,630		
			30,000	52,630		
अंडमान और निकोबार (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	100 रु. प्रति वर्ष		ट्रक और ट्रैक्टर: 150 रु. प्रति वर्ष		25 रु. प्रति वर्ष	
चंडीगढ़ (दुपहिया और कार/जीप 5-2-2011 की स्थिति के अनुसार, शेष 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार हैं)	आधार: बैठने की क्षमता		आधार: यू.एल.डब्ल्यू.		आधार: मोटर वाहन का मूल्य	
	सीट की सं.	**रु. प्रति वर्ष**	**यू.एल.डब्ल्यू. (टन)**	**रु. प्रति वर्ष**	**मोटर वाहन का मूल्य**	**टैक्स**
	30 तक	3,000	तक	337	1 रु. लाख तक	मोटर वाहन की लागत का 3%
	>30	4,200	1-2	660		
			2-3	840		
			3-4	1,200	>1 रु. लाख	मोटर वाहन की लागत का 4%
			>4	1,500		
			ट्रैक्टर: 840 रु. प्रति वर्ष			
दादर और नगर हवेली (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	स्वीकृत कुल दैनिक किमी के 1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष प्रति किमी **अथवा** ऑपरेटर के विकल्प पर 24 रु. प्रति सीट प्रति माह		**ट्रक:** आधार आर.एल.डब्ल्यू. डीजल से भिन्न अन्य ईंधन: 20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. **डीजल:** 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू.		आधार: एक बारगी टैक्स वीसी का 2.5% आयातित वाहनों के लिए 5%	
दमन और दीव (31-3-2011 की	स्वीकृत कुल दैनिक किमी के 1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष		**ट्रक:** आधार: आर.एल.डब्ल्यू. डीजल से भिन्न अन्य ईंधन:		आधार: एक बारगी टैक्स वीसी का का 2.5%	

1	2	3	4
स्थिति के अनुसार)	**अथवा** ऑपरेटर के विकल्प पर 24 रु. प्रति सीट प्रति माह	20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. **डीजल:** 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू.	आयातित वाहनों के लिए 5%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली* (फरवरी 2012)	आधारः बैठने की क्षमता **बैठने की क्षमता कंडक्टर और ड्राइवर को छोड़कर** – **टैक्स रु. प्रति वर्ष** दो से अनधिक 2 – 305 2-4 – 605 4-6 – 1,130 6-18 – 1,915 18 से अधिक – रु. 1,915 + रु. 280 प्रति यात्री प्रति वर्ष	**ट्रकः** **टन** – **कर रु. प्रति वर्ष** 1 तक – 665 1-2 – 940 2-4 – 1,430 4-6 – 1,915 6-8 – 2,375 8-9 – 2,865 9-10 – 3,320 >10 – प्रति अतिरिक्त टन के लिए 3,790 प्रति वर्ष + रु. 470 ट्रेलरः 10 टन के अतिरिक्त + ट्रेलर के 2 टन से कम - रु. 3,790 + 470 रु. प्रति टन + 465 रु. 10 टन के अतिरिक्त के लिए + ट्रेलर के 2 टन से अधिक - रु. 3,790 + 470 रु. प्रति टन + रु. 925	एक बारगी का आधारः वीसी **वीसी (रु.)** – **कर** 25,000 तक – वीसी का 2% 25,000-40,000 – वीसी का 4% 40,000-60,000 – वीसी का 6% >60,000 – वीसी का 8%
पुडुचेरी (1-10-2010 की स्थिति के अनुसार)	स्टेज कैरिज शहरीः रु. 150 प्रति सीट प्रति तिमाही अंतर-राज्यः रु. 260 प्रति सीट प्रति तिमाही अंतर-राज्य साधारणः रु. 360 प्रति सीट प्रति तिमाही अंतर-राज्य एक्सप्रेसः रु. 370	आधार आर.एल.डब्ल्यू. **आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)** – **रु.** 3,000 तक – 2,000 प्रति वर्ष 5,500 – 800 प्रति तिमाही 9,000 – 1,200 प्रति तिमाही	आधारः इंजन क्षमता **इंजन क्षमता (सीसी)** – **टैक्स** 55 तक – शून्य 56-75 – रु. 60 प्रति वर्ष रु. 450

1	2		3		4	
	प्रति सीट प्रति तिमाही		12,000	1,700 प्रति तिमाही		एल.टी.टी.
	कांट्रैक्ट कैरिज:		13,000	2,000 प्रति तिमाही	75-170	रु. 110 प्रति
			15,000	2,200 प्रति तिमाही		वर्ष रु. 850
	व्यक्ति	**रु.**	>15,000	प्रत्येक 1,000 किग्रा		एल.टी.टी.
	6-10	4,500 प्रति वर्ष		के लिए रु. 200	>170	रु. 160 प्रति
	10-13	6,500 प्रति वर्ष	ट्रैक्टर:			वर्ष रु. 1,200
	13-27	325 प्रति सीट प्रति तिमाही	<2,500 किग्रा यू.एल.डब्ल्यू.: रु. 120 प्रति तिमाही			एल.टी.टी.
	>27	375 प्रति सीट प्रति तिमाही	> 2,500 किग्रा यू.एल.डब्ल्यू.: रु. 150 प्रति तिमाही			
	डीलक्स कांट्रैक्ट कैरिज (54 व्यक्ति तक): रु. 900 प्रति सीट प्रति तिमाही					
	साधारण कांट्रैक्ट कैरिज (54 व्यक्ति तक): रु. 450 प्रति सीट प्रति तिमाही					

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार/जीप		टैक्सी/कैब		आटोरिक्शा/तिपहिया	
1	5		6		7	
आन्ध्र प्रदेश मार्च, 2011	एक बारगी टैक्स वीसी का 9%; दूसरे स्थान की स्थिति में 12%		**एक बारगी टैक्स वी.सी. (रु.)**	**टैक्स**	ऑटो (4 सीट): 110 रु. प्रति यान प्रति तिमाही ऑटो (6 सीट): 200 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	
			10 लाख से कम	वी.सी. का 12%		
			>10 लाख	वी.सी. का 14%		
अरुणाचल प्रदेश (मार्च, 2009)	एक बारगी टैक्स (5 वर्ष) 2000 रु.		1,400 रु. प्रति वर्ष		एक बारगी टैक्स 450 रु. प्रत्येक तीन वर्ष	
असम (मार्च, 2011)	आधार: वी.सी.-एक बारगी टैक्स-एल.टी.टी.		6 व्यक्तियों तक: एक शहर या या क्षेत्र: 4,000 रु. प्रति वर्ष 1,000 प्रति तिमाही, 6 व्यक्तियों तक संपूर्ण राज्य: 6,500 रु. प्रति तिमाही		एक बारगी टैक्स गैर परिवहन 6,000 रु. आधार: यात्री वाहक क्षमता:	
	वी.सी. (लाख रु.)	**मूल लागत का %**			**व्यक्ति**	**टैक्स**
	4 तक	4			3 तक	1,500 रु. प्रति वर्ष 400 रु प्रति तिमाही
	4-6	5				
	6-12	6				

1	5	6	7
	12-15 6.5 15-20 7 >20 8 पुराने यानों को अन्य राज्यों से अंतरित किए जाने पर असम में पंजीकृत कराना अपेक्षित होता है। मूल्यह्रास का आकलन उसी श्रेणी के यानों के लिए देय कर के अनुसार चालू लागत मूल्य पर प्रति वर्ष रूप से किया जाना है। **आयु के वर्ष** **दर @ (%)** 5 तक 7 5-10 10 >10 12		4-7 3,000 रु. प्रति वर्ष 800 रु. प्रति तिमाही
बिहार (मार्च, 2011)	कुल लागत का 3% 15 वर्ष की आवधिकता	केब (7 सीट तक): 7,500 रु. 10 वर्ष के लिए। 7,500 रु. अगले 5 वर्ष के लिए	यात्री और माल: 5,000 रु. 10 वर्ष 10 वर्ष के बाद, 5,000 रु. अगले 5 वर्ष के लिए
छत्तीसगढ़ (मार्च, 2011)	**एल.टी.टी. (बी.सी. रु. लाख)** **वीसी का %** 5 तक 5 >5 6	साधारण: 150 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष संपूर्ण भारत: 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: एल.टी.टी. वीसी का 2% (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेकर वाहन खरीदे गए और राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्तें और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले) एल.टी.टी. @ वीसी का 5% (जहां वाहनों को अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया और उनका स्वामित्व)

1	5	6	7
			माल: **बी.सी. (रु. लाख)** — **बी.सी. का %** 2.5 तक — 12 >5 — 10
गोवा (मार्च, 2011)	**कार:** **सीट की सं.** — **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 3 तक — 300 4 तक — 350 5 तक — 400 जीप: 900 रु. प्रति वर्ष	ऑल इंडिया परमिट नॉन ए.सी.: 125 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष ऑल इंडिया परमिट ए.सी.: रु. 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: 155 रु. प्रति वर्ष माल: 800 रु. प्रति वर्ष
गुजरात (मार्च, 2011)	बिक्री मूल्य का 6%	बिक्री मूल्य का 6% मैक्सी/कैब: **बैठने की क्षमता** — **बिक्री मूल्य (%)** 7-12 — 12	**बैठने की क्षमता** — **टैक्स (बिक्री मूल्य का %)** 3 तक — 2.5 3-6 — 6
हरियाणा* (मार्च, 2009) दुपहिया वाहनों और कार संबंधी मोटर यान कराधान वही है जो जनवरी, 2011 में था।	आधार: कार का मूल्य एल.टी.टी. **वी.वी. (लाख रु.)** — **कर (वी.वी. का %)** 5 तक — 2 5-10 — 4 10-20 — 6 >20 — 8	मोटर-कैब: 100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष मैक्सी-कैब: 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	
हिमाचल प्रदेश (मार्च, 2011)	15 वर्ष के लिए एल.टी.टी. आधार: इंजन क्षमता कार और जीप: **इंजन क्षमता (सी.सी.)** — **वी.सी. का %** 1,000 तक — 2.5 1,000 से अधिक — 3	350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष माल: 1,500 रु. प्रति वर्ष

1	5	6	7
	वाणिज्यिक पिक-अप जीप 1,500 रु. प्रति वर्ष		
जम्मू और कश्मीर (मार्च 2011)	600 रु. प्रति वर्ष	250 रु. प्रति तिमाही	आधार: बैठने की क्षमता यात्री 250 रु. प्रति तिमाही माल: 400 रु. प्रति तिमाही
झारखंड (मार्च, 2011)	आधार: बैठने की क्षमता 5 व्यक्तियों के लिए 616 रु. + 5 से ज्याता प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 रु.	आधार: बैठने की क्षमता रु. 5 व्यक्तियों के लिए 616 रु. + 5 से ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 रु.	यात्री: 352 रु. अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 प्रति वर्ष माल: 253 रु. प्रति वर्ष + 500 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 29 रु.
कर्नाटक (मार्च, 2010)	**एक बारगी टैक्स** **वीसी (लाख रु.)** — **टैक्स (%)** 5 तक — 13 5-10 — 14 10-20 — 17 >20 — 18 बिजली पर चलने वाले यान: 4% वीसी	5 यात्री तक: 100 रु. प्रति तिमाही मीटर टैक्सी: 60 रु. प्रति तिमाही मोटर कैब और मैक्सी कैब को 6 यात्री ले जाने की अनुमति: 750 रु. प्रति तिमाही	**यात्री**: 2,500 रु. (एक बारगी टैक्स) **माल**: जी.वी.डब्ल्यू. 1,500 किग्रा: 2,500 रु. तक
केरल (मार्च, 2009)	15 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स मूल्य 6% पुरानी मोटर कार **यू.एल.डब्ल्यू.** — **टैक्स** 750 से कम — 2,320 (2 वर्ष के लिए) 750-1,500 — 3,440 (2 वर्ष के लिए)	पैट्रोल यान: 980 रु. प्रति वर्ष डीजल यान: 1,040 रु. प्रति वर्ष मैक्सी कैब (उठाकर 7-12 प्रति यात्री) - 310 रु. प्रति तिमाही प्रति यात्री	यात्री: **यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)** — **टैक्स** 750-1,500 — 3,440 (2 वर्ष के लिए) >1,500 — 4,240 (2 वर्ष के लिए) उठाने की क्षमता 2 तक प्रति यात्री: 240 रु. प्रति वर्ष 3 यात्री 480 रु. प्रति वर्ष माल: 880 रु. प्रति वर्ष
मध्य प्रदेश* (मार्च, 2011)	आधार: यू.एल.डब्ल्यू. **यू.एल.डब्ल्यू (किग्रा)** — **रुपए प्रति तिमाही**	आधार: बैठने की क्षमता क्षमता **बैठने की क्षमता** — **रुपए प्रति सीट**	यात्री **बैठने की क्षमता** — **रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही**

1	5		6		7	
	800 तक	64		**प्रति तिमाही**	3 तक + 1	40
	800-1,600	94	3 से 6 + 1	150	4-6	60
	1,600-2,400	112	7 से 12 + 1	450		
	2,400-3,200	132				
	>3,200	150				
महाराष्ट्र (मार्च, 2011)·	**वीसी (लाख रु.)**	**टैक्स**	टैक्सी कैब और कूल कैब: वाहनों की संबंधित श्रेणी के लिए अदा किए जाने वाले टैक्स वार्षिक दर का 11 गुना।		वाहनों की संबंधित श्रेणी के लिए अदा किए जाने वाले टैक्स वार्षिक दर का 11 गुना।	
	10 तक	वी.सी. का 7%				
	10-20	वी.सी. का 8%				
	>2-0	वी.सी. का 9%				
			बिना मीटर वाली टैक्सी कैब			
			सीट	**टैक्स**		
			5	550 प्रति वर्ष		
			6	650 प्रति वर्ष		
			7	642 पी.पी.		
			8	562 पी.पी.		
			9	500 रु.		
			10	450 रु.		
			11	409 रु.		
			12	375 रु.		
			टूरिस्ट टैक्सी नॉन-ए.सी.: 1,000 रु. पी.पी.पी.ए. लक्जरी कैब: 4,000 रु. ए.सी. टूरिस्ट टैक्स: 2,000 रु. पी.पी.पी.ए. टूरिस्ट टैक्स बिना ए.सी.: 3,000 रु. पी.पी.पी.ए.			
मणिपुर (मार्च, 2006)	पेट्रोल कार: 320 रु. प्रति वर्ष डीजल कार: 400 रु. प्रति वर्ष		400 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. प्रति यात्री टैक्स प्रति वर्ष		**यात्री:** डीजल यान: 350 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. यात्री टैक्स के रूप में **पेट्रोल यान:** 200 रु. प्रति वर्ष + 300 रु. यात्री टैक्स के रूप में	

1	5	6	7
			माल: डीजल वाहन: 300 रु. प्रति वर्ष + 500 रु. माल टैक्स के रूप में प्रति वर्ष **पेट्रोल यान:** 200 रु. प्रति वर्ष + 500 रु. माल टैक्स के रूप में प्रति वर्ष
मेघालय* (मार्च 2011)	10 वर्ष के लिए एक बारगी कर 3,000 रु. 3 लाख रु. तक के लिए मूल लागत मूल्य - मूल्य लागत का 2% 10 वर्ष के लिए एक बारगी कर 4,500 रु. 3 लाख रु. से अधिक और 15 लाख रु. तक मूल लागत-मूल लागत का 2.5 प्रतिशत	1,950 रु. प्रति वर्ष	**यात्री:** 1,350 रु. प्रति वर्ष **माल:** 1,125 रु. प्रति वर्ष, 1 मीट्रिक टन की दर पर
मिजोरम (मार्च, 2011)	500 रु. प्रति वर्ष	700 रु. प्रति वर्ष + 600 रु. यात्री टैक्स	**यात्री:** 250 रु. प्रति वर्ष + 400 रु. यात्री टैक्स **माल:** 350 रु. प्रति वर्ष + 400 रु. माल टैक्से
नागालैंड (मार्च, 2011)	एक बारगी टैक्स 15 वर्ष के लिए मूल मूल्य का 5%	स्थानीय: 600 रु. प्रति वर्ष + 1,000 रु. यात्री टैक्स जोनल: 800 रु. प्रति वर्ष + 1,000 रु. यात्री टैक्स स्थानीय मैक्सी कैब: 4,000 रु. प्रति वर्ष + 1,250 रु. यात्री टैक्स ए.आई.आई.टी.ई. मैक्सी कैब: 6,000 रु. प्रति वर्ष + 1,500 रु. यात्री टैक्स	**यात्री:** 300 रु. प्रति वर्ष + 750 रु. यात्री टैक्स
ओडिशा (मार्च, 2011)	वाहन मूल्य का 5% लागू	लागू नहीं	लागू नहीं

1	5	6	7
पंजाब (मार्च, 2007)	मोटर वाहन के मूल्य का 2%	कांट्रैक्ट कैरिज: मैक्सी और मोटर कैब: 750 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट: मैक्सी कैब: रु. 600 प्रति दिन मोटर कैब: 300 रु. प्रति दिन टूरिस्ट परमिट यान: मैक्सी और मोटर कैब: **एसी/नॉन-ए.सी.** — **टैक्स (रु. प्रति सीट प्रति वर्ष)** नॉन-ए.सी. — 750 ए.सी. — 500	**यात्री**: 400 रु. पी.एस.सी.ए.
राजस्थान (मार्च, 2011)	आधार: बैठने की क्षमता तक 10 (चालक सहित) **वीसी (लाख रु.)** — **टैक्स** <2.5 — वी.सी. का 2.5% 2.5-6 — वी.सी. का 5% 6-10 — वी.सी. का 8% >10 — वी.सी. का 10% उपर्युक्त वाहनों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर अथवा साइड कार: वाहन जिससे ट्रेलर जुड़ा हुआ है, की लागत का 0.3%	मोटर/मैक्सी कैब आधार: बैठने की क्षमता **व्यक्ति** — **टैक्स** 6 तक — वी.सी. का 10% 6-12 i. चेसिस के रूप में खरीदा गया — चेसिस की लागत का 20% ii. संपूर्ण बॉडी के साथ खरीदा गया — वी.सी. का 15%	आधार: वी.सी. और चेसिस मूल्य **लागत (लाख रु.)** — **टैक्स दर (%)** वी.सी. 1.5 तक — 3% ऑफ वी.सी. वी.सी.> 1.5 — वी.सी. का 4% सी.ओ.सी. 1.5 तक — सी.ओ.सी. का 3.75% सी.ओ.सी. >1.5 — सी.ओसी. का 5% वाहन/चेसिस और एस.सी. की खरीद के मूल्य पर आधारित सड़क कर एक बारगी कर एस.सी. (3): 8% सी.ओ.वी. अधिकतम 3,000 रु. के अध्यधीन एस.सी. (4): 9% सी.ओ.वी. अधिकतम 6,000 रु. के अध्यधीन एस.सी. (45): 10% सी.ओ.वी. अधिकतम 8,000 रु. के अध्यधीन
सिक्किम* (सितम्बर 2011	आधार: इंजन की क्षमता	आधार: बैठने की क्षमता	आधार: बैठने की क्षमता 300 रु. प्रति वर्ष

1	5	6	7
	इंजन की क्षमता (सी.सी.) — **कर रु. प्रति वर्ष** 900 तक — 1,500 900-1,490 — 1,800 1,490-2,000 — 3,000 >2000 — 4,5000	**व्यक्ति** — **कर रु. प्रति वर्ष** 4 तक — 700 >4 — 900	
तमिलनाडु (मार्च 2011)	कार एवं जीप: एक बारगी टैक्स **मूल्य (लाख रु.)** — **टैक्स** 10 तक — मूल्य का 10% >10 — मूल्य का 15%	टैक्सी: 5 वर्ष के लिए 4,000 रु. टूरिस्ट टैक्स: 5 वर्ष के लिए 6,500 रु.	यात्री: 1,400 रु. **माल:** **आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)** — **रु.** 3,000 — 19,200 एलटी 3,001-5,500 — 950 प्रति तिमाही 5,501-9,000 — 1,500 प्रति तिमाही 9,001-12,000 — 1,900 प्रति तिमाही 12,001-13,000 — 2,100 प्रति तिमाही 13,001-15,000 — 2,500 प्रति तिमाही
त्रिपुरा* (मार्च 2011)	कार: रु. 275 प्रति वर्ष जीप: रु. 560 प्रति वर्ष	रु. 440 प्रति वर्ष	यात्री: रु. 150 प्रति वर्ष माल रु. 105 प्रति वर्ष
उत्तराखंड (मार्च, 2011)	एक बारगी टैक्स का मूल्य 2-5%	आधार: बैठने की क्षमता **सीट** — **टैक्स रु. प्रति तिमाही** 6 तक — 230 + यात्री टैक्स 85 रु. प्रति सीट प्रति	यात्री: **सीट** — **टैक्स रु. प्रति तिमाही** 3 तक — 95 + 30 यात्री टैक्स 4-6 — 185 + 30 यात्री

1	5	6	7
		माह	टैक्स
		7-12 350 + यात्री टैक्स 125 रु. प्रति सीट प्रति माह	**माल:** एक क्षेत्र के लिए प्रति एम.टी. 70 रु. + प्रति एम.टी. अथवा इसके भाग के लिए 210 रु. और मैदानी मार्गों के लिए प्रति एम.टी. 85 रु। एक क्षेत्र से अधिक के लिए प्रति एम.टी. 85 रु. + प्रति एम.टी. अथवा इसके भाग के लिए 210 रु. और मैदानी मार्गों के लिए प्रति एम.टी. 85 रु.।
उत्तर प्रदेश (मार्च, 2011)	कार: एक बारगी टैक्स वी.सी. का 7% जीप एक बारगी टैक्स वी.सी. का 7% 2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	660 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही अथवा 2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: 600 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष एक बारगी टैक्स 5400 रु. प्रति सीट माल टैक्स: प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 850 रु. एक बारगी टैक्स प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए 7000 रु.
पश्चिम बंगाल* (मार्च, 2011)	5 वर्ष के लिए एक बारगी कर **इंजन की क्षमता (सी.सी.)** — **कर (रु.)** 900 तक — 10,550 (+4,000 रु. विशेष कर) 900-1,490 — 13,900 (7,500 रु. का विशेष कर) 1,490-2,000 — 21,800 (+10,000 रु. का विशेष कर) 2,000-2,500 — 28,000 (+12,500 रु.	5 सीट तक के लिए 1600 रु. प्रति वर्ष	यात्री: 4 सीट तक के लिए 660 रु. प्रति वर्ष माल: 2000 जी.वी.डब्ल्यू. तक के लिए 600 रु. प्रति वर्ष

1	5	6	7
	का विशेष कर) >2,500 — 30,000 (+15,000 रु. का विशेष कर)		
अंडमान और निकोबार (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	60 रु. प्रति वर्ष	75 रु. प्रति वर्ष	60 रु. प्रति वर्ष
चंडीगढ़ (दुपहिया और कार/जीप 5-2-2011 की स्थिति के अनुसार, शेष 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार है)	आधार: मोटर वाहन की लागत **मोटर वाहन का मूल्य** — **टैक्स** 6 रु. लाख तक — मोटर वाहन के मूल्य का 2% 6-20 रु. लाख तक — मोटर वाहन के मूल्य का 3% >20 रु. लाख — मोटर वाहन के मूल्य का 4%	100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	320 रु. प्रति वर्ष
दादरा और नगर हवेली (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	डीजल यान के अलावा: वी.सी. का 2.5% आयातित वाहनों के लिए डीजल यान: एक बारगी टैक्स **वीसी (लाख रु.)** — **टैक्स दर** — **आयातित वाहनों के लिए कर दर** तक 10 — 2.5% ऑफ वी.सी. — 5% >10 — 3% ऑफ वी.सी. — 6%	आधार: बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक	यात्री: आधार: बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक माल: डीजल से भिन्न अन्य ईंधन: 20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल. डब्ल्यू. डीजल: 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू.

1	5	6	7
			माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा तक 37.50 रु. माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा से अधिक के लिए 60.00 रु.
दमन और दीव (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	ड़ीजल यान के अलावा: वी.सी. का 2.5% आयातित वाहनों के लिए 5% डीजल यान: एक बारगी टैक्स **वी.सी. (लाख रु.)** ; **टैक्स दर** ; **आयातित वाहनों के लिए कर दर** 10 तक ; वीसी का 2.5% ; 5% >10 ; वीसी का 3% ; 6%	आधार: बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक	यात्री:आधार बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक माल: डीजल से भिन्न अन्य ईंधन: 20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. डीजल: 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा. तक 37.50 रु. माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा. से अधिक के लिए 60.00 रु.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली* (फरवरी 2012)	एक बारगी कर आधार: वी.सी. **वी.सी. (लाख रु.)** ; **कर** 6 तक ; वी.सी. का 4% 6-10 ; वी.सी. का 7% >10 ; वी.सी. का 10%	उपलब्ध नहीं	
पुडुचेरी (1-10-2010 की	आधार: यू.एल.डब्ल्यू.		उपलब्ध नहीं

1	5	6	7
स्थिति के अनुसार)	**यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा.)**	**टैक्स (रु.)**	
	तक 700	रु. 550 प्रति वर्ष	
		रु. 4,800 एल.टी.टी.	
	700-1,500	रु. 710 प्रति वर्ष	
		रु. 6,000 एल.टी.टी.	
	1,500-2,000	रु. 910 प्रति वर्ष	
		रु. 8,000 एल.टी.टी.	
	2,000-3,000	रु. 940 प्रति वर्ष	
		रु. 8,000 एल.टी.टी.	
	>3,000	रु. 960 प्रति वर्ष	
		रु. 8,000 एल.टी.टी.	

*संशोधित दरें जो कि संबंधित राज्यों के परिवहन विभागों तथा परिवहन विभागों की वेबसाइटों से प्राप्त हुई हैं।

संक्षिप्त अक्षर:

पी.ए.: प्रति वर्ष	एल.टी.टी.: आजीवन टैक्स	एल.डब्ल्यू.: लदान भार	ओ.टी.टी.: एक बारगी कर
आर.एल.डब्ल्यू.: पंजीकृत लदान भार	पी.क्यू.: प्रति तिमाही	पी.एस.: प्रति सीट	पी.एम: प्रति माह
सी.ओ.सी.: चेसिस की लागत	यू.एल.डब्ल्यू.: लदान रहित भार	वी.सी.: वाहन लागत	पी.पी.: प्रति यात्री
वी.वी.: यान मूल्य	डी.वी.डब्ल्यू.: माल यान भार	आर.टी: सड़क कर	एस.आर.टी.: विशेष सड़क कर

[अनुवाद]

प्रवासी पक्षियों का संरक्षण

*79. **श्रीमती मेनका गांधी:**

श्री गोपाल सिंह शेखावत:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पक्षी-विहारों और अन्य स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं;

(ख) क्या देश में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है और यदि हां, तो ऐसी पक्षी प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पक्षी विशिष्ट अध्ययन करने हेतु विशिष्टता प्राप्त संस्थाओं को कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन्हें दी गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने और उनका संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) प्रवासी पक्षी देश के अधिकांश भागों में आते हैं और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं। तथापि, देश में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें नमभूमियां और वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित क्षेत्र हैं, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) भारत में प्रवासी पक्षियों की लगभग 370 प्रजातियों की सूचना है। इनमें से, 175 प्रजातियां मध्य एशियाई उड़ान

मार्ग (सी.ए.एफ.) क्षेत्र का प्रयोग करके लम्बी दूरियां तय करती हैं जिनमें मध्य साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य एशियाई गणराज्य, ईरान तथा अफगानिस्तान, खाड़ी के देश तथा ओमान और भारतीय उप-महाद्वीप शामिल है। केन्द्र/राज्य सरकारों, वन विभागों द्वारा निधियन प्राप्त चुनिंदा वैज्ञानिक संस्थानों और नमभूमि एवं प्रवासी पक्षियों हेतु कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भारत में लम्बी दूरी तय करने वाले इन प्रवासी पक्षियों की स्थिति की निगरानी की जा रही है। 'वेटलैंड्स इन्टरनेशनल' द्वारा समन्वित नवीनतम 'एशियाई जलीय पक्षी गणना' के अनुसार, इस क्षेत्र में संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों की संख्या कम हो रही है अथवा स्थिर है।

सी.ए.एफ. कार्य योजना में डाइवर्स, ग्रेब्स, पेलिकन, कॉर्मोरेन्ट, हेरॉन, स्टॉर्क, इबिसेस, फ्लेमिंगो, एनाटिड, क्रेन, रेल, सनग्रेब, जकाना, क्रैबप्लोवर, ऑयस्टरकैचर, इबिस बिल, स्टिल्ट तथा एवोसेट, प्रेटिनको, प्लोवर, स्कोलोपेसिड, गल तथा टर्न की 175 प्रजातियां शामिल हैं जिनमें से इजिप्शियन वल्चर (न्योफ्रॉन परक्रोपटेरस), बाएर्स पोचार्ड (अथेया बायरी), येलो ब्रेस्टेड बन्टिंग (एम्बिरल ऑरियोला), व्हाइट टेल्ड ईगल (हलियासीटस अलबिसिला), इम्पेरियल ईगल (अकीला हेलिकल), मार्बल्ड टील (मारमोरोनेटा अंगुस्टिरोस्टरिस), फेरोगिनस पोचार्ड (आइथाइया नाइरोका), डालमेशियन पेलिकन (पेलिकैनस क्रिसपस), सोशिएबल प्लोवर (वेनेलस ग्रेगारियस), स्पूनबिल सैन्डपाइपर (यूरिनोहिन्कस पिगमियस), बेकाल टील (अनस फॉर्मोसा), नोर्डमैन्स ग्रीनशैंक (ट्रिंगा गटीफर), सोशिएबल लैपविंग (वनेलस ग्रेगारियस), व्हाइट हेडेड डक (ऑक्सियूरा ल्यूकोसेफाला), पालस फिशिंग ईगल (हेलियाईटस ल्यूकोराइफस) भारत के संकटग्रस्त प्रवासी पक्षी हैं जो प्रवासी प्रजातियों संबंधी कन्वेंशन (सी.एम.एस.) के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध हैं। नॉर्डमैन्स ग्रीनशैन्क को छोड़कर, अन्य सभी प्रजातियों में भारत सहित एशिया में कमी पाई गई है।

(ग) और (घ) महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों तथा उनके पर्यावास की संख्या की निगरानी करने के लिए विभिन्न अध्ययन हेतु भारत सरकार द्वारा विशिष्ट संस्थाओं जैसे सालिम अली सेन्टर फॉर आर्निथोलोजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एस.ए.सी.ओ.एन.), वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यू.आई.आई.) बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बी.एन.एच.एस.), आदि को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत में महत्वपूर्ण पक्षी विशिष्ट अध्ययनों हेतु भारत सरकार द्वारा विशिष्ट संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, आदि को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) भारत में प्रवासी पक्षियों को संरक्षित तथा आकर्षित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

(i) प्रवासी पक्षियों सहित दुर्लभ एवं संकटापन्न पक्षियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल करके उन्हें उच्चतम संरक्षण दिया गया है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में कठोर दंड की व्यवस्था की गई है।

(iii) पक्षियों तथा उनके पर्यावासों के बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(iv) संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(v) वन्यजीव तथा उनके अंगों एवं उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(vi) भारत, रामसर कन्वेंशन (नवभूमि संबंधी कन्वेंशन) का एक अनुबंध पक्षकार है और भारत में 25 नमभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(vii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में नमभूमियों के बेहतर संरक्षण हेतु नमभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 अधिसूचित किए हैं।

विवरण-I

संरक्षित क्षेत्र और नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचानी गई नमभूमियां जहां प्रवासी पक्षी आए हैं।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.सं.	नमभूमि का नाम	जैसी पहचान की गई है
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	कोल्लेरु	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
2.	असम	2.	दीपार बील	नमभूमि
		3.	उरपद बील	नमभूमि
3.	बिहार	4.	काबर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		5.	बरिल्ला	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		6.	कुशेश्वर स्थान	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
4.	गुजरात	7.	नलसरोवर	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		8.	ग्रेट रन्न ऑफ कच्छ	नमभूमि और राष्ट्रीय उद्यान
		9.	थोल बर्ड सेंचुरी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		10.	खिजादिया बर्ड सेंचुरी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		11.	लिटिल रन्न ऑफ कच्छ	नमभूमि और राष्ट्रीय उद्यान
		12.	पारीज	नमभूमि
		13.	वाधवना	नमभूमि
		14.	नानीकाकराड़	नमभूमि
5.	हरियाणा	15.	सुल्तानपुर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		16.	भिंडवास	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
6.	हिमाचल प्रदेश	17.	रेनुका	नमभूमि
		18.	पांग डेम	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		19.	चन्द्रतल	नमभूमि

1	2	3	4	5
		20.	रेवालसर	नमभूमि
		21.	खज्जीयार	नमभूमि
7.	जम्मू और कश्मीर	22.	वुल्लर	नमभूमि
		23.	सो मोरारी	नमभूमि
		24.	तिसगुल सो एंड चिसुल मारशेज	नमभूमि
		25.	होकरसर	नमभूमि
		26.	मन्सर-सुरीनसर	नमभूमि
		27.	रंजीतसागर	नमभूमि
		28.	पांगोंग सर	नमभूमि
8.	झारखंड	29.	उधवा	नमभूमि
		30.	तिलइया डैम	नमभूमि
9.	कर्नाटक	31.	मग्धी	नमभूमि
		32.	गुदावी बर्ड सेंचुरी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		33.	बोनल	नमभूमि
		34.	हीदकल एंड घाटप्रभा	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		35.	हिग्गेरी	नमभूमि
		36.	रंगनथीट्टू	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		37.	के.जी. कोप्पा वेटलेंड	नमभूमि
10.	केरल	38.	अष्टामुदी	नमभूमि
		39.	सस्थामकोट्टा	नमभूमि
		40.	कोट्टूली	नमभूमि
		41.	कडुलांदी	नमभूमि
		42.	वेम्बनद कोल	नमभूमि
11.	मध्य प्रदेश	43.	बरना	नमभूमि
		44.	यशवंत सागर	नमभूमि

1	2	3	4	5
		45.	वेटलेंड ऑफ केन रीवर	नमभूमि
		46.	नेशनल चम्बल सेंचुरी	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		47.	घाटीगांव	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		48.	रतापानी	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		49.	देनवा तवा वैटलैंड	नमभूमि और बाघ रिजर्व
		50.	कान्हा टाइगर रिजर्व	नमभूमि और बाघ रिजर्व
		51.	पेंच टाइगर रिजर्व	नमभूमि और बाघ रिजर्व
		52.	सख्यासागर	नमभूमि
		53.	दीहेला	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		54.	गोविंदसागर	नमभूमि
12.	महाराष्ट्र	55.	उज्जनी	नमभूमि
		56.	जयाकावड़ी	नमभूमि
		57.	नलगंगा वैटलैंड	नमभूमि
13.	मणिपुर	58.	लोकटक	नमभूमि
14.	मिजोरम	59.	तामदिल	नमभूमि
		60.	पलक	नमभूमि
15.	ओडिशा	61.	चिल्का	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		62.	कुआंरिया वैटलैंड	नमभूमि
		63.	कंजिया वैटलैंड	नमभूमि और राष्ट्रीय उद्यान
		64.	दाहा वैटलैंड	नमभूमि
16.	पंजाब	65.	हरिके	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
		66.	रोपड़	नमभूमि
		67.	कांजली	नमभूमि
17.	राजस्थान	68.	सांभर	नमभूमि

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	69.	खेचुपेड़ी होली लेक	नमभूमि
		70.	तामजे वैटलैंड	नमभूमि
		71.	तेम्बो वैटलैंड कॉम्पलेक्स	नमभूमि
		72.	फेनडेंग वैटलैंड कॉम्पलेक्स	नमभूमि
		73.	गुरुदोकमर वैटलैंड	नमभूमि
		74.	सोमगो वैटलैंड	नमभूमि
19.	तमिलनाडु	75.	प्वाइंट कैलीमर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		76.	कलीवेली	नमभूमि
		77.	पल्लाइकरनी	नमभूमि
20.	त्रिपुरा	78.	रुद्रसागर	नमभूमि
21.	उत्तर प्रदेश	79.	नवाबगंज	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		80.	सांदी	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		81.	लख बाहोशी	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		82.	समसपुर	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		83.	अल्वरा वैटलैंड	नमभूमि
		84.	सेमारई लेक-नगारिया लेक कॉम्पलेक्स	नमभूमि
		85.	कीथम लेक	नमभूमि और वन्यजीव अभयारण्य
		86.	शेखा वैटलैंड	नमभूमि
		87.	समन बर्ड सेंचुरी एंड सरसाई नवार कॉम्पलेक्स	नमभूमि और पक्षी अभयारण्य
22.	उत्तरांचल	88.	बन गंगा झिलमिल ताल	नमभूमि
23.	पश्चिम बंगाल	89.	इस्ट कलकत्ता वैटलैंड	नमभूमि
		90.	सुन्दरबन्स	नमभूमि और जैव मंडल रिजर्व
		91.	अहीरोन बील	नमभूमि

1	2	3	4	5
		92.	रसिक बील	नमभूमि
		93.	संतरागाची	नमभूमि
24.	संघ राज्य क्षेत्र (चण्डीगढ़)	94.	सुखना	नमभूमि

मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संकलित पक्षी अभयारण्य जिनमें प्रवासी पक्षी आए हैं।

अंडमान

क्र.सं.	नाम	जिला	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4
1.	बत्तीमालवे	निकोबार	2.23
2.	महात्मा गांधी मरीन एन.पी.	अंडमान	281.5
3.	मेगापोडे	निकोबार	0.12
4.	नारकोंडुम	निकोबार	6.812
5.	नार्थ रीफ	निकोबार	3.484
6.	माउंट हरीत एन.पी.	अंडमान	46.62
7.	रानी झांसी एन.पी.	अंडमान	256.14
8.	सैडल पीक एन.पी.	अंडमान	32.54
9.	लैंडफाल आइसलैंड डब्ल्यू.एल.एस.	अंडमान	29.48
10.	इंटरव्यु आइसलैंड डब्ल्यू.एल.एस.	अंडमान	133.87
11.	साउथ सेन्टीनेल सेंचुरी	अंडमान	48.61
12.	तिलांगचौंग डब्ल्यू.एल.एस.	अंडमान	16.83
आन्ध्र प्रदेश			
1.	कोरिंगा	ईस्ट गोदावरी	235.7
2.	कोल्लेरु	वेस्ट गोदावरी	673.00

1	2	3	4
3.	मंजीरा	मेडक	20.00
4.	नेल्लापट्टू	नेल्लौर	4.59
5.	पुलीकैट	नेल्लौर	600.00
6.	रोल्लापाडु	कुरनूल/प्रकाशमल	614.19
7.	श्री लंकामल्लेश्वरा	कुददपाह	464.42
8.	तेलीनीलापुरम	श्रीकाकुलम	4.6
अरुणाचल प्रदेश			
1.	इगल्स नेस्ट	वेस्ट कमांग	217.00
2.	सीसा आर्चिड सेंचुरी	वेस्ट कमांग	100.00
3.	काने डब्ल्यू.एल.एस.	वेस्ट सियांग	55.00
असम			
1.	बरोडेबुम बीलमुख	लक्ष्मीपुर/दीमाजी	11.248
2.	दीपर बील	कामरुप	4.14
3.	पानीदीहिंग	शिवसागर	33.93
4.	भेरजन-बोरजन-पोदुमोनी डब्ल्यू.एल.एस.	तिनसुकिया	7.74
5.	चक्रशिला डब्ल्यू.एल.एस.	धुबरी और कोकराझार	53.00
बिहार			
1.	बरेला झील पक्षी अभयारण्य		1.95
2.	कन्वर झील	बेगुसराय	63.11
3.	नागी बांध	मुंगेर	1.91
4.	नकटी बांध	मुंगेर	3.32
5.	उदयपुर	चम्पारन	8.87
6.	विक्रमशिला	भागलपुर	0.5
चण्डीगढ़			
1.	चण्डीगढ़ सिटी बर्ड	चण्डीगढ़	0.029

1	2	3	4
गोवा			
1.	चोराओ (डॉ. सालिम अली)	गोवा	1.78
गुजरात			
1.	गागा (जी.आई.बी.)	जामनगर	3.33
2.	खिजाड़िया	जामनगर	6.05
3.	कच्छ बस्टर्ड	कच्छ	2.03
4.	मेरीन एन.पी.	जामनगर	162.89
5.	मेरीन डब्ल्यू.एल.एस.	जामनगर	457.93
6.	नलसरोवर	अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर	120.82
7.	रतनमहल	पंच-महल	55.65
8.	थोल	मेहसाना	6.99
9.	बेलवादर ब्लैक बक अभ्यारण्य	भावनगर	34.08
10.	लाला बस्टर्ड डब्ल्यू.एल.एस.	कच्छ	500.00
हरियाणा			
1.	भिंडबास	रोहतक	4.12
2.	सुल्तानपुर	गुडगांव	1.43
हिमाचल प्रदेश			
1.	बांदली	मंडी	41.32
2.	पोंग डेम लेक	कांगड़ा	307.29
3.	रेणुका	सिरमौर	4.02
4.	चुरधार डब्ल्यू.एल.एस.	सिरमौर	56.15
5.	गोबिंद सागर	बिलासपुर	223.34
जम्मू और कश्मीर			
1.	बलतल (थाजवास)	श्रीनगर	203.00

1	2	3	4
2.	होकरसर	श्रीनगर	10.00
3.	ओवरा-अरु	अनंतनाग	32.00
4.	सुरीनसार मानसर	जम्मू	39.13
झारखंड			
1.	उधवा	साहबगंज	5.65
कर्नाटक			
1.	अडीचुनचुनागिरी	मंडी	0.84
2.	अरबिथिट्टु	मैसूर	13.5
3.	अत्तीवेरी	उत्तर कनाडा और धारवाड़	2.226
4.	घटाप्रभा	बेलगम	29.78
5.	गुदावी	शिमोगा	0.73
6.	रनेबेनूर	धारवाड़	119
7.	रंगानथिटू	मैसूर	0.67
8.	तालकवेरी	कोडगू	105.59
केरल			
1.	थटक्कड	इडुकी	25.16
2.	चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य	त्रिचूर	90.00
3.	चुलननूर मोर अभयारण्य		
मध्य प्रदेश			
1.	गांधी सागर	मंदसौर	368.62
2.	घाटीगांव ग्रेट इंडियन बस्टार्ड	ग्वालियर	512.33
3.	करेरा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड	शिवपुरी	202.21
4.	केन घड़ियाल	पन्ना छत्तरपुर	45.2
महाराष्ट्र			
1.	ग्रेट इंडियन बस्टार्ड (ननग)	सोलापुर/अहमदनगर	8496.44

1	2	3	4
2.	करनाला	रायगढ़	4.48
3.	कोयना	सतारा	423.55
4.	नईगांव मयूर डब्ल्यू.एल.एस.		29.89
मणिपुर			
1.	कीबुल लम्जो	इम्फाल/बिशनपुर	40
ओडिशा			
1.	चिल्का (नालबन)	पुरी	15.53
2.	भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य	केन्द्रपाड़ा	672.00
3.	भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क	केन्द्रपाड़ा	145.00
4.	गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी	केन्द्रपाड़ा	1,435.00
पंजाब			
1.	हरिके झील	फिरोजपुर	86
राजस्थान			
1.	डेजर्ट नेशनल पार्क	जैसलमेर	3162
2.	केवलादेव राष्ट्रीय पार्क	भरतपुर	28.73
3.	जवाहर सागर	कोटा	153.41
तमिलनाडु			
1.	चितरांगुडी	रामनाथपुरम	0.47
2.	गल्फ आफ मन्नार मेरीन	तूतीकोरिन एंड रामनाथनपुर	6.23
3.	कांजीरंकुलम	चेंगई अन्ना	1.04
4.	करीकिली	चेंगलपट्टू	0.61
5.	कूनठंकुलम/कंदनकुलम पक्षी	तिरुनेलवेली	1.29
6.	मेलासनुवंनूर-किलासेल्वनूर पक्षी	रामनाथपुरम	5.93
7.	प्वाइंट केलीमर	नागापट्टीनम	17.26

1	2	3	4
8.	पुलीकट पक्षी	तिरुवेल्लौर	153.67
9.	उदयमारथंडपुरम पक्षी बी326	तिरुवरुर	0.45
10.	वदूवूर	तिरुवरुर	1.28
11.	वेदनथंगल पक्षी	चेंगलपट्टु	0.3
12.	वेल्लोद पक्षी डब्ल्यू.एल.एस.	इरोड	0.77
13.	वेतंगुडी	शिवगंगा	0.38
उत्तर प्रदेश			
1.	बखीरा	बस्ती	29
2.	लाख बहोसी	फर्रुखाबाद	80
3.	नवाबगंज	उन्नाव	2
4.	ओखला	गाजियाबाद	4
5.	पार्वतीअरगा	गोंडा	10.84
6.	पटना	एटा	1.09
7.	समन	मैनपुरी	5
8.	समसपुर	राय बरेली	8
9.	सांडी	गारदीउ	3
10.	सुराहतल	बलिया	0.32
11.	सूरसरोवर	आगरा	4.03
12.	विजय सागर	हमीरपुर	2.62
पश्चिम बंगाल			
1.	हैलीडे	24-परगना	5.95
2.	लोथियान आइसलैंड	24 परगना	38
3.	नरेन्द्रपुर	24 परगना	0.1

1	2	3	4
4.	रायगंज	वेस्ट दीनापुर	1.3
5.	सजनाखली	24 परगना	362.4
		कुल	23720.699

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पक्षी विशिष्ट अध्ययनों हेतु वैज्ञानिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

(धनराशि रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्ष 2008-2009 में जारी धनराशि	वर्ष 2009-2010 में जारी धनराशि	वर्ष 2010-2011 में जारी धनराशि	वर्ष 2011-2012 में जारी धनराशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	वर्ल्ड फीजेंट एसोसिएशन द्वारा पश्चिमी असम में मनीपुर बुश - कुएल का सर्वेक्षण	-	-	79,860	79,860	1,59,720
2.	बी.एन.एच.एस. द्वारा पुलिकत झील में जलीय पक्षियों का एक पारिस्थितिकीय परिकलन।	-	1,35,485	-	-	1,35,485
3.	इनवायरोसर्च द्वारा सहयाद्री हिल्स, महाराष्ट्र में पक्षियों के वितरण एवं स्थिति का अध्ययन और उनकी उत्तरजीविका के संकट का मूल्यांकन।	-	-	-	2,26,860	2,26,860
4.	जी.ई.ई.आर. फाउनडेशन द्वारा गुजरात में संघचारी प्रजनक जलीय पक्षियों का सर्वेक्षण।	-	-	-	1,01,943	1,01,943

1	2	3	4	5	6	7
5.	सालिम अली सेन्टर फॉर आर्निथोलोजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एस.ए.सी.ओ.एन.) द्वारा भारत में पक्षियों में पर्यावरणीय संदूषकों की निगरानी।	-	14,50,898	-	14,27,365	28,78,263
6.	एस.ए.सी.ओ.एन. द्वारा नरकोनदामी द्वीप, भारत में नरकोन्दम हॉर्नबिल एसेरेज नरकेनदामी की स्थिति, पारिस्थितिकी और संरक्षण।	-	-	1,82,160	-	1,82,160
7.	बी.एन.एच.एस. द्वारा शीतकालीन पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की निगरानी।	9,08,000	-	-	-	9,08,000
8.	गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की स्थिति, वितरण और पर्यावास सर्वेक्षण का अध्ययन	1,50,000	-	-	-	1,50,000
	वर्ष के लिए कुल	10,58,000	15,86,383	2,62,020	18,36,028	47,42,431

नए बाई-पासों का निर्माण

*80. **श्री ए. सम्पत:**

श्रीमती जे. शांता:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों पर बाइ-पासों का निर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसी अवधि के दौरान **विशेषकर केरल** और कर्नाटक राज्यों से इस संबंध में प्राप्त/स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा स्वीकृत किए गए बाइ-पासों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है तथा इन बाइ-पासों का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए शुरू की गई बाईपास परियोजनाओं का राज्य वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात वर्ष 2008-09 से आगे और वर्ष 2011-12 (फरवरी, 2012) तक के दौरान राज्यवार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए शुरू की गई बाईपास परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	बाईपास का नाम	रारा सं.	संस्वीकृति लागत (करोड़ रुपए)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	मडानपल्ले टाउन	205 और 219	13.67	पूर्ण
2.	असम	गुवाहाटी विश्वविद्यालय बाईपास	37	57.71	प्रगति पर
		नागोन बाईपास	37	230	पूर्ण
		तिनसुकिया बाईपास	37	70.71	प्रगति पर
		मोहनबरी, चौबा बाईपास अन्य और गांव	37	133.4	प्रगति पर
		माकुम बाईपास	38	32.46	प्रगति पर
		सिल्चर बाईपास	53	103.89	प्रगति पर
		कटलीचेरा बाईपास	154	38.26	प्रगति पर
3.	हिमाचल प्रदेश	पालमपुर बाईपास	20	5.39	प्रगति पर
		हमीरपुर बाईपास	88	27.51	प्रगति पर
		कुफरी बाईपास	22	2.9	प्रगति पर
4.	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर बाईपास	1A	60.66	प्रगति पर
5.	कर्नाटक	तुमकुर बाईपास	4	83	पूर्ण
		चित्रदुर्ग बाईपास	4	104	पूर्ण
6.	केरल	कलीकुट बाईपास	17		प्रगति पर
		कोडुंगलूर बाईपास	17	39.16	प्रगति पर
7.	महाराष्ट्र	सांगामर बाईपास	50	66.76	प्रगति पर
		अकोला बाईपास	6	97.64	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
		मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से चार लेन आई/सी कैम्पटी कानून और नागपुर बाईपास (बाईपास लम्बाई 44 कि.मी.)	7	1170.52	प्रगति पर
8.	मेघालय	शिलोंग-बाईपास	40 और 44	226	प्रगति पर
9.	राजस्थान	बिलारा बाईपास	112	27.38	प्रगति पर
		चित्तौड़गढ़ बाईपास	76 और 79	133.03	पूर्ण
10.	तमिलनाडु	मदुरै बाईपास	7	567.38	पूर्ण
		चैन्ने बाईपास	4, 5 और 45	480	पूर्ण
		त्रिची की दो लेन - कराइकुडी और त्रिची बाईपास (बाईपास लम्बाई 26.1 कि.मी.)	67 और 210	374	प्रगति पर
11.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बाईपास	2	975.32	पूर्ण
		झांसी बाईपास	25	158.06	पूर्ण

दालों का आयात

691. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष में दालों की अच्छी पैदावार होने के बावजूद सरकार का दालें आयात करने का विचार है जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त आयात कब तक जारी रहेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार द्वारा मांग एवं घरेलू आपूर्ति के बीच के अंतराल को पाटने के लिए दालों का आयात किया जाता है। मंडियों में रबी फसल की आवक की प्रवृत्ति को देखने के बाद मौजूदा वर्ष में आयात के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा।

(ग) वर्तमान में (31-3-2012 तक) शून्य शुल्क पर आयात किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यों को वितरण हेतु भी दालों का आयात किया जाता है जो दिनांक 31-03-2012 तक वैध है।

गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक सड़क

692. **श्री सुखदेव सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक सड़क बनाने का विचार है ताकि तीर्थयात्री दुष्कर पैदल यात्रा से बच सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए मुख्यत: जिम्मेदार है। उत्तराखंड में गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का भाग नहीं है। इस सड़क का विकास और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

राजमार्ग क्षेत्र में चीनी कंपनियों द्वारा निवेश

693. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम**: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजमार्ग क्षेत्र में चीनी कंपनियों द्वारा अधिक निवेश करने को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चीनी कंपनियों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार ने रुचि प्रदर्शित की तथा राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश का अवसर प्रदान किया है;

(ग) क्या सरकार ने इन चीनी कंपनियों को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजमार्ग परियोजनाओं में इन चीनी कंपनियों का चयन किए जाने के क्या मानदण्ड है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं के लिए चीनी व्यक्तियों द्वारा निविदा दिए जाने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है एवं एन.एच.ए.आई. की परियोजनाएं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं के आधार पर सौंपी जाती है जिनमें चीन सहित सभी देशों की फर्में भाग ले सकती है। चीनी कम्पनियों ने भारत में सड़क परियोजनाओं में निवेश किए जाने के प्रति पहले ही रुचि प्रदर्शित कर दी है। मैं, जिंगासु प्रोविंशियल ट्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरिंग ग्रुप क.लि. (जे.पी.टी.ई.सी.) ने भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम में श्रीनगर-बनिहाल-उधमपुर-रामबन-ऊधमपुर और पीपराकोठी-मोतीहारी-रक्सौल नामक चार परियोजनाओं के आ.एफ.पी. में भाग लिया है।

जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर-बनिहाल परियोजना मैं. रामकी इन्फ्रास्ट्रकचर लि.-मैं. जे.पी.टी.ई.सी. (जे.वी.) को सौंपी गई है और बिहार में पीपराकोठी-मोतीहारी-रक्सौल परियोजना मै. तान्तिया कन्स्ट्रक्शन लि. और मै. जे.पी.टी.ई.सी. (जे.वी.) को सौंपी गई हैं। चीनी कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही एन.एच.ए.आई. की परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। जम्मू और कश्मीर तथा बिहार में सौंपी गई परियोजनाओं में चीनी फर्मों को लगाए जाने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त कर ली है। फर्मों का चयन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा और प्रस्ताव के लिए अनुरोध/अर्हता के लिए अनुरोध दस्तावेजों में निर्धारित चयन मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

विवरण

चायनीज कम्पनियों द्वारा कार्यान्वयनाधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाएं

क्र.सं.	खण्ड	राज्य	रारा क्र.	कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण की गई लम्बाई (कि.मी.)	वित्त पोषित द्वारा	प्रारम्भ की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	एजेन्सी	एजेन्सी की राष्ट्रीयता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मोतीहारी रक्सौल को दो लेन पेव्ड	बिहार	28ए	68.79	6	बी.ओ.टी.	अक्टूबर 2011	अप्रैल 2014	375.09	टनटीया-जींगसू	भारत-चीन (IV)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	शोल्डर से बनाना (अनुमोदित लम्बाई 67 कि.मी.)									(जे.वी.)	जे.वी.
2.	अहमदाबाद-गोदरा को चार लेन का बनाना (अनुमोदित लम्बाई 210 कि.मी.)	गुजरात	59	117.6	42	बी.ओ.टी.	दिसंबर-2010	जून-2013	1008.5	ई.एस.एस.-ई.एल. इन्फ्रा और सी.आर. 18 कन्सोरटीयम	भारत-चीन
3.	श्रीनगर से बनीहाल	जम्मू और कश्मीर	1ए	67.76	0	वार्षिकी	सितम्बर 2010 में एल.ओ.ए. जारी किया गया		1100.7	रामकी इन्फ्रा और जे.पी.टी.ई.जी.	भारत-चीन (जे.वी.)
4.	बडकनचेरी-त्रिशूर खंड को छह लेन का बनाना	केरल	47	30	0	बी.ओ.टी.	फरवरी 2010	अक्टूबर, 2013	617	के.एम.सी. निर्माण लिमिटेड सी.आर. 18 जी कोनसोटोरियम	भारत-चीन
5.	पनवेल-इन्दापुर	महाराष्ट्र	17	84	0	बी.ओ.टी.	अक्टूबर 2010 में एल.ओ.ए. जारी किया गया		942.69 इण्डिया-महावीर रोड और इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्राईवेट लि. चीन राज्य निर्माण इंजीनियरिंग होंकोंग लि.	सुप्रीमी इन्फ्रास्ट्रेक्चर जे.वी.	भारत-चीन
6.	जयपुर-रींगस (अनुमोदित लम्बाई 52.65 कि.मी.)	राजस्थान	11	54	34	बी.ओ.टी.	अगस्त-2010	फरवरी-2013	267.81	आर.आई.एल.-ए.ए.ए.-जे.टी.-ई.जी. कोन्सटोरियम	भारत-चीन जे.वी.

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

694. **श्री इज्यराज सिंह:**

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

श्री हरीश चौधरी:

श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और देश के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता मिल रही है और तत्संबंधी योजना-वार तथा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और त्रुटिकर्ता गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प संबंधी और अन्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का खोला जाना

695. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हरियाणा के कतिपय स्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोले जाने की घोषणा के बावजूद, कुछ परियोजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को हरियाणा सरकार के सहयोग से कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) सरकार "कौशल विकास योजना" नामक योजना के कार्यान्वयन पर विचार कर रही है जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पद्धति में 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ये संस्थान देश भर में मुख्यत: सेवारहित क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा राज्य भी इस योजना के तहत शामिल है। यह अनुमोदन की प्रक्रिया में है और योजना आयोग के परामर्श से इस योजना के सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारत-ओमान रिफाइनरी

696. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के बीना में स्थित भारत-ओमान रिफाइनरी तथा इसके सहायक कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल और वायु के मानव-जीवन/आस-पास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कारखानों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.पी.सी.बी.) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड (बी.ओ.आर.एल.) का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग रिसर्च संस्थान (नीरी), नागपुर द्वारा किया गया था। ई.आई.ए. अध्ययन में

रिफाइनरी स्थल के 10 कि.मी. के आस-पास वायु, ध्वनि, जल, भूमि और पर्यावरण के समाजार्थिक घटकों का विस्तृत वर्गीकरण शामिल है। इस रिपोर्ट में मौजूदा स्थिति, विभिन्न प्रचालनों के प्रभावों का अभिनिर्धारण और परिमाणन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए अपनाए जाने वाली अतिरिक्त नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को रेखांकित करते हुए पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी शामिल है।

एम.पी.पी.सी.बी. की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग ने जून, 2010 से परीक्षण उत्पादन शुरू किया और हाल ही में इसने प्रचालन शुरू किया है जो कि स्थिरीकरण के तहत है। एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा बी.ओ.आर.एल. को समय-समय पर बेहतर पर्यावरण बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बी.ओ.आर.एल. ने ऑन साइट/ऑफ साईट आपातकालीन योजनाएं बनाई हैं और सुरक्षित और पारि हितैषी प्रौद्योगिकी अपनाई है। रिफाइनरी के प्रचालन के कारण वायु, जल, ध्वनि, भूमि आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय घटकों संबंधी प्रभाव का न्यूनीकरण करने के लिए बी.ओ.आर.एल. द्वारा उठाए गए कुछ उपायों में शामिल हैं: (i) वायु उत्सर्जन को कम करने के लिए उच्च क्षमता के कम नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) वाले बर्नरों की भट्टियों में व्यवस्था की जा रही है, (ii) सभी भट्टियों में कम सल्फर वाला ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, (iii) केपेटिव विद्युत संयंत्र में धूल नियंत्रण प्रणाली प्रयोग की जा रही है, (iv) प्रदूषकों के पर्याप्त निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई के स्टैकों (सी.पी.सी.बी. मानदंडों के अनुसार) की व्यवस्था की गई है, (v) स्टीम इंजेक्शन सुविधा के साथ एलिवेटिड प्रोसेस फ्लेयर की व्यवस्था की गई है, (vi) भट्टी स्टैक के लिए सतत् आऊटलाइन फ्यूल गैस मॉनीटरिंग व्यवस्था का प्रबंध किया गया, (vii) रिफाइनरी परिसरों में चार स्थलों पर आस-पास के गांवों में मॉनीटरन के लिए मोबाइल वैन के साथ सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा रही है, (viii) अस्थायी उत्सर्जनों को कम करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक सील के साथ कच्चे तेल टैंकों सहित फ्लोटिंग रूफ टैंकों का प्रबंध किया गया, (ix) ऑफ साईड क्लोज ब्लो डाऊन और प्रचालनों से वोलाटाइल आर्गेनिक कार्बन (बी.ओ.सी.) उत्सर्जनों को न्यूनतम करने के लिए प्रक्रिया इकाइयों का प्रबंध किया गया, (x) ई.टी.पी. की सभी प्राथमिक शोधन इकाइयों पर बी.ओ.सी. संग्रहण व्यवस्था की संस्थापन की व्यवस्था की गई है, (xi) उपस्करों में शोर को कम करने के लिए जहां आवश्यक हो साइलेंसर्स और ध्वनिक अवरोधों का प्रयोग करना, (xii) रिफाइनरी से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन के लिए उन्नत बहिस्राव शोधन संयंत्र की व्यवस्था।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से ऋण

697. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**

श्री नरहरि महतो:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को उसकी कुछ परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एच.ए.आई. द्वारा सड़क परियोजनाओं के अकुशल कार्यान्वयन की वजह से इन परियोजनाओं की लागत काफी बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक की ओर से कोई ऋण उपलब्ध न होने की दशा में, एन.एच.ए.आई. उक्त परियोजनाओं को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखता है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) विश्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को ऋण उपलब्ध कराने से कभी भी इंकार नहीं किया है।

(ग) विलंब के कारण हुई वृद्धि का भुगतान ठेका प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है और यह केवल मद दर ठेकों के संबंध में ही लागू होता है। यदि ठेकेदार की वजह से परियोजना विलंबित होती है तब परिसमापन क्षति लगाई जाती है और किसी वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता। वृद्धि का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब विलंब ठेकेदार के नियंत्रण के बाहर हुआ हो। विलंब आदि के कारण होने वाली सम्पूर्ण वृद्धि का आकलन केवल परियोजना पूरी हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) उक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

रक्षा-उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

698. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रक्षा-उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने/कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

'नो-गो' नीति के अंतर्गत रखे गए क्षेत्र

699. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उत्पादन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा (नो-गो) नीति के अंतर्गत रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला-क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित वन क्षेत्रों को संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कोयला मंत्रालय के सुझाव पर कोयला खनन परियोजनाओं के लिए वनभूमि के अपवर्तन संबंधी उद्देश्य को सुसाध्य बनाने के लिए संसूचित और पारदर्शी निर्णय लेते हुए नौ प्रमुख कोयला क्षेत्रों नामशः तलचर, आई.बी. घाटी, मण्डीरायगढ़, सोहागपुर, वर्धा, सिंगरौली, उत्तरी करनपुरा, पश्चिमी बोकारो और हसदेव का, इन कोयला क्षेत्रों में स्थित कोयला ब्लॉकों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए संयुक्त रूप से अध्ययन किया:

(क) अखंडित वन भू-परिदृश्य सकल वन क्षेत्र (जी.एफ.सी.) 30% से अधिक और भारित वन क्षेत्र (डब्ल्यू.एफ.सी.) 10% से अधिक हो उसे श्रेणी-क अथवा 'नो-गो' क्षेत्र का नाम दिया गया।

(ख) खंडित वन भू-परिदृश्य जिनका जी.एफ.सी. 30% से कम हो और डब्ल्यू.एफ.सी. 10% से कम हो श्रेणी-ख अथवा 'गो क्षेत्र' का नाम दिया गया।

उक्त अध्ययन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र के विस्तार के ब्यौरे और 'गो' 'नो-गो' के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वनों पर, कोयला खनन परियोजनाओं सहित वनेत्तर उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय उचित शर्तें निर्धारित की है जैसे प्रतिपूरक वनीकरण का निर्माण और प्रबंधन वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन और वनों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए प्रयोक्ता एजेंसी से अपवर्तित वन भूमि आदि से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की प्राप्ति।

विवरण

देश के नौ प्रमुख कोयला क्षेत्रों में कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन के अनुसार 'गो'/'नो-गो' के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र और उक्त अध्ययन के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में किए गए विस्तार

क्र.सं.	कोयला क्षेत्र	राज्य	कुल ब्लॉक		'नो-गो' के रूप में वर्गीकृत ब्लॉक		'गो' के रूप में वर्गीकृत ब्लॉक	
			ब्लॉकों की सं.	क्षेत्र (हे.)	ब्लॉकों की सं.	क्षेत्र (हे.)	ब्लॉकों की सं.	क्षेत्र (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तलचर	ओडिशा	82	80,400	07	10,200	75	70,200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	आई.बी. वैली	ओडिशा, छत्तीसगढ़	49	51,600	16	21,300	33	30,300
3.	मण्डीरायगढ़	छत्तीसगढ़	80	1,18,200	48	77,900	32	40,300
4.	सोहागपुर	छत्तीसगढ़/मध्य प्रदेश	110	1,27,550	12	22,550	98	1,05,000
5.	वर्धा	महाराष्ट्र	113	82,900	09	34,900	104	48,000
6.	सिंगरौली	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	46	66,800	20	31,000	26	35,800
7.	उत्तरी करनपुरा	झारखंड	63	60,600	12	21,300	51	39,300
8.	पश्चिमी बोकारो	झारखंड	39	14,800	9	3,300	30	11,500
9.	हसदेव	छत्तीसगढ़	20	45,883	20	45,883	0	0
		कुल	602	6,48,733	153	2,68,333	449	3,80,400

[हिन्दी]

वनरोपण परियोजनाओं का कार्यकरण

700. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी बैंकों की सहायता से कुछ वनरोपण परियोजनाएं संचालित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त तीन वर्षों के दौरान और आज तक वनक्षेत्र का क्षेत्रफल राज्य-वार कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी हां। इस समय 6859 करोड़ रु. के निवेश सहित बारह राज्य क्षेत्र वानिकी परियोजनाएं ग्यारह राज्यों में कार्यान्वित की गई हैं और केन्द्रीय क्षेत्र में 'वन प्रबंधन तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु क्षमता विकास' नामक एक अन्य परियोजना 225 करोड़ रु. के परिव्यय सहित देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की गई है। ये सभी परियोजनाएं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जी.आई.सी.ए.) जापान सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु वनावरण में परिवर्तन का कोई पृथक आकलन नहीं है। देश के लिए वनावरण का आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या के अनुसार द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है और एफ.एस.आई. वन तथा वृक्षावरण के आकलन हेतु भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर.) नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नवीनतम आई.एस.एफ.आर. 2011 के अनुसार वनावरण में आई.एस.एफ.आर. 2009 की तुलना में 367 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। राज्यवार वनावरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वनरोपण परियोजनाओं का कार्यकरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी/ राज्य	लागत (करोड़ रुपए में)	निधियन एजेंसी	परियोजना उद्देश्य	संघटक	परियोजना अवधि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी और जैवविविधता संरक्षण परियोजना	पश्चिम बंगाल	406	जे.आई.सी.ए.	संस्थागत क्षमता विकास सहित संयुक्त वन प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से वनीकरण, पनर्सृजन और वन्यजीव प्रबंधन कार्य-कलाप आरंभ करते हुए वन पारिप्रणाली में सुधार और जैवविविधता का संरक्षण करते हुए पश्चिम बंगाल के पर्यावरणीय संरक्षण और सदभावना-पूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना।	i. वनीकरण ii. जैवविविधता संरक्षण iii. समुदाय विकास iv. संस्थागत क्षमता	2011-12 से 2019-20
2.	राजस्थान वानिकी और जैवविविधता परियोजना (चरण-II)	राजस्थान	1152	जे.आई.सी.ए.	संयुक्त वन प्रबंधन दृष्टि-कोण के माध्यम से वनीकरण, और जैव-विविधता उपाय आरंभ करते हुए वन क्षेत्र और वन आश्रित लोगों के जीविका अवसरों में वृद्धि तथा जैवविविधता का संरक्षण करते हुए राजस्थान के पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना।	i. वनीकरण ii. कृषि वानिकी iii. जल संरक्षण संरचनाएं iv. जैवविविधता संरक्षण v. समुदाय सक्रियता vi. गरीबी उन्मूलन और जीविका सुधार vii. क्षमता विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान viii. मानीटरिंग और मूल्यांकन ix. परामर्शी सेवाएं	2011-12 से 2018-19
3.	तमिलनाडु जैव-विविधता संरक्षण	तमिलनाडु	686	जे.आई.सी.ए.	पारि-प्रणाली तथा प्रबंधन क्षमता में सुधार और	i. जैवविविधता संरक्षण ii. प्राकृतिक संसाधन	2011-12 से

1	2	3	4	5	6	7	8
	और हरित परियोजना				साथ ही दर्ज किए गए वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण द्वारा जैव-विविधता संरक्षण को सुदृढ़ करते हुए तमिलनाडु के पर्यावरणीय संरक्षण और सदभावनापूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना।	आधार में वृद्धि iii. संस्थागत क्षमता विकास iv. परामर्शी सेवाएं	2018-19
4.	सिक्किम जैव-विविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना	सिक्किम	330	जे.आई.सी.ए.	समुदाय विकास हेतु पारि-पर्यटन सहित वहनीय जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण और आय सृजन कार्यकलापों को बढ़ावा देते हुए जैवविविधता संरक्षण कार्यकलापों तथा वन प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और वन आश्रित स्थानीय लोगों की जीविका में सुधार करते हुए सिक्किम के पर्यावरणीय संरक्षण और सदभावनापूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देना।	i. वन और जैवविविधता संरक्षण ii. पारि-पर्यटन iii. संयुक्त वन प्रबंधन iv. सहायक कार्यकलाप v. परामर्शी सेवाएं	2010-11 से 2019-20
5.	वन प्रबंधन और कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए क्षमता का विकास	केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना	225	जे.आई.सी.ए.	राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों के पुनरुद्धार के माध्यम से और संयुक्त वन प्रबंधन पर बल देते हुए अग्रणी	i. राज्यों के पुनरुद्धार के माध्यम से अग्रणी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण परिवेश में सुधार करना।	2008-09 से 2013-14 (5 वर्ष और 3

1	2	3	4	5	6	7	8
					वानिकी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करके अग्रणी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण परिवेश में सुधार करना, एतद् द्वारा सतत वन प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास को मजबूती प्रदान करना।	ii. वन प्रशिक्षण संस्थान और संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) पर बल देते हुए अग्रणी वानिकी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण, एतद् द्वारा मानव संसाधन को सुदृढ़ करना, सतत वन प्रबंधन के लिए विकास	महीने)
6.	उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना	उत्तर प्रदेश	575	जे.आई.सी.ए.	विकृत वनों को पुन: हरा-भरा करना, वन संसाधनों को बढ़ाना और सतत वन प्रबंधन, जिसमें जे.एफ.एम. बागान शामिल हैं, तथा सामुदायिक विकास के द्वारा वनों पर निर्भर स्थानीय जनता की आजीविका में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना, इस प्रकार पर्यावरण में सुधार करना और गरीबी दूर करना।	i. वृक्षारोपण, वनों का पुनरुद्धार आदि ii. पी.एम.यू./डी.एम.यू./एफ.एम.यू. का संस्थागत सुदृढ़ीकरण iii. लखनऊ में वन प्रशिक्षण पुनर्वास संस्थान iv. संसूचनाएं और प्रकाशन v. मॉनीटरन और मूल्यांकन vi. वास्तविक कन्टीजेन्सी vii. परामर्शी सेवा	2008-09 से 2015-16
7.	गुजरात वन विकास परियोजना फेज-II	गुजरात	830	जे.आई.सी.ए.	विकृत वनों को पुन: हरा-भरा करना और सतत वन प्रबंधन, जिसमें जे.एफ. एम बागान शामिल हैं, तथा सामुदायिक जनजातीय विकास के द्वारा वनों पर निर्भर स्थानीय जनता की आजीविका	i. प्रारंभिक कार्य ii. विभागीय वन विकास और प्रबंधन iii. जे.एफ.एम. वन विकास और प्रबंधन iv. सामाजिक वानिकी विकास और प्रबंधन v. वन अनुसंधान vi. संसूचना और	2007-08 से 2014-15

1	2	3	4	5	6	7	8
					में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाना, इस प्रकार पर्यावरण में सुधार करना और गरीबी दूर करना।	प्रकाशन vii. वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन viii. मॉनीटरन और मूल्यांकन ix. फेज आउट वर्क x. परामर्श सेवाएं (मूल्य तथा फिजिकल कंटेंट सहित)	
8.	त्रिपुरा वन पर्यावरण और गरीबी उन्मूलन परियोजना	त्रिपुरा	460	जे.आई.सी.ए.	विकृत वनों का पुन-रुद्धार करना और ग्रामीणों तथा पारंपरिक स्थानांतरण खेती में लगे जनजातीय परिवारों के आजीविका संबंधी पहलुओं में सुधार करना तथा जे.एफ.एम. के अध्ययन के सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना; एतद् द्वारा पर्यावरण में सुधार करना तथा गरीबी दूर करना।	i. विकृत भूमि का पुनरुद्धार ii. विकृत और उपलब्ध गैर-वन भूमि का पुन-रुद्धार iii. निजी जोत क्षेत्र में फार्म वानिकी iv. पारि-विकास v. सेवा संबंधी सहायता vi. झूम खेती करने वाले परिवारों का पुनर्वास vii. अंतरापृष्ठ वानिकी विकास	2007-08 से 2014-15
9.	स्वान नदी एकीकृत जल-विभाजक प्रबंधन परियोजना	हिमाचल प्रदेश	162	जे.आई.सी.ए.	वनों का पुनःस्थापन, कृषि भूमि को बचाना और स्वान नदी के हिमाचल प्रदेश राज्य के आवाह क्षेत्र में कृषि एवं वन उत्पादन को बढ़ाना, इसके लिए एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन कार्यकलाप करना और मृदा एवं	i. वनरोपण ii. मृदा और नदी प्रबंधन के लिए सिविल कार्य iii. मृदा-संरक्षण और भूमि-उद्धार iv. आजीविका में सुधार v. संस्थागत विकास	2006-07 से 2013-14

1	2	3	4	5	6	7	8
					नदी प्रबंधन, मृदा संरक्षण और भूमि उद्धार के लिए वनरोपण और सिविल कार्य करना; एतद् द्वारा आवाह क्षेत्र में रहने वाली गरीब जनता सहित लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करना।		
10.	ओडिशा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना	ओडिशा	660	जे.आई.सी.ए.	अवक्रमित वनों का पुन-रुद्धार करना और सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय में सुधार करना, जिसमें जे.एफ.एम. बागान और सामुदायिक/जनजातीय विकास शामिल हैं। एतद् द्वारा पर्यावरण में सुधार करना तथा गरीबी दूर करना।	i. वन जैव-विविधता का संरक्षण और सुरक्षा ii. प्राकृतिक वनों की उत्पादकता में सुधार करना iii. लोगों को आजीविका के लिए विकल्प उपलब्ध कराना (वी.एस.एस. का समर्थन) iv. पारि-विकास और पारि-पर्यटन कार्यकलाप v. वाणिज्यिक और औद्योगिक मांग को पूरा करना vi वन विभाग की क्षमता निर्माण	2006-07 से 2012-13
11.	कर्नाटक वहनीय वन-प्रबंधन और जैव-विविधता संरक्षण परियोजना	कर्नाटक	745	जे.आई.सी.ए.	पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार के लिए वनों का पुन: स्थापना और कर्नाटक राज्य में संयुक्त वन योजना एवं प्रबंधन (जे.एफ.पी.एम.) के माध्यम से वनरोपण करके परियोजनागत गांवों के निवासियों	i. वनरोपण ii. गरीबी उन्मूलन के लिए आय-अर्जन संबंधी कार्यकलाप iii. जैव-विविधता संरक्षण iv. फील्ड कार्य के लिए मूलभूत बुनियादी सहायता का प्रावधान v. वन-प्रबंधन (अनुसंधान	2005-06 से 2012-13

1	2	3	4	5	6	7	8
					की आजीविका में सुधार करना, जिससे गरीबी कम होगी और क्षेत्र में जैव-विविधता संरक्षण किया जा सकेगा।	एवं प्रशिक्षण परामर्श) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को बढ़ावा देने के लिए सहायक कार्यकलाप	
12.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना फेज-II	तमिलनाडु	567	जे.आई.सी.ए.	पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार के लिए वनों का पुन: स्थापन और तमिलनाडु राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वन-रोपण करके परियोजनागत गांवों के निवासियों की आजीविका में सुधार करना, जिससे क्षेत्र में गरीबी कम करने में मदद मिलेगी।	i. एकीकृत जल विभाजक विकास ii. एकीकृत जनजातीय विकास iii. वानिकी विस्तार iv. शहरी वानिकी v. क्षमता निर्माण अनुसंधान सहायता vi. मानव संसाधन विकास vii. आधुनिक नर्सरियों की स्थापना viii. बुनियादी सुविधाओं में सुधार ix. प्रशासन-व्यवस्था x. मॉनीटरन और मूल्यांकन	2005-06 से 2012-13
13.	हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना	हरियाणा	286	जे.आई.सी.ए.	क. पारिस्थिकीय वहनीय रीति से वन-भूमि का पुनरुद्धार करना ख. ग्रामवासियों की जीवन की गुणवत्ता में और सभी समीपस्थ वनों में सुधार करना।	i. मृदा और जल संरक्षण ii. बागान मॉडल और नर्सरी विकसित करना iii. गरीबी कम करना और संस्थागत निर्माण iv. तकनीकी सहायता v. सहायक कार्यकलाप vi. प्रशासन कर्मचारी	2004-05 से 2010-11
	कुल		7084				

विवरण-II

भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वनावरण

(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	2011 में वनावरण				एस.एफ.आर. 09 की तुलना में
		अत्यधिक सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	कुल	वास्तविक परिवर्तन*
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	275069	850	26242	19297	46389	-281
अरुणाचल प्रदेश	83743	20868	31519	15023	67410	-74
असम	78438	1444	11404	14825	27673	-19
बिहार	94163	231	3280	3334	6845	41
छत्तीसगढ़	135191	4163	34911	16600	55674	-4
दिल्ली	1483	7	49	120	176	0
गोवा	3702	543	585	1091	2219	7
गुजरात	196022	376	5231	9012	14619	-1
हरियाणा	44212	27	457	1124	1608	14
हिमाचल प्रदेश	55673	3224	6381	5074	14679	11
जम्मू और कश्मीर	222236	4140	8760	9639	22539	2
झारखंड	79714	2590	9917	10470	22977	83
कर्नाटक	191791	1777	20179	14238	36194	4
केरल	38863	1442	9394	6464	17300	-24
मध्य प्रदेश	308245	6640	34986	36074	77700	0
महाराष्ट्र	307713	8736	20815	21095	50646	-4

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	22327	730	6151	10209	17090	-190
मेघालय	22429	433	9775	7067	17275	-46
मिजोरम	21081	134	6086	12897	19117	-66
नागालैण्ड	16579	1293	4931	7094	13318	-146
ओडिशा	155707	7060	21366	20477	48903	48
पंजाब	50362	0	736	1028	1764	100
राजस्थान	342239	72	4448	11567	16087	51
सिक्किम	7096	500	2161	698	3359	0
तमिलनाडु	130058	2948	10321	10356	23625	74
त्रिपुरा	10486	109	4686	3182	7977	-8
उत्तर प्रदेश	240928	1626	4559	8153	14338	-3
उत्तराखंड	53483	4762	14167	5567	24496	1
पश्चिम बंगाल	88752	2984	4646	5365	12995	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8249	3761	2416	547	6724	62
चण्डीगढ़	114	1	10	6	17	0
दादरा और नगर हवेली	491	0	114	97	211	0
दमन और दीव	112	0	0.62	5.53	6	0
लक्षद्वीप	32	0	17.18	9.88	27	1
पुडुचेरी	480	0	35.37	14.69	50	0
कुल योग	3287263	83471	320736	287820	692027	-367

*उपर्युक्त तालिका में व्याख्यात्मक परिवर्तनों को शामिल करने के बाद 2009 के आकलन को देखते हुए क्षेत्रफल में परिवर्तन दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

वन्यप्राणी अभयारण्य

701. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्थित सभी वन्यप्राणी अभयारण्यों को परस्पर जोड़ने के उद्देश्य से एक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षुओं को वेतन

702. श्री सी. शिवासामी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा प्रशिक्षुओं को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडटों को कमीशन प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षण के आखिरी वर्ष में प्रति माह 21,000/- रुपए का निर्धारित वजीफा प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इस वजीफे को सभी उद्देश्यों हेतु वेतन में बदल दिया जाता है और सभी स्वीकार्य भत्तों के बकाया का भुगतान किया जाता है। छठा केन्द्रीय वेतन आयोग सेनाओं की इस मांग से सहमत नहीं था कि प्रशिक्षण के आखिरी वर्ष में पूर्ण वेतन एवं भत्तों सहित अनंतिम कमीशन प्रदान किया जाए और एक कमीशन्ड रैंक के सभी सम्बद्ध लाभ भी दिए जाएं क्योंकि रक्षा बलों में कमीशन प्रदान करने के लिए कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास करना एक पूर्वापेक्षा होती है।

[हिन्दी]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

703. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कई परियोजनाएं सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान करने हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियों में 1 हेक्टेयर तक और वामपंथ अतिवाद (एल.डब्ल्यु.ई.) से प्रभावित जिलों में 2 हेक्टेयर तक सरकारी विभागों द्वारा कार्यान्वित जनोपयोगी परियोजनाओं के लिए तथा एकीकृत कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु पहचान किए गए 60 एल.डब्ल्यु.ई. प्रभावित जिले के लिए 5 हेक्टेयर तक के लिए वन भूमि का वनेतर उपयोग करने के लिए सामान्य अनुमोदन हेतु प्रावधान शामिल हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने खनन और अतिक्रमण के विनियमन के अलावा 5 हेक्टेयर से कम वन भूमि वाले प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 40

हेक्टेयर तक की वन भूमि वाले प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है। केवल 40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि और खनन तथा अतिक्रमण के विनियमन वाले प्रस्तावों पर वन सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है और इसकी सिफारिश पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत लंबित राज्यवार प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	21
3.	अरुणाचल प्रदेश	10
4.	असम	2
5.	बिहार	8
6.	छत्तीसगढ़	8
7.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	3
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	41
10.	हरियाणा	33
11.	हिमाचल प्रदेश	28
12.	झारखंड	16
13.	कर्नाटक	21
14.	केरल	5
15.	मध्य प्रदेश	27
16.	महाराष्ट्र	18
17.	मणिपुर	3
18.	मिजोरम	1
19.	ओडिशा	6
20.	पंजाब	18
21.	राजस्थान	5
22.	सिक्किम	3
23.	तमिलनाडु	3
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	6
26.	उत्तरांचल	4
	कुल	296

राजस्थान में भू-अर्जन

704. श्री भरत राम मेघवाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में काफी बड़े भू-क्षेत्र का अर्जन किया था लेकिन भू-स्वामियों को अब तक इसका मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भुगतान प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) भू-स्वामियों को पूर्ण मुआवजा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में सैन्य-अड्डा

705. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र में सोमाली जलदस्युओं द्वारा व्यापारिक जलपोतों का अपहरण किए जाने के प्रयासों के मद्देनजर, वहां एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में सैन्य बेस की स्थापना और/या उसमें वृद्धि तटीय सुरक्षा और व्यापारिक पोतों के खतरों की अवधारणा के विश्लेषण तथा अनुमान तथा सामरिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर आधारित है। यह एक निरन्तर तथा सतत् प्रक्रिया है। इस समय नौसेना की एक टुकड़ी कवरत्ती द्वीप पर कार्यरत है।

खाड़ी देशों के साथ व्यापार

706. **श्री पी.के. बिजू:**

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारत, खाड़ी देशों और अन्य अरब देशों के बीच कितने मूल्य का और वस्तु-वार कितना व्यापार हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत, खाड़ी देशों तथा अन्य अरब देशों के बीच व्यापार बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अपने भावी लक्ष्यों और मांगों को पूरा करने के क्रम में खाड़ी देशों व अरब देशों के साथ व्यापार को दोगुना करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित देशों के साथ किए गए विशेष समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी पंचवर्षीय योजना में खाड़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत, खाड़ी तथा अन्य अरब देशों के बीच व्यापार का पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यवार और पिछले तीन वर्षों के लिए वस्तु-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत तथा खाड़ी एवं अन्य अरब देशों के बीच कुल व्यापार वर्ष 2008-09 में 113.94 बिलियन अम.डा. से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 144.02 बिलियन अम.डा. हो गया है। चालू वित्त वर्ष 2011-12 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान 116.33 बिलियन अम.डा. का व्यापार हुआ है।

(घ) से (च) भारत तथा खाड़ी एवं अन्य अरब देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार सतत् प्रयास करती है। वस्तु, सेवा एवं निवेश में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ एक मुक्त व्यापार करार (एफ.टी.ए.) की स्थापना हेतु वार्ता कर रहा है। भारत तथा साझेदार देशों के शीर्ष वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बरों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा अन्य व्यापार निकायों की एक-दूसरे के व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और अन्य व्यापार कार्यक्रमों में भागीदारी को बढ़ावा देकर सरकार उक्त देशों के साथ व्यापार का संवर्धन करती है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु नियमित अंतराल पर संबंधित देशों के साथ संयुक्त आयोग बैठकें/ संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक समिति की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

खाड़ी तथा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार

(मूल्य मिलियन अम.डा. में)

क्र.सं.	देश का नाम	2008-09			2009-10		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अल्जीरिया	653.08	1,052.57	1,705.65	574.19	995.32	1,569.51
2.	बहरीन	286.52	1,442.82	1729.34	250.21	502.86	753.07
3.	कॉमरॉस	25.54	0.33	25.86	9.29	0.68	9.97
4.	जिबूती	359.96	3.66	363.62	265.84	1.17	267.01
5.	मिस्र	1,699.86	2,121.33	3,821.20	1,403.88	1,692.36	3,096.23
6.	इराक	437.43	7,709.94	8147.37	477.13	7,026.93	7504.06
7.	जॉर्डन	431.83	1776.57	2208.4	245.62	823.43	1069.05
8.	कुवैत	797.5	9593.74	10391.24	782.45	8249.49	9031.95
9.	लेबनान	132.75	13.2	145.95	131.33	6.78	138.11
10.	लीबिया	128.68	684.61	813.29	221.98	622.64	844.62
11.	मॉरीशानिया	35.81	4.53	40.34	30.64	1.6	32.24
12.	मोरक्को	242.85	948.15	1191	250.47	861.51	1111.98
13.	ओमन	779.04	1,205.46	1,984.50	1,032.93	3,499.89	4,532.82
14.	कतर	674.37	3498.91	4173.28	536.97	4648.52	5185.49
15.	सउदी अरब	5110.38	19972.74	25083.12	3907	17097.57	21004.57
16.	सोमालिया	70.73	6.59	77.32	17.38	4.06	21.44
17.	सूडान	485.07	415.53	900.6	461.06	475	936.06
18.	सीरिया	364.5	157.92	522.42	345.43	144.69	490.13
19.	ट्यूनीशिया	213.07	601.77	814.84	213.55	252.83	466.38
20.	यू.ए.ई.	24,477.48	23,791.25	48268.73	23,970.40	19,499.10	43469.5
21.	यमन	787.29	754.61	1541.9	727.39	1,575.55	2302.94
	कुल	38193.74	75,756.23	1,13,949.97	35855.14	67981.98	1,03,837.13

क्र.सं.	देश का नाम	2010-11			2011-12 (अप्रैल-नव.)		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	अल्जीरिया	1,066.89	1,816.19	2,883.08	553.97	1,417.32	1,971.29
2.	बहरीन	912.18	641.25	1,553.43	283.26	523.04	806.30
3.	कॉमरॉस	8.81	8.56	17.37	6.09	1.19	7.28
4.	जिबूती	368.64	2.41	371.04	281.69	1.16	282.85
5.	मिस्र	2,257.92	1,354.56	3,612.47	1,333.60	2,113.53	3,447.13
6.	इराक	738.65	9,008.30	9,746.95	411.02	12,034.26	12,445.28
7.	जॉर्डन	484.07	818.93	1303	491.7	895.82	1387.52
8.	कुवैत	1959.48	10313.64	12273.13	735.92	9185.73	9921.65
9.	लेबनान	172.5	18.31	190.8	136.41	12.77	149.18
10.	लीबिया	136.11	969.09	1,105.20	16.79	0.85	17.64
11.	मॉरीशानिया	32.56	1.95	34.51	28.88	1.5	30.38
12.	मोरक्को	339.38	839.64	1179.02	220.39	1051.91	1272.3
13.	ओमन	1,151.70	4,002.07	5,153.77	599.02	2,700.73	3,299.75
14.	कतर	381.77	6819.87	7201.64	572.07	8192.16	8764.23
15.	सउदी अरब	5227.19	20385.28	25612.46	3707.65	19751.69	23459.33
16.	सोमालिया	172.43	9.24	181.67	82.38	2.31	84.69
17.	सूडान	502.37	613.78	1,116.15	491.65	358.71	850.36
18.	सीरिया	523.03	35.61	558.64	343.11	87.68	430.79
19.	ट्यूनीशिया	269.08	301.15	570.23	170.29	100.98	271.26
20.	यू.ए.ई.	34,349.10	32,753.16	67,102.26	22,873.15	23,499.63	46,372.78
21.	यमन	514.37	1,743.90	2,258.27	398.84	667.29	1,066.13
	कुल	51,568.23	92,456.89	1,44,025.09	33737.88	82,600.26	116,338.12

विवरण-II

वर्ष 2010-11 के दौरान खाड़ी तथा अन्य अरब देशों के साथ भारत का वस्तु-वार व्यापार (मूल्य मिलियन अम. डा. में)

निर्यात वस्तुएं						आयात वस्तुएं				
1						2				
अल्जीरिया										
वस्तु का नाम	परिवहन उपस्कर	मशीनें एवं उपकरण		अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अलौह धातुएं	चर्म	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मूल्य	617.56	120.11	93.2	236.02	1,066.89	1,789.77	11.65	5.47	9.30	1,816.19
बहरीन										
वस्तु का नाम	प्रसंस्कृत खनिज	परिवहन उपस्कर	मशीनें एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अलौह धातुएं	अन्य	कुल
मूल्य	562.12	120.37	42.07	187.62	912.18	218.18	199.15	81.76	142.16	641.25
कोमोरोस										
वस्तु का नाम	मांस एवं विनिर्मितियां	सूती यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड अप्स	प्राथमिक एवं अर्ध-प्रसंस्कृत लौह एवं इस्पात	अन्य	कुल	परिवहन उपस्कर	मसाले	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य	कुल
मूल्य	4.76	1.32	0.39	2.34	8.81	7.14	0.98	0.41	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					डि जिबूती					
वस्तु का नाम	प्राथमिक एवं अर्ध-प्रसंस्कृत लौह एवं इस्पात	SUGAR	मशीनें एवं उपकरण	अन्य	कुल	चर्म	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अन्य	कुल
मूल्य	63.41	57.66	50.65	196.92	368.64	0.71	0.62	0.48	0.6	2.41
					मिस्र					
वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	प्रसंस्कृत खनिज	मांस एवं विनिर्मितियां	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	उर्वरक, परिष्कृत	कॉटन कच्चा: कॉम्ब/अनकॉम्ब/वेस्ट	अन्य	कुल
मूल्य	387.86	307.13	222.82		2,257.92	1,075.82	89.43	42.29	147.02	1,354.56
					इराक					
वस्तु का नाम	धातुओं का विनिर्माण	इलैक्ट्रानिक मदें	मशीनें एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	फ्रूट एंड नट काजू गिरि को छोड़कर	कच्ची उन	अन्य	कुल
मूल्य	309.35	107.4	85.22	236.68	738.65	8,954.66	50.42	1.43	1.79	9,008.30
					जॉर्डन					
वस्तु का नाम	मांस एवं विनिर्मितियां	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	औषध, भेषज एवं फाइन केमिकल्स	अन्य	कुल	उर्वरक विनिर्माता	उर्वरक, अपरिष्कृत	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य	कुल
मूल्य	106.69	83.62	33.69	260.07	484.07	425.57	350.9	16.79	25.67	818.93
					कुवैत					
वस्तु का नाम	धातुओं का	मशीन एवं	चावल-बासमती	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-	कार्बनिक	धात्विक अयस्क	अन्य	कुल

	विनिर्माण	उपकरण				अपरिष्कृत एवं उत्पाद	रसायन	एवं धातु छीलन		
मूल्य	609.96	570.84	223.28	555.4	1959.48	9,727.63	346.05	99.36	140.60	10313.64

लेबनान

वस्तु का नाम	मांस एवं विनिर्मितियां	परिवहन उपस्कर	मशीनें एवं उपकरण	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अलौह धातुएं	अन्य	कुल
मूल्य	24.87	20.39	16	111.24	172.5	5.98	5.53	2.52	4.28	18.31

लीबिया

वस्तु का नाम	परिवहन उपस्कर	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	मशीनें एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कार्बनिक रसायन	सल्फर एवं अनरोस्टेड आयरन पायरेट	अन्य	कुल
मूल्य	43.65	15.04	14.85	62.57	136.11	961	3.35	2.04	2.7	969.09

मारुतानिया

वस्तु का नाम	कॉटन यार्न फैब्रिक्स, मेड इत्यादि	औषध, भेषज एवं फाइन रसायन	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	अन्य	कुल	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य मदें	चर्म	अन्य	कुल
मूल्य	15.55	2.77	2.14	12.1	32.56	1.35	0.18	0.15	0.27	1.95

मोरक्को

वस्तु का नाम	कॉटन यार्न फैब्रिक्स, मेड अप्स इत्यादि	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	परिवहन उपस्कर	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	उर्वरक विनिर्माण	उर्वरक अपरिष्कृत	अन्य	कुल
मूल्य (मिलियन अम.डा. में)	61.35	44.93	40.97	192.13	339.38	544.34	153.7	88.37	53.23	839.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ओमान					
वस्तु का नाम (मिलियन अम.डा. में)	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	धातु विनिर्माण	मशीनें एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	उर्वरक विनिर्माण	अलौह धातुएं	अन्य	कुल
मूल्य	387.83	161.91	158.57	443.39	1,151.70	3,293.14	348.78	90.71	269.44	4,002.07
					कतर					
वस्तु का नाम	इलेक्ट्रॉनिक सामान	मशीनरी एवं उपकरण	धातु विनिर्माण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कार्बनिक रसायन	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामान इत्यादि	अन्य	कुल
मूल्य	67.68	50.66	42.4	221.03	381.77	6,060.91	273.13	205.63	280.20	6819.87
					सऊदी अरब					
वस्तु का नाम	धातु विनिर्माण	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चावल-बासमती	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कार्बनिक रसायन	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामान इत्यादि	अन्य	कुल
मूल्य	859.32	674.41	637.26	3056.2	5227.19	17,931.82	1,009.29	648.11	796.06	20385.28
					सोमालिया					
वस्तु का नाम	चीनी	औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	प्राथमिक एवं अर्द्ध निर्मित लौह एवं इस्पात	अन्य	कुल	ऑयल सीड्स	कच्ची खाल एवं चमड़ा	चमड़ा	अन्य	कुल
मूल्य	157.07	3.61	3.39	8.36	172.43	7.21	1.08	0.52	0.43	9.24

सूडान

वस्तु का नाम	मशीन एवं उपकरण	परिवहन उपस्कर	प्राथमिक एवं अर्द्ध-निर्मित लौह एवं इस्पात	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	अन्य	कुल
मूल्य	75.82	65.65	51.12	309.78	502.37	566.75	25.05	8.33	13.65	613.78

सीरिया

वस्तु का नाम	मशीन एवं उपकरण	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	मांस एवं विनिर्मितियां	अन्य	कुल	चर्म	उर्वरक, अपरिष्कृत	फल एवं गिरि काजू गिरि को छोड़कर	अन्य	कुल
मूल्य	83.7	74.94	43.69	320.7	523.03	11.29	10.65	3.97	9.7	35.61

ट्यूनिशिया

वस्तु का नाम	इलेक्ट्रॉनिक मदें	प्लास्टिक एवं लिनोलियम	जी.एल.एस./जी.-एल.एस.डब्ल्यू. आर.आई./सी.-ई.आर.एम.सी./ एस.आई.आर.सी./ सी.एम.एन.टी.आई.	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	उर्वरक विनिर्माता	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अन्य	कुल
मूल्य	35.39	32.45	28.88	172.36	269.08	194.48	81.11	8.95	16.61	301.15

यू.ए.ई.

वस्तु का नाम	रत्न एवं आभूषण	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अन्य मदें	अन्य	कुल	मोती, बेशकीमती पत्थर	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत उत्पाद	सोना	अन्य	कुल
मूल्य	16,642.89	4,696.48	3,903.03	9,106.70	34,349.10	13,328.42	9,395.43	7,508.28	2,521.03	32,753.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					यमन					
वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चावल-बासमती	चीनी	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अलौह धातुएं	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अन्य	कुल
मूल्य	98.02	57.85	51.42	307.08	514.37	1,722.89	9.63	4.76	6.62	1,743.90

वर्ष 2009-10 के दौरान खाड़ी एवं अन्य अरब देशों के साथ भारत का वस्तु वार व्यापार (मूल्य मिलियन अम.डा. में) अनुबंध-II (जारी)

	निर्यात वस्तुएं					आयात वस्तुएं				
					अल्जीरिया					
वस्तु का नाम	धातु विनिर्माण	परिवहन उपस्कर	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	उर्वरक, अपरिष्कृत	अलौह धातुएं	अन्य	कुल
मूल्य	237.99	114.29	81.4	140.51	574.19	966.95	12.79	4.8	10.78	995.32
					बहरीन					
वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	प्रसंस्कृत खनिज	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अलौह धातुएं	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य	कुल
मूल्य	45.11	37.31	16.54	151.25	250.21	245.51	77.13	69.24	110.98	502.86
					कोमोरोस					
वस्तु का नाम	मांस एवं विनिर्मितियां	कॉटन यान, फैब्रिक्स, मेड अप्स इत्यादि	इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	अन्य	कुल	मसाले	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य	कुल
मूल्य	4.28	1.49	0.65	2.87	9.29	0.68	0	0	0	0.68

डिजिबूती

वस्तु का नाम	प्राथमिक एवं अर्द्ध प्रसंस्कृत लौह एवं इस्पात	धातुओं का विनिर्माण	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	चर्म	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अन्य	कुल
मूल्य	74.45	46.95	22.21	122.23	265.84	0.34	0.3	0.31	0.22	1.17

मिस्र

वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	मशीनरी एवं उपकरण	परिवहन उपस्कर	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	उर्वरक, अपरिष्कृत	कॉटन कच्चा: कॉम्ब/अनकॉम्ब/वेस्ट	अन्य	कुल
मूल्य	195.36	166.04	121.52	920.96	1,403.88	1,382.20	93.01	46.44	170.71	1,692.36

इराक

वस्तु का नाम	धातुओं का विनिर्माण	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	फल एवं गिरि, काजू गिरि को छोड़कर	ऊन, कच्चा	अन्य	कुल
मूल्य	146.51	75.97	55.85	198.8	477.13	6,981.32	42.46	1.45	1.7	7,026.93

जॉर्डन

वस्तु का नाम	मांस एवं विनिर्मितियां	औषध, भेषज एवं रसायन	इलेक्ट्रॉनिक सामान	अन्य	कुल	उर्वरक विनिर्माण	उर्वरक अपरिष्कृत	अकार्बनिक रसायन	अन्य	कुल
मूल्य	44.24	27.33	19.55	154.5	245.62	463.15	309.92	31.18	19.18	823.43

कुवैत

वस्तु का नाम	चावल बासमती	मांस एवं विनिमिर्तियां	धातुओं का विनिर्माण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कार्बनिक रसायन	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामान इत्यादि	अन्य	कुल
मूल्य	**216.61**	82.2	60.47	423.17	782.45	7,909.72	119.21	75.46	145.1	8249.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					लेबनान					
वस्तु का नाम	मांस एवं विनिर्मितियां	मशीनरी एवं उपकरण	प्रसंस्कृत खनिज	अन्य	कुल	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	चर्म	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अन्य	कुल
मूल्य	16.81	11.4	9.8	93.32	131.33	1.89	1.37	1.21	2.31	6.78
					लीबिया					
वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	परिवहन उपस्कर	धातुओं का विनिर्माण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	लोहा एवं इस्पात	प्राथमिक इस्पात, पिग आयन बेस्ड मदें	अन्य	कुल
मूल्य	81.89	34.22	20.33	85.54	221.98	613.06	6.72	2.49	0.37	622.64
					मारुतानिया					
वस्तु का नाम	कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स इत्यादि	औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	रंजक/मध्यवर्ती कोर तार रसायन	अन्य	कुल	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	चर्म	अन्य मदें	अन्य	कुल
मूल्य	16.25	3.94	1.62	8.83	30.64	1.3	0.2	0.04	0.06	1.6
					मोरक्को					
वस्तु का नाम	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	परिवहन उपस्कर	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	मशीनरी एवं उपकरण	उर्वरक, अपरिष्कृत	अन्य	कुल
मूल्य	40.95	33.06	29.33	147.13	250.47	597.59	120.06	113.05	30.81	861.51
					ओमान					
वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	मशीनरी एवं उपकरण	धातु विनिर्माण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	मशीनरी एवं उपकरण	अलौह धातुएं	अन्य	कुल
मूल्य	255.86	161.74	144.28	471.05	1,032.93	2,900.84	377.61	53.47	167.96	3,499.89

कतर

वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	धातु विनिर्माण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कृत्रिम रेजन प्लास्टिक सामान	अकार्बनिक रसायन	अन्य	कुल
मूल्य	202.48	51.77	44.95	237.77	536.97	4,101.64	129.1	112.22	305.56	4648.52

सऊदी अरब

वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चावल-बासमती	अलौह धातुएं	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कार्बनिक रसायन	कृत्रिम रेजन, प्लास्टिक सामान इत्यादि	अन्य	कुल
मूल्य	960.68	694.68	251.75	1999.89	3907	15,387.6	690.1	375.53	644.32	17097.57

सोमालिया

वस्तु का नाम	अन्य अनाज	औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	रबड़ विनिर्माण उत्पाद फुटवियर को छोड़कर	अन्य	कुल	ऑयल सीड्स	चर्म	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अन्य	कुल
मूल्य	3.59	3.66	3.03	7.1	17.38	2.61	0.87	0.44	0.14	4.06

सूडान

वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	प्राथमिक एवं अर्द्ध निर्मित लोहा एवं	औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	अन्य	कुल
मूल्य	98.44	52.16	46.62	263.84	461.06	436.08	24.3	5.66	8.96	475

सीरिया

वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	मानव निर्मित यार्न फैब्रिक्स, मेड अप्स	औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चर्म	फल एवं गिरि काजू गिरि को छोड़कर	अन्य	कुल
मूल्य	48.25	47.56	35.69	213.93	345.43	108.04	15.59	6.25	14.81	144.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ट्यूनिशिया					
वस्तु का नाम	इलेक्ट्रॉनिक मदें	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	उर्वरक विनिर्माण	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अन्य	कुल
मूल्य	25.8	25.4	23.34	139.01	213.55	177.07	59.03	7.34	9.39	252.83
					यू.ए.ई.					
वस्तु का नाम	रत्न एवं आभूषण	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चावल बासमती	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	सोना	मोती, बेशकीमती पत्थर	अन्य	कुल
मूल्य	12,410.61	4,232.62	652.09	6675.08	23,970.40	6,420.0	5,495.82	5,519.15	2064.06	19,499.10
					यमन					
वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चावल बासमती	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अलौह धातुएं	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अन्य	कुल
मूल्य (मिलियन अम.डा. में)	357.72	62.38	39.05	268.24	727.39	1,563.09	4.86	3.24	4.36	1,575.55

वर्ष 2008-09 के दौरान खाड़ी एवं अन्य अरब देशों के साथ भारत का वस्तु वार व्यापार (मूल्य मिलियन अम.डा. में) अनुबंध-II (जारी)

					अल्जीरिया					
वस्तु का नाम	परिवहन उपस्कर	धातुओं का विनिर्माण	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	उर्वरक, अपरिष्कृत	चर्म	अन्य	कुल
मूल्य	267.66	149.79	49.06	186.57	653.08	942.8	101.69	2.83	5.25	1,052.57

बहरीन

वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	धातुओं का विनिर्माण	प्राथमिक एवं अर्द्ध निर्मित लौह एवं इस्पात	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अलौह धातुएं	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य	कुल
मूल्य	40.98	27.37	19.1	199.07	286.52	1,214.16	54.19	47.88	126.59	1,442.82

कोमोरॉस

वस्तु का नाम	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	मांस एवं विनिर्मितियां	चावल (बासमती से इतर)	अन्य	कुल	मसाले	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	परिवहन उपस्कर	अन्य	कुल
मूल्य	11.83	4.86	4.6	4.25	25.54	0.3	0.03	0	0	0.33

डिजिबूती

वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	प्राथमिक-अर्द्ध निर्मित इस्पात एवं स्टील	धातुओं का विनिर्माण	अन्य	कुल	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	कच्ची खाल एवं स्किन	रंजक, टैंग कलरिंग सामान	अन्य	कुल
मूल्य	93.44	49.53	43.93	173.06	359.96	1.73	0.83	0.39	0.71	3.66

मिस्र

वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत उत्पाद	परिवहन उपस्कर	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	परिवहन उपस्कर	उर्वरक विनिर्माता	अन्य	कुल
मूल्य	383.06	160.52	150.09	1006.19	1,699.86	1,573.45	234.99	79.15	233.74	2,121.33

इराक

वस्तु का नाम	धातुओं का विनिर्माण	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	फल एवं गिरि, काजू को छोड़कर	सल्फर एवं अनरोस्टेड आयरन पाइरेट	अन्य	कुल
मूल्य	147.94	93.85	57.28	138.36	437.43	7,660.78	17.6	19.22	12.34	7,709.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					जॉर्डन					
वस्तु का नाम	अन्य अनाज	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	परिवहन उपस्कर	अन्य	कुल	उर्वरक विनिर्माता	उर्वरक, अपरिष्कृत	अकार्बनिक रसायन	अन्य	कुल
मूल्य	45.24	37.76	34.64	314.19	431.83	948.54	496.14	180.06	151.83	1776.57
					कुवैत					
वस्तु का नाम	चावल-बासमती	मांस एवं विनिर्मितियां	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	सल्फर एवं अनरोस्टेड आयरन पायरेट	कार्बनिक रसायन	अन्य	कुल
मूल्य	165.73	83.72	59.9	488.15	797.5	9,193.52	111.91	97.48	190.83	9593.74
					लेबनान					
वस्तु का नाम	मांस एवं विनिर्मितियां	परिवहन उपस्कर	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य वस्तुएं	अन्य	कुल
मूल्य	15.58	12.88	12.31	91.98	132.75	7.89	2.24	1.3	1.77	13.2
					लीबिया					
वस्तु का नाम	मशीनी एवं उपकरण	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	धातुओं का विनिर्माण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कच्ची खाल एवं स्किन	पल्प एवं रद्दी कागज	अन्य	कुल
मूल्य	36.03	18.33	12.04	62.28	128.68	684.12	0.19	0.16	0.14	684.61
					मारुतानिया					
वस्तु का नाम	कॉटन यार्न फैब्रिक्स, मेड अप्स इत्यादि	औषध, भेषज एवं फाइन केमिकल	इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	अन्य	कुल	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	अन्य वस्तुएं	अन्य	कुल
मूल्य	17.61	6.38	2.92	8.9	35.81	4.51	0.02	0	0	4.53

मोरक्को

वस्तु का नाम	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	परिवहन उपस्कर	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	उर्वरक, अपरिष्कृत	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य	कुल
मूल्य	38.45	20.71	19.45	164.24	242.85	830.9	67.36	19.94	29.95	948.15

ओमान

वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	धातुओं का विनिर्माण	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	उर्वरक विनिर्माता	अन्य मदें	अन्य	कुल
मूल्य	182.87	301.96	20.73	273.48	779.04	624.7	327.06	23.44	230.26	1,205.46

कतर

वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	धातुओं का विनिर्माण	इलेक्ट्रॉनिक मदें	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	उर्वरक विनिर्माता	कार्बनिक रसायन	अन्य	कुल
मूल्य	177.76	41.28	43.48	411.85	674.37	2,889.89	111.1	157.93	339.99	3498.91

सऊदी अरब

वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चावल-बासमती	मशीनरी एवं उपकरण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कार्बनिक रसायन	अकार्बनिक रसायन	अन्य	कुल
मूल्य	1,356.28	507.69	272.74	2973.67	5110.38	18,366.26	560.07	237.15	809.26	19972.74

सोमालिया

वस्तु का नाम	चीनी	औषध, भेषज एवं फाइन रसायन	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	अन्य	कुल	ऑयल सीड्स	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अन्य मदें	अन्य	कुल
मूल्य	56.05	2.98	0.04	11.66	70.73	4.81	1	0.36	0.42	6.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					सूडान					
वस्तु का नाम	मशीनरी एवं उपकरण	प्राथमिक और अर्द्ध निर्मित लौह एवं इस्पात	परिवहन उपस्कर	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	कॉटन कच्चा: कॉम्ब/अनकॉम्ब/वेस्ट	अन्य	कुल
मूल्य	117.12	48.83	27.82	291.3	485.07	369.59	12.85	6.1	26.99	415.53
					सीरिया					
वस्तु का नाम	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	मशीनरी एवं उपकरण	परिवहन उपस्कर	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	चर्म	सल्फर एवं अनरोस्टेड आयरन पायरेट	अन्य	कुल
मूल्य	55.96	38.87	11.82	257.85	364.5	119.74	4.98	0.23	32.97	157.92
					ट्यूनिशया					
वस्तु का नाम	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद	मशीन एवं उपकरण	अन्य	कुल	अकार्बनिक रसायन	उर्वरक	धात्विक अयस्क एवं धातु छीलन	अन्य	कुल
मूल्य	43.72	23.27	17.45	128.63	213.07	317.68	275.66	4.52	3.91	601.77
					यू.ए.ई.					
वस्तु का नाम	रत्न एवं आभूषण	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	धातुओं का विनिर्माण	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	मोती, बेशकीमती पत्थर	सोना	अन्य	कुल
मूल्य	10,967.06	4,896.20	774.31	7839.91	24,477.48	10,309.76	4,278.01	3,830.79	5372.69	23,791.25
					यमन					
वस्तु का नाम	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	अन्य अनाज	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स	अन्य	कुल	पेट्रोलियम-अपरिष्कृत एवं उत्पाद	कच्ची खाल एवं चमड़ा	अलौह धातुएं	अन्य	कुल
मूल्य	375.87	48.53	44.42	318.47	787.29	745.02	2.64	2.3	4.65	754.61

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु अतिरिक्त धनराशि

707. **श्री मुरारी लाल सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत राज्य सरकारों को भारी वर्षों के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि मांगी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सरकार वर्षा और बाढ़ आदि के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों की मरम्मत किए जाने के लिए राज्य सरकारों को उन क्षतियों के आकलन और उपलब्ध संपूर्ण आवंटन के आधार पर अनुरक्षण और मरम्मत के अंतर्गत वार्षिक रूप से निधि उपलब्ध कराती है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए मूल्यांकन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त खंडों की अस्थाई बहाली किए जाने के लिए 2.00 करोड़ रु. की राशि अपेक्षित है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के इन क्षतिग्रस्त खंडों की अस्थाई बहाली किए जाने के लिए 0.53 करोड़ रु. का आवंटन किया गया था।

कार्बन-उत्सर्जन संबंधी मानक

708. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ का अपने क्षेत्र में उड़ान भरने वाले तथा बाहर से वहां आने वाले सभी विमानों (जिनमें एयर इण्डिया के विमान शामिल हैं) पर कार्बन-उत्सर्जन संबंधी मानक लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्सर्जन संबंधी उक्त नए प्रतिबंधों से भारत से वहां के लिए विमान सेवा देने वाली विमान कंपनियों की लागत व अन्य खर्च बढ़ जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना का प्रतिरोध करने हेतु कोई उपाय करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने अपनी उत्सर्जन ट्रेडिंग स्कीम में 1 जनवरी, 2012 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान से होने वाले उत्सर्जन शामिल कर लिए हैं, जिसके बाद यूरोपीय संघ में आने जाने वाले भारतीय विमानों सहित सभी विमान उत्सर्जनों की एक सीमा के अधीन होंगे और उन्हें एक निश्चित सीमा तक ई.यू. प्राधिकारियों से उत्सर्जन परमिट खरीदने होंगे। इस स्कीम के अंतर्गत केवल उन विदेशी विमानों को छूट की अनुमति होगी जिनकी उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह दो या उससे कम हो। ई.यू. उपाय के परिणामस्वरूप एक संरक्षणकारी अनुमान पर, भारत से यूरोप एक उड़ान के आने और जाने पर 6-8 यूरो तक प्रति यात्री अतिरिक्त लागत आने की संभावना है।

(घ) और (ङ) भारत का विचार है कि ई.यू. द्वारा उठाया गया कदम एक एकपक्षीय उपाय है और शिकागो कन्वेंशन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यू.एन.एफ.-सी.सी.सी.) के उपबंधों का उल्लंघन है। सरकार ने यूरोपीय संघ से बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों स्तरों पर इस एकपक्षीय उपाय पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) के समान विचार वाले सदस्य देशों के एक समूह द्वारा दिल्ली और मास्को में जारी संयुक्त घोषणाओं में एक पक्षकार है जो ई.यू. के निर्णय के विरोध में हैं। मास्को में जारी संयुक्त घोषणा में कुछ उपायों का सुझाव दिया गया है, जो ई.यू. उपाय के विरुद्ध संबंधित देश द्वारा किए जा सकते हैं। इन उपायों में शिकागो कन्वेंशन के अंतर्गत विवाद समाधान तंत्र का अवलम्ब लेना, एयरलाइंस को ई.यू. स्कीम में भागीदारी करने से रोकना, आंकड़ों/उड़ान विवरण का प्रस्तुतीकरण तथा द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों की समीक्षा करना शामिल है।

[अनुवाद]

केन्द्रीकृत कॉल-सेन्टर की स्थापना

709. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी देने, सड़क यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं का समाधान करने और राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित अन्य मुद्दों में सहायता करने की दृष्टि से एक केन्द्रीकृत कॉल-सेन्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पहल देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेवा देने में सक्षम होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक मॉडल पर काम कर रहा हैं जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार अपनी स्वयं की आपत्ति प्रतिक्रिया सेवाएं विकसित कर सकेगी जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सामान्य टॉल फ्री नंबर वाला 24X7 कॉल सेंटर होगा और इसकी सहायता के लिए परा-चिकित्सा स्टाफ सहित एंबूलेंसों का बेड़ा और अभिघात केन्द्र होंगे। वर्तमान में, 11 राज्य सरकारें एक ऐसी प्रणाली संचालित कर रही हैं जहां अपने संबंधित राज्यों में सामान्य टॉल फ्री नंबर है। मंत्रालय ने शेष राज्यों को अपने संबंधित राज्यों में सदृश तंत्र स्थापित करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

710. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित किए जाने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या उक्त व्यापार मेले वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कारीगरों के लिए पर्याप्त संख्या में स्टॉल आबंटन हेतु आरक्षित किए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कारीगरों के लिए आबंटन हेतु स्टॉलों के आरक्षण में अनियमितताएं और दलालों की संलिप्तता की घटनाएं सामने आयी हैं; और

(छ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों को बाजार पहुंच एवं ब्रॉड संवर्धन हेतु उनके उत्पादों एवं सेवाओं के प्रदर्शन के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। कई कम्पनियां नए उत्पादों को बाजार में लाने के लिए इस अवसर का उपयोग करती हैं। राज्य सरकारें अपने राज्यों का पवेलियन स्थापित करती हैं और अपने राज्यों में हुए औद्योगिक विकास एवं चल रहे तथा नए कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करती हैं। यह व्यवसाय-सह-व्यवसाय और लोक दिवसों पर व्यवसाय-सह-उपभोक्ता संवाद का अवसर भी उपलब्ध कराता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के पहले पांच दिन अनन्य रूप से व्यावसायिक आंगतुकों के लिए आरक्षित होते हैं और शेष नौ दिन आम जनता के लिए भी खुले होते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जैसा कि बार-बार भाग लेने के इच्छुक प्रदर्शकों की बड़ी संख्या और मेले के दौरान प्रदर्शनी स्थल के उच्च उपयोग से देखा जा सकता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा है।

(घ) और (ङ) दस्तकारों की भागीदारी काउंसिल फॉर एडवान्समेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नॉलोजी (सी.ए.-पी.ए.आर.टी.), अति लघु, लघु एवं मंझोले उद्यम (एम.एस.एम.ई.), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। इन विभागों को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा

आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बड़ी जगह दी जाती है।

(च) और (छ) लघु एवं मंझोले उद्यमों (एस.एम.ई.) तथा दस्तकारों की भागीदारी और उनका चयन संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।

एशियाई शेरों का पुनर्वास

711. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वन्यजीवन संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं का कथन है कि मध्य प्रदेश स्थित पालपुर-कुनो अभयारण्य एशियाई शेरों के पुनर्वास हेतु उपयुक्त स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं और प्रत्येक किए गए कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) सरकार द्वारा एशियाई शेरों के पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त शेरों को कब तक पुनर्वासित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एशियाई शेरों को गिर, गुजरात के बाहर वैकल्पिक क्षेत्रों में पुन: स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। राजस्थान में तीन स्थलों नामत: दर्राह वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य तथा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य और मध्य प्रदेश में कुनो-पालपुर अभयारण्य का अभिनिर्धारण शेरों को छोड़ने हेतु किया गया। इन चार में से, कुनो-पालपुर अभयारण्य को इसके क्षेत्रफल, आकृति और वनस्पति के कारण सर्वाधिक उपयुक्त स्थल पाया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 1995 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस क्षेत्र में शेरों के पुन: स्थापन से पूर्व किए जाने हेतु निम्नलिखित कार्यों की सिफारिश की:

(i) संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा शेरों के पुन: स्थापन हेतु प्रस्ताव की संपूर्ण स्वीकृति;

(ii) शेरों के पुन: स्थापन हेतु स्थानीय समुदाय की सहायता तथा भागीदारी के लिए कुनो-पालपुर क्षेत्र में जागरूकता तथा पारि-विकास स्कीम आरंभ करना;

(iii) लगभग 700 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में कुनो राष्ट्रीय उद्यान की संस्थापना, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से सभी मानवीय रिहाईश को हटाना और इसमें मवेशियों के चरने को रोकना शामिल है;

(iv) स्कीम के कार्यान्वयन और इस क्षेत्र का पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग के समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों के एक विशेष दल का गठन करना;

(v) खरपतवार को हटाने सहित पर्यावास सुधार उपाय करना, और जल की उपलब्धता तथा वितरण को बढ़ाना;

(vi) छोड़े गए शेरों हेतु पर्याप्त शिकार आधार उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संख्या में चीतल और नीलगाय रखकर स्थानिक वन्य खुरदारों की संख्या को बढ़ाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुनो-पालपुर अभयारण्य से 1545 परिवारों के पुनर्वास हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अब तक 1545.00 लाख रु. की राशि जारी की है। पर्यावास में सुधार और अभयारण्य के प्रबंधन हेतु विभिन्न उपाय करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान 168.435 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(घ) शेरों के पुन:स्थापन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

712. **श्री मधुसूदन यादव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेफ्ट विंग उग्रवाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ में चार राष्ट्रीय राजमार्गों की 177 किमी लम्बाई और 4 राज्यीय राजमार्गों की 124 किमी लम्बाई के उन्नयन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के तहत निधियां कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए संस्वीकृत कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सड़क की श्रेणी	कार्यों की संख्या	लंबाई किमी में	लागत करोड़ रुपए
राष्ट्रीय राजमार्ग	6	237	434
राज्यीय सड़कें	41	1710	2149
जोड़	47	1947	2583

(ग) उपर्युक्त विकास के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान, 175 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी और वर्ष 2011-12 के दौरान, 275 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी।

वन क्षेत्र हेतु मानदंड

713. श्रीमती ऊषा वर्मा:

श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि की न्यूनतम सीमा/रेंज में वन क्षेत्र के संबंध में कोई मानदंड नियत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वन क्षेत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में देश में कितने पेड़ काटे गए तथा उक्त अवधि के दौरान कितने पेड़ लगाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के न्यूनतम 1/3 भाग पर वन तथा वृक्ष लगाने को राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उद्देश्य यह है कि 2/3 भाग पर वन तथा वृक्ष लगाए जाएं।

मध्य प्रदेश सहित देश में वन तथा वृक्षों का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में अवक्रमित वनों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का पुनरूद्धार करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.), वन प्रमंडल स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) और ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे.एफ.एम.सी.) के विकेन्द्रित तंत्र के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 31-10-2011 की स्थिति के अनुसार, 2002 में इस स्कीम की शुरुआत से 18.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को संसाधित करने के लिए देश में 28 राज्यों में 800 एफ.डी.ए. परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ii) मंत्रालय द्वारा वन प्रबंधन तीव्रीकरण स्कीम (आई.आई.एफ.एम.एस.) के अन्तर्गत वन सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण जैसे अवसंरचना, आग से सुरक्षा, वन सीमांकन, अग्रपंक्ति स्टाफ तथा संचार हेतु निर्माण सुविधाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं जिससे वनावरण में वृद्धि हुई है।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 'हरित भारत' हेतु एक राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा की गई है जिसमें वनीकरण के साथ-साथ अवक्रमित वनों में सुधार लाना महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

(iv) 13वें वित्त आयोग के निर्णय के अंतर्गत, राज्यों को राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष राज्य में उनके वनावरण के आधार पर 'वन अनुदान' के रूप में 5000 करोड़ रु. का अनुदान आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पर प्रत्येक राज्य में सघनता के आधार पर वनों की गुणवत्ता का आकलन करते हुए विचार किया गया है।

(v) 12 राज्यों द्वारा विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परि-योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण संबंधी कार्यकलाप किए गए हैं।

(ग) देश में तीन वर्षों के लिए वृक्षों तथा वृक्षारोपणों की कटाई के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए वृक्षों की अवैध कटाई की रिपोर्ट की गई संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	38492	28222	-
2.	बिहार	-	-	-
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-
4.	गोवा	237	207	-
5.	गुजरात	5482	5585	4463
6.	हरियाणा	6317	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	2168	2691	1781
8.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
9.	झारखंड	192	114	-
10.	कर्नाटक	4077	2301	-
11.	केरल	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	-	-	16554
13.	महाराष्ट्र	-	-	-
14.	ओडिशा	65221	-	-

1	2	3	4	5
15.	पंजाब	-	-	-
16.	राजस्थान	11662	9879	-
17.	तमिलनाडु	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	-	-	-
19.	उत्तराखंड	-	-	-
20.	पश्चिम बंगाल	1094	581	-
21.	अरुणाचल प्रदेश	43	51	94
22.	असम	2971	3299	1954
23.	मणिपुर	-	-	-
24.	मेघालय	798	614	-
25.	मिजोरम	-	-	-
26.	नागालैंड	-	-	
27.	सिक्किम	-	-	
28.	त्रिपुरा	-	-	-
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	-
30.	चण्डीगढ़	-	-	-
31.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
32.	दमन और दीव	-	-	-
33.	लक्षद्वीप	-	-	-
34.	दिल्ली	-	-	-
35.	पुडुचेरी	-	-	-
	कुल	138754	53546	24846

विवरण-II

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए रिपोर्ट किए गए वृक्षारोपण का विवरण (एन.ए.पी.)

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र हेक्टर में		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4182	2341	5453
2.	बिहार	3475	0	5647
3.	छत्तीसगढ़	8450	1177	8370
4.	गोवा	0	0	0
5.	गुजरात	4920	1760	11150
6.	हरियाणा	5526	1100	3145
7.	हिमाचल प्रदेश	1255	1646	2566
8.	जम्मू और कश्मीर	3550	0	0
9.	झारखंड	9980	0	0
10.	कर्नाटक	2200	0	9523
11.	केरल	1095	666	2947
12.	मध्य प्रदेश	6188	13000	10219
13.	महाराष्ट्र	7219	0	7934
14.	ओडिशा	1745	0	7410
15.	पंजाब	547	0	625
16.	राजस्थान	6800	400	3300
17.	तमिलनाडु	4025	0	2984
18.	उत्तर प्रदेश	9664	3340	12435
19.	उत्तराखंड	4065	5167	5058

1	2	3	4	5
20.	पश्चिम बंगाल	615	2815	2360
	कुल योग (अन्य राज्य)	**85501**	**33412**	**101126**
21.	अरुणाचल प्रदेश	1750	3125	0
22.	असम	3625	0	0
23.	मणिपुर	1525	3599	1945
24.	मेघालय	800	4800	3930
25.	मिजोरम	2700	2370	2600
26.	नागालैंड	4050	2000	4500
27.	सिक्किम	2225	1549	2230
28.	त्रिपुरा	1380	6271	6220
	कुल योग (पूर्वोत्तर राज्य)	**18055**	**23714**	**21425**
	कुल	103556	57126	122551

आरक्षित वर्गों के लिए कौशल विकास

714. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों और बेरोजगार युवकों के कौशल विकास हेतु कोई कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है ताकि वे उच्चतम अनुसंधान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में आसानी से दाखिला ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या सरकार ऐसी संस्थाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश दिलाने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू कर रही है जहां उनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं अथवा वहां उनका न्यूनतम प्रतिनिधित्व है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.टी.) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में निम्नलिखित तीन मुख्य कौशल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

1. 9447 सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज) के माध्यम से कार्यान्वित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।

2. 26,200 प्रतिष्ठानों के माध्यम से कार्यान्वित प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना।

3. 6891 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वी.टी. वीज) के माध्यम से कार्यान्वित कौशल विकास पहलें (मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल)।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतर रोजगार हेतु उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि कर उनके उपयुक्त कौशलों का विकास करना है। व्यावसायिक

प्रशिक्षण समवर्ती सूची का विषय होने के कारण ये योजनाएं राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती हैं।

आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा 18 जनजातीय शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जन-जातीय कार्य मंत्रालय की वित्तीय सहायता से) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप नामक योजना चला रहा है जिसमें चुने गए अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों जिनमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी शामिल हैं, को एम. फिल/पी.एच.डी. करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत किए गए चयन से संबंधित राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

यू.जी.सी. ने अ.जा./अ.ज.जा. हेतु इन योजनाओं की समीक्षा हेतु तथा उच्चतर शिक्षा में उनकी अधिक भागीदारी हेतु उपाय सुलझाने के लिए दो समितियों का गठन किया है। इस कवायद का बुनियादी प्रयोजन विद्यमान योजनाओं को उनकी रूपरेखा तथा सुपुर्दगी तंत्र के संदर्भ में 12वीं योजनावधि के दौरान और सुदृढ़ करना और नई पहलें सुझाना है।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के अंतर्गत किए गए चयन से संबंधित राज्य-वार आंकड़े

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	200	79	279
अरुणाचल प्रदेश	-	25	25
असम	24	35	59
बिहार	68	4	72
चंडीगढ़	3	-	3
छत्तीसगढ़	30	13	43
दिल्ली	37	-	37
गोवा	-	2	2
गुजरात	43	28	71
हरियाणा	57	-	57
हिमाचल प्रदेश	23	12	35

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	10	15	25
झारखण्ड	17	44	61
कर्नाटक	134	42	176
केरल	46	4	50
लक्षद्वीप	-	2	2
मध्य प्रदेश	127	64	191
महाराष्ट्र	148	13	161
मणिपुर	8	68	76
मेघालय	-	27	27
मिजोरम	-	23	23
नागालैण्ड	-	30	30
ओडिशा	74	34	108
पुडुचेरी	3	-	3
पंजाब	84	-	84
राजस्थान	118	60	178
सिक्किम,	-	5	5
तमिलनाडु	241	7	248
त्रिपुरा	5	4	9
उत्तर प्रदेश	371	5	376
उत्तराखंड	20	3	23
पश्चिम बंगाल	109	19	128
कुल योग	2000	667	2667

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज

715. **श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कितनी लम्बाई निर्मित की गई;

(ख) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के तहत विगत पांच वर्षों में किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पांच वर्षों के दौरान पूरी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 11 कि.मी. की लंबाई के सिवाय 5846 कि.मी. लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई (कि.मी. में)				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	135.80	175.56	263.18	423.83	247.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.89	5.25	0.00	16.43	32.00
3.	असम	33.53	32.52	88.42	229.70	268.41
4.	बिहार	48.08	119.73	131.50	241.51	219.91
5.	छत्तीसगढ़	83.35	104.46	147.09	188.87	99.30
6.	गुजरात	312.40	329.40	238.54	163.48	112.82
7.	हरियाणा	65.79	161.65	122.99	196.23	173.80
8.	हिमाचल प्रदेश	75.63	121.75	67.92	28.34	61.84
9.	जम्मू और कश्मीर	59.22	63.61	176.93	221.07	125.82
10.	झारखंड	40.94	98.50	68.59	88.12	113.36
11.	कर्नाटक	121.55	88.66	166.51	323.71	291.00
12.	केरल	0.00	22.00	49.94	19.90	20.20
13.	मध्य प्रदेश	162.00	246.48	295.83	449.62	223.81
14.	महाराष्ट्र	175.46	397.92	265.36	190.85	343.84
15.	मणिपुर	35.09	21.80	19.65	14.20	36.50

1	2	3	4	5	6	7
16.	मेघालय	7.13	4.90	0.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	13.76	8.40	32.61	18.63	1.85
18.	नागालैंड	8.92	16.00	57.00	74.00	67.98
19.	ओडिशा	173.21	79.78	132.11	293.99	238.03
20.	पंजाब	123.30	137.57	151.67	185.86	134.69
21.	राजस्थान	221.80	674.68	710.97	134.30	163.48
22.	तमिलनाडु	148.26	363.22	602.27	513.19	265.43
23.	त्रिपुरा	35.26	11.33	9.14	5.46	14.00
24.	उत्तर प्रदेश	184.66	223.23	377.56	721.93	523.63
25.	उत्तराखंड	25.60	21.31	140.52	84.50	41.16
26.	पश्चिम बंगाल	15.97	42.50	104.00	158.84	91.15

विवरण-II

चालू स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं (29-02-2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	खंड	राज्य	रारा सं.	कुल लंबाई (कि.मी.) में)	पूरी की लंबाई (कि.मी. में)	वित्त पोषित	प्रारंभ की तारीख	संविदा के अनुसार पूरा होने की तारीख	पूरा होने की प्रत्याशित तारीख	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	एल.ओ.ए. की तारीख
1.	हरिहर-चित्रदुर्गा	कर्नाटक	4	77	77	भा.रा.रा.प्र.	अक्तू-2008	जून-2010	मार्च-2012	207.56	मार्च-2002
2.	हावेरी-हरिहर	कर्नाटक	4	56	56	भा.रा.रा.प्र.		जुलाई-2010	मार्च-2012	196.65	मार्च-2002
3.	गंजम-इच्छानुरम (ओ.आर.-VIII)	ओडिशा	5	50.8	50.67	भा.रा.रा.प्र.	जुलाई-2006	नवं.-2008	मई-2012	263.27	जून-2001
4.	सुनाखला-गंनजम (ओ.आर.-VII)	ओडिशा	5	55.713	45.79	भा.रा.रा.प्र.	अक्तू-2009	अक्तू-2011	जुलाई-2012	241.53	अगस्त-2001
5.	भुवनेश्वर-खुर्दा (ओ.आर.-I)	ओडिशा	5	27.15	27.15	भा.रा.रा.प्र.	जन.-2001	जन.-2004	मार्च-2012	140.85	जन-2001
6.	बालासोर-भाद्रक (ओ.आर.-III)	ओडिशा	5	62.64	62.61	भा.रा.रा.प्र.	दिसं.-2008	दिसं.-2010	जुलाई-2012	228.7	मई-2001
7.	आगरा-शिकोहाबाद (जी.टी.आर.आर.आई.पी./I-ए)	उत्तर प्रदेश	2	50.83	50.76	प.बं.	मार्च-	मार्च-2002	जून-2005	367.49 2012	मार्च-2002
8.	पुल खंड (डब्ल्यू.बी.-III)	पश्चिम बंगाल	6	1.732	0.48	भा.रा.रा.प्र.		समाप्त		81	जन.-2001

न्यूनतम मजदूरी

716. **श्री: प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रदान की जा रही न्यूनतम मजदूरी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान है जो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में उपयुक्त रूप से जीवनयापन करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) इस संबंध में 'इंडियन लेबर कान्फ्रेंस' की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी को कर्मकारों के परिवारों के लिए कैलोरी को आवश्यकता के आधार पर समायोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उद्देश्य खासकर असंगठित क्षेत्र में कामगारों के हित का प्राथमिक रूप से संरक्षण करना है। अनुसूची में शामिल किए गए विभिन्न नियोजित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय भारतीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.) 1957 द्वारा अनुशंसित मानकों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रेप्टाकोस एण्ड कंपनी बनाम इसके कामगारों के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखा जाता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, भुगतान करने की क्षमता, उत्पादकता, स्थानीय परिस्थितियों, उपभोग की वस्तुओं में अंतर, विनियम दरों आदि में अंतर के कारण देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से न्यूनतम मजदूरी में बड़े पैमाने पर अंतर है।

इसे ध्यान में रखते हुए देश में न्यूनतम मजदूरी की अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना करना संभव नहीं है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी से संबंधित श्रम सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.) द्वारा अनुशंसित मानकों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है। ये निम्नलिखित है:

(i) एक अर्जक के लिए 3 उपभोग इकाइयां।

(ii) प्रति औसत भारतीय वयस्क 2700 कैलोरी की न्यूनतम आहार संबंधी आवश्यकताएं।

(iii) प्रति परिवार 72 गज प्रति वर्ष कपड़े की आवश्यकताएं।

(iv) सरकार की औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत प्रावधान किए गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुरूप किराया।

(v) ईंधन, प्रकाश तथा व्यय की अन्य विविध मदें जो कुल न्यूनतम मजदमरी का 20% हों।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी और उससे संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वें सत्र की एक सम्मेलन समिति का गठन किया गया था। इन मुद्दों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मजदूरी की न्यूनतम दरों, परिवर्ती महंगाई भत्ते (वी.डी.ए.), राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी आदि के निर्धारण/संशोधन संबंधी मानदंड शामिल हैं। व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित बिन्दु उभरकर आए।

1. इस पर मतैक्य था कि सरकार 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) द्वारा अनुशंसित मानदण्डों/मानकों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (रेप्टाकोस कम्पनी बनाम कामगार संघ) 1992 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है।

2. यह सुझाव दिया गया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सभी रोजगार शामिल किए जाने चाहिए और केवल अनुसूचित नियोजनों पर इसकी अनुप्रयोज्यता हेतु विद्यमान प्रतिबंध का लोप कर दिया जाना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 131 के अनुसमर्थन में भी भारत के लिए सहायक होगा।

3. इस पर व्यापक सहमति थी कि पूरे देश के सभी नियोजनों पर लागू किए जाने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए।

4. यह उल्लेख किया गया था कि प्रशिक्षुओं को भुगतान को अन्य श्रेणियों से अलग माना जाना चाहिए।

5. समिति ने नोट किया कि वर्तमान में 12 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने परिवर्ती महंगाई भत्ते को अंगीकार नहीं किया है। इस पर सहमति थी कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवर्ती महंगाई भत्ते को अंगीकार करना चाहिए।

6. यह भी अनुशंसा की गई थी कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान बैंकों/डाकघरों आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए।

7. यह महसूस किया गया था कि प्रवर्तन एजेंसियों को न्याय-निर्णयन की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए और अतएव इस प्रस्ताव की पुन: जांच की जानी चाहिए।

8. अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित दण्डित उपबंध के बारे में यह महसूस किया गया कि धारा 22 और 22-क के अंतर्गत कारावास संबंधी खण्ड नियोजकों के लिए कठोर है तथा इसकी पुन: जांच की जाए। इसके अतिरिक्त, यह महसूस किया गया था कि रजिस्टर न रखने के मामले में कारावास नहीं होना चाहिए।

9. केन्द्र अथवा राज्य में समान नियोजन के संबंध में भिन्न-भिन्न न्यूनतम मजदूरी के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

वनों के दोहन पर रोक

717. **श्री गोपीनाथ मुंडे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर पूरे देश में विशेष तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में वनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए सभी संबंधित राज्यों को शामिल करते हुए इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्रों और उपस्करों की कमी

718. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए विशेष वस्त्रों और उपस्करों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सैनिकों के लिए इन मदों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राधिकार के अनुसार इन मदों की खरीद करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन मदों की खरीद में तेजी लाने के लिए अगस्त 2007 में सक्षम वित्तीय प्राधिकारयुक्त मास्टर जनरल आयुध (एम.जी.ओ.) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। इसके अलावा, सेना मुख्यालय में विशेष वस्त्रादि तथा पर्वतारोहण उपस्कर पर्याप्त मात्रा में रिजर्व में रखे जाते हैं ताकि इन मदों की कमी न हो।

[अनुवाद]

संरक्षित क्षेत्र

719. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में 'सेवरी मैनग्रोव पार्क' को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी हानि न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। तथापि, मुंबई में सेवरी में सर्वे सं. 865 में 14.82 हेक्टेयर क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने यह भी सूचना दी है कि उन्होंने राज्य में कच्छ वनस्पति क्षेत्रों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु 37 पदों के साथ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक पृथक कच्छ वनस्पति प्रकोष्ठ का सृजन किया है। इस प्रकोष्ठ का मुख्यालय मुंबई में है और इसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र हैं। इस प्रकोष्ठ को तटीय जैवविविधता संरक्षण की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

कच्छ वनस्पति को महाराष्ट्र वृक्ष कटाई (विनियमन) अधिसूचना, 1964 के अंतर्गत भी संरक्षण प्राप्त है और यह उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची में शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सहित देश के समूचे तटीय क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति को सी.आर.जैड. अधिसूचना 2011 और द्वीप सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

वन संसाधनों का नियंत्रण

720. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा प्रस्ताव लाने का है जिससे देश में वन संसाधनों पर नियंत्रण में स्थानीय समुदायों की भी भागीदारी हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में देश में, कर्नाटक सहित क्या कदम उठाए हैं;

पयावरण और मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ग) जी नहीं। तथापि, वनों का प्रबंधन "केयर एण्ड शेयर" के सिद्धान्त के आधार पर स्थानीय समुदायों की सहभागिता से किया जाता है। दिनांक 01 जून, 1990 को मंत्रालय द्वारा वनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सहभागिता के लिए संयुक्त वन प्रबंधन जारी किया गया था। तत्पश्चात् कर्णाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) हेतु संकल्प भी तैयार किए गए हैं। लगभग 2,31,365 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र के प्रबंधन के लिए लगभग 1.05 लाख जे.एफ.एम. समितियां हैं जिनके लिए जे.एफ.एम.सी. के सदस्य राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय समुदायों के साथ वनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का पूर्वनिर्धारित शेयर प्राप्त करते हैं।

औद्योगिक विकास और निर्यात हेतु सब्सिडी

721. **श्री जगदीश ठाकोर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक विकास और निर्यात हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के नियमों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सब्सिडी को डब्ल्यू.टी.ओ. के नियमों के अनुरूप बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) कुछेक निर्यात संवर्धन स्कीमें हैं: आयकर अधिनियम की धारा 10 क क के तहत एस.ई.जेड. इकाइयों को आयकर छूट; फोकस उत्पाद स्कीम, वस्त्र क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम जैसी स्कीमें इत्यादि।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रम आयुक्तों के कार्यालयों का कार्य निष्पादन

722. **श्री एस. अलागिरी:**

श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख श्रम आयुक्त के कार्यालयों में कार्य निष्पादन का अपर्याप्त होने का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में आज की स्थिति के अनुसार प्रमुख श्रम आयुक्तों के कार्यालयों में कार्यालय-वार कितने कार्य निष्पादनों का आकलन किया गया और उन्हें अपर्याप्त पाया गया;

(ग) उक्त अवधि में कितने चूककर्ता प्रवर्तन अधिकारियों का पता चला; और

(घ) उक्त अवधि में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा उसके क्या परिणाम रहे?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य निष्पादन की अपर्याप्तता तथा वांछित मानकों से कम होने का पता लगाने हेतु उनका आवधिक रूप से अनुवीक्षण किया जा रहा है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान समूह 'क' अधिकारियों के कार्य निष्पादन के अपर्याप्त पाए जाने की संख्या निम्नानुसार दर्शायी गयी है:

2008-09	58
2009-10	56
2010-11	45

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान समूह 'ख' प्रवर्तन अधिकारियों को चूककर्ता पाए जाने की संख्या निम्नानुसार दर्शायी गयी है;

2008-09	45
2009-10	43
2010-11	44

(घ) पर्यवेक्षण अधिकारियों को चूककर्ता कर्मचारियों के कारण बताने तथा बेहतर कार्य निष्पादन की प्राप्ति हेतु उसका ठीक से अनुवीक्षण करने की सलाह दी गयी है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा श्रेणी सूची में शामिल करना

723\. **श्री विष्णु पद राय:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका से प्रत्यावर्तित लोगों, बर्मा अधिवासियों, केरल अधिवासियों, पूर्व-सैनिकों, रांची अधिवासियों को अन्य पिछड़े श्रेणी में शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9(1) के अनुसार, जातियों/समुदायों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में प्रश्न में वर्णित श्रेणियों में समावेशन के लिए कोई सलाह प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवा

724\. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल बेरोजगार युवकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोजगार कार्यालयों में लम्बे समय से नाम दर्ज करवाने के बावजूद भी इन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना लागू करने का है जिससे नाम दर्ज कराने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर रोजगार प्रदान किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 15-29 वर्ष के आयु समूह में रोजगार चाहने वाले युवाओं, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या 2008 में 26.97 मिलियन से घटकर 2009 में 25.89 मिलियन हो गई है। पिछले पांच वर्षों में रोजगार चाहने वाले युवाओं की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	युवा (मिलियन में)
2005	27.83
2006	29.08
2007	27.91
2008	26.97
2009	25.89

शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वाले युवाओं की संख्या का केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) औसतन पिछले पांच वर्षों के दौरान युवाओं सहित लगभग 57.67 लाख रोजगार चाहने वालों ने पंजीकरण हेतु रोजगार कार्यालयों से संपर्क किया और युवाओं सहित लगभग 3.62 लाख रोजगार चाहने वालों को प्रत्येक वर्ष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। रोजगार कार्यालय उनको अधिसूचित की गई रिक्तियों के विरुद्ध नियोक्ताओं को उपयुक्त अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तुत करते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकरण एवं नियोजन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	पंजीकरण (लाख में)	नियोजन (लाख में)
1	2	3
2007	54.34	2.64
2008	53.16	3.05
2009	56.94	2.62
2010	61.86	5.10
2011	62.06	4.70

(ङ) और (च) किसी ऐसी योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के अधीन कार्यरत रोजगार कार्यालय नियोक्ता एवं रोजगार चाहने वालों के बीच बातचीत को सुकुर बनाते हैं और अपने आप से कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं। तथापि, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों के नियोजनों की संभाव्यता बढ़ाने के लिए कार्य मेलों/रोजगार मेलों का आयोजन, ई-आजीविका सम्मेलन, स्व रोजगार योजनाओं का संवर्द्धन, रोजगार चाहने वाले के आंकड़ों को वेबसाइट/इंटरनेट पर डालने जैसे विभिन्न उपाय करने हेतु राज्य सरकारी को मनाया जा रहा है।

लवासा परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

725. **श्री राजू शेट्टी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत लवासा परियोजना के प्रथम चरण को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृति सरकार द्वारा 16 नवम्बर, 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप प्रदान की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) ग्राम मुत्शी और वेल्हे तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मेसर्स लवासा कॉर्पोरेशन (मेसर्स एल.सी.एल.) की हिल स्टेशन परियोजना के प्रथम चरण (2000 हे.) के विकास के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, दिनांक

09 नवम्बर, 2011 को विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रदान की गई थी।

(ग) से (ड.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 16 नवम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप, महाराष्ट्र सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के लिए मैसर्स एल.सी.एल. के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया था। तदनुसार, दिनांक 4-11-2011 को पुणे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन

726. **श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्या सरकार का विचार प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित संशोधन सरकार के विचाराधीन है;

(i) उन संगठनों में शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन, जो चार से अधिक राज्यों में व्यापार/व्यवसाय चला रहे हैं, केन्द्र सरकार के पास रहेगा।

(ii) उन नियोक्ताओं को कारावास दिया जाए जिनके बारे में यह "सिद्ध" हो जाता है कि वे गम्भीर उल्लंघनों के जान-बूझकर चूककर्ता हैं। छोटे-छोटे उल्लंघनों के मामलों में जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

(iii) 'कामगार' की परिभाषा में परिवर्तन।

(iv) विशिष्ट उद्योग अथवा फर्म में रोजगार अवसर खुलने की स्थिति में उन शिक्षुओं को रोजगार दिए जाने में वरीयता दी जायेगी जिन्होंने उस विशिष्ट उद्योग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(ग) अंतर-मंत्रालय परामर्श पूरा कर लिया गया है और प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय के विचारार्थ भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

भंग ओष्ठ और तालू प्रभावित व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग सूची में शामिल करना

727. **श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भंग ओष्ठ और तालू प्रभावित व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग सूची में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समुद्रवर्ती क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास

728. **श्री अशोक तंवर:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास समुद्रवर्ती क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी में सुधार हेतु अन्य देशों के साथ किन्हीं तकनीकी करारों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा, उन्नत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिपिंग और उससे संबंधित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय

परिवर्तन और इसके साथ व्यापार की ओर कड़ी मांगों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, पोत परिवहन मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर डिलैवरी प्रणाली की दक्षता को सुधारने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से पत्तनों की अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की डिजाइन और कार्यान्वयन कार्य में लगातार लगा हुआ है। पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए अपनाए गए उपाय इस प्रकार है:

- नए बर्थों/टर्मिनलों का निर्माण
- मौजूदा बर्थों का विस्तार/उन्नयन
- नए और आधुनिक उपकरणों की स्थापना
- कार्गो सम्भलाई प्रचालनों का यंत्रीकरण
- पत्तन प्रचालन में स्वचालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कम्प्यूटर सहायता प्राप्त प्रणालियां
- जलयानों के सुचारु आवागमन के लिए जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) की स्थापना
- वैब आधारित पत्तन समुदाय प्रणाली का कार्यान्वयन

इसके अलावा, स्वदेशी पोत डिजाइन और अनुसंधान तथा पोत परिवहन और पोत निर्माण क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, पोत परिवहन मंत्रालय के पास टग, ड्रेजिंग, ऑफशोर जलयान इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत डिजाइन और जांच सुविधाओं का विकास करने, डिजाइन के मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां और पोत निर्माण में अध्ययनों को संचालित के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुदान सहायता योजना है।

(ग) भारत का कुछ देशों से अर्थात् नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मोरक्को, चीन, ईरान, सिंगापुर, रूसी संघ, तुर्की, बुल्गारिया, जर्मन संघीय गणराज्य, डेनमार्क, फिरलैंड और पोलैंड के साथ समुद्रीय क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन है। इन करारों/समझौतों ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, समुद्रीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय सहयोग शामिल हैं।

(घ) देश में समुद्रीय प्रौद्योगिकी का विकास करने की दृष्टि से भारत पोत निर्माण और मरम्मत, पत्तन और बंदरगाह अवसंरचना, समुद्रीय उपस्कर और अपतटीय प्रौद्योगिकियों, निष्पादन और उत्पादकता वृद्धि, मानव संसाधन आवश्यकताओं और क्षमता निर्माण आदि में पारस्परिक सहयोग और तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए इन देशों के साथ मिलकर सतत रूप से कार्य करता रहा है।

[हिन्दी]

शराब कम्पनियों द्वारा अनियमितताएं

729. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शराब उत्पादक कम्पनियों द्वारा की जा रही पर्यावरण संबंधी अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई उपाए किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में इन कम्पनियों में किए गए निरीक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निरीक्षण के दौरान सरकार द्वारा पाई गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निगमित उत्तरदायित्व (सी.आर.ई.पी.) 2003 पर चार्टर के अनुसार, शीरा पर आधारित आसवनियों को प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपायों में से किसी एक अथवा दो उपायों के समुच्चय का अनुपालन करना है:

1. प्रेस मंड से कम्पोस्टिंग।
2. सांद्रण और स्पेन्ट वॉश को सुखाना/भस्मीकरण।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.)/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सिंचाई हेतु बाये-मीथेनेशन के माध्यम से स्पेन्ट वॉश का शोधन जिसके पश्चात दो अवस्थाओं में द्वितीयक शोधन और शोधित बहिस्राव का संसाधित जल के साथ अवमिश्रण।
4. स्पेन्ट वॉश का बायो-मीथेनेशन के माध्यम से शोधन जिसके पश्चात राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ विचार-विमर्श से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(एस.पी.सी.बी.)/सी.पी.सी.सी.बी. द्वारा अनुमित स्थल पर उचित जलमग्न समुद्री मुहाने के माध्यम से समुद्र में नियंत्रित स्राव।

इसके अतिरिक्त, जून, 2008 में के.प्र.नि. बोर्ड ने अपेक्षित पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन न कर रहे मौजूदा आसवनियों (एकल और चीनी इकाइयों से संबद्ध दोनों) को कम्पोस्टिंग, फर्टी-सिंचाई और स्पेन्ट वॉश के एक समय भू-अनुप्रयोग की मौजूदा प्रौद्योगिकियों से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों (वाष्पीकरण, सांद्रण, विद्युत उत्पादन हेतु स्पेन्ट वॉश का भस्मीकरण) में समयबद्ध पद्धति से बदलने का अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में सीमेंट भट्टों में आसवनियों के स्पेन्ट वॉश सांद्रण को सहसंसाधित करने के लिए दिशानिर्देश प्रारूपित किए हैं।

(ख) और (ग) के.प्र.नि.बो. ने अपने पर्यावरणीय निगरानी दस्ता (ई.एस.एस.) कार्यक्रम के अंतर्गत आसवनियों का निरीक्षण किया है। विहित बहिस्राव मानकों/दिशानिर्देशों का महत्वपूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए पाई गई आसवनियों को निदेश जारी किए गए थे। अधिकांश मामलों में, आसवनियां, निर्धारित भण्डारण क्षमता से अधिक मात्रा में झीलों में एकत्रित स्पेन्ट वॉश का भण्डारण करते हुए पाई गई थी। विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I. सी.पी.सी.बी. द्वारा इसके पर्यावरणीय निगरानी दस्ता कार्यक्रम के अंतर्गत आसवनियों का किया गया निरीक्षण

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
2008-09 के दौरान	28
2009-10 के दौरान	29
2010-11 के दौरान	11
अप्रैल 2011 के दौरान-दिसम्बर 2011 तक	16

II. सी.पी.सी.बी. द्वारा आसवनियों को जारी किए गए निदेशों की संख्या

वर्ष	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी निदेश	जल अधिनियम की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. को जारी निदेश
2008-09 के दौरान	07	05
2009-10 के दौरान	00	02
2010-11 के दौरान	21*	01
अप्रैल, 2011 के दौरान-दिसम्बर, 2011 तक	29*	10

*संशोधित निदेश शामिल हैं।

आयुध निर्माणियों में आग

730. **श्रीमती रमा देवी:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री राकेश सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जबलपुर स्थित खमरिया आयुध निर्माणी सहित अन्य आयुध निर्माणियों में आग लगने/विस्फोटों की बढ़ती हुई घटनाओं का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) सरकार ने ऐसी प्रत्येक जांच के आधार पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) स्टाफ को पर्याप्त अग्नि शमन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) आयुध निर्माणी बोर्ड ने आयुध निर्माणियों में आग लगने/विस्फोटों की सभी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निरोधक उपाय किये हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान, आयुध निर्माणी, खमरिया जबलपुर में कोई आग लगने/विस्फोट की घटना नहीं हुई है।

(ख) आयुध निर्माणी संगठन ने आग लगने/विस्फोट की प्रत्येक घटना की प्रारंभिक जांच की है तथा ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए समुचित विचारार्थ विषयों के साथ एक सांविधिक जांच बोर्ड गठित किया है।

(ग) अधिकतर मामलों में यह पाया गया है कि दुर्घटना का कारण या तो उपकरण की यांत्रिकी का फेल होना या उस समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन न करना रहा है।

(घ) समुचित प्राधिकारी द्वारा मंजूर करने के पश्चात सांविधिक जांच बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी सुधारात्मक उपाय एक निश्चित समय-सीमा में लागू किये जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा जांच भी की जाती है।

(ङ) सभी स्टाफ को आग, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा आग से लड़ने का पर्याप्त निमित एवं सतत् प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों को चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, फरीदाबाद स्थित आर.एल.आई. (क्षेत्रीय श्रम संस्थान) और मुम्बई स्थित सी.एल.आई. (केन्द्रीय श्रम संस्थान) द्वारा संचालित एकवर्षीय डी.आई.एस. (औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा) पाठ्यक्रम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस समय आयुध निर्माणी बोर्ड में 67 अधिकारियों के पास औद्योगिक सुरक्षा डिप्लोमा है।

[अनुवाद]

कॉफी का निर्यात

731. श्री आर. ध्रुव नारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कॉफी के निर्यात में धीमी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॉफी के निवल निर्यात में वृद्धि/कमी का प्रतिशत क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विशेषरूप से कर्नाटक से इसके निर्यात से राज्य-वार कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) मात्रा, मूल्य और प्रतिशत विभिन्नता के रूप में कॉफी के निर्यात का विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	कुल कॉफी निर्यात			
	मात्रा टन में	पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मात्रा में हुई प्रतिशत वृद्धि/कमी	मूल्य	
			करोड़ रुपये	मिलियन अम.डा.
1	2	3	4	5
2008-09	196762	-10.1	2238.41	505.21
2009-10	196002	-0.4	2070.68	426.81

1	2	3	4	5
2010-11	297808	52	3343.33	724.03
2011-12*	321537	8	4518.13	972.36

*अनन्तिम, निर्यात परमिटों पर आधारित (2 मार्च, 2012 तक)

2007-08 और 2008-09 के दौरान हुई उत्पादकता में कमी के कारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 को कॉफी निर्यात में गिरावट आयी है। तत्पश्चात यह बढ़ रही है और 2010-11 के दौरान चरम पर पहुंच गई। वर्ष 2011-12 के दौरान निर्याती की वर्तमान प्रवृत्ति सकारात्मक है।

(घ) कॉफी का उत्पादन देश के विभिन्न राज्यों में किया जाता है और विविध निर्यातकों/व्यापारियों द्वारा इसका निर्यात किया जाता है और चूंकि कॉफी निर्यातों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है इसलिए कर्णाटक द्वारा अर्जित कुल राजस्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भूमि अर्जन एकक

732. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए भूमि अर्जन एककों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए गए तथा कार्यरत भूमि अर्जन एककों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भूमि अर्जन एककों द्वारा अब तक क्या प्रगति हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने जिला स्तर के अधिकारियों से समन्वय करने के लिए 154 विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयों की स्थापना की है। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	इकाईयों की सं.
1.	तमिलनाडु	73
2.	केरल	34
3.	ओडिशा	28
4.	कर्नाटक	11
5.	आन्ध्र प्रदेश	04
6.	हिमाचल प्रदेश	01
7.	मध्य प्रदेश	03
	कुल	154

विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयां 3ए और 3डी अधिसूचनाओं और भूमि की मुआवजे और कब्जे के संबंध में भूमि अधिग्रहण संबंधी सक्षम अधिकारी को सहयोग देने के लिए उत्तरदायी है।

अन्य राज्यों में भूमि अधिग्रहण संबंधी सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कार्मिक संसाधन सहित राज्य सरकारों से नियुक्त किए गए थे।

[हिन्दी]

विदेशों में इस्पात/परियोजनाएं

733. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में स्थापित विभिन्न परियोजनाओं का **ब्यौरा** क्या है जिनमें सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियां शामिल **हैं**

और उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये परियोजनाएं अवस्थित हैं; और

(ख) अब तक इन परियोजनाओं में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और भविष्य में कितने व्यक्तियों को नियोजित करने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) वर्तमान में इस्पात मंत्रालय के अधीन इस्पात का निर्माण करने वाली किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के पास विदेश में कोई परियोजना नहीं है। अत: इस संबंध में अपेक्षित ब्यौरा प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्यौहारों पर प्रतिबंध

734. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'जल्ली कट्टू' त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि ग्रामीण तमिलनाडु की परम्परा और संस्कृत रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य की परम्परा और संस्कृति पर से प्रतिबंध हटाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 11-7-2011 की अधिसूचना सं. 384 द्वारा करतब करने वाले पशुओं के रूप में भालुओं, बन्दरों, बाघों, तेंदुओं, शेरों और सांडों की प्रदर्शनी और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाया है।

इस अधिसूचना को वर्ष 2011 की रिट याचिका सं. 15167 में मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय मदुरई बैंच में चुनौती दी गई है। यह मामला न्यायाधीन है।

निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का नियोजन

735. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निगमित उद्योग के संगठनों/संघों को मार्च, 2011 के अंत तक अपने वार्षिक प्रतिवेदन में नियोजित किए गए अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर निगमित उद्योग के संगठनों/संघों द्वारा क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) दिनांक 14-07-2007 को सम्पन्न सकारात्मक कार्रवाई संबंधी समन्वय समिति की दूसरी बैठक में उद्योग मंडल स्वैच्छिक आधार पर कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन संबंधी आंकड़े सूचित करने के लिए सहमत हुए थे।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग एसोसिएटिड मंडल, भारतीय उद्योग परिसंघ और पी.एच.डी. वाणिज्य और उद्योग मंडल ने अपने-अपने सदस्यों द्वारा अंगीकार करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में अपनी-अपनी आचार संहिताएं तैयार कर ली हैं। हालांकि जिसके अंगीकरण की प्रक्रिया धीमी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल

736. **श्री हरि मांझी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल से जोड़े जाने के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पोर्टल पर निजी क्षेत्र में रिक्तियों आदि के बारे में सूचना मुहैया कराए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटना पीड़ित

737. **श्री के. सुधाकरण:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराए जाने के लिए सभी राज्यों में एक निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को प्रत्येक राज्य में दुर्घटना-प्रवण 25 स्थानों की पहचान किए जाने और रिपोर्ट किए जाने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल राज्य में दुर्घटना-प्रवण क्षेत्र के रूप में पहचान की गयी और रिपोर्ट किए गए स्थलों/सड़कों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 13 जनवरी, 2012 को देश में उच्चतम दुर्घटना दर और मौतों (देश में हो रही दुर्घटनाओं और मौतों के कारण का 90%) वाले 13 राज्यों के प्रमुख सचिवों (यातायात)/परिवहन आयुक्तों और यातायात अपर महानिदेशकों के साथ हुई बैठक में, उनको ब्लैक स्पॉटों की पहचान करने और समाधान किए जाने के लिए अत्यन्त गम्भीर स्थलों के साथ-साथ उन स्थानों पर बारबार होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का उल्लेख किए जाने का अनुरोध किया गया था।

(ङ) केरल राज्य में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित स्थानों/सड़कों की पहचान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केरल राज्य में दुर्घटना स्थलों के रूप में चिन्हित/बताए गए स्थान/सड़कें

क्र.सं.	जिला	दुर्घटना स्थल/क्षेत्र/जंक्शन
1	2	3
1.	कोझीकोड	वैद्यरंगादी
		कुंडैथोडे जंक्शन
		रामानुट्टूकारा
		अरीकड जंक्शन
		अझीनिजील्लम जंक्शन
		ईरानीपलम जंक्शन
		पावंगद
		करंथुर
		पथाम्माइल मोड़
		मीनाचंदा बाइपास
		मनकाऊ
		ओमासेरी जंक्शन
		पलाकुट्टी
		नीलमकैंडी मोड़
		ऐंगापुझा
		थिरूवंगूर
		चीमनचेरी
		मुराद पलम
		अयनीक्कड
		नाडापुरम

1	2	3
2.	मलप्पुरम	कांचीकाकड
		पुकीपरंब
		मंजरी सेंट्रल जंक्शन
		थुराक्कल
		चेरूमन्नू
		पूचाकुथू
		पलूंडा
		वट्टापारा
		मूदाल
3.	पलक्कड	यक्कारा पुल
		मनक्करा
		स्वाति जंक्शन
		कन्नानूर
		थाचमपारा-कल्लारीकोड
		नोटामल्ला मोड़
4.	कन्नूर	मुझुप्पीलिंगद
		वलापट्टनमपलम से चेराक्कल
		कीचेरी से कलियासेरी हाई स्कूल
		चुंडाला मोड़
		कोथाईमुक्कू
5.	कासरगोड	माविनकट्टे
		अरीकाड्डी जंक्शन
		कट्टूर वलाऊ
		पडन्नाक्कड
6.	वायनड	वेल्लारामकुन्नू वलाऊ
		पाथिरी पलम
		कालपेट्टा पर अग्नि शमन केन्द्र के निकट पुल
		कृष्णागिरी पलम बेंट
		मीनागडी एफ.सी.आई.
		रोलगापारा

पत्तनों को पर्यावरणीय मंजूरी

738. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में विजहिंजम पत्तन का कार्य शुरू किए जाने के लिए प्राथमिक पर्यावरणीय मंजूरी जारी की है/करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करने और जन सुनवाई करने के लिए मैसर्स विजहिंजम पत्तन लिमिटेड द्वारा विजहिंजम, केरल में विजहिंजम अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल के विकास को दिनांक 10-06-2011 को विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.) प्रदान किया गया था। मैसर्स विजहिंजम पत्तन लिमिटेड को इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु और विचार करने के लिए जन सुनवाई में उठाए गए मुद्दों का निराकरण करने के बाद अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

आयुध कारखानों में पेंशन योजना

739. **श्री राकेश सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर स्थित आयुध कारखाने सहित आयुध कारखानों में एक नई पेंशन योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कार्य कर रहे कर्मचारी उक्त योजना में कतिपय त्रुटियों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां। जबलपुर स्थित सभी आयुध निर्माणियों सहित सभी आयुध निर्माणियों में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है।

(ख) और (ग) एच.वी.एफ. एन.पी.एस. रिफोर्मेशन एसोसिएशन, आवडी ने सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन को असंवैधानिक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करने वाला बताते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण मद्रास पीठ के समक्ष एक ओ.ए. दायर किया है जिसमें, अन्य के साथ-साथ, यह तर्क दिया गया कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के निवेश पर कोई न्यूनतम प्रतिफल की गारंटी नहीं देती। नई पेंशन योजना को समाप्त करने की संयुक्त रूप से मांग करते हुए ऑल इंडिया एम्पलॉइज फैडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फैडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा 28-02-2012 को हड़ताल का आह्वान किया गया था।

(घ) और (ङ) आयुध निर्माणियों में पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर विचार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वृक्षों को काटने पर रोक

740. **श्री पशुपति नाथ सिंह**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वृक्षों को काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वृक्षों को काटने के संबंध में क्या प्रावधान और शर्तें निर्धारित की गई हैं और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन प्रावधानों के उल्लंघन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, नहीं।

(ख) वन भूमि पर वृक्षों को काटने हेतु प्रक्रिया, अनुमोदित वन कार्य योजनाओं में निर्धारित है जबकि वनेत्तर क्षेत्रों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास वृक्ष परिरक्षण अधिनियम हैं जो कि वृक्षों की कटाई हेतु प्रक्रिया को शासित करते हैं। वर्ष 2010-11, 2009-10 और 2008-09 के लिए वृक्षों की अवैध कटाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारें वन आवरण में अवनति को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करती है जिसके लिए केन्द्र सरकार वनों की सुरक्षा हेतु वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण (आई.एफ.एम.एस.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निधियां प्रदान करती है। इन निधियों का उपयोग वनों की गश्त करने, शिविरों की स्थापना, अग्नि बुर्ज का निर्माण, अग्नि रेखा के सृजन और रखरखाव, दावानल नियंत्रण, वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन और वन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण आदि के लिए किया जाता है। गत दो दशकों में "संयुक्त वन प्रबंधन" (जे.एफ.एम.) के अंतर्गत वन प्रबंधन और संरक्षण में लोगों की सहभागिता ने वनों से अवक्रमण और वृक्षों की अवैध कटाई को कम करने में सहायता की है।

विवरण

गत तीन वर्षों में वृक्षों की अवैध कटाई

क्र.सं.		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	38492	28222	-
2.	बिहार		-	-

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	-	-	-
4.	गोवा	237	207	-
5.	गुजरात	5482	5585	4463
6.	हरियाणा	6317	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	2168	2691	1781
8.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-
9.	झारखंड	192	114	-
10.	कर्नाटक	4077	2301	-
11.	केरल	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	-	-	16554
13.	महाराष्ट्र	-	-	-
14.	ओडिशा	65221	-	-
15.	पंजाब	-	-	-
16.	राजस्थान	11662	9879	-
17.	तमिलनाडु	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	-	-	-
19.	उत्तराखंड	-	-	-
20.	पश्चिम बंगाल	1094	581	-
	कुल	**134942**	**49580**	**22798**
पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	43	51	94
2.	असम	2971	3299	1954
3.	मणिपुर	-	-	-
4.	मेघालय	798	614	-
5.	मिजोरम	-	-	-

1	2	3	4	5
6.	नागालैंड	-	-	-
7.	सिक्किम	-	-	-
8.	त्रिपुरा	-	-	-
	कुल	**3812**	**3964**	**2048**
संघ शासित प्रदेश				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	-
2.	चंडीगढ़	-	-	-
3.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-
4.	दमन और दीव	-	-	-
5.	लक्षद्वीप	-	-	-
6.	दिल्ली	-	-	-
7.	पुडुचेरी	-	-	-
	कुल	**0**	**2**	**0**
	महायोग	138754	53546	24846

[अनुवाद]

रक्षा परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

741. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही रणनीतिक महत्व की रक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शीघ्र स्वीकृति के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों को धनराशियों का आवंटन

742. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना समेकित कार्यक्रम तथा मद्यपान और नशाखोरी के निवारण की योजना के लिए छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत/जारी निधियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कुछ निधियां अभी भी जारी नहीं की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेष राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डी.डी. आर.एस.), वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम और मद्यपान एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत/जारी निधियों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त सभी पूर्ण प्रस्तावों, जो योजना के मानदण्ड को पूरा करते हैं, पर उसी वर्ष में कार्रवाई की जाती है, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो। शेष प्रस्तावों पर सामान्य वित्तीय नियम के प्रावधानों के अनुरूप अगले वित्त वर्ष में विचार किया जाता है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान डी.डी.आर.एस. के अंतर्गत स्वीकृत एवं जारी निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1317.78	1586.81	2063.86
2.	बिहार	87.75	45.48	100.57
3.	छत्तीसगढ़	76.69	31.52	20.07
4.	गोवा	13.09	18.30	14.05
5.	गुजरात	82.20	57.40	50.88
6.	हरियाणा	127.92	78.36	107.58
7.	हिमाचल प्रदेश	40.83	17.99	52.39
8.	जम्मू और कश्मीर	27.93	7.19	21.92
9.	झारखंड	10.06	12.01	24.02
10.	कर्नाटक	814.66	857.24	1057.62
11.	केरल	378.40	386.96	789.99
12.	मध्य प्रदेश	170.35	99.56	175.81
13.	महाराष्ट्र	254.23	150.51	217.50
14.	ओडिशा	367.34	448.66	591.15

1	2	3	4	5
15.	पंजाब	94.00	35.38	130.28
16.	राजस्थान	93.14	168.81	179.45
17.	तमिलनाडु	474.37	366.18	421.49
18.	उत्तर प्रदेश	700.21	718.82	612.36
19.	उत्तराखंड	63.02	53.60	132.60
20.	पश्चिम बंगाल	641.12	543.22	591.74
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
21.	अरुणाचल प्रदेश	7.37	6.72	3.36
22.	असम	121.92	87.40	184.57
23.	मणिपुर	196.76	130.14	305.91
24.	मेघालय	75.65	25.64	73.60
25.	मिजोरम	19.60	6.58	40.45
26.	त्रिपुरा	10.81	21.36	6.20
संघ राज्य क्षेत्र				
27.	चंडीगढ़	0.00	10.50	0.00
28.	दिल्ली	193.55	170.24	249.67
29.	पुडुचेरी	15.63	13.36	6.55
	कुल	6476.38	6155.94	8225.64

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं जारी निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	413.12	454.26	423.82
2.	बिहार	2.76	4.88	1.73

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	5.97	5.08	7.76
4.	हरियाणा	29.10	74.40	56.73
5.	हिमाचल प्रदेश	0.60	0	9.51
6.	कर्नाटक	196.47	213.10	233.40
7.	केरल	0	0	21.07
8.	मध्य प्रदेश	9.00	13.20	7.25
9.	महाराष्ट्र	49.92	47.07	99.05
10.	ओडिशा	293.92	330.19	355.50
11.	पंजाब	10.00	17.47	15.87
12.	राजस्थान	7.48	16.66	14.89
13.	तमिलनाडु	209.62	260.32	263.80
14.	उत्तर प्रदेश	40.31	87.09	118.68
15.	उत्तराखंड	5.54	0	12.01
16.	पश्चिम बंगाल	261.85	205.04	142.82
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
17.	अरुणाचल प्रदेश			1.15
18.	असम	87.29	94.58	102.32
19.	मणिपुर	120.16	118.74	140.73
20.	मिजोरम	3.87	1.29	0
21.	त्रिपुरा	4.30	10.85	13.75
संघ राज्य क्षेत्र				
22.	दिल्ली	20.83	17.88	25.29
	कुल	1772.10	1972.10	2067.47

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान मद्यपान एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं जारी निधियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	86.75	76.82	133.63
2.	बिहार	105	47.19	105.37
3.	छत्तीसगढ़	20.41	12.66	7.80
4.	गोवा	0	8.89	7.50
5.	गुजरात	18.83	37.21	22.66
6.	हरियाणा	27.03	90.76	98.34
7.	हिमाचल प्रदेश	11.51	14.19	4.35
8.	जम्मू और कश्मीर	14.24	8.89	0.00
9.	झारखंड	0	0	1.40
10.	कर्नाटक	170.2	274.67	246.50
11.	केरल	156.83	176.44	190.73
12.	मध्य प्रदेश	66.7	66.28	38.60
13.	महाराष्ट्र	259.25	327	398.35
14.	ओडिशा	181.22	233.74	226.18
15.	पंजाब	71.6	53.4	283.12
16.	राजस्थान	60.1	64.32	124.65
17.	तमिलनाडु	69.35	279	253.12
18.	उत्तर प्रदेश	333.82	61	188.85
19.	उत्तराखंड	37.79	31.26	43.38

1	2	3	4	5
20.	पश्चिम बंगाल	86.33	65.09	62.42
21.	चंडीगढ़	0	0.77	0.00
	कुल	**1787.36**	**1990.13**	**2517.86**
1.	अरुणाचल प्रदेश	6.86	9.32	9.78
2.	असम	26.3	25.07	33.55
3.	मणिपुर	157.66	172.39	238.76
4.	मेघालय	18.75	6.35	11.25
5.	मिजोरम	51.67	43.77	65.75
6.	नागालैंड	35.67	21.94	48.97
7.	सिक्किम	6.54	9.95	4.98
	कुल (पूर्वोत्तर)	**303.45**	**288.79**	**413.04**
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	दिल्ली	10.4	60.55	80.91
	कुल योग	2090.81	2278.92	2930.90

[अनुवाद]

सड़क-कर

743. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में सड़क-कर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने देश में एक-बारगी पथ-कर के रूप में गाड़ियों की बिक्री-मूल्य के सीधे-सीधे 6 प्रतिशत की सिफारिश की है;

(ग) विभिन्न राज्यों में इस समय लागू दर क्या है;

(घ) क्या खरीदार कम पथ-कर वाले राज्यों से गाड़ियों की खरीद को प्राथमिकता देते हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) पंजीकरण के समय वाहनों पर वसूल किए गए कर राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोटर वाहनों पर वसूल किए गए करों में एकरूपता लाने के लिए परिवहन विकास परिषद के कार्यदल के तहत गठित समूह ने 10 टन के कुल वाहन भार तक दुपहिया, कारों, हल्के मोटर वाहनों, टैक्सियों, मैक्सी कैबो, माल वाहनों के लिए बिक्री मूल्य के 6% की न्यूनतम दर की सिफारिश की है।

(ग) वर्तमान में, राज्यों में कर की दर 2% से 18% तक अलग-अलग है। विभिन्न प्रकार के वाहनों पर वसूले गए करों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) किसी राज्य विशेष में किसी क्रेता द्वारा वाहन खरीदने के निर्णय को कोई एकल कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य मूल्यवर्धित कर, मोटर वाहन कर, सड़क नेटवर्क की स्थिति, आय के स्तर आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) मोटर वाहनों पर करों के युक्तिकरण संबंधी उपायों की सिफारिश करने हेतु परिवहन विकास परिषद् के कार्य दल के तहत गठित समूह में गुजरात, कर्णाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों के परिवहन विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समूह की सिफारिशों पर 13 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन विकास परिषद की 34वीं बैठक में चर्चा की गई थी। परिवहन विकास परिषद की बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मोटर वाहन करों के युक्तिकरण के मुद्दे के संबंध में राज्य परिवहन मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है।

विवरण

मोटर यान करों की दरें - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बस	ट्रक/माल यान, ट्रेलर और ट्रैक्टर		दुपहिया
1	2	3		4
आन्ध्र प्रदेश (मार्च, 2011।)	स्टेज कैरिज ए.पी.एस.आर.टी.सी.- मुफसिल सेवाएं: सकल यातायात आय का 7% शहरी सेवाएं: सकल यातायात आय का 5% प्राइवेट:-	**ट्रक:** आधार: एल.डब्ल्यू.		एक बारगी टैक्स वीसी का 9% दूसरे यान की स्थिति में 12%
		एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**टैक्स (रु.)**	
		300 तक	404	
		12,000-15,000	2,967	
	नगर सेवा: सामान्य सेवाएं: 330 रु. से 660 रु. (दैनिक किमी पर) एक्सप्रेस सेवाएं: 822 रु. मुफसिल सेवाएं:	> 15,000	2,967 रु.+ 15,000 किग्रा. से अधिक प्रत्येक 250 किग्रा के लिए 66 रु.	
	सामान्य सेवाएं: 441 रु. से 948 रु. (दैनिक किमी पर) एक्सप्रेस सेवाएं: 1,092 से 3,500 रु.	**ट्रेलर:**		
		एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**टैक्स (रु.)**	
		762 तक	230	

1	2	3		4	
	कांट्रेक्ट कैरिज ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट-3,675 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही राज्य व्यापी परमिट-2,625 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही जिला परमिट-1,207 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही आइडल कांट्रेक्ट कैरिज-850 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	3,048 से 4,000	690		
		> 4,000	345 रु + प्रत्येक 250 किग्रा प्रति तिमाही के लिए 40 रु.		
		ट्रेक्टर:			
		एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**टैक्स (रु.)**		
		762 तक	230		
		3,048 से 4,000	690		
		> 4,000	690 रु. + प्रत्येक 250 किग्रा के लिए 80 रु.		
अरुणाचल प्रदेश (मार्च 2009)	एक बारगी टैक्स 40,000 रु.	ट्रक: 2,960 रु. प्रति वर्ष ट्रैक्टर: 400 रु. प्रति वर्ष ट्रैलर: 350 रु. प्रति वर्ष		एक बारगी टैक्स	(5 वर्ष 400 रु.)
असम (मार्च 2011)	आधार: बैठने की क्षमता:	ट्रक: आधार: अधिकृत क्षमता		आधार: यू.एल.डब्ल्यू.-एक बारगी टैक्स-	
	व्यक्तियों की सं. — **टैक्स (रु.)**	**क्षमता (एम.टी.)**	**टैक्स (रु.)**	**यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु.)**
	10 तक — 7,500 रु. प्रति वर्ष 1,900 रु. प्रति तिमाही	1 तक	2,000 रु. प्रति वर्ष 500 रु. प्रति तिमाही	65 तक	2,600
				65-90	3,600
	13 तक — 11,000 रु. प्रति वर्ष रु. 2800 प्रति तिमाही	1-3	4,000 रु. प्रति वर्ष 1,000 रु. प्रति तिमाही	90-135	5,000
				135-165	5,500
				>165	6,500
	14 से 30 — 12,000 रु. प्रति वर्ष रु. 3,000 प्रति तिमाही	3-9	4,000 रु. प्रति वर्ष+ 3 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी प्रति वर्ष 800 रु. 1,000 रु. प्रति तिमाही + 3	ट्रेलर/संबद्ध साइड कार: 1500 रु. पुराने यानों को अन्य राज्यों से अंतरित किए जाने पर असम में पंजीकृत कराना अपेक्षित होता है। एक बारगी टैक्स का निर्धारण मूल्य-	
	>30 — 12,000 रु. प्रति वर्ष +30 से अधिक, प्रत्येक अतिरिक्त				

1	2	3		4	
	सीट के लिए 110 रु. 3,000 रु. प्रति तिमाही + 30 से अधिक, प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 28 रु.		एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी प्रति वर्ष 200 रु.	ह्रास अनुमत किए जाने के बाद किया जाता है:	
				आयु के वर्ष	**दर @ (%)**
		>9	9,000 रु. प्रति वर्ष + 12 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी के लिए 300 रु. रु. 2,250 प्रति तिमाही + 9 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी के लिए 80 रु.	5 तक	7
				5-10	10
				>10	12
	ओमनी टूरिस्ट बस: 15,000 रु. प्रति वर्ष 3,750 रु. प्रति तिमाही डीलक्स/सुपर डीलक्स/एक्सप्रेस बस: 12,000 रु. प्रति वर्ष+ 31 से अधिक प्रत्येक सीट के लिए 120 रु. 3,000 रु. प्रति तिमाही +31 से अधिक प्रत्येक सीट के लिए 30 रु. ऑल असम सुपर डीलक्स कांट्रेक्ट कैरिज: 50,000 रु. प्रति वर्ष 12,500 रु. प्रति तिमाही	>12	11,500 रु. प्रति वर्ष + 12 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी के लिए 400 रु. 3,000 रु. प्रति तिमाही+12 एमटी से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक एमटी 100 रु.		
		ट्रैक्टर:			
		क्षमता (एमटी)	**टैक्स (रु.)**		
		2 तक	1,000 रु. प्रति वर्ष 250 रु. प्रति तिमाही		
		2-5	2,000 रु. प्रति वर्ष 500 रु. प्रति तिमाही		
		5-9	4,000 रु. प्रति वर्ष 1,000 रु. प्रति तिमाही		

1	2		3		4
			>9	6,000 रु. प्रति वर्ष 1,500 रु. प्रति तिमाही	
बिहार (मार्च 2011)	आधार: बैठने की क्षमता		ट्रक: आधार आर.एल.डब्ल्यू.		कुल लागत का 3%, 3 15 वर्ष की आवधिकता
	व्यक्तियों की सं.	**टैक्स प्रति वर्ष**	**आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स प्रति वर्ष**	
	13-26	1,583.50 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 रु.	500 तक	298.50 रु.	
			500-2,000	298.5 रु. + 34 रु. 500 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए	
	27-32	3,036 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 79 रु.			
	33 अथवा अधिक	3,485 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 53 रु.	2,000-4,000	502.50 रु. + 51.50 रु. 2,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए	
			4,000-8,000	838.50 रु. + 51.50 रु. 4,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए	
			>8,000	1,662.50 रु. + 136.50 रु. 8,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए	
			ट्रैक्टर: वीसी का 1%, वैट सहित		
			ट्रेलर: एक बारगी टैक्स		
			आर.एल.डी. (किग्रा)	टैक्स	

1	2	3	4
		3,000 तक 4,000 रु. >3,000 6,000 रु.	
छत्तीसगढ़ (मार्च 2011)	श्रेणी टैक्स साधारण 160 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष डीलक्स 230 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष एक्सप्रेस 180 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	ट्रक: आधार जी.वी.डब्ल्यू. 2,000 किग्रा तक 300 रु. प्रति तिमाही, 500 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 75 रु. प्रति तिमाही ट्रैक्टर: कृषि प्रयोजन के लिए: आधार यू.एल.डब्ल्यू. यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा) टैक्स प्रति तिमाही 1000 तक 175 रु. 1,000-2,000 255 रु. प्रति तिमाही 1,000 किग्रा तक 175 रु. प्रति तिमाही 1,000-2,000 किग्रा 255 रु. प्रति तिमाही ट्रेलर: 75 रु. प्रत्येक 200 किग्रा	एलटीटी: वीसी का 4%
गोवा (मार्च, 2011)	50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष; यात्री टैक्स: श्रेणी यात्री टैक्स रु. पी.एस. स्टेज कैरिज 30 टूरिस्ट परमिट 50 ऑल इंडिया परमिट 150	7,500 रु. प्रति वर्ष खनन 9,000 रु. प्रति वर्ष	150 रु. प्रति वर्ष
गुजरात (मार्च, 2011)	आधार: बैठने की क्षमता कांट्रेक्ट कैरिज बैठने की क्षमता टैक्स प्रति वर्ष 12 तक 1,200 रु. प्रति वर्ष 12-20 3,000 रु.	ट्रक: आधार जी.वी.डब्ल्यू. जी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा) टैक्स 7,500 तक बिक्री मूल्य का 6% >7,500 बिक्री मूल्य का 6%+	बिक्री मूल्य का 6%

1	2	3	4
	>20 — 3,600 रु. प्रति वर्ष स्लीपर ओमनी बस **बैठने की क्षमता — टैक्स प्रति वर्ष** 20 तक — रु. 9,000 प्रति सीट प्रति वर्ष >20 — रु. 12,000 प्रति सीट प्रति वर्ष **लक्जरी ओमनी बस** **बैठने की क्षमता — टैक्स प्रति वर्ष** 20 तक — 4,620 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष >20 — 6,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	1,000 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के अतिरिक्त 650 रु. प्रति वर्ष 7,500-12,000 — बिक्री मूल्य का 8% >12,000 — बिक्री मूल्य का 12% **ट्रैक्टर:** 2 टन से अधिक: 2,000 रु. प्रति वर्ष + 1,000 किग्रा से अधिक अतिरिक्त 400 रु. प्रत्येक 1,000 किग्रा अथवा 2 किग्रा से अधिक तत्संबंधी भाग के लिए	
हरियाणा* (मार्च, 2009) दुपहिया वाहनों और कार संबंधी मोटर यान कराधान वही है जो जनवरी, 2011 में था।	**स्टेज कैरिज** (i) किराए के लिए चलने वाले और यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग होने वाले-550 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष अधिकतम 35,000 रु. के अध्यधीन (ii) फरीदाबाद और गुड़गांव शहर प्राइवेट बस सर्विस योजना के अंतर्गत जारी किए गए परमिट के अधीन किराए के लिए चलने वाले - 18,000 रु. प्रति वर्ष (आधी बॉडी बस के लिए) और 30,000 रु. प्रति वर्ष (पूरी बॉडी बस के लिए) **कांट्रैक्ट कैरिज** (i) फरीदाबाद और गुड़गांव शहर	**ट्रक:** आधार जी.वी.डब्ल्यू. **जी.वी.डब्ल्यू. एमटी — टैक्स रु. वर्ष** 1.2 तक — 300 1.2-6 — 1,200 6-16.2 — 2,400 16.2-25 — 3,500 >25 — 4,500	90.72 किग्रा-150 रु. तक यू.एल.डब्ल्यू. के साथ दुपहिया के लिए एक मुश्त एक बारीय कर 90.72 किग्रा से अधिक यूएलडब्ल्यू के साथ दुपहिया के लिए, दर निम्नलिखित है: **वी.वी. (लाख रु.) — कर की दर (वी.वी. का %)** 0.60 तक — 2 0.60-4 — 4 >4 — 5

1	2		3		4
	प्राइवेट बस सर्विस योजना, 2004 के अंतर्गत जारी किए गए परमिट के अधीन चलने वाले - 18,000 रु. प्रति वर्ष (आधी बॉडी बस के लिए) और 30,000 रु. प्रति वर्ष (पूरी बस के लिए) (ii) किसी धार्मिक संस्था द्वारा स्वामित्व वाले और इसका उपयोग केवल अपने कार्मिकों और भक्तों जैसा भी मामला हो, को लाने ले जाने के लिए किया जाता है - 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष।				
हिमाचल प्रदेश (मार्च, 2011)	**स्टेज कैरिज:** 500 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष **कांट्रेक्ट कैरिज:** 1,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष		**ट्रक:** एल.जी.वी.: 1,500 रु. प्रति वर्ष एम.जी.वी.: 2,000 रु. प्रति वर्ष एच.जी.वी.: 2,500 रु. प्रति वर्ष **ट्रैक्टर और ट्रेलर:** 1,500 रु. प्रति वर्ष		15 वर्ष की आवधिकता के लिए एल.टी.टी. आधार: इंजन क्षमता **इंजन क्षमता** — **टैक्स** 50 तक सी.सी. — मूल्य का 3% >50 सी.सी. — मूल्य का 4%
जम्मू और कश्मीर (मार्च, 2011)	1,100 रु. प्रति तिमाही		1,100 रु. प्रति तिमाही		एक बारगी टैक्स मोटर साइकिल: 4,000 रु. स्कूटर: 2,400 रु.
झारखंड (मार्च, (2011)	आधार: बैठने की क्षमता		ट्रक आधार: आर.एल.डब्ल्यू.		एक बारगी टैक्स 352 रु.
	व्यक्ति	**टैक्स रु. प्रति वर्ष**	**आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**टैक्स (रु.)**	
	27-32	3,036 + 27 व्यक्तियों से ज्याता परन्तु 32 व्यक्तियों तक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 79 रु.	<500	253 रु. प्रति वर्ष + 500 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 29 रु.	
			2,000-4,000	432 रु. प्रति वर्ष + 2000 किग्रा से	
	>32 व्यक्ति	3,485 + 33			

1	2	3		4	
	व्यक्तियों से ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 53 रु.		ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 40 रु.		
		4,000-8,000	760 रु. प्रति वर्ष + 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 49.50 रु.		
		ट्रैक्टर: 100 रु. प्रति वर्ष **ट्रेलर**: > 8,000 किग्रा आर.डब्ल्यू.: 1,568.00 रु. + 8000 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 120 रु.			
कर्नाटक (मार्च 2010)	>सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गों पर ही चलने वाले 12 यात्री सिटिंग: 300 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	**ट्रक**: आधार: आर.एल.डब्ल्यू. **आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा.)**	**रु.**	एक बारगी टैक्स **वी.सी.**	**टैक्स (%)**
	स्टेडिंग: 100 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	2,000 तक	10,000 एक बारगी टैक्स	50,000 रु. तक	10
	>12 यात्री: 600 प्रति रु. तिमाही	2,000-3,000	15,000 एक बारगी टैक्स	लगभग 50,000 रु.	12
	स्टेडिंग: रु. 100 प्रति सीट तिमाही	3,000-5,500	20,000 एक बारगी टैक्स	रु. 125 प्रति तिमाही	
	>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रेक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 151 (2) का अनुपालन करने वाले: 1,000 रु. प्रति तिमाही	5,500-12,000	1,800 प्रति तिमाही	बिजली पर चलने वाले मोटर साइकिल: 4% ऑफ वीसी	
		12,000-15,000	2,200 प्रति तिमाही		
	>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रेक्ट कैरिज: 2,500 रु. प्रति तिमाही	>15,000	2,200 प्रति तिमाही + 15,000 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 75 रु.		
	>12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रेक्ट कैरिज, कर्नाटक मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम				

1	2	3	4
	151(2) का अनुपालन करने वाले और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अंतर्गत जारी किए गए विशेष परमिट द्वारा कवर किए गए: 1,000 रु. प्रति तिमाही >12 व्यक्तियों को ले जाने वाले कांट्रैक्ट कैरिज, मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम, 128 का अनुपालन करने वाले: 2,750 रु. प्रति तिमाही	**ट्रैक्टर**: 1,500 रु. एक बारगी टैक्स **ट्रेलर**: 500 रु. एक बारगी टैक्स	
केरल (मार्च, 2009)	**स्टेज कैरिज** (i) साधारण सेवाएं - प्रत्येक बैठे हुए यात्री (ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा) 600 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही + सिटी सर्विस टैक्स के अनुसार 210 रु. प्रति खड़े यात्री प्रति तिमाही (ii) फास्ट यात्री और एक्सप्रेस सेवाएं- प्रत्येक बैठे हुए यात्री (ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा) 600 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही + सिटी सर्विस टैक्स के अनुसार 210 रु. प्रति खड़े यात्री प्रति तिमाही **कांट्रैक्ट कैरिज** **व्यक्तियों की सं.** — **टैक्स रु. प्रति तिमाही** 12-20 — 530 >20 — 780 अंतर्राज्यीय मार्गों पर यान संचालन प्रत्येक यात्री के लिए 1,540 रु. प्रति तिमाही	आधारः यू.एल.डब्ल्यू. **यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)** — **टैक्स (रु. प्रति तिमाही)** 300 तक — 135 1,000 तक — 220 1,000-1,500 — 420 1,500-2,000 — 550 2,000-3,000 — 705 3,000-4,000 — 840 4,000-5,500 — 1,210 5,000-7,000 — 1,430 7,000-9,000 — 1,760 9,000-9,500 — 1,870 9,500-10,500 — 2,090 10,500-11,000 — 2,310 11,000-12,000 — 2,530 12,000-13,000 — 2,750 13,000-14,000 — 2,970 14,000-15,000 — 3,080 >15,000 — 3,080 + 15,000 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 110 रु.	15 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स मूल्य 6% पुरानी मोटर साइकिल **सी.सी.** — **टैक्स** 95 से कम — 280 (2 वर्ष के लिए) >95 — 360 (2 वर्ष के लिए)

1	2		3		4	
			ट्रैक्टर: 880 रु. प्रति वर्ष			
			ट्रैलर: 155 रु. प्रति तिमाही			
मध्य प्रदेश* (मार्च, 2011)	**बस की श्रेणी**	**स्पेयर टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)**	बगैर न्यूमेटिक टायर के माल यान: आधार आर.एल.डब्ल्यू.		आधार: यू.एल.डब्ल्यू.	
			आर.एल.डब्ल्यू. (एमटी)	**रुपए प्रति तिमाही**	**यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**रुपए प्रति तिमाही**
	ए.सी.	230	2 तक	600	70 तक	18
	डीलक्स	230	2-4	900	>70	28
	एक्सप्रेस	180				
	साधारण	160	4-6	1,300		
	स्टेज कैरिज (प्राइम रूट)		6-8	1,700		
			8-10	2,100		
	बस की श्रेणी	**टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)**	10-12	2,500		
			12-14	2,900		
	ए.सी.	प्रथम 100 किमी के लिए 250 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 20 रु.	14-16	3,300		
			16-18	3,700		
			>18	3,700 + रु. 500 प्रति तिमाही		
	डीलक्स एक्सप्रेस	प्रथम 100 किमी के लिए 250 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 15 रु. 180	न्यूमेटिक टायर के साथ सभी यान: मूल स्लैब का 1.5 गुना माल यान (न्यूमेटिक टायर के बगैर अन्य राज्य): मूल स्लैब का 85%			
	साधारण	प्रथम 100 किमी के लिए 240 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु.	ट्रैलर: आधार यू.एल.डब्ल्यू.			
			यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**रुपए प्रति तिमाही**		
			1,000 तक	28		
			>1,000	66		
	स्टेज कैरिज (साधारण रूट)					
	बस की श्रेणी	**टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)**				
	ए.सी.	प्रथम 100 किमी के लिए 200 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए				

1	2	3	4
		15 रु.	
	डीलक्स एक्सप्रेस	प्रथम 100 किमी के लिए 180 रु. प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु. 180	
	साधारण	प्रथम 100 किमी के लिए 160 रु. प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु.	
	स्टेज कैरिज (दूरस्थ रूट)		
	बस की श्रेणी	**टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)**	
	ए.सी.	प्रथम 100 किमी के लिए 160 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 10 रु.	
	डीलक्स एक्सप्रेस	प्रथम 100 किमी के लिए 140 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए 5 रु. 180	
	साधारण	प्रथम 100 किमी के लिए 120 रु. + प्रत्येक 10 किमी के लिए	
	स्टेज कैरिज		
	बस की श्रेणी	**टैक्स (प्रति सीट प्रति वर्ष रुपए)**	
	4 से 6	50	
	7-12+1	150	
	>12+1	800	

1	2	3	4
महाराष्ट्र (मार्च, 2011)	आधार: उठाने की क्षमता **स्टेज कैरिज, एम.एस.आर.टी.सी., बी.ई.एस.टी. और अन्य:** 71 रु. पी.पी.पी.ए.+नगर निगम क्षेत्र में 3.5% का यात्री टैक्स और किराया संग्रहण पर अन्य क्षेत्र में 17.5% **कांट्रैक्ट कैरिज:** साधारण ओमनी बस: **व्यक्ति** — **टैक्स** 6-12 — 1,000 रु. पी.पी.पी.ए. 12-24 — 1,700 रु. पी.पी.पी.ए. >24 — 1,900 रु. पी.पी.पी.ए. टूरिस्ट: 5,500 रु. पी.पी.पी.ए. एसी टूरिस्ट बस: 6,500 रु. पी.पी.पी.ए नॉन-एसी स्लीपर बर्थ कोच: 5,000 रु. प्रति बर्थ प्रति वर्ष ए.सी. स्लीपर बर्थ कोच: 7,000 रु. प्रति बर्थ प्रति वर्ष साधारण बसों के लिए चलने के लिए विशेष परमिट: 5,000 रु. पी.पी.पी.ए.	ट्रक: आधार: जी.वी.डब्ल्यू. **डी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा)** — **रु.** एल.एम.वी. — एक बारगी टैक्स के रूप में 5,400 रु. प्रति वर्ष, अथवा 37,800 रु. एम.जी.वी. — एक बारगी टैक्स के रूप में 7,500 रु. प्रति वर्ष अथवा वार्षिक दर का 7 गुना एच.जी.वी. — एक बारगी टैक्स के रूप में 12,150 रु. प्रति वर्ष अथवा वार्षिक दर का 7 गुना **ट्रेलर:** माल उठाने के लिए प्रयोग: **जी.वी.डब्ल्यू.** — **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 16,500 तक — 12,150 >16,500 — 12,150 + प्रति 500 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 450 रु. कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग: **जी.वी.डब्ल्यू.** — **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 4,500-7,500 — 1,500 >7,500 — 3,000 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे ट्रैक्टरों को छूट।	एल.टी.टी. वी.सी. का 7%

1	2	3	4
मणिपुर (मार्च, 2006)	16 सीटों तक 1,000 रु. प्रति वर्ष प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 80 रु. + 960 रु. यात्री टैक्स (16 यात्रियों तक) और प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 80 रु.	**ट्रक:** 5 टन तक और प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए 320 रु. + माल भाड़े की कीमत पर अथवा एक मुश्त आधार पर प्रति रु. 6 पैसे माल टैक्स **ट्रैक्टर:** 80 रु. प्रति वर्ष **ट्रेलर:** 60 रु. प्रति वर्ष	**किग्रा** — **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 100 तक — 60 >100 — 100
मेघालय* (मार्च, 2011)	**बैठने की क्षमता** — **कर (रुपए प्रति वर्ष)** 30 तक — 5,250 >30 — 5,250 + प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 60 रु. >5 — 1,500 **ट्रैलर:** 10 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स **ट्रैलर** — **रुपए प्रति वर्ष** हल्के — 450 मध्यम — 1,125 भारी — 1,875	**ट्रक:** 3 मीट्रिक टन से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1 मीट्रिक टन के लिए 2,250 रुपए प्रति वर्ष और 525 रुपए **ट्रैक्टर:** **मीट्रिक टन** — **रुपए प्रति वर्ष** 2 तक — 450 2-5 — 900 >135 — 2,850	10 वर्ष के लिए बारगी कर **किग्रा** — **कर (रु.)** 65 तक — 1,050 65-90 — 1,725 90-135 — 2,400 लागत का 2.5 प्रतिशत
मिजोरम (मार्च, 2011)	1,00 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष यात्री टैक्स: 1,400 रु. प्रति वर्ष	**ट्रक:** एक एम.टी. से ज्यादा बोझ ढोने के लिए प्राधिकृत वाहनों के लिए 840 रु. प्रति वर्ष, प्रत्येक ½ एम.टी. के लिए 205 रु. प्रति वर्ष माल टैक्स: 2,900 रु. प्रति वर्ष **ट्रैक्टर:** आधार: उठाने की क्षमता **उठाने की क्षमता (एम.टी.)** — **टैक्स (रु.)** > 2 — 125	150 प्रति वर्ष

1	2		3		4
			2-3.5	250	
			>3.5	700	
			ट्रेलर: 250 रु. प्रति वर्ष		
नागालैंड (मार्च, 2011)	ऑल इंडिया टूरिस्ट: 300 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,500 रु. यात्री टैक्स.		**ट्रक**: 304 रु. x एम.टी. + रु. 188 प्रति वर्ष माल टैक्स:		एक बारगी टैक्स 15 वर्ष के लिए मूल मूल्य का 5%
			वहन क्षमता (एम.टी.)	**रु.**	
	ग्रामीण और शहरी बस: 120 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष + 2,000 रु. यात्री टैक्स		<2	500	
			2-5	1,000	
			5-10	1,500	
			10-20	2,000	
			20-30	2,500	
			>30	3,000	
			कृषि ट्रैक्टर: 580 रु. प्रति वर्ष		
ओडिशा (मार्च, 2011)	आधारः क्षमता, प्रति दिन कवर की गई दूरी और माहवार सेवा की प्राकृति		पंजीकृत लादान और (आर.एल.डब्ल्यू.) ट्रक के लिए दर		<19किग्रा ए.एल.डब्ल्यू.: 150 रु. प्रति वर्ष >91 किग्रा यू.एल.डब्ल्यू.: 200 रु. प्रति वर्ष
	दूर (किमी)	**टैक्स**	**आर.एल.डब्ल्यू. यू. एम.टी.**	**प्रति वर्ष**	
	160 तक	172 रु. प्रति वर्ष	1 तक	540 रु.	
		अतिरिक्त 576 रु.	1-2	2,356 रु.	
		(साधारण) 895 रु. (एक्सप्रेस)	2-5	2,446 रु. + 444 रु. रु. अतिरिक्त टैक्स	
	160-240	196 रु. प्रति वर्ष			
		अतिरिक्त 720 रु. (साधारण) 1,120	5-10	3,773 रु. + 1,182 रु. अतिरिक्त टैक्स	
		(एक्सप्रेस)	10-13	5,363 + 1,816 रु. अतिरिक्त टैक्स	
	240-320	रु. 245 प्रति वर्ष			
		अतिरिक्त 955 रु. (साधारण) 1,550 रु.	13-16.2	78,000 रु. + 2,640 रु. अतिरिक्त टैक्स	
		(एक्सप्रेस)	>16.2	7,800 रु. + 2,640 रु. अतिरिक्त टैक्स + 120 रु./अति. 500	
	>320	294 रु. प्रति वर्ष अतिरिक्त 1,146 रु.			

1	2		3		4	
		(साधारण) 1,746 रु.		किग्रा		
		(एक्सप्रेस)	ट्रेलर के लिए दर			
	प्रत्येक खड़े हुए यात्री के लिए: 152 रु. प्रति वर्ष		1 तक एम.टी.	196 रु. प्रति वर्ष अतिरिक्त 96 रु.		
			1-3 एम.टी.	750 रु. प्रति वर्ष अतिरिक्त रु.		
	स्टेज कैरिज के भिन्न यान		>3 एम.टी.	1,500 रु. प्रति वर्ष 738 रु.		
	व्यक्ति (सं.)	**टैक्स**				
	25 तक	307 रु. प्रति वर्ष अतिरिक्त 413 रु.				
	>25	768 रु. प्रति वर्ष अतिरिक्त 1,032 रु.				
पंजाब (मार्च, 2007	**स्टेज कैरिज** साधार बस-2.25 रु. प्रति किमी प्रति दिन		आधार: जी.वी.डब्ल्यू.		**मोटर का मूल्य (रु.)**	**एकमुश्त टैक्स**
			जी.वी.डब्ल्यू. (टन)	**टैक्स (रु. प्रति वर्ष)**	15,000 तक	मूल्य का 3%
	साधारण एच.बी. ए.सी. बस (3x2 सीट)-1.00 रु. प्रति किमी प्रति दिन		1.2 तक	3,000	>15,000	मूल्य का 4%
	इंटीगरल कोच (2x2 सीट बस)-0.50 रु. प्रति किमी प्रति दिन		12-6 6-16.2	4,000 5,000		
	दूसरे राज्यों से आने वाले स्टेज **कैरिज बस:-**		16.2-25 >25	8,000 15,000		
	रेसीप्रोकल करारों के अंतर्गत प्रति हस्ताक्षरित बस-3.70 रु. प्रति किमी प्रति दिन रेसोप्रोकल करारों के अंतर्गत प्रति हस्ताक्षरित बस-5.00 रु. प्रति किमी प्रति दिन		परमिट होल्डर के आवास के स्थान से 25 किमी की दूरी के भीतर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा रहे ट्रोली वाले ट्रेक्टर के परमिट होल्डर-2,000 रु. प्रति वर्ष			
	मिनी बस 30,000 रु. प्रति वर्ष सिटी बस सर्विस 60 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही नगर सीमाओं के बाहर चलने वाली सिटी बसें साधारण बस: 4.50-रु. प्रति					

1	2				3		4	
	किमी प्रति दिन एच.वी. ए.सी. बस: 2.00 रु. प्रति किमी प्रति बस प्रति दिन **कांट्रैक्ट कैरिज** टूरिस्ट बस:- साधारण और डीलक्स 6,000 प्रति सीट प्रति वर्ष वातानुकूलित-5,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष इंटिग्रल कोच-4,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट साधारण बस-2,000 रु. प्रति वाहन प्रति दिन डीलक्स बस-3,000 रु. प्रति वाहन प्रति दिन वातानुकूलित-4,000 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 3. ओमनी बस 150 रु. प्रति दिन							
राजस्थान (मार्च, 2011)	**वाहन का मूल्य**	**0-2 लाख**	**2.01 से 4 लाख**	**>4 लाख**	आधार: चेसिस का मूल्य (सी.ओ.सी.) आर्टिकुलेटेड वाहन:		इंजन की क्षमता-एक बारगी टैक्स	
	सम्पूर्ण वाहन के रूप में खरीदा गया	वाहन की लागत का 12%	वाहन की लागत का 15%	वाहन की लागत का 1.5%				
	चेसी के रूप में खरीदा गया	0.7%	0.7%	चेसिस की लागत का 0.8%	**सी.ओ.सी. (लाख रु.)**	**टैक्स (रु.)**	**इंजन की क्षमता (सी.सी.)**	**टैक्स**
					10 तक	आर.टी. के रूप में होर्स की 2% लागत + एस आरटी के रूप में 0.40% सी.ओ.सी.	<100	वी.सी. का 4%
							>100	बी.सी. का 8%

1	2	3		4
		>10	20,000 रुपए + 50 रुपए प्रति 1 लाख अथवा आरटी के रूप में 10 लाख रुपए से अधिक लागत का तत्संबंधी भाग तथा 4,000 रुपए + 50 रुपए प्रति 1 लाख अथवा एस.आर.टी. के रूप में 10 लाख रुपए से अधिक लागत का तत्संबंधी भाग	
		आर्टिकुलेटिड से भिन्न		
		सी.ओ.सी. (लाख रु.)	**टैक्स (रु.)**	
		3 तक	आर.टी. के रूप में 1.5% सी.ओ.सी. एस.टी. अधिकतम 2250 रुपए + एस.आर.टी. के रूप में 1.0% सी.ओ.सी.	
		3 लाख रु. से 6 लाख रु. तक	2250 रु. + आर.टी. के रूप में 3 लाख रु. से ऊपर 0.75% + 2000 रु. + एस.आर.टी. के रूप में 3 लाख रु. ऊपर 0.35% सी.ओ.सी.	

1	2		3		4	
			6 लाख रु. से 10 लाख रु. तक	4500 रु. + आर.टी. के रूप में 6 लाख रु. से ऊपर 0.95% + 3050 रु. + एस.आर.टी. के रूप में 6 लाख रु. ऊपर 0.5% सी.ओ.सी.		
			10 लाख रु. से ऊपर	8300 रु. + आर.टी. के रूप में 10 लाख रु. लागत अथवा इसके भाग के लिए प्रति 1 लाख रु. 50 रु. + 5050 रु. + एस.आर.टी. के रूप में 10 लाख रु. से ऊपर लागत अथवा इसके भाग के लिए 50 रु. प्रति 1 लाख रु.		
सिक्किम* (सितम्बर 2011)	गैर-परिवहन यान अथवा शैक्षिक संस्थान बसों के रूप में पंजीकृत ओमनी बसें:		ट्रक: आधार: जी.वी.डब्ल्यू.		आधार: इंर्डन की क्षमता	
	बैठने की क्षमता	**कर (रु.)**	**जी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**कर (रु.)**	**इंजन की क्षमता (सीसी)**	**कर रु. प्रति वर्ष**
	10 तक	2,000	500 तक	1,000	80 तक	150
	>10	2,000 + प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 200 रु.	500-2,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 500 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,000 + 110 रु.	80-170	300
					170-250	450
					>250	600
			2,000-4,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 2000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,620 + 130 रु.		

1	2	3	4
		4,000-8,000 प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 4000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 2,660 + 85 रु.	
		>8.000 प्रत्येक अतिरिक्त 250 किया अथवा 8000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 4,021 + 110 रु.	
		ट्रैक्टर: आधार: यू.एल.डब्ल्यू.	
		यू.एल.डब्ल्यू (किग्रा.) — **कर (रु.)**	
		500 तक — 500	
		500-2,000 — प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 500 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 500+120 रु.	
		2,000-4,000 — प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 2000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,220+ 125 रु.	
		4,000-8,000 — प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 4000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 2,220+ 290 रु.	

1	2	3		4
		>8,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 8000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 6,860 + 320 रु.	
		ट्रैलर: आधार: जी.वी.डब्ल्यू.		
		जी.वी.डब्ल्यू. (किग्रा.)	**कर (रु.)**	
		1.00 तक	500	
		1,000-2,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 1000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 500+50 रु.	
		2,000-4,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 2000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 700+ 80 रु.	
		4,000-8,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 4000 किग्रा से अधिक उसके भाग के लिए 1,340 + 150 रु.	
		>8.000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा अथवा 8000 किग्रा से	

1	2	3	4
		अधिक उसके भाग के लिए 3,740 + 200 रु.	
तमिलनाडु (मार्च, 2011)	स्टेज कैरिज: 400 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही टैक्स का 25% अधिभार टूरिस्ट ओमनी बस: बैठने की क्षमता: <35+1: 35+1 अथवा अधिक वाहन के फ्लोर क्षेत्र के प्रत्येक वर्गमीटर के लिए 4,900 रु. प्रति तिमाही 35 + 1 और अधिक: 3,000 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही	आधार: आर.एल.डब्ल्यू. **आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा में)** — **रु.** 3,000 — 19,200 एलटी 3,001-5,500 — 950 प्रति तिमाही 5,501-9,000 — 1,500 प्रति तिमाही 9,001-12,000 — 1,900 प्रति तिमाही 12,001-13,000 — 2,100 प्रति तिमाही 13,001-15,000 — 2,500 प्रति तिमाही	एक बारगी टैक्स मूल्य पर 8%
त्रिपुरा* (मार्च, 2011)	42 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	**ट्रक**: 4,200 रु. प्रति वर्ष **ट्रैक्टर**: प्रथम 500 के लिए किग्रा रु. 500 + प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए 200 रु. **ट्रैलर**: प्रथम 500 किग्रा के लिए 400 रु. + प्रत्येक अतिरिक्त 200 किग्रा के लिए 50 रु.	रु. 110 प्रति वर्ष
उत्तराखंड (मार्च, 2011)	तिमाही 20 सीट तक 350 रु. + 35 सीट तक 30 रु. प्रति सीट 590 रु. + 35 रु. प्रति सीट यात्री टैक्स: 160 रु. प्रति सीट प्रति माह कांट्रैक्ट कैरिज	**ट्रक/ट्रेक्टर/ट्रेलर:** एक क्षेत्र के लिए प्रति एम.टी. 70 रु. और एक क्षेत्र से ज्यादा के लिए प्रति एम.टी. 85 रु. माल टैक्स: मैदानी मार्गों के लिए प्रति एम.टी. अथवा इसके भाग के लिए 210 रु. प्रति तिमाही और प्रति एम.टी. 85 रु.	एक बारगी टैक्स 800 रु.-1,500 रु.
उत्तर प्रदेश (मार्च, 2011)	<5 वर्ष पुराने: 110 रु. प्रति सीट प्रति माह 330 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 1,200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 5-10 वर्ष पुराने:	ट्रक/ट्रेलर: आधार: जी.वी.डब्ल्यू. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 230 रु. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 850 रु.	एक बारगी टैक्स वाहन के मूल्य का 7%

1	2	3		4	
	115 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष 345 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 1,250 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष >10 वर्ष पुराने: 120 रु. प्रति सीट प्रति माह 360 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही 1,300 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	कृषि ट्रेलरों को टैक्स से छूट है ट्रेक्टर: आधार: यू.एल.डब्ल्यू. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 500 रु. प्रति तिमाही प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 1800 रु. कृषि ट्रैक्टर को टैक्स से छूट है			
पश्चिम बंगाल* (मार्च, 2011)	स्टेज केरिज आधार: बैठने की क्षमता प्रति तिमाही 31.25 रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही + 10% तिमाही कुल कर	ट्रक: आधार: आर.एल.डब्ल्यू. (तिमाही)		आजीवन कर	
		आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**कर (रु.)**	**इंजन की क्षमता (सी.सी.)**	**कर (रु.)**
		2,000 तक	150	80	1,560
		2,000-3,500	262.50	80-170	3,125
		3,500-5,500	525	170-250	4,685
		5,500-7,000	712.50	250	6,250
		7,000-9,000	862.50		
		9,000-12,000	1387.50		
		12,000-14,000	1875		
		14,000-15,000	2062.50		
		15,000-16,250	2325		
		>16,250	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा के लिए 1550 रु. प्रति तिमाही + 37.50 रु. प्रति तिमाही कर का + 50%		
		25,000	4293.75		
		26,400	4631.25		
		31,000	5643.75		
		ट्रैलर			
		आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**कर प्रति तिमाही (रु.)**		

1	2	3		4
		2,000 तक	437.50	
		2,000-4,000	587.50	
		4,000-6,000	756.25	
		6,000-8,000	981.25	
		8,000-10,000	1337.50	
		10,000-12,000	1862.50	
		12,000-13,000	2218.75	
		13,000-14,000	2481.25	
		14,000-15,000	2743.75	
		>15,000	प्रत्येक अतिरिक्त 250 किग्रा और 15000 से अधिक के लिए 2743.75 प्रति तिमाही + रु. 50 प्रति तिमाही	
		ट्रैक्टरं		
		आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)	**कर प्रति वर्ष (रु.)**	
		500	1,600	
		750	1,705	
		1,000	1,810	
		1,250	1,915	
		1,500	2,020	
		1,750	2,125	
		2,000	2,230	
		2,250	2,380	
		2,500	2,530	
		2,750	2,680	
		3,000	2,830	
		3,250	2,980	
		3,500	3,130	
		3,750	3,280	
		4,000	3,430	

1	2		3		4	
			4,250	3,955		
			4,500	4,480		
			5,000	5,005		
			5,250	5,530		
			5,500	6,055		
			5,750	6,580		
			6,000	7,105		
			6,250	7,630		
			6,500	8,155		
			6,750	8,680		
			7,000	9,205		
			7,250	9,730		
			7,500	10,255		
			7,750	10,780		
			8,000	11,305		
			10,000	11,830		
			15,000	16,630		
			20,000	28,630		
			25,000	40,630		
			30,000	52,630		
अडमान और निकोबार (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	100 रु. प्रति वर्ष		ट्रक और ट्रैक्टर: 150 रु. प्रति वर्ष		25 रु. प्रति वर्ष	
चंडीगढ़ (दुपहिया और कार/जीप 5-2-2011 की स्थिति के अनुसार, शेष 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार हैं)	आधार: बैठने की क्षमता		आधार: यू.एल.डब्ल्यू.		आधार: मोटर वाहन का मूल्य	
	सीट की सं.	**रु. प्रति वर्ष**	**यू.एल.डब्ल्यू. (टन)**	**रु. प्रति वर्ष**	**मोटर वाहन का मूल्य**	**टैक्स**
	30 तक	3,000	तक	337	1 रु. लाख तक	मोटर वाहन की लागत का 3%
	>30	4,200	1-2	660		
			2-3	840		
			3-4	1,200	>1 रु. लाख	मोटर वाहन की लागत का 4%
			>4	1,500		
			ट्रैक्टर: 840 रु. प्रति वर्ष			

1	2	3	4
दादर और नगर हवेली (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	स्वीकृत कुल दैनिक किमी के 1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष प्रति किमी अथवा ऑपरेटर के विकल्प पर 24 रु. प्रति सीट प्रति माह	ट्रक: आधार: आर.एल.डब्ल्यू. डीजल से भिन्न अन्य ईंधन: 20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. डीजल: 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू.	आधार: एक बारगी टैक्स वी.सी. का 2.5% आयातित वाहनों के लिए 5%
दमन और दीव (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	स्वीकृत कुल दैनिक किमी के 1.50 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष अथवा ऑपरेटर के विकल्प पर 24 रु. प्रति सीट प्रति माह	ट्रक: आधार: आर.एल.डब्ल्यू. डीजल से भिन्न अन्य ईंधन: 20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. डीजल: 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू.	आधार: एक बारगी टैक्स वी.सी. का का 2.5% आयातित वाहनों के लिए 5%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली* (फरवरी 2012)	आधार: बैठने की क्षमता **बैठने की क्षमता कंडक्टर और ड्राइवर को छोड़कर** — **टैक्स रु. प्रति वर्ष** दो से अधिक 2 — 305 2-4 — 605 4-6 — 1,130 6-18 — 1,915 18 से अधिक — रु. 1,915 + रु. 280 प्रति यात्री प्रति वर्ष	ट्रक: **टन** — **कर रु. प्रति वर्ष** 1 तक — 665 1-2 — 940 2-4 — 1,430 4-6 — 1,915 6-8 — 2,375 8-9 — 2,865 9-10 — 3,320 >10 — प्रति अतिरिक्त टन के लिए 3,790 प्रति वर्ष + रु. 470 ट्रेलर: 10 टन के अतिरिक्त + ट्रेलर के 2 टन से कम - रु. 3,790 + 470 रु. प्रति टन + 465 रु. 10 टन के अतिरिक्त के लिए + ट्रेलर के 2 टन से अधिक - रु. 3,790 + 470 रु. प्रति टन + रु. 925	एक बारगी का आधार: वी.सी. **वी.सी. (रु.)** — **कर** 25,000 तक — वी.सी. का 2% 25,000-40,000 — वी.सी. का 4% 40,000-60,000 — वी.सी. का 6% ·60,000 — वी.सी. का 8%

1	2		3		4	
पुडुचेरी (1-10-2010 की स्थिति के अनुसार)	स्टेज कैरिज शहरी: रु. 150 प्रति सीट प्रति तिमाही		आधार आर.एल.डब्ल्यू.		आधार: इंजन क्षमता	
	अंतर-राज्य: रु. 260 प्रति सीट प्रति तिमाही		**आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)**	**रु.**	**इंजन क्षमता (सी.सी.)**	**टैक्स**
	अंतर-राज्य साधारण: रु. 360 प्रति सीट प्रति तिमाही		3,000 तक	2,000 प्रति वर्ष	55 तक	शून्य
	अंतर-राज्य एक्सप्रेस: रु. 370 प्रति सीट प्रति तिमाही		5,500	800 प्रति तिमाही	56-75	रु. 60 प्रति वर्ष रु. 450 एल.टी.टी.
			9,000	1,200 प्रति तिमाही		
			12,000	1,700 प्रति तिमाही		
			13,000	2,000 प्रति तिमाही	75-170	रु. 110 प्रति वर्ष रु. 850 एल.टी.टी.
	कांट्रैक्ट कैरिज:		15,000	2,200 प्रति तिमाही		
	व्यक्ति	**रु.**	>15,000	प्रत्येक 1,000 किग्रा के लिए रु. 200	>170	रु. 160 प्रति वर्ष रु. 1,200 एल.टी.टी.
	6-10	4,500 प्रति वर्ष				
	10-13	6,500 प्रति वर्ष	ट्रैक्टर:			
	13-27	325 प्रति सीट प्रति तिमाही	<2,500 किग्रा यू.एल.डब्ल्यू.: रु. 120 प्रति तिमाही			
	>27	375 प्रति सीट प्रति तिमाही	> 2,500 किग्रा यू.एल.डब्ल्यू.: रु. 150 प्रति तिमाही			
	डीलक्स कांट्रैक्ट कैरिज (54 व्यक्ति तक): रु. 900 प्रति सीट प्रति तिमाही					
	साधारण कांट्रैक्ट कैरिज (54 व्यक्ति तक): रु. 450 प्रति सीट प्रति तिमाही					

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार/जीप	टैक्सी/कैब		आटोरिक्शा/तिपहिया
1	5	6		7
आन्ध्र प्रदेश मार्च, 2011	एक बारगी टैक्स वी.सी. का 9%; दूसरे स्थान की स्थिति में 12%	**एक बारगी टैक्स वी.सी. (रु.)**	**टैक्स**	ऑटो (4 सीट): 110 रु. प्रति यान प्रति तिमाही ऑटो (6 सीट): 200 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही
		10 लाख से कम	वी.सी. का 12%	
		>10 लाख	वी.सी. का 14%	
अरुणाचल प्रदेश (मार्च, 2009)	एक बारगी टैक्स (5 वर्ष) 2000 रु.	1,400 रु. प्रति वर्ष		एक बारगी टैक्स 450 रु. प्रत्येक तीन वर्ष

1	2	3	4
असम (मार्च, 2011)	आधार: वी.सी.-एक बारगी टैक्स-एल.टी.टी. **वी.सी. (लाख रु.)** — **मूल लागत का %** 4 तक — 4 4-6 — 5 6-12 — 6 12-15 — 6.5 15-20 — 7 >20 — 8 पुराने यानों को अन्य राज्यों से अंतरित किए जाने पर असम में पंजीकृत कराना अपेक्षित होता है। मूल्यह्रास का आकलन उसी श्रेणी के यानों के लिए देय कर के अनुसार चालू लागत मूल्य पर प्रति वर्ष रूप से किया जाना है। **आयु के वर्ष** — **दर @ (%)** 5 तक — 7 5-10 — 10 >10 — 12	6 व्यक्तियों तक: एक शहर या या क्षेत्र: 4,000 रु. प्रति वर्ष 1,000 प्रति तिमाही, 6 व्यक्तियों तक संपूर्ण राज्य: 6,500 रु. प्रति वर्ष 1,650 प्रति तिमाही	एकबारगी टैक्स गैर परिवहन 6,000 रु. आधार: यात्री वाहक क्षमता: **व्यक्ति** — **टैक्स** 3 तक — 1,500 रु. प्रति वर्ष 400 रु प्रति तिमाही 4-7 — 3,000 रु. प्रति वर्ष 800 रु. प्रति तिमाही
बिहार (मार्च, 2011)	कुल लागत का 3% 15 वर्ष की आवधिकता **एल.टी.**	केब (7 सीट तक): 7,500 रु. 10 वर्ष के लिए। 7,500 रु. अगले 5 वर्ष के लिए	यात्री और माल: 5,000 रु. 10 वर्ष 10 वर्ष के बाद, 5,000 रु. अगले 5 वर्ष के लिए
छत्तीसगढ़ (मार्च, 2011)	**टी.बी.सी. (रु. लाख)** — **वी.सी. का %** 5 तक — 5 >5 — 6	साधारण: 150 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष संपूर्ण भारत: 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: एल.टी.टी. वी.सी. का 2% (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेकर वाहन खरीदे गए और राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्तें और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित

1	5	6	7
			किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले) एल.टी.टी. @ वी.सी. का 5% (जहां वाहनों को अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया और उनका स्वामित्व) **माल:** **बी.सी. (रु. लाख)** — **बी.सी. का %** 2.5 तक — 12 >5 — 10
गोवा (मार्च, 2011)	कार: **सीट की सं.** — **टैक्स (रु. प्रति वर्ष)** 3 तक — 300 4 तक — 350 5 तक — 400 जीप: 900 रु. प्रति वर्ष	ऑल इंडिया परमिट नॉन एसी: 125 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष ऑल इंडिया परमिट एसी: रु. 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: 155 रु. प्रति वर्ष माल: 800 रु. प्रति वर्ष
गुजरात (मार्च, 2011)	बिक्री मूल्य का 6%	बिक्री मूल्य का 6% मैक्सी/कैब: **बैठने की क्षमता** — **बिक्री मूल्य (%)** 7-12 — 12	**बैठने की क्षमता** — **टैक्स (बिक्री मूल्य का %)** 3 तक — 2.5 3-6 — 6
हरियाणा* (मार्च, 2009) दुपहिया वाहनों और कार संबंधी मोटर यान कराधान वही है जो जनवरी, 2011 में था।	आधार: कार का मूल्य एल.टी.टी. **वी.वी. (लाख रु.)** — **कर (वी.वी. का %)** 5 तक — 2 5-10 — 4 10-20 — 6 >20 — 8	मोटर-कैब: 100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष मैक्सी-कैब: 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	
हिमाचल प्रदेश (मार्च, 2011)	15 वर्ष के लिए एल.टी.टी. आधार: इंजन क्षमता कार और जीप:	350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: 200 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष माल: 1,500 रु. प्रति वर्ष

1	5	6	7
	इंजन क्षमता (सी.सी.) **वी.सी. का %** 1,000 तक 2.5 1,000 से अधिक 3 वाणिज्यिक पिक-अप जीप 1,500 रु. प्रति वर्ष		
जम्मू और कश्मीर (मार्च 2011)	600 रु. प्रति वर्ष	250 रु. प्रति तिमाही	आधार: बैठने की क्षमता यात्री 250 रु. प्रति तिमाही माल: 400 रु. प्रति तिमाही
झारखंड (मार्च, 2011)	आधार: बैठने की क्षमता 5 व्यक्तियों के लिए 616 रु. + 5 से ज्याता प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 रु.	आधार: बैठने की क्षमता रु. 5 व्यक्तियों के लिए 616 रु. + 5 से ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 रु.	यात्री: 352 रु. अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 105.50 प्रति वर्ष माल: 253 रु. प्रति वर्ष + 500 किग्रा से ज्यादा 250 किग्रा अथवा इसके भाग के लिए 29 रु.
कर्नाटक (मार्च, 2010)	**एक बारगी टैक्स** **वी.सी. (लाख रु.)** **टैक्स (%)** 5 तक 13 5-10 14 10-20 17 >20 18 बिजली पर चलने वाले यान: 4% वी.सी.	5 यात्री तक: 100 रु. प्रति तिमाही मीटर टैक्सी: 60 रु. प्रति तिमाही मोटर कैब और मैक्सी कैब को 6 यात्री ले जाने की अनुमति: 750 रु. प्रति तिमाही	**यात्री**: 2,500 रु. (एक बारगी टैक्स) **माल**: जी.वी.डब्ल्यू. 1,500 किग्रा: 2,500 रु. तक
केरल (मार्च, 2009)	15 वर्ष के लिए एक बारगी टैक्स मूल्य 6% पुरानी मोटर कार **यू.एल.डब्ल्यू.** **टैक्स** 750 से कम 2,320 (2 वर्ष के लिए) 750-1,500 3,440 (2 वर्ष के लिए)	पैट्रोल यान: 980 रु. प्रति वर्ष डीजल यान: 1,040 रु. प्रति वर्ष मैक्सी कैब (उठाकर 7-12 प्रति यात्री) - 310 रु. प्रति तिमाही प्रति यात्री	यात्री: **यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा)** **टैक्स** 750-1,500 3,440 (2 वर्ष के लिए) >1,500 4,240 (2 वर्ष के लिए) उठाने की क्षमता 2 तक प्रति यात्री: 240 रु. प्रति वर्ष

1	5	6	7
			3 यात्री 480 रु. प्रति वर्ष माल: 880 रु. प्रति वर्ष
मध्य प्रदेश* (मार्च, 2011)	आधार: यू.एल.डब्ल्यू. **यू.एल.डब्ल्यू (किग्रा)** **रुपए प्रति तिमाही** 800 तक 64 800-1,600 94 1,600-2,400 112 2,400-3,200 132 >3,200 150	आधार: बैठने की क्षमता क्षमता **बैठने की क्षमता** **रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही** 3 से 6 + 1 150 7 से 12 + 1 450	यात्री **बैठने की क्षमता** **रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही** 3 तक + 1 40 4-6 60
महाराष्ट्र (मार्च, 2011)	**वी.सी. (लाख रु.)** **टैक्स** 10 तक वी.सी. का 7% 10-20 वी.सी. का 8% >2-0 वी.सी. का 9%	टैक्सी कैब और कूल कैब: वाहनों की संबंधित श्रेणी के लिए अदा किए जाने वाले टैक्स वार्षिक दर का 11 गुना। बिना मीटर वाली टैक्सी कैब **सीट** **टैक्स** 5 550 प्रति वर्ष 6 650 प्रति वर्ष 7 642 पी.पी. 8 562 पी.पी. 9 500 रु. 10 450 रु. 11 409 रु. 12 375 रु. टूरिस्ट टैक्सी नॉन-एसी: 1,000 रु. पी.पी.पी.ए. लक्जरी कैब: 4,000 रु. एसी टूरिस्ट टैक्स: 2,000 रु. पी.पी.पी.ए. टूरिस्ट टैक्स बिना ए.सी.: 3,000 रु. पी.पी.पी.ए.	वाहनों की संबंधित श्रेणी के लिए अदा किए जाने वाले टैक्स वार्षिक दर का 11 गुना।
मणिपुर (मार्च, 2006)	पेट्रोल कार: 320 रु. प्रति वर्ष डीजल कार: 400 रु. प्रति वर्ष	400 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. प्रति यात्री टैक्स प्रति वर्ष	**यात्री:** डीजल यान:

1	5	6	7
			350 रु. प्रति वर्ष + 800 रु. यात्री टैक्स के रूप में **पेट्रोल यान:** 200 रु. प्रति वर्ष + 300 रु. यात्री टैक्स के रूप में **माल:** डीजल वाहन: 300 रु. प्रति वर्ष + 500 रु. माल टैक्स के रूप में प्रति वर्ष **पेट्रोल यान:** 200 रु. प्रति वर्ष + 500 रु. माल टैक्स के रूप में प्रति वर्ष
मेघालय* (मार्च 2011)	10 वर्ष के लिए एक बारगी कर 3,000 रु. 3 लाख रु. तक के लिए मूल लागत मूल्य - मूल्य लागत का 2% 10 वर्ष के लिए एक बारगी कर 4,500 रु. 3 लाख रु. से अधिक और 15 लाख रु. तक मूल लागत-मूल लागत का 2.5 प्रतिशत	1,950 रु. प्रति वर्ष	**यात्री:** 1,350 रु. प्रति वर्ष **माल:** 1,125 रु. प्रति वर्ष, 1 मीट्रिक टन की दर पर
मिजोरम (मार्च, 2011)	500 रु. प्रति वर्ष	700 रु. प्रति वर्ष + 600 रु. यात्री टैक्स	**यात्री:** 250 रु. प्रति वर्ष + 400 रु. यात्री टैक्स **माल:** 350 रु. प्रति वर्ष + 400 रु. माल टैक्से
नागालैंड (मार्च, 2011)	एक बारगी टैक्स 15 वर्ष के लिए मूल मूल्य का 5%	स्थानीय: 600 रु. प्रति वर्ष + 1,000 रु. यात्री टैक्स जोनल: 800 रु. प्रति वर्ष + 1,000 रु. यात्री टैक्स	यात्री: 300 रु. प्रति वर्ष + 750 रु. यात्री टैक्स

1	5	6	7
		स्थानीय मैक्सी कैब: 4,000 रु. प्रति वर्ष + 1,250 रु. यात्री टैक्स ए.आई.आई.टी.ई. मैक्सी कैब: 6,000 रु. प्रति वर्ष + 1,500 रु. यात्री टैक्स	
ओडिशा (मार्च, 2011)	वाहन मूल्य का 5%	लागू नहीं	लागू नहीं
पंजाब (मार्च, 2007)	मोटर वाहन के मूल्य का 2%	**कांट्रैक्ट कैरिज:** मैक्सी और मोटर कैब: 750 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट: मैक्सी कैब: रु. 600 प्रति दिन मोटर कैब: 300 रु. प्रति दिन टूरिस्ट परमिट यान: मैक्सी और मोटर कैब: **ए.सी./नॉन-ए.सी.** **टैक्स (रु. प्रति सीट प्रति वर्ष)** नॉन-ए.सी. 750 ए.सी. 500	**यात्री:** 400 रु. पी.एस.सी.ए.
राजस्थान (मार्च, 2011)	आधार: बैठने की क्षमता तक 10 (चालक सहित) **वीसी (लाख रु.)** **टैक्स** <2.5 वी.सी. का 2.5% 2-5-6 वी.सी. का 5% 6-10 वी.सी. का 8% >10 वी.सी. का 10% उपर्युक्त वाहनों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर अथवा साइड कार: वाहन जिससे ट्रेलर जुड़ा हुआ है, की लागत का 0.3%	मोटर/मैक्सी कैब आधार: बैठने की क्षमता **व्यक्ति** **ट्रैक्स** 6 तक वी.सी. का 10% 6-12 i. चेसिस के रूप में खरीदा गया चेसिस की लागत का 20% ii. संपूर्ण बॉडी के साथ खरीदा गया वी.सी. का 15%	आधार: वी.सी. और चेसिस मूल्य **लागत (लाख रु.)** **टैक्स दर (%)** वी.सी. 1.5 तक 3% ऑफ वी.सी. वी.सी.> 1.5 वी.सी. का 4% सी.ओ.सी. 1.5 तक सी.ओ.सी. का 3.75% सी.ओ.सी. >1.5 सी.ओ.सी. का 5% वाहन/चेसिस और एस.सी. की खरीद के मूल्य पर आधारित सड़क कर एक बारगी कर एस.सी. (3): 8%

1	5	6	7
			सी.ओ.वी. अधिकतम 3,000 रु. के अध्यधीन एस.सी. (4): 9% सी.ओ.वी. अधिकतम 6,000 रु. के अध्यधीन एस.सी. (45): 10% सी.ओ.वी. अधिकतम 8,000 रु. के अध्यधीन
सिक्किम* (सितम्बर 2011	आधार: इंजन की क्षमता **इंजन की क्षमता (सी.सी.)** — **कर रु. प्रति वर्ष** 900 तक — 1,500 900-1,490 — 1,800 1,490-2,000 — 3,000 >2000 — 4,5000	आधार: बैठने की क्षमता **व्यक्ति** — **कर रु. प्रति वर्ष** 4 तक — 700 >4 — 900	आधार: बैठने की क्षमता 300 रु. प्रति वर्ष
तमिलनाडु (मार्च 2011)	कार एवं जीप: एक बारगी टैक्स **मूल्य (लाख रु.)** — **टैक्स** 10 तक — मूल्य का 10% >10 — मूल्य का 15%	टैक्सी: 5 वर्ष के लिए 4,000 रु. टूरिस्ट टैक्स: 5 वर्ष के लिए 6,500 रु.	यात्री: 1,400 रु. **माल:** **आर.एल.डब्ल्यू. (किग्रा में)** — **रु.** 3,000 — 19,200 एलटी 3,001-5,500 — 950 प्रति तिमाही 5,501-9,000 — 1,500 प्रति तिमाही 9,001-12,000 — 1,900 प्रति तिमाही 12,001-13,000 — 2,100 प्रति तिमाही 13,001-15,000 — 2,500 प्रति तिमाही
त्रिपुरा* (मार्च 2011)	कार: रु. 275 प्रति वर्ष जीप: रु. 560 प्रति वर्ष	रु. 440 प्रति वर्ष	यात्री: रु. 150 प्रति वर्ष माल रु. 105 प्रति वर्ष

1	5	6	7
उत्तराखंड (मार्च, 2011)	एक बारगी टैक्स का मूल्य 2-5%	आधार: बैठने की क्षमता **सीट** — **टैक्स रु. प्रति तिमाही** 6 तक — 230 + यात्री टैक्स 85 रु. प्रति सीट प्रति माह 7-12 — 350 + यात्री टैक्स 125 रु. प्रति सीट प्रति माह	यात्री: **सीट** — **टैक्स रु. प्रति तिमाही** 3 तक — 95 + 30 यात्री टैक्स 4-6 — 185 + 30 यात्री टैक्स **माल:** एक क्षेत्र के लिए प्रति एम.टी. 70 रु. + प्रति एम.टी. अथवा इसके भाग के लिए 210 रु. और मैदानी मार्गों के लिए प्रति एम.टी. 85 रु। एक क्षेत्र से अधिक के लिए प्रति एम.टी. 85 रु. + प्रति एम.टी. अथवा इसके भाग के लिए 210 रु. और मैदानी मार्गों के लिए प्रति एम.टी. 85 रु.।
उत्तर प्रदेश (मार्च, 2011)	कार: एक बारगी टैक्स वी.सी. का 7% जीप एक बारगी टैक्स वी.सी. का 7% 2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	660 रु. प्रति सीट प्रति तिमाही अथवा 2350 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	यात्री: 600 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष एक बारगी टैक्स 5400 रु. प्रति सीट माल टैक्स: प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए प्रति वर्ष 850 रु. एक बारगी टैक्स प्रति टन अथवा इसके भाग के लिए 7000 रु.
पश्चिम बंगाल* (मार्च, 2011)	5 वर्ष के लिए एक बारगी कर **इंजन की क्षमता (सी.सी.)** — **कर (रु.)** 900 तक — 10,550 (+4,000 रु. विशेष कर) 900-1,490 — 13,900 (7,500 रु. का	5 सीट तक के लिए 1600 रु. प्रति वर्ष	यात्री: 4 सीट तक के लिए 660 रु. प्रति वर्ष माल: 2000 जी.वी.डब्ल्यू. तक के लिए 600 रु. प्रति वर्ष

1	5			6	7
		विशेष कर)			
	1,490-2,000	21,800 (+10,000 रु. का विशेष कर)			
	2,000-2,500	28,000 (+12,500 रु. क़ा विशेष कर)			
	>2,500	30,000 (+15,000 रु. का विशेष कर)			
अंडमान और निकोबार (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	60 रु. प्रति वर्ष			75 रु. प्रति वर्ष	60 रु. प्रति वर्ष
चंडीगढ़ (दुपहिया और कार/जीप 5-2-2011 की स्थिति के अनुसार, शेष 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार है)	आधार: मोटर वाहन की लागत			100 रु. प्रति सीट प्रति वर्ष	320 रु. प्रति वर्ष
	मोटर वाहन का मूल्य	**टैक्स**			
	6 रु. लाख तक	मोटर वाहन के मूल्य का 2%			
	6-20 रु. लाख तक	मोटर वाहन के मूल्य का 3%			
	>20 रु. लाख	मोटर वाहन के मूल्य का 4%			
दादरा और नगर हवेली (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	डीजल यान के अलावा: वी.सी. का 2.5% आयातित वाहनों के लिए डीजल यान: एक बारगी टैक्स			आधार: बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक	यात्री: आधार: बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक
	वीसी (लाख रु.)	**टैक्स दर**	**आयातित वाहनों के लिए कर दर**		
	तक 10	2.5% ऑफ	5%		

1	5	6	7
	वी.सी. >10 3% ऑफ वी.सी. 6%		माल: डीजल से भिन्न अन्य ईंधन: 20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल. डब्ल्यू. डीजल: 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा तक 37.50 रु. माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा से अधिक के लिए 60.00 रु.
दमन और दीव (31-3-2011 की स्थिति के अनुसार)	ड़ीज़ल यान के अलावा: वी.सी. का 2.5% आयातित वाहनों के लिए 5% डीजल यान: एक बारगी टैक्स **वी.सी. (लाख रु.)** | **टैक्स दर** | **आयातित वाहनों के लिए कर दर** 10 तक | वीसी का 2.5% | 5% >10 | वीसी का 3% | 6%	आधार: बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक	यात्री:आधार बैठने की क्षमता 4 यात्रियों तक 400 रु. वार्षिक 4 से अधिक 9 यात्रियों तक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 50 रु. वार्षिक 9 से अधिक प्रति अतिरिक्त यात्री के लिए 40 रु. वार्षिक माल: डीजल से भिन्न अन्य ईंधन: 20 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. डीजल: 25 रु. प्रति 100 किग्रा आर.एल.डब्ल्यू. माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा. तक 37.50 रु. माल टैक्स: आर.एल.डब्ल्यू. के 1,000 किग्रा. से अधिक के लिए 60.00 रु.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली* (फरवरी 2012)	एक बारगी कर आधार: वी.सी. **वी.सी. (लाख रु.)** | **कर** 6 तक | वी.सी. का 4%	उपलब्ध नहीं	

1	5		6	7
	6-10	वी.सी. का 7%		
	>10	वी.सी. का 10%		
पुडुचेरी (1-10-2010 की स्थिति के अनुसार)	आधार: यू.एल.डब्ल्यू.			उपलब्ध नहीं
	यू.एल.डब्ल्यू. (किग्रा.)	**टैक्स (रु.)**		
	तक 700	रु. 550 प्रति वर्ष		
		रु. 4,800 एल.टी.टी.		
	700-1,500	रु. 710 प्रति वर्ष		
		रु. 6,000 एल.टी.टी.		
	1,500-2,000	रु. 910 प्रति वर्ष		
		रु. 8,000 एल.टी.टी.		
	2,000-3,000	रु. 940 प्रति वर्ष		
		रु. 8,000 एल.टी.टी.		
	>3,000	रु. 960 प्रति वर्ष		
		रु. 8,000 एल.टी.टी.		

*संशोधित दरें जो कि संबंधित राज्यों के परिवहन विभागों तथा परिवहन विभागों की वेबसाइटों से प्राप्त हुई हैं।

संक्षिप्त अक्षर:

पी.ए.: प्रति वर्ष	एल.टी.टी.: आजीवन टैक्स	एल.डब्ल्यू.: लदान भार	ओ.टी.टी.: एक बारगी कर
आर.एल.डब्ल्यू.: पंजीकृत लदान भार	पी.क्यू.: प्रति तिमाही	पी.एस.: प्रति सीट	पी.एम: प्रति माह
सी.ओ.सी.: चेसिस की लागत	यू.एल.डब्ल्यू.: लदान रहित भार	वी.सी.: वाहन लागत	पी.पी.: प्रति यात्री
वी.वी.: यान मूल्य	डी.वी.डब्ल्यू.: माल यान भार	आर.टी: सड़क कर	एस.आर.टी.: विशेष सड़क कर

कोट्टारकारा और पुनालूर में बाईपास

744. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के कोल्लम जिले में कोट्टारकारा और पुनालूर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 पर बाईपास के निर्माण के लिए केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण IV के अन्तर्गत केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 208 के कोल्लम-कझुथुर्ती खंड के परियोजना खंड के लिए साध्यता अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिनमें कोट्टारक्कारा के स्थान पर पुनालूर पर बाईपास के लिए प्रस्ताव शामिल है। तथापि, उक्त परियोजना के परियोजना मूल्यांकन/अनुमोदन दस्तावेज केरल राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

सामुद्रिक क्षरण पर रोक

745. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तटीय क्षेत्रों में सामुद्रिक/तटीय क्षरण की संभावना बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भरूच और सौराष्ट्र के साथ के समुद्र तटों पर सामुद्रिक क्षरण पर रोक के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) गुजरात के लिए तट रेखा परिवर्तन का आकलन, राष्ट्रीय सतत तट प्रबंधन केन्द्र जिसने उच्च, मध्यम, निम्न क्षरण फैलावों और स्थिर तटों की रूपरेखा प्रस्तुत की है, के माध्यम से किया गया था।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत, वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित और राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात उच्च क्षरण फैलावों में महत्वपूर्ण और रक्षा संबंधी उन वर्गीकृत परियोजनाओं को छोड़कर, पत्तन और बंदरगाह परियोजनाओं का विकास निषिद्ध है। तदनुसार, उच्च क्षरण फैलावों में पत्तन और बंदरगाह का विकास अनुमित नहीं है। मध्यम/कम क्षरण फैलावों और स्थिर तटों में, पत्तन और बंदरगाह परियोजना का विकास केवल तट सुरक्षा उपायों अर्थात् तट विकास, सैंड बाय-पासिंग आदि और तट रेखाओं के नियमित मानीटरन पर विशिष्ट शर्तों के साथ अनुमित है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग का योगदान

746. **श्री नवीन जिंदल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में चालू वस्त्र मिलों की संख्या कितनी है और वस्त्र उद्योग में नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बंद हुए मिलों की संख्या कितनी है और इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने वस्त्र उत्पादों के शुल्क रहित आयात के लिए बंगलादेश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र विनिर्माता एककों पर उक्त समझौते के प्रभाव का विश्लेषण किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वस्त्र उद्योग का योगदान वर्ष 2007-08 में 2.28%, 2008-09 में 2.25% और 2009-10 में 2.22% था।

देश से कुल निर्यातों में वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग का योगदान वर्ष 2008-09 में 11.46%, 2009-10 में 12.54% और 2010-11 में 10.63% रहा। वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में क्रमश: 21.22 बिलियन अमरीकी डालर, 22.42 बिलियन अमरीकी डालर और 26.82 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा।

(ख) देश में चालू वस्त्र मिलों की संख्या और इन वस्त्र मिलों में नियोजित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या 31-01-2012 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	मिलों की सं.	कामगार
1.	आन्ध्र प्रदेश	130	41572
2.	दादरा और नागर हवेली	11	4784
3.	गोवा	1	72
4.	गुजरात	44	54550
5.	हरियाणा	31	8193
6.	हिमाचल प्रदेश	15	12788
7.	जम्मू और कश्मीर	1	5934
8.	झारखंड	1	707
9.	कर्नाटक	21	9971
10.	केरल	20	7578
11.	मध्य प्रदेश	38	30749
12.	महाराष्ट्र	130	63487
13.	ओडिशा	1	417
14.	पुडुचेरी	9	4942
15.	पंजाब	81	56527
16.	राजस्थान	37	55531
17.	तमिलनाडु	783	180787
18.	उत्तर प्रदेश	17	7206
19.	उत्तराखंड	7	3723
20.	पश्चिम बंगाल	15	9749
	कुल	1393	559267

(ग) 31-01-2012 की स्थिति के अनुसार उन वस्त्र मिलों (कॉटन/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल-गैर एस.एस.आई.) की संख्या जो पिछले 3 वर्षों के दौरान बंद हो गए हैं और उनके बंद होने के कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	बंद मिलों की सं.	बंद होने के कारण		
			श्रमिक समस्या	तालाबंदी	वित्तीय समस्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	0	0	4
2.	बिहार	2	0	0	2
3.	दादरा और नागर हवेली	1	0	0	1
4.	दमन और दीव	1	0	0	1
5.	गुजरात	11	0	0	11
6.	हरियाणा	6	0	0	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1
8.	कर्नाटक	6	0	0	6
9.	केरल	2	0	0	2
10.	मध्य प्रदेश	6	0	0	6
11.	महाराष्ट्र	22	0	0	22
12.	ओडिशा	1	0	0	1
13.	पंजाब	7	0	0	7
14.	राजस्थान	3	0	0	3
15.	तमिलनाडु	35	2	0	33
16.	उत्तर प्रदेश	12	0	1	11
17.	पश्चिम बंगाल	3	1	0	2
	कुल	123	3	1	119

(घ) से (छ) विशेष रूप से बंगलादेश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। बंगलादेश, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (साफ्टा) का एक सदस्य देश है और दिनांक 01-01-2008 से बंगलादेश सहित न्यूनतम विकसित देशों (एल.डी.सी.) के लिए टैरिफ को घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। कुछ वस्त्र मदों, जो साफ्टा के तहत न्यूनतम विकसित देशों (एल.डी.सी.) के लिए भारत की संवेदनशील सूची में हैं, को दिनांक 09-11-2011 से सूची में से हटा दिया गया है जिससे इन मदों पर बंगलादेश को शून्य शुल्क पर भारत को निर्यात की अनुमति होगी। इस शुल्क मुक्त आयात के प्रभाव का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि बंगलादेश से ऐसे शुल्क रहित आयात

के प्रभाव का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन निधियों का आवंटन

747. श्री मकन सिंह सोलंकी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अधीन राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गयी है;

(ख) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान इस स्कीम के अधीन मध्य प्रदेश के खारगांव और बारवानी जिलों को आबंटित राशि कितनी है और निर्मित सड़कों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस वर्ष के बजट में इस योजना के अधीन मध्य प्रदेश के उक्त जिलों हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान आवंटित राज्यवार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को निधि का आवंटन राज्यवार किया जाता है न कि जिलावार।

(ग) से (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

विवरण

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उपार्जन राशियाँ

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	148.91	170.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.38	35.42
3.	असम	35.05	38.91
4.	बिहार	46.28	53.61
5.	छत्तीसगढ़	58.43	66.39
6.	गोवा	5.87	6.19
7.	गुजरात	107.48	119.81
8.	हरियाणा	47.55	55.36
9.	हिमाचल प्रदेश	24.81	27.48

1	2	3	4
10.	जम्मू और कश्मीर	86.81	96.97
11.	झारखंड	39.44	44.13
12.	कर्नाटक	105.84	118.45
13.	केरल	36.54	40.26
14.	मध्य प्रदेश	133.63	152.33
15.	महाराष्ट्र	174.92	119.75
16.	मणिपुर	8.90	10.07
17.	मेघालय	10.40	11.81
18.	मिजोरम	8.20	9.29
19.	नागालैंड	6.61	7.35
20.	ओडिशा	70.56	79.74
21.	पंजाब	48.69	50.71
22.	राजस्थान	158.91	117.30
23.	सिक्किम	2.99	3.48
24.	तमिलनाडु	93.98	109.16
25.	त्रिपुरा	4.62	5.22
26.	उत्तराखंड	25.74	28.84
27.	उत्तर प्रदेश	140.65	157.93
28.	पश्चिम बंगाल	53.02	59.23
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.50	3.94
30.	चंडीगढ़	3.75	4.23
31.	दादरा और नगर हवेली	1.75	1.98
32.	दमन और दीव	1.33	1.50
33.	दिल्ली	51.78	58.40
34.	लक्षद्वीप	0.13	0.15
35.	पुडुचेरी	8.11	9.15

[अनुवाद]

सी.डी.एम. परियोजनाएं

748. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वच्छ विकास तंत्र (सी.डी.एम.) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें यू.एन.एफ.सी.सी. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और जिन्हें मेजवान देश का अनुमोदन है;

(ख) सी.डी.एम. के माध्यम से अर्जित कार्बन क्रेडिट का ब्यौरा क्या है और अमेरिकी डॉलर में इनका मूल्य कितना है; और

(ग) इस सी.डी.एम. नीति से लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) दिनांक 09-03-2012 तक भारत की 795 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा कन्वेंशन (यू.एन.एफ.सी.सी.) द्वारा पंजीकृत किया गया है। अब तक, अनुमोदित भारतीय परियोजनाओं को जारी किए गए प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण (सी.ई.आर.) 136,436,516 हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ विकास कार्यतंत्र प्राधिकरण (एन.सी.डी.एम.ए.) ने वर्ष 2012 तक 712 मिलियन सी.ई.आर. उत्सर्जित करने के संभाव्य वाली 2195 परियोजनाओं को मेजवान देश अनुमोदन (एच.सी.ए.) प्रदान किए हैं।

7 यू.एस. डॉलर प्रति सी.ई.आर. के औसत मूल्य पर पंजीकृत परियोजनाआं का 955,754,912 यू.एस.डी. उत्सर्जित करने का सांभाव्य है। यह संभाव्य, यू.एन.एफ.सी.सी.सी. से पंजीकृत की जा रही परियोजनाओं की बड़ी संख्या के अनुसार बढ़ सकता है।

(ग) अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सी.डी.एम. परियोजनाओं में शामिल होने के कारण लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से कुछ हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.), भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.), भारतीय तेल लिमिटेड (आई.ओ.एल.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.), भारतीय कृषक एवं उर्वरक सहकारी लिमिटेड (आई.एफ.एफ.सी.ओ.), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) और हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड (एच.जेडएल.)। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर भी अनेक उद्यम हैं जिन्होंने सी.डी.एम. गतिविधियों में भाग लिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-15

749. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में सीमा से गांधव तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-15 के मरम्मत का कार्य निधि की कमी के कारण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के सीमा (गुजरात सीमा कि.मी. 297/100) से गांधव (कि.मी. 259/00) तक के खंड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा संचोर शहर में मौजूदा 2 लेन का 4 लेन में चौड़ीकरण किए जाने सहित कि.मी. 259/0 (गांधव) से 286/600 कि.मी. तक और कि.मी. 290/600 से कि.मी. 297/100 (सीमा) तक पेव्ड शोल्डर के निर्माम सहित मौजूदा कैरिजवे के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। इस प्राक्कलन पर मंत्रालय में वार्षिक योजना 2011-12 के अंतर्गत 70 करोड़ रु. की राशि की संस्वीकृति के लिए विचार किया जा रहा है।

कठोर जल उपचार संयंत्र योजना

750. श्री नारायण सिंह अमलाबे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की नदियों के किनारे बसे शहरों/कस्बों से नदियों में बहने वाले कचरे और मलत्याग को रोकने के लिये कठोर जल उपचार संयंत्र/पूर्व उपचार हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से कार्य करना शुरू करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) जिसे 1985 में शुरू किया गया था और जो अब भी जारी है, के माध्यम से नदी संरक्षण में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। वर्तमान में इस योजना में 20 राज्यों में फैले हुए 190 नगरों की 40 नदियां शामिल हैं। चूंकि अनुपचारित अपशिष्ट जल को छोड़ा जाना, नदियों के प्रदूषण भार का मुख्य कारण है अत: सीवेज का अवरोधन और दिशा परिवर्तन, सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, इस स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित प्रदूषण उपशमन स्कीमों के मुख्य घटक रहे हैं।

अन्य केन्द्रीय योजनाओं जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, छोटे एवं मझौले नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना तथा राज्य की योजनाओं के अंतर्गत सीवेज प्रबंधन और निपटान हेतु नागरिक अवसंरचना निर्माण के सृजन जैसे नदी संरक्षण कार्यकलाप भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

डी.ई.पी.बी. योजना

751. **श्री सुरेश कुमार शेटकर**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्यूटी पात्रता पास बुक (डी.ई.पी.बी.) योजना हाल ही में समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न उद्योगों से उक्त योजना का और विस्तार करने हेतु कतिपय अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने 1-10-2011 से डी.ई.पी.बी. योजना को वापस ले लिया है। यह निश्चय किया गया था कि संशोधित शुल्क वापसी दरों को उन मदों पर भी लागू किया जाएगा जो डी.ई.पी.बी. स्कीम में थी। शुल्क वापसी योजना, जो 2011-12 के लिए 20-9-2011 को घोषित की गई थी (1-10-2011 से प्रभावी), में 1096 नई मदें हैं। पहले इस स्कीम का 30-06-2011 से तीन माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात 30-09-2011 तक बढ़ाया गया था ताकि डी.इ.पी.बी. स्कीम को एक बार चरणबद्ध रूप से समाप्त हो जाने के उपरान्त सुगम ट्रान्जीशन सुलभ हो सके। सरकार को डी.ई.पी.बी. स्कीम का विस्तार करने के लिए विभिन्नों उद्योगों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। डी.ई.पी.बी. को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया गया है।

पूर्व-पश्चिम सड़क परियोजनाओं में विलंब

752. **श्री संजय दिना पाटील**:

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व-पश्चिम सड़क परियोजनाओं जैसे जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड तथा सांताक्रूज-चांबूर लिंक रोड में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड तथा सांताक्रूज चाम्बूर लिंक रोड को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पेड़ की कटाई, जन-सुविधाओं का स्थानान्तरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना तथा धार्मिक ढांचे को हटाया जाना है।

(ग) मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, संबंधित अभिकरणों के साथ इस मामले पर तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं।

तटीय क्षेत्रों में जोखिम रेखा

753. **श्री पी.टी. थॉमस:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का देश के तटीय क्षेत्रों में जोखिम रेखा का अंकन किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में 'सर्वे ऑफ इंडिया' के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय ने समुद्र स्तर में वृद्धि, ज्वार भाटा, लहरों और समुद्र तट में परिवर्तन के कारण आने वाली बाढ़ को ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्रों में जोखिम रेखा के सीमांकन के लिए एक परियोजना शुरू की है। एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत जोखिम रेखा मैंपिंग एक घटक है। तट रेखा के साथ-साथ बनाई गई जोखिम रेखा का प्रयोग तटीय क्षेत्रों के समीप विकास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने और विनियमितीकरण के लिए किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ.) ने सात पैरा मीटरों नामत: उत्थापन, भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, समुद्र स्तर का रुझान, क्षैतिज समुद्र तट रेखा विस्थापन, (कटाव/अभिवृद्धि) ज्वारीय रेंज और लहर की ऊंचाइयों को ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्रों की संपूर्ण मुख्य भूमि के लिए अंत: ज्वारीय क्षेत्र सहित भारत की 7 कि.मी. चौड़ी तटीय पट्टी के साथ-साथ जोखिम रेखा की मैपिंग, चित्रण और सीमांकन के लिए 12 मई, 2010 को भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) स्टीरियो डिजीटल एरियल फोटोग्राफी (एस.डी.ए.पी.) में गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 60,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र सहित 11000 कि.मी. की आर्क तटीय रेखा शामिल होगी। पांच वर्षों की अवधि में भारत की मुख्य भूमि तट पर जोखिम रेखा की मैपिंग, चित्रण और सीमांकन किया जाएगा। इसमें पिछले 40 वर्षों में बाढ़ रेखाओं की पहचान करते हुए आंकड़ों का एकत्रीकरण और प्रस्तुतीकरण (जिसमें समुद्री स्तर में वृद्धि के प्रभाव शामिल हैं) और अगले 100 वर्षों में होने वाले भू-कटाव की भविष्यवाणी करना शामिल होगा। जोखिम मैप 1:10,000 पैमाने पर तैयार किए जाएंगे और भूमि की जांच के पश्चात जोखिम रेखा का सीमांकन कर खम्भे खड़े किए जाएंगे।

[हिन्दी]

खाद्य निर्यात नीति

754. **श्री के.डी. देशमुख:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, प्याज आदि के संबंध में सरकार की निर्यात नीति क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान निर्यात की गई खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार को श्रीलंका और अन्य देशों से चीनी एवं चावल की खरीद हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हों;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इन उत्पादों के निर्यात को अनुमति प्रदान करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) **बासमती चावल की निर्यात नीति:** न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) (मौजूदा एम.ई.पी. 700 अम.डा. प्रति टन है) के अध्यधीन बासमती चावल का निर्यात मुक्त है। कुछेक अन्य शर्तें हैं जिन्हें दिनांक 21-02-2012 की अधिसूचना सं. 97 के जरिए अधिसूचित किया गया है।

गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति: सीमा शुल्क ई.डी.आई. पत्तनों के जरिए गैर-बासमती चावल का निर्यात मुक्त है। ऐसे निर्यात निजी पक्षों द्वारा निजी रूप से रखे

गए स्टॉक से लिए जाते हैं। कुछेक अन्य शर्तें हैं जिन्हें दिनांक 23-02-2012 की अधिसूचना सं. 98 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

चीनी की निर्यात नीति: चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ने निर्गम आदेश के अध्यधीन चीनी का निर्यात मुक्त है। प्रति वर्ष 10,000 मी.टन जैविक चीनी के निर्यात के लिए निर्गम आदेश अपेक्षित नहीं होता है।

प्याज की निर्यात नीति: राज्य व्यापार उद्यमों (एस.टी.ई.) के जरिए प्याज के निर्यात का सरणीकरण किया जाता है। न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) (मौजूदा एम.ई.पी. सामान्य श्रेणी के प्याज के लिए 125 अम.डा. प्रति मी.टन तथा बंगलौर रोज एवं कृष्णापुरम प्याज के लिए 250 अम.डा. प्रति मी.टन है) के अध्यधीन निर्यात की अनुमति है।

पिछले दो वर्षों के दौरान चावल, चीनी और प्याज के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा टन में और मूल्य करोड़ रुपए में)

मद	2009-10		2010-11		2011-12 (नवम्बर, 11 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	2016869	10889.60	2183507	10578.68	1761569.00	8723.21
गैर-बासमती चावल	139544	365.30	99286	222.21	1236643.00	2801.53
चीनी	44735	110.21	1713816	5418.91	1599447.00	5251.05
प्याज	1677166	2320.51	1138283	1780.25	843990.28	1194.07

(ख) से (घ) चूंकि चीनी का निर्यात मुक्त है, अत: श्रीलंका या किसी अन्य देश को चीनी के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट अनुमति नहीं दी गई है। पिछले दो वर्षों में श्रीलंका तथा अन्य देशों को चावल के निर्यात हेतु प्रदत्त अनुमति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

देश	अनुमति का ब्यौरा
श्रीलंका	दिनांक 15-03-11 की अधिसूचना सं. 33 द्वारा संशोधित 03-03-10 की अधिसूचना सं. 33 के जरिए पी.ई.सी. द्वारा 20,000 मी.टन चावल (पोन्नी साम्बा) के निर्यात की अनुमति दी गई।
नेपाल	दिनांक 03-03-10 की अधिसूचना सं. 33 के द्वारा एम.एम.टी.सी. के जरिए 25,000 मी.टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई।
बांग्लादेश	(i) दिनांक 06-08-10 की अधिसूचना सं. 55 जिसे (ii) 30-08-10 की अधिसूचना सं. 3 तथा (iii) 10-02-2011 की अधिसूचना सं. 20 द्वारा संशोधित किया गया, के जरिए एफ.सी.आई. के केन्द्रीय पूल स्टॉक से स्टॉक उठाकर मै. एस.टी.सी.

देश	अनुमति का ब्यौरा
	एवं पी.ई.सी. द्वारा 3 लाख टन सेला गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई।
भूटान	दिनांक 05-03-2012 की अधिसूचना सं. 104 द्वारा संशोधित 05-12-2011 की अधिसूचना सं. 87 के जरिए प्रति वर्ष (कैलेण्डर वर्ष के अनुसार) 21,200 मी.टन गैर-बासमती चावल का निर्यात भारत द्वारा लगाए गए किसी निर्यात प्रतिबंध से मुक्त है।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका (केन्या, सोमालिया एवं जिबूती)	दिनांक 12-12-2011 की अधिसूचना सं. 88 के जरिए 20,689.50 रुपए प्रति टन की किफायती लागत पर एफ.सी.आई. के केन्द्रीय पूल स्टॉक से 10,000 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है।
यमन गणराज्य	दिनांक 06-02-2012 को मानवीय सहायता के रूप में किफायती लागत पर एफ.सी.आई. के केन्द्रीय पूल स्टॉक से 2650 मी.टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।

हिमालयन रेजिमेन्ट

755. **डॉ. राजन सुशांत:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमावर्ती राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए हिमालयन रेजिमेन्ट की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेजिमेन्ट की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है तथा इसके कब तक कार्य करने शुरू करने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई जातियों को अ.जा. सूची में सम्मिलित किया जाना

756. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग एक दर्जन जातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) नई जातियों को कब तक अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) वर्ष 2011 के दौरान प्राप्त बिहार के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में दो जातियों अर्थात् तांती (ततुआ) और कानू के समावेशन संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

उत्तर प्रदेश की सरकार से उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में किसी समुदाय के समावेशन के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा

757. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पर्याप्त छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आज तक सरकार को जन प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संगठन से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां। एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, नामत: "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) से (घ) इन छात्रावासों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने संबंधी और उनके समुचित रखरखाव के संबंध में कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं। चूंकि छात्रावासों का रखरखाव और प्रबंधन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है, इसलिए उन्हें इस संबंध में उपयुक्त सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रखरखाव

758. **श्री हेमानंद बिस्वाल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार ओडिशा के उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनका अनुरक्षण एवं रखरखाव ठीक नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं;

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपए)

शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (चालू वर्ष)
निर्माण	415.04	493.66	347.86	546.00
अनुरक्षण	67.89	76.65	126.35	36.86
जोड़	482.93	570.31	474.21	582.86

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को उनकी स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के भीतर समय-समय पर यातायात अनुकूल परिस्थिति में बनाए रखा जाता है जो यातायात सघनता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

759. **श्री पी.आर. नटराजन:**

श्री विक्रम भाई अर्जनभाई मादम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कोई नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली से क्या अतिरिक्त लाभ होने का अनुमान है; और

(घ) नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रत्येक कारक को किस सीमा तक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा तथा इसका आधार क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) ने आधार वर्ष 2010=100 के साथ 18 फरवरी, 2011 को नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) जारी कर दिया गया है। नए सूचकांक में ग्रामीण और शहरी दोनों से शहर शामिल होते हैं।

औद्योगिक कामगारों, कृषि श्रमियों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इन लोगों द्वारा उपभोग की गयी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के स्तर में परिवर्तन प्रतिबिम्बित करते हैं। नई श्रृंखलाएं व्यापक आधार वाली है और सम्पूर्ण ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या को शामिल करती हैं।

नई श्रृंखलाओं में उपभोग पैटर्न वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों से लिए गए हैं। सर्वेक्षण में प्रयुक्त ग्रामीण, शहरी और संयुक्त अखिल भारतीय भारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अखिल-भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) में खाद्य समूह भारण क्रमश: 59.31%, 37.15% और 49.71 है। शेष भारण अखाद्य समूहों अर्थात आवास, ईंधन व प्रकाश, वस्त्र तथा जूते और विविध समूह के लिए हैं।

विवरण

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) की नई श्रृंखलाएं - अखिल भारतीय भारण

उप-समूह/समूह	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त (ग्रामीण+शहरी)
1	2	3	4
अनाज और उत्पाद	19.08	8.73	14.59
दालें और उत्पाद	3.25	1.87	2.65
दुग्ध और दुग्ध उत्पाद	8.59	6.61	7.73
तेल व वसा	4.67	2.89	3.90
अंडा, मछली और मांस	3.38	2.26	2.89
सब्जियां	6.57	3.96	5.44
फल	1.90	1.88	1.89
चीनी आदि	2.41	1.26	1.91

1	2	3	4
मसाले	2.13	1.16	1.71
नशा रहित पेय	2.04	2.02	2.03
तैयार भोजन आदि	2.57	3.17	2.83
पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ	2.73	1.35	2.13
भोजन, पेय पदार्थ और तम्बाकू	59.31	37.15	49.71
ईंधन और प्रकाश	10.42	8.40	9.49
वस्त्र और बिस्तर	4.60	3.34	4.05
जूते	0.77	0.57	0.68
वस्त्र, बिस्तर और जूते	5.36	3.91	4.73
आवास	-	22.53	9.77
शिक्षा	2.71	4.18	3.35
चिकित्सा देख-रेख	6.72	4.34	5.69
मनोरंजन और मनोविनोद	1.00	1.99	1.43
परिवहन और संचार	5.83	9.84	7.57
व्यक्तिगत देख-रेख तथा प्रभाव	3.05	2.74	2.92
परिवार हेतु आवश्यक वस्तुएं	4.48	3.92	4.30
अन्य	1.12	0.99	1.06
विविध	24.91	28.00	26.31
सभी समूह	100.00	100.00	100.00

कामगारों का प्रव्रजन

760. **श्री नित्यानंद प्रधान:**

श्री वैजयंत पांडा:

श्री रघुवीर सिंह मीणा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दैनिक मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) उनके तथा उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक श्रमिक एवं विद्यार्थी गरीबी, सूखा, सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के अभाव के कारण पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के प्रव्रजन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये; और

(च) देश के इन दुर्गम क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) को किस सीमा तक राहत प्रदान की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) केन्द्रीय स्तर पर दैनिक मजदूरों की संख्या संबंधी किसी आंकड़े का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) दैनिक मज़दूरों तथा उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से कोई योजना नहीं है।

(ग) से (ड.) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भाग में प्रवास करने का अधिकार है। तथापि, सरकार का प्रयास विपत्तिजन्य प्रवास को रोकने का है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अधिनियमन किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीविकोपार्जन सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए वित्त वर्ष में ग्रामीण परिवारों, जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को इच्छुक हैं को 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करने की गारंटी देना है। अधिनियम के अनुसार, रोजगार, गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में होगा जहां आवेदक आवेदन करने के समय निवास करता हो। उक्त परिधि से बाहर रोजगार प्रदान करने के मामले में इसे ब्लाक के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है तथा श्रमिकों को 10% अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान करना होगा। वस्तुत: परिवारों की मांग के अनुसार स्थानीय रोजगार प्रदान करने से जबरी प्रवास कम किया जा सकता है।

प्रवासी कामगारों के हितों की संरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने अंतर-राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 लागू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, रिहायशी आवास, चिकित्सा सुविधाएं तथा रक्षात्मक कपड़ों आदि की व्यवस्था शामिल है।

केन्द्रीय स्तर पर प्रवास संबंधी वर्षवार तथा राज्य-वार आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(च) सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्तरोन्नयन एवं कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा आवास योजना आदि की शुरुआत की है।

आर.ओ.बी. तथा आर.यू.बी.

761. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

श्री एस.अलागिरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) तथा रेल अन्डर ब्रिज (आर.यू.बी.) परियोजनाओं का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है जिनमें राज्य सरकार के पास निधियों की कमी के कारण विलंब हुआ है;

(ख) आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की इन विलंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इसके बाद इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जहां तक केन्द्रीय सड़क निधि, आर्थिक महत्व एवं अंतर-राज्य सड़क सम्पर्क जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़क पर रेल ओवर ब्रिज तथा रेल अंडर ब्रिज का संबंध है राज्य सरकारों के पास निधि की कमी के कारण कोई भी रेल ओवर ब्रिज तथा रेल अंडर ब्रिज विलंबित नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

सड़कों के नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता

762. **श्री घनश्याम अनुरागी:**

श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभागों (पी.डब्ल्यू.डी.) से अपने राज्यों में

सड़कों की मरम्मत/नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मांग हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हो;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सड़कों और पुलों के विकास के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता वित्त अधिनियम, 2005 और सी.आर.एफ. (राज्यीय सड़क) नियमावली 2007 द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक महत्व और अन्तर-राज्य सड़क संपर्क स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध कराती है। जहां अंतर-राज्य सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का पूरा वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है वहीं आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण अनुमोदित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष 50 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है।

आर्थिक महत्व और अंतर-राज्य सड़क संपर्क स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रति वर्ष निधि का आवंटन संस्वीकृत कार्यों और संस्वीकृति के लिए प्रस्तावित नवीन कार्यों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के दौरान आकलित निधि की अपेक्षा, निधि की संपूर्ण उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को निधि की पहली किस्त आवश्यकता के आधार पर जारी की जाती है। तदनन्तर किस्तें कार्यों की प्रगति और निष्पादक एजेंसी द्वारा सूचित वास्तविक व्यय के आधार पर जारी की जाती हैं। 50 प्रतिशत वित्तपोषित कार्यों (अर्थात् आर्थिक महत्व की परियोजनाएं) के लिए जारी निधि राज्य सरकारों के संसाधनों से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय के समतुल्य होती है।

उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त निधि की आवश्यकता के प्रस्तावों और आर्थिक महत्व एवं अंतर-राज्य सड़क संपर्क स्कीमों के अंतर्गत उन्हें वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए आवंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त निधि की आवश्यकता के प्रस्तावों और आर्थिक महत्व एवं अंतर-राज्य संपर्क स्कीमों के अंतर्गत उन्हें वर्ष 2011-12 के दौरान किए आबंटन का राज्यवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	आबंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	104.14	46.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.00	9.61
3.	असम	3.00	0.47
4.	बिहार	4.38	0.27
5.	छत्तीसगढ़	12.26	1.32
6.	गोवा	0.00	0.00

1	2	3	4
7.	गुजरात	20.00	8.60
8.	हरियाणा	49.95	22.73
9.	हिमाचल प्रदेश	30.00	6.82
10.	जम्मू और कश्मीर	36.00	13.06
11.	झारखंड	24.14	6.85
12.	कर्नाटक	23.60	9.66
13.	केरल	66.44	4.44
14.	मध्य प्रदेश	45.50	15.27
15.	महाराष्ट्र	45.95	5.94
16.	मणिपुर	13.00	4.70
17.	मेघालय	3.70	0.69
18.	मिजोरम	5.20	1.74
19.	नागालैंड	38.00	15.97
20.	ओडिशा	25.00	0.59
21.	पंजाब	3.00	0.47
22.	राजस्थान	32.63	13.61
23.	सिक्किम	30.20	12.48
24.	तमिलनाडु	95.28	19.35
25.	त्रिपुरा	0.40	0.00
26.	उत्तराखंड	2.00	0.04
27.	उत्तर प्रदेश	50.00	13.39
28.	पश्चिम बंगाल	5.20	2.16

जलवायु परिवर्तन

763. श्री अधीर चौधरी:

श्री निशिकांत दुबे:

श्री इज्यराज सिंह:

श्री हरीश चौधरी:

श्री कमल किशोर 'कमांडो':

श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तनों तथा इसका देश पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंतरिक/बाह्य एजेंसियों की सहायता के माध्यम से इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कार्य-योजना शुरू की गई या शुरू किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया है तथा "जलवायु परिवर्तन और भारत: 4x4 आकलन - 2030 के लिए क्षेत्रीय और आंचलिक विश्लेषण" शीर्षक से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत के चार जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों नामत: हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाटों, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार मुख्य क्षेत्रों अर्थात कृषि, जल, प्राकृतिक पारि-प्रणालियों और जैव विविधता एवं स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

इस अध्ययन में जलवायु पैरामीटरों और संगत क्षेत्रों पर संबंधित प्रभावों के लिए जटिलताओं की मिली-जुली तस्वीर पेश की गई है। सभी क्षेत्रों की समग्र वार्मिंग प्रस्तुत की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी क्षेत्र पांच से दस दिनों तक वर्षा में वृद्धि का अनुभव करेंगे। हिमालयी क्षेत्र में पानी बढ़ने की संभावना है जबकि अन्य तीन क्षेत्रों में इसके परिवर्तनशील होने की संभावना है। सभी क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से यह अनुमान लगाया गया है कि वनों और निवल प्राथमिक उत्पादकता के संघटन में परिवर्तन हुआ है। नए क्षेत्रों में मलेरिया फैलने की और दीर्घावधि में इसके संचरण के जोखिम की संभावना है।

(ग) भारत सरकार को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही विभिन्न जटिलताओं की जानकारी है और उसने 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) शुरू की है। एन.ए.पी.सी.सी. में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत रूप से बनाए रखने, हरित भारत, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों की रूपरेखा तैयार की गई है। एन.ए.पी.सी.सी. के अंतर्गत इन आठ राष्ट्रीय मिशन को जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद ने अनुमोदित कर दिया है। इन मिशनों के अंतर्गत कार्यकलाप विभिन्न जारी और योजनाबद्ध स्कीमों द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इसमें 2005 के स्तर की तुलना में 2020 तक जी.डी.पी. की उत्सर्जन मात्रा में 20-25% तक की कमी करने में सफलता पाने की कार्यनीति भी शामिल है।

सारनाथ से लुम्बिनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग

764. **श्री दारा सिंह चौहान:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सारनाथ से लुम्बिनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे चार लेन में परिवर्तित करके इसका उन्नयन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के लंबित होने के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सारनाथ से लुंबिनी तक का राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और यह यातायात, निधि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

(ग) से (ङ) घागर पुल से वाराणसी तक की सड़क के खंड को 4 लेन से विभक्त कैरिजवे में उन्नयन करने का प्रस्ताव किया गया है। पी.पी.पी.ए.सी. ने दिनांक 17-02-2012 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। अर्हता-पूर्व की निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परमिट शुल्क

765. श्री रामसुन्दर दास:

श्री लालचंद कटारिया:

श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई राष्ट्रीय परमिट योजना के क्रियान्वयन के बाद राज्य सरकारों के राजस्व में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परमिट हेतु समेकित शुल्क में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों के साथ भी विचार-विमर्श किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी हां। पुरानी स्कीम में राष्ट्रीय परमिट पर समेकित शुल्क के अंतर्गत राज्यों द्वारा राजस्व संग्रहण की तुलना में, दिनांक 08-05-2010 से नई राष्ट्रीय परमिट योजना के कार्यान्वयन के बाद, 19 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनके राष्ट्रीय परमिट खाते में राजस्व संग्रहण में कमी नोट की गई है। गिरावट की प्रवृत्ति नोटिस करने के बाद, नई राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत वार्षिक समेकित शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) से (च) दिनांक 13-02-2012 को आयोजित परिवहन विकास परिषद् की बैठक में राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क को बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारियों के साथ परामर्श करके प्रति ट्रक प्रति वर्ष 15,000 रु. के राष्ट्रीय परमिट शुल्क को बढ़ाकर 16,500 रु. करने का निर्णय लिया गया था।

[अनुवाद]

सी.आर.एफ. और आई.एस.सी. और ई.आई. के अंतर्गत गुजरात के प्रस्ताव

766. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) तथा अंतर्राज्यीय संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं (आई.एस.सी.ई.आई.) के अंतर्गत 343.38 करोड़ रु. के 51 कार्यों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न बी.ओ.एस. अपना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों के सरकार द्वारा कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) गुजरात राज्य सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं (आई.एस.सी. तथा ई.आई.) के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूल ऑफ आर्टिलरी

767. श्री समीर भुजबल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नासिक जिले के स्कूल ऑफ आर्टिलरी, देवलाली की विस्तार योजनाओं में समस्याएं खड़ी हो गई हैं क्योंकि किसानों ने इस परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सैन्य प्राधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण किए जाने की व्यवहार्यता की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्राधिकारियों द्वारा क्या वैकल्पिक योजनाएं तैयार की गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नये वाहन संबंधी मानदंड

768. **श्री राधे मोहन सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान विशेषकर महानगरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश में ईंधन एवं वाहन संबंधी नये मानदंडों को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रविधि तैयार की गई है; और

(ग) प्रदूषण को रोकने में यह किस सीमा तक लाभकारी होगा?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.-टी.एच.) को विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है। एम.ओ.आर.टी.एच. इंजन प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, परीक्षण एजेंसियों के पास उपलब्ध अवसंरचना और तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ईंधन की गुणवत्ता पर निर्भर करते हुए समय समय पर उत्सर्जन मानकों में संशोधन भी करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी. एंड एन.जी.) द्वारा स्थापित ऑटोफ्यूल पॉलिसी कमेटी द्वारा संस्तुत उत्सर्जन मानकों की रूपरेखा के अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में किए गए प्रावधानों से आज की तारीख तक निम्नलिखित मानक कार्यान्वित किए गए हैं।

(क) चार पहिया वाहनों के लिए

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, हैदराबाद (सिकन्दराबाद सहित), बंगलौर, कानपुर, पुणे, सूरत, आगरा, शोलापुर और लखनऊ में भारत स्टेज IV उत्सर्जन मानक।

(ii) देश के अन्य भागों में भारत स्टेज III उत्सर्जन मानक।

(ख) दो पहिया और तिपहिया वाहनों के लिए पूरे देश में भारत स्टेज III उत्सर्जन मानक।

(ग) देश के शहरी क्षेत्र में परिवेशी वायु प्रदूषण कम करने हेतु ऑटो ईंधन गुणवत्ता इंजन विनिर्देश और उत्सर्जनों के लिए इन मानकों के कार्यान्वयन की आशा की जाती है। वाहनीय प्रदूषण न केवल सल्फरडाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर जैसे प्राथमिक प्रदूषकों को उत्सर्जित करता है अपितु द्वितीय प्रदूषकों को भी, इन सभी पर उक्त हस्तेक्षेपों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। छह मुख्य शहरों में स्रोत संविभाजन अध्ययन कराया गया है जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि वाहनीय प्रदूषण में परिवेशी पर्टिकुलेट मैटर का योगदान 5.76% से 41.01% है।

चीन से सस्ता आयात

769. **श्री डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री जोस के. मणि:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के विनिर्माता लगातार लोकप्रिय भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य उत्पादों की नकल कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग और राष्ट्रीय राजकोष को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को चीन के प्राधिकारियों के साथ उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधरात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) कुछ मामलों में जहां भारतीय उत्पादों की नकल की जा रही है और चीन में बेचे जा रहे हैं/अन्य देशों को चीन से निर्यात किए जा रहे हैं, सरकार की जानकारी में आया है। तथापि, ऐसे नकली उत्पादों का कोई विशिष्ट मामला जिसे भारतीय बाजार में बेचा जा रहा है, सरकार की जानकारी में नहीं आया है। चीन की कंपनियों द्वारा भारतीय ब्रांडों/उत्पादों के खिलाफ कापीराइट/ट्रेडमार्क के उल्लंघन में शामिल होने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों का ब्यौरा अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ग) से (ङ) अनुच्छेद में उल्लिखित सभी मामलों को चीन में संगत सरकारी एजेंसियों के समुचित स्तर पर उठाया गया है और इन पर बीजिंग में हमारे दूतावास के जरिए कार्यवाही की जा रही है।

1. आहूजा रेडियोज - मै. आहूजा रोडियोज, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दूतावास (ई.ओ.आई.) बीजिंग में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि चीन की कंपनियों द्वारा कई देशों में आहूजा ब्रांड उत्पाद की विनिर्माण और बिक्री की जा रही है। चीन की एक कंपनी ने भारत में 'आहूजा' ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया है।

भारतीय दूतावास बीजिंग ने संबंधित चीन की कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध के साथ वाणिज्य मंत्रालय, चीन जन गण के साथ मामले को उठाया है। भारतीय कंपनी मे. आहूजा रेडियोज ने भी चीन के न्यायालय में चीन की कंपनी के विरुद्ध एक मामला दायर किया है।

दोनों कंपनियों ने बाद में न्यायालय से बाहर समझौता कर लिया और चीन की कंपनी ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन और इसके फलस्वरूप भारतीय कंपनी को हस्तांतरित करने पर सहमत हो गई है।

2. हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड के 'नटराज' पेंसिल ब्रांड की नकल - भारतीय दूतावास बीजिंग में जुलाई, 2007 में चीन में हिन्दुस्तान पेंसिल लिमिटेड की प्रसिद्ध 'नटराज' की नकल के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। चीन की 'नटराज' पेंसिल में अप्रमाणिक लीड लैडन पेंट का उपयोग हुआ है। बाद में यह शिकायत चीन में गुणवत्ता ब्रांड संरक्षण समिति के पास दर्ज की गई थी।

3. बोरोप्लस के ट्रेडमार्क का उल्लंघन - अगस्त, 2010 में भारतीय दूतावास बीजिंग में रूस और अन्य पड़ोसी देशों में विनिर्माण किए जा रहे और बेचे जा रहे 'बोरोप्लस' चीन ट्रेडमार्क के अंतर्गत अप्रमाणिक एन्टिसेप्टिक क्रीम की एक शिकायत प्राप्त हुई है जो हू-ब-हू समान पैकेजिंग और शाबदिक प्रकार रंग-रूप, डिजाई, देखने और बनावट में मूल बोरोप्लस जैसी लगती है।

4. 'रेमंड' ट्रेडमार्क और जे. के. फाइल्स तथा टूल्स का उल्लंघन

भारतीय दूतावास में रेमंड, जे.के. फाइल्स एण्ड टूल्स ब्रांड और काम सूत्र ब्रांड तथा अन्य देशों को चीन से निर्यात किए जा रहे इन ब्रांडों के अंतर्गत नकली उत्पादों की नकल की वर्ष 2007 में मै. रेमंड लिमिटेड से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह पाया गया था कि इस नकली उत्पाद का चीन के कई प्रांतों में विनिर्माण किया जा रहा है।

5. ओनिडा ट्रेडमार्क का उल्लंघन - भारत के कन्सुलेट जनरल, ग्वांगझो में 'ओनिडा' ब्रांड के ट्रेडमार्क का चीन में उल्लंघन के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। चीन की एक कंपनी ने 'ओनिडा' ब्रांड की नकल की और चीन में अपने नाम से ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया।

6. भारतीय सुगंधित अगरबत्तियों की नकल करना - भारतीय दूतावास, बीजिंग में चीन की एक कंपनी मै. सिचुआन इंडियास्की कल्चरल इंडस्ट्री कं. लि. जो भारतीय अगरबत्तियों, हस्तशिल्प मदों, अपैरल एवं उपस्कर का पंजीकृत आयातक है, से एक शिकायत प्राप्त हुई है कि चीन की एक कंपनी मै. चेंगडू हीवन आर्ट, कामर्स एवं ट्रेड कं. लि. ने दिया, डेनिम, राज, नाग, चंपा आदि जैसे अनेक भारतीय सुगंधित अगरबत्ती के ब्रांडों के पंजीकृत ट्रेडमार्क डिजाइन की नकल की है और इन्हें अपने नाम से चीन के ट्रेडमार्क प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराया है।

[हिन्दी]

प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण योजना के अंतर्गत निधियां

770. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**
श्री अर्जुन राय:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में धनराशि का समुचित उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रयुक्त/अप्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त धनराशि के समुचित उपयोग की निगरानी करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) सभी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन से 15 जुलाई, 2009 को उन्हें परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य काम्पा का गठन किया है।

(ख) राज्य काम्पा को वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पहले, धन जारी करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की सहमति प्राप्त करने सहित सभी उपाय करने का कार्य और राज्य काम्पा से जारी किए गए धन से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का पर्यवक्षण करना राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के डोमेन में है।

(ङ) और (च) "ई-ग्रीन वाच" [पहले एकीकृत काम्पा के नाम से जाना जाने वाला कनकरेंट मानीटरिंग एंड• एवेलुएश्न सिस्टम] नामक परियोजना, नेशनल इनफारमेटिक सेंटर, जिसने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में, राज्य काम्पा को जारी की गई निधियों से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के लिए रीयल-टाइम ऑन-लाइन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली के प्रारंभिक चरण का कार्यान्वयन किया है, को सौंपी गई है।

विवरण

राज्य काम्पा को विगत तीन वर्षों में जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		दिनांक	धनराशि (रुपए)	दिनांक	धनराशि (रुपए)	दिनांक	धनराशि (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28-08-2009	10,990,000.00	01-10-2010	7,869,000.00		
2.	आन्ध्र प्रदेश	28-08-2009	897,832,000.00	01-10-2010	1,207,444,000.00	23-08-2011	1,185,700,000.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	03-04-2010	163,676,000.00	22-11-2010	177,882,000.00	08-09-2011 25-10-2011	411,900,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8
						09-11-2011 29-11-2011	
4.	असम	17-08-2009	67,174,000.00	01-10-2010	104,487,000.00		
5.	बिहार	20-11-2009	77,300,000.00	18-01-2011	86,674,000.00	25-11-2011	80,400,000.00
6.	चण्डीगढ़	17-08-2009	1,765,000.00	01-10-2010	1,296,000.00		
7.	छत्तीसगढ़	17-08-2009	1,232,135,000.00	01-10-2010	1,341,066,000.00	08-09-2011	995,439,000.00
8.	दादरा और नगर हवेली	04-09-2009	1,682,000.00			28-10-2011	1,536,000.00
9.	दमन और द्वीव						
10.	दिल्ली	21-01-2010	18,471,000.00	18-01-2011	13,991,000.00		
11.	गोवा	17-08-2009	121,197,000.00	01-10-2010	102,468,000.00		
12.	गुजरात	19-08-2009	249,647,000.00	01-10-2010	291,568,000.00	08-09-2011	263,000,000.00
13.	हरियाणा	17-08-2009	191,141,000.00	01-10-2010	188,909,000.00		
14.	हिमाचल प्रदेश	21-08-2009	366,771,000.00	01-10-2010	421,656,000.00	23-08-2011 09-12-2011	571,262,400.00
15.	जम्मू और कश्मीर						
16.	झारखंड	12-03-2010	950,028,000.00	01-10-2010	1,031,622,000.00	24-11-2011	624,989,300.00
17.	कर्नाटक	19-08-2009	585,573,000.00	01-10-2010	509,160,000.00	30-08-2011 09-09-2011	415,700,000.00
18.	केरल	12-03-2010	17,509,000.00				
19.	लक्षद्वीप						
20.	मध्य प्रदेश	17-08-2009	530,482,000.00	01-10-2010	509,656,000.00	09-01-2012	535,209,000.00
21.	महाराष्ट्र	22-02-2010	893,549,000.00	18-01-2011	854,893,000.00	16-11-2011	826,300,000.00
22.	मणिपुर	08-12-2009	7,456,000.00	01-10-2010	13,350,000.00		
23.	मेघालय	20-04-2010	967,000.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	मिजोरम						
25.	नागालैण्ड						
26.	ओडिशा	21-08-2009	1,310,618,000.00	18-01-2011	1,401,753,000.00	23-08-2011	1,660,210,050.00
27.	पुडुचेरी						
28.	पंजाब	08-12-2009	330,547,000.00	01-10-2010	265,215,000.00	15-09-2011	94,078,382.00
						21-09-2011	
29.	राजस्थान	07-01-2010	325,908,000.00	18-01-2011	420,698,000.00	11-11-2011	318,913,000.00
30.	सिक्किम	17-08-2009	80,092,000.00	01-10-2010	102,334,000.00	02-09-2011	90,400,000.00
				22-11-2010		12-10-2011	
31.	तमिलनाडु	08-12-2009	19,713,000.00	01-10-2010	17,032,000.00		
32.	त्रिपुरा	12-03-2010	35,418,000.00	18-01-2011	25,848,000.00		
33.	उत्तर प्रदेश	10-05-2010	470,962,000.00				
34.	उत्तराखण्ड	17-08-2009	816,532,000.00	01-10-2010	827,488,000.00		
35.	पश्चिम बंगाल	08-12-2009	52,957,000.00	01-10-2010	62,760,000.00	09-03-2012	48,436,000.00
				22-11-2010			
	जोड़		9,828,092,000.00		9,987,119,000.00		8,123,473,132.00

[अनुवाद]

नीलगिरी का संरक्षण

771. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलिगिनी रंगास्वामी मंदिर (बी.एस.टी.) बाघ अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर के खनन से नीलगिरी बाघ अभ्यारण्य का गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और इस संरक्षित क्षेत्र में वन्यजीवों का जीवन खतरे में पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बाघ अभ्यारण्य के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बिलिगिरी रंगानाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में पत्थर खनन नहीं हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाघ परियोजना की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बिलिगिरी रंगानाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य को सुरक्षा और प्रबंधन के लिए निधिकरण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

पर्यावरण के संरक्षण हेतु मानदंड

772. **श्री जगदानंद सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या, तीव्र औद्योगिकीकरण और बढ़ते शहरीकरण से पर्यावरण पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग और उन्हें उत्सर्जित विषैले तत्वों से बचाने के लिए कोई उपाय और मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नदियों, जलाशयों, झीलों और अन्य जल निकायों के जल के सुरक्षित उपयोग और निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनमें समुचित स्तर तक जल को बनाए रखने संबंधी भावी योजनाएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) बढ़ती हुई जनसंख्या, तीव्र औद्योगीकरण और बढ़ते शहरीकरण से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के कारण और अधिक पर्यावास स्थान, जल उपभोग, ऊर्जा, उनके आवागमन के लिए परिवहन और रोजगार हेतु अवसंरचना की मांग है जिसके परिणाम-स्वरूप और अधिक घरेलू अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट, उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है।

(ग) और (घ) प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए निर्धारित किए गए मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जलाशयों के संरक्षण के लिए मंत्रालय में कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें शामिल हैं (i) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) जिनमें 20 राज्यों में फैले 190 शहरों की 39 नदियों का प्रदूषण उपशमन शामिल है, (ii) गंगा नदी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) और (iii) प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.)। इसके अतिरिक्त, सी.पी.सी.बी. ने पूरे देश में जलाशयों के बारे में मॉनीटरिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया है। मौजूदा नेटवर्क में 27 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 2000 स्टेशन शामिल हैं।

विवरण

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एन.ए.ए.क्यू.एस.)

क्र.सं.	प्रदूषणकारी	समय आधारित औसत	परिवेशी वायु में सघनता		मापन की विधियां
			औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण और अन्य क्षेत्र	पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित)	
1	2	3	4	5	6
1.	सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ$_2$), µg/एम^3	वार्षिक* 24 घंटे**	50 80	20 80	1. संशोधित वेस्ट और गीक 2. पराबैंगनी फ्लूरोसेंस

1	2	3	4	5	6
2.	नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ$_2$), μg/एम^3	वार्षिक* 24 घंटे**	40 80	30 80	1. मोडिफाइड जैकब और होछिसर (एन.ए.-आर्सीनाइट) 2. चेमिलुमिनेसेंस
3.	पार्टिकुलेट मैटर (आकार< 10 μm) या पीएम$_{10}$ μg/एम^3	वार्षिक* 24 घंटे**	60 100	60 100	1. ग्रेवीमेट्रिक 2. टी.ओ.ई.एम. 3. बीटा अटेनुएशन
4.	पार्टिकुलेट मैटर (आकार< 2.5 μm) या पीएम$_{2.5}$ μg/एम^3	वार्षिक* 24 घंटे**	40 60	40 60	1. ग्रेवीमेट्रिक 2. टी.ओ.ई.एम. 3. बीटा अटेनुएशन
5.	ओजोन (ओ$_3$), μg/एम^3	8 घंटे** 1 घंटा**	100 180	100 180	1. यू.वी. फोटोमैट्रिक 2. चेमिलुमिनेसेंस 3. रासायनिक विधि
6.	लेड (पीबी), μg/एम^3	वार्षिक* 24 घंटे**	0.50 1.0	0.50 1.0	1. ई.पी.एम. 2000 या समान फिल्टर पेपर का उपयोग करते हुए सेम्पलिंग के पश्चात ए.ए.एस./आई.सी.पी. विधि 2. टेफ्लोन फिल्टर का उपयोग करते हुए ई.डी-एक्स.आर.एफ.
7.	कार्बन मोनोऑक्साइड (सी.ओ.), एम.जी./एम^3	8 घंटे** 1 घंटा**	02 04	02 04	नॉन डिसपर्सिव इनफ्रा रेड (एन.डी. आई.आर.) स्पेक्ट्रोस्कोर्प
8.	अमोनिया (एन.एच$_3$), μg/एम^3	वार्षिक* 24 घंटे**	100 400	100 400	1. चेमिलुमिनेसेंस 2. इनडोफरनॉल ब्लू विधि
9.	बेजीन (सी$_5$एच$_6$), μg/एम^3	वार्षिक*	05	05	1. गैस क्रोमेटोग्राफी आधारित निरंतर विश्लेषक 2. जी.सी. विश्लेषण के पश्चात् अडसॉरप्शन और डीअडसॉरप्शन
10.	बेंजो (क) पाइरीन (बी.ए.पी.)-केवल पार्टिकुलेट फेज, एन.जी./एम^3	वार्षिक*	01	01	एच.पी.एल.सी./जी.सी. विश्लेषण पश्चात सॉल्वेंट पृथ्ककरण
11.	आर्सेनिक (ए.एस.), एन.जी./एम^3	वार्षिक*	06	06	ई.पी.एम. 2000 या समान फिल्टर पेपर का उपयोग करते हुए सेम्पलिंग के पश्चात ए.ए.एस./आई.सी.पी. विधि

1	2	3	4	5	6
12.	निकल (एन.आई.), एन.जी./ एम^3	वार्षिक*	20	20	ई.पी.एम. 2000 या समान फिल्टर पेपर का उपयोग करते हुए सेम्पलिंग के पश्चात ए.ए.एस./आई.सी.पी. विधि

*वर्ष में एक बार एक विशेष स्थान पर 24 घंटे समान अंतराल पर सलाह में दो बार लिए गए न्यूनतम 104 मापनों का वार्षिक योगात्मक माध्य।

**24 घंटा 08 या 01 घंटा मॉनीटर किया मान, जैसा भी लागू हो, एक वर्ष के 98% समय में संकलित किया जाएगा। वे 2% समय सीमा बढ़ा सकते हैं परंतु मॉनीटरिंग के दो लगातार दिनों में नहीं।

टिप्पणी: जब कभी और जहां कहीं संबंधित श्रेणी के लिए दो लगातार दिनों का मॉनीटरिंग परिणाम विनिर्दिष्ट मॉनीटरिंग सीमाओं से अधिक हो तो इसे नियमित या निरंतर मॉनीटरिंग शुरू करने और आगे की जांच पड़ताल के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा।

अभिनिर्धारित सर्वोत्तम उपयोग वर्गीकरण

अभिनिर्धारित सर्वोत्तम उपयोग	पानी की श्रेणी	मानदंड
1	2	3
परंपरागत उपचार के बिना परंतु विसंक्रमण के पश्चात पेयजल स्रोत	क	कुल कॉलीफोर्म आर्गेनिज्म 50 एम.पी.एन./100 एम.एल. अथवा उससे कम होगा पी.एच. 6.5 और 8.5 के बीच घुलित ऑक्सीजन 6 एम.जी./एल. या उससे अधिक जैवरसायन ऑक्सीजन मांग 5 दिन 20°सी 2एम.जी./ एल या कम
आउटडोर स्नान (सुव्यवस्थित)	ख	कुल कॉलीफोर्म आर्गेनिज्म 500 एम.पी.एन./100 एम.एल. अथवा उससे कम होगा पी.एच. 6.5 और 8.5 के बीच घुलित ऑक्सीजन 5 एम.जी./एल. या उससे अधिक जैवरसायन ऑक्सीजन मांग 5 दिन 20°सी 2एम.जी./ एल या कम
परंपरागत उपचार और विसंक्रमण के पश्चात् पेयजल स्रोत	ग	कुल कॉलीफोर्म आर्गेनिज्म 5000 एम.पी.एन./100 एम.एल. अथवा उससे कम होगा पी.एच. 6 और 9 के बीच घुलित ऑक्सीजन 4 एम.जी./एल. या उससे अधिक जैवरसायन ऑक्सीजन मांग 5 दिन 20°सी 2एम.जी./ एल या कम

1	2	3
वन्यजीव और फिशरीज का प्रजनन	घ	पी.एच. 6.5 और 8.5 के बीच घुलित ऑक्सीजन 4एम.जी./एल. या उससे अधिक मुक्त अमोनिया (एन.के अनुरार) 1.2 एम.जी./एल या कम
सिंचाई, औद्योगिक प्रशीतन, नियंत्रित अपशिष्ट निपटान	ङ	पी.एच. 6.0 और 8.5 के बीच 25°सी माइक्रो एम.एच.ओ.एस./सी.एम. अधिकतम 2250 पर विद्युत संवाहकता सोडियम अवशोषण दर अधिकतम 26 बोरान अधिकतम 2 एम.जी./एल.
	ई-से कम	ए, बी, सी, डी और ई मानदंड को पूरा नहीं करते।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण

773. **श्री विश्व मोहन कुमारः** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर होने वाले कुल निवेश/व्यय का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आधुनिकीकरण प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् निवल उत्पादन में संयंत्र-वार कुल कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) सेल और पोस्को द्वारा लगाए जा रहे संयुक्त उद्यम का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) सेल ने वर्तमान चरण में अपनी अपरिष्कृत इस्पात की उत्पादन क्षमता को 12.8 एम.टी.पी.ए. से 21.4 एम.टी.पी.ए. तक बढ़ाने के लिए भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर स्थित अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम स्थित एक विशेष संयंत्र पर आधुनिकीकरण एवं विस्तार प्रारंभ किया है।

सेल के संबंध में सांकेतिक निवेश/व्यय जो आधुनिकीकरण एवं विस्तार के वर्तमान चरण के दौरान होना है, लगभग 61870 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, रावघाट खान में रॉ मेटेरियल डिवीजन (आर.एम.डी.) एंड डेवलपमेंट के तहत वर्तमान खानों में निवेश के लिए 10264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आर.आई.एन.एल. (विशाखापट्टनम स्टील प्लांट) के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के संबंध में सांकेतिक निवेश/व्यय लगभग 12000 करोड़ रुपये होना है।

(ग) और (घ) वर्तमान उत्पादन क्षमता और चालू आधुनिकीकरण एवं विस्तार के परिणामस्वरूप संभावित वृद्धि तथा संभावित निवेश/व्यय का संयंत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

संयंत्र		उत्पाद	वर्तमान क्षमता (एम.टी.पी.ए.)	विस्तार के बाद क्षमता (एम.टी.पी.ए.)	सांकेतिक **निवेश** (करोड़ रुपये)
सेल	भिलाई इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	3.93	7.0	17,266
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	1.80	2.2	2,875
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	1.90	4.2	11,812
	बोकारो इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	4.36	4.61	6,325
	इस्को इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	0.50	2.50	16,408
	सेलम इस्पात संयंत्र	क्रूड स्टील	0.0	0.18	1,902
आर.आई.एन.एल.	विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र	लिक्विड स्टील	2.9	6.3	12,000 (लगभग)

(ङ) वर्तमान में ओडिशा में सेल और पोस्को के बीच किसी भी संयुक्त उद्यम की परिकल्पना नहीं है।

[अनुवाद]

बाल श्रम का उन्मूलन

774. **श्री एन.एस.पी. चिंतन:**

श्री रुद्र माधव राय:

श्री पी. कुमार:

श्री रेवती रमण सिंह:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई/प्रस्तावित नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाल श्रम पर निर्भर हस्तशिल्प, बुनकर, कालीन और ऐसे अन्य उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और इन उद्योगों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार करने की योजना है;

(घ) क्या सभी कननूनों में एकरूपता लाने के लिए बाल श्रम की परिभाषा में संशोधन करने और 18 वर्ष तक के सभी कार्य करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में चिन्हित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी प्रकार के बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने सहित कतिपय संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

(ग) कालीन बुनने, हथकरघा, जरी आदि कार्य पहले से ही उन 18 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं में शामिल है जिनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है।

(घ) जी, नहीं। वर्तमान में बाल श्रम की मौजूदा परिभाषा में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विचाराधीन रहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीमावर्ती सड़कों की स्थिति

775. **शेख सैदुल हक:**
श्री पी. करुणाकरन:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामरिक सीमावर्ती सड़कों सहित सीमा सड़क संगठन की सड़क परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब से चल रही सड़क परियेाजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को अविलंब पूरा कराने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। सीमा सड़क संगठन को भिन्न-भिन्न सीमा अवधियों सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 499 सड़कों के निर्माण/सुधार का जिम्मा सौंपा गया है; दीर्घ अवधि वाली संदर्शी योजना-II को 2022 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। संसाधनों को जुटाने हेतु हेलिकॉप्टर द्वारा हवाई प्रयासों में कमी, वन/वन्य जीवन की तरफ से स्वीकृति में विलंब, सीमित कार्य अवधि तथा खराब जमीनी परिस्थितियां कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास प्रभावित हुआ है।

(ग) कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

- वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने वाले मामलों की नियमित मानीटरी, जिला, राज्य एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्तर पर एक ही जगह से स्वीकृति प्रदान करने की प्रणाली की स्थापना, वन और वन्य जीवन दोनों से स्वीकृति के लिए एक फार्म के प्रयोग हेतु सरल फार्क बनाना जिसके परिणामस्वरूप इन सड़कों की वन संबंधी स्वीकृति शीघ्रता से प्राप्त हुई है।
- भारतीय वायुसेना के साथ निकट समन्वय बनाने के माध्यम से हवाई प्रयासों की उपलब्धता को बढ़ाया गया है।
- नई मशीनों/उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदन दे दिया गया है। आवंटन बढ़ाया गया है और कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए अलग से एक उपकरण बैंक की भी स्थापना की गई है।
- चार नई परियोजनाओं को शामिल किया गया है।
- सीमा सड़क संगठन की क्षमता को बढ़ाने हेतु आउटसोर्सिंग की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

खतरनाक पदार्थों का आयात

776. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेलामाइन सहित नकली उत्पादों और अन्य विषैले पदार्थों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आयातकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के एक्जिम कोड 2933 61 00 के अंतर्गत मेलामाइन का आयात मुक्त है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मेलामाइन के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ में)
2008-09	11869390	77.49
2009-10	17241550	100.01
2010-11	27471690	184.66

भारत में सभी आयातित वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानदण्डों के अध्यधीन हैं। ये विनियम निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरणों में अधिसूचित किए जाते हैं। किसी स्रोत से आयातित वस्तुओं से इन विनियमों का उल्लंघन होने और मानव, पशु या पौध जीवन अथवा स्वास्थ्य को खतरा होने के मामले में सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है। उन विशिष्ट मामलों में जहां सीमा शुल्क विभाग को नकली/जहरीली वस्तुओं के आयात की जानकारी मिलती है, ऐसी वस्तुएं जब्त करके सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है।

चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मेलामाइन संदूषण के संबंध में चिंता के कारण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की सिफारिश पर सरकार ने चीन से चॉकलेट एवं चॉकलेट उत्पादों तथा कैण्डीज/मिष्ठान/दूध या दूग्ध ठोस का घटक के रूप में प्रयोग करने वाली खाद्य विनिर्मितियों सहित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का आयात निषिद्ध कर दिया है। इसके अतिरिक्त खिलौनों के आयात को विशिष्ट तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों की पूर्ति के अध्यधीन लाया गया है।

[अनुवाद]

श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल

777. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी:**

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

श्री प्रहलाद जोशी:

श्री डी.बी. चन्द्रे गोडा:

श्री हंसराज गं. अहीर:

कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी बड़े श्रमिक संघ हाल ही में एक दिन की हड़ताल पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन श्रमिकों संघों के व्यापारियों के साथ कोई परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) श्रमिक संघों की मांगों के मद्देनजर सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय करने शुरू किए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों यथा-इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर तथा उनके संबद्ध यूनियनों ने 28 फरवरी, 2012 को देशव्यापी सामान्य हड़ताल की।

(ख) हड़ताल का आह्वान निम्नलिखित 10 बिन्दुओं की मांग पर जोर देने के उद्देश्य से किया गया था:

(1) मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपाय,

(2) रोजगार संरक्षण के लिए उद्यमियों को रियायत/ प्रोत्साहन पैकेज से जोड़ने के ठोस उपाय,

(3) सभी मूल कानूनों का बिना किसी अपवाद अथवा छूट के कड़ाई से प्रवर्तन एवं श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए कठोर सजा के प्रावधान,

(4) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवर,

(5) केन्द्र तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को रोकना,

(6) स्थायी/सतत प्रकृति के कार्य के लिए ठेकाकरण का विरोध,

(7) अनुसूचियों के बावजूद तथा 10,000/- रुपये से अन्यून सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण द्वारा सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में सेशोधन करना,

(8) बोनस का भुगतान एवं उसकी पात्रता, भविष्य निधि, उपदान की मात्रा में वृत्रि की सभी उच्चतम सीमाओं को हटाना,

(9) सभी के लिए सुनिश्चित पेंशन,

(10) 45 दिनों की अवधि के भीतर सभी ट्रेड यूनियनों का अनिवार्य पंजीकरण और आई.एल.ओ. अभिसमय संख्या 87 और 98 का तत्काल अनुमोदन,

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित हड़ताल की नोटिस प्राप्त होने पर सभी उप-मुख्य श्रमायुक्त (के.) तथा क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) ने मामले में हस्तक्षेप किया।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए/शुरू किए गए कुछ उपाय निम्नवत है:

(i) सरकार ने मूल्यवृद्धि को रोकने के विभिन्न राजकोषीय उपाय के साथ-साथ प्रशासनिक उपाय किए हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि कम हुई है;

(ii) जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन का प्रश्न है एक सुपरिभाषित प्रभावी तंत्र श्रम प्रवर्तन अधिकारियों (के.) सहायक श्रमायुक्तों (के.), क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (के.) तथा उप-मुख्य श्रमायुक्तों (के.) के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य संगठन का भी अपना स्वयं का प्रवर्तन तंत्र मौजूद है। राज्य क्षेत्र में श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था राज्यों में भी उपलब्ध है;

(iii) असंगठित क्षेत्र के उपक्रमों तथा संसदीय स्थायी समिति के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की कायिक निधि वाली राट्रीय समाजिक सुरक्षा निधि भी स्थापित की है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि भी स्थापित की है। राट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में परामर्श देता है।

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत सार्वभौमिक रोजगार कवरेज सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पहले ही रखा गया है। 10,000/- रुपये से अन्यून सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के संबंध में मामले पर 14-15 फरवरी, 2012 को आयोजित 44वें भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था परन्तु इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी।

(v) जहां तक भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी की उच्चतम सीमा को हटाने का प्रश्न है, इस मामले पर 14-15 फरवरी, 2012 को आयोजित 44वें भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और एक व्यापक सहमति बनी कि मजदूरी की उच्चतम सीमा को वर्तमान स्तर 6500/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रुपये अथवा 15,000/- रुपये किया जाए।

विद्युत करघा बुनकर

778. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:

श्री ए. गणेशमूर्ति:

श्री अर्जुन राय:

श्री जयवंत गंगाराम आवले:

श्री एल. राजगोपाल:

डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

श्री अशोक तंवर:

श्री एस. सेम्मलई:

श्री देवजी एम. पटल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत करघा बुनकरों और उद्यमियों की स्थिति बदतर होती जा रही है और क्या समुचित निर्यात नीति के अभाव/असंतुलित बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी के कारण देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और असम में ये बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में लगाए गए/बंद हुए विद्युत करघों और रोजगार खोने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार विद्युत करघा क्षेत्र के विकास और पुनरुद्धार हेतु समूह बीमा योजना सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं और आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों/विद्युत करघा और मिल क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे विद्युत करघा बुनकरों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में वस्त्र क्षेत्र के कुल उत्पादन में हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों के योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों के पुनर्गठन/उनके निष्पादन की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है/क्या अध्ययन किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) देश में 22.92 लाख विद्युतकरघें हैं। देश में विद्युतकरघों के बंद होने तथा अपना रोजगार खोने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) पिछले 2 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में वस्त्र उत्पादों के कुल उत्पादन में विद्युतकरघा क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष –	सभी क्षेत्रों में कुल कपड़ा उत्पादन (मि. वर्ग मी.)	विद्युतकरघा कपड़ा उत्पादन (मि. वर्ग मी.)	कुल कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में विद्युतकरघा कपड़ा उत्पादन	हथकरघा कपड़ा उत्पादन (मि. वर्ग मी.)	कुल कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में हथकरघा कपड़ा उत्पादन का %
2009-10	60333	36997	61.32%	6806	11.28%
2010-11	62559	38015	60.77%	6907	11.04%
2011-12 (अप्रैल-जन.)	50492	31402	62.19%	5775	11.43%

(च) सिंथेटिक एवं आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई द्वारा वर्ष 2010 में किए गए अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए कार्यस्थल योजना में सामूहिक कार्यस्थल के लिए 120/- प्रति वर्ग फीट की निर्माण लागत सब्सिडी को बढ़ाकर 160/- रु. प्रति वर्ग फीट करने सहित, अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। चालू योजनाओं की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा हथकरघा क्षेत्र के संबंध में गठित किए गए कार्यक्रल में अपनी रिपोर्ट/सुझाव योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिए हैं।

विवरण-I

विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास, पुनरुद्धार और कल्याण के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

(1) एस.एस.आई. विद्युतकरघा इकाइयों के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर टी.यू.एफ.एस. के तहत 5% ब्याज प्रतिपूर्ति, 15% मार्जिन मनी सब्सिडी के स्थान पर 20% मार्जिन मनी सब्सिडी (एम.-एम.एस.)।

(2) सामूहिक कार्यस्थल योजना

(3) एकीकृत विद्युतकरघा समूह विकास योजना

(4) विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

समूह बीमा येाजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्रीमियम

भारत सरकार द्वारा	एल.आई.सी. द्वारा	विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा	कुल
150/- रु.	100/- रु.	80/- रु.	330/- रु.

लाभ:

प्राकृतिक मूल्य	दुर्घटना मूल्य	कुल स्थायी विकलांगता	आंशिक स्थाई विकलांगता
60,000/- रु.	1,50,000/- रु.	1,50,000/- रु.	75,000/- रु.

उपर्युक्त के अलावा, जे.वी.आई., के अधीन शिक्षा सहयोग योजना (एस.एस.वाई.) के तहत कामगार अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा मे पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए 600/- रु. प्रति बच्चा/अर्द्धवार्षिक के शैक्षणिक अनुदान के लिए भी पात्र होगा।

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधि (राज्यवार नहीं रखा गया) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	समूह बीमा योजना	समूह कार्यस्थल योजना	एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना	20% मार्जिन मनी सब्सिडी *
2009-10	2.60	2.764	8.28	30.57
2010-11	2.40	4.50	11.10	17.72
2011-12	2.40	4.50	11.10	13.04 (फरवरी, 2012 तक)

विवरण-II

सरकार को विद्युतकरघा बुनकरों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार क्षमता निर्माण, अवसंरचना सहायता, डिजाइन एवं गुणवत्ता उन्नयन, विपणन एवं कच्चा माल सहायता, स्वास्थ्य देखरेख आदि पर विशेष का बल देते हुए 11वीं योजना में निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(ii) विपण एवं निर्यात संवर्द्धन योजना

(iii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(iv) मिल गेट मूल्य योजना

(v) विविधिकृत हथकरघा विकास योजना

इसके अलावा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से मुकाबला करने के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता तथा सस्ते हैंक यार्न की उपलब्धता के मुद्दे पर समाधान करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई है:

(i) सरकार ने 3834 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से बुनकर सहकारी समितियां और व्यक्तिगतों के लिए ऋण माफी हेतु 31-3-2010 को वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है। इससे बुनकर सहकारी समितियों और व्यक्तिगत बुनकरों का अवरुद्ध ऋण माध्यम प्रशस्त होगा।

(ii) इसके अलावा, वित्तीय पैकेज में कवर नहीं होने वाले हथकरघा बुनकरों को ऋण की आसान उपलब्धता के लिए सरकार 4200/- रु. प्रति बुनकर की दर से मार्जिन मनी सहायता, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.-एम.एस.ई.) के द्वारा प्रथम संवितरण की तारीख से 3 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता/और ऋण गारंटी, जिसके लिए सरकार आवश्यक गारंटी फीस और वार्षिक सेवा फीस अदा करेगी।

(iii) सस्ते हैंक यार्न की उपलब्धता के लिए, हथकरघा क्षेत्र को सब्सिडाइज्ड यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा रेशम और कॉटन हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

(iv) ईंधन लागत में वृद्धि को दूर करने की दृष्टि से सरकार ने हथकरघा क्षेत्र द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के यार्न की ढुलाई के लिए भाड़ा प्रतिपूर्ति में बढ़ोत्तरी अनुमोदित की है।

(v) वस्त्र मंत्रालय की पहल पर वित्त मंत्रालय ने घरेलू एवं आयातित कच्ची रेशम के अत्यधिक मूल्यों के कारण रेशम बुनकरों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से कच्ची रेशम पर मौजूदा बेसिक सीमा शुल्क को 30% से घटाकर 5% कर दिया है जिससे रेशम यार्न के मूल्यों में कमी हुई है।

निवेश हेतु पेंशन निधि

779. **श्रीमती मीना सिंह:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन निधि का उपयोग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सहमति ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे पेंशनभोगियों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने निवेश में हानि होने की स्थिति में कर्मचारियों की निधियों या पेंशनभोगियों की सुरक्षा के लिए किसी विनियामक निकाय की स्थापना की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निधियां श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09-07-2003 की सां.आ. 2126 द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाती हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उक्त निवेश स्वरूप के दायरे से बाहर है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.-ए.आई.) के बांड्स में निवेश अधिसूचित निवेश स्वरूप के अंतर्गत शामिल है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आदिनांक एन.एच.ए.आई. के बांड्स में कोई निवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निधियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश स्वरूप के अनुसार निवेश की जाती हैं। यह पद्धति जोखिम कम से कम करने के लिए प्रतिभूतियों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में निवेश की अनुमति देती है।

कर्मचारी भविष्य निधि के निवेशों की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की वित्त एवं निवेश समिति द्वारा भी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

कौशल विकास मिशन

780. **श्री पी. करुणाकरन:**

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

श्री रामसिंह राठवा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान आरंभ किए गए कौशल विकास मिशन का ब्यौरा और उसकी क्या स्थिति है तथा इस मिशन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भारत के युवाओं और श्रमिकों में कौशल का विकास करने के लिए केन्द्रीय रणनीति बनाने के लिए किसी राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो परिषद का ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के संबंध में परिषद की भिन्न-भिन्न रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे कार्यक्रम में राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है; और

(ङ) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता और उपलब्धता की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित तीन स्तरीय ढांचे के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया:

I. देश में नीति निर्देशन और कौशल विकास प्रयासों की समीक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद्।

II. प्रधानमंत्री परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एन.एस.डी.सी.बी.)।

III. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी कंपनी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.)। निगम का वित्तपोषण "राष्ट्रीय कौशल विकास निधि" न्यास द्वारा किया जा रहा है जिसमें सरकार ने 1495.10 करोड़ रु. की धनराशि का अंशदान किया है।

अब तक मिशन के तहत कौशल विकास प्रयासों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री परिषद् की चार बैठकें आयोजित की गई हैं।

एन.एस.डी.सी.बी. की सात बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं पर योजना आयोग द्वारा स्थापित निम्नलिखित 5 कार्यकारी समूहों की रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया गया है तथा विभिन्न अन्य निर्णय लिए गए:

- भारत की शिक्षुता योजना का पुनर्गठन,
- व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु संकल्पना,
- प्रत्यायन तथा प्रमाणीकरण प्रणालियों में सुधार,
- सतत आधार पर पाठ्यचर्या का पुनर्भिमुखीकरण, तथा
- वास्तविक समय आधार पर कौशल सामग्री तथा कौशल मैप की सूचना तक पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।

29 फरवरी, 2012 तक एन.एस.डी.सी. ने लगभग 1214 करोड़ की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता से संबंधित 52 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इसमें से, 179.36 करोड़ रु. का वितरण कर दिया गया है। अब तक वास्तव में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 104712 है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है तथा इसके कार्य निम्नानुसार हैं:

i. कौशल विकास के संवर्द्धन हेतु समग्र व्यापक नीति उद्देश्यों, कार्यनीतियों, वित्तपोषण एवं शासी प्रतिमानों को निर्धारित करना।

ii. आवधिक रूप से कौशल विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यान्वयनाधीन चालू योजनाओं के हिस्से अथवा संपूर्ण योजना में परिवर्तनों सहित पाठ्यक्रम के बीच में संशोधन प्रदान करना।

iii. सहयोगात्मक कार्रवाई के ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र प्रयासों को समन्वित करना।

भारत के युवाओं में कौशलों के विकास तथा देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों हेतु परिषद् द्वारा निम्न प्रमुख निर्णय लिये गये हैं

(i) वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल व्यक्तियों को तैयार करने के लिए कार्रवाई को दिशा देने हेतु संकल्पना, कार्यनीति एवं मूलभूत प्रचालन सिद्धांतों को तैयार करना।

(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का अनुमोदन जो देश में कौशल विकास के प्रयासों के लिए रोड मैप प्रदान करती है।

(घ) कौशल विकास की समस्त प्रमुख योजनाएं राज्य सरकारों के संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। सरकारी विभागों/मंत्रालयों के कौशल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.एस.) को भी शामिल किया जा रहा है।

(ङ) प्रमुख क्षेत्रों में कौशल आवश्यकता तथा उपलब्धता की राज्य-वार स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति ने 2015 तक 81-83 मिलियन कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को इन क्षेत्रों में इंगित किया है यथा, ऑटो, निर्माण, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, सृजनात्मक उद्योग तथा लॉजिस्टिक्स। नीति ने 2022 तक 300 मिलियन वर्तमान मानव संसाधन आवश्यकता को भी इन क्षेत्रों में इंगित किया है यथा, खान एवं खनिज, निर्माण, इंजीनियरी, बैंकिंग एवं वित्त, दवा एवं फार्मा, बायोटेक, स्वास्थ्य देखभाल, वस्त्र, आई.टी. एवं आई.टीज, पर्यटन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कागज एवं रसायन तथा उर्वरक।

विवरण

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् की संरचना निम्नानुसार है-

1.	प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	मानव संसाधन विकास मंत्री	सदस्य
3.	वित्त मंत्री	सदस्य
4.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री	सदस्य
5.	ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
6.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री	सदस्य
7.	श्रम एवं रोजगार मंत्री	सदस्य
8.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री	सदस्य
9.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री	सदस्य
10.	युवा कार्य एवं खेल मंत्री	सदस्य
11.	महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	सदस्य
12.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य

13.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद्	सदस्य
14.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष	सदस्य
15.	श्री एस. रामादोराई, टी.सी.एस. के उपाध्यक्ष	सदस्य
16.	श्री नन्दन निलेकानी, यूनीक आईडेंटीफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष	सदस्य
17.	श्री मनीष सब्बरवाल, सी.ई.ओ., टीम लीज़	सदस्य
18.	श्रीमती लैला तैयबजी, दस्तकार की अध्यक्ष	सदस्य
19.	श्रीमती रेनाना झबवाला, राष्ट्रीय समन्वयक, एस.ई.डब्ल्यू.ए.	सदस्य
20.	श्री राजेन्द्र पवार, एन.आई.आई.टी. समूह के अध्यक्ष एवं सह संस्थापक	सदस्य
21.	प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव	सदस्य सचिव

एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

781. **श्री प्रदीप माझी:**

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने देश में एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस वर्ष के दौरान प्रत्याशित और वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्वाह का ब्यौरा क्या है तथा भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने छोटी कंपनियों/खुदरा विक्रेताओं से सोर्सिंग आवश्यकताओं का कोई कोटा निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने देश में छोटे खुदरा विक्रेताओं/किसानों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 10-01-2012 को जारी किए गए 2012 के प्रेस नोट संख्या 1 के द्वारा, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति सरकारी अनुमोदन मार्ग के जरिए दी गई है:

(i) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'सिंगल ब्रांड' के होने चाहिए।

(ii) उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए अर्थात् भारत के अलावा एक अथवा अधिक देशों में उत्पाद को एक ही ब्रांड के अन्तर्गत बेचा जाना चाहिए।

(iii) 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद खुदरा व्यापार में केवल वे ही उत्पाद शामिल होंगे जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्रांडिड किया जाएगा।

(iv) विदेशी निवेशक ब्रांड का स्वामी होना चाहिए।

(v) 51 प्रतिशत से अधिक एफ.डी.आई वाले प्रस्तावों के संबंध में, बेचे गए उत्पादों के मूल्य की न्यूनतम 30 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से भारतीय लघु उद्योगों/ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों

और दस्तकारों से करनी होगी। 'लघु उद्योगों' की परिभाषा होगी कि ऐसे उद्योग जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है। इस मूल्यांकन का तात्पर्य अवमूल्यन के संबंध में प्रावधान के बिना स्थापना के समय के मूल्य से है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय, यह मूल्यांकन बढ़ता है तो उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में पात्र नहीं होगा। इस शर्त का अनुपालन कम्पनी द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा, जिन्हें बाद में विधिवत प्रमाणित लेखाओं, जिनका रख-रखाव कंपनी द्वारा किया जाना अपेक्षित है, से वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचा जाएगा।

उपयुक्त विधान की अधिसूचना के बाद, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रत्याशित एफ.डी.आई. अंतर्वाहों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। उपर्युक्त प्रेस नोट के जारी होने के बाद से एफ.आई.पी.बी. ने अभी तक सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

(ग) और (घ) 51 प्रतिशत से अधिक एफ.डी.आई. वाले प्रस्तावों के संबंध, में बेचे जाने वाले उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 30 प्रतिशत की खरीद भारतीय 'लघु उद्योगों/ ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों और दस्तकारों से करनी होगी।

अमरीका के साथ व्यापार को दुगुना करने की रणनीति

782. **श्रीमती अन्नू टन्डन:**

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री जी.वी. हर्ष कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के दौरान निर्यात को दोगुना करने के लिए कोई नई रणनीति अपनानी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान मद-वार और देश-वार क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वाणिज्य विभाग ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि में, भारत के पण्य वस्तु निर्यातों को, जो वर्ष 2010-11 में 246 बिलियन अम.डा. के हुए थे, से 2013-14 में दो गुना तक बढ़ाकर 500 बिलियन अम.डा. करने हेतु एक कार्यनीति पत्र तैयार किया है। यह दस्तावेज विभाग की वेबसाइट (www.comerce.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) उच्च मूल्य मदों, जिनका एक मजबूत विनिर्माण आधार है, के लिए एक आक्रामक उत्पाद संवर्धन रणनीति समग्र विकास रणनीति का मुख्य भाग है। बाजार रणनीति का मुख्य ध्यान परंपरागत बाजारों में उपस्थिति तथा बाजार हिस्सा बनाए रखना, विकसित देशों की बाजारों में निर्यात उत्पाद प्रदान कर मूल्य श्रृंखला का संवर्धन करना तथा इन नए बाजारों में बाजार एवं नए उत्पाद दोनों के रूप में नए परिदृश्य खोलना। प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आर. एवं डी. के क्षेत्र में फोकस के मुख्य क्षेत्र हैं, औषधियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर आधारित समार्ट अभियांत्रिकी, पर्यावरण संबंधी उत्पाद आदि। वाणिज्य विभाग रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संगत पणधारियों के साथ कार्य कर रहा है।

वाणिज्य विभाग ने विदेश व्यापार नीति पर अपने वार्षिक परिशिष्ट में दिनांक 13-10-2011 को स्पेशल बोनस लाभ स्कीम, स्पेशल फोकस बाजार स्कीम, फोकस उत्पाद स्कीम और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम जैसी स्कीमों के अंतर्गत कुछ क्षेत्र विशिष्ट तथा देश विशिष्ट उपायों की घोषणा की है। निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मॉनीटरिंग के लिए 'निर्यात बंधु' स्कीम का भी सूत्रपात किया गया। इसके अतिरिक्त, वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए यू.एस.ए. तथा ई.यू. बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम बढ़ाने का निश्चय लिया गया है। फिरोजाबाद, भुवनेश्वर तथा अगरतला को निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में अधिसूचित किया गया है।

पारस्परिक हित के लिए अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार बढ़ाना सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। इस संदर्भ में भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सी.ई.सी.ए.), मुक्त व्यापार समझौते (एफ.टी.ए.), अधिमानी व्यापार समझौते (पी.टी.ए.) आदि जैसे विभिन्न पहलें कर रहा है।

ईरान को निर्यात

783. **श्री दुष्यंत सिंह:**

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों द्वारा ईरान पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कोई व्यापक रणनीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो निर्यातकों को ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार में प्रतिभागिता के लिए दिए गए प्रोत्साहन/सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में ईरान के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत ने हाल ही में 2014 तक निर्यातों को दुगुना करने हेतु अपनी कार्यनीति की घोषणा की है। इस कारण व्यापारिक भागीदारों को बढ़ाने तथा दुनियाभर में निर्यातों का संवर्धन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में है। वर्तमान में, ईरान के साथ भुगतान संतुलन में अत्यधिक व्यापार घाटा है, अत: ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है तथा खाद्य वस्तुओं, औषधियों, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अच्छे अवसर हैं। भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ (फिओ) ने ईरान को भारतीय निर्यात (अस्वीकृत वस्तुएं) बढ़ाने के संबंध में व्यापारिक सहयोग का पता लगाने हेतु 10-15 मार्च, 2012 के मध्य एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का आयोजन किया है जिससे कि द्विपक्षीय व्यापारिक घाटे को कम किया जा सके।

(ङ) उपर्युक्त पैरा (ग) एवं (घ) के संदर्भ में अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

समान न्यूनतम मजदूरी

784. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

श्री गुरुदास दास गुप्ता:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

श्री गजानन ध. बावर:

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री आनन्दराव अडसुल:

श्रीमती जे. शांता:

श्री हमदुल्लाह सईद:

श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अकुशल श्रमिकों और कृषि मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी उद्यम में लगे हुए श्रमिकों की संख्या पर विचार किए बिना 'नेशनल फ्लोर

लेवल मिनिमम वेजेज' (एन.एफ.एल.एम.डब्ल्यू.) को सांविधक दर्जा प्रदान करने और उसे कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) देश में न्यूनतम मजदूरी की राज्यवार वर्तमान दर क्या है और इसका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र है;

(ङ) क्या सरकार को निजी संगठनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी दिशा-निर्देशों को स्वीकार न किए जाने के संबंध में श्रमिक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) नई दिल्ली में हाल ही में सम्पन्न श्रम सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और मजदूर संघों ने इस संबंध में क्या मांगें रखी थी; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करने हेतु वर्ष 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम कामगारों को विधि के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को बाध्य करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित क्षेत्राधिकरों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने, संशोधित करने तथा प्रवर्तित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही समुचित सरकार है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक बनाने का प्रस्ताव है। तथापि, इस स्तर पर इसके लिए कोई विशिष्ट समय सीमा दर्शाना संभव नहीं है।

(घ) से (छ) राज्यों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) के रूप में पदनामित मुख्य श्रमायुक्त (के.) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा उससे कम भुगतान करने के किसी मामले के पाये जाने पर ये अधिकारी नियोक्ताओं को शेष मजदूरी का भुगतान करने की सलाह देते हैं। इसका अनुपालन न करने के मामले में चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ शास्ति उपबंध लगाये जाते हैं। वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

सरकार को निजी संगठनों द्वारा न्यूनतम मजदूरी दिशा-निर्देशों का अनुमोदन न करने संबंधी श्रम संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी से संबंधित श्रम सम्मेलन में आयोजित विचार-विमर्श का सार संलग्न-III विवरण में दिया गया **है।**

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की रेंज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की रेंज (रुपये प्रतिदिन में)
1	2	3
	केन्द्रीय क्षेत्र*	**156.00-256.00**
	राज्य क्षेत्र	
1.	आन्ध्र प्रदेश*	68.96-231.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	134.62-153.85
3.	असम*	100.42
4.	बिहार*	138.00-144.00

1	2	3
5.	छत्तीसगढ़*	104.60-151.04
6.	गोवा	150.00-157.00
7.	गुजरात*	180.00
8.	हरियाणा*	173.19
9.	हिमाचल प्रदेश	110.00
10.	जम्मू और कश्मीर	110.00
11.	झारखण्ड*	127.00
12.	कर्नाटक*	111.92-167.00
13.	केरल*	85.20-353.00
14.	मध्य प्रदेश*	163.00-174.80
15.	महाराष्ट्र*	100.00-248.15
16.	मणिपुर	122.10
17.	मेघालय	100.00
18.	मिजोरम	132.00
19.	नागालैंड	80.00
20.	ओडिशा*	92.50
21.	पंजाब*	147.73
22.	राजस्थान*	135.00
23.	सिक्किम	100.00
24.	तमिलनाडु*	88.29-222.35
25.	त्रिपुरा	65.77-130.00
26.	उत्तर प्रदेश*	100.00-160.15
27.	उत्तराखंड*	98.67-200.77
28.	पश्चिम बंगाल*	112.50-169.30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	212.00-229.00
30.	चंडीगढ़*	219.23
31.	दादरा और नगर हवेली*	156.20
32.	दमन एवं दीव*	143.60
33.	दिल्ली*	247.00
34.	लक्षद्वीप*	200.00
35.	पुडुचेरी	100.00-205.00

*वी.डी.ए. पद्धति प्रचलन में है।

विवरण-II

वर्ष 2009-10 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले			दी गई प्रतिपूर्ति राशि (हजार रु. में)	जुर्माने की राशि (हजार रु. में)	
			पाई गईं	दूर की गईं	दायर किए गए	निपटाए गए	लंबित	दायर किए गए	निर्णीत		अधिरोपित	वसूले गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	केन्द्रीय क्षेत्र #	15951	161562	173225	2724	2046	51512	5599	3415	9801	2342	-
	राज्य क्षेत्र											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	65115	7368	4461	8504	7723	356	720	186	3571	67	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	8683	5589	3659	80	71	18	8	3	1018	शून्य	शून्य
4.	बिहार	241509	49925	48258	25596	14361	1296	275	4	10704	2218	-
5.	छत्तीसगढ़*	6522	1076	633	156	231	11721	1094	375	25	120	371
6.	दिल्ली	5522	5359	4365	263	132	उ.न.	876	87	7385	165	165
7.	गोवा*	971	7003	98	2	9	17	9	3	शून्य	12	-
8.	गुजरात	19462	81374	54209	0	0	46383	3514	4987	13566	5792	5792
9.	हरियाणा	1612	316	316	231	175	1126	217	214	6602	79	-
10.	हिमाचल प्रदेश	3043	3043	2947	11	10	9	6	131	168	86	-
11.	जम्मू और कश्मीर	1981	120	-	2	1	548	269	168	-	1	-
12.	झारखंड	39162	13206	4788	18252	728	669	26	1	2327	1	-
13.	कर्नाटक	21168	21168	2186	1480	1855	2028	1443	944	13994	1270	-
14.	केरल	32786	68861	24274	307	109	690	1567	1384	2412	1481	1481
15.	मध्य प्रदेश	6681	2307	2724	233	205	3218	1049	501	524	227	52
16.	महाराष्ट्र	50537	55774	41074	5	1	1808	230	172	8459	148	38
17.	मणिपुर	1284	8	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मेघालय	238	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	नागालैंड	30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	ओडिशा	20751	16786	9999	97	1	10700	681	7	शून्य	2	-
22.	पंजाब	14624	2818	2209	250	142	4996	335	211	130	143	-
23.	राजस्थान	8577	146	88	348	193	838	45	43	7339	23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	सिक्किम	8250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	152084	3597	2	950	737	2557	163	107	19518	92	42
26.	त्रिपुरा	19444	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	88	शून्य	शून्य	शून्य	230	शून्य
27.	उत्तराखंड	3398	1007	328	153	133	286	342	210	913	57	57
28.	उत्तर प्रदेश	38683	13247	1081	4573	5361	5377	1224	1300	1864000	304	-
29.	पश्चिम बंगाल	8695	2980	1896	-	-	1026	275	83	-	43	-
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	48	240	240	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	चंडीगढ़	375	77	56	26	21	-	21	27	29	11	-
32.	दादरा और नगर हवेली	21	4	4	1	1	2	1	-	9	-	-
33.	दमन और दीव*	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	पुडुचेरी	7010	185	185	शून्य	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	0.5	0.5

#अनंतिम

*कैलेंडर वर्ष अर्थात् 2009 से संबंधित

विवरण-III

न्यूनतम मजदूरी तथा संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वें सत्र में एक सम्मेलन समिति का गठन किया गया था। इन मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी की दरों, परिवर्ती महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.), राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की मजदूरी आदि का निर्धारण/संशोधन के लिए शर्तों का निर्धारण शामिल है। विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे सामने आए:

1. इस बात पर व्यापक सहमति थी कि सरकार 15वीं भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) द्वारा अनुशंसित शर्तें/मानदंड तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के (रेपटाकॉस एंड कंपनी बनाम कामगार संघ) के 1992 के मामले में दिए गए निर्देशो के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकती है। तदनुसार, सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है।

2. यह सुझाव दिया गया था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में सभी नियोजनों को शामिल किया जाना चाहिए और वर्तमान में इसकी अनुप्रयोज्यता को सिर्फ अनुसूचित नियोजनों तक सीमित करने को हटाया जाना चाहिए। इससे आई.एल.ओ. अभिसमय संख्या 131 के अनुसमर्थन में भी भारत को सहायता मिलेगी।

3. इस बात पर व्यापक सहमति थी कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देश भर के सभी नियोजनों पर लागू होनी चाहिए।

4. यह विषय उठाया गया था प्रशिक्षुओं को किया जाना वाला भुगतान अन्य श्रेणियों से अलग होना चाहिए।

5. समिति ने यह नोट किया कि वर्तमान में 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बी.डी.ए. को अंगीकार नहीं किया है। इस बात पर सहमति थी कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बी.डी.ए. को अंगीकार करना चाहिए।

6. यह सिफारिश भी की गई थी कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान बैंकों/डाकघरों आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए।

7. यह महसूस किया गया कि प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों को न्याय-निर्णयन का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इस प्रकार इस प्रस्ताव की पुन: समीक्षा की जानी चाहिए।

8. इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए दांडिक उपबंधों के संबंध में यह महसूस किया गया कि धारा 22 और 22क के अंतर्गत कैद के प्रावधान वाला खंड कठोर है और इसकी पुन: समीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह भी महसूस किया गया कि रजिस्टरों के अननुरक्षण के लिए कैद की सजा नहीं होनी चाहिए।

9. समान रोजगार के लिए केन्द्र तथा राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के अलग-अलग भुगतान के प्रस्ताव को हटाया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में डकैती

785. **श्री रुद्रमाधव राय:**

श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में डकैती पर रोकथाम लगाने के लिए किसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाने हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और समुद्री डकैती पर रोक लगाने के लिए अन्य पड़ोसी देशों के साथ ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) समुद्री डकैती से निपटने के लिए भारत और चीन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, भारत, चीन और जापान, अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक पोतों की रक्षा के लिए तैनात अपने नौसेना पोतों के बीच बेहतर समन्वय करने के लिए हाल ही में सहमत हो गए हैं।

(ग) से (ङ) ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, पिछले वर्षों में तटीय रक्षा के लिए सुरक्षा और निगरानी तंत्र में बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा, आवश्यकताओं और बदलते हुए सुरक्षा परिदृश्य और खतरे की अवधारणा को देखते हुए तटीय सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु निधियां

786. **श्री प्रेमचंद गुड्डू:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ने राजमार्गों के निर्माण और उनके मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को आबंटित धनरशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में निर्मित और मरम्मत की गई सड़कों और आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/सुधार के लिए मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 2374.36 करोड़ रु. की निधि आवंटित/संस्वीकृत की गई है और उक्त अवधि के दौरान लगभग 870 कि.मी. लंबाई पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा, लगभग 1235 कि.मी. लंबाई को शामिल करते हुए 9827.21 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर 9 कार्य भी निर्माण, प्रचालन और अंतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सौंपे गए हैं, इसमें से अभी तक लगभग 190 कि.मी. लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए 413.39 करोड़ रु. की निधि आवंटित/संस्वीकृत की गई है, इसमें से 341.44 करोड़ रु. उक्त अवधि के दौरान खर्च किए जा चुके हैं।

चमड़ा उद्योग

787. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) वैश्विक बाजार में भारतीय चमड़ा आधारित उद्योगों की हिस्सेदारी क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई/उपयोग की गई निधियों को राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) द्वारा देश में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराने, ढांचागत सुविधाओं तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करने एवं चमड़ा इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने के जरिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारतीय चमड़ा क्षेत्र को सरकार से सहायता 9वीं योजनावधि से सीमित तरीके से शुरू हुई, जब चर्मशोधनशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

10वीं योजनावधि (2002-07) के दौरान 400 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक योजना कार्यक्रम 'भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.)' आरंभ किया गया।

योजना आयोग ने भारतीय चमड़ा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 11वीं योजना के दौरान आई.एल.डी.पी. के कार्यान्वयन हेतु 1300 करोड़ रुपए आबंटित किए थे। कार्यान्वयन हेतु 1251.29 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 13 उप-स्कीमें अनुमोदित की गईं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	11वीं योजना के दौरान जारी उप-स्कीमें	11वीं योजना का परिव्यय
1	2	3
1.	एकीकृत चमड़ा विकास क्षेत्र (आई.डी.एल.एस.)	253.43
2.	मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)	60.00
3.	कारीगरों को सहायता	40.00
4.	जीनसाजी विकास	10.00
5.	चमड़ा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन	200.00
6.	लेदर पार्क/मेगालेदर क्लस्टर का विकास	300.00

1	2	3
7.	चमड़ा काम्पलेक्स, नेल्लोर	29.00
8.	फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान, फुरसतगंज	7.17
9.	फुटवेयर काम्पलेक्स, चेन्नई	3.00
10.	मिशन मोड	10.00
11.	संस्थागत सुविधाओं का उन्नयन तथा स्थापना	300.07
12.	मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	24.85
13.	एफ.डी.डी.आई. फुरसतगंज में अतिरिक्त बालिका छात्रावास	13.77
	योग	1251.29

कौशल विकास प्रशिक्षण नामत: एच.आर.डी. तथा शिल्पकार सहायता, ढांचागत सुविधा विकास स्कीमें नामत: आई.डी.एल.एस., मेगा लेदर क्लस्टर और पर्यावरण मुद्दों के लिए 12वीं योजना के दौरान परिव्यय बढ़ाए गए हैं। आर एंड डी कार्यक्रम का परिव्यय भी बढ़ाया गया है। इसके फलस्वरूप चमड़ा उद्योग में कुशल व्यक्तियों की मांग पूरी करने तथा ढांचागत सुविधाओं एवं पर्यावरण संबंधी बाधाओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने 12वीं योजना में आई.एल.डी.पी. के तहत 2420 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

वाणिज्य विभाग द्वारा चमड़ा उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें अन्य के साथ शामिल हैं - पिछले वर्ष में निर्यात आय के 3 प्रतिशत तक एफ.ओ.बी. मान कर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट स्कीम के तहत अधिसूचित निवेशों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति; एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपीटल गुड्स (ई.पी.सी.जी.) स्कीम के तहत पूंजीगत माल का जीरो ड्यूटी आयात, अधिसूचित चमड़ा उत्पादों, फुटवेयर के लिए 4 प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप स्कीम; फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत 2 प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप स्कीम। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों, बायर-सेलर मीट, बिजनेस-टू-बिजनेस मीट, आदि में बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) तथा बाजार पहुंच पहल स्कीम (एम.ए.आई.) के तहत चमड़ा निर्यात परिषद को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यातोन्मुख ढांचागत सुविधाएं निर्मित कर निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य से 'निर्यात की ढांचागत सुविधा विकास हेतु राज्यों को सहायता' नामक स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के केन्द्रीय घटक के तहत चमड़ा निर्यात परिषद तथा फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। चमड़ा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण और डिजाइनिंग तथा परीक्षण क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से एफ.डी.डी.आई. को भी 11वीं योजनावधि के दौरान 178.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। 12वीं योजना में एफ.डी.डी.आई., अन्य संस्थानों तथा कार्यकलापों के लिए 952 करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 2009-10 में कुल वैश्विक आयात में भारतीय चमड़े व चमड़े की वस्तुओं के आयात का हिस्सा 2.95 प्रतिशत था।

(ग) आई.एल.डी.पी. की उप-स्कीमों को कार्यान्वित करने वाली विभिन्न एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 तथा 2010-11) के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई/उपयोग की गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए

राज्य का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	15.25
हरियाणा	21.47
कर्नाटक	0.68
केरल	0.85
मध्य प्रदेश	4.97
महाराष्ट्र	0.26
नई दिल्ली	2.21
पंजाब	1.39
राजस्थान	2.73
तमिलनाडु	40.66
उत्तर प्रदेश	11.91
पश्चिम बंगाल	25.74
वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए	
चंडीगढ़	0.11
गुजरात	0.50
हरियाणा	25.30
कर्नाटक	0.03
केरल	0.10
मध्य प्रदेश	6.57
महाराष्ट्र	0.76
नई दिल्ली	2.76
पंजाब	0.81

1	2
तमिलनाडु	55.87
उत्तर प्रदेश	14.17
पश्चिम बंगाल	28.95
वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए	
आन्ध्र प्रदेश	0.33
अरुणाचल प्रदेश	0.11
बिहार	1.04
चंडीगढ़	0.26
हरियाणा	32.60
हिमाचल प्रदेश	0.34
कर्नाटक	0.27
केरल	0.09
मध्य प्रदेश	12.12
महाराष्ट्र	1.16
नई दिल्ली	2.05
ओडिशा	0.37
पंजाब	1.77
राजस्थान	3.58
तमिलनाडु	59.63
उत्तर प्रदेश	16.06
उत्तराखंड	0.49
पश्चिम बंगाल	41.62

(महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के पांच राज्यों में उप-स्कीम मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) के कार्यान्वयन हेतु आई.एल. एंड एफ.एस., नई दिल्ली को 0.94 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।)

[अनुवाद]

आर्द्रभूमि का संरक्षण

788. श्रीमती प्रिया दत्त:

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रमुख आर्द्रभूमियों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछेक खामियों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) यद्यपि देश में अलग-अलग आकार की कई नमभूमियां हैं मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.सी.पी.) के अंतर्गत संरक्षण कार्यकलाप शुरू करने के लिए देश में 115 नमभूमियों की पहचान की है। इन पहचान की गई नमभूमि की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। विभिन्न राज्यों में पहचान की गई नमभूमियों में राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम निष्पादित करते समय कतिपय कमियां पाई गई हैं। इनमें तदर्थ प्रबंधन कार्य योजनाएं (एम.ए.पी.) की प्राप्ति, प्रबंधन कार्य योजनाओं के निष्पादन के लिए अपर्याप्त समेकित अनुसंधान डाटाबेस, राज्य सरकारों के पास अवसंरचना और विशेषज्ञता की कमी, अपर्याप्त वित्तीय सहायता का दबाव और नमभूमि के महत्व और कार्यों की जानकारी के प्रति संवेदना का अभाव शामिल है।

(घ) इन कमियों के निराकरण के लिए मंत्रालय इन पहचान की गई नमभूमियों में संरक्षण कार्यकलाप के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए आज की तारीख तक विभिन्न राज्य सरकारों को 113.70 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। विशेषज्ञता और अवसंरचना की कमी वाले राज्यों के लिए व्यापक प्रबंधन कार्य योजनाएं (एम.ए.पी.) तैयार करने हेतु परामर्शदाता रखने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रबंधन कार्य योजनाओं के निष्पादन हेतु लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में प्रबंधन कार्य योजनाओं के निष्पादन के लिए दिशानिर्देश भी तैयार हैं तथा अधिक परिणामोन्मुख ढंग से कार्य योजनाओं का निष्पादन करने के लिए प्रमुखता वाले अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान की है।

दिसंबर, 2010 में नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम अधिसूचित किए गए हैं ताकि नमभूमि का उनकी वहन क्षमता से अधिक उपयोग करने की अनुमति न दी जाए। राज्य सरकारों को नमभूमि विकास प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.ए.) गठित करने और नमभूमि नियमावली के अंतर्गत सभी नमभूमि को अधिसूचित करने की सलाह भी दी गई है।

विवरण

पहचान की गई आर्द्रभूमि की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्र.सं.	नमभूमि के नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	कोलेरू
2.	असम	2.	डीपर बील
		3.	उर्पड बील

1	2	3	4
		4.	सोन बील
3.	बिहार	5.	कांबर
		6.	बरिला
		7.	कुशेश्वरस्थान
4.	गुजरात	8.	नलसरोवर
		9.	ग्रेट रन ऑफ कच्छ
		10.	थोल पक्षी अभयारण्य
		11.	खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य
		12.	लिटिल रन ऑफ कच्छ
		13.	पेरियज
		14.	वधवाना
		15.	ननीककराड
5.	हरियाणा	16.	सुल्तानपुर
		17.	भिंडावास
6.	हिमाचल प्रदेश	18.	रेणुका
		19.	पोंग डेम
		20.	चन्द्रताल
		21.	रिवल्सर
		22.	खज्जिआर
7.	जम्मू और कश्मीर	23.	वुलार
		24.	सो मोरारी
		25.	तिसगुल त्सो और चिसुल मारशेस
		26.	होकरसर
		27.	मानसर-सुरिंसर

1	2	3	4
		28.	रणजीतसागर
		29.	पागोंग त्सार
		30.	घराना
		31.	हाईगम
		32.	मिरगुंड
		33.	शालबघ
		34.	चुशुल और हानली
8.	झारखंड	35.	उधवा
		36.	तिलैया बांध
9.	कर्नाटक	37.	मागधी
		38.	गुदावी पक्षी अभयारण्य
		39.	बोनाल
		40.	हिदकल और घाटाप्रभा
		41.	हिगिरी
	..	42.	रंगनाथिट्टु
		43.	के.जी. कोपा आर्द्र भूमि
10.	केरल	44.	अष्टमुडी
		45.	सस्थामकोटा
		46.	कोटुली
		47.	काडुलांडी
		48.	वेम्बनाड कोल
11.	मध्य प्रदेश	49.	बरना
		50.	यशवंत सागर
		51.	केन नदी आर्द्र भूमि

1	2	3	4
		52.	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य
		53.	घाटी गांव
		54.	रातापानी
		55.	दिनवा तबा आर्द्र भूमि
		56.	कान्हा बाघ रिजर्व
		57.	पेंच बाघ रिजर्व
		58.	शाख्यासागर
		59.	दिहायला
		60.	गोविंद सागर
		61.	सरपुर
12.	महाराष्ट्र	62.	उजनी
		63.	जयकवाड़ी
		64.	नाल गंगा आर्द्र भूमि
13.	मणिपुर	65.	लोकतक
14.	मेघालय	66.	उमियाल झील
15.	मिजोरम	67.	तमदिल
		68.	पलक
16.	ओडिशा	69.	चिल्का
		70.	कुआनरी आर्द्र भूमि
		71.	कंजिया आर्द्र भूमि
		72.	दाहा आर्द्र भूमि
		73.	अनुसपा
17.	पंजाब	74.	हरिके
		75.	रोपड़

1	2	3	4
		76.	कंजली
		77.	नांगल
18.	राजस्थान	78.	सांभर
19.	सिक्किम	79.	खिचूपीरी पवित्र झील
		80.	तमजी आर्द्र भूमि
		81.	तेंबाओ आर्द्र भूमि काम्प्लैक्स
		82.	फेडांग आर्द्र भूमि काम्प्लैक्स
		83.	गुरु डोकमार्क आर्द्र भूमि
		84.	सोमगो आर्द्र भूमि
20.	तमिलनाडु	85.	प्वाइंट कैलिमर
		86.	कालीवेली
		87.	पल्लायकरनी
21.	त्रिपुरा	88.	रुद्रसागर
		89.	गुमटी रिजर्वायर
22.	उत्तर प्रदेश	90.	नवाबगंज
		91.	सांडी
		92.	लाख बहोसी
		93.	समसपुर
		94.	अलवारा आर्द्र भूमि
		95.	सेमाराई झील
		96.	नगरीया झील
		97.	कीठम झील
		98.	सेखा आर्द्र भूमि
		99.	समन पक्षी अभयारण्य

1	2	3	4
		100.	सरसाई नावर
		101.	पतना पक्षी अभयारण्य
		102.	चंदोताल
		103.	ताल भघेल
		104.	ताल गंभीरवन और ताल सलोना
		105.	आदि जल जीव झील
23.	उत्तरांचल	106.	बाणगंगा झिलमिल ताल
		107.	असन
24.	पश्चिम बंगाल	108.	ईस्ट कोलकाता आर्द्र भूमि
		109.	सुन्दरबन
		110.	अहीरों बील
		111.	रसिक बील
		112.	संतरागाछी
		113.	पटलाखवा-रासोमती
25.	चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	114.	सुखना
26.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	115.	आउस्टेरी झील

श्रम आयुक्त का कार्यालय

789. **श्री ए. गणेशमूर्ति:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नै/कोयंबटूर में मुख्यालय वाले श्रम कल्याण आयुक्त का अलग कार्यालय तमिलनाडु में स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मलिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) श्रम कल्याण प्रभाग तथा इसके क्षेत्रीय घटकों को नया रूप देने के लिए 2007 में एक कार्यबल गठित किया गया था। इसकी एक सिफारिश उप कल्याण आयुक्त, तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) के कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर कल्याण आयुक्त कार्यालय करके चेन्नई में शिफ्ट करना थी। तथापि, बीड़ी तथा चूना पत्थर कामगारों की तिरनेलवेली में अधिकता तथा तमिलनाडु बीड़ी कामगार परिसंघ (सीटू) के अभ्यावेदनों के कारण उप कल्याण आयुक्त के कार्यालय को चेन्नई में चलाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। इसके दृष्टिगत फिलहाल उक्त कार्यालय को चेन्नई में शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को मुआवजा

790. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:**

श्री यशवंत लागुरी:

डॉ. संजय सिंह:

श्रीमती रमा देवी:

श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को मुआवजा प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मुआवजा प्राप्त कर चुके लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा दुर्घटनाओं की संख्या तथा दुर्घटना में मारे गए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया तथा इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ित, मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दुर्घटनाओं जिसमें मोटर यान के प्रयोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो अथवा उसे शारीरिक चोट पहुंची हो अथवा किसी अन्य पक्षकार की संपत्ति को क्षति हुई हो अथवा दोनों के संबंध में मुआवजे के लिए दावों का अधिनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए एक अथवा एक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गठित कर सकती है। अतः, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की कार्यप्रणाली, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। दुर्घटनाओं की संख्या और प्रदान किए मुआवजे का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है और इसलिए, यह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

औद्योगिक वृद्धि

791. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

श्री जोस के. मणि:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

श्री गणेश सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन मूल्यों में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण औद्योगिक वृद्धि की दर कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विनिर्माण, कोर तथा अवसंरचना क्षेत्र सहित औद्योगिक वृद्धि का चालू वर्ष की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों के विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की समानुपातिक वृद्धि कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित नयी विनिर्माण नीति से हाल के वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि तेज होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू.एन.आई.डी.ओ.) की रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण में भारत का स्थान नीचे आया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अगले वर्ष के लिए औद्योगिक वृद्धि लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) की दृष्टि से मापने पर पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विनिर्माण, कोर तथा अवसंरचना के लिए क्षेत्र-वार औद्योगिक वृद्धि क्रमशः संलग्न विवरण-I, II तथा III में दी गई है। औद्योगिक वृद्धि वर्ष 2009-10 में 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में

8.2 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान वर्ष में अप्रैल-जनवरी, 2011-12 के दौरान औद्योगिक वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में गिरकर 4 प्रतिशत हो गई है। यद्यपि इनका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, फिर भी औद्योगिक वृद्धि में उतार-चढ़ाव के कारणों में खपत व्यय की वृद्धि दर में कमी, विनिर्माण क्षेत्र में कम निष्पादन, ब्याज दरों में वृद्धि तथा वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव आदि कारक शामिल हैं।

(ग) यह प्रतीत होता है कि वैश्विक आर्थिक मंदी ने अपना प्रभाव भारत सहित विभिन्न देशों की विनिर्माण वृद्धि पर डाला है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) की औद्योगिक विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2005 और 2009 के बीच भारत सहित अनेक देशों में जी.डी.पी. में विनिर्माण मूल्य वर्धन के हिस्से में गिरावट आई है जो नीचे तालिका में दर्शाई गई है;

अर्थव्यवस्था	जी.डी.पी. में विनिर्माण मूल्य वर्धन का हिस्सा (प्रतिशत)	
	2005	2009
1	2	3
भारत	14.13	13.74
ब्राजील	15.00	13.71
चीन	34.11	35.70
रूस	18.96	15.80
मलेशिया	32.39	27.92
दक्षिण अफ्रीका	16.39	15.59
थाइलैंड	35.91	37.35

स्रोत: औद्योगिक विकास रिपोर्ट 2011, यूनिडो

(घ) सरकार ने जी.डी.पी. में विनिर्माण का हिस्सा एक दशक में 25 प्रतिशत करने और 100 मिलियन रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विर्माण नीति घोषित की है। इस नीति का उद्देश्य स्व-विनियमन के माध्यम से उद्योग से अनुपालन भार को कम करना तथा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाना है।

(ङ) और (च) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) की औद्योगिक विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2010 में 1.8 प्रतिशत के विनिर्माण मूल्य वर्धन (एम.वी.ए.) हिस्से के साथ विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन में भारत 14वें स्थान से 9वें स्थान पर आ गया है।

(छ) औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; व्यवसाय वातावरण में सुधार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहलों के माध्यम से औद्योगिक तथा अन्य अवसंरचना का विकास; अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहन और उद्योंग संबंधी कौशलों का विकास सहित औद्योगिकीय निवेश को संवर्धित करना तथा सुकर बनाना शामिल है। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तर के उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखितानुसार सरकार ने हाल ही में एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की भी घोषणा की है।

विवरण-I

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर: विनिर्माण क्षेत्र का 2 डिजिट वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

कोड	उद्योग समूह	भार	2010-11	2010-11 (अप्रैल-जनवरी)	2011-12 (अप्रैल-जनवरी)
1	2	3	4	5	6
15.	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	72.76	7.0	4.0	28.3

1	2	3	4	5	6
16.	तंबाकू उत्पाद	15.7	2.0	4.2	4.5
17.	वस्त्र	61.64	6.7	6.8	-2.6
18.	वेयरिंग	27.82	3.7	3.4	-3.8
19.	लगेज, हैंडबैग आदि	5.82	8.1	7.3	4.0
20.	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	10.51	-2.2	-1.1	1.4
21.	कागज और कागज उत्पाद	9.99	8.6	8.5	5.0
22.	प्रकाशन, मुद्रण, और रिकार्डिड मीडिया का पुन: उत्पादन	10.78	11.2	11.1	24.2
23.	कोक, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद और परमाणु ईंधन	67.15	-0.2	-0.6	3.0
24.	रसायन और रासायनिक उत्पाद	100.59	2.0	0.7	-0.4
25.	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	20.25	10.6	13.3	-1.3
26.	अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद	43.14	4.1	4.1	5.0
27.	मूल धातुएं	113.35	8.8	8.2	9.8
28.	फैब्रिकेटिड धातु उत्पाद	30.85	15.3	13.8	13.8
29.	मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	37.63	29.4	30.9	-3.0
30.	कार्यालय, लेखांकन, और कंप्यूटिंग मशीनरी	3.05	-5.3	-8.5	4.1
31.	इलैक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण	19.8	2.8	6.3	-21.9
32.	रेडियो, टी.वी. और संचार उपकरण और तंत्र	9.89	12.7	12.9	5.2
33.	चिकित्सा, सटीक और ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां और दीवार घड़ियां	5.67	6.8	5.1	12.8
34.	मोटर वाहन और ट्रेलर	40.64	30.2	32.4	12.1
35.	अन्य परिवहन उपकरण एन.ई.सी.	18.25	23.2	23.2	14.3
36.	फर्नीचर	29.97	-7.5	-6.5	-1.8
10.	खनन एवं खाद्यान	141.57	5.2	6.3	-2.6
15-36.	विनिर्माण	755.27	9.0	8.9	4.4
40.	विद्युत	103.16	5.5	5.3	8.8
	सामान्य सूची	1000	8.2	8.3	4.0

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

विवरण-II

तालिका : आठ कोर उद्योगों में वृद्धि

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	भार	2010-11	अप्रैल-जनवरी 2011-12	अप्रैल-जनवरी 2011-12
समग्र सूची	37.9	5.8	5.7	4.1
कोयला	4.4	-0.2	0.6	-1.5
कच्चा तेल	5.2	11.9	11.9	1.5
प्राकृतिक गैस	1.7	10.0	14.4	-8.8
रिफाइनरी उत्पाद	5.9	3.0	2.4	3.1
उर्वरक	1.3	0.0	-0.8	-0.1
इस्पात	6.7	8.9	8.4	7.0
सीमेंट	2.4	4.5	4.1	6.0
विद्युत	10.3	5.6	5.2	8.6

विवरण-III

तालिका: 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान अवसंरचना क्षेत्र निष्पादन

	2009-10		2010-11		अप्रैल-दिसम्बर, 2010-11	अप्रैल-दिसम्बर, 2011-12	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1. विद्युत उत्पादन (बी.यू.)							
थर्मल उत्पादन	648.480	639.706	690.856	665.001	484.860	524.362	517.618
परमाणु उत्पादन	19.000	18.636	22.000	26.266	17.854	18.951	23.811
हाइड्रो उत्पादन	115.468	103.896	111.352	114.257	90.169	90.355	107.545
भूटान से आयात	6.564	5.359	6.548	5.611	5.360	5.361	5.057
कुल	**789.512**	**767.597**	**830.756**	**811.135**	**598.243**	**639.029**	**654.031**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. कोयला उत्पादन (मी.ट.)							
कोल इंडिया लि.	435.00	431.26	460.50	431.32	299.44	312.03	291.24
सिंगारेणी	44.50	50.43	46.00	51.33	36.33	37.45	35.26
अन्य	46.33	44.58	65.87	43.50	34.00	42.00	33.29
कुल	**525.83**	**526.27**	**572.370**	**526.150**	**369.77**	**391.48**	**359.79**
3. तैयार इस्पात का उत्पादन ('000 टन)							
I. **मुख्य उत्पादककर्ता**							
(i) सेल	9928.6	10058.2	9901.0	10195.7	7357.0	7395.7	6564.7
(ii) टाटा स्टील	5103.0	5019.0	5333.0	5157.0	3825.0	4111.0	4073.0
(iii) वी.एस.पी.	2680.0	2960.0	2730.0	2928.0	2109.0	2072.0	**2080.0**
कुल	**17711.6**	**18037.2**	**17964.0**	**18280.7**	**13291.0**	**13578.7**	**12717.7**
II. प्रमुख (द्वितीय) उत्पादनकर्ता	-	51092.8	-	57461.3	42356.0	-	**46119.3**
कुल (I + II)	**17711.6**	**69130.0**	**17964.0**	**75742.0**	**55647.0**	**13578.7**	**58837.0**
4. सीमेंट उत्पादन (मी.ट.)							
सीमेंट उत्पादन (मी.ट.)	उपलब्ध नहीं	207.06	उपलब्ध नहीं	215.98	156.99	उपलब्ध नहीं	165.00
5. उर्वरक उत्पादन ('000 टन)							
(i) नाईट्रोजन	12084.6	11900.4	12480.8	12156.6	9132.1	9361.5	9224.5
(ii) फास्फेट	4131.1	4320.9	4834.3	4222.7	3283.7	3738.8	3127.7
कुल	**16215.7**	**16221.3**	**17315.1**	**16379.3**	**12415.8**	**13100.3**	**12352.2**
6. पेट्रोलियम							
(i) कच्चा तेल (मी.ट.)	38.003	33.690	37.955	37.711	28.174	28.647	28.701
(ii) रिफाइनरी उत्पादन (मी.ट.)	153.176	160.034	158.610	164.851	121.266	120.963	126.197
(iii) प्राकृतिक गैस उत्पादन (एम.सी.एम.)	52167	47496	53589	52221	39682	38576	**36195**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. सड़कें (कि.मी.)							
(क) एन.एच.ए.आई.							
चार/छ:/आठ लेन के लिए मरम्मत/ सुदृढ़ बनाना/मौजूदा कमजोर पटरी (कि.मी.)	3165.00	2673.94	2500.00	1784.00	1155.54	1629.64	1258.89
(ख) राज्य पी.डब्ल्यू. तथा सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.)							
निम्न ग्रेड भाग का सुधार (कि.मी.)	20.00	30.67	0.30	1.29	1.00	1.00	10.80
मौजूदा कमजोर पटरी का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	1058.00	1012.70	1213.41	1015.82	687.13	650.00	448.52
चार लेन के लिए मरम्मत (कि.मी.)	79.50	68.64	137.55	98.85	68.30	70.00	39.54
दो लेन के लिए मरम्मत (कि.मी.)	1321.00	1233.85	1116.97	1042.07	763.53	700.00	476.79
8. रेलवे							
राजस्व आय समान परिवहन (मी.ट.)	890.00	887.99	924.00	921.51	673.31	730.95	704.81
9. जहाज							
(i) प्रमुख पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग	581.330	561.090	598.280	569.908	416.581	451.270	418.184
(ii) कोयले का कोस्टल शिपमैंट (मी.ट.)	83.990	71.709	उपलब्ध नहीं	72.755	53690	उपलब्ध नहीं	58398
10. नागरिक उड्डयन							
I. वायु वत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग (मी.ट.)							
(i) निर्यात कार्गो	*	599009	*	679459	628931	681581	621738
(ii) आयात कार्गो	*	464234	*	559898	488687	659225	495541
II. यात्री परिवहन हैन्डल्ड (संख्या लाख में)							
(i) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल	*	231.76	*	258.46	28095156	30061814	30107221
(ii) घरेलू टर्मिनल	*	492.29	*	571.77	77469676	85216643	91055982

1	2	3	4	5	6	7	8
11. दूरसंचार							
(i) स्वीचिंग क्षमता में निवल वृद्धि ('000 लाइन्स)	*	13880.220	*	13157.772	10635.771	*	768.119
(ii) प्रदान किए गए निवल कैनेक्शन ('000 सं.)	*	-1007.928	*	-2226.835	-1866.624	*	-2044.638
(iii) निवल सेलफोन (नए) कैनेक्शन ('000 सं.)	*	192562.833	*	227271.915	167876.633	*	82267.161
कुल कैनेक्शन (ii+iii) ('000 सं.)	-	191554.905	-	225045.080	166010.009	-	80222.523

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

बी.यू.: बिलियन यूनिट मी.ट.: मिलियन टन एम.सी.एम.: मिलियन क्यूबिक मीटर

*मासिक एवं संचित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं $; अनुपात के अनुसार पहले केवल पांच प्रमुख वायु पत्तनों के आंकड़े प्रदान किए गए थे। मई, 2011 से सभी वायु पत्तनों (सम्पूर्ण भारत) के कुल आंकड़े।

वन भूमि का विपथन

792. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**

श्री हरिन पाठक:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तथा वन भूमि के बड़े क्षेत्र को खनन उद्देश्यों के लिए विपथित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में खनन उद्देश्यों हेतु विपथित वन भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खनन उद्देश्यों हेतु वन भूमि का विपथन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अर्थात 01-01-2009 से 15-03-2012 तक) के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत खनन परियोजनाओं हेतु 34,474 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु 296 स्वीकृतियां प्रदान की है।

खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन से पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए, केन्द्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति प्रदान करने समय उपयुक्त शर्तें निर्धारित करती है जैसे कि वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास हेतु प्रतिपूरक वर्गीकरण का सृजन और रख-रखाव, वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन और उपभोक्ता अभिकरण से अपवर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.वी.पी.) की वसूली।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन संबंधी प्रस्तावों की प्रभावी ढंग से छटनी को सुकर बनाने हेतु केन्द्र के साथ-साथ राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों दोनों के स्तर पर एक विस्तृत संस्थागत कार्यतंत्र स्थापित किया गया है। खनन परियोजनाओं हेतु वन भूमि के अपवर्तन संबंधी प्रस्तावों को बहुत ध्यानपूर्वक जांचा जाता है और केंद्र सरकार द्वारा केवल वही प्रस्ताव स्वीकृत किए जाते हैं जहां वन भूमि का अपवर्तन नगण्य और अपरिहार्य हो।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

793. **श्री उमाशंकर सिंह:**

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

श्री चन्द्रकांत खैरे:

श्री रघुवीर सिंह मीणा:

श्री महेश्वर हजारी:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में अब तक निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों (एन.एच.) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों (एन.एच.) के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य (कि.मी.) में क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु मंजूर/जारी/ आबंटित राशि कितनी है;

(ग) सरकारी निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के अंतर्गत विशेष तौर पर अनुमोदित प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में मंत्रालय द्वारा मांगी गई, यदि कोई हो तो, विशेष रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (विशेषकर महाराष्ट्र में) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी समय-सीमा तथा लागत ज्यादा हो गयी है तथा महाराष्ट्र में प्रत्येक परियोजना की लागत वृद्धि के ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं तथा कब तक सभी लंबित एवं विलंबित परियोजनाओं को मंजूरी मिलने तथा पूरा किए जाने की संभावना है; और

(च) राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी प्रगति के बारे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य सहित देश में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग लम्बाई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किए जाने के लिए लक्ष्य स्कीमवार निर्धारित किए जाते हैं न कि राज्यवार।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आवंटित निधि और किए गये व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सुपुर्दगी की सार्वजनिक प्राइवेट साझेदारी विधि के अन्तर्गत शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा किसी विशिष्ट छूट की मांग नहीं की गई है।

(घ) से (च) महाराष्ट्र राज्य सहित कार्यान्वयनाधीन और विलम्बित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। इन परियोजनाओं पर वास्तविक लागत वृद्धि का पता इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही लग सकेगा। यह विलम्ब विभिन्न कारणों से हुआ है जैसे कि- भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण, पर्यावरण, वन स्वीकृतियां और रेलवे अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलम्ब, ठेकेदारों द्वारा अल्प निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या। अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा किए जाने में होने वाले विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं - एन.एच.ए.आई. द्वारा पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित मुख्य महाप्रबन्धकों की अध्यक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाना, विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटें स्थापित किया जाना, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे आदि से संबंधित अड़चनों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समितियां गठित किया जाना। इसके अलावा,

विलम्बित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाने के लिए उनका अनुवीक्षण और आवधिक समीक्षा मुख्यालय और फील्ड स्तर पर की जाती है।

यह परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं और इसीलिए उनके पूरा होने की वास्तविक तारीख का पता लगाया जाना समय पूर्व होगा।

विवरण-I

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान निर्मित किए गए राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्मित लंबाई (कि.मी. में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी, 2012 तक अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	263.18	423.83	247.81	282.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	16.43	32.00	0.00
3.	असम	88.42	229.70	268.41	152.04
4.	बिहार	131.50	241.51	219.91	250.57
5.	छत्तीसगढ़	147.09	188.87	99.30	38.30
6.	दिल्ली	6.40	2.90	29.80	7.95
7.	गुजरात	238.54	163.48	112.82	148.85
8.	हरियाणा	122.99	196.23	173.80	127.16
9.	हिमाचल प्रदेश	67.92	28.34	61.84	81.84
10.	जम्मू और कश्मीर	176.93	221.07	125.82	63.29
11.	झारखंड	68.59	88.12	113.36	38.50
12.	कर्नाटक	166.51	323.71	291.00	278.51
13.	केरल	49.94	19.90	20.20	12.95
14.	मध्य प्रदेश	295.83	449.62	223.81	179.08
15.	महाराष्ट्र	265.36	190.85	343.84	235.93
16.	मणिपुर	19.65	14.20	36.50	32.70
17.	मिजोरम	32.61	18.63	1.85	12.46

1	2	3	4	5	6
18.	नागालैंड	57.00	74.00	67.98	29.85
19.	ओडिशा	132.11	293.99	238.03	109.37
20.	पंजाब	151.67	185.86	134.69	72.37
21.	राजस्थान	710.97	134.30	163.48	227.50
22.	तमिलनाडु	602.27	513.19	265.43	155.86
23.	त्रिपुरा	9.14	5.46	14.00	3.48
24.	उत्तर प्रदेश	377.56	721.93	523.63	194.37
25.	उत्तराखंड	140.52	84.50	41.16	25.86
26.	पश्चिम बंगाल	104.00	158.84	91.15	106.79

विवरण-II

गत तीन वर्ष अर्थात् 2008-09 के बाद और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा (29-02-2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	137	118
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	9
3.	असम	58	58
4.	बिहार	24	16
5.	छत्तीसगढ़	126	61
6.	गोवा	30	20
7.	गुजरात	70	55
8.	हरियाणा	84	74
9.	हिमाचल प्रदेश	61	61
10.	जम्मू और कश्मीर	21	18
11.	झारखंड	72	69

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	119	109
13.	केरल	38	38
14.	मध्य प्रदेश	110	39
15.	महाराष्ट्र	188	158
16.	मणिपुर	13	13
17.	मेघालय	16	16
18.	मिजोरम	20	20
19.	नागालैंड	11	11
20.	ओडिशा	170	123
21.	पंजाब	77	71
22.	राजस्थान	71	71
23.	सिक्किम	1	1
24.	तमिलनाडु	50	28
25.	त्रिपुरा	10	10
26.	उत्तर प्रदेश	325	183
27.	उत्तराखंड	141	131
28.	पश्चिम बंगाल	66	56

विवरण-III

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आबंटित निधियों और उन पर व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आबंटन				व्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^ (फरवरी 12 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	192.97	348.39	254.77	167.99	196.38	348.39	254.77	93.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
3.	असम	88.25	206.29	177.64	231.43	87.65	206.29	177.64	125.25
4.	बिहार	104.02	245.45	199.15	225.54	95.02	245.45	199.15	189.23
5.	चंडीगढ़	3.39	2.95	8.81	6.00	3.39	2.95	8.81	0.57
6.	छत्तीसगढ़	67.42	79.65	53.53	98.05	65.74	79.65	53.53	29.02
7.	दिल्ली	15.80	17.21	52.58	8.00	15.80	17.21	52.58	5.70
8.	गोवा	34.39	33.16	30.14	8.00	34.39	33.16	30.14	4.79
9.	गुजरात	102.33	150.26	111.60	124.96	101.06	150.26	111.60	75.48
10.	हरियाणा	103.23	152.16	143.69	115.00	103.23	152.16	143.69	82.69
11.	हिमाचल प्रदेश	76.21	80.46	95.72	136.26	76.21	80.46	95.72	80.65
12.	झारखंड	96.41	117.90	112.70	105.00	96.41	117.90	112.70	71.81
13.	कर्नाटक	215.30	305.43	276.65	343.31	214.91	305.42	276.65	254.05
14.	केरल	72.53	141.23	109.00	173.82	73.20	141.23	109.00	118.24
15.	मध्य प्रदेश	110.14	150.16	134.24	96.69	98.35	150.16	134.24	63.45
16.	महाराष्ट्र	195.18	326.18	265.53	286.52	196.87	326.18	265.53	164.87
17.	मणिपुर	23.77	19.65	63.88	78.28	23.65	19.65	63.88	23.79
18.	मेघालय	51.60	61.54	79.08	70.55	50.77	61.54	79.08	45.12
19.	मिजोरम	13.55	5.52	24.23	60.00	13.55	5.52	24.23	20.63
20.	नागालैंड	30.60	30.46	26.94	54.00	30.60	30.46	26.94	11.97
21.	ओडिशा	209.55	333.70	230.71	313.28	208.84	333.70	230.71	226.52
22.	पडुचेरी	2.95	9.22	3.93	5.00	2.95	9.22	3.93	4.05
23.	पंजाब	156.77	188.49	115.00	129.11	156.77	188.49	115.00	98.00
24.	राजस्थान	214.35	140.24	147.31	183.08	216.54	140.23	147.31	86.96
25.	तमिलनाडु	133.77	168.40	182.13	190.37	131.96	168.40	182.13	119.54
26.	उत्तर प्रदेश	223.51	433.21	452.55	359.21	222.20	433.21	452.55	223.75
27.	उत्तराखंड	112.40	160.91	130.83	141.46	112.29	160.91	130.83	41.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिमी बंगाल	95.30	147.00	120.61	210.00	95.30	147.00	120.61	197.62
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	1.89	5.00	0.00	0.00	1.89	2.13
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	12566.47	11744.70	17918.94	28412.90	10497.21	9017.96	12563.94	20755.69
	सीमा सड़क संगठन	650.00	756.00	760.00	620.00	645.80	723.49	714.31	367.38
	एस.ए.आर.डी.पी. एन.-ई.*	1000.00	1200.00	1500.00	1600.00	643.72	658.55	1004.81	1443.86
	एल.डब्ल्यू.ई.*	0.00	125.00	750.00	1200.00	0.00	5.00	718.05	862.71

*राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

^अनंतिम

विवरण-IV

गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान सुपुर्दगी की सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) विधि से शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	पूर्ण कर ली गई लंबाई (कि.मी. में)	वित्तपोषण	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	सौंपने की तारीख	वर्तमान स्थिति	राज्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008-09									
1.	कुडप्पा-मैदुकुर-कुरनूल	18	188.752	4.9	बी.ओ.टी.	1585	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आन्ध्र प्रदेश
2.	बदरपुर उत्थापित राजमार्ग	2	4.4	4.4	बी.ओ.टी.	340	जून-2008	पूर्ण	दिल्ली (2.7)/ हरियाणा (1.7)
3.	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन खंड	6	132.9	34	बी.ओ.टी.	1509.1	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	वडक्कनचेरी-त्रिशुर खंड	47	30	0	बी.ओ.टी.	617	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधान	केरल
5.	पुणे शोलापुर	9	110.05	55	बी.ओ.टी.	1110	फरवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
6.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	3	60	31	बी.ओ.टी.	940	जनवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
7.	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा-धुले	3	98	70	बी.ओ.टी.	835	जनवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
8.	चैन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक 4 लेन का नया उत्थापित मार्ग	4	19	0	बी.ओ.टी.	1655	जनवरी-2009	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
2009-10									
9.	हैदराबाद-यदगिरि	202	35.65	22.68	बी.ओ.टी.	388	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आन्ध्र प्रदेश
10.	हैदराबाद-विजयवाड़ा	9	181.63	104.448	बी.ओ.टी.	1740	मई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आन्ध्र प्रदेश
11.	अरमूर-कडलूर येल्लारेड्डी	7	59	44.675	बी.ओ.टी.	390.56	मई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	आन्ध्र प्रदेश
12.	पटना-मुजफ्फरपुर	19 और 77	63	14	वार्षिकी	671.3	नवम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
13.	पणजी-गोवा/कर्नाटक सीमा	4ए	69	0	बी.ओ.टी.	471	जनवरी 2010	कार्यान्वयन के अधीन	गोवा
14.	कांडला-मुंदड़ा पत्तन	8ए	71.4	0	बी.ओ.टी.	953.88	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
15.	गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा को 4 लेन का बनाया जाना	59	87.285	0	बी.ओ.टी.	785.5	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
16.	अहमदाबाद-गोधरा	59	117.6	0	बी.ओ.टी.	1008.5	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	समखियाली-गांधीधाम	8ए	56.16	0	बी.ओ.टी.	805.39	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
18.	पानीपत-रोहतक	71ए	80.858	0	बी.ओ.टी.	807	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा
19.	रोहतक-बावल	71	82.553	17.216	बी.ओ.टी.	650	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा
20.	हजारीबाग-रांची	33	75	28	वार्षिकी	625.07	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड
21.	बीजापुर-हुगुंड खंड	13	97.22	74.56	बी.ओ.टी.	748	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
22.	हैदराबाद-बंगलौर खंड	7	22.12	0	बी.ओ.टी.	680	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
23.	कुंडापुर-सूरतकल और मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा	17	90	12.81	बी.ओ.टी.	671	नवम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
24.	हुगुंड-होसपेट	13	97.89	36.02	बी.ओ.टी.	946	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
25.	कुन्नूर वेंगलेम कुट्टीपुरमं	17	81.5	0	बी.ओ.टी.	1312	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
26.	कुन्नूर वेंगलेम कुट्टीपुरम	17	83.2	0	बी.ओ.टी.	1366	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
27.	चरथलई-ओचिरा	47	83.6	0	बी.ओ.टी.	1535	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
28.	इंदौर-देवास	3	45.05	0	बी.ओ.टी.	325	मार्च-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
29.	इंदौर-झाबुआ-गुजरात/मध्य प्रदेश	59	155.15	47.5	बी.ओ.टी.	1175	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
30.	पुणे शोलापुर पैकेज-II	9	105	0	बी.ओ.टी.	835	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
31.	तालेगांव-अमरावती	6	67.8	0	बी.ओ.टी.	567	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	पुणे-सतारा	4	140.35	0	बी.ओ.टी.	1724.55	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
33.	काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा से नागपुर तक	7	95	49	बी.ओ.टी.	1170.52	अगस्त-2009	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
34.	अमृतसर-पठानकोट	15	106	10.63	बी.ओ.टी.	705	जुलाई-2009	कार्यान्वयन के अधीन	पंजाब
35.	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	8	82	51.5	बी.ओ.टी.	795	अप्रैल-2009	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
36.	जयपुर-रींगस	11	54	10.6	बी.ओ.टी.	267.81	अक्तूबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
37.	जयपुर-टोंक-देवली	12	150	34	बी.ओ.टी.	792.06	अक्तूबर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
38.	चेंगापल्ली से कोयम्बतूर बाइपास और कोयम्बतूर बाइपास के छोर से तमिलनाडु/केरल सीमा तक	47	54.83	22	बी.ओ.टी.	852	जनवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
39.	कृष्णागिरी-वालजापेट खंड	46	148.3	0	बी.ओ.टी.	1250	मार्च-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
40.	मुरादाबाद-बरेली	24	121	25	बी.ओ.टी.	1267	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
41.	गाजियाबाद-अलीगढ़	91	126	1	बी.ओ.टी.	1141	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
42.	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार	58,	80 72	0	बी.ओ.टी.	754	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश (21)/ उत्तराखंड (59)
43.	हरिद्वार-देहरादून	72	39	0	वार्षिकी	478	दिसम्बर-2009	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तराखंड

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	रायगंज-डलकोला	34	50	0	बी.ओ.टी.	580.43	फरवरी 2010	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
45.	रायगंज-जलकोला	34	103	0	बी.ओ.टी.	1078.84	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
46.	बरहमपुर-फरक्का	34	103	0	बी.ओ.टी.	998.79	फरवरी-2010	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
2010-11									
47.	नैल्लूर-चिल्कालूरिपेट	5	183.52	0	बी.ओ.टी.	1535	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	आन्ध्र प्रदेश
48.	पटना-बख्तियारपुर	30	50.6	0	बी.ओ.टी.	574	दिसं.-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
49.	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	77	86	2.5	वार्षिकी	511.54	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
50.	खगड़िया-पूर्णिया	31	140	0	वार्षिकी	664	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
51.	मोतिहारी-रक्सौल	28ए	68.79	0	बी.ओ.टी.	375.09	जनवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
52.	फोरबिसगंज-जोगवानी	57ए	9.258	0	वार्षिकी	73.55	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
53.	छपरा-हाजीपुर	19	65	0	वार्षिकी	575	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
54.	मोकामा-मुंगेर	80	69.27	9	वार्षिकी	351.54	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
55.	गोपालगंज-छपरा	85	92	0	वार्षिकी	325	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
56.	वाराणसी-औरंगाबाद	2	192.4	0	बी.ओ.टी.	2848	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार (135)/उत्तर प्रदेश (57.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा	17	139	0	बी.ओ.टी.	1872	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गोवा
58.	रारा-8डी का जैतपुर-सोमनाथ खंड	8डी	123.45	0	बी.ओ.टी.	828	सितम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
59.	दिल्ली-आगरा	2	179.5	0	बी.ओ.टी.	1928.22	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा (74)/उत्तर प्रदेश (105.5)
60.	श्रीनगर से बनिहाल	1ए	67.76	0	वार्षिकी	1100.7	सितम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	जम्मू कश्मीर
61.	जम्मू-उधमपुर	1ए	65	0	वार्षिकी	1813.76	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	जम्मू कश्मीर
62.	काजीगुंड-बनिहाल	1ए	15.25	0	वार्षिकी	1987	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	जम्मू कश्मीर
63.	चेनाली-नसरी	1ए	12	0	वार्षिकी	2159	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	जम्मू कश्मीर
64.	बरही-हजारीबाग	33	41.314	0	बी.ओ.टी.	398	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड
65.	रांची-रारगांव-जमशेदपुर	33	163.5	0	वार्षिकी	1479	मार्च-2011	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड
66.	देवीहल्ली-हासन	48	77.23	0	बी.ओ.टी.	453	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
67.	चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास	4	114	0	बी.ओ.टी.	839	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
68.	बेलगाम-धारवाड़	4	80	5.96	बी.ओ.टी.	480	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
69.	बेलगाम-खानपुर खंड (कि.मी. 0.00 से कि.मी. 30.00) को 4 लेन	4ए	81.89	0	बी.ओ.टी.	359	जुलाई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	का बनाया जाना और खानपुर-कर्नाटक/गोवा सीमा (कि.मी. 30.00 से 84.120)								
70.	कर्नाटक/केरल सीमा-कुन्नूर खंड	17	126.6	0	बी.ओ.टी.	1157.16	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	केरल
71.	भोपाल-सांची	86 विस्तार	53.78	0	वार्षिकी	209	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
72.	नागपुर बेतुल	69	176.3	0	वार्षिकी	2498.76	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश (120/ महाराष्ट्र (56.3)
73.	पनवेल-इंदापुर	17	84	0	बी.ओ.टी.	942.69	अक्तूबर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र
74.	शिलांग बाइपास	40 और 44	50	0	वार्षिकी	226	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मेघालय
75.	जोरबाट-बारापानी	40	61.8	0	वार्षिकी	536	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	मेघालय
76.	सम्बलपुर-बारागढ़-छत्तीसगढ़/ओडिशा सीमा	6	88	0	बीओटी	909	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
77.	रिमूली-रौक्सी-राजमुंडा	215	96	0	बीओटी	586	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
78.	चंडीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर	5	67	0	बीओटी	1047	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
79.	भुवनेश्वर-पुरी	203	67	0	बीओटी	500.29	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
80.	लुधियाना-तलवंडी खंड	95	78	0	बीओटी	479	दिसम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	पंजाब
81.	रींगस-सीकर	11	43.887	0	वार्षिकी	333.51	मार्च-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	देवली-कोटा	12	83	0	बीओटी	593	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
83.	डिंडीगुल-पेरिगुलम-थेनी-कुमली	220	134	0	वार्षिकी	485	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
84.	होसूर-कृष्णागिरि	7	59.87	0	बीओटी	535	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
85.	त्रिची-करईकुडी और त्रिची बाइपास	210 और 67	110.372	0	वार्षिकी	374	मई-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
86.	तिरूपति-तिरूथानी-चेन्नै	205	124.7	0	बीओटी	571	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु (61.47)/ आन्ध्र प्रदेश (63.23)
87.	आगरा-अलीगढ़	93	79	0	बीओटी	250.5	नवम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
88.	कानपुर-कबरई	86	123	0	बीओटी	373.47	नवम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
89.	रायबरेली से इलाहाबाद	24बी	119	0	बीओटी	291.36	दिसम्बर-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
90.	अलीगढ़-कानपुर	91	268	0	बी.ओ.टी.	723.68	दिसम्बर 2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
91.	बरेली-सीतापुर	24	151.2	0	बी.ओ.टी.	1046	अप्रैल-2010	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
92.	बारासात-कृष्णानगर	34	84	0	वार्षिकी	867	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
93.	कृष्णानगर-बरहमपुर	34	78	0	वार्षिकी	702.16	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
94.	दनकुनी-खड़गपुर खंड	6	111.4	0	बी.ओ.टी.	1396.18	फरवरी-2011	कार्यान्वयन के अधीन	पश्चिम बंगाल
2011-12									
95.	पटना-बक्सर	30 और 84	124.85	0	बी.ओ.टी.	1129.11	नवम्बर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.	मुजफ्फरपुर-बरौनी	28	107.56	0	बी.ओ.टी.	356.4	अक्तूबर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	बिहार
97.	ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा-ओरंग खंड	6	150.4	0	बी.ओ.टी.	1232	अगस्त-2011	कार्यान्वयन के अधीन	छत्तीसगढ़
98.	रायपुर-बिलासपुर	200	126.53	0	बी.ओ.टी.	1216.03	नवम्बर-2011	कार्यान्वयन के अधीन	छत्तीसगढ़
99.	अहमदाबाद से वदोदरा खंड	8	102.3	0	बी.ओ.टी.	2125.24	अप्रैल-2011	कार्यान्वयन के अधीन	गुजरात
100.	रोहतक जींद	71	48.6	0	बी.ओ.टी.	283.25	अक्तू.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	हरियाणा
101.	बरवा अड्डा-पानागढ़	2	122.88	0	बी.ओ.टी.	1665	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	झारखंड[43]/ पश्चिम बंगाल [79.88]
102.	होस्पेट-बेल्लारी-कर्नाटक/ आन्ध्र प्रदेश सीमा	63	95.44	0	बी.ओ.टी.	910.08	अक्तू.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
103.	होस्पेट-चित्रदुर्ग	13	120.03	0	बी.ओ.टी.	1033.66	नवं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
104.	महा./कर्नाटक सीमा से संगारेड्डी	9	145	0	बी.ओ.टी.	1266.6	नवं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	कर्नाटक
105.	जबलपुर से लखनादोन	7	80.82	0	बी.ओ.टी.	776.76	जुलाई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
106.	शिवपुरी-देवास	3	330.21	0	बी.ओ.टी.	2815	सितं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
107.	ग्वालियर-शिवपुरी	3	125.03	0	बी.ओ.टी.	1055	सितं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
108.	जबलपुर-कटनी-रीवा खंड	7	225.686	0	बी.ओ.टी.	1895.45	अगस्त-2011	कार्यान्वयन के अधीन	मध्य प्रदेश
109.	नागपुर-वैनगंगा पुल	6	45.43	0	बी.ओ.टी.	484.19	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	पानीखोली-रिमोली	215	163	0	बी.ओ.टी.	1410	अगस्त-2011	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
111.	कटक-अंगुल	42	112	0	बी.ओ.टी.	1123.69	नव.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
112.	अंगुल-संबलपुर	42	153	0	बी.ओ.टी.	1220.32	नव.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	ओडिशा
113.	कोटा-झालावाड़	12	88.09	0	बी.ओ.टी.	530.01	अप्रैल-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
114.	ब्यावर-पाली-पिंडवाड़ा	14	244.12	0	बी.ओ.टी.	2388	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान
115.	किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद	79ए, 79, 76 और 8	555.5	0	बी.ओ.टी.	5387.3	सितं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	राजस्थान [434.5]/ गुजरात [121]
116.	कृष्णागिरि-टिंडीवनम	66	176.51	0	वार्षिकी	624	मई-2011	कार्यान्वयन के अधीन	तमिलनाडु
117.	लखनऊ-सुलतानपुर	56	125.9	0	बी.ओ.टी.	1043.51	अक्तू.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
118.	मेरठ-बुलंदशहर	235	66.482	0	बी.ओ.टी.	508.57	सितं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
119.	लखनऊ-रायबरेली	24बी	70	0	वार्षिकी	635.9	नवं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
120.	इटावा-चकेरी	2	160.2	0	बी.ओ.टी.	1573	नवं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
121.	आगरा-इटावा बाइपास	2	124.52	0	बी.ओ.टी.	1207	नवं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तर प्रदेश
122.	रामपुर-काठगोदाम	87	93.23	0	बी.ओ.टी.	754	नवं.-2011	कार्यान्वयन के अधीन	उत्तराखंड

विवरण-V

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए देश में विलंब से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य	विलंब से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	19
3.	बिहार	20
4.	छत्तीसगढ़	15
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	3
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू और कश्मीर	5
9.	झारखंड	16
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	13
13.	महाराष्ट्र	12
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	नागालैंड	1
17.	ओडिशा	11
18.	पंजाब	4
19.	राजस्थान	4
20.	तमिलनाडु	7
21.	उत्तर प्रदेश	20
22.	उत्तराखंड	4
23.	पश्चिम बंगाल	7

[अनुवाद]

कोयले के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस

794. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड में कोयले के निष्कर्षण के लिए कई कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कंपनियां सहमति ज्ञापन की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) कोयला मंत्रालय ने झारखंड राज्य में विभिन्न सरकारी/निजी क्षेत्र की कम्पनियों को 41 कोयला ब्लॉक आबंटित किये हैं।

(ग) कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय और आबंटी कम्पनियों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना

795. डॉ. रतन सिंह अजनाला:

श्री भूपेन्द्र सिंह:

श्री हरिन पाठक:

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

डॉ. एम. तम्बिदुरई:

श्री सज्जन वर्मा:

श्री विश्व मोहन कुमार:

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

डॉ. कृपारानी किल्ली:

श्रीमती श्रुति चौधरी:

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:

कुमारी सरोज पाण्डेय:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

श्री मकनसिंह सोलंकी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में, जहां उद्योगों की कमी है तथा लोगों का प्रव्रजन महानगरों की ओर हो रहा है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नव सृजित राज्यों/पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज सहित स्थापित उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में तथा विशेष रूप से ऐसे राज्यों में, जहां अधिकांशत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीब बेरोजगार लोग रहते हैं, औद्योगिक विकास के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलनों का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों/जिलों के व्यापक विकास के लिए उनकी पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) देश में विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नयी उदारीकरण/औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों (आई.ई.एम.), आशय-पत्रों (एल.ओ.आई.)/जारी किए गए प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों (डी.आई.एल.) की दृष्टि से निवेश के आशयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय ने औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए 123 जिलों को पहले ही चिन्हित किया था। इन जिलों को कर छूट प्रदान करने वाली योजना 1994 से प्रभावी हुई तथा 2004 तक चलती रही। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए योजना आयोग ने अगस्त, 2006 में एक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का गठन किया जिसके अंतर्गत पिछड़े जिलों के रूप में चिन्हित 250 जिले आते हैं।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए, जिनमें से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित हैं, केन्द्र सरकार इस प्रयास की पूर्ति करती है।

उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का, जिनमें से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रित हैं, कार्यान्वयन किया जाता है:-

- विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए) के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों के लिए) के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एन.ई.आई.आई.पी.पी.), 2007;
- परिवहन राजसहायता योजना (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए);

- औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई. यू.एस.);
- एकीकृत चमड़ा विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.)।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/ विभाग औद्योगिक विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

- निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलापों (ए.एस. आई.डी.ई.) को विकसित करने के लिए राज्यों की सहायता हेतु स्कीम
- सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.)
- एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एस.आई.टी.पी.)
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)

इसके अलावा, 1483 कि.मी. लंबे वेस्टर्न डेडीकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ दोनों तरफ दादरी (उत्तर प्रदेश) और जे.एन.पी.टी. (नवी मुंबई) के बीच दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.) विकसित किया जाना प्रस्तावित है जो औद्योगिक वृद्धि को तेज करने तथा निवेश के अवसरों में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख पहल है।

विवरण

दायर औद्योगिक उद्यम ज्ञापन तथा जारी लाइसेंसों के संबंध में राज्यवार निवेश आशय

जनवरी 2008 से जनवरी 2012 तक

राज्य का नाम	2008				2009				2010			
	सं.	%	प्र. निवेश	%	सं.	%	प्र. निवेश	%	सं.	%	प्र. निवेश	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.02	123	0.01	1	0.03	13	0.00	0	0.00	0	0.00
आन्ध्र प्रदेश	405	9.91	132289	8.68	319	9.18	104998	10.09	519	11.97	176245	10.15
अरुणाचल प्रदेश	7	0.17	147	0.01	4	0.12	1303	0.13	5	0.12	848	0.05
असम	32	0.78	7426	0.49	45	1.29	2860	0.27	37	0.85	8423	0.49
बिहार	29	0.71	13577	0.89	32	0.92	13710	1.32	46	1.06	65190	3.75
चंडीगढ़	1	0.02	9	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	24	0.00
छत्तीसगढ़	285	6.98	221863	14.56	293	8.43	130630	12.56	256	5.90	285583	16.45
दादरा और नगर हवेली	40	0.98	1791	0.12	50	1.44	1709	0.16	63	1.45	11148	0.64
दमन और दीव	45	1.10	967	0.06	39	1.12	858	0.08	35	0.81	598	0.03
दिल्ली	12	0.29	59	0.00	21	0.60	289	0.03	19	0.44	130	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गोवा	37	0.91	1000	0.07	46	1.32	1382	0.13	39	0.90	2441	0.14
गुजरात	363	8.89	125376	8.23	376	10.82	142239	13.67	497	11.46	149718	8.62
हरियाणा	123	3.01	6432	0.42	85	2.45	2423	0.23	141	3.25	10436	0.60
हिमाचल प्रदेश	39	0.95	3972	0.26	41	1.18	6065	0.58	54	1.25	3580	0.21
जम्मू और कश्मीर	29	0.71	1115	0.07	23	0.66	1223	0.12	23	0.53	1234	0.07
झारखंड	74	181	142702	9.36	65	1.87	79502	7.64	53	1.22	41549	2.39
कर्नाटक	210	5.14	142284	9.34	179	5.15	92054	8.85	269	6.20	140289	8.08
केरल	16	0.39	269	0.02	8	0.23	171	0.02	8	018	99	0.01
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मध्य प्रदेश	306	7.49	199159	13.07	182	5.24	66669	6.41	226	5.21	204286	11.77
महाराष्ट्र	717	17.55	92287	6.06	594	17.09	68073	6.54	759	17.50	176259	10.15
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
मेघालय	18	0.44	2587	0.17	10	0.29	970	0.09	14	0.32	1733	0.10
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ओडिशा	160	3.92	253201	16.62	99	2.85	167932	16.14	179	4.13	315772	18.19
पुडुचेरी	24	0.59	1020	0.07	14	0.40	712	0.07	14	0.32	282	0.02
पंजाब	102	2.50	9482	0.62	68	1.96	9731	0.94	103	2.38	6779	0.39
राजस्थान	103	2.52	21899	1.44	88	2.53	13461	1.29	125	2.88	29700	1.71
सिक्किम	13	0.32	575	0.04	8	0.23	150	0.01	13	0.30	795	0.05
तमिलनाडु	310	7.59	24506	1.61	236	6.79	67224	6.48	237	5.47	38595	2.22
त्रिपुरा	3	0.07	68	0.00	2	0.06	83	0.01	1	0.02	18	0.00
उत्तर प्रदेश	207	5.07	16550	1.09	176	5.06	10142	0.97	172	3.97	13793	0.79
उत्तरांचल	150	3.67	6115	0.40	165	4.75	9293	0.89	217	5.00	7997	0.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पश्चिम बंगाल	223	5.46	95000	6.23	206	5.93	44390	4.27	209	4.82	42765	2.46
एक राज्य से अधिक में स्थान स्थिति	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	13	0.00
कुल	4085	100.00	1523852	100.00	3475	100.00	1040259	100.00	4336	100.00	1736322	100.00

राज्य का नाम	2011				2012 (जून)				कुल	
	सं.	%	प्र. निवेश	%	सं.	%	प्र. निवेश	%	%	प्र. निवेश
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	000	2	136
आन्ध्र प्रदेश	392	10.05	103966	6.75	23	958	14233	23.95	1658	531731
अरुणाचल प्रदेश	7	0.18	1027	0.07	3	125	41	0.07	26	3368
असम	32	0.82	1231	0.08	0	0.00	0	0.00	146	19942
बिहार	31	0.79	44026	2.86	1	0.42	329	055	139	136832
चंडीगढ़	1	0.03	10	0.00	0	0.00	0	0.00	3	43
छत्तीसगढ़	114	2.92	102266	6.64	10	4.17	9088	15.29	958	749430
दादरा और नगर हवेली	55	1.41	3885	0.25	2	0.83	52	0.09	210	18585
दमन और दीव	29	0.54	665	0.04	1	0.42	0	0.00	141	3088
दिल्ली	12	0.31	68	0.00	0	0.00	0	0.00	64	546
गोवा	23	0.59	563	0.04	0	0.00	0	0.00	145	5386
गुजरात	544	13.95	142680	9.27	37	15.42	8539	14.37	1817	568552
हरियाणा	118	3.03	8700	0.57	3	1.25	890	1.50	470	28881
हिमाचल प्रदेश	36	0.92	1533	0.10	8	3.33	2865	4.82	178	18015

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
जम्मू और कश्मीर	21	0.54	1523	0.10	3	1.25	69	0.12	99	5164
झारखंड	25	0.64	3198	0.21	2	0.83	143	0.24	219	267094
कर्नाटक	217	5.56	94147	6.11	18	7.50	7852	13.21	893	476626
केरल	12	0.31	3984	0.26	1	0.42	0	0.00	45	4523
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
मध्य प्रदेश	191	4.90	104527	6.79	8	3.33	154	0.26	913	574795
महाराष्ट्र	975	25.00	133730	8.69	39	16.25	4051	6.82	3084	474400
मणिपुर	1	0.03	13	0.00	0	0.00	0	0.00	2	13
मेघालय	6	0.15	2574	0.17	0	0.00	0	0.00	48	7864
मिजोरम	1	0.03	27	0.00	0	0.00	0	0.00	1	27
नागालैंड	1	0.03	38	0.00	0	0.00	0	0.00	1	38
ओडिशा	119	3.05	321032	20.85	7	2.92	1327	2.23	564	1059264
पुडुचेरी	8	0.21	44	0.00	0	0.00	0	0.00	60	2058
पंजाब	113	2.90	13571	0.88	7	2.92	387	0.65	393	39950
राजस्थान	166	4.26	23488	1.53	23	9.58	2809	4.73	505	91357
सिक्किम	15	0.38	727	0.05	1	0.42	14	0.02	50	2261
तमिलनाडु	258	6.62	73348	4.76	13	5.42	5632	9.48	1054	209305
त्रिपुरा	3	0.08	71	0.00	1	0.42	5	0.01	10	245
उत्तर प्रदेश	165	423	43674	2.84	13	5.42	535	0.90	733	84694
उत्तरांचल	80	2.05	6877	045	4	1.67	65	0.11	616	30347
पश्चिम बंगाल	136	3.49	302515	19.65	12	5.00	353	0.59	786	485023
एक राज्य से अधिक में स्थान स्थिति	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13
कुल	3900	100.00	1539728	100.00	240	100.00	59433	100.00	16036	5899594

निवेश करोड़ रुपए में है।

आई.ई.एम.: लाईसेंस मुक्त किए गए क्षेत्र के लिए दर्ज औद्योगिक उद्यम ज्ञापन;

एल.ओ.आई.: जारी किए गए आशय पत्र;

डी.आई.एल.: प्रदान किए गए प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस

[अनुवाद]

बेरोजगारी

796. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

श्री प्रबोध पांडा:

प्रो. राम शंकर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है:

(ख) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनुसूचित जनजाति वर्ग सहित बेरोजगार युवाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का है;

(ग) क्या देश में बेरोजगारी कम करने के लिए कारखानों में शिफ्ट की संख्या बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ङ) क्या कई रिक्त पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो देश में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न योजनाओं या रोजगार नीति का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) 31-12-2009 को देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित एवं अशिक्षित रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उद्योग एवं अन्य संघों के साथ बातचीत आरंभ करने तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे की जांच करने के लिए सितम्बर, 2004 में एक मंत्री समूह का गठन किया गया। इस समूह ने पांच बार बैठक की तथा शीर्ष उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श भी किया। अक्तूबर, 2006 में, निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई पर उद्योग के साथ विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया। समिति ने शीर्ष उद्योग मंडलों/संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। 11-07-2008 को हुई समन्वय समिति की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सितम्बर, 2008 में अधिकारियों के एक समूह का गठन किया गया है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने हेतु उद्योगों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के मुद्दे का अध्ययन करेगा। अधिकारियों के इस समूह तथा शीर्ष उद्योग संघों की बैठकें सितम्बर, 2008 एवं फरवरी, 2009 में आयोजित की गई थीं। यह निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बड़ी जनसंख्या वाले पिछड़े जिलों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त आर्थिक प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहनों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों के रोजगार में बढ़ोत्तरी करने एवं औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में राज्यों के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा। कारखाना अधिनियम, 1948 के परिप्रेक्ष्य में कारखानों में पालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई का कोई विशिष्ट मामला श्रम और रोजगार मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया है।

(ङ) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 मार्च, 2010 को केन्द्र सरकार के नियमित सिविलियन कर्मचारियों के रिक्त पदों की अनुमानित संख्या 5,33,936 है।

(च) भारत सरकार अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमी विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार (एस.जे.एस.आर.वाई.); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम.जी.एन.-आर.ई.जी.ए.) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है।

विवरण

31-12-2009 को शिक्षित और अशिक्षित रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षित	अशिक्षित
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1450.3	551.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.5	18.5
3.	असम	1493.5	222.9
4.	बिहार	694.1	129.2
5.	छत्तीसगढ़	1143.5	215.7
6.	दिल्ली	449.4	11.4
7.	गोवा	101.7	1.1
8.	गुजरात	832.7	72.8
9.	हरियाणा	772.9	186.0
10.	हिमाचल प्रदेश	708.7	93.4
11.	जम्मू और कश्मीर	77.0	244.6
12.	झारखंड	461.9	162.9
13.	कर्नाटक	381.5	201.7
14.	केरल	3740.6	616.3
15.	मध्य प्रदेश	1555.8	380.5
16.	महाराष्ट्र	2230.0	778.3
17.	मणिपुर	423.8	244.7
18.	मेघालय	23.3	11.3
19.	मिजोरम	31.9	20.2
20.	नागालैंड	31.4	22.3

1	2	3	4
21.	ओडिशा	749.3	99.3
22.	पंजाब	242.2	146.6
23.	राजस्थान	691.5	125.9
24.	सिक्किम*	0.0	0.0
25.	तमिलनाडु	3453.3	2116.8
26.	त्रिपुरा	202.4	281.6
27.	उत्तराखंड	429.8	57.6
28.	उत्तर प्रदेश	1858.1	277.6
29.	पश्चिम बंगाल	4649.0	1639.9
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.3	17.0
31.	चंडीगढ़	23.6	16.5
32.	दादरा और नगर हवेली	6.1	2.1
33.	दमन और दीव	5.2	7.9
34.	लक्षद्वीप	11.9	2.7
35.	पुदुचेरी	207.9	0.2
	योग	29174.8	8977.4

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति

797. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**

श्री वरुण गांधी:

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार एवं मूल्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा पिछले वर्ष के दौरान निर्यातित चाय की गुणवत्ता क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष तथा अगले दो वर्षों के दौरान दार्जिलिंग चाय सहित चाय के निर्यात की गुणवत्ता एवं मूल्य के अनुसार यदि कोई हो तो, निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) क्या कम ज्ञात कंपनियों द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के क्रम में जानी-मानी कंपनियों के ट्रेडमार्क के दुरुपयोग के संबंध में सरकार को कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं तथा चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में भारत से चाय का निर्यात लगभग 200 मिलियन कि.ग्रा. पर स्थिर रहा है। तथापि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 2011 की अवधि के लिए अनुमानित निर्यातों में पिछले वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित होती है। पिछले तीन वर्षों के लिए और अप्रैल से दिसम्बर, 2011 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान चाय के निर्यात का ब्यौरा निम्नुसार है:-

वर्ष	कुल निर्यात		
	मात्रा मि. कि.ग्रा.	मूल्य करोड़ रुपए में	इकाई कीमत रु./कि.ग्रा.
2008-09	190.64	2381.79	124.94
2009-10	213.43	3038.69	142.37
2010-11	213.79	2995.79	140.13
2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर) (अ)	147.11	2167.76	147.36
2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर)	168.03	2321.48	138.16

(अ) अनुमानित और संशोधन के अध्यधीन

निर्यातों में यह गिरावट अफगानिस्तान, मिस्र और कुछ अन्य मध्यपूर्वी देशों में राजनीतिक हलचल, ईरान को हुए निर्यातों से संबंधित भुगतान की समस्याओं, इराक को निर्यात से संबंधित गैर-टैरिफ बाधाओं, रूस जैसे बड़े आयातक देशों से निम्नतर मांग आदि के कारण आई है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए दार्जिलिंग चाय सहित चाय का निर्यात लक्ष्य 220 मि.किग्रा. है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य क्रमशः 196 मि.किग्रा. और 199 मि.किग्रा. हैं और ये उत्पादन, आयात, निर्यात और घरेलू खपत हेतु मांग जैसे कारकों पर आधारित हैं।

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि चाय बोर्ड ने निर्यात हेतु दार्जिलिंग चाय की परिशुद्धता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दार्जिलिंग नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए दार्जिलिंग चाय व्यापार श्रृंखला एकीकरण प्रणाली की संस्थापना की है।

चावल का निर्यात

798. श्री हर्ष वर्धन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इराक को बासमती चावल के निर्यात में भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका भारत के बजाय स्वयं से चावल खरीदने का दबाव इराक पर बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) ब्यूरो ऑफ

सेंसस के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) इराक को बासमती चावल का निर्यात नहीं करता है। बासमती चावल का उत्पादन हिमालय के निचले भागों में एक विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है जिसमें पंजाब (भारत-पाक सीमा के दोनों ओर के क्षेत्र), हरियाणा, उत्तराखण्ड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (26 जिले) तथा जम्मू एवं कश्मीर के दो जिले अर्थात जम्मू एवं कठुआ शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार, अमरीका द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी प्रयास से अवगत नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काली मिर्च का निर्यात

799. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काली मिर्च के औसत मूल्य का वर्ष-वार तथा देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान काली मिर्च का कुल निर्यात एवं आयात देश-वार कितना रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में काली मिर्च के उत्पादन का वर्ष-वार एवं मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के उत्पादन में कमी आयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मिर्च के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के लिए कोच्ची, जो एक प्रमुख बाजार केन्द्र है, में काली मिर्च की औसत घरेलू कीमत और न्यूयार्क बाजार में अंतर्राष्ट्रीय कीमत निम्नानुसार है:-

वर्ष	कोच्ची में घरेलू कीमत (रु./कि.ग्रा.)	न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कीमत (अम.डॉ./कि.ग्रा.)
2008-09	129.30	3.48
2009-10	136.42	3.13
2010-11	197.05	4.76

(ख) भारत से काली मिर्च के प्रमुख देश-वार निर्यात और आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के लिए देश में काली मिर्च का वर्ष-वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है।

वर्ष	उत्पादन (टन)
2008-09	50000
2009-10	50000
2010-11	48000

(घ) पिछले कुछ वर्षों से देश में काली मिर्च का उत्पादन स्थिर बना हुआ है और 50,000 टन प्रति वर्ष की रेंज में है 1 वर्ष 2010-11 में काली मिर्च का उत्पादन पिछले वर्षों में हुए 50,000 टन की तुलना में औसत घटकर 48,000 टन रहा है।

(ङ) पुराने तथा अलाभकर बागानों का आधिक्य, काली मिर्च की कम उपज देने वाली बेलें परिवर्तित जलवायु दशाएं बेलों के जल्दी सूखने की घटना, मीली बग्स, विषाणुओं का प्रकोप आदि पिछले वर्ष में काली मिर्च के उत्पादन में आई गिरावट का कारण है।

(घ) काली मिर्च के पुनर्रोपण और पुनरूज्जीवन के माध्यम से देश में काली मिर्च की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हेतु इडुक्की के लिए 120 करोड़ रुपये और वायनाड तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 53.28 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता से दो स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। देश से काली मिर्च सहित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए XI योजना अवधि के दौरान मसाला बोर्ड द्वारा निर्यात विकास/संवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2010-11 के दौरान भारत से काली मिर्च का प्रमुख देश-वार निर्यात

देश	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
1	2	3
अमरीका	6921	13883.41
यू.के.	1477	3273.56
कनाडा	1066	2111.25
इटली	900	1807.05
आस्ट्रेलिया	592	1369.12
वियतनाम	780	1354.21
जर्मनी	715	1333.37
जापान	593	1318.51
स्वीडन	556	1173.20
बेल्जियम	379	833.71
नीदरलैंड	403	804.15
दक्षिण अफ्रीका	383	734.45
पॉलैंड	315	666.71
यू.ए.ई.	328	650.52
स्पेन	394	649.46
फ्रांस	370	596.87
सऊदी अरब	177	385.22
सिंगापुर	204	379.81
फिलिपींस	114	297.71
इरान	126	288.16
रूस	142	281.21
नार्वे	103	275.43
डेनमार्क	168	268.67
मलेशिया	132	265.82
इस्टॉनिया	118	244.11
अन्य	1396	3073.00
मद कुल	18850	38318.50

वर्ष 2010-11 के दौरान भारत में काली मिर्च का देश-वार आयात

देश	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए में)
श्रीलंका	7296	12859.70
वियतनाम	5643	9098.60
इंडोनेशिया	2970	4683.60
चीन	103	275.60
अन्य	88	93.10
मद कुल	16100	27010.60

[हिन्दी]

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950

800. **श्री भीष्म शंकर *उर्फ* कुशल तिवारी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अधिकांश सड़क परिवहन निगम भारी घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राज्य सड़क परिवहन निगमों को (i) भूसंपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से निगमों को सहायक निगम सृजित करने से रोककर, (ii) राज्यों की ओर से निगम द्वारा की जाने वाली अनिवार्य सामाजिक सेवाओं के लिए निगम को प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्यों के लिए अनिवार्य बनाकर तथा उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए भाड़ा निर्धारित करने के लिए निगमों को शक्ति प्रदान करके, और (iii) संसाधन जुटाने के लिए निगमों को उचित स्वायत्ता देकर, यथोचित स्वतंत्रता के साथ सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की कतिपय धाराओं में संशोधन लाने का प्रस्ताव करता है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल पांच राज्य सड़क परिवहन निगम नामतः बंगलौर महानगरीय परिवहन निगम, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम और पंजाब बस स्टैंड प्रबंधन कंपनी, ही लाभ में हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सड़क परिवहन निगमों की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले कुछ कारणों में शामिल हैं - अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा के कारण अधिभोग अनुपात में गिरावट, भाड़ा संशोधन तंत्र का अभाव, बस-स्टाफ़ अनुपात में गिरावट, सार्वभौमिक सेवा अनुग्रह के रूप में विभिन्न रियायती किरायों/छूटों का बोझ आदि।

(ङ) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में प्रस्तावित संशोधनों से देश में राज्य सड़क परिवहन निगमों/उपक्रमों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

विवरण

मार्च 2010 और मार्च 2011 को समाप्त वर्षों के लिए एस.आर.टी.यू. का वित्तीय निष्पादन

क्र. सं.	राज्य सड़क परिवहन उपक्रम का नाम	कुल राजस्व (लाख रुपए)		कुल लागत (लाख रुपए)		शुद्ध लाभ/हानि (लाख रुपए)	
		मार्च, 11	मार्च, 10	मार्च, 11	मार्च, 10	मार्च, 11	मार्च, 10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद एम.टी.एस.	10,890.58	11,770.33	24,809.47	23,685.32	-13,918.89	-11,914.99
2.	आन्ध्र प्रदेश एस.आर.टी.एस.	5,21,485.87	4,39,003.45	5,48,366.97	4,81,461.70	-26,881.10	-42,458.25
3.	बी.ई.एस.टी. उपक्रम	1,11,278.17	91,927.94	1,49,416.42	1,43,163.06	-38,138.25	-51,235.12
4.	बंगलौर मेट्रोपोलिटन टी.सी.	1,32,934.51	1,13,171.14	1,27,899.53	1,06,658.52	5,034.98	6,512.62
5.	बिहार एस.आर.टी.सी.	2,140.56	2,147.07	3,865.15	5,056.21	-1,724.59	-2,909.14
6.	कलकत्ता एस.आर.टी.सी.	6,541.41	7,532.96	25,142.74	22,459.67	-18,601.33	-14,926.71

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	चंडीगढ़ टी.यू.	11,148.40	9,826.12	14,905.84	13,737.75	-3,757.44	-3,911.63
8.	दिल्ली टी.सी.	96,454.13	56,575.58	3,25,108.12	2,67,598.62	-2,28,653.99	-2,11,023.04
9.	गुजरात एस.आर.टी.सी.	1,96,804.31	1,75,223.44	2,12,854.15	1,99,617.86	-16,049.84	-24,394.42
10.	हरियाणा एस.टी.	85,971.00	78,622.00	1,13,704.00	1,02,637.00	-27,733.00	-24,015.00
11.	कर्नाटक एस.आर.टी.सी.	2,07,868.28	1,74,636.03	2,01,663.03	1,69,751.34	6,205.25	4,884.69
12.	कोल्हापुर एम.टी.यू.	3,188.43	3,039.90	3,423.30	3,362.16	-234.87	-322.26
13.	महाराष्ट्र एस.आर.टी.सी.	4,93,901.00	4,34,164.00	4,88,878.00	4,20,642.00	5,023.00	13.522.00
14.	मेघालय एस.टी.सी.	822.04	789.86	1,162.48	970.01	-340.44	-180.15
15.	मेट्रो टी.सी. (चेन्नई) लि.	91,324.51	80,926.36	1,14,308.52	91,489.20	-22.984.01	-10,562.84
16.	मिजोरम एस.टी.	231.12	197.13	1,502.07	1,424.52	-1,270.95	1,227.39
17.	नागालैंड एस.टी.	1,149.53	1,065.82	3,001.00	2,680.00	-1,851.47	-1,614.18
18.	नवी मुंबई एम.टी.	7,377.33	6,275.95	8,149.14	7,036.26	-771.81	-760.31
19.	नॉर्थ बंगाल एस.टी.सी.	6,524.70	6,832.14	20,429,72	17,033.77	-13,905.02	-10,201.63
20.	नार्थ ईस्टर्न कर्नाटक आर.टी.सी.	86,420.16	74,477.75	87,119.05	79,336.68	-698.89	-4,858.93
21.	नार्थ वेस्ट्रन कर्नाटक आर.टी.सी.	1,03,024.30	96,146.57	1,05,839.11	1,01,927.87	-2,814.81	-5,781.30
22.	ओडिशा एस.आर.टी.सी.	6,554.27	6,053.42	5,836.91	5,176.76	717.36	876.64
23.	पनबस, चंडीगढ़	33,699.58	27,284.22	31,816.86	27,495.25	1,882.72	-211.03
24.	पुणे महामंडल	-	-	-	-	-	-
25.	पंजाब रोडवेज	8,238.88	5,785.65	15,649.82	13,048.46	-7,410.94	-7,262.81
26.	राजस्थान एस.आर.टी.सी.	1,23,583.76	1,15,306.03	1,42,841.49	1,23,307.97	-19,257.73	-8,001.94
27.	साउथ बंगाल एस.टी.सी.	13,453.01	11,813.21	14,377.49	13,575.10	-924.48	-1,761.89
28.	स्टेट एक्स.टी.सी.टी.एन. लि.	34,413.87	34,317.06	47,788.00	42,199.80	-13,374.13	-7,882.74
29.	थाणे एम.टी.यू.	1,598.19	1,213.15	1,815.84	1,389.42	-217.65	-176.27

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	टी.एन.एफ.टी.सी. (कोयंबटूर) लि.	78,751.86	72,276.05	1,05,117.96	86,741.34	-26,366.10	-14,465.29
31.	टी.एन.एस.टी.सी. (कुंबाकोन्नम) लि.	97,530.55	92,913.23	1,19,678.88	1,01,156.29	-22,148.33	-8,243.06
32.	टी.एन.एस.टी.सी. (मदुरै) लि.	97,071.49	89,751.24	1,18,260.15	1,00,338.53	-21,188.66	-10,587.29
33.	टी.एन.एस.टी.सी. (सलेम) लि.	56,608.30	54,146.84	71,366.96	61,131.41	-14,758.66	-6,984.57
34.	टी.एन.एस.टी.सी. (बिल्लुपुरम) लि.	99,202.24	93,277.27	1,16,468.31	99,711.88	-17,266.07	-6,434.61
35.	उत्तर प्रदेश एस.आर.टी.सी.	2,02,800.17	1,65,702.01	2,07,647.58	1,70,899.46	-4,847.41	-5,197.45
	कुल (रिपोर्टिंग एस.आर.टी.यू.)	30,30,986.51	26,34,190.92	35,80,214.06	31,07,901.21	-5,49,227.55	-4,73,710.29

[अनुवाद]

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

801. **श्री राजेन गोहैन:**

कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रशिक्षण केन्द्रों/अकादमियों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे किसी नए प्रशिक्षण केन्द्रों/अकादमियों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) देश में 142 रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/अकादमियां हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) फिलहाल देश में किसी नए केन्द्र/अकादमी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/अकादमी

भारतीय थल सेना

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
1.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला, पुणे
2.	भारतीय सेना अकादमी, देहरादून
3.	अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई
4.	अफसर प्रशिक्षण अकादमी, गया
5.	आर्मी वार कालेज, मऊ

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
6.	इंफैंट्री स्कूल, मऊ
7.	कॉलेज आफ मेटिरियल मेनेजमेंट (सी.एम.एम.), जबलपुर
8.	ए.ई.सी. ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, पचमढ़ी
9.	मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (एम.सी.टी.ई.), मऊ
10.	राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर.आई.एम.सी.), देहरादून
11.	रिमाऊंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, हेमपुर
12.	हाई एल्टिट्यूट वारफेयर स्कूल (एच.ए.डब्ल्यू.एस.), गुलमर्ग
13.	ए.सी. सेंटर एंड स्कूल (ए.सी.सी.एस.), अहमदनगर
14.	स्कूल ऑफ आर्टिलरी, देवलाली
15.	कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (सी.एम.ई.), पुणे
16.	आर्म्ड फोर्सिस मेडिकल कॉलेज (ए.एफ.एम.सी.), पुणे
17.	मिलिट्री इंटेलीजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, पुणे
18.	आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग (ए.एस.पी.टी.), पुणे
19.	इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, पूना
20.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ, काम्पटी
21.	आर्मी स्पोर्टस इंस्टीट्यूट, पूना
22.	कम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, नासिक रोड कैम्प, नासिक
23.	हैवी ब्रिजिंग ट्रेनिंग कैम्प, मार्वे
24.	आर्मी एअर डिफेंस कॉलेज (ए.ए.डी.सी.), गोपालपुर
25.	जूनियर लीडर्स विंग इंफैंट्री स्कूल, बेलगाम
26.	आर्मी सर्विस कोर (ए.एस.सी.), बंगलौर
27.	सी.एम.पी. सेन्टर एवं स्कूल, बंगलोर
28.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेलगाम
29.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बंगलोर
30.	काउंटर इंसरजेंसी एवं जंगल वारफेयर (सी.आई.-जे.डब्ल्यू.) स्कूल, वैरेंगटे
31.	जूनियर लीडर्स एकैडमी, बरेली
32.	आर्मी मेडिकल कोर (ए.एम.सी.) सेंटर एवं स्कूल, लखनऊ
33.	आर.वी.सी. सेंटर एवं स्कूल, मेरठ कैंट
34.	आर्मी एअरबार्न ट्रेनिंग स्कूल, आगरा
35.	रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एवं डिपो, सहारनपुर
36.	इलैक्ट्रॉनिक एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग (ई.एम.ई.) स्कूल, बड़ौदा
37.	मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलैक्ट्रॉनिक एवं मेकैनिकल इंजीनियरिंग (एम.सी.ई.एम.ई.), सिकन्दराबाद
38.	सिमुलेटर डेवेलपमेंट डिवीजन, त्रिमुलधेरी, सिकन्दराबाद
39.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अजमेर
40.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, धौलपुर
41.	राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, चायल
42.	विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, नाहन
43.	मैकेनाइज्ड इंफैंट्री रेजिमेंटल सेंटर, अहमदनगर
44.	तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र, नासिक
45.	बाम्बे इंजीनियर ग्रुप एवं केन्द्र, किरकी
46.	गार्डस ट्रेनिंग सेंटर, काम्पटी
47.	सेना डाक सेवा केन्द्र, काम्पटी
48.	पंजाब रेजिमेंटल केन्द्र, रामगढ़

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
49.	सिक्ख रेजिमेंटल केन्द्र, रामगढ़
50.	मद्रास इंजीनियर ग्रुप एवं केन्द्र, बेंगलूर
51.	पैराशूट रेजिमेंटल केन्द्र, बेंगलूर
52.	मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बेलगाम
53.	सेना सेवा कोर केंद्र (दक्षिण), बेंगलूर
54.	पायनियर कोर केंद्र, बेंगलूर
55.	सेना सेवा केंद्र (उत्तर), बेंगलूर
56.	तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद
57.	सेना आयुध कोर केंद्र, सिकंदराबाद
58.	1 इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर केंद्र, सिकंदराबाद
59.	बंगाल इंजीनियर ग्रुप एवं केंद्र, रुड़की
60.	जाट रेजिमेंटल केंद्र, बरेली
61.	राजपूत रेजिमेंटल केंद्र, फतेहगढ़
62.	डोगरा रेजिमेंटल केंद्र, फैजाबाद
63.	सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल केंद्र, फतेहगढ़
64.	39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी
65.	11 गोरखा राइफल रेजिमेंटल केंद्र, वाराणसी
66.	कुमाऊं रेजिमेंटल केंद्र, रानीखेत
67.	गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल केंद्र, लैंसडाउन
68.	1 सिगनल प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुर
69.	ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल केंद्र, जबलपुर
70.	जम्मू-कश्मीर राइफल रेजिमेंटल केंद्र, जबलपुर
71.	महार रेजिमेंटल केंद्र, सागर
72.	3 इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियर केंद्र, भोपाल

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
73.	2 सिगनल प्रशिक्षण केंद्र, पणजी
74.	मद्रास रेजिमेंटल केंद्र, वेलिंगटन
75.	राजपूताना राइफल रेजिमेंटल केंद्र, दिल्ली छावनी
76.	बिहार रेजिमेंटल केंद्र, दानापुर
77.	असम रेजिमेंटल केंद्र, शिलाँग
78.	58 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, शिलाँग
79.	जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल केंद्र, श्रीनगर
80.	मुख्यालय लद्दाख स्काउट, लेह
81.	14, गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, सुबाथू
82.	रक्षा सुरक्षा कोर केंद्र, कन्नानोर
83.	वायु रक्षा तोपखाना केंद्र, गोपालपुर, ओडिशा
84.	रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डी.एस.एस.सी.), वेलिंगटन
85.	डिफेंस मेनेजमेंट कॉलेज, सिकंदराबाद

भारतीय नौसेना

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
1.	भारतीय नौसेना अकादमी, एजीमाला
2.	राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक स्कूल, गोवा
3.	आई.एन.एस. द्रोणाचार्य, कोच्चि
4.	एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल, आई.एन.एस. वेंदुरुथी, कोच्चि
5.	नेवीगेशन एवं निर्देशन स्कूल, आई.एन.एस. वेंदुरुथी, कोच्चि
6.	सिगनल स्कूल, आई.एन.एस. वेंदुरुथी, कोच्चि
7.	नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेक्नालॉजी, आई.एन.एस. वेंदुरुथी, कोच्चि

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
8.	भारतीय नेवी शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, आई.एन.एस. मांडवी, गोवा
9.	ड्राइविंग स्कूल, आई.एन.एस. वेंदुरुथी, कोच्चि
10.	स्कूल फॉर नेवल एयरमैन, कोच्चि
11.	नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नॉलॉजी, कोच्चि
12.	आई.एन.एस. सातवाहन, विशाखापत्तनम
13.	आई.एन.एस. अग्रणी, कोयम्बटूर
14.	आई.एन.एस. चिल्का, ओडिशा
15.	आई.एन.एस. शिवाजी, लोनावाला
16.	एन.बी.सी.डी. स्कूल, आई.एन.एस. शिवाजी, लोनावाला
17.	आई.एन.एस. हमला, मुम्बई
18.	नेवल वार कॉलेज, गोवा
19.	आई.एन.एस. वाल्सुरा, जामनगर
20.	शिपराइट स्कूल, विशाखपट्टनम
21.	नौसेना औषधीय संस्थान, मुंबई
22.	नौसेना पुलिस और रेगुलेटिंग स्कूल, आई.एन.एस. मंडोवी, गोवा
23.	नौसेना संगीत स्कूल, आई.एन.एस. कुंजाली, मुंबई
24.	नौसेना विशेष युद्धपद्धति प्रशिक्षण एवं रणनीति केन्द्र गोवा
25.	नेतृत्व और व्यवहारिक शिक्षा केन्द्र, कोच्चि
26.	सीमैंनशिप स्कूल, आई.एन.एस., वैदुरुती, कोच्चि
27.	पर्यवेक्षक स्कूल, कोच्चि
28.	नौसेना समुद्री विज्ञान एवं मौसम विज्ञान स्कूल, कोच्चि

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
29.	समुद्री युद्धपद्धति केन्द्र, कोच्चि
30.	उन्नत समुद्रतलीय युद्धपद्धति स्कूल, विशाखापट्टणम
31.	औषधीय सहायक स्कूल, मुंबई

भारतीय वायुसेना

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
1.	वायुसेना अकादमी, दुंदिगल, हैदराबाद
2.	मौलिक उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद
3.	विमान संचालन प्रशिक्षण स्कूल, बेगमपेट
4.	वायुसेना स्टेशन हकीमपेट
5.	हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल. हकीमपेट
6.	फिक्सड विंग उड़ान प्रशिक्षण, येलाहंका, बेंगलूरु
7.	वायुसेना स्टेशन विदार
8.	112 हेलिकॉप्टर इकाई, येलाहंका, बेंगलूरु
9.	वायुसेना तकनीकी कॉलेज जलाहल्ली, बेंगलूरु
10.	मौलिक प्रशिक्षण संस्थान (बी.टी.आई.), बेलगांव
11.	गैर-तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एन.टी.टी.आई.), बेलगांव
12.	वायुसेना शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल (ए.एफ.एस.पी.एस.), बेलगांव
13.	गरुड रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र (जी.आर.टी.सी.), चांदीनगर
14.	वायुसेना पुलिस एवं सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, (ए.एफ.पी. एंड एस.टी.आई.), चांदीनगर
15.	चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र (एम.टी.सी.), बेंगलूरु
16.	संचार प्रशिक्षण संस्थान (सी.टी.आई.), जलाहल्ली, बेंगलूरु

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों के नाम
17.	इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण संस्थान (ई.टी.आई.), जलाहल्ली, बेंगलूरु
18.	यांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान (एम.टी.आई.), तंवारम, चेन्नई
19.	विद्युत एवं उपकरण प्रशिक्षण संस्थान (ई. एंड आई.टी.आई.), जलाहल्ली, बेंगलूरु
20.	कार्यशाला प्रशिक्षण संस्थान (डब्ल्यू.टी.आई.), तंवारम, चेन्नई
21.	यांत्रिकी परिवहन प्रशिक्षण संस्थान (एम.टी.टी.आई.), आवडी, चेन्नई
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.)	
1.	प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान (आई.टी.एमं.), मसूरी
2.	उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान (डी.आई.ए.टी.), डीमड विश्वविद्यालय, पुणे
3.	सैन्य प्रशिक्षण संस्थान (एम.आई.एल.आई.टी.), पुणे
4.	रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर के अधीन डी.आर.डी.ओ. प्रशिक्षण संस्थान (डी.वी.आई.)
5.	गैस टर्बाइन अनुसंधान स्थापना (जी.टी.आर.ई.), बेंगलूरु के अधीन लक्ष्य प्रशिक्षण केन्द्र (टी.टी.सी.)

गोरखा पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधाएं

802. **श्री मानिक टैगोर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत एवं नेपाल में रह रहे नेपालवासी गोरखा (एन.डी.जी.) पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो एन.डी.जी. पेंशनभोगियों को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने नेपाल में रहने वाले नेपालवासी गोरखा (एन.डी.जी.) पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है। काठमांडू, पोखरा और धारण में स्थित 03 ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक पॉलिक्लिनिक के साथ एक चल (मोबाइल) चिकित्सालय भी जुड़ा रहेगा। ये पॉलिक्लिनिक बाह्यरोगियों का उपचार करेंगे और जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता होगी उन्हें नेपाल में पैनलीकृत अस्पतालों में भेजा जाएगा। इन अस्पतालों द्वारा नकदी लिए बिना उपचार प्रदान किया जाएगा जैसा कि भारत में किया जाता है। ई.सी.एच.एस. पॉलिक्लिनिक और मोबाइल क्लीनिकों में कार्मिक शक्ति ठेके के आधार पर लगाई जाएगी। भारत में रह रहे एन.डी.जी. भूतपूर्व सैनिकों को इस योजना का लाभ इस योजना के शुरू होने से ही मिल रहा है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों की मरम्मत और रखरखाव

803. **श्री रघुवीर सिंह मीणा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सड़कों को 4/6 लेनों में बदलते समय सड़कों के रखरखाव के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को सरकार द्वारा कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के मौजूदा उन खंडों का अनुरक्षण, जिनका 4/6 लेन में कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा ठेका/रियायत करार के अंतर्गत उनके दायित्वों के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा सड़क संपर्क की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता

और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर की जाती है। लगभग 5,193 कि.मी. कुल लंबाई की राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। तथापि, राजस्थान राज्य में लगभग 1,545 कि.मी. राज्य सड़कों को अगस्त 2011 और फरवरी 2012 के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र को गैस का आबंटन

804. श्री गजानन घ. बाबर:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री आनन्दराव अडसुल:

श्री अघलराव पाटील शिवाजी:

श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित कृतिक बल ने सावधान किया है कि इस्पात कंपनियां को गैस की आपूर्ति कम करने से आदान लागत बढ़ सकती है तथा डाउनस्ट्रीम गतिविधियां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में गैस आबंटन संबंधी निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्वोक्त समूह ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो पूर्वोक्त समूह द्वारा की गयी सिफारिशें क्या हैं तथा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं;

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) 'नई राष्ट्रीय इस्पात नीति' तैयार करने के एक भाग के रूप में इस्पात क्षेत्र हेतु कच्ची सामग्री के संबंध में गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि गैस आधारित इस्पात/स्पंज आयरन संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी करने से उन्हें महंगे आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे इन यूनिटों की वित्तीय व्यवहार्यता विपरीत प्रभावित हो सकती है और डाउनस्ट्रीम इस्पात उद्योग के निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) इस्पात मंत्रालय द्वारा विद्यमान गैस आधारित इस्पात/स्पंज आयरन संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में होने वाली कमी का मामला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है और साथ ही इस्पात मंत्रालय ने देश के समग्र आर्थिक विकास के हित में गैस आधारित इस्पात/स्पंज आयरन क्षेत्र को अपेक्षित गैस को निरंतर आपूर्ति करने के लिए उनसे कदम उठाने का अनुरोध किया है।

(ग) से (च) सरकार ने न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एन.ई.एल.पी.) के तहत गैस के कीमत निर्धारण और वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों को एन.ई.एल.पी. गैस के आवंटन पर निर्णय लेता है दिनांक 24-2-2012 की आयोजित अपनी बैठक में इस समूह ने इस्पात क्षेत्र हेतु प्राकृतिक गैस की मांग पर विचार किया गया है।

वन संरक्षण के लिए धनराशि

805. श्री हरिन पाठक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में वनों के विकास/संरक्षण के लिए अनुमोदित/जारी की गयी तथा उपयोग की गयी कुल राशि राज्य-वार कितनी है;

(ख) देश में विशेषकर गुजरात एवं महाराष्ट्र में वनरोपण गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त क्षेत्र में वन संरक्षण संबंधी उच्चतम न्यायालय के निदेशों का प्रवर्तन करने में प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए विपथन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में गुजरात एवं महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विशिष्ट-पारिस्थिकी संरक्षण योजनाएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तीन मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात देश के अवक्रमित वनों और उसके आस-पास के क्षेत्रों के पारि-पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.), वनों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम (आई.एफ.एम.एस.) तथा वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास स्कीम, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा उनकी परिधि में स्थित गांवों का पारि-विकास है, का कार्यान्वयन कर रहा है। गत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) और वर्तमान वर्ष के दौरान एन.ए.पी., आई.एफ.एम.एस. और वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास स्कीम के तहत मंजूर धनराशि और जारी की गई निधियों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II, और III में दिए गए हैं।

(ख) अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) के अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एम.एन.आर.ई.जी.एस.), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.), राष्ट्रीय बांस मिशन इत्यादि स्कीमों के तहत गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश में वनावरण बढ़ाने हेतु पौदरोपण कार्य भी किया जा रहा है।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित मामलों में भारत के माननीय उच्चतम के विविध महत्वपूर्ण निर्देशों और निर्णयों के उचित अनुपालन हेतु सामान्यतः राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को प्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी उल्लंघन के मामले में, उनके स्तर पर कानून के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश में वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास स्कीम के तहत ग्रामों का पारि-विकास शुरू किया गया है। किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत कोई भी विशिष्ट पारि-विकास सुरक्षा योजना देश में मौजूद नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 और वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण स्कीम के तहत मंजूर की गई धनराशि और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	मंजूर धनराशि				जारी की गई धनराशि			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 से 29-2-2012 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 से 29-2-2012 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.55	15.30	15.74	19.66	11.54	11.03	10.48	15.15
2.	बिहार	8.10	9.65	6.21	7.22	6.48	7.74	5.48	3.31
3.	छत्तीसगढ़	44.99	39.90	35.84	25.23	25.66	25.12	33.25	33.46
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	गुजरात	48.21	49.27	33.00	30.69	25.75	24.44	29.43	27.00
6.	हरियाणा	27.30	29.17	24.24	15.20	20.14	20.57	24.20	12.28
7.	हिमाचल प्रदेश	9.62	5.04	6.48	8.19	6.72	3.59	3.45	3.50
8.	जम्मू और कश्मीर	12.00	12.49	10.49	0.00	8.47	9.81	3.99	0.00
9.	झारखंड	35.98	28.41	19.81	0.00	26.32	21.06	8.73	0.00
10.	कर्नाटक	22.77	16.16	15.81	15.38	15.46	11.95	8.12	12.49
11.	केरल	13.94	5.94	11.28	9.45	9.45	4.02	7.54	2.04
12.	मध्य प्रदेश	32.23	33.25	40.22	33.80	22.55	22.53	30.39	20.80
13.	महाराष्ट्र	31.16	28.49	38.19	33.11	21.87	20.53	16.17	28.51
14.	ओडिशा	31.73	11.84	17.37	11.41	21.63	8.82	11.20	3.15
15.	पंजाब	5.59	4.12	0.00	2.41	3.30	3.01	0.00	0.46
16.	राजस्थान	10.30	14.60	8.40	10.29	7.32	10.67	4.94	4.39
17.	तमिलनाडु	13.34	11.04	7.21	6.15	8.86	7.98	7.21	3.08
18.	उत्तर प्रदेश	41.18	41.28	23.64	31.02	30.80	30.20	21.33	26.23
19.	उत्तराखंड	12.37	9.36	11.69	15.06	9.24	7.00	4.47	6.49
20.	पश्चिम बंगाल	11.83	4.01	4.73	6.89	9.06	3.11	4.12	6.29
	योग (अन्य राज्य)	**429.19**	**369.32**	**330.35**	**281.16**	**290.62**	**253.17**	**234.50**	**208.62**
21.	अरुणाचल प्रदेश	4.55	2.87	7.01	0.00	3.25	2.37	5.52	0.00
22.	असम	12.76	16.28	12.40	0.00	9.78	14.48	6.08	0.00
23.	मणिपुर	13.17	8.16	10.38	9.84	9.51	5.93	10.37	9.84
24.	मेघालय	6.32	3.13	9.54	9.53	4.69	2.21	8.79	4.31
25.	मिजोरम	19.32	20.00	12.23	13.36	13.61	17.27	12.21	13.36
26.	नागालैंड	7.50	11.69	10.11	8.36	6.64	10.67	10.11	8.36
27.	सिक्किम	9.83	10.71	12.53	10.02	6.63	8.86	11.99	4.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	त्रिपुरा	1.11	4.40	11.76	17.10	0.89	3.20	10.43	13.61
	योग (पूर्वोत्तर राज्य)	**74.56**	**77.24**	**85.96**	**68.21**	**55.00**	**65.00**	**75.49**	**53.73**
	कुल योग	503.75	446.56	416.31	349.37	345.62	318.17	309.99	262.35

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 और वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम के तहत मंजूर धनराशि और जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		मंजूर धनराशि	जारी की गई कुल धनराशि	मंजूर धनराशि	जारी की गई कुल धनराशि	मंजूर धनराशि	जारी की गई कुल धनराशि	मंजूर धनराशि	जारी की गई कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	449.5	270	-	-	228.23	136.94	142.67	0
2.	बिहार	186.45	93.614	182.3	117.45	197.95	118.77	868.14	82.41
3.	छत्तीसगढ़	638.66	463.695	647.43	460.07	422.70	368.33	580.39	430.41
4.	गुजरात	628.17	27.366	25	24.57	537.11	25	26.25	348.23
5.	गोवा	58.72	461.66	672.43	501.81	41.67	429.83	100.96	10.97
6.	हरियाणा	186.43	111.85		69.56	126.00	101.7	446.94	75.72
7.	हिमाचल प्रदेश	363.45	260.96	639.78	282.00	295.68	287.71	0	246.49
8.	जम्मू और कश्मीर	-	-	36.64	135.00	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	0	466.77	0
9.	झारखंड	393	276.622	676.42	260.14	201.25	150.95	512.48	270.98
10.	कर्नाटक	400	264.9		252.15	238.14	205.61	332.41	348.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	केरल	778	467	44.29	490.99	373.47	257.16	1174.41	136.03
12.	मध्य प्रदेश	754	565.5	115.93	715.03	446.25	379.69	699.63	697.65
13.	महाराष्ट्र	385.65	232	338.2	459.20	370.84	262.38	260.03	373.51
14.	ओडिशा	390	234	188	122.46	260.45	229.54	0	133.03
15.	पंजाब	273.8	134.28	346.85	74.13	127.48	76.49	339.75	0
16.	राजस्थान	231.45	150.408	336.2	149.98	172.93	103.76	444.68	161.15
17.	तमिलनाडु	655.41	389.68	588.89	-	239.99	143.99	244.19	245.48
18.	उत्तर प्रदेश	358.78	255.48	82.2	181.92	267.12	213.72	340.8	140
19.	उत्तराखंड	425.88	305.26	671.09	317.20	186.9	134.57	224.39	229.95
20.	पश्चिम बंगाल	452.07	337.65	903.37	262.36	209.63	173.12	7435.51	50.86
	कुल	**8039.42**	**5301.925**	**6495.02**	**4876.00**	**4943.79**	**3799.26**	**14640.40**	**3981.51**
पूर्वोत्तर राज्य									
21.	असम	556	400	402.02	360.02	281.45	202.65	450.55	246.64
22.	अरुणाचल प्रदेश	321.8	282.84	436.66	314.4	315.06	325.67	518.17	261.15
23.	मणिपुर	229.825	206.843	196.47	198.42	186.9	168.21	456.36	328.58
24.	मेघालय	262.67	189	230.02	165.62	140.2	121.64	224.17	161.26
25.	मिजोरम	455.97	410.373	334.03	300.63	331.05	349.79	281.3	253.17
26.	नागालैंड	247.198	222.479	305.5	274.05	199.9	183.51	481.9	346.97
27.	सिक्किम	306.5	273.79	293.25	286.43	288.14	259.33	320.67	288.41
28.	त्रिपुरा	217.2	156	154.5	138.15	209,79	188.81	157.71	60.59
	कुल	**2597.163**	**2141.325**	**2352.45**	**2037.72**	**1952.49**	**1799.61**	**2890.83**	**1946.77**
संघ शासित प्रदेश									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	31.9	12.00	13.76	26.22	51.45	30.36
30.	चंडीगढ़	-	-		-	41.43	60.26	57.42	34.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दादरा और नगर हवेली	-	-		-			0	0
32.	दमन और दीव	30.244	18.1464	19	8.00			0	0
33.	लक्षदीव	-	-		-			0	0
34.	दिल्ली	-	-		-			0	0
35.	पुदुचेरी	-	-		-			0	0
	कुल	**55.19**	**18.1464**	**55.19**	**20.00**	**55.19**	**86.48**	**55.19**	**64.82**
	कुल योग	10691.773	7461.3964	8902.66	6933.72	6951.47	5685.35	17586.42	5993.1

विवरण-III

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान "वन्यजीव पर्यावासों का समेकित विकास" - केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जारी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	(2008-09) (मंजूर धनराशि)	(2008-09) (जारी की गई धनराशि)	2009-10 (मंजूर धनराशि)	2009-10 (जारी की गई धनराशि)	2010-11 (मंजूर धनराशि)	2010-11 (जारी की गई धनराशि)	2011-12 (मंजूर धनराशि)	2011-12 (29-2-2012 तक जारी की गई धनराशि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94.60	73.48	107.39	85.91	110.34	87.872	158.80	127.06
2.	आन्ध्र प्रदेश	143.30	92.378	131.71	102.02	92.605	64.341	144.354	71.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	226.30	193.31	258.29	193.14	227.27	213.197	272.6998	168.11
4.	असम	210.07	161.095	184.82	114.79	258.67	186.63	300.3215	234.17
5.	बिहार	54.228	37.558	49.268	42.29	29.026	19.889	00	00
6.	छत्तीसगढ़	327.99	323.235	1292.06	851.15	336.419	281.966	258.223	218.753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	चंडीगढ़	00	00	00	00	15.37	12.29	24.98	19.98
8.	दादरा और नगर हवेली	19.53	15.62	14.88	14.88	00	00	00	00
9.	गोवा	77.52	41.94	92.558	71.03	59.696	32.879	49.886	21.458
10.	गुजरात	453.41	318.52	570.72	426.10	1442.79	1106.749	2267.496	1126.59
11.	हरियाणा	65.985	86.02	28.355	17.22	18.95	15.114	31.60	28.70
12.	हिमाचल प्रदेश	319.911	241.983	305.581	265.92	310.8314	253.80	289.555	242.1104
13.	जम्मू और कश्मीर	646.27	470.87	500.18	375.397	561.80	537.336	439.523	355.465
14.	झारखंड	124.04	99.753	121.84	80.267	71.293	63.64	65.648	46.7475
15.	कर्नाटक	716.927	625.1501	650.18	566.71	459.473	412.252	427.333	325.59
16.	केरल	981.60	864.96	588.35	432.48	419.18	366.786	933.16	637.79
17.	मध्य प्रदेश	631.97	613.34	727.93	541.98	686.91	635.366	566.771	493.157
18.	महाराष्ट्र	416.1455	390.22	367.3905	273.679	379.665	343.32	402.835	298.743
19.	मणिपुर	100.91	100.095	147.86	118.31	110.54	88.316	112.02	86.65
20.	मेघालय	73.81	58.007	74.77	59.75	70.37	58.03	43.805	35.039
21.	मिजोरम	304.166	289.09	228.286	186.85	837.483	707.763	106.121	105.075
22.	नागालैंड	34.275	28.415	52.98	34.115	47.36	33.595	34.917	23.043
23.	ओडिशा	617.05	576.88	618.55	390.95	351.48	315.331	343.657	231.8329
24.	पंजाब	67.00	40.29	127.375	36.26	21.40	25.12	00	00
25.	राजस्थान	538.20	414.58	573.84	496.746	368.57	348.068	334.82	283.437
26.	सिक्किम	193.41	187.73	253.48	240.93	196.83	183.78	132.699	131.793
27.	तमिलनाडु	794.11	727.91	525.69	518.67	360.82	334.449	294.657	240.245
28.	त्रिपुरा	47.225	0.00	17.00	13.00	19.80	2.84	00	00
29.	उत्तर प्रदेश	358.19	307.173	350.41	274.45	312.34	296.179	258.498	187.291
30.	उत्तराखंड	246.65	216.09	175.78	145.08	165.04	134.90	219.266	201.144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	पश्चिम बंगाल	332.34	345.78	395.70	381.318	285.95	276.385	274.385	112.15
32.	दिल्ली	0	0.00	00	0.00	00	00	00	00
	दमन और दीव	10.164	6.12	7.57	6.05	00	00	00	00
	कुल	9227.2965	7947.5921	9540.7935	7357.442	8628.2714	7438.183	8788.0303	6053.6248

खनन गतिविधियों के लिए वन भूमि

806. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश में वन भूमि का अधिकांश भाग खनन गतिविधियों के लिए पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में कुछ लोग अवैध खनन कार्य में लिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने खनन कार्य के परिणाम स्वरूप सघन वन की अनुमानित हानि तथा पारिस्थितिकी एवं वहां के वासियों पर इसके प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केंद्र सरकार ने दिनांक 29-02-2012 तक खनन परियोजनाओं हेतु 1,43,871 हे. वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1738 अनुमोदन प्रदान किए हैं। मध्य प्रदेश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत खनन परियोजना हेतु प्रदत्त अनुमोदनों में 16,059 हे. वन भूमि के अपवर्तन वाले 132 प्रस्ताव शामिल हैं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में वन भूमि के अवैध खनन की घटनाओं और दोषियों के विरुद्ध राज्य वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	वर्ष	वन भूमि में अवैध खनन संबंधी घटनाओं की संख्या	वन अपराधियों की संख्या	जब्त किए गए वाहनों की संख्या
1.	2009	1166	1049	196
2.	2010	1113	831	150
3.	2011	1164	849	168
4.	2012 (फरवरी तक)	138	102	27

(ङ) से (छ) केंद्र सरकार ने खनन के परिणामस्वरूप वनावरण की सघनता की क्षति और पारिस्थितिकी तथा वहां के वासियों पर रहने पर इसके प्रभाव के आकलन के लिए एक व्यापक अध्ययन शुरू नहीं किया गया है। तथापि, खनन परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय, केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाओं के प्रभावों का आकलन करने के साथ-साथ पारिस्थितिकी और वहां के वासियों पर इसके प्रभावों का आकलन भी करती है तथा प्रतिपूरक वनीकरण का सृजन और रख-रखाव, वन्यजीव संरक्षण योजना का कार्यान्वयन, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन, उपभोक्ता अभिकरण से अपवर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की वसूली इत्यादि जैसे उपयुक्त उपशामक उपाय भी निर्धारित करती है।

[अनुवाद]

असम में सड़क निर्माण

807. **श्री रमेन डेका:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मृदा की स्थिति और वर्षा के कारण असम में सड़कों की स्थिति दयनीय हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का असम में सड़क निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं। यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए मुख्यत: जिम्मेदार है। राज्यीय सड़कों का विकास ओर अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए रोजगार

808. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**

श्री अनंत कुमार:

डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

श्रीमती जे. शांता:

श्री अशोक तंवर:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल श्रमशक्ति में महिलाओं और पुरुषों का तुलनात्मक ब्यौरा और महिलाओं का प्रतिशत तथा गत तीन वर्षों के दौरान गैर-कृषि क्षेत्र सहित देश में दिहाड़ी मजदूरों के अंश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महिला श्रमिकों के रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/पहल की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भारत में महिला श्रम भागीदारी में जड़ता/ठहराव को उजागर किया है;

(घ) यदि हां, तो देश में महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों और इस हेतु बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बी.पी.ओ. में देर रात में कार्य करने वाली महिलाओं सहित देश में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) क्रमश: 2009-10, 2007-08 तथा 2005-06 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के सर्वेक्षणों के आधार पर कुल कार्यबल में महिलाओं तथा पुरुषों के प्रतिशत संबंधी एक तुलनात्मक ब्यौरा विवरण-I, में संलग्न किया गया है। गैर-कृषि क्षेत्र (%), 2004 के मजदूरी नियोजन में महिलाओं का हिस्सा विवरण-II में संलग्न है। श्रमबल में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III में देखा जा सकता है।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को दक्षता प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों की महिलाओं में नियोजन अवसरों की वृद्धि करने तथा लाभदायक नियोजन सुनिश्चित करने हेतु उच्च मजदूरी नियोजन तथा स्व-रोजगार क्षमता वाली दक्षताओं में विशिष्ट रूप से महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध

कराने वाले 11 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के महिला स्कंध संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) ने प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। 1977 में महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ से 90,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा मई, 2011 की स्थिति के अनुसार कुल 74,124 प्रशिक्षण सीटों वाले लगभग 1409 महिला आई.टी.आई./आई.टी.सी. तथा महिला स्कंध हैं। मंत्रालय महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु सहायता अनुदान योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत महिला श्रमिकों के लाभ हेतु क्रियात्मक कार्यक्रम/परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों (पांच की इकाई) को फेमली फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपये प्रतिवर्ष का समार्ट कार्ड आधारित कैशलैश स्वास्थ्य बीमा छत्र उपलब्ध कराया जाता है। .इस योजना में महिलाओं हेतु प्रसूति पैकेज भी शामिल है।

(ग) जी, हां। विश्व बैंक ने 2012 की रिपोर्ट में नोट किया कि भारत में विगत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं की श्रम बल में सहभागिता में कमी आयी है। एन.एस.एस.ओ. आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता दर 2004-05 में 29.4 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 23.3 प्रतिशत हो गई। एल.एफ.पी.आर. में कमी के मुख्य कारणों में से एक "शैक्षणिक प्रभाव" है।

(घ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय बागान श्रम अधिनियम, 1951, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, ठेका श्रम अधिनियम, 1970, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बीड़ी कामगार कल्याण निधि, लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत विभिन्न कल्याण योजनाएं चला रहा है जिसमें महिलाओं का कल्याण शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दक्षता विकास के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण हेतु पहल उपबंध शामिल है। इन सभी योजनाओं के अतिरिक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक अधिनियम के उपबंधों, महिलाओं के लिए कल्याण योजनाओं इत्यादि जैसे क्षेत्रों के बारे में महिला श्रमिकों के मध्य जागरूकता सृजन करने के लिए सहायता अनुदान योजना भी चला रहा है। विगत तीन वर्षों में इस योजना के लिए बजट आवंटन 50 लाख रुपये प्रति वर्ष था।

(ङ) बी.पी.ओ. कम्पनियों की कार्यदशाओं को दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। तथापि, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की समस्याओं से निपटने में राज्य कानून प्रवर्तन तंत्र के प्रभावशाली होने की व्यापक समीक्षा करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामर्श भेजा है। इस परामर्श में एक घटक के रूप में सड़क पर सुरक्षा दशाओं में सुधार तथा काल सेंटरों की रात्रि पालियों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष कदम शामिल हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विस्तृत उपबंध हैं। इन उपबंधों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष	कुल कार्यबल में पुरुषों का %	कुल कार्यबल में महिलाओं का %	कुल कार्यबल में पुरुषों एवं महिलाओं का %
2005-06	54.45	22.65	39.15
2007-08	55.1	21.35	38.8
2009-10	54.3	13.8	35.0

विवरण-II

गैर-कृषि क्षेत्र, (%), 2004 में मजदूरी सहित नियोजन में महिलाओं का हिस्सा

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-कृषि क्षेत्र में मजदूरी सहित नियोजन में महिलाएं (%)		
		ग्रामीण	शहरी	ग्रमीण+शहरी
1	2	3	4	5
	भारत	20.13	17.98	19.11
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.92	21.20	27.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	8.28	12.67	9.36
4.	बिहार	11.74	11.79	11.75
5.	छत्तीसगढ़	27.37	17.45	23.07
6.	दिल्ली	6.03	9.66	9.27
7.	गोवा	31.80	21.83	28.86
8.	गुजरात	15.95	18.30	17.27
9.	हरियाणा	8.91	13.59	10.82
10.	हिमाचल प्रदेश	12.11	24.60	14.63
11.	जम्मू और कश्मीर	9.85	12.99	10.67
12.	झारखण्ड	14.49	10.70	13.53
13.	कर्नाटक	26.74	20.69	23.51
14.	केरल	25.04	25.50	25.20
15.	मध्य प्रदेश	25.50	17.02	21.16
16.	महाराष्ट्र	21.98	19.30	20.20
17.	ओडिशा	20.54	15.76	19.59
18.	पंजाब	13.13	12.45	12.78
19.	राजस्थान	12.15	11.26	11.80

1	2	3	4	5
20.	तमिलनाडु	30.43	25.09	27.67
21.	उत्तर प्रदेश	13.32	13.17	13.25
22.	उत्तराखण्ड	9.88	15.44	12.55
23.	पश्चिम बंगाल	20.68	19.10	9.98
24.	पूर्वोत्तर राज्य	22.60	27.30	24.28
25.	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	12.71	21.30	18.19

टिप्पणी: एन.एस.एस. 60वां दौर जनवरी-जून, 2004

अवधारणा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति से संबंधित है।

स्रोत: भारत, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, (2006), भारत में महिला एवं पुरुष 2007, नई दिल्ली, पृष्ठ 60।

विवरण-III

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रति 1000 व्यक्ति प्रधान स्थिति (पी.एस.) और प्रधान तथा सहायक स्थिति (सभी) में सामान्य तौर पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण					
	पुरुष		महिला		व्यक्ति	
	प्र. स्थिति के कामगार	सभी कामगार	प्र. स्थिति के कामगार	सभी कामगार	प्र. स्थिति के कामगार	सभी कामगार
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	594	598	413	443	504	521
अरुणाचल प्रदेश	494	499	288	293	399	404
असम	548	553	128	158	351	368
बिहार	478	481	43	65	271	283
छत्तीसगढ़	507	511	362	371	436	442
दिल्ली	601	601	28	28	301	301

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	526	526	127	127	339	339
गुजरात	579	585	247	320	421	459
हरियाणा	512	522	135	250	338	396
हिमाचल प्रदेश	546	556	400	468	473	512
जम्मू और कश्मीर	529	563	55	292	298	431
झारखंड	485	491	125	159	313	333
कर्नाटक	619	624	359	370	489	497
केरल	550	564	176	218	354	383
मध्य प्रदेश	555	556	266	282	418	426
महराष्ट्र	566	576	354	396	463	488
मणिपुर	493	499	175	212	339	361
मेघालय	568	580	330	371	454	480
मिजोरम	596	598	370	404	488	506
नागालैण्ड	464	500	174	319	322	411
ओडिशा	575	578	164	243	370	410
पंजाब	525	531	45	240	293	391
राजस्थान	503	510	220	357	365	436
सिक्किम	556	556	296	309	436	442
तमिलनाडु	602	603	391	405	493	501
त्रिपुरा	571	583	91	188	336	390
उत्तराखण्ड	443	461	274	399	362	431
उत्तर प्रदेश	481	504	90	174	292	344
पश्चिम बंगाल	594	608	91	152	356	392
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	575	583	154	199	379	404

1	2	3	4	5	6	7
चंडीगढ़	522	522	93	93	301	301
दादरा और नगर हवेली	556	556	42	42	311	311
दमन और दीव	574	574	193	198	414	416
लक्षद्वीप	650	658	105	245	384	456
पुदुचेरी	624	631	331	349	468	481
अखिल भारत	537	547	202	261	374	408

विवरण-III(क)

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रति 1000 व्यक्ति प्रधान स्थिति (पी.एस.) और प्रधान तथा सहायक स्थिति (सभी) में सामान्य तौर पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी					
	पुरुष		महिला		व्यक्ति	
	प्र. स्थिति के कामगार	सभी कामगार	प्र. स्थिति के कामगार	सभी कामगार	प्र. स्थिति के कामगार	सभी कामगार
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	539	542	167	176	358	364
अरुणाचल प्रदेश	435	438	145	148	300	302
असम	522	528	81	93	312	322
बिहार	428	431	28	47	242	252
छत्तीसगढ़	476	478	136	140	310	313
दिल्ली	535	535	54	58	331	333
गोवा	576	576	100	100	332	332
गुजरात	561	563	125	143	361	370
हरियाणा	552	557	106	130	347	361

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	556	559	140	159	349	359
जम्मू और कश्मीर	538	542	105	138	328	347
झारखंड	486	486	75	85	288	294
कर्नाटक	575	576	167	170	380	382
केरल	534	547	171	194	344	363
मध्य प्रदेश	503	503	118	131	319	326
महाराष्ट्र	569	575	141	159	368	380
मणिपुर	469	472	130	146	306	315
मेघालय	468	468	212	214	332	333
मिजोरम	519	521	281	288	399	403
नागालैण्ड	418	436	67	132	252	293
ओडिशा	568	568	97	119	339	350
पंजाब	566	568	81	124	344	365
राजस्थान	507	510	81	120	302	323
सिक्किम	601	601	150	150	398	398
तमिलनाडु	568	569	181	191	377	383
त्रिपुरा	553	556	105	108	324	327
उत्तराखण्ड	525	530	88	113	322	336
उत्तर प्रदेश	496	501	58	80	287	300
पश्चिम बंगाल	578	584	106	141	350	370
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	564	574	181	191	382	392
चंडीगढ़	555	555	135	135	352	352
दादरा और नगर हवेली	569	569	6	6	339	339
दमन और दीव	548	548	86	86	344	344

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	452	485	162	271	307	378
पुडुचेरी	562	566	198	203	377	381
अखिल भारत	539	543	119	138	339	350

विवरण-III(ख)

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए व्यापक सामान्य कार्यकलाप द्वारा व्यक्तियों (प्रति 1000) (प्रधान+सहायक) स्थिति

ग्रामीण पुरुष

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत			सभी	बेरोजगार	श्रम बल से अलग				संस्था. व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक			विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	272	60	287	620	7	236	4	133	374	271008	10037
अरुणाचल प्रदेश	411	55	57	523	17	287	37	137	460	4470	2429
असम	403	65	96	564	26	249	17	144	410	120528	5220
बिहार	263	19	196	478	11	278	13	218	510	353387	18685
छत्तीसगढ़	348	31	184	562	3	272	2	160	434	98903	3976
दिल्ली	178	312	25	514	14	256	17	198	472	5314	409
गोवा	243	214	170	626	5	195	21	153	369	2971	284
गुजरात	314	76	212	602	6	243	6	143	392	164979	6338
हरियाणा	288	72	138	498	22	295	6	179	479	84955	3846
हिमाचल प्रदेश	339	115	106	560	12	276	5	147	428	27724	3510
जम्मू और कश्मीर	367	88	84	540	17	315	3	125	443	34602	3336
झारखंड	345	24	137	506	12	300	7	176	483 1	104585	5481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कर्नाटक	290	46	269	604	7	257	6	126	389	167990	6536
केरल	216	91	249	556	26	254	7	158	418	108824	4256
मध्य प्रदेश	319	26	206	552	8	279	6	160	445	242355	11714
महाराष्ट्र	296	72	225	592	8	255	4	142	400	287959	11312
मणिपुर	414	58	32	505	24	339	11	121	472	7704	4806
मेघालय	302	52	172	526	9	329	10	126	465	9945	3243
मिजोरम	512	50	36	599	2	274	10	115	399	2474	1648
नागालैण्ड	476	97	9	582	40	240	11	128	379	3829	3324
ओडिशा	331	37	220	588	17	228	8	158	395	154989	8613
पंजाब	270	96	184	549	16	256	7	173	435	82985	4281
राजस्थान	336	49	116	501	7	314	5	175	492	228136	9820
सिक्किम	314	164	56	534	19	340	4	102	447	2398	2486
तमिलनाडु	218	85	295	598	17	240	3	143	385	171864	6205
त्रिपुरा	274	66	217	556	41	246	8	147	402	14441	4698
उत्तराखंड	318	105	108	530	18	316	4	131	452	32643	2399
उत्तर प्रदेश	337	31	124	493	6	306	7	188	501	699192	26450
पश्चिम बंगाल	270	44	276	590	15	227	10	158	395	308548	12798
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	231	203	146	579	32	251	3	134	389	1186	632
चंडीगढ़	228	377	127	732	0	178	0	89	268	526	155
दादरा और नगर हवेली	234	198	138	570	34	268	17	111	395	1045	462
दमन और दीव	158	395	87	640	12	208	14	126	348	629	405
लक्षद्वीप	204	136	150	489	26	364	0	121	485	173	208
पुडुचेरी	104	141	291	536	28	798	0	139	436	1903	311
अखिल भारत	303	50	194	548	11	270	7	165	441	3805164	190313

विवरण-III(ग)

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए व्यापक सामान्य कार्यकलाप द्वारा व्यक्तियों (प्रति 1000) (प्रधान+सहायक) स्थिति

ग्रामीण महिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत			सभी	बेरोजगार	श्रम बल से अलग				संस्था. व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक			विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	193	15	263	471	2	202	206	121	527	276263	10405
अरुणाचल प्रदेश	317	15	20	352	7	249	251	142	641	4032	2219
असम	98	17	38	153	10	214	468	154	837	106124	4643
बिहार	67	3	79	149	0	197	433	220	850	328527	17578
छत्तीसगढ़	283	6	182	471	1	225	135	169	528	94528	3859
दिल्ली	4	20	5	29	0	210	566	195	971	4441	320
गोवा	64	25	47	136	6	247	453	158	857	3271	299
गुजरात	216	9	134	359	0	196	307	138	641	148180	5904
हरियाणा	223	9	46	278	0	227	324	171	722	73926	3563
हिमाचल प्रदेश	432	25	7	464	8	235	169	123	528	29059	3808
जम्मू और कश्मीर	288	15	0	303	0	275	276	146	697	33353	3258
झारखंड	232	6	49	287	1	256	290	165	712	100652	5187
कर्नाटक	180	15	197	392	1	199	287	121	607	161189	6464
केरल	100	52	70	221	34	227	383	135	745	119470	4723
मध्य प्रदेश	159	5	156	320	0	238	279	162	680	217592	10528
महाराष्ट्र	208	13	215	436	2	211	208	143	561	274014	10965
मणिपुर	222	17	11	250	6	278	350	116	744	7164	4710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मेघालय	263	27	64	354	1	274	205	166	645	9467	3105
मिजोरम	353	10	8	371	0	276	245	108	628	2359	1576
नागालैण्ड	466	16	0	483	20	215	160	124	497	3584	3095
ओडिशा	170	6	118	293	4	191	362	150	703	158694	8840
पंजाब	193	16	28	238	7	231	389	135	755	76516	4262
राजस्थान	313	7	51	370	1	224	233	172	629	217797	9746
सिक्किम	209	54	22	285	12	325	263	116	704	2213	2412
तमिलनाडु	150	29	209	389	5	198	281	128	607	180131	6552
त्रिपुरा	41	14	55	110	61	231	443	156	829	14314	4806
उत्तराखण्ड	269	13	12	294	6	270	296	133	700	32330	2417
उत्तर प्रदेश	147	4	39	190	0	263	370	177	810	655133	24752
पश्चिम बंगाल	72	18	56	146	4	213	502	135	850	292005	12143
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	106	57	31	193	24	228	412	144	783	1054	614
चंडीगढ़	18	49	0	66	1	210	493	230	933	450	138
दादरा और नगर हवेली	54	2	3	59	0	184	646	112	941	728	299
दमन और दीव	105	34	41	180	0	119	537	163	820	364	296
लक्षद्वीप	57	45	5	108	43	236	431	182	849	167	204
पुडुचेरी	79	39	149	267	13	256	325	139	720	1708	291
अखिल भारत	168	12	109	289	3	223	328	158	708	3630798	183981

विवरण-III(घ)

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए व्यापक सामान्य कार्यकलाप द्वारा व्यक्तियों (प्रति 1000) (प्रधान+सहायक) स्थिति

ग्रामीण पुरुष+महिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत			सभी	बेरोजगार	श्रम बल से अलग				संस्था. व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक			विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	232	37	275	544	4	219	106	127	451	547271	20442
अरुणाचल प्रदेश	366	36	39	442	12	269	138	140	546	8502	4648
असम	260	42	69	372	18	232	228	149	610	226652	9863
बिहार	169	11	140	320	6	239	215	219	674	681914	36263
छत्तीसगढ़	316	19	183	518	2	249	67	165	480	193431	7835
दिल्ली	99	179	16	294	8	235	267	197	699	9755	729
गोवा	149	115	105	369	6	222	248	155	625	6242	583
गुजरात	268	44	175	487	3	221	148	141	510	313159	12242
हरियाणा	258	43	95	396	12	263	154	176	592	158881	7409
हिमाचल प्रदेश	386	69	56	511	10	255	90	134	479	56783	7318
जम्मू और कश्मीर	328	52	43	423	9	295	138	136	568	67955	6594
झारखंड	290	15	94	398	6	279	146	170	595	205237	10668
कर्नाटक	236	31	233	500	4	229	144	123	496	329179	13000
केरल	155	70	155	381	30	240	204	146	589	228295	8979
मध्य प्रदेश	243	16	182	442	2	260	135	161	556	459946	22242
महाराष्ट्र	253	43	220	516	5	233	104	142	479	561973	22277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मणिपुर	321	38	22	382	15	310	174	120	603	14868	9516
मेघालय	283	40	120	442	5	302	105	146	553	19412	6348
मिजोरम	435	30	23	488	1	275	125	111	511	4832	3224
नागालैण्ड	471	58	4	534	30	228	83	126	436	7413	6419
ओडिशा	250	21	168	439	10	209	187	154	551	313683	17453
पंजाब	233	58	109	400	12	244	190	154	589	159501	8543
राजस्थान	325	28	84	437	4	270	116	173	559	445933	19566
सिक्किम	264	111	40	415	15	333	128	110	570	4611	4898
तमिलनाडु	183	57	251	491	10	218	146	136	499	351996	12757
त्रिपुरा	158	40	136	334	51	238	224	152	615	28756	9504
उत्तराखण्ड	294	59	60	413	12	293	150	132	575	64973	4816
उत्तर प्रदेश	245	18	83	346	3	285	182	183	650	1354325	51201
पश्चिम बंगाल	174	31	169	374	10	220	249	147	616	600551	24941
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	172	134	91	398	28	240	196	138	574	2140	1246
चंडीगढ़	131	226	69	425	0	193	227	154	575	975	293
दादरा और नागर हवेली	160	117	83	360	20	234	275	111	619	1773	761
दमन और दीव	139	263	70	472	7	176	206	140	521	994	701
लक्षद्वीप	132	91	79	302	34	301	212	151	664	340	412
पुडुचेरी	92	92	224	409	21	278	154	140	570	3611	602
अखिल भारत	238	31	153	422	7	247	164	160	571	7435962	374294

विवरण-III(ङ)

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (मूल+सहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रति 1000 व्यक्ति वितरण

शहरी पुरुष

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामकाजी				बेरोजगार	गैर श्रम बल				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक	सभी		विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	221	239	106	566	14	276	4	140	420	10311	5812
अरुणाचल प्रदेश	173	240	51	464	21	403	26	86	515	1215	1313
असम	285	226	30	541	44	264	8	144	416	12845	2349
बिहार	383	120	63	466	19	333	9	173	515	38475	4408
छत्तीसगढ़	179	250	83	512	21	313	5	150	468	19413	1910
दिल्ली	235	286	34	554	13	278	8	148	433	67312	2988
गोवा	216	315	80	611	15	204	8	162	375	4027	445
गुजरात	234	277	82	593	15	233	5	154	392	96398	5417
हरियाणा	223	269	38	531	12	271	2	184	457	31800	2253
हिमाचल प्रदेश	238	254	66	559	19	285	3	134	422	2881	1020
जम्मू और कश्मीर	294	199	37	531	29	293	3	144	440	7715	2316
झारखण्ड	184	183	95	462	42	361	3	131	496	22245	2268
कर्नाटक	218	263	116	597	19	237	5	141	384	80158	4676
केरल	204	168	205	577	30	225	9	157	392	33116	2257
मध्य प्रदेश	258	178	86	521	19	301	8	150	460	74687	5950
महाराष्ट्र	206	290	70	567	20	257	7	151	414	203468	11053
मणिपुर	324	121	38	482	26	372	5	115	492	2685	2168
मेघालय	113	222	130	466	26	389	14	106	508	1848	996
मिजोरम	228	190	70	487	26	364	9	114	487	1969	2373
नागालैंड	121	316	13	451	86	311	7	146	464	1133	1104
ओडिशा	238	231	73	541	25	272	12	150	434	25630	2850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पंजाब	279	255	60	594	23	245	5	133	383	43004	3187
राजस्थान	279	178	66	523	18	302	11	146	459	70239	4323
सिक्किम	208	357	6	571	55	258	0	116	374	302	375
तमिलनाडु	203	252	143	598	24	235	4	139	378	129229	5895
त्रिपुरा	238	226	88	552	76	213	10	150	372	2955	1182
उत्तराखण्ड	213	205	91	509	37	273	16	164	454	11514	1315
उत्तर प्रदेश	270	167	67	504	23	302	7	165	473	185816	9549
पश्चिम बंगाल	269	237	88	594	39	207	4	156	367	95313	6372
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	93	396	120	610	30	274	0	87	361	621	492
चंडीगढ़	157	255	67	479	40	314	3	164	481	4087	614
दादरा और नगर हवेली	178	413	3	593	10	260	18	118	397	172	436
दमन और दीव	295	183	58	536	8	312	0	145	456	247	338
लक्षद्वीप	119	298	57	474	30	342	6	147	495	138	390
पुडुचेरी	186	189	136	511	38	297	0	154	451	2369	750
अखिल भारत	236	232	85	554	22	267	6	150	424	1378138	101144

विवरण-III(च)

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (मूल+सहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रति 1000 व्यक्ति वितरण

शहरी महिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामकाजी				बेरोजगार	गैर श्रम बल				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक	सभी		विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	77	66	46	189	8	243	444	116	803	102376	5865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश	47	82	11	140	10	380	377	93	850	1022	1176
असम	41	38	8	87	25	247	524	117	888	10469	2061
बिहार	39	15	14	67	2	297	460	173	931	34628	4017
छत्तीसगढ़	61	43	65	169	4	272	397	157	827	17072	1768
दिल्ली	12	37	3	52	1	258	542	148	947	54536	2447
गोवा	52	61	40	153	14	207	473	152	833	4161	492
गुजरात	61	39	31	131	1	223	533	113	868	85097	5035
हरियाणा	68	69	12	149	3	243	459	146	848	27584	2033
हिमाचल प्रदेश	105	91	17	213	14	297	346	129	773	2587	981
जम्मू और कश्मीर	89	50	0	140	10	258	476	116	851	7242	2239
झारखण्ड	38	25	25	89	3	293	488	127	909	18729	2070
कर्नाटक	50	88	40	178	6	250	448	119	817	80131	4621
केरल	72	77	29	177	47	208	416	153	776	37208	2606
मध्य प्रदेश	72	30	28	129	4	276	451	142	867	70013	5738
महाराष्ट्र	51	63	28	142	6	250	485	116	851	182694	10258
मणिपुर	120	43	3	167	11	318	383	120	822	2565	2223
मेघालय	77	89	38	203	11	355	279	152	786	1858	1079
मिजोरम	195	61	16	272	11	343	282	92	716	1984	2413
नागालैंड	96	85	0	181	42	327	348	103	778	1109	1055
ओडिशा	58	51	23	132	19	256	487	107	849	24334	2785
पंजाब	37	61	6	105	4	231	538	122	891	36076	2854
राजस्थान	65	33	15	114	3	255	492	136	883	64672	4199
सिक्किम	52	195	0	246	40	291	333	91	714	268	295
तमिलनाडु	72	75	69	216	13	214	442	115	771	133376	6126
त्रिपुरा	30	93	14	136	160	183	381	140	704	2868	1402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तराखण्ड	42	41	6	89	12	256	481	162	899	9570	1125
उत्तर प्रदेश	54	21	5	81	3	293	480	144	916	168559	9132
पश्चिम बंगाल	66	61	16	142	7	190	534	128	851	88825	5907
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	87	15	105	29	214	513	139	866	510	409
चंडीगढ़	36	80	15	131	3	291	440	135	866	3511	564
दादरा और नगर हवेली	49	37	0	87	0	208	584	122	913	115	306
दमन और दीव	115	10	11	137	0	234	529	101	863	208	315
लक्षद्वीप	72	60	2	133	51	233	420	161	815	139	452
पुडुचेरी	32	73	11	115	53	216	469	147	831	2396	768
अखिल भारत	58	52	27	138	8	248	477	129	854	1278495	96816

विवरण-III(छ)

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (मूल+सहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रति 1000 व्यक्ति वितरण

शहरी पुरुष+महिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामकाजी				बेरोजगार	गैर श्रम बल				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक	सभी		विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	150	153	76	378	11	259	224	129	611	205487	11677
अरुणाचल प्रदेश	115	168	33	316	16	393	186	89	668	2237	2489
असम	175	142	20	337	35	257	239	132	628	23314	4410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	167	70	40	277	11	316	223	172	712	73103	8425
छत्तीसगढ़	124	153	74	351	13	294	188	153	636	36485	3678
दिल्ली	135	174	20	329	7	269	246	147	663	121848	5435
गोवा	133	186	60	378	14	206	244	158	607	8188	937
गुजरात	153	166	58	377	8	228	252	135	615	181495	10452
हरियाणा	151	176	26	353	8	258	214	166	639	59383	4286
हिमाचल प्रदेश	175	177	43	395	17	291	166	132	588	5468	2001
जम्मू और कश्मीर	195	127	20	342	20	276	232	131	639	14957	4555
झारखण्ड	117	111	63	291	24	330	224	129	685	40974	4338
कर्नाटक	134	176	78	388	12	243	227	130	600	160289	9297
केरल	134	120	112	366	39	216	224	155	595	70324	4863
मध्य प्रदेश	168	106	58	332	12	289	222	145	657	144700	11688
महाराष्ट्र	133	183	50	366	13	253	233	135	621	386162	21311
मणिपुर	224	83	21	328	19	346	190	118	653	5251	4391
मेघालय	95	155	84	334	19	372	146	129	647	3706	2075
मिजोरम	212	125	43	379	18	354	146	102	602	3954	4786
नागालैंड	109	202	7	317	64	319	175	125	619	2242	2159
ओडिशा	150	143	49	342	22	264	243	129	636	49964	5635
पंजाब	169	166	35	371	14	239	248	128	615	79080	6041
राजस्थान	177	108	42	327	11	280	241	140	662	134911	8522
सिक्किम	134	281	3	419	48	273	156	105	534	570	670
तमिलनाडु	136	162	106	404	18	224	227	127	578	262605	12021
त्रिपुरा	136	160	51	347	117	198	192	145	535	5823	2584
उत्तराखण्ड	135	131	52	319	26	266	227	164	656	21084	2440
उत्तर प्रदेश	168	98	38	303	14	298	232	155	684	354375	18681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पश्चिम बंगाल	171	152	53	376	23	199	259	142	601	184138	12279
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52	257	73	382	30	247	231	110	589	1131	901
चंडीगढ़	101	174	43	319	22	304	205	150	659	7599	1178
दादरा और नगर हवेली	126	262	2	390	6	239	245	119	604	287	742
दमन और दीव	213	104	36	353	4	276	241	124	643	455	653
लक्षद्वीप	95	179	29	303	41	287	214	155	656	278	842
पुडुचेरी	108	130	73	312	46	257	236	151	642	4765	1518
अखिल भारत	151	146	57	354	15	258	233	141	631	2656634	197960

विवरण-III(ज)

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (मूल+सहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समूह तथा पूर्वोत्तर राज्य समूह के संबंध में प्रति 1000 व्यक्ति वितरण

ग्रामीण पुरुष

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समूह तथा पूर्वोत्तर राज्य समूह	कामकाजी				बेरोजगार	गैर श्रम बल				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक	सभी		विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	285	61	267	613	6	239	3	140	382	263396	6172
असम	**350**	**63**	129	542	14	303	10	131	445	122231	5169
बिहार	**303**	**20**	165	488	7	264	11	231	505	344188	6930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
छत्तीसगढ़	376	32	203	611	1	207	0	180	388	89789	1464
दिल्ली	226	212	55	492	8	442	0	58	500	4989	233
गोवा	184	187	130	502	37	251	0	211	461	2252	299
गुजरात	325	75	179	579	8	260	1	152	413	157928	3448
हरियाणा	261	99	127	488	22	316	1	173	490	89323	2470
हिमाचल प्रदेश	348	105	99	552	8	299	9	133	441	26783	2438
जम्मू और कश्मीर	359	80	84	523	17	342	7	110	459	29156	2718
झारखण्ड	361	33	132	526	13	257	5	198	461	103387	3604
कर्नाटक	275	44	278	596	12	235	8	149	391	175151	3882
केरल	224	105	236	565	30	257	6	141	405	114754	4213
मध्य प्रदेश	319	38	193	550	6	259	4	180	444	244145	4958
महाराष्ट्र	309	65	210	585	10	258	4	144	405	284474	4636
ओडिशा	302	55	242	599	28	225	8	141	374	148713	4288
पंजाब	271	96	159	527	23	280	6	164	450	82686	3037
राजस्थान	346	57	121	524	6	291	3	175	470	214947	5068
तमिलनाडु	234	101	272	607	11	238	0	144	382	178268	4624
उत्तरांचल	359	63	88	510	1	368	8	114	490	35330	1072
उत्तर प्रदेश	344	39	117	500	6	293	8	193	494	719780	9494
पश्चिम बंगाल	297	52	235	583	22	235	7	154	395	312608	6469
पूर्वोत्तर राज्य	358	71	123	552	21	307	12	108	427	43086	8125
संघ राज्य क्षेत्र समूह	163	227	197	587	25	232	2	152	387	6601	1347
अखिल भारत	311	55	183	549	11	265	6	169	439	3793966	96158

विवरण-III(झ)

व्यापक सामान्य कार्यकलाप (मूल+सहायक) स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र समूह तथा पूर्वोत्तर राज्य समूह के संबंध में प्रति 1000 व्यक्ति वितरण

ग्रामीण महिलाएं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समूह तथा पूर्वोत्तर राज्य समूह	कामकाजी				बेरोजगार	गैर श्रम बल				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित/ वेतनभोगी	नैमित्तिक श्रमिक	सभी		विद्यार्थी	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	207	9	238	454	3	202	202	140	544	275774	6134
असम	129	21	57	207	7	295	367	124	786	112934	4633
बिहार	61	2	44	106	1	179	450	264	893	321167	6235
छत्तीसगढ़	271	3	201	475	1	208	126	190	524	92272	1353
दिल्ली	57	29	0	86	0	299	525	90	914	3444	180
गोवा	35	65	8	108	48	179	455	209	844	2568	268
गुजरात	248	7	123	378	1	202	283	136	621	147177	3184
हरियाणा	248	5	64	317	0	235	260	188	683	77884	2170
हिमाचल प्रदेश	472	18	10	500	5	242	120	134	494	27287	2431
जम्मू और कश्मीर	224	8	2	233	0	286	345	135	766	27284	2501
झारखण्ड	262	6	57	325	1	209	249	217	674	97925	3263
कर्नाटक	183	15	215	414	2	199	242	144	585	172854	3793
केरल	130	55	70	254	47	226	330	143	699	125630	4662
मध्य प्रदेश	200	5	142	347	0	212	253	188	653	225721	4429
महाराष्ट्र	216	13	194	423	2	212	206	156	574	264476	4363
ओडिशा	213	5	124	342	12	174	313	159	646	153814	4208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पंजाब	237	23	28	288	8	221	337	146	704	72890	2760
राजस्थान	338	5	60	403	0	185	209	203	596	201444	4681
तमिलनाडु	190	43	213	446	5	200	218	130	549	186520	4747
उत्तरांचल	381	8	16	406	0	324	181	89	594	33434	1015
उत्तर प्रदेश	181	6	37	224	0	232	343	200	776	644812	8555
पश्चिम बंगाल	126	16	57	199	1	220	434	145	800	293750	6087
पूर्वोत्तर राज्य	217	15	30	263	9	279	306	143	728	41213	7660
संघ राज्य क्षेत्र समूह	122	28	105	255	5	194	349	197	740	5080	1101
अखिल भारत	193	12	105	310	4	214	298	175	686	3607355	90413

विवरण-III(ञ)

प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह के लिए व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों का वितरण

ग्रामीण व्यक्ति **व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह	कामकाजी				बेरोजगार	श्रम बल से अलग				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/वेतन	नैमित्तिक श्रमिक	सभी		छात्र	घरेलू कार्यों में संलग्न	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	245	34	252	531	4	220	105	140	465	539170	12306
असम	244	43	95	381	10	299	182	129	608	235165	9802
बिहार	186	11	107	304	4	223	223	246	692	665355	13165
छत्तीसगढ़	323	17	202	542	1	208	64	185	457	182061	2817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दिल्ली	157	137	33	326	5	383	214	71	669	8433	413
गोवा	105	122	65	292	43	213	242	210	665	4819	567
गुजरात	288	42	152	482	5	232	137	145	513	305106	6632
हरियाणा	255	56	98	408	12	279	123	179	580	167207	4640
हिमाचल प्रदेश	410	61	54	526	6	270	65	134	468	54070	4869
जम्मू और कश्मीर	294	45	45	383	9	315	170	123	608	56440	5219
झारखंड	313	20	95	428	7	233	123	208	565	201312	6867
कर्नाटक	229	30	246	506	7	217	124	146	487	348006	7675
केरल	175	79	149	403	39	241	175	143	558	240384	8875
मध्य प्रदेश	262	22	169	453	3	237	123	184	544	469866	9387
महाराष्ट्र	264	40	203	507	6	236	101	150	487	548951	8999
ओडिशा	256	29	182	468	20	199	164	150	512	302527	8496
पंजाब	255	62	98	415	16	252	162	156	569	155576	5797
राजस्थान	342	32	92	465	3	240	102	189	531	416391	9749
तमिलनाडु	211	71	242	525	8	219	112	138	467	364788	9371
उत्तरांचल	370	36	53	459	0	346	92	102	541	68764	2087
उत्तर प्रदेश	267	23	79	370	3	265	166	197	627	1364592	18049
पश्चिम बंगाल	214	34	149	397	12	228	213	151	591	606358	12556
पूर्वोत्तर राज्य	289	44	78	411	15	293	156	125	574	84299	15785
संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	145	141	157	443	16	215	152	172	541	11681	2448
अखिल भारतीय	254	34	145	433	8	240	148	172	560	7401322	186571

विवरण-III(ट)

प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह के लिए व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों का वितरण

शहरी पुरुष **व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह	कामकाजी				बेरोजगार	श्रम बल से अलग				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/वेतन	नैमित्तिक मजदूर	सभी		छात्र	घरेलू कार्यों में संलग्न	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	212	239	113	564	27	265	3	140	409	88393	5056
असम	307	201	55	563	40	280	5	113	397	12451	1866
बिहार	268	96	69	434	41	296	11	218	526	33572	4561
छत्तीसगढ़	273	202	66	540	29	310	2	117	430	17844	1296
दिल्ली	194	276	24	494	12	292	39	163	494	37810	1439
गोवा	192	274	67	533	57	237	5	170	410	3280	408
गुजरात	254	234	89	577	20	260	2	141	403	78783	5109
हरियाणा	239	233	59	531	21	271	2	176	448	28712	1913
हिमाचल प्रदेश	240	244	97	582	15	275	4	124	404	2823	1111
जम्मू और कश्मीर	274	190	58	522	37	320	10	110	441	7036	3692
झारखंड	194	206	72	472	49	335	7	136	479	24507	3063
कर्नाटक	195	235	132	562	28	267	6	139	410	70702	3770
केरल	229	148	199	577	16	249	14	144	407	34253	2502
मध्य प्रदेश	229	204	70	503	21	323	6	148	477	77905	6330
महाराष्ट्र	194	280	71	545	29	277	2	146	426	182082	10897
ओडिशा	232	224	88	544	38	255	11	152	419	28189	2783
पंजाब	266	224	54	545	23	287	3	141	432	40860	4244
राजस्थान	249	193	60	502	19	311	9	158	479	58154	6361
तमिलनाडु	195	292	104	591	23	243	6	137	386	113077	5648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तरांचल	241	192	22	455	9	347	1	188	536	10866	707
उत्तर प्रदेश	268	178	63	509	18	280	4	188	472	166548	13522
पश्चिम बंगाल	248	223	116	586	36	213	9	156	377	94657	6303
पूर्वोत्तर राज्य	229	212	52	492	30	350	6	121	478	9571	5916
संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	163	222	120	504	17	293	8	178	478	7740	1413
अखिल भारतीय	229	227	85	540	25	274	6	153	434	1229814	99910

विवरण-III(ठ)

प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह के लिए व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों का वितरण

शहरी महिला **व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह	कामकाजी				बेरोजगार	श्रम बल से अलग				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/ वेतन	नैमित्तिक मजदूर	सभी		छात्र	घरेलू कार्यों में संलग्न	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	92	59	42	193	6	258	423	119	801	87273	4811
असम	49	45	6	101	19	281	459	140	880	10444	1612
बिहार	39	15	24	78	5	226	481	208	916	28696	3895
छत्तीसगढ़	51	85	42	177	10	304	399	109	812	16708	1186
दिल्ली	12	62	1	75	3	253	568	101	922	28274	1123
गोवा	63	144	39	247	37	219	400	97	716	3117	386
गुजरात	58	38	29	125	0	213	539	121	875	67764	4407
हरियाणा	95	51	18	163	6	266	461	104	830	24096	1581
हिमाचल प्रदेश	105	98	13	215	16	263	381	123	768	2476	966
जम्मू और कश्मीर	54	43	5	102	10	282	501	106	888	6164	3369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
झारखंड	42	29	11	81	19	284	477	139	901	21322	2548
कर्नाटक	57	78	45	179	9	249	436	127	812	67428	3499
केरल	73	86	35	194	67	213	385	140	739	35680	2656
मध्य प्रदेश	57	52	19	128	3	290	458	122	869	70307	5623
महाराष्ट्र	52	68	26	145	12	237	470	134	842	166303	9775
ओडिशा	53	29	39	121	17	224	495	143	862	24888	2551
पंजाब	52	59	8	119	13	250	509	109	868	34561	3714
राजस्थान	71	34	11	116	2	263	470	148	882	52833	5719
तमिलनाडु	89	96	36	221	10	223	423	123	769	112556	5537
उत्तरांचल	40	33	11	84	5	298	480	132	911	10687	639
उत्तर प्रदेश	52	23	6	81	2	277	463	176	916	154089	12460
पश्चिम बंगाल	69	62	18	149	6	200	535	109	844	84921	5702
पूर्वोत्तर राज्य	116	71	9	197	35	327	321	119	768	9198	5789
संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	40	93	20	154	22	263	446	115	824	7086	1348
अखिल भारत	62	57	24	143	10	248	467	133	848	1126870	90896

विवरण-III(ड)

प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह के लिए व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों का वितरण

शहरी व्यक्ति **व्यापक सामान्य गतिविधि (प्रधान-सहायक) स्थिति**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समूह और पूर्वोत्तर राज्यों के समूह	कामकाजी				बेरोजगार	श्रम बल से अलग				स्थापित व्यक्तियों की संख्या (00)	प्रतिदर्श व्यक्तियों की संख्या
	स्व-नियोजित	नियमित मजदूरी/वेतन	नैमित्तिक मजदूर	सभी		छात्र	घरेलू कार्यों में संलग्न	अन्य	सभी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	153	149	78	380	17	262	212	129	603	175667	9867
असम	190	130	33	352	31	280	212	124	617	22895	3478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	162	59	48	270	24	263	228	214	706	62268	8456
छत्तीसगढ़	165	145	54	365	20	307	194	114	615	34552	2483
दिल्ली	116	184	14	315	8	275	265	137	677	66084	2562
गोवा	129	211	54	394	47	228	197	134	560	6396	794
गुजरात	163	143	62	368	11	239	250	132	621	146547	9516
हरियाणा	173	150	40	363	14	268	212	142	623	52808	3494
हिमाचल प्रदेश	177	176	58	410	15	270	180	125	574	5299	2077
जम्मू और कश्मीर	171	121	33	326	24	303	239	108	650	13200	7061
झारखंड	123	123	44	290	35	312	226	137	675	45829	5611
कर्नाटक	127	158	89	375	19	258	215	133	606	138130	7269
केरल	150	117	115	382	42	231	203	143	576	69933	5158
मध्य प्रदेश	147	132	46	325	13	308	221	135	663	148212	11953
महाराष्ट्र	126	179	50	354	21	258	226	142	625	348385	20672
ओडिशा	148	132	65	346	28	240	238	147	626	53078	5334
पंजाब	168	148	33	350	19	270	235	126	632	75421	7958
राजस्थान	164	117	37	318	11	288	229	153	671	110987	12080
तमिलनाडु	143	194	70	406	17	233	214	130	577	225633	11185
उत्तरांचल	141	113	16	271	7	323	239	161	722	21552	1346
उत्तर प्रदेश	164	104	36	304	11	278	225	182	686	320637	25982
पश्चिम बंगाल	164	147	69	380	22	207	258	133	598	179577	12005
पूर्वोत्तर राज्य	174	143	31	348	32	339	161	120	620	187710	11705
संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	104	160	72	337	20	279	218	147	644	14826	2761
अखिल भारतीय	149	145	55	350	18	262	226	145	632	2356684	190806

विवरण-IV

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों में काम करने वाली महिलाओं से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित उपबंध

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान धारा 22(2), धारा 27, धारा 66, धारा 70, धारा 71 और 87 हैं। संगत उपबंध निम्नानुसार हैं:-

22 1[(2) **गतिमान मशीनरी पर अथवा नजदीक कार्य:** किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को किसी मूलगति उत्पादक के या संचारण मशीनरी के किसी भाग की, जब वह मूलगति उत्पादक या संचारण मशीनरी गति में हों, सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अथवा यदि किसी मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन उस स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को उस मशीन के या किसी पार्श्वस्थ मशीनरी के किसी गतिमान भाग से क्षति की आशंका में डाल देगा तो उस मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।]

27. **रूई धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध:** रूई दबाने के कारखाने के किसी ऐसे भाग में जिसमें रुई धुनकी चल रही हो, किसी स्त्री या बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यदि रुई-धुनकी का भराई-सिरा ऐसे कमरे में हो जो निकासी सिरे से ऐसे विभाजक द्वारा पृथक् किया गया है जिसका विस्तार छत तक हो या जिसकी उंचाई इतनी हो जितनी निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लिखकर विनिदिष्ट करे तो स्त्रियों और बालकों को विभाजक के उस ओर नियोजित किया जा सकेगा जहां भराई-सिरा स्थित हो।

66. **स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निबंधन:** (1) कारखानों में स्त्रियों को लागू होने में इस अध्याय के उपबंधों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बन्धन भी होंगे, अर्थात्:-

क. किसी स्त्री के बारे में धारा 54 के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी:

ख. 3[किसी कारखाने में किसी स्त्री से 6 बजे प्रात: और 7 बजे सायं के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी]:

परन्तु राज्य सरकार 4[किसी कारखाने, या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों] के बारे में खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी किन्तु इस प्रकार कि ऐसी फेरफार 10 बजे सायं और 5 बजे प्रात: के बीच के घंटों में किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे।

4[ग. कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या किसी अन्य अवकाश दिन के पश्चात् बदलने के सिवाय नहीं बदली जाएगी।]

70. **कुमार की अनुदत्त योग्यता प्रमाणपत्र का प्रभाव:** (1) कोई कुमार, जिसे किसी कारखाने में वयस्क के रूप में काम करने का योग्यता प्रमाणपत्र धारा 69 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुदत्त किया गया है और जो कारखाने में काम पर होते हुए एक टोकन रखता है जिसमें प्रमाणपत्र के प्रति निर्देश हो, अध्याय 6 और 8 के सब प्रयोजनों के लिए वयस्क समझा जाएगा:

71. **बालकों के लिए काम के घंटे-**

(1) कोई बालक किसी कारखाने में

(क) किसी दिन साढ़े चार घंटों से अधिक के लिए,

2[(ख) रात के दौरान,

नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "रात" से कम से कम लगातार बारह घंटों की ऐसी कालावधि अभिप्रेत होगी जिसके अंतर्गत दस बजे रात और छह बजे सबेरे के बीच का अन्तराल होगा।]

(2) कारखाने में नियोजित सब बालकों के काम करने की कालावधि दो पारियों तक सीमित होगी, जिनकी परस्पर-व्याप्ति अथवा जिनमें से प्रत्येक की पांच घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी, और हर बालक टोली में से केवल एक में नियोजित होगा जिसका तीस दिन की कालावधि में

एक से अधिक बार परिवर्तन मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा।

(3) धारा 52 के उपबंध बालक कर्मकारों को भी लागू होंगे और उस धारा के उपबंधों से कोई छूट किसी बालक के विषय में नहीं दी जा सकेगी।

(4) किसी बालक को किसी कारखाने में ऐसे दिन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिस दिन वह पहले ही किसी अन्य कारखाने में काम करता रहा है।

87. खतरनाक संक्रियाएं: जहां राज्य सरकार की यह राय है कि किसी कारखाने में चलाई जाने वाली कोई 2[विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया] ऐसी है कि वह उसमें नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या रोग की गंभीर जोखिम में डाल देती है। वहां, वह किसी कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों को जिनमें वह 2[विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया] चलाई जा रही हो, लागू होने वाले ऐसे नियम बना सकेगी।

(क) विनिर्माण प्रक्रिया या संक्रिया में महिलाओं, कुमारों अथवा बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध अथवा प्रतिबंधित कर दें।

जोखिमपूर्ण प्रचालन - मॉडल नियम 120 के अंतर्गत अनुसूचियां

अनुसूची	ब्यौरा	उपबंध
II.	क्रोमियम, निकल, कैडमियम, जस्ता, तांबा, चांदी, सोने आदि जैसी धातुओं के अम्ल, मूल आधार अथवा लवणों युक्त इलैक्ट्रोलाइट के प्रयोग द्वारा धातु की वस्तुओं की इलैक्ट्रोलेटिक प्लेटिंग अथवा ऑक्सीकरण।	**महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध** - किसी भी महिला, किशोर अथवा बालक को बाथ पर नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
III.	विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत।	**महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध** - किसी भी महिला अथवा युवा व्यक्ति को किसी भी सीसा प्रक्रिया अथवा किसी ऐसे कक्ष में नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें सीसे के कच्चे ऑक्साइड के परिचालन अथवा पेस्टिंग का कार्य किया जाता है।
IV.	कांच विनिर्माण	**महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध** - किसी भी महिला अथवा युवा व्यक्ति को पैराग्राफ-2 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रचालन अथवा ऐसे किसी स्थान पर नियोजित अथवा कार्य करने की अनुमति नदीं दी जाएगी जहां ऐसे प्रचालन किए जाते हैं।
VI.	सीसे और सीसे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा उपचार	**महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध** - किसी भी महिला अथवा युवा व्यक्ति को पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी परिचालन में नियोजित अथवा कार्य करने की अनुमति नदीं दी जाएगी।

अनुसूची	ब्यौरा	उपबंध
VIII.	जैट ऑफ सैंड, मैटल शाट अथवा कंकरी अथवा कम्प्रैस्ड वायु अथवा वाष्प के विस्फोट द्वारा संचालित अन्य अपघर्षक द्वारा वस्तुओं की सफाई अथवा उन्हें चिकना बनाना, खुरदरा बनाना आदि।	**महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिबंध** - (1) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को विस्फोटन करने अथवा विस्फोटन में सहायता करने अथवा किसी विस्फोटन कक्ष अथवा विस्फोटन संबंधी किसी उपकरण की सफाई करने अथवा विस्फोटन संबंधी किसी परिक्षेत्र अथवा उससे संबद्ध किसी उपकरण अथवा संवातन संयंत्र में नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा ऐसे उपकरण, परिक्षेत्र अथवा संयंत्र में अनुरक्षण अथवा मरम्मत कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
XII.	रासायनिक कार्य	**18 वर्ष से कम आयु के युवा व्यक्तियों और महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध** - (1) मुख्य कारखाना निरीक्षक लिखित में किसी आदेश द्वारा महिलाओं और युवा व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अनुसूची के परिशिष्ट 'क' में शामिल की गयी किसी भी प्रक्रिया में 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं और युवा व्यक्तियों के नियोजन को प्रतिबंधित अथवा प्रतिषिद्ध कर सकता है। (2) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपर्युक्त उप-पैरा (1) के अनुसरण में जारी किए गए आदेश के कारण उक्त प्रक्रिया में कार्य करने से प्रतिबंधित अथवा प्रतिषिद्ध किया हो, को ऐसा वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिए हानिकारक न हो।
XIII.	मुक्त सिलिका वाले पत्थर अथवा किसी अन्य सामग्री का परिचालन।	**महिलाओं और युवा व्यक्तियों से संबंधित प्रतिषेध** - किसी भी युवा व्यक्ति को परिचालन अथवा किसी ऐसे स्थान पर किसी ऐसे प्रचालन में नियोजित अथवा कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जहां ऐसे प्रचालन किए जाते हैं।
XIV.	एसबेस्टस का रख-रखाव एवं संस्करण, एसबेस्टस की किसी वस्तु का निर्माण तथा निर्माण की कोई अन्य प्रक्रिया अथवा जिसमें किसी भी रूप में एसबेस्टस का प्रयोग होता हो।	**युवा व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध** - इस अनुसूची में शामिल किसी भी प्रक्रिया में किसी युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा।
XVIII.	वनस्पति तथा जीव स्रोतों से सोलवेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लांटों में तेल एवं वसा निकालने की प्रक्रिया	**महिलाओं एवं युवा व्यक्तियों का नियोजन** - सोलवेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट में किसी महिला अथवा युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा।

अनुसूची	ब्यौरा	उपबंध
XIX.	मैगनीज और इसके योगिकों का निर्माण अथवा परिचालन	**महिलाओं तथा युवा व्यक्तियों के संबंधित प्रतिषेध** - किसी मैगनीज प्रक्रिया में किसी महिला अथवा युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
XX.	खतरनाक कीटनाशकों का निर्माण अथवा परिचालन	**महिलाओं तथा युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध** - उक्त विनिर्माण प्रक्रिया वाले किसी कक्ष में अथवा खतरनाक कीटनाशक भण्डार में किसी महिला अथवा युवा व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
XXI.	बेंजीन तथा बेंजीन वाले पदार्थों का निर्माण, रख-रखाव तथा प्रयोग	**महिलाओं तथा युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध-** बेंजीन अथवा बेंजीन वाले पदार्थों के सम्पर्क में आने वाली किसी कार्यशाला में किसी महिला अथवा युवा व्यक्ति को निजोयित नहीं किया जायेगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
XXII.	कैंसरकारी डाई इंटरमीडिएट्स का निर्माण अथवा परिचालन	**नियोजन का प्रतिषेध** - किसी कारखाने में उक्त प्रक्रियाओं में जिनमें निषिद्ध पदार्थ बनाये जाते हैं, विनिर्माण किया जाता है, संस्करण किया जाता है, रख-रखाव किया जाता है अथवा पैरा 23 में वर्णित अनुसार मुख्य निरीक्षक द्वारा छूट प्राप्त को छोड़कर प्रयोग किया जाता हो, में किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जायेगा।
XXV.	विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रेयान का निर्माण	**युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित प्रतिषेध** - किसी भी युवा व्यक्ति को किसी फ्यूम प्रक्रिया में अथवा किसी कक्ष में जिसमें ऐसी प्रक्रिया की जाती है, नियोजित नहीं किया जायेगा अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

[अनुवाद]

वियतनाम को सैनिक सहायता

809. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियतनाम ने नौसेना क्षेत्र में भारत से सैनिक सहायता का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उचित शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित सहायता पर होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तत्संबंधी प्रभावों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एन्टनी): (क) से (ङ) सरकार, वियतनाम सहित कई देशों के साथ, सभी संगत पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों पक्षों के आपसी हितों पर आधारित रक्षा सहयोग संबंधी कार्रवाइयों की अंजाम दे रही है।

अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग संबंधी कार्रवाइयों में उच्च स्तरीय दौरे, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और दोनों पक्षों की सशत्र सेनाओं के बीच अन्य विचार-विमर्श शामिल है।

[हिन्दी]

भर्ती केंद्र

810. **श्री संजय सिंह चौहानः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान भर्ती केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों सहित देश में और भर्ती केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर उक्त राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों को भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के संबंध में भर्ती केन्द्रों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) थल सेना के संबंध में पहाड़ी क्षेत्रों सहित राज्यों के उचित स्थानों पर नियमित रूप से भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं, नौ सेना में भर्ती पद्धति में पहाड़ी क्षेत्रों सहित सभी राज्यों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती है। वायु सेना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्रों में भर्ती रैलियां आयोजित करती है।

विवरण-I

भर्ती मुख्यालय ज़ोन/सेना भर्ती कार्यालय (ए.आर.ओ.) का ब्यौरा

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, अम्बाला		हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिलों को छोड़कर) हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़
हरियाणा (गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिलों को छोड़कर)		
1.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) अम्बाला	अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, यमुनानगर, पंचकुला एवं कैथल के जिले
2.	सेना भर्ती कार्यालय, रोहतक	रोहतक, सोनीपत, झज्जर एवं पानीपत के जिले
3.	सेना भर्ती कार्यालय, हिसार	हिसार, सिरसा, जीन्द एवं फतेहाबाद के जिले
4.	सेना भर्ती कार्यालय, चरखी दादरी	महिंद्रगढ़, भिवानी एवं रेवाड़ी के जिले
हिमाचल प्रदेश		
5.	सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर	चम्बा और कांगड़ा के जिले
6.	सेना भर्ती कार्यालय, हमीरपुर	हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के जिले

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
7.	सेना भर्ती कार्यालय, शिमला	शिमला, सोलन, सिरमौर एवं किन्नौर के जिले
8.	सेना भर्ती कार्यालय, मंडी	मंडी, कुल्लू और लाहोल स्पीति सब डिवीजन के जिले
	भर्ती मुख्यालय ज़ोन, बेंगलूर कर्नाटक	कर्नाटक, केरल एवं माही एवं लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश
9.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) बेंगलूर	बेंगलूर शहरी, बेंगलूर ग्रामीण, कोलार, चामराजनगर, मैसूर, चित्रदुर्ग, मांड्या, टुमकूर, रामनगर और चिकाबल्लापुर के जिले
10.	सेना भर्ती कार्यालय, बेलगाम	बेलगाम, बीजापुर, बीदर, धारवाड़, गुलबर्ग, राइचूर, बेल्लारी, बागलकोट, हवेरी, कोप्पल, गदग और यादगीर के जिले
11.	सेना भर्ती कार्यालय, मंगलोर	चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, हस्सन, कोडागु, शिमोगा, उडुपी, चित्रदुर्ग एवं दावेनगेरे के जिले
12.	सेना भर्ती कार्यालय, त्रिवेंद्रम	त्रिवेंद्रम, कोल्लम, आलप्पी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की एवं पत्तनमथिता के जिले
13.	सेना भर्ती कार्यालय, कालीकट	कालीकट, कासरगोड, पालघाट, मलपुरम, वायनाद, कन्नानोर, त्रिचुर के जिले एवं माही एवं लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश
	भर्ती मुख्यालय जोन, चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश
14.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) चेन्नई	चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, वेल्लोर, कुड्डालोर, विलूप्पुरम और तिरूवन्नामलाई के जिले
		पुड्डुचेरी के संघ शासित प्रदेश, पुडुचेरी के जिले
		अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
		अंडमान एवं निकोबार के जिले
15.	सेना भर्ती कार्यालय, तिरूचिरापल्ली	तिरूचिरापल्ली, करूर, पेराम्बलूर, अरियालूर, तंजावूर, रामानाथपुरम, तिरूनवेल्ली, पुडुकोट्टाई, सिवगंगा, विरुद्धुनगर, थूथकुडी (तूतीकोरिन), कन्याकुमारी, नागापट्टनम एवं तिरूवरूर के जिले
		पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेश, कराइकल के जिले
16.	सेना भर्ती कार्यालय, कोयम्बटूर	कोयम्बटूर, सेलम, नामक्काल, द नीलगिरीज, मदुरै, थेनी, धर्मपुरी, इरोड, डिंडीगुल, कृष्णागिरि और तिरूप्पेर के जिले
	आन्ध्र प्रदेश	
17.	सेना भर्ती कार्यालय, सिकंदराबाद	आदीलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल, खम्मम और रंगारेड्डी के जिले

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
18.	सेना भर्ती कार्यालय, गुंटूर	गुंटूर, कुड्डापाह, कुरनाड, नेल्लोर, प्रकाशम, अनन्तपुर और चिट्टूर के जिले
19.	सेना भर्ती कार्यालय, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी, विजैनगरम और कृष्णा (विजयवाड़ा)
		पुड्डुचेरी के संघ शासित प्रदेश, यानम के जिले
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, दानापुर, बिहार		बिहार एवं झारखण्ड
20.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) दानापुर	पटना, भोजपुर, वैशाली, सारन (छपरा), बक्सर, सिवान एवं गोपालगंज के जिले
21.	सेना भर्ती कार्यालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्व एवं पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और शिवहर के जिले
22.	सेना भर्ती कार्यालय, गया	गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर (भबुआ), जहानाबाद, शेखपुरा, लखी सराय, अरवल एवं जमूई के जिले
23.	सेना भर्ती कार्यालय, कटिहार	कटिहार, सहरसा (कोसी), भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, पूर्णिया, बांका, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय के जिले
झारखण्ड		
24.	सेना भर्ती कार्यालय, रांची	रांची, पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, गिरीडीह, गुमला, लोहारदगा, चतरा, बोकारो, कोडर्मा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सराइकेला, सिमडेगा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकूर, जामतारा, पलामू, गढवाह, लातेहर और खुंटी के जिले
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, जबलपुर		मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश		
25.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) जबलपुर	जबलपुर, शाहडोल, मांडला, बालाघाट, रीवा, सतना, नरसिंहपुर, सेओनी, सिद्धी, कटनी, डिंडोरी, उमारिया, अन्नुपुर पन्ना, दामोह और सिंगरौली
26.	सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और अशोक नगर के जिले
27.	सेना भर्ती कार्यालय, मउ	इंदौर, देवास, झबुआ, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच, बुरहानपुर, बडवानी, अलीराजपुर, खारगांव और खंडवा के जिले

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
28.	सेना भर्ती कार्यालय, भोपाल	भोपाल, सिहोर, रायसेन, सागर, हरदा, छिंदवाड़ा, बेतूल, होशंगाबाद, विदिशा, राजगढ़ और शाजापुर के जिले
छत्तीसगढ़		
29.	सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर	रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, राजनंदगांव, कोरबा, धामत्री, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, महासमन्द, जांगीर चम्पा, जसपुर, दांतेवाड़ा, कंकेर, कवरधा, कोरिया चम्पा, बीजापुर और नारायणपुर के जिले
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, जयपुर		राजस्थान
30.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय), जयपुर	जयपुर, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा के जिले
31.	सेना भर्ती कार्यालय, अलवर	अलवर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर, करौली, टोंक एवं सवाइमाधोपुर के जिले
32.	सेना भर्ती कार्यालय, झुंझुनू	झुंझुनू, सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर के जिले
33.	सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर के जिले
34.	सेना भर्ती कार्यालय, कोटा	कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, राजसमंद और झालावाड़ के जिले
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, जालंधर		पंजाब, जम्मू और कश्मीर
पंजाब		
35.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) जालंधर	जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर के जिले
36.	सेना भर्ती कार्यालय, अमृतसर	अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारन के जिले
37.	सेना भर्ती कार्यालय, फिरोजपुर	फिरोज़पुर, फरीदकोट, भटिंडा और मुक्तसर के जिले
38.	सेना भर्ती कार्यालय, पटिलाया	पटिलाया, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और मानसा के जिले
39.	सेना भर्ती कार्यालय, लुधियाना	लुधियाना, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) और मोगा के जिले
जम्मू और कश्मीर		
40.	सेना भर्ती कार्यालय, जम्मू	जम्मू, कठुआ, पूंछ, उधमपुर, डोडा, राजौरी, साम्बा, रामबन, रीयसी और किश्तवाड़ के जिले
41.	सेना भर्ती कार्यालय, श्रीनगर	श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह, सोपियां, गंडेरबाल, बांदीपुरा और पदम के जिले
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, कोलकाता		पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं ओडिशा

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
पश्चिम बंगाल		
42.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) कोलकाता	24 परगना (दक्षिण), कोलकाता, मिदनापुर (पूर्व एवं पश्चिम दोनों) और हावड़ा के जिले
43.	सेना भर्ती कार्यालय, सिलीगुड़ी	कूच बिहार, जलपाइगुड़ी, उत्तर दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, मालदा, दार्जिलिंग के जिले एवं सिक्किम राज्य
44.	सेना भर्ती कार्यालय, बैरकपुर	24 परगना (उत्तर), हूगली, बांकुरा और पुरुलिया के जिले
45.	सेना भर्ती कार्यालय, बहरामपुर	मुर्शिदाबाद, बर्दवान, नाडिया और बीरभूम के जिले
ओडिशा		
46.	सेना भर्ती कार्यालय, कटक	कटक, पुरी, बालासोर, मयूरभंज, बद्रक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्द और नयागढ़ के जिले
47.	सेना भर्ती कार्यालय, सम्बलपुर	सम्बलपुर, केओंझर, सुंदरगढ़, बाड़गढ़, अंगुल, देवगढ़, झरसूगुरा, सोनापुर, बोलनगीर और धेनकनाल के जिले
48.	सेना भर्ती कार्यालय, गोपालपुर छावनी	कालाहांडी, कोरापुट, बुद्ध, गजपति, मलकानगिरी, नवापाड़ा, नवरंगपुर, कंधमाल (बुलबानी), रायगढ़ और गंजम के जिले
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, लखनऊ		उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड
उत्तर प्रदेश		
49.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) लखनऊ	लखनऊ, गोंडा, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, औरैया और कन्नौज के जिले
50.	सेना भर्ती कार्यालय, मेरठ	मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद और रामपुर के जिले
51.	सेना भर्ती कार्यालय, बरेली	बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फरूखाबाद, बहरौच, श्रावस्ती और बलरामपुर के जिले
52.	सेना भर्ती कार्यालय, आगरा	आगरा, मथुरा, इटावा, झांसी, जालौन, फिरोजाबाद, ललितपुर, मेनपुरी, महा माया नगर, ऐटा और अलीगढ़ के जिले
53.	सेना भर्ती कार्यालय, वाराणसी	मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, संत रवि दास नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, मउ, चंदौली, देवरिया और सोनभद्र के जिले
54.	सेना भर्ती कार्यालय, अमेठी	रायबरेली के 2 जिले, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुलतानपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
उत्तराखण्ड		
55.	सेना भर्ती कार्यालय, लांसडाउन	टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्र प्रयाग, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार के जिले
56.	सेना भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के जिले
57.	सेनाभर्ती कार्यालय, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ और चंभावत के जिले
भर्ती मुख्यालय जोन, पुणे		महाराष्ट्र, गुजरात और दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली एवं गोवा के संघ शासित प्रदेश
महाराष्ट्र		
58.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) पुणे	पुणे, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर के जिले
59.	सेना भर्ती कार्यालय, मुम्बई	मुम्बई, ठाणे, नासिक, मुम्बई, सबअर्ब और रायगढ़ के जिले
60.	सेना भर्ती कार्यालय, नागपुर	नागरपुर, वर्धा, भण्डारा, यवतमाल, अकोला, अमरावती, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, गोंडिया और वाशिम के जिले
61.	सेना भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर	सतारा, कोल्हापुर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, शोलापुर के जिले और गोवा राज्य
62.	सेना भर्ती कार्यालय, औरंगाबाद	औरंगाबाद, परभणी, नांदेड़, जालना, बुलदाना, हिंगोली, नंदूबार, धूले और जलगांव के जिले
गुजरात		
63.	सेना भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद	बड़ौदा, अहमदाबाद, खेड़ा, सूरत, वलसाद, भरूच, मेहसाना, साबरकंठा, आनन्द, दाहोड, नर्मदा, नवासारी, पाटन, पंचमहल, डांग, बनासकांठा, गांधीनगर और तापी के जिले
		दमन (संघ शासित) और दादरा और नगर हवेली (संघ शासित)
64.	सेना भर्ती कार्यालय, जामनगर	राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, भुज, सुरेंद्रनगर और पोरबंदर के जिले
		दीव (संघ शासित प्रदेश)
भर्ती मुख्यालय ज़ोन, शिलांग		असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा
65.	भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) शिलांग	मेघालय पूर्व खासी हिल्स, पश्चिम खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, री भोई, पूर्व गारो हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स और पश्चिम गारो हिल्स के जिले

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
		असम मोरीगांव, नागांव और सोनितपुर के जिले
66.	सेना भर्ती कार्यालय, जोरहाट	अरुणाचल प्रदेश पश्चिम और पूर्व सियांग, दिबांग, वैली, लोहित, तिराप, चांगलैंड, लोअर सुबंसरी, अपर सुबंसरी, तवांग, पूर्व कामेंग, पश्चिम कामेंग, अपर सियांग, कुरूंग कामांग, पपमपारे, अंजन हवाई और लोअर दिबांग वैली के जिले
		असम जोरहाट, तिनसुकिया, सिबसागर, धेमाजी, उत्तर लखीमपुर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट और करबी अंगलोंग
67.	सेना भर्ती कार्यालय, नारंगी	असम बारपेटा, ग्वालपाड़ा, दरांग, कामरूप, नलबाड़ी, कोकराझाड़, धुब्री और बोंगईगांव, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग के जिले
68.	सेना भर्ती कार्यालय, रंगापहाड़	नागालैंड कोहिमा, फेक, मोन, जुउहेबोटो, वोखा, मोकोचुंग, ट्यूनसेंग, दीमापुर, पेर्न, केफेरे और लोंगलेंग के जिले
		मणिपुर उखरूल, बिश्वपुर, थोउबल, चूराचांदपुर, तमेंगलोंग, सेनापति, चंदेल, इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम
69.	सेना भर्ती कार्यालय, सिल्चर	असम काचर, पश्चिम काचर हिल्स, करीमगंज और हैलाकांडी के जिले
		त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा और दक्षिण त्रिपुरा एवं धलाई
70.	सेना भर्ती कार्यालय, ऐजवाल	मिजोरम ऐजवाल, लंगलेई, मामित, छिमटुईपुई, लॉंगतलाई, चम्पई, सेरछिप और कोलासिब के जिले
जी.आर.डी., कुनराघाट (गोरखपुर)		नेपाल
71.	जी.आर.डी. कुनराघाट	नेपाल के महाकाली, सेती, भेरी, राप्ती, करनाली, धौलगिरी, तुम्बिनी, गंडकी, नारायणी और बाकमती के अंचल
72.	जी.आर.डी., घूम*	पूर्वी नेपाल से एन.एन.जी., जनकपुर, सागरमाथा, कोशी, मेची के अंचल सहित एवं दार्जिलिंग जिले से आई.एन.जी. (कलिम्पोंग सब डिवीज़न को छोड़कर)

क्र.सं.	ज़ोन	राज्य, संघ शासित प्रदेश एवं जिले
आई.आर.ओ., दिल्ली छावनी		दिल्ली और हरियाणा राज्य के गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिले
73.	आई.आर.ओ., दिल्ली छावनी	दिल्ली दिल्ली राज्य हरियाणा गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के जिले

विवरण-II

नौसेना के लिए भर्ती केन्द्र

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	पोर्ट ब्लेअर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2.	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश
3.	गुवाहाटी और तेजपुर	असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर
4.	रांची	बिहार, झारखंड
5.	जालंधर	पंजाब, चण्डीगढ़
6.	भोपाल/शिवपुरी/छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
7.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली
8.	लोनावला	महाराष्ट्र
9.	जामनगर	गुजरात, दमन और द्वीप
10.	दिल्ली	दिल्ली
11.	गोवा	गोवा
12.	अम्बाला	हरियाणा
13.	शिमला/धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
14.	जम्मू/लेह	जम्मू और कश्मीर
15.	कारवाड़	कर्नाटक
16.	कोच्चि	केरल

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य/संघ शासित प्रदेश
17.	लक्ष्यद्वीप	लक्ष्यद्वीप
18.	शिलांग	मेघालय
19.	ऐजवाल	मिजोरम
20.	कोहिमा	नागालैंड
21.	गंगटोक	सिक्किम
22.	चिल्का	ओडिशा
23.	चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी
24.	अरक्कोनम, तिरूनेलवेली और कोयम्बटूर	तमिलनाडु
25.	जोधपुर	राजस्थान
26.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
27.	देहरादून और अल्मोड़ा	उत्तराखंड
28.	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल

विवरण-III

वायु सेना के भर्ती केन्द्र

वर्तमान में भरतीय वायु सेना में 14 एयरमेन भर्ती केन्द्र हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

1. अम्बाला, हरियाणा
2. नई दिल्ली
3. कानपुर, उत्तर प्रदेश
4. बैरकपुर, पश्चिमी बंगाल
5. जोधपुर, राजस्थान
6. मुम्बई, महाराष्ट्र
7. बेंगलुरू, कर्नाटक
8. तम्बारम, चेन्नई, तमिलनाडु
9. भुवनेश्वर, ओडिशा
10. बिहटा, बिहार
11. गुवाहाटी, असम
12. सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश
13. कोच्चि, केरल
14. भोपाल, मध्य प्रदेश

[अनुवाद]

पथकर नियमों में संशोधन

811. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पथकर नियम, 2008 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई तंत्र विकसित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आम लोगों के हितों के संरक्षण के लिए इस तंत्र में उनके अभ्यावेदन को भी शामिल किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (निर्धारण और संग्रहण) नियमावली 2008 में संशोधित किए जाने का एक प्रस्ताव संगत मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। पणधारियों के प्रतिनिधि संघों सहित विभिन्न पणधारियों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं/संस्तुतियों के आधार पर एक प्रस्ताव का प्रारूप अंतर-मंत्रालय परामर्श के लिए तैयार किया जाता है और संशोधन प्रस्ताव पर परामर्श करके विभागों/मंत्रालयों की टिप्पणियों को विधिवत रूप से उसमें शामिल करने के बाद अंतिम एजेंडा पर उसके अनुमोदन के लिए यथास्थिति मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति/ अधिकार प्राप्त मंत्रिदल द्वारा विचार किया जाता है।

(च) प्रश्न पैदा नहीं होता।

कार्गो सम्भलाई सुविधाएं

812. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पत्तन आधुनिक कार्गो सम्भलाई सुविधाओं में विदेशी पत्तनों से अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कोलंबो पत्तन पर भारतीय पत्तनों की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक पोतों का आवागमन होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। कोलंबों पत्तन लगभग 5000 जलयानों को सम्भालना है जबकि पूर्वी तट पर भारतीय पत्तनों द्वारा एक वर्ष में 11,400 से ज्यादा जलयानों की सम्भलाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग 59क

813. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदौर से बैतुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग 59क को परिवहन योग्य बनाने के लिए अक्तूबर, 2011 तक किस हद तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था; और

(ख) वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और किस हद तक कार्य के पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) इंदौर से बैतुल तक राष्ट्रीय राजमार्ग 59ए के सुधार/चौड़ीकरण के लिए लगभग 280 किमी की लंबाई के 10 कार्यों को शुरू किया गया है। इसमें से लगभग 212 किमी को पहले ही पूरा किया जा चुका है और लगभग 34 किमी लंबाई को इस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र का पैकेज

814. **श्री प्रहलाद जोशी:**

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान संकट के मद्देनजर वस्त्र उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए व्यापक पैकेज की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और हाल ही के संकट के कारण नौकरियां जाने के संकट से निपटने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई आंकलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नौकरियां जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन (यू.एन.सी.टी.ए.डी.) के हाल ही के अध्ययन पर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत का वस्त्र उद्योग वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण वर्तमान में किसी संकट का सामना नहीं कर रहा है। उपलब्ध नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवंबर) में वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात 19.78 बिलियन अमरीकी डालर का था जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 की तदनुरूपी अवधि में यह 15.86 बिलियन अमरीकी डालर का था जो 24.73% की वृद्धि दर्शाता है। देश में आर्थिक मंदी के कारण नौकरियां जाने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नौकरियां जाने के संबंध में 2009 के यू.एन.सी.टी.ए.डी. अध्ययन का संज्ञान लिया है। वस्त्र एवं क्लोदिंग उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2009-10 से, निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है, जोकि यू.एन.सी.टी.ए.डी. रिपोर्ट के इस निष्कर्ष को झुठलाती है कि टी. एंड सी क्षेत्र के निर्यात में गिरावट आएगी।

अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना

815. **श्री शिवकुमार उदासी :**
श्री सज्जन वर्मा:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्व (आई.एस.सी. एंड ई.आई.) योजना के अंतर्गत सड़कों और पुलों के विकास के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत निधियों को स्वीकृत करने का क्या मानदंड है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर मुरैना, छत्तरपुर और खजुराहो जिलों सहित मध्य प्रदेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों और वित्तीय सहायता/स्वीकृत निधियां/उपलब्ध/उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और लंबित पड़े होने का क्या कारण है और सभी लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) से (घ) अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों सहित राज्यीय राजमार्गों के विकास की स्कीमों के अनुमोदन की प्रक्रिया केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली 2007 में दी गई है जो 10-7-2007 को प्रभावी हुई है। अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों से राज्यों को निधि का आवंटन राज्यवार किया जाता है न कि जिलावार। मध्य प्रदेश सहित अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष की संख्या संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दी गई है। मध्य प्रदेश सहित अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए आवंटित और जारी की गई निधि संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का अनुमोदन निधि की संपूर्ण उपलब्धता और कार्यों कर परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली 2007 के अनुरूप किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए अंतर-राज्य संपर्क योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	3	40	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0	2	2	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	2	0	0	0	7	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	1	1	2	2	1	1	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	1	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	1	0	0	3	3		
13.	केरल	1	1	0	0	4	1	0	0
14.	मध्य प्रदेश	8	1	17	4	20	11	0	0
15.	महाराष्ट्र	1	1	4	4	1	1	69	0
16.	मणिपुर	1	1	0	0	0	0	1	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	2	1
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	2	2	1	1
20.	ओडिशा	1	1	4	1	2	1	0	0
21.	पंजाब	0	0	1	1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	1	1	2	2	3	3	4	3
23.	सिक्किम	1	1	2	2	1	1	2	0
24.	तमिलनाडु	3	1	8	0	5	1	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	1	0	0
26.	उत्तराखंड	1	0	1	0	1	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1	0	2	1	1	1	3	1
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1	1	2	0
29.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	1	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण-II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	3	161	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	3	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	3	3	1	1	1	1	4	4
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	4	4	0	0	0	0	3	2
12.	कर्नाटक	0	0	4	4	4	4	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	1	1	0	0	0	0	1	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	2	0
20.	ओडिशा	0	0	2	0	1	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	2	2	0	0
23.	सिक्किम	0	0	1	1	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3	2	12	1	1	1	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0
26.	उत्तराखंड	2	0	3	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0

विवरण-III

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29-2-12 तक)	
		आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी	आबंटित	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.29	5.29	9.55	9.55	10.27	10.27	46.27	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.53	6.53	11.90	11.36	4.70	4.70	9.61	3.00
3.	असम	0.40	0.40	1.62	1.00	2.23	2.23	0.47	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	6.44	3.36	0.00	0.00	0.27	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	1.97	0.00	3.50	3.50	1.32	0.89
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	1.46	1.46	16.98	0.00	22.62	22.62	8.60	0.00
8.	हरियाणा	4.60	4.60	6.99	0.00	0.00	0.00	22.73	8.70
9.	हिमाचल प्रदेश	9.91	9.91	8.37	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	12.95	13.06	12.77
11.	झारखंड	1.99	1.99	14.13	6.36	17.91	17.91	6.85	0.00
12.	कर्नाटक	20.36	20.36	10.27	9.06	14.95	14.95	9.66	5.65
13.	केरल	1.25	1.25	11.34	10.84	0.85	0.85	4.44	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6.07	0.00	41.28	41.28	15.27	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	4.80	2.80	3.51	3.51	4.70	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00
18.	मिजोरम	13.39	13.39	2.85	0.00	4.21	4.21	1.74	1.70
19.	नागालैंड	4.75	4.75	4.75	1.50	29.58	29.58	15.97	0.00
20.	ओडिशा	35.04	35.04	14.87	10.20	5.00	5.00	0.59	0.00
21.	पंजाब	8.47	8.47	4.05	8.68	5.54	5.54	0.47	0.00
22.	राजस्थान	20.81	20.81	5.57	0.00	6.68	6.68	13.61	9.08
23.	सिक्किम	16.80	16.80	9.32	9.00	13.96	13.96	12.48	6.75
24.	तमिलनाडु	4.19	4.19	13.64	12.39	4.00	4.00	19.35	0.00
25.	त्रिपुरा	1.29	1.29	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	17.82	17.82	6.15	6.15	4.48	4.48	13.39	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	1.30	1.30	1.49	2.10	0.00	0.00	2.16	0.00
संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	3.00	0.00	0.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.72
31.	दादरा और नगर हवेली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	1.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण

816. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार करने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर व्यावसायिक-पूर्व पाठ्यक्रम और हायर सेकेन्डरी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या व्यवसायिक शिक्षा की मौजूदा योजनाओं में अनुपयुक्त पाठ्क्रम सहित अनेक समस्याएं हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) सरकार द्वारा फरवरी, 2009 में अनुमोदित राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एन.पी.एस.डी.) में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए लक्ष्यों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने राज्य सरकारों के संबंधित विभागों एवं अन्य पणधारकों को धामिल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने सैकेन्डरी स्तर पर व्यावसायिक/कार्य शिक्षा-पूर्व कार्यक्रम आरंभ किए हैं जो कार्य जगत को एक आधार उपलब्ध कराता है। विभिन्न क्षेत्रों, जहां विद्यार्थी को एक अथवा दो कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन करना होता है, वहां वैकल्पिक कार्यकलाप आधारित परियोजना हेतु प्रावधान है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में सी.बी.एस.ई. 107 विषयों को शामिल करते हुए 7 क्षेत्रों में 34 पाठ्क्रमों को उपलब्ध कराता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना से कक्षा XI-XII में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को सहायता मिलती है। योजना के तहत हरियाणा और पश्चिम बंगाल में कक्षा IX में कार्यान्वयन हेतु 2 प्रायोगिक कार्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है।

(ङ) विद्यमान व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य कमियों में ये शामिल हैं - समूचे संस्थानों में अर्हताओं में असमानता, ऊर्ध्वस्थ एवं अनुप्रस्थ गतिशीलता का अभाव, पाठ्यक्रमों का गैर-लचीलापन, उद्योग की भागीदारी एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता में कमी।

(च) क्षेत्र कौशल परिषदों के माध्यम से उद्योग द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। माड्यूलर पाठ्यक्रम आधारित सक्षमता के माध्यम से बहु-निर्गत एवं आगत, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टी.वी.ई.टी.) के अंदर एवं उसके मध्य *स्थानांतरण* तथा सामान्य शैक्षणिक शिक्षा और टी.वी.ई.टी. के अन्दर एवं उसके मध्य *प्रगतिशीलता* मुख्य तत्व होंगे।

विवरण

मंत्रालय/विभाग/संगठन	वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आकलित संख्या (मिलियन में)
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	150
श्रम और रोजगार	100
पर्यटन	5
वस्त्र	10
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	30
ग्रामीण विकास	20
महिला तथा बाल विकास	10
कृषि	20
मानव संसाधन विकास उच्चतर शिक्षा मानव संसाधन विकास व्यावसायिक शिक्षा	50
भारी उद्योग	10
शहरी विकास	15
सूचना प्रौद्योगिकी	10
खाद्य प्रसंस्करण	5
निर्माण उद्योग विकास परिषद (योजना आयोग के अंतर्गत)	20
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10
अति लघु, लघु, मझौले उद्यम	15
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	5
प्रवासी भारतीय मामले	5
वित्त-बीमा/बैंकिंग	10
उपभोक्ता मामले	10
रसायन एवं उर्वरक	5
अन्य (विद्युत, पेट्रोलियम इत्यादि)	15
कुल	530

टिप्पणी: विभागों/मंत्रालयों के बीच वितरण 500 मिलियन से अधिक पर रखा गया है।

बेरोजगारी आई.टी.आई. प्रशिक्षु

817. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

श्री यशवीर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा किए गए आवंटन और व्यय की गई राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.टी.आई. प्रशिक्षित लोगों में बेरोजगारी की दर उच्चतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) तीन विभिन्न योजनाओं, (i) सरकारी आई.टी.आईज का उत्कृष्ट केन्द्रों (सी.ओ.ई.) के रूप में उन्नयन (ii) विश्व बैंक सहाय्यित व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वी.टी.आई.पी.) तथा (iii) 1396 सरकारी आई.जी.आईज का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन, के तहत देश में विगत तीन वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा वर्ष-वार तथा राज्य-वार आवंटित एवं व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्रमश: विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) और (ग) उद्योग में समाहित किए जा रहे सामान्य आई.टी.आईज से उत्तीर्ण प्रशिक्षु अथवा स्व-नियोजित लगभग 41-60 प्रतिशत रहे हैं। तथापि, जनवरी, 2011 में भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू.सी.आई.) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार उत्कृष्ट केन्द्रों से उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं का रोजगार प्रतिशत 81-99 है। कुछ आई.टी.आई. में बेरोजगारी के कारणों में, कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निम्न औद्योगीकरण, प्रशिक्षित एवं अर्हताप्राप्त अनुदेशकों की कमी, संस्थान उद्योग संपर्क में कमी तथा आधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना आदि का अभाव हो सकते हैं।

(घ) मुद्दों के हल के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(i) एक उद्योग भागीदार द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति (आई.एम.सी.) के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भागीदारी से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) से समस्त सरकारी आई.टी.आईज का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन।

(ii) प्रत्येक आई.टी.आई. में प्रशिक्षण, परामर्श एवं नियोजन प्रकोष्ठों का सृजन।

(iii) आई.टी.आईज में उत्कृष्ट केन्द्रों (सी.ओ.ई.) की स्थापना करना तथा मांग आधारित व्यवसायों को चलाना।

(iv) राज्यों में, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) तथा निजी क्षेत्र में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (आई.टी.ओ.टी.) हेतु संस्थानों की स्थापना करना।

(v) समस्त आई.टी.आईज में रोजगारपरक कौशलों को प्रारंभ करना।

(vi) समस्त प्रशिक्षुओं की खोज-खबर रखने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास।

विवरण-I

केन्द्र प्रवर्तित योजना 100-आई.टी.आईज का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन के अंतर्गत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवंटन*	आवंटित/निर्गमित केन्द्र निधि					उपयोग की गई कुल निधि*
			वित्तीय वर्ष 05-06	वित्तीय वर्ष 06-07	वित्तीय वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 08-09	वित्तीय वर्ष 09-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	800	65.06	36.75	308.88	124.95	63.26	798.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	बिहार	320	5.08	24.45	80.16	79.67	29.99	292.47
3.	चंडीगढ़	160	0	39.05	25.45	0	12.165	102.22
4.	छत्तीसगढ़	640	42.78	184.59	246.38	6.25	0	640.00
5.	दिल्ली	160	13.12	34.4	25.6	39.89	0	150.68
6.	गोवा	320	5.57	27.2	129.1	77.69	0	319.41
7.	गुजरात	1280	92.36	387.68	333.58	99.21	47.13	1279.95
8.	हरियाणा	800	47.55	158.36	218.41	168.64	0	790.61
9.	हिमाचल प्रदेश	480	39	49.8	157.85	90.54	0	449.59
10.	झारखंड	160	7.49	27.21	7.49	65.88	10.98	158.73
11.	कर्नाटक	960	51.95	216.4	113.81	337.83	0	959.99
12.	केरल	800	56.55	106.65	162.82	65.32	182.226	764.75
13.	मध्य प्रदेश	1280	92.3	473.71	272.46	120.6	0	1278.76
14.	महाराष्ट्र	1920	152.75	580.27	361.11	345.94	0	1920.00
15.	ओडिशा	320	11.26	88.65	18.68	96.7875	24.6225	320.00
16.	पंजाब	1280	72.87	110.73	181.33	174.54	419.9075	1279.17
17.	पुडुचेरी	160	0	14.1	3.41	16.03	40	98.05
18.	राजस्थान	800	36.98	168.48	69.07	24.05	99.55	530.84
19.	तमिलनाडु	800	52.49	106.25	344.965	7.28	87.22	797.61
20.	उत्तरांचल	480	23.19	30.58	30	68.86	34.43	249.41
21.	उत्तर प्रदेश	1600	121.9	283.13	328.17	441.155	25.64	1599.99
22.	पश्चिम बंगाल	480	11.51	70.28	135.66	104.8075	34.66	475.89
	कुल	16000	1001.76	3243.61	3554.385	2555.92	1111.781	15256.661

*75:25 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों का वित्तपोषण शामिल

विवरण-II

विश्व बैंक सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वी.टी.आई.पी.) के अंतर्गत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्गम

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश	राज्य के भाग सहित कुल आवंटन*	निम्नलिखित के दौरान आवंटित/निर्गत केन्द्र निधि					दिसम्बर, 2011 तक व्यय (राज्यों के भाग सहित)*
			वित्तीय वर्ष 2007-08	वित्तीय वर्ष 2008-09	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12 (till date)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	8727.93	2197.00	1572.27	552.73	878.67	40.42	4123.90
2.	अंडमान और निकोबार	237.68	0.00	0.00	36.30	37.00	49.71	127.94
3.	अरुणाचल प्रदेश	219.09	50.00	49.00	52.88	12.11	2.86	157.04
4.	असम	2529.13	557.00	35.00	763.00	279.62	11.98	1496.98
5.	बिहार	2743.33	724.00	322.57		166.12	315.83	669.15
6.	छत्तीसगढ़	5135.94	518.00	590.00	1309.80	574.02	48.24	2533.31
7.	दमन और दीव	203.92	0.00		0.00	40.00	68.48	66.34
8.	दिल्ली	954.47	253.00	190.28	22.50	38.22	15.39	452.04
9.	गोवा	2477.32	307.00	597.00	99.00	509.44	25.90	1405.30
10.	गुजरात	11665.43	2459.00	2755.79	743.21	959.11	862.95	9205.03
11.	हरियाणा	5178.21	1141.00	381.00	635.00	649.72	347.43	3701.05
12.	हिमाचल प्रदेश	3409.76	1203.00	350.00	429.00	288.74	22.88	2804.34
13.	जम्मू और कश्मीर	2266.97	385.00	264.00	0.00	378.00	33.05	755.30
14.	झारखंड	1093.88	134.00	255.08	53.00	261.10	59.48	660.99
15.	कर्नाटक	11131.62	1478.00	2737.00	1563.59	1170.32	477.62	7178.95
16.	केरल	2431.69	353.00	351.00	351.34	284.53	201.48	1746.95
17.	लक्षद्वीप	76.68	0.00	0.00	19.20	4.80	1.81	20.13
18.	मध्य प्रदेश	7925.92	887.00	2163.25	874.65	831.16	542.68	6796.15
19.	महाराष्ट्र	29602.24	2568.00	4698.55	6377.06	4712.14	2129.21	26111.43
20.	मणिपुर	411.59	99.00	107.00	32.11	41.92	3.58	276.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	मेघालय	369.09	0.00		33.00	165.51	2.86	36.42
22.	मिजोरम	262.68	118.00	9.00	22.00	27.54	0.88	111.99
23.	नागालैण्ड	269.33	0.00	48.00	77.00	97.79	3.95	173.45
24.	ओडिशा	3339.01	681.80	28.00	713.58	364.63	325.75	1780.76
25.	पुडुचेरी	224.83	61.00	9.00	53.40	5.37	13.02	126.01
26.	पंजाब	9690.67	1821.00	1266.00	1079.00	1561.63	30.17	5459.54
27.	राजस्थान	2934.34	1098.00	51.00		200.83	184.95	1248.11
28.	सिक्किम	231.42	138.00	9.00	41.20	11.59	5.20	239.15
29.	तमिलनाडु	5637.06	380.00	166.00	654.43	1567.73	19.53	2821.78
30.	त्रिपुरा	372.83	35.00	130.24	113.47	34.81	3.95	334.96
31.	उत्तर प्रदेश	5532.18	1615.00	1067.00	673.80	311.10	102.59	4254.77
32.	उत्तराखण्ड	2541.38	383.00	51.00		825.57	197.40	1742.36
33.	पश्चिम बंगाल	3132.41	448.00	164.10	625.52	478.18	179.14	1737.83
	कुल	132900.02	22097.85	20437.00	18002.08	17769.03	6330.34	90355.74

*75:25 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों का वित्तपोषण शामिल (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10)

विवरण-III

"पी.पी.पी. के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आईज का उन्नयन" योजना के तहत सरकार द्वारा आवंटित एवं व्यय की गई निधियों की राशि को दर्शाता

"पी.पी.पी. के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आईज का उन्नयन" योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08 आवंटित निधियां 750 करोड़ रुपए			2008-09 आवंटित निधियां 750 करोड़ रुपए		
		शामिल आई.टी.आई. की संख्या	निर्गमित निधि	उपयोग हुई निधि	शामिल आई.टी.आई. की संख्या	निर्गमित निधि	उपयोग हुई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	50.00	26.31	36	90.00	36.06

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.50	0.84	1	2.50	0.87
3.	असम	6	15.00	3.73	5	12.50	1.86
4.	बिहार	4	10.00	1.52	4	10.00	0.45
5.	छत्तीसगढ़	12	30.00	6.72	10	25.00	3.51
6.	चंडीगढ़	1	2.50	0.60	0	0.00	0.00
7.	दिल्ली	0	0.00	0.00	2	5.00	1.71
8.	गुजरात	19	47.50	17.46	22	55.00	12.63
9.	हरियाणा	13	32.50	7.87	13	32.50	6.14
10.	हिमाचल प्रदेश	9	22.50	11.86	11	27.50	6.68
11.	जम्मू और कश्मीर	6	15.00	4.14	5	12.50	4.05
12.	झारखंड	2	5.00	1.23	2	5.00	0.85
13.	कर्नाटक	26	65.00	11.66	26	65.00	5.28
14.	केरल	5	12.50	8.12	5	12.50	4.05
15.	मध्य प्रदेश	21	52.50	5.63	16	40.00	1.45
16.	महाराष्ट्र	62	155.00	55.40	55	137.50	29.56
17.	ओडिशा	4	10.00	0.85	3	7.50	0.84
18.	पंजाब	20	50.00	10.39	19	47.50	7.70
19.	राजस्थान	17	42.50	10.60	15	37.50	11.02
20.	तमिलनाडु	12	30.00	12.03	5	12.50	3.83
21.	त्रिपुरा	1	2.50	2.65	1	2.50	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	25	62.50	28.47	18	45.00	17.53
23.	उत्तराखंड	10	25.00	4.84	10	25.00	3.07
24.	पश्चिम बंगाल	4	10.00	5.37	12	30.00	11.62
25.	नागालैण्ड	0	0.00	0.00	1	2.50	1.16
26.	गोवा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	1	2.50	0.00
28.	मिजोरम	0	0.00	0.00	2	5.00	2.16
29.	पुडुचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
31.	मणिपुर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
32.	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	300	750.00	238.29	300	750.00	174.08

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10 आवंटित निधियां 750 करोड़ रुपए			2010-11 आवंटित निधियां 300 करोड़ रुपए		
		शामिल आई.टी.आई. की संख्या	निर्गमित निधि	उपयोग हुई निधि	शामिल आई.टी.आई. की संख्या	निर्गमित निधि	उपयोग हुई निधि
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	7.50	2.54	2	5.00	0.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.50	0.51	1	2.50	0.00
3.	असम	5	12.50	0.81		0.00	0.00
4.	बिहार	2	5.00	0.00	1	2.50	0.00
5.	छत्तीसगढ़	15	37.50	8.01	4	10.00	0.27
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00		0.00	0.00
7.	दिल्ली	1	2.50	0.42	5	12.50	0.91
8.	गुजरात	25	62.50	7.66	1	2.50	0.02
9.	हरियाणा	10	25.00	2.30	12	30.00	1.47
10.	हिमाचल प्रदेश	10	25.00	1.23	2	5.00	0.01

1	2	9	10	11	12	13	14
11.	जम्मू और कश्मीर	4	10.00	1.59	7	17.50	0.15
12.	झारखण्ड	2	5.00	0.37		0.00	0.00
13.	कर्नाटक	23	57.50	3.09	1	2.50	0.01
14.	केरल	10	25.00	6.22	4	10.00	0.16
15.	मध्य प्रदेश	19	47.50	0.39	1	2.50	0.00
16.	महाराष्ट्र	60	150.00	4.83	29	72.50	0.06
17.	ओडिशा	5	12.50	0.86	1	2.50	0.00
18.	पंजाब	22	55.00	5.19	7	17.50	0.53
19.	राजस्थान	22	55.00	1.78	24	60.00	0.33
20.	तमिलनाडु	11	27.50	3.19	2	5.00	0.10
21.	त्रिपुरा	1	2.50	1.06	4	10.00	0.01
22.	उत्तर प्रदेश	32	80.00	15.15	5	12.50	1.39
23.	उत्तराखंड	9	22.50	0.73		0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	5	12.50	0.03	4	10.00	0.45
25.	नागालैंड	1	2.50	0.90		0.00	0.00
26.	गोवा	1	2.50	0.31		0.00	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00		0.00	0.00
28.	मिजोरम	0	0.00	0.00		0.00	0.00
29.	पुडुचेरी	1	2.50	0.00	2	5.00	0.00
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00		0.00	0.00
31.	मणिपुर	0	0.00	0.00		0.00	0.00
32.	मेघालय	0	0.00	0.00	1	2.50	0.00
	कुल	300	750.0	69.13	120	300.00	6.04

रक्षा भूमि का हस्तांतरण

818. श्री नीरज शेखर:

श्री यशवीर सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोधपुर, राजस्थान में बहुमूल्य रक्षा भूमि को हाल ही में कथित रूप से निर्धारित उपबंधों का उल्लंघन कर एक निजी ट्रस्ट को हस्तांतरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) स्थानीय सैन्य प्राधिकारी के कब्जे में राजस्थान के जोधपुर गांव की भूमि के एक हिस्से को 2007 में खाली कर दिया गया था।

(ग) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है;

छोटे समुद्री पोत

819. श्री अनंत कुमार: क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की स्वेदशी पोत निर्माण ज्ञान के आधार पर छोटे समुद्री पोत के निर्माण को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कुल आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) सरकार की 25 अक्टूबर, 2002 से 14 अगस्त, 2007 तक एक पोत निर्माण सब्सिडी योजना थी, जिसमें समुद्रगामी छोटे जलयानों के लिए निर्यात आदेश प्राप्त करने सहित विभिन्न श्रेणियों के जलयानों के निर्माण के लिए सभी भारतीय शिपयार्डों को सब्सिडी दिया जाना शामिल था।

उक्त योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के संबंध में सरकार द्वारा भुगतान किए जा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गयी थी:

2009-2010	490.530 करोड़ रुपये
2010-2011	748.30 करोड़ रुपये
2011-2012	542.12 करोड़ रुपये

शराब पीकर गाड़ी चलाने संबंधी कानून

820. श्री सुरेश अंगड़ी:

श्री पी. विश्वनाथन:

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शराब पीकर गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं/शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौतों को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सुझावों/शराब पीकर गाड़ी चलाने और हिट और रन संबंधी हाल ही के निर्णयों पर विचार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर इसे धारा 304क से धारा 304(दो) में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या मौजूदा उपबंधों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से निपटने के लिए देश में सख्ती से कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008 से 2010 के दौरान एल्कोहल/मादक पदार्थों का सेवन किए जाने के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुघर्टनाओं में मारे गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने के अपराधों के लिए कारावास का दण्ड अथवा जुर्माना अथवा दोनों के लिए प्रावधान है।

(ii) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट शराब विक्रेताओं को लाइसेंस जारी न किया जाना सुनिश्चित करें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जहां कहीं राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट शराब विक्रेताओं को पहले ही लाइसेंस प्रदान किए गए हैं उन मामलों की समीक्षा करें और सुधारात्मक कार्रवाई करें।

(iii) यह मंत्रालय शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अभियान चलाता है।

(iv) मंत्रिमंडल की 1 मार्च 2012 को हुई बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2007 को अब संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने जाने के अपराध और अन्य यातायात उल्लंघनों के लिए अधिक जुर्माना किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय विधि आयोग ने 'सड़क दुर्घटनाओं के शमन के लिए विधिक सुधार' संबंधी अपनी 234वीं रिपोर्ट में आई.पी.सी. की धारा 304 ए में संशोधन किए जाने की सिफारिश की है। उक्त धारा के अंतर्गत प्रस्तावित दण्ड 10 वर्ष तक विस्तारित किया जाने वाला किसी भी प्रकार का कारावास और जुर्माना होगा। आई.पी.सी. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध गैर-जमानती होगा। शराब अथवा मादक पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाये जाने से मारे गये किसी व्यक्ति की स्थिति में न्यूनतम दो वर्ष का कारावास होगा। आई.पी.सी. की धारा 304ए के अंतर्गत द्वितीय अथवा बाद के अपराध के लिए, यदि शराब अथवा मादक पदार्थ के प्रभाव से भिन्न अन्य किसी कारण से गाड़ी चलाए जाने पर अंधाधुंध अथवा लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाए जाने का मामला हो तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम एक वर्ष के कारावास का दण्ड होगा। चूंकि दण्ड विधि और दण्ड प्रक्रिया भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है इसलिए गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणी/विचार के लिए भेजा है। इस विषय में कोई भी विचार सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने क बाद बनाया जाएगा। इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(च) और (छ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों का प्रवर्तन किया जाना राज्य सरकारों का दायित्व है। इस मंत्रालय ने मोटन यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 लागू किए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं जसमें शराब पीकर गाड़ी चलाए जाने के अपराध के लिए कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों के लिए प्रावधान है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत में एल्कोहल/मादक पदार्थों के सेवन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या			भारत में एल्कोहल/मादक पदार्थों के सेवन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,591	4,469	2,877	619	1,668	970

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	20	8	15	9	5
3.	असम	530	279	361	414	129	160
4.	बिहार	1,944	1,011	930	839	422	350
5.	छत्तीसगढ़	855	266	1,241	222	64	283
6.	गोवा	42	15	29	0	0	0
7.	गुजरात	540	1,339	234	64	170	33
8.	हरियाणा	427	381	365	181	131	142
9.	हिमाचल प्रदेश	34	51	101	9	28	62
10.	जम्मू और कश्मीर	378	62	133	48	9	15
11.	झारखंड	725	695	1,005	296	273	263
12.	कर्नाटक	513	967	299	156	212	69
13.	केरल	67	63	65	11	8	11
14.	मध्य प्रदेश	1,899	4,480	4,082	277	681	947
15.	महाराष्ट्र	2,169	1,868	2,407	896	896	620
16.	मणिपुर	105	138	33	6	15	4
17.	मेघालय	9	39	33	3	11	6
18.	मिजोरम	18	15	27	7	6	15
19.	नागालैंड	9	0	2	5	0	1
20.	ओडिशा	819	813	858	333	335	329
21.	पंजाब	130	488	539	101	323	299
22.	राजस्थान	1,132	1,139	1,804	353	311	711
23.	सिक्किम	52	0	36	19	0	13
24.	तमिलनाडु	363	2,208	2,439	88	538	431
25.	त्रिपुरा	23	0	0	6	0	0
26.	उत्तरांखड	9	4	0	22	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तर प्रदेश	4,155	4,404	2,305	2,021	2,127	1,123
28.	पश्चिम बंगाल	1,555	1,894	8,663	668	932	3,065
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	27	26	2	4	1
30.	चंडीगढ़	4	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	73	0	0	47
32.	दमन और दीव	1	0	1	1	0	I
33.	दिल्ली	एन.आर.	8	12	एन.आर.	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	0	2	0
35.	पुडुचेरी	4	8	12	0	0	0
	जोड़	20,150	27,152	31,000	7,682	9,307	9,976

(एन.आर.-कोई सूचना नहीं)

अंतर्देशीय जल परिवहन

821. **श्री एम.के. राघवन:** क्या **पोत और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सहित देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की स्थिति क्या है;

(ख) केरल के उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले जलमार्गों सहित देश भर में अंतरदेशीय जल परिवहन में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) परियोजना के पूर्ण उपयोग हेतु केरल में जलमार्गों को आपस में जोड़ने में निरंतर विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त जलमार्गों को आपस में जोड़ने और उससे संबंधित अवसंरचना विकास को पूरा करने का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है; और

(ड.) क्या प्रस्ताव का कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से किया जाएगा और यदि हां, तो निजी क्षेत्रों को आमंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इस पर क्या प्रतिक्रिया रही?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) और (ख) इस समय देश में पांच राष्ट्रीय जलमार्ग (एन.डब्ल्यू.) हैं। ये निम्नानुसार हैं:-

(i) 1986 में घोषित गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 कि.मी.) एन.डब्ल्यू-1

(ii) 1988 में घोषित ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 कि.मी.)-एन.डब्ल्यू-2

(iii) 1993 में घोषित उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों (205 कि.मी.) के साथ-साथ पश्चिम तट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम)-एन.डब्ल्यू-3

(iv) 2008 में घोषित गोदावरी और कृष्णा नदी (1078 कि.मी.) के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी नहरें एन.डब्ल्यू-4

(v) 2008 में घोषित ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियों (588 कि.मी.) सहित समेकित पूर्वी तट नहर - एन.डब्ल्यू-5

इनमें से, एन.डब्ल्यू-3 अंतरदेशीय जलमार्गों के साधन के माध्यम से केरल के विभिन्न स्थानों अर्थात कोट्टापुरम, अलुवा, अंबालामुगल, कोच्चि, वायकोम, अल्लापुझा, त्रिकुनापुझा, कायमकुलम और कोल्लम को जोड़ता है।

पांच राष्ट्रीय जलमार्गों में से, एन.डब्ल्यू-1, 2 और 3 को अपेक्षित अंतरदेशीय जल परिवहन अवसंरचना मुहैया करवाकर नौवहन और नौचालन के लिए विकसित किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यों में वर्ष के अधिकतर समय में लक्षित गहराई और चौड़ाई सहित एक नौचालनात्मक जलमार्ग, दिन और रात के समय नौचालनात्मक साधन-सुविधाएं, जलयानों के घाट और लदाई/उतराई के लिए चुने गए स्थलों पर स्थिर/प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चुने हुए स्थलों में इंटरमॉडल सम्पर्क मुहैया करवाया जाना शामिल है।

योजना आयोग की सलाह पर व्यावहार्यता अंतर वित्त पोषण सहित सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत एन.डब्ल्यू-4 और एन.डब्ल्यू-5 के व्यायसायिक रूप से व्यवहार्य जलखंडों को विकसित किए जाने के प्रयास आरंभ किए गए हैं।

(ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, एन.डब्ल्यू-3 को विकसित किए जाने के लिए उत्तरदायी है। इससे जुड़े अन्य जलमार्गों को राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाना है।

(घ) और (ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों के माध्यम से एन.डब्ल्यू-3 का विकास कर रहा है और इस संबंध में विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। एन.डब्ल्यू-3 के विकास के लिए इस समय कोई पी.पी.पी. परियोजना परिकल्पित नहीं है। एन.डब्ल्यू-3 से जुड़े अन्य जलमार्गों को केरल की सरकार द्वारा विकसित किया जाना है।

सी.एफ.एल. के विनिर्माण हेतु मानदंड

822. डॉ. क्रुपारानी किल्ली:

श्री बिभू प्रसाद तराई:

श्री नवीन जिन्दल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप (सी.एफ.एल.) के विनिर्माण हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में "फ्लोरेसेंट लैंप में पारे के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन" के संबंध में नीति तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) भारत सरकार ने ऐसे किसी भी प्रकार की इलैक्ट्रिकल तारों, केबिल, उपकरणों, सुरक्षा साधनों और उपसाधनों के उत्पादन, संभरण, विक्रय वितरण को निषेध करने का एक आदेश जारी किया है जन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के मानक चिन्ह नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने सामान्य लाइटिंग सेवाओं हेतु सैल्फ बैलेस्टड लैम्पो की सुरक्षा अपेक्षाओं और निष्पादन अपेक्षाओं के लिए मानदण्ड प्रकाशित किए हैं जो कि काम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पों (सी.एफ.एल.) पर भी लागू होते हैं।

(ग) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने "फ्लोरेसेंट लैंप में पारे के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन" पर एक नीति तैयार करने हेतु कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल द्वारा गठित तकनीकी समिति ने "फ्लोरेसेंट लैम्प क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुकूल पारे के प्रबंधन हेतु-निर्देश" तैयार किए थे। ये दिशा-निर्देश विभिन्न स्तरों जैसे कि उत्पादन स्तर पर बेहतर कार्य-पद्धतियां निर्धारित करते हैं और इसमें पारे के उपयोग, प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, अपरिष्कृत पारे और आसवन, स्थल-संभरण, उपचार पुनचर्क्रण और पारा निहित अपशिष्टों का निपटान, पारा रिपल प्रबंधन संबंधी पहलू शामिल है। उपभोक्ता स्तर पर बेहतर कार्य पद्धतियों में उपयोग की गई/टूटी हुई लैम्पों का हथालन, उपयोग की जा चुकी फ्लोरेसेंट लैंपों के एकत्रण, परिवहन, उपचार और निपटान के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना शामिल है।

प्रशिक्षण वायुयानों की खरीद

823. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने प्रशिक्षण वायुयानों की कमी के कारण नए पायलटों के उड़ान समय में एक तिहाई समय की कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु सेना ने प्रशिक्षण वायुयान के आकस्मिक खरीद का निवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्याप्त संख्या में एडवांस जेट ट्रेनर की खरीद में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार के एडवांस जेट ट्रेनरों का चलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रशिक्षण वायुयानों की खरीद कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) उड़ान सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण एच.पी.टी.-32 विमानों को उड़ान से हटा देने तथा बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण किरण मेक-I/आई.ए. विमानों पर करवाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तथापि, समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु अन्य चरणों में उड़ान घंटे बढ़ा दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मैसर्स पिलेटस एयरक्राफ्ट, लिमिटेड, स्विटज़रलैंड से 75 बुनियादी प्रशिक्षक विभागों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों के अधिग्रहण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) भारतीय वायुसेना के लिए हॉक-132 उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों का चयन किया गया है। भारतीय वायुसेना में कुल 106 उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान शामिल किए जा रहे हैं।

(च) मैसर्स पिलेटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विटजरलैंड से बुनियादी प्रशिक्षक विमानों की सुपुर्दगी संविदा पर हस्ताक्षर होने से 15 महीने में शुरू होने का कार्यक्रम है।

पेशाजन्य रोग

824. **श्री वरूण गांधी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सिलीकोसिस संबंधी कारखानों में हुई मौतों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कारखाना स्वामियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार अपने श्रमिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा घटनाओं में बचे/मृत श्रमिकों के परिवारों की देखभाल और उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के संबंध में प्रदान की गई सूचना के अनुसार, सिलीकोसिस से ग्रस्त कामगारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में सिलीकोसिस संबंधी कारखानों में हुई मौतों के संबंध में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग) कारखानों में कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत कवर किए गए हैं। अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का प्रवर्तन, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कारखाना निरीक्षक के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कारखाना मालिकों द्वारा सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की निगरानी करने के लिए कोई अलग समिति नहीं है। इसके अतिरिक्त कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41-छ के अंतर्गत जोखिमपूर्ण प्रक्रिया उद्योगों के संबंध में सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान विद्यमान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कर्मचारियों के लाभार्थ पर्याप्त प्रावधान पहले ही विद्यमान हैं।

विवरण

वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों में सिलीकोसिस रोग से प्रभावित राज्य-वार कामगार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	2008	2009	2010
गुजरात	-	-	14
पश्चिम बंगाल	-	23	-

*शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिलीकोसिस का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है।

स्रोत: आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक से पत्राचार के माध्यम से कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डी.जी.फासली) द्वारा संग्रहीत।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा वस्त्र उद्योग की स्थापना

825. **डॉ. संजय जायसवाल:**

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए छोटे और मझोले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का किसानों को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए देश में विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र में कपास और जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 15404 करोड़ रु. तथा 1419 करोड़ रु. के आबंटन से क्रमश: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना तथा एकीकृत वस्त्र पार्क योजना शुरू की है।

(ग) और (घ) कृषकों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक वर्ष एम.एस.पी. निर्धारित करती है। तदनुसार, सी.ए.सी.पी. की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011-12 के दौरान मीडियम स्टेपल लैंथ कपास का समर्थन मूल्य 2800 रु. प्रति क्विंटल और लौंग स्टेपल कपास का 3300 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए कच्ची पटसन का एम.एस.पी. 1675 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

826. **डॉ. संजय सिंह:**

श्री यशवंत लागुरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तटीय विनियमन जोन (सी.आर.जेड.) सहित पर्यावरण विनियमन के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में निजी परियोजना के प्रमोटर के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नोटिस किया है कि उपरोक्त अधिनियम तथा सी.आर.जेड. स्वीकृति मानदंडों का अनेक बाध्यताओं के चलते उचित रूप से अनुपालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत छः (6) परियोजना प्रस्तावकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इन मामलों में से मुंबई के एक मामले में अप्राधिकृत ढांचे को हटाने के लिए आदेश जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) तटीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य-कलापों के प्रभावी विनियमन हेतु एक नई अधिसूचना अर्थात् मुख्य भूमि के लिए तटीय विनियमन जोन अधिसूचना तथा लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लिए द्वीपसमूह संरक्षण जोन अधिसूचना दिनांक 06-01-2011 को अधिसूचित की गई थी। इन अधिसूचनाओं में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रदेश सी.जेड.एम.ए. इन अधिसूचनाओं के प्रवर्तन और मानीटरी हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन करेंगे, जिनमें मछुआरा समुदाय सहित स्थानीय परम्परागत तटीय समुदायों के कम से कम तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त, यह अधिसूचनाएं परियोजना प्रस्तावकों के लिए अनिवार्य करती हैं कि वे संबंधित विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरणों) को हार्ड और साफ्ट प्रतियों में पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित निबंधन और शर्तों के संबंध में अर्द्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत ऐसी सभी अनुपालन रिपोर्टें पब्लिक डोमेन में प्रकाशित की जाएंगी तथा संबंधित सी.जेड.एम.ए. को आवेदन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां दी जाएंगी। यह रिपोर्टें संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएंगी। सी.जेड.एम.ए. की कार्य-प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने हेतु, यह सी.जेड.एम.ए. का उत्तरदायित्व होगा कि वह केवल इसी प्रयोजन हेतु एक वेबसाइट तैयार करे और बैठकों के कार्यवृत्त, स्वीकृति पत्रों, उल्लंघनों इत्यादि के ब्यौरे सहित सभी संगत सूचनाएं इस वेबसाइट पर प्रेषित करें।

समस्त राज्य/संघ शासित प्रदेश तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों को तटीय विनियमन जोन अधिसूचना के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया था और मंत्रालय में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई है।

[अनुवाद]

आर.एस.बी.वाई. के तहत एम.जी.एन.आर.जी.एस.

827. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':**

श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के तहत लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित योजना के तहत कामगारों द्वारा कितने प्रीमियम का भुगतान किया जाना अपेक्षित है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक उत्तराखंड सहित राज्य-वार विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से असंगठित क्षेत्र के कितने कामगार लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या योजना के तहत सभी नागरिकों को मूलभूत स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा आर.एस.बी.वाई. के तहत ऐसे अधिकाधिक कामगारों को कवर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों (पांच की इकाई वाले) को 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैश स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर. ई.जी.एस.) लाभार्थियों जिन्होंने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक कार्य किया है पर विस्तारित कर दी गई है।

(ग) प्रीमियम केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों

और जम्मू एवं कश्मीर के मामले में प्रीमियम वहन करने का अनुपात 90:10 है। लाभार्थियों द्वारा प्रतिवर्ष केवल 30 रुपये का पंजीकरण/पुनर्नवीकरण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(घ) आर.एस.बी.वाई., हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, हस्तशिल्प शिल्पकारों के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.जी.एस.एस.बी.वाई.), सर्वतोमुखी स्वास्थ्य बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-1 से IV में है।

(ङ) और (च) आर.एस.बी.वाई. का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों तथा गली में फेरी लगाने वालों, बीड़ी कामगारों और घरेलू कामगारों के लिए भी विस्तार किया गया है। असंगठित क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक समूहों पर भी आर.एस.बी.वाई. का चरणबद्ध ढंग से विस्तार करना सरकार का प्रयास है।

विवरण-I

आर.एस.बी.वाई. के तहत जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-2010	2010-11	2011-12 (29-02-2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	15711	39615
2.	असम	81565	204465	204548
3.	बिहार	2038909	5101901	7096914
4.	चंडीगढ़	5407	4913	4913
5.	छत्तीसगढ़	927672	1230378	1384680
6.	दिल्ली	218055	113608	144518
7.	गोवा	3505	योजना समाप्त कर दी	
8.	गुजरात	682354	1919086	1850643
9.	हरियाणा	682354	621741	584683
10.	हिमाचल प्रदेश	115828	237946	235131
11.	झारखंड	434762	1329254	9484
12.	कर्नाटक	36971	157405	1060286
13.	केरल	1173388	1796315	1748471
14.	महाराष्ट्र	1440407	1516687	2172918

1	2	3	4	5
15.	मणिपुर	-	18259	31921
16.	मेघालय	22579	59055	67150
17.	मिजोरम	-	15240	43256
18.	नागालैंड	39301	39290	77870
19.	ओडिशा	341653	433079	1100793
20.	पंजाब	169306	193541	220486
21.	तमिलनाडु	149520	योजना समाप्त कर दी	
22.	त्रिपुरा	145780	258402	258402
23.	उत्तर प्रदेश	4296865	4233626	4145925
24.	उत्तराखण्ड	53940	335424	338879
25.	पश्चिम बंगाल	802974	3527137	4486192
	कुल	13865338	23362463	27987800

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना		
		2009-10	2010-11 (30-11-2011 तक)	2011-12 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	120027	140000	140000
2.	अरुणाचल प्रदेश (एन.ई.आर.)	855	1787	1787
3.	असम (एन.ई.आर.)	352124	355322	356310
4.	बिहार	31948	46300	46300
5.	छत्तीसगढ़	3815	4900	4900
6.	दिल्ली	0	500	500

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	4086	5000	5000
8.	गोवा	0	0	0
9.	हरियाणा	15404	23100	23100
10.	हिमाचल प्रदेश	12679	11900	11900
11.	जम्मू और कश्मीर	12000	45000	45000
12.	झारखंड	25677	15001	15000
13.	कर्नाटक	34776	15001	15000
14.	केरल	10137	18900	20000
15.	मध्य प्रदेश	8710	18030	18500
16.	महाराष्ट्र	1688	1527	1500
17.	मणिपुर (एन.ई.आर.)	29991	34587	34587
18.	मेघालय (एन.ई.आर.)	35250	30000	30000
19.	मिजोरम (एन.ई.आर.)	110	1129	1129
20.	नागालैंड (एन.ई.आर.)	32820	50000	50000
21.	ओडिशा	50677	48300	48300
22.	पुडुचेरी	0	0	0
23.	पंजाब	0	0	0
24.	राजस्थान	4899	4965	5000
25.	सिक्किम (एन.ई.आर.)	55	400	400
26.	तमिलनाडु	319023	314253	315000
27.	त्रिपुरा (एन.ई.आर.)	25250	52988	52000
28.	उत्तर प्रदेश	191714	200032	200000
29.	उत्तराखण्ड	3122	4000	4000
30.	पश्चिम बंगाल	285000	3520379	352300
	कुल	1611837	1795000	1797513

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आर.जी.एस.एस.वाई. के अंतर्गत कवर किए गए शिल्पकार		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	56200	-	40588
2.	अरुणाचल प्रदेश	4330	25	3262
3.	असम	135670	7110	147641
4.	बिहार	14800	-	4712
5.	छत्तीसगढ़	6800	-	3900
6.	दिल्ली	4854	2418	4048
7.	गुजरात	22683	-	7851
8.	गोवा	1050	-	1150
9.	हरियाणा	10100	2550	10074
10.	हिमाचल प्रदेश	3087	941	3525
11.	जम्मू और कश्मीर	44162	3589	30882
12.	झारखण्ड	11700	1842	9889
13.	कर्नाटक	13300	-	8743
14.	केरल	22500	-	23264
15.	मध्य प्रदेश	18198	-	4000
16.	महाराष्ट्र	8948	-	5000
17.	मणिपुर	22922	1025	7847
18.	मेघालय	4746	251	4771
19.	मिजोरम	1115	0	748
20.	नागालैंड	4850	150	8569
21.	ओडिशा	35002	-	13190

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	18000	2810	17690
23.	राजस्थान	30207	-	6081
24.	सिक्किम	1066	0	797
25.	तमिलनाडु/ए एण्ड एन/पुडुचेरी	29400	-	20118
26.	त्रिपुरा	21500	4633	45073
27.	उत्तर प्रदेश	175855	-	89000
28.	उत्तरांचल	17600	4358	14628
29.	पश्चिम बंगाल	61869	4337	88153
	कुल	802514	36039	625194

विवरण-IV

सर्वतोमुखी स्वास्थ्य बीमा योजना (यू.एच.आई.एस.) के अंतर्गत कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	176537	181336	171765
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	4820	114987	1861
4.	बिहार	0	1094	285
5.	चण्डीगढ़	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	2569	809	690
7.	दिल्ली	2219	102	15
8.	गुजरात	221411	3510	4135
9.	हरियाणा	4688	253	3367

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	94	29496	5871
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	91
12.	झारखण्ड	227	920	0
13.	कर्नाटक	137224	1086086	1321656
14.	केरल	240540	296553	326255
15.	मध्य प्रदेश	6950	14592	10259
16.	महाराष्ट्र	60336	77254	7640
17.	मणिपुर	244	1006	146
18.	ओडिशा	32189	34903	40872
19.	पंजाब	198	1	116
20.	राजस्थान	1573	25259	76362
21.	त्रिपुरा	0	1710	0
22.	तमिलनाडु	55629	169160	326564
23.	उत्तर प्रदेश	149843	222815	664
24.	उत्तराखण्ड	259	732816	207666
25.	पश्चिम बंगाल	3454	12950	480919
	कुल	1101004	3007612	2987199

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33

828. **श्री अजय कुमारः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रांची-बहारागोडा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्रेटर/गड्ढों के कारण गाड़ी चलाने योग्य स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संकरी सड़क पर लगने वाले काफी सड़क जाम के मद्देनजर इस खंड को चौड़ा करके 4 से 6 लेन में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त परियोजना में कोई विलम्ब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस सड़क मार्ग पर कार्य कब तक आरंभ होने/पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है और वह कार्य पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात की आवश्यकता तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(ग) से (च) रांची-महुलिया खंड और महुलिया बहारागोडा खंड को 4 लेन का बनाए जाने संबंधी कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले ही सौंप दिया गया है और इन खंडों के लिए क्रमशः 20-04-2011 और 29-02-2012 को रियायत करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। मौजूदा कैरिजवे का रखरखाव रियायत करार के क्षेत्र में शामिल है। मौजूदा यातायात अपेक्षा के अनुसार, खंड 4 लेन का बनाया जा सकता है। इसे 6 लेन का बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

भारत में इस्पात संयंत्र

829. **श्री निशिकांत दुबे:**

श्री तूफानी सरोज:

श्री कादिर राणा:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने लाभ अर्जित करने वाले इस्पात संयंत्र हैं;

(ख) क्या कतिपय इस्पात संयंत्रों को रुग्ण घोषित किया गया है अथवा उनके द्वारा घाटा उठाने के चलते बंद किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों में नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) से (ग) इस्पात मंत्रालय इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखता है। इस्पात के नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण भौतिक एवं वित्तीय मामलों से संबंधित विस्तृत रणनीति वाणिज्यिक विवेक के आधार पर स्वयं निजी निवेशकों द्वारा निश्चित की जाती हैं। प्रमुख इस्पात निवेशकों से संबंधित मुद्दों पर निगरानी रखने एवं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयीन समूह की स्थापना की गई हैं।

(घ) से (च) एन.एम.डी.सी. लिमिटेड जो इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के नागरनार में 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है। वर्ष 2014-15 में संयंत्र के शुरू होने की आशा है।

लाल मिर्चों का निर्यात

830. **श्री एल. राजगोपाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाल मिर्च का अमेरिका, जापान, यूरोप आदि देशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, देश-वार तथा किस्म-वार किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात की गई मिर्च में एफ्लोटाक्सिन तथा अन्य कीटनाशियों के विशेष पाये जाने के चलते निर्यात खेप को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। निर्यात की जा रही मिर्च की प्रमुख किस्में सन्नम, तेजा, ब्यादगी, मुंडू, कश्मीरी मिर्च इत्यादि हैं। गत तीन वर्षों के दौरान मिर्च के निर्यात का वर्ष-वार एवं देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। निर्यात अस्वीकृति से बचने के लिए मसाला बोर्ड, यूरोपीय संघ (ई.यू.) को निर्यात करने से पूर्व सूडान रंजक I, II, III, IV, एफ्लोटॉक्सिन एवं अन्य विषैले तत्वों की मौजूदगी के लिए मिर्च एवं मिर्च उत्पादों की लदान-पूर्व अनिवार्य सैम्पलिंग और परीक्षण प्रक्रिया का कार्यान्वयन करता है। ई.यू. के अलावा, अमरीका, दक्षिण

अफ्रीका और जापान सहित अन्य गंतव्यों में भी अब निर्यात हेतु मिर्च एवं मिर्च उत्पादों की अनिवार्य लदान-पूर्व गुणवत्ता जांच शुरू की गई है। केवल मसाला बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त मिर्च/मिर्च उत्पादों की खेपों को ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात हेतु अनुमति दी जाती है। निवारक कार्रवाई के परिणामस्वरूप मसाला बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों में मिर्च एवं मिर्च उत्पादों के कुल 77409 परेषणों के नमूनों की जांच के पश्चात 2253 खेपों के निर्यात को रोका गया है।

मसाला बोर्ड फसल कटाई/प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर एफ्लोटॉक्सिन के स्तर को कम करने के लिए बेहतर कृषि पद्धतियां लागू करने हेतु विभिन्न उत्पादक राज्यों में मिर्च उपजकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है। इसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नमी से बचाव एवं एफ्लोटॉक्सिन के स्तर को कम करने के लिए समुचित भण्डारण एवं स्वच्छतापूर्ण परिवहन जैसी अच्छी विनिर्माण पद्धितियों को लागू करने हेतु व्यापारियों/निर्यातकों के लिए चलाये जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो उपजकर्ताओं, व्यापारियों और प्रसंस्कर्ताओं को एफ्लोटॉक्सिन रहित खेपों का निर्यात करने में सहायता प्रदान करती है।

विवरण

भारत से मिर्च के प्रमुख देशवार निर्यात

देश	2008-09		2009-10		2010-11 (अ)	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
मलेशिया	40615	26072.08	45545	32303.70	48248	35641.96
श्रीलंका	37792	19627.97	34788	19441.63	34072	19728.61
बांग्लादेश	1923	1023.32	28173	15157.92	32742	18207.91
अमरीका	15793	12881.60	17744	15137.32	17362	13801.24
पाकिस्तान	22376	10192.04	160	80.52	25712	13491.59
यू.ए.ई.	18813	7006.45	23232	8997.80	20703	8478.70
मैक्सिको	1363	899.40	2256	1828.44	8500	7627.51
इंडोनेशिया	10531	5148.77	10267	5563.64	10242	6035.16
चीन	382	315.97	1769	1284.22	6771	4699.28
यू.के.	3045	2646.64	3205	3271.42	3612	3744.56
वियतनाम	422	231.60	4036	3142.67	3383	2399.94
थाईलैंड	9190	5434.60	7605	5110.05	2601	1850.79

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण अफ्रीका	2815	1726.44	2469	1788.83	2469	1843.59
सऊदी अरब	1921	1306.87	1664	1283.19	1726	1365.46
सिंगापुर	1857	1277.76	1546	1128.00	1745	1350.55
कनाडा	830	695.41	918	784.49	1087	1023.14
मिस्र (ए.आर.ई.)	2823	1830.66	3160	2216.09	1465	938.82
आस्ट्रेलिया	708	677.93	909	942.29	859	887.87
नेपाल	3225	1228.41	4568	2060.15	2197	860.97
इटली	1002	991.09	579	572.19	793	847.28
नीदरलैंड	262	243.57	243	248.50	682	677.51
कुवैत	693	441.62	429	414.35	827	558.19
रूस	1266	592.76	1178	599.88	1298	538.36
ओमान	387	335.85	654	514.73	623	520.52
फ्रांस	457	561.79	429	494.17	421	454.41
ब्राजील	280	177.49	422	293.98	634	454.11
जर्मनी	296	286.24	203	221.35	413	444.40
कतर	876	420.48	598	373.46	598	409.63
बहरीन	440	294.47	643	333.58	555	322.61
जापान	163	276.95	37	99.97	209	245.79
कुल (अन्य सहित)	188000	108094.92	204000	129172.81	240000	153553.96

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता/सीमाशुल्क से प्राप्त निर्यातकों की आय के आंकड़े/डी.एल.ई.

[हिन्दी]

झीलों का संरक्षण

831. **योगी आदित्यनाथ:**

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान झीलों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके संरक्षण के लिये कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में प्राकृतिक झीलों के संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) देश में प्रदूषित तथा अवक्रमित झीलों के संरक्षण तथा प्रबंधन पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) मंत्रालय केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 70:30 लागत विभाजन आधार पर, देश के शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए, जून 2001 से एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम - राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत अब तक 1028.19 करोड़ रु. की लागत से 61 झीलों के संरक्षण हेतु परियोजनाएं मंजूर की हैं। जहां तक राज्यों में झीलों की संख्या में गिरावट का संबंध है, मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, तीव्र शहरीकरण और विभिन्न विकासात्मक कार्य-कलापों के कारण, झीलों के विस्तार में कमी आई है।

(ङ) और (च) इस मंत्रालय को विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से एन.एल.सी.पी. के तहत कुल 83 झील संरक्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से दो प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश से हैं। वे प्रस्ताव जो एन.एल.सी.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, वे रिवीजन/रिकास्टिंग हेतु राज्य सरकार को वापिस भेज दिए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश के लिए मई, 2009 में 4.30 करोड़ रु. की लागत से हैदराबाद की 'बंजारा झील के पुनर्वास और जीर्णोद्धार' हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया था। हैदराबाद महानगर क्षेत्र में 11 झीलों के संरक्षण हेतु प्राप्त अन्य प्रस्ताव, एन.एल.सी.पी. कार्य-ढांचे के अनुसार पुन: तैयार करने के लिए राज्य सरकार को वापिस भेजे गए हैं।

(छ) स्कीम के तहत मंजूर कार्यों का परिणाम, झील में प्रविष्ट होने वाले प्रदूषण से निपटान, झील की जल गुणवत्ता में सुधार और झील सौंदर्य में संवर्द्धन रहा।

[अनुवाद]

परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता

832. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालयों की वेबसाइट से परियोजना को स्वीकृति दिये जाने संबंधी महत्वपूर्ण सूचना गायब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने मंत्रालय को अप्रैल 2012 तक अपनी वेबसाइटों पर परियोजना की स्वीकृति संबंधी संपूर्ण सूचना डालने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो वेबसाइटों पर डाली जा रही सूचना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया संबंधी पारदर्शिता में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) की बैठक की कार्य-सूची, बैठकों का कार्यवृत्त, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति का विषय-क्षेत्र और विचारार्थ विषय (टी.ओ.आर.), पर्यावरणीय स्वीकृति पत्रों इत्यादि की प्रतियां जैसी परियोजना स्वीकृति से संबंधित सूचना नियमित रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाती हैं। विकासात्मक परियोजनाओं और ई.ए.सी. के गठन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधी सभी अधिनियम, दिशा-निर्देश और परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केन्द्रीय सूचना आयोग ने मंत्रालय को दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से फार्म-1, फार्म-1ए, ई.ए.सी. के प्रश्नों के उत्तर में परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त अतिरिक्त सूचना, स्थल की दौरा संबंधी रिपोर्टें और स्थल विशिष्ट अध्ययन रिपोर्टें मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार, पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित संगत सूचना ऊपर उल्लिखित अनुसार, मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और संभलाई) नियम, 2011

833. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**

श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई-अपशिष्ट प्रबंधन और संभलाई नियम, 2011 अधिसूचित होने के एक वर्ष के बाद लागू किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) उपर्युक्त अधिसूचना से देश में खतरनाक ई-अपशिष्ट के आयात पर किस प्रकार रोक लगने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 12 मई, 2011 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किये हैं, जो कि 1 मई, 2012 से लागू होंगे। ई.पी.आर. को इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी एक अनिवार्य गतिविधि बनाने के लिए इन नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) की अवधारणा स्थापित की गई हैं। उत्पादक एकत्रण केन्द्रों अथवा वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप से अपने उत्पादों को वापिस लेने संबंधी प्रणाली स्थापित करके अपने उत्पादों के अनुपयोगी होने पर उनसे उत्पन्न ई-अपशिष्ट के एकत्रण के लिए उत्तरदायी होंगे। उत्पादक/ निर्माता इत्यादि को वापिस लेने संबंधी प्रणाली और ई-अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।

(ग) और (घ) ई-अपशिष्टों का आयात और निर्यात खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के तहत विनियमित किया गया है। ई-अपशिष्टों का आयात केवल पुनर्चक्रण अथवा रिकवरी अथवा पुन: उपयोग इत्यादि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति से अनुमत है। इन नियमों के अनुसार, सीमा-शुल्क प्राधिकारी के लिए यादृश्छिक प्रतिचयन ड्रा करना तथा खतरनाक अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के मामले में पुन: निर्यात के आदेश जारी करना अपेक्षित है। आयात और निर्यात से संबंधी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (ई.जी.एफ.टी.), जहाजरानी मंत्रालय (पत्तन विभाग), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चयनित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रतिनिधियों सहित एक समन्वय समिति गठित की गई है। यह समिति देश में ई-अपशिष्ट के अवैध आयात की जांच के लिए खतरनाक अपशिष्ट नियमों के प्रवर्तन के संबंध में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को सचेत करने का कार्य करती है।

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता

834. **श्री महेश जोशी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे कोई उपबंध हैं जो चिकित्सक द्वारा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों तथा दुर्घटना के पीड़ितों को पुलिस के आने से पूर्व उपचार करने से रोकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत्यु-दर में कमी लाने और पुलिस वालों तथा मेडीकल स्टाफ को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु संवेदनशील बनाने के मामले को सरकार/ संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों तथा पुलिस स्टेशनों में व्यापक प्रचार करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, मोटर यान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो डाक्टरों को पुलिस के आने से पहले गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों और दुर्घटना मामलों को तुरंत देखने से रोकता हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कहा है कि चिकित्सा उपचार के लिए

अस्पताल में लाए गए प्रत्येक घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए। यह अनिवार्य बनाने के लिए कि डाक्टर बगैर किसी औपचारिकता की प्रतीक्षा किए दुर्घटना पीड़ित का उपचार शुरू करेंगे, इस आशय के लिए वर्ष 1994 में मोटर यान अधिनियम में बाद में और संशोधन किया गया था। एक ब्यौरे-वार परिपत्र जिसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख है, इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 09-09-2004 को जारी किया गया।

(ख) से (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 7-5-2010 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के इस संबंध में दिए गए आदेश का विशेष उल्लेख है और उन्हें सभी अस्पतालों और डाक्टरों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे बगैर कि किसी औपचारिकता की प्रतिक्षा किए तथा बगैर इस आशंका से कि वे इन चिकित्सा-कानूनी मामलों में फंस जायेगे, स्वर्णिम घंटे के दौरान दुर्घटना पीड़ित उपचार शुरू करें। इसी प्रकार, गृह मंत्रालय से भी सम्पूर्ण पुलिस बल को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि वे दुर्घटना पीड़ितों के साथ दया एवं इष्टतम तात्कालिकता के साथ पेश आएं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करके तथा पोस्टर आदि बांट करके इस मुद्दे के बारे में जन-जागरूकता फैलाई है।

एम.एम.टी.सी. के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात

835. **श्री विलास मुत्तेमवार:**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क सहित अयस्कों के निर्यात को खान और खनिज व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) के माध्यम से करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशिष्ट योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में अवैध खनन पर रोक लगाने में इस प्रकार का कदम किस सीमा तक मददगार साबित होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तथा उत्पादन और घरेलू मांग के बीच तालमेल बिठाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत 64% एवं उससे अधिक लौह घटक वाले लौह अयस्क का निर्यात एम.एम.टी.सी. लि. के जरिए राज्य व्यापार तंत्र के अध्यधीन है। तथापि, लेखांकन प्रक्रिया के रूप में लौह अयस्क के अधिकांश ग्रेडों के निर्यात को शामिल करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में नोडल अभिकरण प्रचालन की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है ताकि लौह अयस्क निर्यातों की वैधता एवं अधिक कड़े नियंत्रण तथा खनन विनियमों का अनुपालन लागू किया जा सके। खनिज आवागमन की शुरूआत से अंत तक निगरानी (खनन के चरण से लेकर अंतिम प्रयोग/ निर्यात तक) तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनिवार्य रूप से पंजीकरण एवं जानकारी दिए जाने से अयस्क की अनुमार्गणीयता स्थापित होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उसे वैध खनन प्रचालनों से प्राप्त किया गया है।

(ङ) लौह अयस्क की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लौह अयस्क लम्प्स एवं फाइन्स पर मूल्यानुसार निर्यात शुल्क बढ़ाकर 30% कर दिया है और निर्यात हेतु अभिप्रेत लौह अयस्क पर अलग प्रकार का रेलवे प्रभार लगाया है।

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था

836. **श्री नरहरि महतो:**

श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में तथा इसके आसपास अन्य एक्सप्रेसवे का निर्माण करते हुए पैदल यात्रियों के लिये सुरक्षा उपबंधों को ध्यान में नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली-गुड़गांव के आठ लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का पथकर संग्रहण का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया है;

(घ) निर्माण तथा पथकर संग्रहण के संबंध में इस संविदा के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ङ) उक्त सड़क मार्ग पर पैदल यात्रियों के लिए उपरिपुल/अधोगामी पुल का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी कंपनी/एजेन्सी का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.-ए.आई.) तथा ठेकेदारों के बीच विवाद क चलते यात्रियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। पैदल यात्रियों के लिए चार भूमिगत मार्ग और सात पैदल पार पुल बनाए गए हैं और दो पैदल पार पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए मीडियन फेसिंग बना दी गई हैं।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिनांक 31-01-2002 के पत्र के तहत मैसर्स जय प्रकाश उद्योग लि. व मैसर्स डी.एस. कन्स्ट्रक्शन लि. कन्सोर्टियम की निविदा को स्वीकार किया है। कन्सोर्टियम ने एक विशेष प्रयोजन मूलक तंत्र अर्थात मैसर्स जे.पी. डी.एस.सी. वैन्चर्स लि. (अब दिल्ली-गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी लि. नामक) का समावेश किया जिसके साथ 18-04-2002 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ) दिनांक 18-04-2002 के रियायत करार के अनुसार।

(ङ) पैदल यात्री भूमिगत मार्गों (4) और दो पैदल पार पुलों का निर्माण कार्य रियायत करार में परियोजना के क्षेत्र के अनुसार तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के परिवर्तन के अनुसार रियायतग्राही द्वारा किया गया था। अन्य पैदल पार पुलों का निर्माण/प्रावधान तथा मीडियन फेसिंग एजेंसियों के माध्यम से की गई थी।

(च) और (छ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

प्रचार पर व्यय

837. डॉ. बलीराम: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इस्पात उत्पादों के विज्ञापन या प्रचार पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ/उठाये गये घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस्पात कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने व्यय में कमी करने के लिये किये जा रहे किफायती उपायों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) सूचना निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	इस्पात का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम	वर्ष			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (दिसंबर, 2011 तक)
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	54.80	40.20	43.20	18.91
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2.79	2.02	3.47	1.15

(ख) और (ग) सरकार पहले ही विज्ञापन नीति को अपना चुकी है जिसे निर्धारित नीति के अनुसार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) की दरों पर प्रत्यक्ष रूप से सभी विज्ञापन जारी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सोसायटियों की आवश्यकता है।

(घ) सूचना निम्न प्रकार है:

(लाभ करोड़ रुपए)

क्र.सं.	इस्पात का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम	वर्ष			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (दिसंबर, 2011 तक)
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6174.81	6754.37	4904.74	1965.74
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1335.57	796.67	658.49	401.27

(ङ) मितव्ययी उपायों के तहत विज्ञापनों पर व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है और इसकी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। छोटे विज्ञापन समाचार पत्रों में दिए जाते हैं और ब्यौरा सेल की वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है। बजट को 10 प्रतिशत कम करके व्यय को नियंत्रित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रमुख मदों का निर्यात

838. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मद-वार और वर्ष-वार प्रमुख मदों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले छह माह के दौरान भारतीय निर्यात में कमी दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने वैश्विक मांग तथा देश की निर्यात संभाव्यता में कमी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) व्यापार घाटे में कमी लाने तथा निर्यात निष्पादन को बढ़ाने और इसके विविधीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसके साथ-साथ इस संबंध में निर्यात संवर्धन परिषद की क्या भूमिका रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातों का कुल मूल्य निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

2008-09	2009-10	2010-11
840755.1	**845533.6**	**1142649.0**

गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख वस्तु क्षेत्रों के निर्यातों के मूल्य संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र/वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
रत्न एवं आभूषण	128575.19	137567.99	167845.69
रसायन	109883.82	115445.54	141083.10

क्षेत्र/वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
वस्त्र	88491.61	90682.06	102082.66
इंजीनियरी वस्तुएं	183997.80	154319.79	272589.54
पेट्रोलियम उत्पाद	123397.91	132899.02	188443.22

(ख) और (ग) जी, नहीं। अगस्त, 2011 में 111440 करोड़ रुपये (अनंतिम) की तुलना में जनवरी, 2012 में कुल निर्यात बढ़कर 130129 करोड़ रुपये (अनंतिम) का हो गया है।

(घ) से (च) भारत सरकार द्वारा निरंतर वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों की मॉनिटरिंग की जाती है और समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय किए जाते हैं। निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन में वृद्धि हेतु दिनांक 13-10-2011 को की गई घोषणाओं सहित प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में सरकार तथा आर.बी.आई. द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। बाजार विविधीकरण और उत्पाद संबद्ध बाजार समेकन पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। निर्यात संवर्धन परिषदें भारत तथा विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करके किसी विशेष उत्पाद समूह, परियोजनाओं एवं सेवाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण

839. **श्री यशवंत लागुरी:**

श्रीमती रमा देवी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने 8 राज्यों के 34 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5477 किमी. सड़कों के विकास के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुचित भर्ती प्रक्रिया

840. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा प्रतिष्ठानों में भर्ती प्रक्रिया उचित नहीं है तथा आवेदनों के लिये शुल्क प्रभारित करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य नौकरियां देने की बजाय अपनी विक्रय स्थिति सुदृढ़ करना होता है;

(ख) यदि हां, तो देश में बढ़ती बेरोजगारी में कमी लाने तथा युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराने के लिये भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी नियमों में क्या परिवर्तन किये जाने की संभावना है तथा प्रत्येक वर्ष कितने बेरोजगार युवकों को नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतया 25 या उससे अधिक व्यक्तियों को पारिश्रमिक पर कार्य पर नियोजित करने वाले (कमीशन के आधार पर काम करने वाले शामिल) सभा प्रतिष्ठानों को अपनी विशिष्ट श्रेणियों की रिक्तियों की अधिसूचना अपने समीपस्थ रोजगार कार्यालय में देनी होती है। रोजगार कार्यालय बिना किसी प्रभार के रोजगार सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) हेतु दृष्टिकोण पत्र में पर्याप्त आजीविका अवसरों के सृजन हेतु तीव्र, सतत तथा अधिक समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है। ऐसे रोजगार अवसर, कृषि प्रसंस्करण में तेजी से विस्तार, आपूर्ति शृंखलाओं, खेती में नियमित आधुनिकीकरण, उपस्कर के रखरखाव, ग्रामीण अवसंरचना के अन्य तत्वों तथा सेवा क्षेत्र से आ सकते हैं।

पेड़ों की कटाई पर रोक

841. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) में तृतीय चरण के निर्माण कार्य के दौरान अनेक पेड़ों की कटाई किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डी.एम.आर.सी. के साथ एक पेड़ की कटाई के बदले दस पेड़ों को लगाने के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो डी.एम.आर.सी. द्वारा दो चरणों के निर्माण के दौरान काटे गये पेड़ों के बदले अब तक कितने पेड़ लगाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, हां। दिल्ली मैट्रो रेल निगम ने चरण-III में निम्नलिखित मैट्रो लाइनों के निर्माण कार्य के लिए 14298 पेड़ों को हटाया जाना इंगित करते हुए एक अस्थायी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मुकुंदपुर-यमुना विहार	-	5877
बोटेनिकल गार्डन-जनकपुरी (पश्चिम)	-	6664
केंद्रीय सचिवालय-कश्मीरी गेट	-	1277
जहांगीरपुरी-बादली	-	480
कुल	-	14298

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, पेड़ों को हटाने के लिए आवेदनों पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले मामला दर मामला आधार पर दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किए गए उपबंधों के अनुसार संवीक्षा की जाती है।

(घ) वन और वन्यजीव विभाग, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत 1:10 के अनुपात में क्षतिपूरक पौधरोपण करता है जिसके लिए डी.एम.आर.सी. द्वारा पौधरोपणों की लागत प्रदान की जाती है।

(ङ) डी.एम.आर.सी. परियोजना के चरण I और II के लिए दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत हटाए जाने के लिए अनुमत वृक्षों के बदले में वन और वन्यजीव विभाग, दिल्ली की एन.सी.टी. सरकार द्वारा किए गए क्षतिपूरक पौधरोपण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्षतिपूरक पौधरोपण के ब्यौरे

क्र.सं.	पौधरोपण स्थल	पौधरोपण का विस्तार	वर्ष	रोपित किए गए पौधे
पश्चिम				
1.	ककरोला	29.4 हेक्टे.	00-04	13500
2.	इस्सापुर (पुराना)	23.4 हेक्टे.	00-04	21402

क्र.सं.	पौधरोपण स्थल	पौधरोपण का विस्तार	वर्ष	रोपित किए गए पौधे
3.	मुंगेशपुर	5.2 हेक्टे.	07.08	13,000
4.	सुल्तानपुर देबास	16 हेक्टे.	07-08 10-11	25000
5.	खरखरी जाटमल-I	14 हेक्टे.	07-08	23000
6.	खरखरी जाटमल-II	20 हेक्टे.	09-10	30000
7.	खरखरी जाटमल-III	5.2 हेक्टे.	10-11	8000
8.	कुतुबगढ़-I	10 हेक्टे.	07-08 10-11	22,000
9.	कुतुबगढ़-II	9.6 हेक्टे.	08-09 10-11	12800
10.	रजोकरी नाला	5.8 हेक्टे.	08-09	10000
11.	रेवला खानपुर-I	18.1 हेक्टे.	07-08 10-11	36560
12.	रेवला खानपुर-II	4 हेक्टे.	08-09 10-11	7800
13.	रेवला खानपुर-III	6 हेक्टे.	09-10	10000
14.	मुखमेलपुर (डी.जे.बी.)	8 हेक्टे.	10-11	7800
15.	मुखमेलपुर (डेरा)	12 हेक्टे.	09-10	12000
16.	नजफगढ़ नाला	12 हेक्टे. 10-11	08-09	12000
दक्षिण				
17.	आया नगर	15 हेक्टे.	09-10	15400
उत्तर				
18.	हिंडन कट	9.33 हेक्टे.	07-08	12880
19.	एन.एच.-I	8 किमी x 7 कतारें 10-11	09-10	10800
	कुल			303942

गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अपवर्तित की गई अधिसूचित/मानित वन भूमि के 16.65 हेक्टेयर के बदले में कैंपा (सी.ए.एम.पी.ए.) के अंतर्गत असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में अवक्रमित वन भूमि पर वर्ष 2011 में 28.44 हेक्टेयर के क्षेत्र को शामिल करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण किया गया है।

स्पीड गवर्नर लगाया जाना

842. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वाणिज्यिक वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाये जाने को अनिवार्य बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उन सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है जहां स्पीड गवर्नर को लगाये जाने को अनिवार्य बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 118, दिनांक 31-05-2002 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 400 (अ) के माध्यम से वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था जिसके तहत स्पीड गवर्नर लगाए जाने संबंधी अधिदेश की शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से सब्जियों का आयात

843. **श्री बलीराम जाघव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान भारत से कुछ सब्जियों का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो मद-वार और मूल्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देश के बीच इन सब्जियों की ढुलाई और व्यापार का तरीका क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में सब्जियों के मूल्य वृद्धि में कमी लाने के लिए पाकिस्तान से सब्जियाँ आयात करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) भारत से पाकिस्तान को ताजी सब्जियों के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है।

वर्ष	मदें	मूल्य मिलि. अम. डॉलर में
2009-11	ताजी सब्जियां	37.59
2010-11	ताजी सब्जियां	13.08
2011-12 (अ) (अप्रैल-नवम्बर)	ताजी सब्जियां	54.58

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड संस

(ग) पाकिस्तान को ताजी सब्जियों का निर्यात सामान्यतया अट्टारी बाधा सीमा सड़क मार्ग के जरिए होता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नौसेना का पनडुब्बी बेड़ा

844. **श्री प्रेमदास:**

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पनडुब्बी बेड़े में भारी कमी आई है जिसने देश की पानी के भीतर लड़ने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विदेशों के सहयोग से अनेक पनडुब्बियों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब, यदि कोई हुआ है, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी लागत वृद्धि होने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ङ) नई पनडुब्बियों को बेड़े में कब तक शामिल किये जाने की संभावना है; और

(च) नवीनतम प्रौद्योगिकियों के साथ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए देश के भीतर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) मौजूदा पनडुब्बी बेड़े का आधुनिक हथियारों और सेंसरों के साथ लगातार उन्नयन किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि देश की अन्तर्जलीय समाघात क्षमता अपेक्षित स्तर पर रहे।

छह स्कोर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण परियोजना-75 के अंतर्गत मैसर्स डी.सी.एन.एस., फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत, मैसर्स माझगांव डॉक लिमिटेड में किया जा रहा है।

परियोजना-75 के अंतर्गत मैसर्स एम.डी.एल. में 18,798 करोड़ रु. की कुल लागत से छह पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सरकार का अनुमोदन सितम्बर, 2005 में दिया गया था। इस संविदा पर हस्ताक्षर अक्तूबर, 2005 में किए गए थे। सुपुर्दगी कार्यक्रम में संशोधन सहित, इस परियोजना की लागत को संशोधित करके 23,562 करोड़ रु. करने हेतु सरकार का अनुमोदन फरवरी, 2010 में दिया गया था।

मूल सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार पहली पनडुब्बी दिसम्बर, 2012 में सुपुर्द की जानी थी और शेष पनडुब्बियों की सुपुर्दगी प्रत्येक वर्ष के अन्तर पर की जानी थी। संशोधित लागत और सुपुर्दगी कार्यक्रम पर सरकार के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, पहली पनडुब्बी के सुपुर्दगी कार्यक्रम को जून, 2015 के लिए संशोधित कर दिया गया है और अंतिम (छठी) पनडुब्बी के लिए सुपुर्दगी समय सितम्बर, 2018 रखा गया है। स्कोर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण में विलम्ब का कारण नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में प्रारंभिक समस्याएं, माझगांव डॉक लिमिटेड में औद्योगिक आधारभूत ढांचे के संवर्धन में देरी तथा एम.डी.एल. द्वारा पहले निर्दिष्ट लागत की तुलना में उच्च लागत के कारण एम.डी.एल. द्वारा एम.पी.एम. मदों की अधिप्राप्ति में देरी है। अधिकांश प्रारंभिक समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और विलम्ब में कमी लाने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं।

एम.डी.एल., मुम्बई में निर्माणाधीन छह पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के एक भाग के रूप में सहयोगकर्ता द्वारा एक टेक्निकल डाटा पैकेज उपलब्ध कराया गया है। इससे पनडुब्बी निर्माण में, विशेषत: कार्यक्रम के अंत तक ढांचा बनाने, आउटफिटिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन आदि के क्षेत्र में कार्यक्रम के अंत में महत्वपूर्ण स्वदेशी क्षमता प्राप्त हो सकेगी।

भूमंडलीय तापन

845. श्री लालचन्द कटारिया:

श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमंडलीय तापन से निपटने के लिए सरकार द्वारा ठोस नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमालय के ग्लेशियर भूमंडलीय तापन के कारण पिघल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके परिणामत: देश के कौन से द्वीपों और राज्यों के इससे प्रभावित होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इन द्वीपों और राज्यों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) तैयार की है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निपटान करने के लिए दिनांक 30 जून, 2008 को प्रारंभ की गई थी। एन.ए.पी.सी.सी. में, अन्य बातों के साथ-साथ हिमालयी ग्लेशियरों का अवलोकन और मॉनीटरिंग करने हेतु प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत् बनाए रखने

के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इसके अलावा, देश में समग्र ग्लेशियर अनुसंधान शुरू करने के लिए वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है। सरकार ने हिमालयी पारि-प्रणाली (जी-शी) को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश और उत्तम कार्य प्रणालियां विकसित की हैं।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा संचालित अध्ययन यह दर्शाता है कि हिमालयी ग्लेशियर विभिन्न क्षेत्रों में पृथक दर से कम हो रहे हैं। ग्लेशियरों का कम होना आकार में परिवर्तनों की प्राकृतिक चक्रीय प्रक्रिया और ग्लेशियरों के अन्य सहायकों का भाग है। भूमंडलीय तापन सहित अन्य कारणों को इन परिवर्तनों के लिए श्रेय दिया जा सकता है।

(घ) से (च) नवंबर, 2010 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई "जलवायु परिवर्तन और भारत: एक 4x4 मूल्यांकन-2030 दशक के लिए एक सेक्टोरल और क्षेत्रीय विश्लेषण" शीर्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी ग्लेशियरों से जल के पिघलने में वृद्धि भारतीय तटरेखा के साथ लगी स्थानीय समुद्र स्तर की वृद्धि में योगदान करेगा। तथापि, द्वीप समूहों और राज्यों पर ग्लेशियर के पिघलने के प्रभाव के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

वर्ष 2011 में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना और द्वीप सुरक्षा जोन अधिसूचना द्वीप और तटीय क्षेत्रों में मछुआरा लोक समुदायों की आजीविकाओं की सुरक्षा करने पारिस्थितिकी के परिरक्षण और आर्थिक गतिविधि का संवर्धन करने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई थी।

आसियान देशों के साथ सेवा क्षेत्र में सहयोग

846. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के साथ व्यापार और सेवा क्षेत्र के विस्तार संबंधी निर्णय अंतिम चरण में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन-किन सेवाओं पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस समझौते के परिणामत: भारत को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत ने दिनांक 13 अगस्त, 2009 को आसियान के साथ एक वस्तु व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सेवा व्यापार करार से संबंधित वार्ताओं में अभी परस्पर पेशकश करने का दौर चल रहा है और भारत तथा आसियान दोनों ने अपनी अंतिम पेशकश दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को की है।

(ग) भारत तथा आसियान के बीच सहयोग के विस्तार हेतु संभावित सेवाओं के संबंध में वार्ताएं चल रही हैं।

(घ) सेवा क्षेत्र में इस करार के परिणामस्वरूप भारत को मिलने वाले संभावित लाभों की मात्रा का आकलन वार्ताओं के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

घरेलू एयरलाइनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

847. **श्री आनंदराव अडसुल:**

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू एयरलाइनों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अधिग्रहण संहिता में यह अपेक्षित है कि कोई भी कंपनी जो सूचीबद्ध कंपनी में 25 प्रतिशत या इससे अधिक की इक्विटी का अधिग्रहण कर रही है उसे वैयक्तिक शेयरहोल्डरों को शेयर बेच कर बाहर निकलने का अवसर देना सुनिश्चित

करने के लिए अन्य 26 प्रतिशत की खुली पेशकश अनिवार्य रूप से करना होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को घरेलू एयरलाइन कंपनियों के मामले में एफ.डी.आई. की 49 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करने की कोई सूचना मिली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के अनुसार, जैसा कि, 2011 परिपत्र-2 समेकित एफ.डी.आई. नीति के पैरा 6.2.9 में निहित है, वायु परिवहन सेवाओं जिसमें घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइनों, गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं, हेलीकाप्टर तथा सीप्लेन सेवाएं शामिल हैं, में एफ.डी.आई. की अनुमति है, जो विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन हैं।

अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं/घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइनों में अनुमत, एफ.डी.आई. का स्तर निम्नानुसार है:

क्षेत्र/गतिविधियां	एफ.डी.आई. की अधिकतम सीमा/ इक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं/घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइनों	49 प्रतिशत एफ.डी.आई. (एन.आर.आई. के लिए 100 प्रतिशत)	स्वतः मार्ग

(i) किसी भी विदेशी एयरलाइन को अनुसूचित और गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं संचालित करने वाले किसी वायु परिवहन उपक्रम, कार्गो एयरलाइनों को छोड़कर, की इक्विटी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की अनुमति नहीं है।

(ii) विदेशी एयरलाइनों को कार्गो एयरलाइनों, हेलीकॉप्टर और सीप्लेन सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों की इक्विटी में भागीदारी की अनुमति है।

(ग) जी हां, सेबी (शेयरों को अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 3 (1) के अनुसार, अर्जन के संबंध में, यदि आपसी सहमति से कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ किसी अर्जक की कुल शेयरधारिता या मताधिकार कंपनी के 25 प्रतिशत मताधिकार से अधिक हो जाता है, तो अर्जक को कंपनी के कुल शेयरों का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा हासिल करने के लिए एक खुले प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी, ताकि व्यक्तिगत शेयरधारक को निर्गम मार्ग मिल सके।

(घ) घरेलू एयरलाइन कैरियर्स के मामले में एफ.डी.आई. की 49 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के उलंघन का कोई भी मामला औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के समक्ष नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) 'तेजस' के लिए क्रयादेश

848. **श्री जगदम्बिका पाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) को एल.सी.ए. 'तेजस' के लिए पर्याप्त क्रयादेश प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सुपुर्दगी समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायुयानों के निर्माण और संयोजन (असेम्बली) के लिए नई असेम्बली लाइन के निर्माण हेतु क्रयादेश की मात्रा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एच.ए.एल. अपनी वर्तमान क्षमता और संसाधनों के आधार पर भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण एल.सी.ए. 'तेजस' के निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों की तलाश कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने एच.ए.एल. की विदेशी कंपनियों/वेंडरों को आगे ठेका देने की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे समझौतों के सुरक्षा निहितार्थ क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) भारतीय वायुसेना ने हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हल्के युद्धक विमान तेजस के लिए 40 विमानों का आर्डर दिया है।

(ख) विमानों की सुपुर्दगी 12वीं योजना अवधि में किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) जी, हां। निवेश के लिए आवश्यक निधियां भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम गृह

849. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम गृहों के संबंध में मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच. ए.आई.) ने ऐसे प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) उत्तर प्रदेश राज्य में 45 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लंबाई 6774 किमी है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम गृहों के लिए राज्य सरकारों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में लखनऊ-बहराइच-रुपईडिहा सड़क

850. **श्री कमल किशोर 'कमांडो':** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ-बहराइच-रुपईडिहा को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28ग घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस राजमार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी निधि खर्च हुई है;

(ग) इस राजमार्ग का कितना किलोमीटर खंड का अभी तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस राजमार्ग के शेष बाग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) उत्तर प्रदेश में लखनऊ-बहराइच-रुपईडिहा को वर्ष 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28सी के रूप में घोषित किया गया था।

(ख) और (ग) अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28सी के 152 किमी में से लगभग 35 किमी का सुदृढ़ीकरण किया गया है और इस पर 27 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और इनको यातायात, निधि की उपलब्धता तथा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्ग हेतु क्षेत्रीय कार्यालय

851. **श्री भक्त चरण दास:** क्या **पोत-परिवहन परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-5 के संबंध में कार्य के बेहतर समन्वयन हेतु भुवनेश्वर में भारतीय अंतरदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन हेतु निधियों के आवंटन हेतु वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत-परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) ओडिशा में उपयुक्त स्थान पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का एक कार्यालय खोले जाने के बारे में, राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के विकास कार्य के आरंभ होने के संभावित समय के आधार पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

(ख) से (घ) योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य जलखंडों के विकास की व्यवहार्यता का व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सहित सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत पता लगाया जाय। तदनुसार, राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के वाणिज्यिक रूप से अभिज्ञात व्यवहार्य जलखंडों का एक प्रस्ताव, एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता के अंतर्गत आरंभ की गई भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि की अपनी योजनाओं तथा पी.पी.पी. मार्गदर्शी परियोजना पहल के अंतर्गत पी.पी.पी. परियोजना तैयार करने तथा उसे चलाने के लिए कारोबार सलाहकार (परामर्शदाता) नियुक्त करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग और एशियाई विकास बैंक ने इस प्रयोजन से एक कारोबार सलाहकार चुनने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

मत्स्ययन पोतों के लिए मानदण्ड

852. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चक्रवाती मौसम के पूर्वानुमान के समय विभिन्न पत्तनों पर लंगर डाले मत्स्यन पोतों के लिए निर्धारित दिशानिर्देश/मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चक्रवाती मौसम के दौरान बड़े पत्तनों पर मत्स्यन पोतों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने थोड़े समय के लिए भी पत्तनों पर लंगर डालने वाले मत्स्ययन पोतों के लिए जुर्माना निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) सरकार ने महापत्तनों में मत्स्ययन जलयानों को बर्थिंग उपलब्ध कराने के लिए कोई दिशानिर्देश/मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जाना

853. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**

श्री प्रदीप माझी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदारों के खराब कार्यनिष्पादन के कारण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों का बनाए जाने के कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी योजनाओं की लागत कहां तक बढ़ी है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए संशोधित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की 4 लेन बनाए जाने की कुछ चल रही परियोजनाएं अनेक कारणों से विलंबित हो रही हैं जैसे कि - ठेकेदारों का निम्न निष्पादन, वन/वन्य जीवन/पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब, रेंलवे से सड़क उपरि पुल अनुमति प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण, जन-सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब आदि। इन परियोजनाओं का संशोधित लक्ष्यों सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विलंब के कारण वृद्धि का भुगतान ठेका प्रावधानों

के अनुरूप किया जाता है और यह केवल मद दर ठेकों के लिए ही लागू होता है। यदि परियोजना में विलंब ठेकेदार के कारण होता है तब परिसमापन क्षति लगाई जाती है और किसी वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है। वृद्धि का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब विलंब ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर किसी कारणवश हो। विलंब आदि के कारण संपूर्ण वृद्धि का प्राक्कलन परियोजना पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है। लगातार गैर-निष्पादक रहे ठेकेदारों/रियायतग्राहियों को गैर-निष्पादकों की सूची में रखा जाता है। ऐसे कुछ ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के ठेकों को समाप्त किया गया है। गैर-निष्पादकों की सूची में रखे गए ठेकेदारों/रियायतग्राहियों को एन.एच.डी.पी. परियोजनाओं के लिए पूर्व अर्हता के लिए अनुमत नहीं किया जाता हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कार्यान्वयन के अधीन विलंबित परियोजनाएं

क्र.सं.	खंड	राज्य	रारा सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	पूर्ण कर ली गई लंबाई (कि.मी. में)	कार्य प्रारंभ होने की तारीख	ठेकानुसार कार्य पूरा होने की तारीख	कार्य पूरा होने की अनुमानित तारीख	लगा अधिक समय, माह में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरमूर से येल्लारेड्डी (एन.एस.-2/ए.पी.-1) (अनुमोदित लंबाई 60.25)	आन्ध्र प्रदेश	7	59	55.607	फर.-2010	फर.-2012	अप्रैल-2012	2
2.	गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एन.एस.-23/ए.पी.)	आन्ध्र प्रदेश	7	23.1	21.25	समाप्त			58
3.	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा (6 लेन)	आन्ध्र प्रदेश	5	82.5	20.7	मई-2009	अक्तू-211	अक्तू-2012	12
4.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-7)	असम	31	27.3	16.5	अक्तू-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2012	56
5.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-9)	असम	31	21.5	19.4	दिसं.-2005	जून-2008	मार्च-2012	45
6.	सिलचर से उदरबंद (ए.एस.-1)	असम	54	32	18	सितं.-2004	सितं.-2007	जून-2012	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	ब्रह्मपुत्र पुल (ए.एस.-28)	असम	31	5	0	अक्तू.-2006	अप्रैल-2010	दिसं.-2012	32
8.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (ए.एस.-10)	असम	31सी	33	23.4	नवं.-2005	जून-2008	दिसं.-2012	54
9.	बिजली-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (ए.एस.-11)	असम	31सी	30	14.19	नव.-2005	जून-2008	जून-2012	48
10.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (ए.एस.-12)	असम	31सी	30	25.51	नव.-2005	जून-2008	सितं.-2012	51
11.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-6)	असम	31	25	21.5	नव.-2005	जून-2009	जून-2012	36
12.	गुवाहाटी-नलबारी (ए.एस.-5)	असम	31	28	15	अक्टू.-2005	अप्रैल-2008	दिसं.-2012	56
13.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-8)	असम	31	30	27.94	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	48
14.	नगांव से धर्मातुल (ए.एस.-2)	असम	37	25	21	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	48
15.	सोनापुर से गुवाहाटी (ए.एस.-3)	असम	37	19	15.5	सितं.-2005	जून-2009	मई-2012	35
16.	धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-20)	असम	37	22	18.5	नवं.-2005	मई-2008	जून-2012	49
17.	धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-19)	असम	37	25	19.302	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	48
18.	दबोका-नगांव (ए.एस.-17)	असम	36	30.5	30.05	दिसं.-2005	जून-2008	मार्च-2012	45
19.	मैंबंग से लुमडिंग (ए.एस.-27)	असम	54	21	0	अक्टू.-2006	अप्रैल-2009	मार्च-2013	47
20.	हरंगजो से मैबंग (ए.एस.-23)	असम	54	16	10.2	अगस्त-2006	फर.-2009	मार्च-2013	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	गुवाहाटी-नलबारी (ए.एस.-4)	असम	31	28	10	दिसं.-2005	अप्रैल-2008	दिसं.-2012	56
22.	दीवापुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एल.एम.एन.एच.पी.-9)	बिहार	28	41.085	28	नव.-2005	अक्टू.-2008	जून-2012	44
23.	सिमराही-रिंग बंध (बी.आर.-4) (मिसिंग लिंक) (बी.आर.-4)	बिहार	57	15.15	15.15	अप्रैल-2006	अप्रैल-2008	अप्रैल-2012	48
24.	कोटवा से देवापुर (एल.एम.एन.एच.पी.-10)	बिहार	28	38	37.5	नवं.-2005	नवं.-2008	मार्च-2012	40
25.	फोरबिसगंज-सिमराही (बी.आर.-3)	बिहार	57	34.87	30.5	अप्रैल-2006	सितं.-2008	मार्च-2012	42
26.	झंझारपुर से दरभंगा (बी.आर.7)	बिहार	57	37.59	36	अप्रैल-2006	सितं.-2008	जून-2012	45
27.	मोकामा-मुंगेर (अनुमोदित लंबाई 70 कि.मी.) को दो लेन का बनाया जाना	बिहार	80	69.27	34.058	मई-2011	मई-2013	मार्च-2014	10
28.	औरंग-रायपुर	छत्तीसगढ़	6	43.485	42.5	अप्रैल-2006	जनवरी-2009	जून-2012	41
29.	दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर से - छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	छत्तीसगढ़	6	82.685	82	जन.-2008	जन.-2011	जून-2012	17
30.	सूरत-दहीसर (6 लेन)	गुजरात [118.2]/ महाराष्ट्र [120.77]	8	239	224.497	फर.-2009	अगस्त-2011	जून-2012	10
31.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	हरियाणा	10	63.49	54.358	मई-2008	मई-2010	दिसं.-2012	31
32.	पानीपत-जालंधर (6 लेन)	हरियाणा [116]/ पंजाब [175]	1	291	196.93	मई-2009	मई-2011	जून-2012	13
33.	जीरकपुर-परवानू	हरियाणा [20]/ हिमाचल प्रदेश [6 .69]/पंजाब [2]	22	28.69	28.6	फर.-2008	अगस्त-2010	मार्च-2012	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (6 लेन)	हरियाणा [64.3]/ राजस्थान [161.3]	8	225.6	134.25	अप्रैल-2009	अक्टू.-2011	जून-2012	8
35.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एन.एस.-30ए)	जम्मू कश्मीर	1ए	1.23	0	जून-2006	दिसं.-2008	अक्टू.-2012	46
36.	जम्मू-कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एन.एस.-33/जे. एंड के.	जम्मू कश्मीर	1ए	15	14.7	नवं.-2005	मई-2008	मार्च-2012	46
37.	विजयपुर-पठानकोट (एन.एस.-35/जे. एंड के.)	जम्मू कश्मीर	1ए	30	29.65	दिसं.-2005	फर.-2008	मार्च-2012	49
38.	विजयपुर-पठानकोट (एन.एस.-34/जे. एंड के.)	जम्मू कश्मीर	1ए	33.65	33.25	सितं.-2005	फर.-2008	मार्च-2012	49
39.	कुंजवानी से विजयपुर (एन.एस.-15/जे. एंड के.)	जम्मू कश्मीर	1ए	17.2	17.2	जन.-2002	दिसं.-2004	मार्च-2012	87
40.	जम्मू-उधमपुर	जम्मू कश्मीर	1ए	65	0	जुलाई-2010	जुलाई-2013	जून-2014	11
41.	बेलगांव-खानपुर खंड (कि.मी. 0.00 से कि.मी. 30.00) को 4 लेन का बनाया जाना और खानपुर-कर्नाटक/ गोवा सीमा (कि.मी. 30.00 से कि.मी. 84.120) को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाया जाना	कर्नाटक	4ए	81.89	0	मार्च-2011	सितं.-2013	जुलाई-2014	10
42.	हरिहर-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	4	77	77	अक्टू.-2008	जून-2010	मार्च-2012	21
43.	हैदराबाद-बंगलौर खंड का उन्नयन (विद्यमान 6 लेन पर उन्नयन)	कर्नाटक	7	22.12	11.35	नवं.-2010	नवं.-2012	अप्रैल-2013	5
44.	देवीहल्ली-हसन (अनुमोदित लंबाई 73 कि.मी.)	कर्नाटक	48	77.23	6	दिसं.-2010	मई-2013	जून-2013	1
45.	बेलगांव-धारवाड़ (अनुमोदित (लंबाई 111 कि.मी.)	कर्नाटक	4	80	26.51	दिसं.-2010	जून-2013	अक्टू.-2013	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	हवेरी-हरिहर	कर्नाटक	4	56	56	नवं.-2008	जुलाई-2013	मार्च-2013	20
47.	नव मंगलूर पत्तन	कर्नाटक	13, 17 और 48	37	36.74	जून-2005	दिसं.-2007	मार्च-2012	51
48.	चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास (अनुमोदित लंबाई 145 कि.मी.)	कर्नाटक	4	114	22.235	मार्च-2011	अगस्त-2013	दिसं.-2013	4
49.	रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन को रारा 48 पर जोड़ते हुए देवीहल्ली तक	कर्नाटक	48	81	81	जन.-2008	जुलाई-2010	मार्च-2012	20
50.	आई.सी.टी.टी. वल्लारपदम को रारा संपर्क	केरल	47सी	17.2	15.1	अगस्त-2007	फर.-2010	मई-2012	27
51.	लखनादून से मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा (एन.एस.-1/ बी.ओ.टी./एम.पी.-3)	मध्य प्रदेश	7	56.475	27.73	दिसं.-2007	जून-2010	अक्टू.-2012	28
52.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (ए.डी.बी.-II/सी-9)	मध्य प्रदेश	26	54.7	50.06	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	सितं.-2012	47
53.	ग्वालियर बाइपास (एन.एस.-1/ बी.ओ.टी./एम.पी.-1)	मध्य प्रदेश	75, 3	42	39.475	अप्रैल-2009	अक्टू.-2009	जून-2012	32
54.	सागर-राजमार्ग चौराहा (ए.डी.बी.-II/सी-6)	मध्य प्रदेश	26	44	40.84	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	दिसं.-2012	50
55.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (ए.डी.बी.-II/सी-8)	मध्य प्रदेश	26	54	43	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	दिसं.-2012	50
56.	ललितपुर-सागर (ए.डी.बी.-II/सी-4)	मध्य प्रदेश	26	55	55	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	अप्रैल-2012	42
57.	सागर बाइपास (ए.डी.बी.-II/सी-5)	मध्य प्रदेश	26	26	24.9	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	मई-2012	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	लखनादून से मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा (एन.एस.-1/ बी.ओ.टी./एम.पी.-2)	मध्य प्रदेश	7	49.35	40.11	मार्च-2007	सितं.-2009	अक्टू.-2012	37
59.	धौलपुर-मुरैना खंड (चम्बल पुल सहित) एन.एस.-1/आर.जे.-एम.पी./1	मध्य प्रदेश [1]/ राजस्थान [9]	3	10	6.22	सितं.-2007	सितं.-2010	दिसं.-2012	27
60.	ग्वालियर-झांसी	मध्य प्रदेश[68.5]/ उत्तर प्रदेश[11.51]	75	80	49.161	जून-2007	दिसं.-2009	दिसं.-2012	36
61.	बोरखेडी-जाम (एन.एस.-22/एम.एच.)	महाराष्ट्र	7	27.4	27	जून-2005	दिसं.-2007	अप्रैल-2012	52
62.	नागपुर-कोंधली	महाराष्ट्र	6	40	39.84	जून-2006	दिसं.-2008	जून-2012	42
63.	वाडनेर-देवधारी (एन.एस.-60/एम.एच.)	महाराष्ट्र	7	29	0	फर.-2011	नव.-2010	नव.-2012	24
64.	काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा से नागपुर	महाराष्ट्र	7	95	58	अप्रैल-2010	जून-2012	अक्टू.-2012	4
65.	केलापुर-पिम्पलखट्टी (एन.एस.-62)	महाराष्ट्र	7	22	8.5	समाप्त			31
66.	पुणे-शोलापुर पैकेज-I (अनुमोदित लंबाई पैकेज I और II 170 कि.मी.)	महाराष्ट्र	9	110.05	75	नव.-2009	मार्च-2012	मई-2012	2
67.	बालासोर-भद्रक (ओ.आर.-III)	ओडिशा	5	62.64	62.61	दिसं.-2008	दिसं.-2010	जुलाई-2012	19
68.	भुवनेश्वर-खुर्दा (ओ.आर.-I)	ओडिशा	5	27.15	27.15	जन-2001	जन-2004	मार्च-2012	98
69.	सुनाखला-गंजम (ओ.आर.-VII)	ओडिशा	5	55.713	45.79	अक्टू.-2009	अक्टू.-2011	जुलाई-2012	9
70.	गंजम-इच्छापुरम (ओ.आर.-VII)	ओडिशा	5	50.8	50.67	जुलाई-2006	नव.-2008	मई-2012	42
71.	अमृतसर-पठानकोट (अनुमोदित लंबाई 101 कि.मी.)	पंजाब	15	106	20.693	मई-2010	नव.-2012	जून-2013	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एन.एस.-36/ जे. एंड के.)	पंजाब	1ए	19.65	18.1	नव.-2005	मई-2008	जून-2013	61
73.	पठानकोट से भोगपुर (एन.एस.-37/पी.बी.)	पंजाब [29]/हिमाचल प्रदेश[11]	1ए	40	39.82	नव.-2005	मई-2008	मई-2012	48
74.	चम्बल पुल (आर.जे.-5)	राजस्थान	76	1.4	0	नव.-2006	फर.-2010	जुलाई-2013	41
75.	कोटा बाइपास (आर.जे.-4)	राजस्थान	76	26.42	26.35	मई-2006	नव.-2008	सितं.-2012	46
76.	त्रिची-करूर	तमिलनाडु	67	79.7	69	जून-2008	जुलाई-2010	मार्च-2013	32
77.	चेन्नै-टाडा (6 लेन)	तमिलनाडु	5	43.4	5	अप्रैल-2009	अक्टू.-2011	मार्च-2014	29
78.	सलेम-उलून्डरूपेट (बी.ओ.टी.-1/टी.एन.-06)	तमिलनाडु	68	136.357	132.8	जन.-2008	जन.-2011	मई-2012	16
79.	तंजावूर-त्रिची	तमिलनाडु	67	56	54.2	दिस.-2006	जून-2009	नव.-2012	41
80.	कंगयम से कोयम्बटूर (के.सी.-2)	तमिलनाडु	67, के.सी. 2	55.2	54.35	अगस्त-2006	अगस्त-2008	मार्च-2012	43
81.	यू.पी./बिहार सीमा से कसिया (एल.एम.एन.एच.पी.-8)	उत्तर प्रदेश	28	41.115	40.5	दिसं.-2005	दिसं.-2008	मार्च-2012	39
82.	गंगा पुल से रामादेवी क्रासिंग (यू.पी.-6)	उत्तर प्रदेश	25	5.6	1.64	दिस.-2005	सित.-2008	जून-2012	45
83.	लखनऊ बाइपास (ई.डब्ल्यू.-15/यू.पी.)	उत्तर प्रदेश	56ए और बी	22.85	22.25	मार्च-2009	अगस्त-2010	जून-2012	22
84.	4 लेन का नया आगरा बाइपास बनाना (एन.एस.-1/यू.पी.-1)	उत्तर प्रदेश	2, 3	32.8	0	अक्टू.-2007	अक्टू.-2010	जून-2013	32
85.	आगरा-शिकोहाबाद (जी.टी.आर.आई.पी./I-ए)	उत्तर प्रदेश	2	50.83	50.76	मार्च-2002	मार्च-2005	जून-2012	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86.	हापुड-गढ़मुक्तेश्वर	उत्तर प्रदेश	24	35	32.6	मार्च-2005	सित.-2007	जून-2012	57
87.	उरई से झांसी (यू.पी.-5)	उत्तर प्रदेश	25	50	49.7	सितं.-2005	मार्च-2008	मार्च-2012	48
88.	झांसी से ललितपुर (एन.एस.-1/बी.ओ.टी./यू.पी.-2)	उत्तर प्रदेश	25, 26	49.7	44.1	मार्च-2007	सितं.-2009	दिसं.-2012	39
89.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	24	56.25	55.85	मार्च-2005	सितं.-2007	जून-2012	57
90.	लखनऊ-कानपुर (ई.डब्ल्यू./3बी.)	उत्तर प्रदेश	25	16	15.3	फर.-2010	अगस्त-2011	जून-2012	10
91.	गोरखपुर बाइपास	उत्तर प्रदेश	28	32.6	32	अप्रैल-2007	अक्टू.-2009	जून-2012	32
92.	पुल खंड (डब्ल्यू.बी.-III)	पश्चिम बंगाल	6	1.732	0.48	समाप्त		59	
93.	हल्दिया पत्तन	पश्चिम बंगाल	41	53	52.482	सितं.-2008	सितं.-2010	मार्च 2012	18
94.	असम/प.बं. सीमा से गैरकाटा (डब्ल्यू.बी.-I)	पश्चिम बंगाल	31सी	32	24.2	जून-2006	नव.-2008	जून-2012	43
95.	सिलिगुडी से इसलामपुर (डब्ल्यू.बी.-7)	पश्चिम बंगाल	31	26	18.06	जन.-2006	जुलाई-2008	दिसं.-2012	53

विवरण-II

गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अल्पनिष्पादन कंपनियों की सूची और की गई कार्रवाई

क्र.सं.	वर्ष	गैर-निष्पादक के रूप में घोषित सड़क विकासक का नाम	परियोजना का नाम	गैर-निष्पादक सड़क विकासक के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ-साथ लगाई गई शास्ति तथा कानूनी कार्रवाई, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1.	2008-09	मै. प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (पी.सी.एल.)	बिहार में एन.एच.डी.पी.-II के रारा-28 (गोपालगंज से	पैकेज डब्ल्यू.बी.-9 के लिए मै. पी.सी.एल. और मै. एम.वी.आर. को दिनांक 2-12-2008

1	2	3	4	5
		और मै. एम. वेंकट राव (एम.वी.आर.) (संउ)	मुजफ्फरपुर) को चार लेन का बनाया जाना: पैकेज डब्ल्यू.बी.-9-कि.मी. 306 से कि.मी. 402, पैकेज डब्ल्यू.बी.-10-कि.मी. 402 से कि.मी. 440 और डब्ल्यू.वी.-12 कि.मी. 480 से कि.मी. 520	को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। उनके कार्यनिष्पादन में सुधार होने के बाद इसे दिनांक 18-04-2011 को रद्द कर दिया गया।
2.		मै. एम. वेंकट राव (एम.वी.आर.) और मै. प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (पी.सी.एल.) (संउ)	बिहार में एन.एच.डी.पी.-II के रारा-28 (गोपालगंज से मुजफ्फरपुर) को चार लेन का बनाया जाना: रारा-28 का पैकेज डब्ल्यू.बी.-10 कि.मी.-402 से कि.मी. 440 और डब्ल्यू.बी.-12-कि.मी. 480 से कि.मी. 520	मै एम.वी.आर. और मै. पी.सी.एल. को दिनांक 2-12-2008 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। उनके कार्यनिष्पादन में सुधार होने के बाद इसे दिनांक 18-04-2011 को रद्द कर दिया गया।
3.		मै. मधुकॉन	बिहार में एन.एच.डी.पी.-II के रारा-28 (गोपालगंज से मुजफ्फरपुर) को चार लेन का बनाया जाना: पैकेज डब्ल्यू.बी.-11-कि.मी. 440 से कि.मी. 480	मै. मधुकॉन को दिनांक 2-12-2008 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया और उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भावी परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। इसे दिनांक 28-10-09 को रद्द कर दिया गया। ठेका पैकेज डब्ल्यू.बी. 11 में मै. मधुकॉन पर 1.2 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई गई। रारा 57 पर ठेका पैकेज बी.आर. 7 में मै. मधुकॉन पर 45 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई गई।
4.	2009-10	मै. इरकॉन	डब्ल्यू.बी.-7 पैकेज - रारा-31 के कि.मी. 507 से कि.मी. 526 सिलिगुडी से इसलामपुर खंड और एन.एच.डी.पी.-II के इसलामपुर बाइपास पश्चिम बंगाल को 4 लेन का बनाया जाना	मै. मधुकॉन को दिनांक 1-2-2010 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया।

1	2	3	4	5
5.	2009-10	मै. मकॉन - जी.ई.ए. (संउ)	तमिलनाडु में रारा 7ए के कि.मी. 4/300 से कि.मी. 51/200 तक के तिरुनवेली-तूतीकोरीन सड़क की विद्यमान दो लेनों को चार लेन का बनाया जाना और सुदृढ़ीकरण (पलायमकोट्टई से तूतुकुडि पत्तन तक खंड)	दिनांक 8-3-2010 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। कोचीन पत्तन संपर्क संबंधी कार्य में 12.68 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भुनाई गई। तूतीकारीन पत्तन संबंधी कार्य में 26.66 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भुनाई गई।
6.		मै. सी.डब्ल्यू.एच.ई.सी.-एच.सी.आई.एल. (संउ)	पश्चिम बंगाल में रारा-41 के कोलाघाट हल्दिया खंड के कि.मी. 0/500 से कि.मी. 52/700 में चार लेन बनाया जाना	दिनांक 8-3-2010 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। 46.47 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई गई और बैंक गारंटियां भुनाकर इसे वसूला गया।
7.	2010-11		शून्य	
8.	2011-12	मै. एम.बी. पटेल कंस्ट्रक्शन लि.	आन्ध्र प्रदेश में रारा 7 का गुंडला पोचमपल्ली सं. बावन-पल्ली शिवरामपल्ली से थोंडा-पल्ली खंड (एन.एस.-23/ए.पी.)	शेष कार्य के लिए ठेका 24-10-2011 को समाप्त कर दिया गया। तथापि, ठेकेदार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है।

व्यापारिक जहाजों पर सशस्त्र गार्ड

854. **श्री एन. पीताम्बर कुरुप:**

श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मछुआरों पर भारतीय जल क्षेत्र/ अनन्य आर्थिक क्षेत्र में इटली के नाविकों द्वारा गोली चलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन नाविकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) मारे गए लोगों के परिवारों को दी गई क्षति पूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या व्यापारिक जहाजों पर तैनात सशस्त्र गार्डों के बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 15 फरवरी, 2012 को इटली के ध्वज से युक्त एक जलयान, एम.टी. एनरीका लैक्सी के सुरक्षा कर्मियों ने केरल के तट पर एक भारतीय मत्स्य नौका पर गोलियां चलाई और दो मछुआरों को मार दिया। भारतीय तट रक्षक ने इस पोत को कोच्चि की तरफ मोड़ दिया। दो इटालियन सुरक्षा कर्मियों को राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।

(ग) केरल की सरकार ने मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी है। तमिलनाडु की सरकार ने भी मारे गये व्यक्तियों में से तमिलनाडु से संबंधित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है।

(घ) और (ङ) सरकार ने भारतीय वाणिज्यिक पोतों पर सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के लिए दिशा-निर्देश

जारी किये हैं। इसके अलावा नौवहन महानिदेशक द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2012 के एम.एस. नोटिस द्वारा सभी वाणिज्यिक पोतों को भारतीय नौसेना/भारतीय तट रक्षक को पोत पर मौजूद सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के बारे में रिपोर्ट देने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

छावनी बोर्ड के अंतर्गत सिविल क्षेत्र

855. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने छावनी बोर्ड हैं;

(ख) छावनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपना सिविल क्षेत्र घोषित किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मोरार छावनी, ग्वालियर के अधीन सिविल क्षेत्र घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) देश में 62 छावनी बोर्ड हैं।

(ख) 52 छावनियों ने सिविल क्षेत्र अधिसूचित किया है।

(ग) सरकार को मोरार छावनी में सिविल क्षेत्र घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानव-पशु संघर्ष

856. **श्री शिव राम गौड़ा:**

श्री गणेश सिंह:

श्री विक्रम भाई अर्जनभाई मादम:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित देश में मानव और पशुओं के संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कर्नाटक सहित देश में राज्य-वार रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास इस खतरे के स्थायी समाधान के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) देश में वन्य जीवों की संख्या का प्रबंधन, संबद्ध राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। मानव-पशु सघर्ष की घटनाओं की सूचनाएं मंत्रालय को समय-समय पर प्राप्त हुई है। तथापि, ऐसी संघर्षों के ब्यौरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं तथापि, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो यह दर्शाती है कि देश में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं।

(ग) से (ङ) मानव - पशु संघर्षों को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. वन्य जीव पर्यावासों के सुधार के लिए उपाय करने हेतु तथा वनों से मानव पर्यावासों को पशुओं के प्रवास को कम करने के लए वन क्षेत्रों में भोजन और जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए "वन्यजीवों का एकीकृत विकास", "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. देश में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है।

3. वन्यजीवों के भय और आक्रमणों के मामले लोगों को करने और न करने योग्य कार्यों के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मानव-तेंदुआ संघर्षों के प्रबंधन हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

5. मानव-वन्यजीव संघर्षों की समस्याओं के निराकरण हेतु वन स्टाफ और पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

6. बेहोश करने, उन्हें बचाव केन्द्रों में ले जाने अथवा प्राकृतिक पर्यावासों में वापस भेजने के माध्यम से समस्याग्रस्त पशुओं के नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. वन्यजीव आक्रमणों से बचने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास सीमा-दीवारों एवं सोलर बाड़ों के रूप में भौतिक बैरियरों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

8. वन्यजीव आक्रमणों के कारण चोटग्रस्त एवं जीवन की क्षति होने पर लोगों को अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

9. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत समस्याग्रस्त पशुओं के शिकार की अनुमति देने हेतु राज्य/संघशासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अधिकार संपन्न बनाया गया है।

10. मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में लोगों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए तथा संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में उनका सहयोग प्राप्त करने हेतु संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास के गांवों में पारि-विकास गतिविधियां की जाती है।

11. मानव-वन्यजीव भिड़ंत की स्थितियों के प्रबंधन में दक्ष अनुसंधान एवं अकादमिक संस्थाओं और अग्रणी स्वैच्छिक संगठनों को संघर्ष के कारणों और उनके संभव उपायों का पता लगाने में शामिल किया जाता है।

ध्वनि प्रदूषण के लिए नए दिशानिर्देश

857. **श्री महाबल मिश्रा:** इस **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को कोई नया दिशानिर्देश जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 वर्ष 2000 से लागू हैं जिसे राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से जनवरी, 2010 में संशोधित किया गया है। उक्त संशोधित के प्रमुख दिशानिर्देश हैं: (i) रात्रि प्रहर (10.00 अपराह्न से 6.00 पूर्वाह्न) में ध्वनि कम करने पर बल दिया जाना; (ii) 'सार्वजनिक स्थल' को घोषित किया गया है और सार्वजनिक स्थल के अधियोक्ता को जन समाधान प्रणाली आदि की मात्रा को प्रतिबंधित करना अपेक्षित है; (iii) इसी तरह, निजी स्थल के अधियोक्ता को म्यूजिक सिस्टम आदि के ध्वनिस्तर को प्रतिबंधित करना अपेक्षित है; और (iv) संबद्ध राज्य सरकारों को दिनों की संख्या एवं ब्यौरे, जो एक वर्ष में पंद्रह दिन से अधिक न हो तथा जिस पर प्रचालन के लिए 2 घंटों की छूट (10.00 अपराह्न से 12.00 अर्धरात्रि) होगी, का अग्रिम में उल्लेख करने की ड्यूटी सौंपी जाती है।

(ग) उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को फरवरी, 2010 में पत्र लिखा गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग-117

858. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र को बेहतर और सीधा सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-117 की योजना बनाई गई थी और एन.एच.ए.आई. द्वारा इसके क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी आवश्यक स्वीकृतियों के मिलने के बावजूद इस परियोजना के कार्य की बिल्कुल प्रगति नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल में कोलकाता से भाखली तक रारा 117 को फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है और इसकी घोषणा से इसको राज्य लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल को सौंप दिया गया है। इसकी घोषणा/सौंपने से राज्य लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके में इस मंत्रालय के बजटीय संसाधनों के अंतर्गत इस राष्ट्रीय राजमार्ग का रारा मानक में सुदृढ़ीकरण किया गया है। नमखाना के नजदीक कि.मी. 112.5 पर हथनिया-दोयनिया नदी पर बड़े पुल को छोड़कर संपूर्ण सड़क का अब दो लेन मानक में सुदृढ़ीकरण पर दिया गया है। वर्तमान में, इस नदी के आर-पार कोई पुल नहीं है।

सेना की भूमि की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

859. **श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर में सेना की अच्छी जगह पर स्थित भूमि निजी पार्टियों को बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में अनियमितताओं की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा उक्त भूमि को पुन: पाने के लिए क्या प्रयास किए गए?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) श्री नगर में संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र के पास रक्षा भूमि कब्जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्रारंभिक जांच दर्ज की है। यह जांच अंतिम चरण में है और इसको अंतिम रूप देने पर इसके परिणाम का पता चल पाएगा।

(ग) रक्षा सम्पदा के एक रक्षा सम्पदा अधिकारी तथा एक उप डिवीजन अधिकारी (ग्रेड-I) की निलंबित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पहले से ही रक्षा मंत्रालय के कब्जे में है।

[हिन्दी]

तोप प्रणाली (गन सिस्टम) में तकनीकी समस्या

860. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना ने मौजूदा तोप प्रणाली में तकनीकी और प्रचालनात्मक समस्या बताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बोफोर्स तोपों की खरीदारी के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अधिकार प्राप्त किया था;

(घ) यदि हां, तो इन तोपों का देश में निर्माण न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सेना के लिए तोपों का निर्माण कर रही आयुध निर्माणियों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) किसी प्रकार की तकनीकी खराबी की सूचना नहीं है। तथापि, तोपों के प्रयोग और पुरानी हो जाने के कारण समय-समय पर नेमी किस्म की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसी समस्याओं को मरम्मत/अनुरक्षण अभिकरणों द्वारा या तो उसी स्थान पर अथवा इस उद्देश्य हेतु स्थापित वर्कशॉपों में ठीक कर दिया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) हालांकि प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण संविदा के अनुसार सभी प्रौद्योगिकीय दस्तावेज मैसर्स ए.बी. बोफोर्स से आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए थे, किन्तु प्रौद्योगिकी के अंतरण को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने वाली फर्म (मैसर्स ए.बी. बोफोर्स) के साथ कार्य-व्यवहार को रोक दिया गया था। इसके बाद, समग्र तोप प्रणाली के निर्माण और आपूर्ति के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड को सेना द्वारा कोई मांग-पत्र नहीं भेजा गया।

(ङ) जी, हां। आयुध निर्माणियों में बड़े अधिव्यास के हथियारों की निर्माण क्षमता के सृजन/संवर्धन के लिए मार्च, 2012 में सरकार द्वारा 376.55 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय मंजूर किया गया है।

सामाजिक जवाबदेही की उपेक्षा

861. **श्री सुदर्शन भगत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों सहित कुछ कंपनियां खनन क्षेत्रों में सामाजिक जवाबदेही की उपेक्षा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को झारखंड के लोहरदगा जिले में सामाजिक जवाबदेही की उपेक्षा के बारे में निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) वर्ष 2011-12 के दौरान देश में निजी क्षेत्र खनन सहित कंपनियों द्वारा सामाजिक जवाबदेही की उपेक्षा के संबंध में इस मंत्रालय के ध्यान में कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं लाया गया है।

(ङ) उपरोक्त भाग (क) से (घ) के उत्तर के परिप्रक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फ्लीट टैंकर बेड़े की खरीद

862. **श्री बाल कुमार पटेल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने फ्लीट टैंकर की खरीद के लिए किसी विदेशी शिपयार्ड को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिपयार्ड द्वारा निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला इस्पात नौसेना द्वारा दी गई तकनीकी विशिष्टता को पूरा करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खरीद के लिए किए गए व्यवसायिक बातचीत मूल्य की युक्तिसंगतता के मुद्दे का समाधान करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) फ्लीट टैंकर के निर्माण के लिए अनुरोध हेतु प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में शिपयार्ड मैं. फिनकांतिरी द्वारा प्रस्तावित इस्पात का तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। शिपयार्ड द्वारा दिए गए तकनीकी स्पष्टीकरणों को जिन्हें दो वर्गीकरण सोसाइटियों द्वारा अभिपुष्ट किया गया था, के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति ने नियत प्रयोजन के लिए शिपयार्ड द्वारा प्रस्तावित इस्पात को स्वीकार किया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) लागत की उपयुक्ता का पता लगाने के लिए संविदावार्ता समिति ने दो अलग लागत निर्धारण मॉडालों के आधार पर टैंकर की लागत का निर्धारण किया। दोनों लागत निर्धारण माडलों को ध्यान में रखते हुए, संविदा-वार्ता समिति ने मैं. फिनकांतिरी द्वारा पोत की मूल्य लागत के रूप में 127.26 मिलियन यूरो (747.65 करोड़ रु.) की प्रस्तावित लागत को समुचित समझा।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता

863. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई निधियों तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा उक्त निधि का पूरी तरह दुरुपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.-ई.एफ.), औद्योगिक के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रदूषण उपशमन

के लिए विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये स्कीमें जारी रहने वाली प्रकृति की हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई राशियों के राज्य-वार और स्कीम-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों को जारी की गई निधियों का यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया जाता है जिसके लिए निधियां जारी की गई थी तो उन राशियों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है।

(ग) से (ङ) एम.ओ.ई.एफ. ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिल्ली सरकार को भी निधियां जारी की हैं। उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत निधियों के उपयोग का मॉनीटरन/समीक्षा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जाती है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियां, विभिन्न राज्य सरकारों अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण समितियों अथवा अन्य एजेंसियों, जैसा भी मामला हो, को जारी की गई गत धनराशियों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों तथा संतोषप्रद प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात ही, जारी की जाती है। सी.पी.सी.बी., विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करता है और जब भी आवश्यकता हो, समय पर शोधक कार्रवाई करता है। इस संबंध में भारत सरकार ने कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार व योजनावार जारी धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/स्कीम	2008-09	2009-10	2010-11
		जारी की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	**प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता**			
	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.12	00.00
	आन्ध्र प्रदेश	0.50	00.00	00.00
	असम	0.26	0.03	0.67
	बिहार	00.00	00.00	0.50
	चण्डीगढ़	0.12	0.24	0.31
	(विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, दिल्ली)	0.10	00.00	0.24
	दिल्ली सरकार	0.30	0.69	00.00
	एन.आई.सी.एस.आई. (एन.आई.सी.)	0.20	0.05	00.00
	गुजरात	00.00	0.56	00.00
	गोवा	0.59	00.00	0.46

1	2	3	4	5
	हिमाचल प्रदेश	00.00	00.00	0.07
	कर्नाटक	00.00	00.00	0.38
	महाराष्ट्र	0.35	00.00	0.21
	मणिपुर	0.15	0.22	0.34
	मध्य प्रदेश	0.63	0.63	00.00
	मेघालय	0.04	0.50	0.46
	मिजोरम	0.16	0.15	0.22
	नागालैंड	0.25	0.08	0.69
	ओडिशा	0.05	0.01	0.10
	पंजाब	00.00	0.64	00.00
	पुडुचेरी	00.00	0.09	00.00
	सिक्किम	0.01	00.00	0.23
	त्रिपुरा	0.09	0.09	0.13
	उत्तर प्रदेश	00.00	00.00	1.00
	कुल	**3.84**	**4.10**	**6.01**
2.	**साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.)**			
	आन्ध्र प्रदेश	0.72	0.60	
	गुजरात	0.44	3.05	4.19
	महाराष्ट्र	3.24	0.50	1.51
	राजस्थान		0.82	
	कुल	**4.40**	**4.97**	**5.70**
3.	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**			
	आन्ध्र प्रदेश	25.38	36.89	0.00
	बिहार	0.00	15.37	20.00
	गुजरात	1.49	0.00	0.39
	गोवा	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
	हरियाणा	20.80	14.90	4.10
	कर्नाटक	2.25	0.00	0.96
	केरल	1.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश	3.35	0.90	0.00
	महाराष्ट्र	0.35	7.38	11.82
	ओडिशा	16.44	0.00	0.00
	पंजाब	0.00	0.00	45.75
	राजस्थान	0.00	20.00	0.00
	तमिलनाडु	9.52	3.10	0.00
	उत्तर प्रदेश	105.60	112.80	238.59
	उत्तराखंड	2.50	17.94	31.88
	पश्चिम बंगाल	29.60	57.08	194.13
	दिल्ली	45.85	66.50	83.29
	सिक्किम	5.00	15.00	26.14
	कुल	**269.13**	**367.86**	**657.05**
4.	**राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना**			
	जम्मू और कश्मीर	12.50	27.85	17.43
	कर्नाटक	4.84	0.00	6.50
	महाराष्ट्र	0.76	3.77	2.75
	राजस्थान	13.55	4.64	6.28
	उत्तराखंड	3.40	0.00	3.00
	पश्चिम बंगाल	4.00	0.00	01.30
	उत्तर प्रदेश	4.00	2.73	12.70
	ओडिशा	1.00	0.00	0.00
	नागालैंड	0.00	5.81	0.00
	मध्य प्रदेश	0.60	0.00	0.00
	कुल	**44.65**	**44.80**	**49.96**

इस्पात की मांग और आपूर्ति

864. **डॉ. एम. तम्बिदुरई:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है जिसके परिणामस्वरूप देश आयातित इस्पात पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कच्चे लौह-अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया है ताकि आयात को हतोत्साहित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एक नई राष्ट्रीय इस्पात नीति प्रारम्भ करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) इस्पात की घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर है। इस्पात के उत्पादन की तुलना में खपत में सापेक्ष वृद्धि के कारण भारत वर्ष 2007-08 के बाद से इस्पात का निवल आयातक बन गया है। अंतिम उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्पात की कुछ विशेष किस्में आयात की जाती हैं। इस्पात की मौसमी तथा आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए भी इस्पात का आयात किया जाता है। तथापि, देश में इस्पात के उत्पादन में निरंतर वृद्धि के साथ चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 11 महीनों में निवल आयात 2.503 मिलियन टन के स्तर तक गिर गया है।

(ग) और (घ) इस्पात के निर्यात को हतोत्साहित करने की दृष्टि से दिनांक 30-12-2011 से लौह अयस्क (पैलेट्स को छोड़कर) की सभी ग्रेडों पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ङ) और (च) वैश्विक के साथ-साथ घरेलू दोनों परिवर्तित आर्थिक पर्यावरण को देखते हुए इस्पात मंत्रालय ने वर्तमान राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के स्थान पर नई राष्ट्रीय इस्पात नीति का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। नई राष्ट्रीय इस्पात नीति के निर्माण की प्रक्रिया पर निगरानी के लिए सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में योजना आयोग, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग तथा संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियां वाली एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। विषय के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में अध्ययन, विश्लेषण, परामर्श और प्रारूप नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की अध्यक्षता में चार कार्यबलों का गठन किया गया है।

गुजरात द्वारा प्रस्तुत योजनाएं और अनुमान

865. **श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011-12 के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं और अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से आज तक अनुमोदित योजनाओं और अनुमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष योजनाओं और अनुमानों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्ष 2011-12 के लिए 133.67 करोड़ रुपये की संस्वीकृत सीमा की तुलना में गुजरात राज्य सरकार द्वारा 324.24 करोड़ रुपये की लागत के 19 प्राक्कलन भेजे गये थे।

(ख) और (ग) वर्ष 2011-12 के दौरान, गुजरात के लिए 133.67 करोड़ रुपये की अनुमोदित संस्वीकृत सीमा की तुलना में, 117.91 करोड़ रुपये की लागत के 5 प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए हैं और 15.76 करोड़ रुपये की लागत के शेष प्राक्कलन संस्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

सड़क सुरक्षा कोष

866. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009 के दौरान, 4.9 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जिनके परिणामस्वरूप 1,25,660 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और पांच लाख लोग घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क परिषद (एन.आर.एस.सी.) द्वारा कोई अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने और सड़क सुरक्षा कोष बनाने की योजना बना रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सुरक्षित ड्राइविंग को प्रोत्साहन देने के लिए जुर्माना राशि में अत्यधिक वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 25 मार्च, 2011 को हुई 12वीं बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सड़क सुरक्षा के लिए कार्यक्षम समाधानों से वृहत् एवं सूक्ष्म आयामों की रूप-रेखा तैयार करने और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए सड़क सुरक्षा के चार घटकों अर्थात् (i) शिक्षा, (ii) प्रवर्तन, (iii) इंजीनियरिंग (सड़क एवं वाहन) और (iv) आपातकालीन परिचर्या के संबंध में पांच अलग-अलग कार्य समूह गठित किए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् ने दिनांक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में सभी पांचां कार्य समूहों की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। पांचों कार्य समूहों की सभी मुख्य सिफारिशों से संबंधित संश्लेषण रिपोर्ट अब मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ङ) से (छ) मोटर वाहन, अधिनियम, 1988 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शराब पीकर गाड़ी चलाना और अन्य यातायात संबंधी उल्लंघनों के लिए जुर्माने में बढ़ोत्तरी का प्रावधान था, मैं संशोधन हेतु विधेयक 15 मई, 2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य सभा की सिफारिशों पर विधेयक विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया जिसने कई सुझाव दिए। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2007 में किए गए सरकारी संशोधनों को मंत्रिमंडल द्वारा 01 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है और अब विधेयक को संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्तावित संशोधन में सड़क सुरक्षा निधि के सृजन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की कुल संख्या
		2009	2009	2009
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	43600	14770	52157
2.	अरुणाचल प्रदेश	306	158	530
3.	असम	4869	1991	5522
4.	बिहार	10065	4390	7113

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	12888	2865	13274
6.	गोवा	4165	321	2954
7.	गुजरात	31034	6983	32944
8.	हरियाणा	11915	4603	10481
9.	हिमाचल प्रदेश	3051	1140	5579
10.	जम्मू और कश्मीर	5945	1100	8199
11.	झारखंड	4996	2170	4406
12.	कर्नाटक	45190	8714	61697
13.	केरल	35433	3830	41402
14.	मध्य प्रदेश	47267	7365	54611
15.	महाराष्ट्र	71996	11396	47878
16.	मणिपुर	578	125	1189
17.	मेघालय	398	145	713
18.	मिजोरम	86	60	203
19.	नागालैंड	63	55	151
20.	ओडिशा	8887	3527	11296
21.	पंजाब	5570	3668	4486
22.	राजस्थान	25114	9045	32317
23.	सिक्किम	564	87	434
24.	तमिलनाडु	60794	13746	70504
25.	त्रिपुरा	865	229	1342
26.	उत्तराखंड	1401	852	1784
27.	उत्तर प्रदेश	28155	14638	20632
28.	पश्चिम बंगाल	11134	4860	12186

1	2	3	4	5
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	271	33	342
2.	चंडीगढ़	424	171	321
3.	दादरा एवं नगर हवेली	79	45	71
4.	दमन और दीव	63	33	69
5.	दिल्ली	7516	2325	6936
6.	लक्षद्वीप	4	2	3
7.	पुडुचेरी	1698	218	1732
	कुल	486384	125660	515458

[हिन्दी]

सेनाओं में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन

867. **श्री रेवती रमण सिंह:**

श्री सी. शिवासामी:

डॉ. रत्ना डे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं में जनशक्ति की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सेवा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के युवा सेना में शामिल नहीं होना चाहते और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सेना में भर्ती के बारे में उनमें जागरूकता में कमी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार-सेनाओं में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सशस्त्र सेना में तीनों सेनाओं में जनशक्ति की कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:-

सेना	नौसेना	वायुसेना
10526	17711	8289

(ग) से (च) सरकार ने युवाओं को सशस्त्र सेना में आने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते बहुत से उपाय किए हैं जिनमें भर्ती रैलियों का आयोजन, मीडिया प्रचार आदि शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में सशस्त्र सेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने में आई है।

[अनुवाद]

वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण

868. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में बनासकांठा जिले सहित देश में "वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण" हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) देश में इसके कब तक पूरा होने की संभावना हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) जी, हां। सरकार ने "वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण" के लिए 368.74 करोड़ रु. की कुल प्रक्षेपित लागत पर एक स्कीम प्रारम्भ की है जिसके छ: घटक योजना परिव्यय से वित्त पोषित किए जायेंगे और एक बाह्य सहायता प्राप्त घटक जापान इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा उदार ऋण के रूप में प्रतिपूर्ति आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। यह स्कीम समूचे देश के सभी स्तरां में वानिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए अभिप्रेत है।

(ख) इसके ब्यौरे और प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आई.जी.एन.-एफ.ए.)**: इस घटक के सीधे रूप में भर्ती किए गए आई.एफ.एस. अधिकारियों के पेशेवर सम्पादन प्रशिक्षण, आई.एफ.एस. के लिए प्रोन्नत किए गए अधिकारियों के निपुणता उन्नयन, आई.एफ.एस. अधिकारियों के लिए उच्च वन प्रबंधन पाठ्यक्रम/अनिवार्य मिड-कैरियन प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं और अन्य सेवाओं के कार्मिकों हेतु प्रायोजित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ii) **वन शिक्षा निदेशालय (डी.एफ.ई.)**: यह घटक सीधे रूप से भर्ती किए गए राज्य वन सेवा अधिकारियों और वन रेंज अधिकारियों को और उनके सेवा प्रशिक्षणों, विषय आधारित सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए पेशेवर सम्पादन पाठ्क्रम प्रदान करता है।

(iii) **आई.एफ.एस. अधिकारियों का प्रशिक्षण**: इस घटक के अंतर्गत, आई.एफ.एस. अधिकारियों के बीच शीर्ष पारस्परिक क्रिया का अवसर प्रदान करते हुए साप्ताहिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्क्रम और विषयपरक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। आई.एफ.एस. अधिकारियों को दीर्घ-अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

(iv) **अन्य सेवाओं का कार्मिकों का प्रशिक्षण**: यह घटक जागरुकता कार्यक्रमों का प्रबंध करता है, जिसमें लघु-अवधि प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं और पुलिस, राजस्व, सीमा शुल्क जैसे विभिन्न विभागों के कार्मिकों हेतु अध्ययन दौरे के माध्यम से प्रारंभ किए जाते हैं।

(v) **अन्य पणधारियों के प्रशिक्षण**: यह घटक अध्ययन दौरों, कार्यशालाओं और पंचायत सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, शिक्षकों, प्रकृति क्लबों/पारि-क्लबों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया आदि का प्रावधान करता है।

(vi) **वानिकी कार्मिकों का विदेशी प्रशिक्षण**: इस घटक का उद्देश्य विदेश के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न लघु-अवधि और दीर्घ-अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उन्हें प्रायोजित करने के द्वारा वानिकी कार्मिकों के बीच विशेषज्ञता को बढ़ाना है।

(vii) **वन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण हेतु कार्मिकों का क्षमता विकास**: यह एक बाह्य सहायित घटक है जो कि फ्रंट लाईन वानिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार करते हुए ग्यारह राज्यों नामश:, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, झारखण्ड, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन हेतु लक्षित है। इस प्रस्ताव के दो प्रमुख उद्देश्य हैं;

➢ राज्य वन विभाग के वानिकी प्रशिक्षण स्कूलों की अवसंरचनाओं को निम्नलिखित के द्वारा मजबूत बनाना:

- मौजूदा राज्य वन प्रशिक्षण स्कूलों (एस.एफ.-टी.एस.) का सुधार करना
- जिन राज्यों में प्रशिक्षण स्कूल नहीं हैं, वहां नए प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करना।

➢ फ्रंटलाईन वानिकी कार्मिकों के प्रशिक्षण को निम्नलिखित के माध्यम से मजबूत बनाना:

- पाठ्क्रम को दोहराना
- विशेषज्ञ प्रशिक्षकों/प्रशिक्षकों का दल गठित करना
- राज्यों में फ्रंटलाईन वन बल का प्रशिक्षण।

(ग) स्कीम का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

गोपनीय जानकारी का उजागर होना

869. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रक्षा अधिकारी फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों पर गोपनीय जानकारी उजागर करने में संलिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आचार संहिता जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) किसी सेना तथा रक्षा कार्मिक द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइटों जैसे फेसबुक पर गोपनीय सूचना लीक किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यथापरिचालित साइबर सुरक्षा नीति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन्टरनेट से जुड़े नेटवर्क के संबंध में नीति शामिल है, इस मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं में लागू की जा रही है।

डब्ल्यू.पी.आई.

870. **श्रीमती सुशीला सरोज:**

श्री पी.आर. नटराजन:

श्री पन्ना लाल पुनिया:

श्रीमती ऊषा वर्मा:

श्री महेश्वर हजारी:

श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान माह-वार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) और उनके भार का ब्यौरा क्या है;

(ख) थोक मूल्य सूचकांक के निर्धारण में अपनायी जा रही प्रविधि और मानकों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति ने साप्ताहिक आधार पर खाद्य स्फीति दर जारी किया जाना निषिद्ध कर दिया है तथा थोक मूल्य सूचकांक आधारित मासिक आंकड़ा जारी करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर खाद्य मूल्यों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में मुद्रा-स्फीति कम करने हेतु क्या उपाय किये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) खाद्य वस्तुओं के लिए अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है। थोक मूल्य सूचकांक का संकलन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई अलग सूचकांक नहीं रखे जाते हैं।

उपसमूह	भारिता	अप्रैल, 11	मई-11	जून-11	जुलाई-11	अगस्त 11	सितम्बर-11	अक्तूबर-11	नवम्बर-11	दिसम्बर-11	*जनवरी-12	*फरवरी-12
खाद्य वस्तुएं	14,337	186.8	186.3	188.8	192.8	193.7	197.2	199.3	196.5	190.9	191.4	192.3

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) की वर्तमान शृंखला 676 मदों को शामिल करते हुए 5482 उद्धरणों के आधार पर आधार वर्ष 2004-05=100 के साथ संकलित की जाती है। इसकी गणना शृंखला की मियाद के दौरान स्थिर भारिता के साथ भारित अंकगणितीय मद्यमान के सिद्धांत पर की जाती है।

(ग) और (घ) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अपनी 24 जनवरी, 2012 की बैठक में निर्देश दिया कि मासिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाए। सरकार द्वारा नियमित रूप से मूल्य प्रणाली की निगरानी

की जाती है और उसने विशेषकर खाद्य और आवश्यक वस्तुओं के मामले में, मुद्रास्फीति की उच्च दर को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैं जैसे कि वित्तीय, प्रशासनिक और मौद्रिक उपाय। इनमें शामिल हैं समय-समय पर निर्यातों पर अस्थाई प्रतिबंध, शून्य आयात शुल्क तथा न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करना ताकि चुनिंदा मदों के निर्यात को विनियमित किया जा सके। जब भी आवश्यकता होती है, सरकार राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्रों के माध्यम से चावल, गेहूं, दालों और खाद्य तेलों का अतिरिक्त आवंटन भी करती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा मूल्य वृद्धि की संभावनाओं को स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया है। सरकार ने प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के विशेष संदर्भ में समग्र मुद्रास्फीति स्थिति की समीक्षा के लिए एक अंतर्मन्त्रालयी समूह भी गठित किया है।

सड़क दुर्घटनाएं

871. **श्री जे.एम. आरुन रशीद:**

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

श्री रघुवीर सिंह मीणा:

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

श्री ए. सम्पत:

श्री के. सुगुमार:

श्री वरूण गांधी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री पी.टी. थॉमस:

श्री एस. अलागिरी:

श्री आर. थामराईसेलवन:

श्री प्रदीप माझी:

श्री पशुपतिनाथ सिंह:

श्री रवनीत सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इस मामले में शुरू किए गए कार्यक्रमों/किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दुर्घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों पर बेहतर चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2008 से 2010 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) तक प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेस मार्ग सहित) पर सूचित कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2008 से 2010 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) तक प्रत्येक वर्ष के दौरान सभी सड़कों पर सूचित कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस परियोजना के अनुसार विकसित फॉर्मेट में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" नामक शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस प्रकाशन का, वर्ष 2010 का नवीनतम अंक, दिसंबर, 2011 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सड़क दुर्घटनाओं के कारकों सहित सड़क दुर्घटनाओं और संबंधित मानदंडों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं।

इस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होती है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्हांकन/सड़क संकेत, चेतावनी बोर्ड, कुशल परिवहन प्रणाली का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(iii) मंत्रालय द्वारा योजनागत कार्यों के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश में चालन प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दृश्य-श्रव्य और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रचार अभियान।

(vi) वाहनों के सुरक्षा मानकों जैसे सीट बेल्ट, पावर-स्टीयरिंग, रियर-व्यू मिरर आदि को कठोर बनाना।

(vii) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस उपलब्ध कराना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50 किमी. की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(viii) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन का बनाया और सुधारा जाना।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार हैं:-

(i) सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति पहले ही अनुमोदित कर दी है। इस नीति में विभिन्न नीति उपायों जैसे जागरूकता संवर्धन, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्थापित करने और कुशल परिवहन को लागू करने सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने, सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन आदि के बारे में बताया गया है।

(ii) इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियां, यदि पहले से गठित नहीं हैं, गठित करने का और उनकी बैठकें नियमित आयोजित करने का अनुरोध किया है ताकि सभी संबंधितों को सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम पर काबू पाने के लिए सही संदेश पहुंच सके और सड़क दुर्घटनाओं को पर्याप्त प्राथमिकता मिल सके।

(iii) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की 25 मार्च, 2011 को हुई 12वीं बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सड़क सुरक्षा के लिए कार्यक्षम समाधानों से वृहत् एवं सूक्ष्म आयामों की रूप-रेखा तैयार करने और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए सड़क सुरक्षा के चार घटकों अर्थात् (i) शिक्षा, (ii) प्रवर्तन, (iii) इंजीनियरी (सड़क एवं वाहन) और (iv) आपातकालीन परिचर्या के संबंध में पांच अलग-अलग कार्य समूह गठित किए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् ने दिनांक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में सभी पांचों कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया। पांचों कार्य समूहों की सभी मुख्य सिफारिशों से संबंधित संश्लेषण रिपोर्ट अब मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग ऐसे 25 शीर्ष ब्लैक-स्पोटों/दुर्घटना प्रवण खंडों, के बारे में प्राथमिकता आधार पर सूचना प्रदान करने के लिए कहा है जिनका समाधान किया जाना है।

(ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं

के पश्चात् पीड़ितों को नजदीकी चिकित्सा सहायता केन्द्र तक पहुंचाने जैसे राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को एंबुलेंस उपलब्ध कराता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रत्येक 50 किमी के खंड पर बी.ओ.टी. (पथकर) परियोजनाओं के निजी रियायतग्राहियों के माध्यम से एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 140 अभिनिर्धारित राज्य सरकारी अस्पतालों में अभिघात चिकित्सा सुविधाएं उन्नत करके राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों पर 'एकीकृत अभिघात केन्द्र नेटवर्क की स्थापना' नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सूचित दुर्घटनाओं और इसमें मृत व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या*			राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या*		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आन्ध्र प्रदेश	12,327	11,856	12,340	4,172	4,655	5,122
2.	अरुणाचल प्रदेश	101	113	91	28	49	33
3.	असम	2,683	2,808	3,209	1,245	1,275	1,401
4.	बिहार	3,862	4,305	4,857	1,868	1,993	2,317
5.	छत्तीसगढ़	4,001	4,622	4,248	1,002	1,093	1,037
6.	गोवा	1,593	1,467	1,576	134	125	122
7.	गुजरात	7,025	6,640	6,440	1,857	1,958	1,953
8.	हरियाणा	3,990	4,086	3,905	1,775	1,800	1,845
9.	हिमाचल प्रदेश	1,080	1,066	1,306	258	324	369
10.	जम्मू और कश्मीर	2,365	2,637	2,271	487	446	403
11.	झारखंड	1,860	1,894	1,704	882	455	455
12.	कर्नाटक	12,949	13,893	14,013	2,838	3,147	3,278
13.	केरल	9,997	9,425	9,461	1,403	1,373	1,371
14.	मध्य प्रदेश	10,359	10,769	13,600	1,909	2,198	2,566

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	13,866	12,911	12,026	3,662	3,359	3,445
16.	मणिपुर	292	320	361	81	61	96
17.	मेघालय	186	235	320	73	100	108
18.	मिजोरम	58	45	47	35	30	23
19.	नागालैंड	36	37	16	31	28	20
20.	ओडिशा	3,635	4,216	4,738	1,472	1,769	2,028
21.	पंजाब	1,903.	1,684	2,087	1,149	1,140	1,293
22.	राजस्थान	7,811	7,932	7,520	3,495	3,432	3,501
23.	सिक्किम	47	211	86	15	22	37
24.	तमिलनाडु	19,158	21,198	24,083	4,417	5,282	6,333
25.	त्रिपुरा	270	295	320	65	90	93
26.	उत्तराखंड	818	792	863	634	475	538
27.	उत्तर प्रदेश	9,795	10,917	11,079	5,210	5,958	6,122
28.	पश्चिम बंगाल	4,621	4,714	5,547	2,115	2,143	2,040
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37	54	117	6	9	10
2.	चंडीगढ़	89	64	112	36	35	34
3.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
4.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
5.	दिल्ली	875	796	886	278	329	343
6.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
7.	पुडुचेरी	306	509	700	38	69	130
	जोड़	137,995	142,511	149,929	42,670	45,222	48,466

*एक्सप्रेस मार्गों सहित

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या			राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	42657	43600	44,599	13812	14770	15684
2.	अरुणाचल प्रदेश	280	306	293	134	158	148
3.	असम	4683	4869	5828	1807	1991	2256
4.	बिहार	8991	10065	11033	3940	4390	5137
5.	छत्तीसगढ़	12945	12888	13664	2966	2865	2956
6.	गोवा	4178	4165	4572	318	321	327
7.	गुजरात	33671	31034	30114	7070	6983	7506
8.	हरियाणा	11596	11915	11195	4494	4603	4719
9.	हिमाचल प्रदेश	2756	3051	3069	848	1140	1102
10.	जम्मू और कश्मीर	5326	5945	6134	950	1100	1045
11.	झारखंड	4985	4996	5521	1979	2170	2540
12.	कर्नाटक	46279	45190	46250	8814	8714	9590
13.	केरल	37263	35433	35082	3901	3830	3950
14.	मध्य प्रदेश	43852	47267	50023	6670	7365	8085
15.	महाराष्ट्र	75527	71996	71289	12397	11396	12340
16.	मणिपुर	573	578	602	151	125	154
17.	मेघालय	294	398	474	123	145	163
18.	मिजोरम	110	86	125	63	60	82
19.	नागालैंड	76	63	35	70	55	40
20.	ओडिशा	8181	8887	9413	3079	3527	3837

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पंजाब	5115	5570	5507	3206	3668	3542
22.	राजस्थान	23704	25114	24302	8388	9045	9163
23.	सिक्किम	196	564	186	79	87	71
24.	तमिलनाडु	60409	60794	64996	12784	13746	15409
25.	त्रिपुरा	767	865	901	221	229	231
26.	उत्तराखंड	1417	1401	1493	1073	852	931
27.	उत्तर प्रदेश	25684	28155	28362	13165	14638	15175
28.	पश्चिम बंगाल	12206	11134	14888	4789	4860	5680
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	191	271	285	22	33	27
2.	चंडीगढ़	482	424	456	148	171	138
3.	दादरा और नगर हवेली	116	79	96	65	45	62
4.	दमन और दीव	50	63	48	29	33	31
5.	दिल्ली	8435	7516	7260	2093	2325	2153
6.	लक्षद्वीप	12	4	4	0	2	0
7.	पुडुचेरी	1697	1698	1529	212	218	239
	जोड़	484704	486384	499,628	119860	125660	134513

[अनुवाद]

विकास दर हेतु लक्ष्य

872. **श्री संजय धोत्रे:**

श्री अम्बिका बनर्जी:

श्री मंगनी लाल मंडल:

श्रीमती जे. शांता:

श्री चंद्रकांत खैरे:

डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचनात्मक उद्योगों के लिए निर्धारित वृद्धि दर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ उद्योगों की वृद्धि दर में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ओर नौकरियां जाने की अनुमानित संख्या सहित इसके कारण क्या हो;

(ङ) क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादन में आई इस कमी का कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान लक्षित वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अवसंरचना उद्योगों की वृद्धि दी के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण-I दिया गया है।

(ग) से (ङ) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) के रूप में औद्योगिक वृद्धि का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं सामग्री, मशीनरी एवं उपकरणों, वस्त्र, वियरिंग अपैरल, रसायन, रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पादों सहित विभिन्न औद्योगिकीय समूहों के लिए वृद्धि दर में गिरावट आई है। औद्योगिक वृद्धि में गिरावट के कारणों में खपत व्यय की वृद्धि दर में कमी, निर्माण क्षेत्र में कम निष्पादन, ब्याज दरों में वृद्धि तथा वैश्विक अनिश्चतता आदि कारक शामिल हैं। रोजगार हानि की अनुमानित संख्या का क्षेत्र वार मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(च) औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; व्यवसाय वातावरण में सुधार; सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहलों के माध्यम से औद्योगिक तथा अन्य अवसंरचना का विकास; अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहन और उद्योग संबंधी कौशलों का विकास सहित औद्योगिक निवेश को संबंधित करना तथा सुकर बनाना शामिल है। सरकार ने जी.डी.पी. में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर एक दशक में 25 प्रतिशत करने और 100 मिलियन रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से नवंबर, 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भी घोषित की है। इस नीति का उद्देश्य सह:विनियमन के माध्यम से उद्योग के अनुपालन भार को कम करना तथा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाना है।

विवरण-I

तालिका: 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान अवसंरचना क्षेत्र निष्पादन

	2009-10		2010-11		अप्रैल-दिसम्बर, 2010-11	अप्रैल-दिसम्बर, 2011-12	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1. विद्युत उत्पादन (बी.यू.)							
थर्मल उत्पादन	648.480	639.706	690.856	665.001	484.860	524.362	517.618
परमाणु उत्पादन	19.000	18.636	22.000	26.266	17.854	18.951	23.811
हाइड्रो उत्पादन	115.468	103.896	111.352	114.257	90.169	90.355	107.545
भूटान से आयात	6.564	5.359	6.548	5.611	5.360	5.361	5.057
कुल	**789.512**	**767.597**	**830.756**	**811.135**	**598.243**	**639.029**	**654.031**
2. कोयला उत्पादन (मी.ट.)							
कोल इंडिया लि.	435.00	431.26	460.50	431.32	299.44	312.03	291.24
सिंगारेणी	44.50	50.43	46.00	51.33	36.33	37.45	35.26
अन्य	46.33	44.58	65.87	43.50	34.00	42.00	33.29
कुल	**525.83**	**526.27**	**572.370**	**526.150**	**369.77**	**391.48**	**359.79**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. तैयार इस्पाद का उत्पादन ('000 टन)							
1. मुख्य उत्पादककर्ता							
(i) सेल	9928.6	10058.2	9901.0	10195.7	7357.0	7395.7	6564.7
(ii) टाटा स्टील	5103.0	5019.0	5333.0	5157.0	3825.0	4111.0	4073.0
(iii) वी.एस.पी.	2680.0	2960.0	2730.0	2928.0	2109.0	2072.0	2080.0
कुल	**17711.6**	**18037.2**	**17964.0**	**18280.7**	**13291.0**	**13578.7**	**12717.7**
II. प्रमुख (द्वितीय) उत्पादनकर्ता	-	51092.8	-	57461.3	42356.0	-	46119.3
कुल (I + II)	**17711.6**	**69130.0**	**17964.0**	**75742.0**	**55647.0**	**13578.7**	**58837.0**
4. सीमेंट उत्पादन (मी.ट.)							
सीमेंट उत्पादन (मी.ट.)	उपलब्ध नहीं	207.06	उपलब्ध नहीं	215.98	156.99	उपलब्ध नहीं	165.00
5. उर्वरक उत्पादन ('000 टन)							
(i) नाईट्रोजन	12084.6	11900.4	12480.8	12156.6	9132.1	9361.5	9224.5
(ii) फास्फेट	4131.1	4320.9	4834.3	4222.7	3283.7	3738.8	3127.7
कुल	**16215.7**	**16221.3**	**17315.1**	**16379.3**	**12415.8**	**13100.3**	**12352.2**
6. पेट्रोलियम							
(i) कच्चा तेल उत्पादन (मी.ट.)	38.003	33.690	37.955	37.711	28.174	28.647	28.701
(ii) रिफाइनरी उत्पादन (मी.ट.)	153.176	160.034	158.610	164.851	121.266	120.963	126.197
(iii) प्राकृतिक गैस उत्पादन (एम.सी.एम.)	52167	47496	53589	52221	39682	38576	36195
7. सड़कें (कि.मी.)							
(ए) एन.एच.ए.आई.							
चार/छह/आठ लेन के लिए मरम्मत/सुदृढ़ बनाना/मैजूदा कमजोर पटरी (कि.मी.)	3165.00	2673.94	2500.00	1784.00	1155.54	1629.64	1258.89
(ख) राज्य पी.डब्ल्यू.डी. तथा सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.)							
निम्न ग्रेड भाग का सुधार (कि.मी.)	20.00	30.67	0.30	1.29	1.00	1.00	10.80

1	2	3	4	5	6	7	8
मैजूदा कमजोर पटरी का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	1058.00	1012.70	1213.41	1015.82	687.13	650.00	448.52
चार लेन के लिए मरम्मत (कि.मी.)	79.50	68.64	137.55	98.85	68.30	70.00	39.54
दो लेन के लिए मरम्मत (कि.मी.)	1321.00	1233.85	1116.97	1042.07	763.53	700.00	476.79
8. रेलवे							
राजस्व आय समान परिवहन (मी.ट.)	890.00	887.99	924.00	921.51	673.31	730.95	704.81
9. जहाज							
(i) प्रमुख पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग (मी.ट.)	581.330	561.090	598.280	569.908	416.581	451.270	418.184
(ii) कोयले का कोस्टल शिपमैंट (मी.ट.)	83.990	71.709	उपलब्ध नहीं	72.755	53690	उपलब्ध नहीं	58398
10. नागरिक उड्डयन							
I. वायु पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग (मी.ट.)							
(i) निर्यात कार्गो	*	599009	*	679459	628931	681581	621738
(ii) आयात कार्गो	*	464234	*	559898	488687	659225	495541
II. यात्री परिवहन हैन्डल्ड (संख्या लाख में)							
(i) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल	*	231.76	*	258.46	28095156	30061814	30107221
(ii) घरेलू टर्मिनल	*	492.29	*	571.77	77469676	85216643	91055982
11. दूरसंचार							
(i) स्वीचिंग छमता में निवल वृद्धि ('000 लाइन)	*	13880.220	*	13157.772	10635.771	*	768.119
(ii) प्रदान किए गए निवल कैनेक्शन ('000 सं.)	*	-1007.928	*	-2226.835	-1866.624	*	-2044.638
(iii) निवल सेलफोन (नए) कैनेक्शन ('000 सं.)	*	192562.833	*	227271.915	167876.633	*	82267.161
कुल कैनेक्शन (ii+iii) ('000 सं.)	-	**191554.905**	-	**225045.080**	**166010.009**	-	**80222.523**

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

बी.यू. : बिलियन यूनिट मी.ट.: मिलियन टन एम.सी.एम.: मिलियन क्यूबिक मीटर

*: मासिक एवं संचित लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं $; अनुपात के अनुसार

पहले केवल पांच प्रमुख वायु पत्तनों के आंकड़े प्रदान किए गए थे। मई, 2011 से सभी वायु पत्तनों (सम्पूर्ण भारत) के कुल आंकड़े।

विवरण-II

तालिका: औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर: विनिर्माण क्षेत्र का 2 डिजिट वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

कोड	उद्योग समूह	भार	2010-11	2010-11 (अप्रैल-जनवरी)	2011-12 (अप्रैल-जनवरी)
1	2	3	4	5	6
15.	खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	72.76	7.0	4.0	28.3
16.	तंबाकू उत्पाद	15.7	2.0	4.2	4.5
17.	वस्त्र	61.64	6.7	6.8	-2.6
18.	वेयरिंग	27.82	3.7	3.4	-3.8
19.	लैगज, हैंडबैग आदि	5.82	8.1	7.3	4.0
20.	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	10.51	-2.2	-1.1	1.4
21.	कागज और कागज उत्पाद	9.99	8.6	8.5	5.0
22.	प्रकाशन, मुद्रण और रिकार्डिड मीडिया का पुन: उत्पादन	10.78	11.2	11.1	24.2
23.	कोक, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद और परमाणु ईंधन	67.15	-0.2	-0.6	3.0
24.	रसायन और रासायनिक उत्पाद	100.59	2.0	0.7	-0.4
25.	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	20.25	10.6	13.3	-1.3
26.	अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद	43.14	4.1	4.1	5.0
27.	मूल धातुएं	113.35	8.8	8.2	9.8
28.	फैब्रिकेटिड धातु उत्पाद	30.85	15.3	13.8	13.8
29.	मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	37.63	29.4	30.9	-3.0
30.	कार्यालय, लेखांकन और कंप्यूटिंग मशीनरी	3.05	-5.3	-8.5	4.1
31.	इलैक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण	19.8	2.8	6.3	-21.9

1	2	3	4	5	6
32.	रेडियो, टी.वी. और संचार उपकरण और तंत्र	9.89	12.7	12.9	5.2
33.	चिकित्सा, सटीक और ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां और दीवार घड़ियां	5.67	6.8	5.1	12.8
34.	मोटर वाहन और ट्रेलर	40.64	30.2	32.4	12.1
35.	अन्य परिवहन उपकरण एन.ई.सी.	18.25	23.2	23.2	14.3
36.	फर्नीचर	29.97	-7.5	-6.5	-1.8
10.	खनन एवं खाद्यान	141.57	5.2	6.3	-2.6
15-36.	विनिर्माण	755.27	9.0	8.9	4.4
40.	विद्युत	103.16	5.5	5.3	8.8
	सामान्य सूची	1000	8.2	8.3	4.0

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

यूनिट संचालित कैन्टीनें

873. **श्री जोस के. मणि:**

श्री मंगनी लाल मंडल:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा समय में देश में यूनिट संचालित कैंटीनों (यू.आर.सी.) की कुल संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उनका समेकित कारोबार और बिक्री से अर्जित लाभ कितना रहा;

(ख) क्या यू.आर.सी. द्वारा बेची गई वस्तुओं को भारत की संचित निधि (सी.एफ.आई.) द्वारा सहायता के रूप में स्थानीय करों से मुक्त रखा गया है परन्तु उनके द्वारा अर्जित भारी लाभ को कथित रूप से सी.एफ.आई. में जमा नहीं किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण हैं;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को यू.आर.सी. के अभिलेखों तक पहुंच से दूर रखा गया है जैसा हाल ही में बताया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) देश में इस समय 3730 यूनिट संचालित कैन्टीनें हैं। यूनिट संचालित कैन्टीनों के वार्षिक कारोबार का संकलन करने हेतु कोई केन्द्रीकृत प्रणाली नहीं है।

(ख) से (घ) संबंधित राज्य सरकारों की समय-समय पर लागू नीति के अनुसार स्थानीय करों का भुगतान कैन्टीन भंडार विभाग द्वारा किया जाता है और इनको वस्तुओं की कीमत सहित यूनिट संचालित कैन्टीनों से प्रभारित किया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कैन्टीन भंडार विभाग की कार्य-निष्पादन लेंखापरीक्षा पर अपनी 14वीं रिपोर्ट (2010-11) में सिफारिश की है कि यूनिट संचालित कैन्टीन को कैन्टीन भंडार विभाग के रिटेल आउटलेट के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और इन कैन्टीनों को उत्तरदायित्व व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए कदम

उठाए जाएं जो भारत की संचित निधि द्वारा संचालित सभी कार्य-संचालनों पर लागू होती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि लेखा-परीक्षकों यूनिट संचालित कैन्टीनों के रिकार्डों तक पहुंच बनाने से इंकार किया गया। संसदीय लोक लेखा समिति (15वीं लोक सभा) ने वर्ष 2010-11 के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट को निरीक्षण करने हेतु चुना है। संसदीय लोक लेखा समिति ने कैन्टीन भंडार विभाग पर अपनी 48वीं रिपोर्ट 28-12-2011 को संसद में प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी तैयार करने हेतु मंत्रालय में विचाराधीन है।

निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु योजनाएं

874. **चौधरी लाल सिंहः**
श्री प्रशांत कुमार मजूमदारः
श्री नामा नागेश्वर रावः
श्री मनोहर तिरकीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आवंटित और जारी निधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधियों के उपयोग की निगरानी करने के लिए कोई लेखापरीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निधियों के उपयोग संबंधी योजना-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों में अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और दुरुपयोग के मामलों पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस संबंध में क्या सुधरात्मक कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं, जिनके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याणर्थ गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान जारी किया जाता है, इस प्रकार हैं: (i) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना और (ii) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों के सहायता की योजना। विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं गैर-सरकारी संगठन-वार आवंटित निधियों का विवरण संकलित किया जा रहा है।

उत्तरवर्ती वर्ष के लिए अनुदान हेतु आवेदन करते समय अनुदानग्राही संगठनों से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्व वर्ष के दौरान उनको जारी निधियों के संबंध में लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करें।

(घ) और (ङ) जब भी ऐसे दृष्टान्त की सूचना मिलती है तो उन्हें राज्य सरकारों के पास जांच हेतु भेज दिया जाता है तथा संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे सहायता अनुदान जारी करने पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. परिवारों को आर.एस.बी.वाई.

875. **श्री लक्ष्मण टुडुः**
श्री वैजयंत पांडाः
श्री नित्यानंद प्रधानः
डॉ. संजय सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा के विभिन्न जिलों, विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित देश में गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों और श्रमिकों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) ऐसे परिवारों का प्रतिशत क्या है जिन्हें अब तक कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना देश के पिछड़े क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों और श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो दूरस्थ क्षेत्रों में उपर्युक्त लाभों को लेने में ऐसे लाभार्थियों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इनका कहां तक समाधान किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों (पांच की इकाई वाले) को प्रति वर्ष स्मार्ट कार्ड आधारित 30000/- रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) इस समय 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्डों की राज्यवार संख्या तथा नक्सल प्रभावित जिलों सहित उड़ीसा राज्य में कवर किए गए जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आर.एस.बी.वाई. कवर में अस्पताल में ईलाज करवाना शामिल है। योजना के अंतर्गत नामांकित सभी लाभग्राहियों को अस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2.79 करोड़ नामांकित परिवारों में से, लगभग 33 लाख व्यक्तियों ने अस्पतालों का लाभ उठाया है।

(ग) आर.एस.बी.वाई. को देश में पिछड़े इलाकों सहित राज्यों से अच्छा समर्थन मिला है। अब तक किए गए सर्वेक्षण 77% से 92% तक का लाभग्राही संतुष्टि अनुपात दर्शाते हैं।

(घ) लाभग्राहियों सहित हितधारकों से प्राप्त शिकायतों का केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर निवारण करने हेतु परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र है तथा जब कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं समुचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड तथा ओडिशा राज्य में कवर किए गए जिले

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	29-02-2012 की स्थित के अनुसार जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या	ओडिशा राज्य में आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संख्या	29-02-2012 की स्थिति के अनुसार ओडिशा राज्य के जिलों में जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	39,615	बड़गढ़	54123
2.	असम	2,04,548	कटक	33576
3.	बिहार	70,96,914	गजपति	17411
4.	चंडीगढ़	4,913	गंजम	98098
5.	छत्तीसगढ़	13,84,680	कालाहंडी	109578
6.	दिल्ली	1,44,518	केन्द्रपाड़ा	38492
7.	गुजरात	18,50,643	खोर्दा	36095
8.	हरियाणा	5,84,683	मालकानगिरी	53174
9.	हिमाचल प्रदेश	2,35,131	नयागढ़	83283
10.	जम्मू और कश्मीर	9,484	रायगढ़	100862

1	2	3	4	5
11.	झारखण्ड	10,60,286	संबलपुर	79548
12.	कर्नाटक	6,80,122	सोनापुर	36247
13.	केरल	17,48,471	सुंदरगढ़	116264
14.	महाराष्ट्र	21,72,918	देवगढ़	30884
15.	मणिपुर	31,921	झारसुगुडा	34277
16.	मेघालय	67,150	नौउपाडा	47145
17.	मिजोरम	43,256	पुरी	131736
18.	नागालैंड	77,870		
19.	ओडिशा	11,00,793		
20.	पंजाब	2,20,486		
21.	त्रिपुरा	2,58,402		
22.	उत्तर प्रदेश	41,45,925		
23.	उत्तराखण्ड	3,38,879		
24.	पश्चिम बंगाल	44,86,192		
	कुल	2,79,87,800		

टिप्पणी: ओडिशा राज्य में, गजपति, मलकानगिरी, रायगढ़, संबलपुर और देवगढ़ जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं।

जल परिवहन

876. **श्री कामेश्वर बैठा:**

श्री अधीर चौधरी:

श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलमार्ग परिवहन सामान ढोने और यात्रियों के परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नौगम्य नदियों की संख्या कितनी है और देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की क्या स्थिति है; और

(घ) नदियों को और अधिक नौगम्य बनाने और जलमार्गों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) और (ख) रेल और सड़क माध्यमों से परिवहन की तुलना में विशेष तौर पर बल्क सामानों के लिए परिवहन के एक सस्ते माध्यम के रूप में जलमार्ग को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के 2006 के प्रतिवेदन के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर, रेल द्वारा 0.78 रु. और सड़क द्वारा 1.65 रु. की तुलना

में बार्ज की प्रति टन किलोमीटर निष्पादन लागत 0.31 रु. है। इसके लिए, जलमार्गों को अवसंरचना अर्थात् नौचालन चैनल, इंटरमॉडल कनेक्टिविटी के साथ टर्मिनल, भंडारण और अलग-अलग मामलों के आधार पर उचित क्षमता के अंतर्देशीय जलयानों की चलाने के लिए नौचालन सहायता उपकरणों के साथ विकसित करने की जरूरत है।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) के प्रतिवेदन के अनुसार, जलमार्ग करीब 14500 कि.मी. का है जो स्वदेशी नौकाओं द्वारा नौगम्य हैं, जिनमें से करीब 5685 कि.मी. का जलमार्ग यंत्रीकृत जलयानों द्वारा नौगम्य है।

4382 कि.मी. का निम्नलिखित कुल जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग (एन.डब्ल्यू.एस.) के रूप में घोषित किया गया है:-

(i) 1986 में घोषित गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 कि.मी.) एन.डब्ल्यू.-1

(ii) 1988 में घोषित ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 कि.मी.)-एन.डब्ल्यू.-2

(iii) 1993 में घोषित उद्योग मंडल और चंपाकारा नहरों (205 कि.मी.) के साथ-साथ पश्चिम तट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम)-एन.डब्ल्यू.-3

(iv) 2008 में घोषित गोदावरी और कृष्णा नदी (1078 कि.मी.) के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी नहरें-एन.डब्ल्यू.-4

(v) 2008 में घोषित ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियों (588 कि.मी.) सहित समेकित पूर्वी तट नहर-एन.डब्ल्यू.-5

इनमें से, एन.डब्ल्यू.-1, 2 और 3 को अपेक्षित अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना मुहैया करवाकर नौवहन और नौचालन के लिए विकसित किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यो में वर्ष के अधिकतर समय में लक्षित गहराई और चौड़ाई सहित एक नौचालनात्मक जलमार्ग, दिन और रात के समय नौचालनात्मक साधन-सुविधाएं, जलयानों के घाट और लदाई/उतराई के लिए चुने गए स्थलों पर स्थिर/प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चुने हुए स्थलों में इंटरमॉडल सम्पर्क मुहैया करवाया जाना शामिल है।

योजना आयोग की सलाह पर पहले से ही व्यावहार्यता अंतर वित्त पोषण सहित सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत एन.डब्ल्यू.-4 और एन.डब्ल्यू.-5 के व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य जलखंडों को विकसित किए जाने के प्रयास आरंभ किए गए हैं।

(घ) एन.डब्ल्यू.-1, 2 एवं 3 को नौगम्य बनाने के लिए, फेयरवे विकास कार्य अर्थात् ड्रेजिंग और बैंडलिंग को नियमित रूप से निष्पादित किया जा रहा है ताकि उसके विभिन्न फैलावों में लक्षित न्यूनतम उपलब्ध गहराई प्रदान और कायम रखी जा सकें। इसके अतिरिक्त, बल्क कार्गो के परिवहन को नियंत्रित करने वाले विभिन्न संगठनों (एन.टी.पी.सी. लि., भारतीय खाद्य निगम, उर्वरक कंपनियां, सीमेंट कम्पनियां, तेल कम्पनियां, जल विद्युत संयंत्रों के निर्माण में लगी कम्पनियां आदि) को जलमार्गों के माध्यम से उनके कार्गो के परिवहन को लिए राजी किया जा रहा है जहां कहीं, मूल और गंतव्य स्थान एन.डब्ल्यू.-1, 2 और 3 के आस-पास के क्षेत्र में हैं।

रक्षा उत्पादन नीति

877. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा:

श्री दुष्यन्त सिंह:

श्री लालचन्द कटारिया:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री उदय प्रताप सिंह:

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों से रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक नई रक्षा उत्पादन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्रक और विदेशी कंपनियों को भी रक्षा उत्पादन गतिविधियों में संलग्न करने का प्रस्ताव है और क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को उनके साथ भागीदारी करने की अनुमति दी जाएगी और यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए दिशा-निर्देशों/नियमों और अपनाए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्पादन प्रणालियों में दक्षता/सुधार लाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के पुनर्गठन के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) रक्षा उत्पादन में सरकार द्वारा किस सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा उत्पादन नीति 01 जनवरी, 2011 से प्रभावी हुई। इस नीति में, रक्षा उपस्करों के डिजाइन, विकास और विनिर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की और अधिक सहभागिता को अति सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर एक शक्तिशाली स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार बनाने का प्रयास है। रक्षा उत्पादन नीति की एक प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां। इस संबंध में दिशा-निर्देश फरवरी, 2012 में जारी किए गए हैं। संयुक्त उद्यम दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण-II के रूप में दी गई है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड में आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

जहां तक रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की पुनर्संरचना का संबंध है, क्रमश: प्रोफेसर पी. रामाराव और रक्षा सचिव की अध्यक्षता में दो पुनरीक्षा समितियों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं। सरकार द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं:-

(i) रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग का गठन।

(ii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की पुनर्संरचना/ अनुसंधान एवं विकास मुख्यालयों को पुन: आकार देना (रि-शेपिंग)।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का विकेन्द्रीय-करण।

(iv) वित्तीय विकेन्द्रीयकरण।

(v) मानव संसाधन ढांचे में रद्दो-बदल (रि-वैम्पिंग)।

(vi) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा का सृजन।

(vii) इस समय चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों को जारी रखना।

(viii) औद्योगिक साझेदार का चयन।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(ङ) हालांकि रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2011 का आगामी वर्षों में लगातार और अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, इस बारे में कोई लक्ष्य नियत नहीं किया जा सकता।

विवरण-I

रक्षा उत्पादन नीति

रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता सामरिक और आर्थिक कारणों से काफी महत्वपूर्ण है अत: स्वतंत्रता से ही यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। इसलिए सरकार वर्षों से देश की रक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं को आवश्यक शस्त्र/गोलाबारूद/उपकरण/प्लेटफार्म और प्रणालियां प्रदान करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास, आयुध निर्माणियों और रक्षा उपक्रमों में क्षमताएं बनाने का गहन प्रयास कर रही है। सरकार का विचार है कि शैक्षिक क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में उपलब्ध क्षमताओं के साथ उभरती भारतीय औद्योगिक प्रगति का उपयोग करने की वजह से यह उद्देश्य प्राप्त करना संभव हुआ है।

2. इसके परिणामस्वरूप, अच्छी तरह विचार करने तथा भागीदारों के साथ परामर्श करने के बाद सरकार ने एक रक्षा उत्पादन नीति बनाने का निर्णय लिया है। इस नीति के उद्देश्य रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्मों के डिजाइन, विकास और उत्पादन में निर्धारित समय सीमा में यथाशीघ्र पर्याप्त रूप से आत्म-निर्भर होना, इस उद्यम में निजी औद्योगिक जगत द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सहायक स्थितियां उत्पन्न करना, स्वदेशीकरण में लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता में वृद्धि करना तथा देश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास आधार को व्यापक बनाना है। फिर भी उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करते हुए समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी सेनाएं हर समय तात्कालिक तथा स्थायी रूप से अपने संभावित विरोधियों से आगे बनी रहें। यह बात सुनिश्चित की जाएगी अत: सरकार ने निर्णय किया है कि:-

3. रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसलिए जहां कहीं सेनाओं द्वारा चाही गई समय सीमा के भीतर अपेक्षित

शस्त्र, गोलाबारूद और उपकरण भारतीय उद्योगों द्वारा बनाना संभव हो तो भारतीय स्रोतों से अधिप्राप्ति की जाएगी। जब कभी भारतीय उद्योग अपेक्षित समयावधि में सेना की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण बनाने और पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं तो रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति की जाएगी। अधिप्राप्ति के मामलों की जांच करते समय विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति करने का निर्णय करने से पूर्व अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्ति और सुपुर्दगी में लगने वाले समय तथा देश में इसके निर्माण में लगने वाले अपेक्षित समय के साथ-साथ मांग की आवश्यकता एवं महत्व की भी जांच की जाएगी।

4. अनुमोदित दीर्घकालीन संघटित संदर्श योजना (एल.टी.आई.पी.पी.) के आधार पर उपकरणों/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्मों को बनाने/विकसित करने के लिए 10 वर्ष का समय लगना अपेक्षित है और उससे आगे की अवधि में ये सभी कमोबेश देश में ही विकसित/संघटित/निर्मित किए जाएंगे। अपने देश में किफायती या व्यावहारिक रूप से न बनाई जा सकने वाली उप प्रणालियों/उपकरणों/पुर्जों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनका आयात किया जा सकता है। फिर भी, यथासंभव प्लेटफार्मों/प्रणालियों का डिजाइन और उनका संघटन देश में ही किया जाएगा।

5. सरकार, रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करके सघन स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार बनाने का प्रयास करेगी। इस उद्देश्य के लिए विदेशी कंपनियों की तुलना में भारतीय रक्षा उद्योग की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले या प्रभावित कर सकने की क्षमता वाले विषयों की निरंतर पहचान की जाएगी तथा उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

6. सार्वभौमिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और समयावधि सीमा में अत्याधुनिक रक्षा उपकरण/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्म बनाने में राष्ट्रीय क्षमता को सहयोगी और व्यापक बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ढांचे में सभी व्यावहारिक दृष्टिकोण जैसे सहयोग निर्माण, संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी आदि आरंभ की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शैक्षिक, अनुसंधान और विकास संस्थाएं तथा प्रतिष्ठित तकनीकी एवं वैज्ञानिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।

7. सरकार, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की बनाओ (मेक) श्रेणी के अंतर्गत प्रक्रियाओं को इस ढंग से अधिक सरल बनाएगी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र उद्योग कम समयावधि में वांछित उपकरणों, शस्त्र प्रणालियों, प्लेटफार्मों के डिजाइन बना सकें व उनका विकास कर सकें।

8. सेना मुख्यालय (सर्विस हैडक्वार्टर्स), विकसित/संघटित/निर्मित किए जाने वाले रक्षा उपकरणों/शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्मों की गुणता संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण करते समय हर समय गुणता संबंधी अपेक्षाओं का संभाव्यता और व्यावहारिकता का ध्यान रखेंगे। फिर भी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में डिजाइन/विकसित/संघटित की गई प्रणालियां/प्लेटफार्म हमारे संभावित विरोधियों के मुकाबले हमारी सेनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक धार प्रदान कर सकें।

9. सरकार यह भी मानती है कि जटिल प्रणालियों का विकास प्राय: चरणों में होने वाली एक प्रक्रिया है जो एम.के.-I और एम.के.-II और इस प्रकार के आगे निरन्तर प्रगतिशील संवर्धनात्मक परिवर्तनों के साथ चलती है। चरण आधारित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। फिर भी ऐसी प्रत्येक विकासात्मक परियोजनाओं की रक्षा उत्पादन बोर्ड या रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, जैसा भी मामला हो, के द्वारा की जाने वाली समीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे उपकरण, शस्त्र प्रणालियां और प्लेटफार्म ऐसे हों कि वे हमारे संभावित विरोधियों पर हमारी सेनाओं को धार प्रदान कर सकें। यदि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब होता है तो तदनुरूपी प्रस्ताव रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए जाएंगे और स्वदेशी उत्पादन क्षमता स्थापित होने तक आवश्यक संख्या में 'क्रय' विकल्प का पालन किया जाएगा। इसके बाद स्वदेशी प्रणालियों की अधिप्राप्ति की जाएगी।

10. आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र को अपने अनुसंधान और विकास विंग को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतियां बनाई जाएंगी ताकि निर्माणाधीन प्रणालियों में निरंतर उन्नयन एवं सुधार किया जाना संभव हो सके।

11. सरकार, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ-साथ एस.एम.ई. सहित सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों को रक्षा उपकरण/प्रणालियों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास समर्थन प्रदान करने हेतु एक अलग वित्तीय कोश स्थापित करेगी।

12. प्रौद्योगिकी अंतरण के सभी मामलों में अपेक्षित प्रौद्योगिकी की पहचान और मूल्यांकन के लिए रक्षा उत्पादन विभाग को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, एकीकृत सेना मुख्यालय और सर्विस हैडक्वार्टर्स को शामिल किया जाएगा, बाद में वे यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त रूप से समावेशन हो। इसके बाद शस्त्र प्रणालियों/प्लेटफार्मों की अगली श्रृंखला देश में ही विकसित की जाएगी।

13. भारतीय उद्योग जगत द्वारा उपर्युक्त प्रणालियों का संभव उन्नयन किया जाएगा। प्रणालियों के निरंतर उन्नयन के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, एकीकृत सेना मुख्यालय और सर्विस हैडक्वार्टर्स, आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा निजी क्षेत्र गहन समन्वय के साथ कार्य करेंगे।

14. रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित समितियां उपरोक्त नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुसार अधिग्रहण प्रस्तावों पर कार्यवाही करेंगी।

15. रक्षा मंत्री, वर्ष के दौरान प्राप्त आत्मनिर्भरता की प्रगति की वार्षिक समीक्षा करेंगे।

16. यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

विवरण-II

संख्या र.म./18(4)/जी.सी./2011/निदेशक (पी एंड सी)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत।

रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा अत्याधुनिक रक्षा मदों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुमोदन प्रदान किया है। अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांत इस पत्र के साथ संलग्न हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों पर लागू होंगे।

2. ये मार्गदर्शी सिद्धांत तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा अब तक वैधानिक रूप से अस्तित्व में न आई सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा इसके बाद स्थापित की जाने वाली कंपनियों पर लागू होंगे।

3. इस विभाग द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(3)/10/पी-15बी/डी.पी. (प्लानिंग-viii) के तहत जारी पूर्व अनुदेश एतद्द्वारा वापस किए जाते हैं।

ह/-

(ग्यानेश कुमार)
संयुक्त सचिव (एन.एस./पी एंड सी)
दूरभाष: 23011219

सेवा में

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रति सूचनार्थ:-

संलग्न वितरण-सूची के अनुसार।

वितरण-सूची

1. रक्षा मंत्री के निजी सचिव
2. रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
4. केबिनेट सचिव, भारत सरकार
5. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
6. सचिव, व्यय विभाग
7. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
8. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग
9. सचिव, विधि कार्य विभाग
10. सचिव, रक्षा विभाग

11. सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग
12. सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण
13. सचिव, रक्षा (वित्त)
14. रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
15. महानिदेशक (अधिप्राप्ति), रक्षा मंत्रालय
16. सी.जी.डी.ए., रक्षा मंत्रालय
17. सी.आई.एस.सी., रक्षा मंत्रालय
18. रक्षा मंत्रालय/रक्षा उत्पादन विभाग/रक्षा (वित्त)/अधिप्राप्ति विंग के सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/अपर वित्तीय सलाहकार

का.ज्ञा. सं. र.मं./18(4)/जी.सी./2011/निदे. (पी एंड सी.)

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनियां स्थापित किए जाने के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में ठोस आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन नीति[1] जारी की है। रक्षा उत्पादन नीति में उल्लेख किया गया है कि ऐसे मूल्यों तथा ऐसी अवधि जो वैश्विक प्रतियोगिता के अनुसार है, की सीमा में रहते हुए अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों के उत्पादन में राष्ट्रीय समर्थता को एकीकृत करने तथा बढ़ाने के लिए सरकारी अनुमोदित ढांचे के भीतर रहते हुए सभी व्यवहार्य प्रयास जैसे कि कंपनी समूह बनाने, संयुक्त उद्यम बनाने तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी किया जाना आदि किए जाएंगे।

1.2 सार्वजनिक क्षेत्र को और कुशल तता प्रतियोगी बनाने के भारत सरकार के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मुनाफा कमाने वाले नवरत्न तथा मिनिरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्धित स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।[2,3]

1.3 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपेक्षित वित्तीय प्रत्यायोजन दिया गया है। रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम ऐसे रक्षा उत्पादों का विनिर्माण करने में लगे हैं जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मूलभूत संबंध है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के हितो को सुरक्षित किया जाए ताकि संयुक्त उद्यम बनाने में उन्हें हमारी सशस्त्र सेनाओं की मांग को पूरा करने में बाधा न आए और हिस्सेदारों का चयन उचित तथा पारदर्शी ढंग से किया जाए। अतः रक्षा उत्पादन विभाग में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित किए जाने के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं के संबंध में इन अतिरिक्त दिशा-निर्देशों को जारी किया जाना तथा रक्षा उद्यम विभाग द्वारा मौजूदा दिशा निर्देशों की अनुपूर्ति को आवश्यक समझा गया।[4]

2. संयुक्त उद्यमों की स्थापना

2.1 भारत में निजी क्षेत्र की उभरती स्थिति तथा विदेशी स्रोतों से उन्नत प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने के अवसरों से ऐसे एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता हुई जिससे रक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा देश के भीतर अत्याधुनिक रक्षा सामानों के निर्माण का उद्देश्य पूरा होता हो। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपने हितों तथा

---

[1]रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन नीति जनवरी, 2011 से प्रख्यापित की गई।

[2]डी.पी.ई.ओ.एम. 18(24)/2003-जी.एम.-जी.एल. 64 एवं 65 दिनांक 5 अगस्त, 2005-संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां - सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र ऊपरी सीमा निवल धनराशि का 30% होगी। इक्विटी निवेश की ऊपरी सीमा एक परियोजना के निवल मूल्य का 15% होगी जो नवरत्न कंपनियों के मामले में 1000 करोड़ रुपए तक और मिनिरत्न श्रेणी-I कंपनियों के मामले में 500 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।

[3]डी.पी.ई.ओ.एम. 11(32)/96-एफ.आई.एन. दिनांक 17 जनवरी, 2000 - नवरत्न कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक सहयोग

[4]नवरत्न अथवा मिनिरत्न श्रेणियों के तहत न आने वाले प्रत्यायोजित वित्तीय प्राधिकार वाले सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों पर समय-समय पर जारी डी.पी.ई. दिशा-निर्देश लागू रहेंगे।

भूमिका को ध्यान में रखते हुए इन नए अवसरों का लाभ लेने के लिए भारतीय तथा विदेशी, दोनों, कंपनियों के साथ उपयुक्त भागीदारी पर सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद विचार कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के उपायों से देश में समय-सीमा तथा मूल्य की सीमा में रहते हुए ऐसे रक्षा सामानों के उत्पादन के राष्ट्रीय प्रयास में वृद्धि हो जो वैश्विक रूप से प्रतियोगितात्मक हो।

2.2 ये भागीदारी कई प्रकार की हो सकती थी जैसे कि आउटसोर्सिंग, उप संविदाकरण, कंपनी-समूह बनाना, परियोजना बनाना, विशेष प्रयोजन के विशिष्ट वाहन, संयुक्त उद्यम बनाना आदि। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य विरचनाओं के विपरीत एस.पी.वी. तथा जे.वी. अपनी अलग विधिक पहचान रखेंगे जोकि हिस्सेदारों की विधिक पहचान से अलग होगी, जो उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों से 'एक निश्चित दूरी' बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी और उन्हें हिस्सेदारों की ओर से दीर्घकालिक विशिष्ट वचनबद्धताओं की आवश्यकता भी होगी। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों से अपेक्षा है कि वे निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सभी संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करें और वहीं संयुक्त उद्यम मामलों पर कार्रवाई करें जहां भागीदारी के अन्य रूपों की तुलना में यह सर्वोत्कृष्ट संभावित विकल्प प्रतीत होता हो।

2.3 एस.एच.ए. सरल और संक्षिप्त होना चाहिए और इसमें आवश्यक रूप से ऐसे उपबंध निहित होने चाहिए जो एक अंशधारी के कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए खास तौर से अपेक्षित होते हैं। संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी मौजूदा क्षमता अप्रयुक्त न रहे अथवा उसका पूरा इस्तेमाल न किया जाए और उनके मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल सर्वाधिक इष्टतम तथा सर्वोत्कृष्ट संभव ढंग से किया जाए।

2.4 संयुक्त उद्यम कंपनी का बनाया जाना उन विशिष्ट उत्पाद (उत्पादों) अथवा सेवा (सेवाओं) तक ही सीमित होना चाहिए जो संयुक्त उद्यम कंपनी के उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए अपेक्षित हो। संयुक्त उद्यम कंपनी में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की भागीदारी (एक्सपोजर) उस न्यूनतम समयावधि तक ही सीमित होना चाहिए जो संयुक्त उद्यम कंपनी के संचालन के लिए न्यूनतम रूप से आवश्यक हो। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी को किए गए अधिमानी व्यवहार को भी "निम्नतम आर्थिक मात्रा" के आर्डर देने तक ही सीमित किया जाना चाहिए। संयुक्त उद्यम कंपनी को निम्नतम आर्थिक मात्रा के आदेश देने से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के निदेशक बोर्ड का विनिर्दिष्ट पूर्व अनुमोदन लेना वांछनीय होगा।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के हितों की सुरक्षा

3.1 शुरू की जाने वाली सेवाओं अथवा/और परियोजनाओं, आपूर्तियों, प्रौद्योगिकी को विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त उद्यम की प्रवृत्ति और विषय क्षेत्र को सुपरिभाषित होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक संयुक्त उद्यम का गठन किसी भी तरीके से सरकार को किसी रक्षा उत्पादन/सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम की वचनबद्धता और स्वतंत्र योग्यता में बाधा नहीं डालता। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम किसी अत्यधिक बल, आपातकालीन घटनाओं अथवा किसी तात्कालिक आवश्यकताओं, की स्थिति में जिससे उनके नियमित संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ता हो अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा सीधे अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित हो, अपने हितों की सुरक्षा स्वयं करेंगे।

3.2 एक संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी रक्षा उपक्रम और किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक भागीदारी होने के कारण संयुक्त उद्यम की किसी कमी अथवा असफलता से रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम को आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है बावजूद इसके कि संयुक्त उद्यम कानूनी रूप से एक अलग प्रतिष्ठान होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के अभिपुष्टि अधिकारों का वर्णन संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारक समझौते में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इस प्रकार, संयुक्त

उद्यम का एक शेयरधारक होते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के बोर्ड को संयुक्त उद्यम के मुख्य निर्णयों के पूर्व अनुमोदन का अधिकार अपने पास रखना चाहिए, जैसे कि:

(क) संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद का संशोधन;

(ख) अध्यक्ष और/अथवा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हेतु अनुमोदन;

(ग) वार्षिक व्यवसाय योजना और इसमें किसी सामग्री के परिवर्तन का अनुमोदन;

(घ) वार्षिक बजट का अनुमोदन तथा उसमें संशोधन;

(ङ) लाभांश की घोषणा;

(च) बड़ी संविदाओं के लिए बोली;

(छ) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति;

(ज) संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल की किसी भी शक्ति के प्राधिकार का प्रत्यायोजन किसी व्यक्ति अथवा इसके निदेशक मंडल की एक समिति को सौंपना;

(झ) शेयर और/अथवा प्रतिभूतियों को जारी किए जाने अथवा पुनर्खरीद द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कोई पुनर्संरचना;

(ञ) मूलभूत परिसंपत्तियों की बिक्री;

(ट) ऋणों और ऋणभारों पर निर्णय; और

(ठ) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा और संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का गठन।

3.3 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रबंधन, परिचालन और वित्तीय विवरण तथा ऐसी अन्य सूचना, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो अथवा अनुरोध किया गया हो, मासिक/तिमाही आधार पर प्राप्त करने के अधिकार को भी बनाए रखना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को संयुक्त उद्यम कंपनी की खाता-बहियों के निरीक्षण तथा संयुक्त उद्यम कंपनी का किसी भी समय विशेष लेखापरीक्षा करने संबंधी अधिकार पर सहमत होने अथवा बनाए भी रखना चाहिए।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन हेतु कार्यविधि

4.1 यदि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के निदेशक मंडल द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का निर्णय लिया है, संयुक्त उद्यम साझेदार के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धी आवेदकों के लिए एक निष्पक्ष अवसर हो सके तथा सर्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम सुनिश्चित हो सकें। कुछ मामलों में विशिष्ट कारणों जैसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और/अथवा ऑफसेट साझेदार आदि के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के साथ परियोजनाओं के लिए साझेदारों का चयन करना आवश्यक हो सकता है। ऐसे चयन अथवा किसी अन्य कार्यविधि के माध्यम से चयन के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के मंडल को ऐसे साझेदार (साझेदारों) का अनुमोदन करते समय पर्याप्त कारण दर्ज करने होंगे और इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। जहां संयुक्त उद्यम को कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकियां प्राप्त करना अपेक्षित है वहां सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को यह सुनिश्चित करना होगा कि संयुक्त उद्यम कंपनी के मामले में शेयरधारक संबंधी करार में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी सुस्पष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं और ऐसी प्रौद्योगिकी वास्तविक रूप में संयुक्त उद्यम कंपनी को उपलब्ध हो जाती है।

4.2 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित साझेदार लागू सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार संयुक्त उद्यम के उद्देश्य हेतु उपयुक्त है। यदि चयनित साझेदार एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, अथवा यदि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का शेयरधारक है और/अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का शेयर 50% से ज्यादा होना है, तो लागू नियमों के अनुसार सरकार का पूर्व अनुमोदन

अनिवार्य होगा। यदि चयनित साझेदार एक विदेशी कंपनी है तो सरकार के संबंधित नियमों, विनियमों और नीतियों का अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम से संबंधित कोई गोपनीय सूचना बांटने से पूर्व संभावित साझेदार (साझेदारों) के साथ एक उपयुक्त प्रकट न करने संबंधी करार (नॉन डिस्क्लोजर) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सर्वोत्तम साझेदार का चयन स्पष्ट औचित्य के साथ और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा।

4.3 एस.एच.ए. सरल और संक्षिप्त होना चाहिए और इसमें आवश्यक रूप से ऐसे उपबंध निहित होने चाहिए जो एक अंशधारी के कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए खास तौर से अपेक्षित होते हैं, जैसे कि:

(क) पैरा 3.2 में यथा उल्लेखित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के सकारात्मक अधिकार;

(ख) निजी क्षेत्र की फर्मों, आदि द्वारा व्यापक प्रतिनिधित्व और वारंटियां;

(ग) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने के लिए याचना न करना;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के हितों का संरक्षण करने के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी खंड;

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पहले ही दी गई संविदाओं के तहत उनकी जिम्मेदारियां;

(च) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम की बौद्धिक सम्पत्ति के संबंध में उसके हित के सुरक्षण के लिए उपबंध;

(छ) संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा हस्तांतरित अथवा प्रयुक्त की जा रही परिसंपत्तियों का स्वतंत्र रूप में तत्परतापूर्ण मूल्यांकन; और

(ज) समाश्रित देनदारियों का आकलन।

4.4 अनुमोदित एस.एच.ए. के उपबंध संयुक्त उद्यम कम्पनी के समझौता ज्ञापन और ए.ओ.ए. में शामिल किए जाएंगे। जैसे ही ये सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिए जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक कानूनी अपेक्षाएं पूरा करने का कार्य कर सकता है।

4.5 भारत गणराज्य के कानून (जिनमें, अन्य के अलावा, समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 शामिल हैं) संयुक्त उद्यम कंपनी और तदनुरूप एस.एच.ए. को अधिशासित करेंगे। विपथगमन के किसी भी मामले में, यदि संयुक्त उद्यम और एस.एच.ए. की शर्तें किसी भी उपबंध के अनुरूप नहीं हैं तो भारत गणराज्य के कानूनों के उपबंध अभिभावी होंगे। विशेष रूप से, संयुक्त उद्यम कंपनी समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 292, 372क और अन्य लागू होने वाले उपबंधों का अनुपालन करेगी।

4.6 यदि संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्षकार, माध्यस्थम कार्यवाही के रूप में विवाद समाधान तंत्र के रूप में माध्यस्थम को मामला प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी कार्यवाही भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार अधिशासित की जाएगी और माध्यस्थम का स्थान भारत होगा।

4.7 यदि सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम एक सूचीबद्ध कंपनी है तो यह संगत सूचीकरण करार (करारों) के तहत प्रकट करने संबंधी अपने दायित्वों का पालन सुनिश्चित करेगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है तो यह सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त उद्यम के गठन के बारे में एस.एच.ए. के लिए इसके निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद इसकी वेबसाइट पर और प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा समुचित घोषणा की जाए और ऐसा प्रचार संयुक्त उद्यम के गठन के सभी परवर्ती महत्वपूर्ण स्तरों, जैसे कि संयुक्त उद्यम कंपनी के एक पृथक कानूनी निकाय के रूप में अंतिम निगमन, पर भी सुनिश्चित किया जाए।

5. निर्गम प्रावधान

5.1 ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का बोर्ड यह विचार करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का हित संयुक्त उपक्रम कंपनी से बाहर होने का है तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अपने निवेश की वसूली के लिए उस संभावित उपाय का आकलन करना होगा जो उसके पास हो। अत: संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने से पूर्व निर्गम संबंधी प्रावधानों को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त उद्यम साझेदारों द्वारा प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता की समुचित 'लॉक-इन' अवधि के लिए एस.एच.ए. और/या ए.ओ.ए. में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया जाए।

5.2 निजी क्षेत्र की एंटीटी द्वारा तयशुदा लॉक-इन अवधि में प्रतिभूतियों का कोई भी हस्तांतरण, संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए तब तक वैध और बाध्यकारी नहीं होगा जब तक ऐसा हस्तांतरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (संयुक्त उद्यम कंपनी के अंशधारक के रूप में) द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों (सर्वप्रथम इंकार करने के अधिकार सहित लेकिन यहीं तक सीमित नहीं) पर अनुमोदित न किया जाए जिन्हें वह उचित समझे। तयशुदा 'लॉक-इन' अवधि के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम को संयुक्त उद्यम कंपनी में निजी क्षेत्र की एंटीटी की प्रतिभूतियों को सर्वप्रथम इंकार करने का अधिकार तथा/अथवा खरीदने का प्रथम अधिकार होगा।

6. विविध

6.1 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम संयुक्त उद्यम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी छूट और/या विचलन की अपेक्षा के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को ऐसी छूट और/या विचलन के लिए रक्षा उत्पान विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

6.2 संयुक्त उद्यम के बोर्ड में नामित होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के प्रतिनिधि, यदि कोई हों, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के कदाचार और अनुशासनात्मक नियमों के अध्यधीन बने रहेंगे।

6.3 संयुक्त उद्यम संबंधी ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में बसें

878. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री संजय भोई:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार कितनी बसें चलाई जाएंगी;

(ग) इस प्रयोजन के लिए आबंटित की जाने वाली निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक ये उपलब्ध करा दी जायेंगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं। वर्तमान में, राज्यों में सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने के लिए बसें खरीदने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री डकैती

879. **श्री मनीष तिवारी:**

श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री प्रदीप माझी:

श्री एकनाथ महादेव गावकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री संजय भोई:

श्री किसनभाई पटेल:

श्री मनोहर तिरकी:

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बहुत से भारतीय नाविकों के समक्ष अरब सागर और हिन्द महासागर में जल दस्यु आक्रमणों की हाल में हुई घटनाओं की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय व्यापारी जहाजों की संख्या कितनी है जिनमें अल दत्युओं द्वारा पिछले तीन वर्षों में डकैती की गई है;

(ग) क्या सरकार के प्रयासों से रिहा कराए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सुरक्षित व्यापारिक क्रियाकलाप सुनिश्चित करने के लिए जल दस्यु की आवंछित घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किसी भारतीय वाणिज्यिक पोत का अपहरण नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए बचाव/रोकथाम के विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रारंभ किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय कर्मीदल सदस्यों वाले वाणिज्यिक जलयानों के अपहरण से पैदा होने वाली बंधक परिस्थिति से निबटने के लिए एक अंतर-मंत्रालय अधिकारी दल (आई.एम.जी.ओ.) का गठन किया गया है।

(ii) सेफ हाऊस/सिटाडेल सहित व्यापक समुद्री डकैती रोधी उपायों (सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियों) का ब्यौरा देते हुए नौवहन महानिदेशक द्वारा नोटिस जारी किया जाना।

(iii) दिनांक 31-3-2010 के एम.एस. नोटिसा सं. 3/2010 के द्वारा सल्लाह और माले को जोड़ने वाली रेखा के दक्षिण और पश्चिम दिशा के जलक्षेत्र में जलयानों द्वारा यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना।

(iv) अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के पोतों द्वारा नौसेना सुरक्षा उपलब्ध करवाना।

(v) भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (ई.ई. ज़ेह) और पश्चिम दिशा की ओर 65 डिग्री पूर्व देशांतर तक भारतीय नोसेना द्वारा कड़ी नजर रखा जाना।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और सोमालिया के तट से समुद्री डकैती पर संपर्क दल (सी.जी.पी.सी.एस.) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी।

(vii) पताका राष्ट्र द्वारा बंधक कर्मीदल के कल्याण, रिहाई के प्रयासों संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने और उनके मेहनताने के भुगतान को जारी रखे जाने के लिए आई.एम.ओ. सभा में दस्तावेज 27/9/1 प्रस्तुत किया जाना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का परिवर्तन

880. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**

श्री समीर भुजबल:

श्री चंद्रकांत खैरे:

श्रीमती भावना पाटील गवली:

श्री ज्योति धुर्वे:

श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दो लेन राजमार्गों के चार/छह/आठ लेनों में परिवर्तन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित इनमें परिवर्तित किए गए/परिवर्तित किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं पर हुए/होने वाले व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त परिवर्तन के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) लम्बित प्रस्तावों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है, और इसके कारण क्या हैं और लम्बित प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दो लेन के राजमार्गों को चार/छः/आठ लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त और महाराष्ट्र राज्य सहित 753 किमी की लम्बाई के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन परियोजनाओं के लिए पृथक से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। यथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) दो लेन राज्यमार्गों का चार/छह/आठ लेन में उन्नयन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और संस्वीकृति के लिए प्रस्तावों पर विचार यातायात घनत्व, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

विवरण-I

दो लेन के राजमार्गों को चार/छह/आठ लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त और अनुमोदित विगत तीन वर्षों अर्थात 2008-09 से अब तक और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्यवार प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	8	1
4.	दिल्ली	1	1
5.	गुजरात	15	10
6.	हरियाणा	18	10
7.	कर्नाटक	1	1
8.	मध्य प्रदेश	6	5
9.	महाराष्ट्र	1	0
10.	पंजाब	9	5
11.	राजस्थान	4	3
12.	उत्तर प्रदेश	7	1
13.	उत्तराखंड	3	2

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आबंटित राज्यवार निधि और किये गये व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन				व्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12^ (फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	192.97	348.39	254.77	167.99	196.38	348.39	254.77	93.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	88.25	206.29	177.64	231.43	87.65	206.29	177.64	125.25
4.	बिहार	104.02	245.45	199.15	225.54	95.02	245.45	199.15	189.23
5.	चंडीगढ़	3.39	2.95	8.81	6.00	3.39	2.95	8.81	0.57
6.	छत्तीसगढ़	67.42	79.65	53.53	98.05	65.74	79.65	53.53	29.02
7.	दिल्ली	15.80	17.21	52.58	8.00	15.80	17.21	52.58	5.70
8.	गोवा	34.39	33.16	30.14	8.00	34.39	33.16	30.14	4.79
9.	गुजरात	102.33	150.26	111.60	124.96	101.06	150.26	111.60	75.48
10.	हरियाणा	103.23	152.16	143.69	115.00	103.23	152.16	143.69	82.69
11.	हिमाचल प्रदेश	76.21	80.46	95.72	136.26	76.21	80.46	95.72	80.65
12.	झारखंड	96.41	117.90	112.70	105.00	96.41	117.90	112.70	71.81
13.	कर्नाटक	215.30	305.43	276.65	343.31	214.91	305.42	276.65	254.05
14.	केरल	72.53	141.23	109.00	173.82	73.20	141.23	109.00	118.24
15.	मध्य प्रदेश	110.14	150.16	134.24	96.69	98.35	150.16	134.24	63.45
16.	महाराष्ट्र	195.18	326.18	265.53	286.52	196.87	326.18	265.53	164.87
17.	मणिपुर	23.77	19.65	63.88	78.28	23.65	19.65	63.88	23.79
18.	मेघालय	51.60	61.54	79.08	70.55	50.77	61.54	79.08	45.12
19.	मिजोरम	13.55	5.52	24.23	60.00	13.55	5.52	24.23	20.63
20.	नागालैंड	30.60	30.46	26.94	54.00	30.60	30.46	26.94	11.97
21.	ओडिशा	209.55	333.70	230.71	313.28	208.84	333.70	230.71	226.52
22.	पडुचेरी	2.95	9.22	3.93	5.00	2.95	9.22	3.93	4.05
23.	पंजाब	156.77	188.49	115.00	129.11	156.77	188.49	115.00	98.00
24.	राजस्थान	214.35	140.24	147.31	183.08	216.54	140.23	147.31	86.96
25.	तमिलनाडु	133.77	168.40	182.13	190.37	131.96	168.40	182.13	119.54
26.	उत्तर प्रदेश	223.51	433.21	452.55	359.21	222.20	433.21	452.55	223.75
27.	उत्तराखंड	112.40	160.91	130.83	141.46	112.29	160.91	130.83	41.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिमी बंगाल	95.30	147.00	120.61	210.00	95.30	147.00	120.61	197.62
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	1.89	5.00	0.00	0.00	1.89	2.13
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	12566.47	11744.70	17918.94	28412.90	10497.21	9017.96	12563.94	20755.69
	सीमा सड़क संगठन	650.00	756.00	760.00	620.00	645.80	723.49	714.31	367.38
	एस.ए.आर.डी.पी. एन.-ई.*	1000.00	1200.00	1500.00	1600.00	643.72	658.55	1004.81	1443.86
	एल.डब्ल्यू.ई.*	0.00	125.00	750.00	1200.00	0.00	5.00	718.05	862.71

*राज्य-वार आबंटन तैयार नहीं किए जाते हैं।

^अनंतिम

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग की विलम्बित परियोजनाएं

881. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राजमार्ग परियोजनाएं नियत समयावधि से काफी पीछे चल रही हैं और 20 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन के लक्ष्य सहित विलम्बित परियोजनाओं की सूची में सबसे ऊपर है;

(ख) यदि हां, तो नियत समय में पूरी न हो सकी इन विलम्बित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या सभी अनुमोदित परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनाओं में एक माह से लेकर साठ माह का विलम्ब होता है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य की गति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है और इन विलम्बित परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की चल रही 221 परियोजनाओं में से 95 परियोजनाएं विलंबित हैं। इनमें से अधिकतम परियोजनाएं एक से 60 माह तक विलंबित हैं। विलंबित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये परियोजनाएं कुछ ठेकेदारों के निम्न निष्पादन, वन/वन्य जीवन/पर्यावरण स्वीकृतियां के प्राप्त करने में विलंब, रेलवे से सड़क उपरि पुल अनुमति प्राप्त करने में विलंब, कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या, भूमि अधिग्रहण में विलंब, जन-उपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण आदि में विलंब के कारण विलंबित हुई हैं। परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन

के लिए एन.एच.ए. आई. द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का सघन अनुवीक्षण किए जाने के लिए मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया है। भूमि अधिग्रहण, जन-अनुपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण में तेजी लाने के लिए उपाय किए गए हैं। राज्यों में लोक निर्माण विभाग, राजस्व, विद्युत और जल आपूर्ति के प्रधान सचिवों तथा सदस्यों के रूप में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। संबंधित राज्य के एन.एच.ए.आई. के क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य महाप्रबंधक को सदस्य सचिव के रूप में नामांकित किया गया है। समिति को परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उल्लिखित मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्तियों का सघन अनुवीक्षण किया जा रहा है। परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा फील्ड स्तर और मुख्यालय में की जाती है।

विवरण

कार्यान्वयन के अधीन विलंबित परियोजनाएं

क्र.सं.	खंड	राज्य	रारा सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	पूर्ण कर ली गई लंबाई (कि.मी. में)	कार्य प्रारंभ होने की तारीख	ठेकानुसार कार्य पूरा होने की तारीख	कार्य पूरा होने की अनुमानित तारीख	लगा अधिक समय, माह में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरमूर से येल्लारेड्डी (एन.एस.-2/ए.पी.-1) (अनुमोदित लंबाई 60.25)	आन्ध्र प्रदेश	7	59	55.607	फर.-2010	फर.-2012	अप्रैल-2012	2
2.	गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एन.एस.-23/ए.पी.)	आन्ध्र प्रदेश	7	23.1	21.25		समाप्त		58
3.	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा (6 लेन)	आन्ध्र प्रदेश	5	82.5	20.7	मई-2009	अक्तू-211	अक्तू-2012	12
4.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-7)	असम	31	27.3	16.5	अक्तू-2005	अप्रैल-2008	दिस.-2012	56
5.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-9)	असम	31	21.5	19.4	दिसं.-2005	जून-2008	मार्च-2012	45
6.	सिलचर से उदरबंद (ए.एस.-1)	असम	54	32	18	सितं.-2004	सितं.-2007	जून-2012	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	ब्रह्मपुत्र पुल (ए.एस.-28) (ए.एस.-28)	असम	31	5	0	अक्तू.-2006	अप्रैल-2010	दिसं.-2012	32
8.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (ए.एस.-10)	असम	31सी	33	23.4	नवं.-2005	जून-2008	दिसं.-2012	54
9.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (ए.एस.-11)	असम	31सी	30	14.19	नव.-2005	जून-2008	जून-2012	48
10.	बिजनी-असम/पश्चिम बंगाल सीमा (ए.एस.-12)	असम	31सी	30	25.51	नव.-2005	जून-2008	सितं.-2012	51
11.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-6)	असम	31	25	21.5	नव.-2005	जून-2009	जून-2012	36
12.	गुवाहाटी-नलबारी (ए.एस.-5)	असम	31	28	15	अक्टू.-2005	अप्रैल-2008	दिसं.-2012	56
13.	नलबारी-बिजनी (ए.एस.-8)	असम	31	30	27.94	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	48
14.	नगांव से धर्मातुल (ए.एस.-2)	असम	37	25	21	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	48
15.	सोनापुर से गुवाहाटी (ए.एस.-3)	असम	37	19	15.5	सितं.-2005	जून-2008	मई-2012	35
16.	धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-20)	असम	37	22	18.5	नवं.-2005	मई-2008	जून-2012	49
17.	धर्मतुल-सोनापुर (ए.एस.-19)	असम	37	25	19.302	दिसं.-2005	जून-2008	जून-2012	48
18.	दबोका-नगांव (ए.एस.-17)	असम	36	30.5	30.05	दिसं.-2005	जून-2008	मार्च-2012	45
19.	मैंबंग से लुमडिंग (ए.एस.-27)	असम	54	21	0	अक्टू.-2006	अप्रैल-2009	मार्च-2013	47
20.	हरंगजो से मैबंग (ए.एस.-23)	असम	54	16	10.2	अगस्त-2006	फर.-2009	मार्च-2013	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	गुवाहाटी-नलबारी (ए.एस.-4)	असम	31	28	10	दिसं.-2005	अप्रैल-2008	दिसं.-2012	56
22.	दीवापुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एल.एम.एन.एच.पी.-9)	बिहार	28	41.085	28	नव.-2005	अक्टू.-2008	जून-2012	44
23.	सिमराही-रिंग बंध (बी.आर.-4) (मिसिंग लिंक) (बी.आर.-4)	बिहार	57	15.15	15.15	अप्रैल-2006	अप्रैल-2008	अप्रैल-2012	48
24.	कोटवा से देवापुर (एल.एम.एन.एच.पी.-10)	बिहार	28	38	37.5	नवं.-2005	नवं.-2008	मार्च-2012	40
25.	फोरबिसगंज-सिमराही (बी.आर.-3)	बिहार	57	34.87	30.5	अप्रैल-2006	सितं.-2008	मार्च-2012	42
26.	झंझारपुर से दरभंगा (बी.आर.7)	बिहार	57	37.59	36	अप्रैल-2006	सितं.-2008	जून-2012	45
27.	मोकामा-मुंगेर (अनुमोदित लंबाई 70 कि.मी.) को दो लेन का बनाया जाना	बिहार	80	69.27	34.058	मई-2011	मई-2013	मार्च-2014	10
28.	औरंग-रायपुर	छत्तीसगढ़	6	43.485	42.5	अप्रैल-2006	जनवरी-2009	जून-2012	41
29.	दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर से - छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	छत्तीसगढ़	6	82.685	82	जन.-2008	जन.-2011	जून-2012	17
30.	सूरत-दहीसर (6 लेन)	गुजरात [118.2]/ महाराष्ट्र [120.77]	8	239	224.497	फर.-2009	अगस्त-2011	जून-2012	18
31.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	हरियाणा	10	63.49	54.358	मई-2008	मई-2010	दिसं.-2012	31
32.	पानीपत-जालंधर (6 लेन)	हरियाणा [116]/ पंजाब [175]	1	291	196.93	मई-2009	मई-2011	जून-2012	13
33.	जीरकपुर-परवानू	हरियाणा [20]/ हिमाचल प्रदेश [6 .69]/पंजाब [2]	22	28.69	28.6	फर.-2008	अगस्त-2010	मार्च-2012	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (6 लेन)	हरियाणा [64.3]/ राजस्थान [161.3]	8	225.6	134.25	अगस्त-2009	अक्टू.-2011	जून-2012	8
35.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एन.एस.-30ए)	जम्मू कश्मीर	1ए	1.23	0	जून-2006	दिसं.-2008	अक्टू.-2012	46
36.	जम्मू-कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एन.एस.-33/जे. एंड के.	जम्मू कश्मीर	1ए	15	14.7	नवं.-2005	मई-2008	मार्च-2012	46
37.	विजयपुर-पठानकोट (एन.एस.-35/जे. एंड के.)	जम्मू कश्मीर	1ए	30	29.65	सितं.-2005	फर.-2008	मार्च-2012	49
38.	विजयपुर-पठानकोट (एन.एस.-34/जे. एंड के.)	जम्मू कश्मीर	1ए	33.65	33.25	सितं.-2005	फर.-2008	मार्च-2012	49
39.	कुंजवानी से विजयपुर (एन.एस.-15/जे. एंड के.)	जम्मू कश्मीर	1ए	17.2	17.2	जन.-2002	दिसं.-2004	मार्च-2012	87
40.	जम्मू-उधमपुर	जम्मू कश्मीर	1ए	65	0	जुलाई-2010	जुलाई-2013	जून-2014	11
41.	बेलगांव-खानपुर खंड (कि.मी. 0.00 से कि.मी. 30.00) को 4 लेन का बनाया जाना और खानपुर-कर्नाटक/ गोवा सीमा (कि.मी. 30.00 से कि.मी. 84.120) को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाया जाना	कर्नाटक	4ए	81.89	0	मार्च-2011	सितं.-2013	जुलाई-2014	10
42.	हरिहर-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	4	77	77	अक्टू.-2008	जून-2010	मार्च-2012	21
43.	हैदराबाद-बंगलौर खंड का उन्नयन (विद्यमान 6 लेन पर उन्नयन)	कर्नाटक	7	22.12	11.35	नवं.-2010	नवं.-2012	अप्रैल-2013	5
44.	देवीहल्ली-हसन (अनुमोदित लंबाई 73 कि.मी.)	कर्नाटक	48	77.23	6	दिसं.-2010	मई-2013	जून-2013	1
45.	बेलगांव-धारवाड़ (अनुमोदित (लंबाई 111 कि.मी.)	कर्नाटक	4	80	26.51	दिसं.-2010	जून-2013	अक्टू.-2013	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	हवेरी-हरिहर	कर्नाटक	4	56	56	नवं.-2010	जुलाई-2013	मार्च-2013	20
47.	नव मंगलूर पत्तन	कर्नाटक	13, 17 और 48	37	36.74	जून-2005	दिसं.-2007	मार्च-2012	51
48.	चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास (अनुमोदित लंबाई 145 कि.मी.)	कर्नाटक	4	114	22.235	मार्च-2011	अगस्त-2013	दिसं.-2013	4
49.	रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन को रारा 48 पर जोड़ते हुए देवीहल्ली तक	कर्नाटक	48	81	81	जन.-2008	जुलाई-2010	मार्च-2012	20
50.	आई.सी.टी.टी. वल्लारपदम को रारा संपर्क	केरल	47सी	17.2	15.1	अगस्त-2007	फर.-2010	मई-2012	27
51.	लखनादून से मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा (एन.एस.-1/ बी.ओ.टी./एम.पी.-3)	मध्य प्रदेश	7	56.475	27.73	दिसं.-2007	जन.-2010	अक्टू.-2012	28
52.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (ए.डी.बी.-II/सी-9)	मध्य प्रदेश	26	54.7	50.06	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	सितं.-2012	47
53.	ग्वालियर बाइपास (एन.एस.-1/ बी.ओ.टी./एम.पी.-1)	मध्य प्रदेश	75, 3	42	39.475	अप्रैल-2007	अक्टू.-2010	जून-2012	32
54.	सागर-राजमार्ग चौराहा (ए.डी.बी.-II/सी-6)	मध्य प्रदेश	26	44	40.84	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	दिसं.-2012	50
55.	राजमार्ग चौराहा से लखनादून (ए.डी.बी.-II/सी-8)	मध्य प्रदेश	26	54	43	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	दिसं.-2012	50
56.	ललितपुर-सागर (ए.डी.बी.-II/सी-4)	मध्य प्रदेश	26	55	55	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	अप्रैल-2012	42
57.	सागर बाइपास (ए.डी.बी.-II/सी-5)	मध्य प्रदेश	26	26	24.9	अप्रैल-2006	अक्टू.-2008	मई-2012	43
58.	लखनादून से मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा (एन.एस.-1/ बी.ओ.टी./एम.पी.-2)	मध्य प्रदेश	7	49.35	40.11	मार्च-2007	सितं.-2009	अक्टू.-2012	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	धौलपुर-मुरैना खंड (चम्बल पुल सहित) एन.एस.-1/आर.जे.-एम.पी./1	मध्य प्रदेश [1]/ राजस्थान [9]	3	10	6.22	सितं.-2007	सितं.-2010	दिसं.-2012	27
60.	ग्वालियर-झांसी	मध्य प्रदेश[68.5]/ उत्तर प्रदेश[11.51]	75	80	49.161	जून-2007	दिसं.-2009	दिसं.-2012	36
61.	बोरखेडी-जाम (एन.एस.-22/एम.एच.)	महाराष्ट्र	7	27.4	27	जून-2005	दिसं.-2007	अप्रैल-2012	52
62.	नागपुर-कोंधली	महाराष्ट्र	6	40	39.84	जून-2006	दिसं.-2008	जून-2012	42
63.	वाडनेर-देवधारी (एन.एस.-60/एम.एच.)	महाराष्ट्र	7	29	0	फर.-2011	नव.-2010	नव.-2012	24
64.	काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा से नागपुर	महाराष्ट्र	7	95	58	अप्रैल-2010	जून-2012	अक्टू.-2012	4
65.	केलापुर-पिम्पलखट्टी (एन.एस.-62)	महाराष्ट्र	7	22	8.5		समाप्त		31
66.	पुणे-शोलापुर पैकेज-I (अनुमोदित लंबाई पैकेज I और II 170 कि.मी.)	महाराष्ट्र	9	110.05	75	नव.-2009	मार्च-2012	मई-2012	2
67.	बालासोर-भद्रक (ओ.आर.-III)	ओडिशा	5	62.64	62.61	दिसं.-2008	दिसं.-2010	जुलाई-2012	19
68.	भुवनेश्वर-खुर्दा (ओ.आर.-I)	ओडिशा	5	27.15	27.15	जन-2001	जन-2004	मार्च-2012	98
69.	सुनाखला-गंजम (ओ.आर.-VII)	ओडिशा	5	55.713	45.79	अक्टू.-2009	अक्टू.-2011	जुलाई-2012	9
70.	गंजम-इच्छापुरम (ओ.आर.-VII)	ओडिशा	5	50.8	50.67	जुलाई-2006	नव.-2008	मई-2012	42
71.	अमृतसर-पठानकोट (अनुमोदित लंबाई 101 कि.मी.)	पंजाब	15	106	20.693	मई-2010	नव.-2011	जून-2013	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एन.एस.-36/ जे. एंड के.)	पंजाब	1ए	19.65	18.1	नव.-2005	मई-2008	जून-2013	61
73.	पठानकोट से भोगपुर (एन.एस.-37/पी.बी.)	पंजाब [29]/हिमाचल प्रदेश[11]	1ए	40	39.82	नव.-2005	मई-2008	मई-2012	48
74.	चम्बल पुल (आर.जे.-5)	राजस्थान	76	1.4	0	नव.-2006	फर.-2010	जुलाई-2013	41
75.	कोटा बाइपास (आर.जे.-4)	राजस्थान	76	26.42	26.35	मई-2006	नव.-2008	सितं.-2012	46
76.	त्रिची-करूर	तमिलनाडु	67	79.7	69	जून-2008	जुलाई-2010	मार्च-2013	32
77.	चेन्नै-टाडा (6 लेन)	तमिलनाडु	5	43.4	5	अप्रैल-2009	अक्टू.-2011	मार्च-2014	29
78.	सलेम-उलून्डरूपेट (बी.ओ.टी.-1/टी.एन.-06)	तमिलनाडु	68	136.357	132.8	जन.-2008	जन.-2011	मई-2012	16
79.	तंजावूर-त्रिची	तमिलनाडु	67	56	54.2	दिस.-2006	जून-2009	नव.-2012	41
80.	कंगयम से कोयम्बटूर (के.सी.-2)	तमिलनाडु	67, के.सी. 2	55.2	54.35	अगस्त-2006	अगस्त-2008	मार्च-2012	43
81.	यू.पी./बिहार सीमा से कसिया (एल.एम.एन.एच.पी.-8)	उत्तर प्रदेश	28	41.115	40.5	दिसं.-2005	दिसं.-2008	मार्च-2012	39
82.	गंगा पुल से रामादेवी क्रासिंग (यू.पी.-6)	उत्तर प्रदेश	25	5.6	1.64	दिस.-2005	सित.-2008	जून-2012	45
83.	लखनऊ बाइपास (ई.डब्ल्यू.-15/यू.पी.)	उत्तर प्रदेश	56ए और बी	22.85	22.25	मार्च-2009	अगस्त-2010	जून-2012	22
84.	4 लेन का नया आगरा बाइपास बनाना (एन.एस.-1/यू.पी.-1)	उत्तर प्रदेश	2, 3	32.8	0	अक्टू.-2007	अक्टू.-2010	जून-2013	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.	आगरा-शिकोहाबाद (जी.टी.आर.आई.पी./I-ए)	उत्तर प्रदेश	2	50.83	50.76	मार्च-2002	मार्च-2005	जून-2012	87
86.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर	उत्तर प्रदेश	24	35	32.6	मार्च-2005	सित.-2007	जून-2012	57
87.	उरई से झांसी (यू.पी.-5)	उत्तर प्रदेश	25	50	49.7	सितं.-2005	मार्च-2008	मार्च-2012	48
88.	झांसी से ललितपुर (एन.एस.-1/बी.ओ.टी./यू.पी.-2)	उत्तर प्रदेश	25, 26	49.7	44.1	मार्च-2007	सितं.-2009	दिसं.-2012	39
89.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	24	56.25	55.85	मार्च-2005	सितं.-2007	जून-2012	57
90.	लखनऊ-कानपुर (ई.डब्ल्यू./3बी.)	उत्तर प्रदेश	25	16	15.3	फर.-2010	अगस्त-2011	जून-2012	10
91.	गोरखपुर बाइपास	उत्तर प्रदेश	28	32.6	32	अप्रैल-2007	अक्टू.-2009	जून-2012	32
92.	पुल खंड (डब्ल्यू.बी.-III)	पश्चिम बंगाल	6	1.732	0.48		समाप्त		59
93.	हल्दिया पत्तन	पश्चिम बंगाल	41	53	52.482	सितं.-2008	सितं.-2010	मार्च 2012	18
94.	असम/प.बं. सीमा से गैरकाटा (डब्ल्यू.बी.-I)	पश्चिम बंगाल	31सी	32	24.2	जून-2006	नव.-2008	जून-2012	43
95.	सिलिगुडी से इसलामपुर (डब्ल्यू.बी.-7)	पश्चिम बंगाल	31	26	18.06	जन.-2006	जुलाई-2008	दिसं.-2012	53

नक्सल प्रभावित और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

882. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री रुद्र माधव राय:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री यशवीर सिंह:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनछुए क्षेत्रों और उपेक्षित क्षेत्रों सहित जनजातीय बहुल क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित/वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों/राज्यों में अगले पांच वर्षों में

सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण करने के लिए कोई नीति/कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उक्त प्रयोजनार्थ विशेषकर ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों में किन खंडों/क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है तथा इस संबंध में कितना बजट आबंटित किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में योजना आयोग में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में योजना की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सहित ऐसे क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को प्रदत्त वित्तीय सहायता और चल रही परियोजनाओं/निर्मित सड़कों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) विलम्बित और लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और कार्य की गति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2009 में 7300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के आठ राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में 5477 कि.मी. सड़कों के विकास के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया है। 34 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 10,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 7294 कि.मी. सड़कों के विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सड़क आवश्यकता योजना-II के मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया गया है। योजना आयोग ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणियां भेजी हैं।

(ङ) पिछले दो वर्षों (कार्यक्रम शुरू होने से) और चालू वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं, निर्मित सड़कों, राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) विलम्बित और परियोजना संस्वकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि परियोजना के आकार के आधार पर 12 से 36 महीने के बीच भिन्न-भिन्न होती है। कुछ परियोजनाएं विलम्बित हुई हैं और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी परियोजनाएं मार्च, 2015 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

विवरण-I

(ख) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित उन 34 जिलों की सूची जिनका अभिनिर्धारण संकेन्द्रित विकास के लिए किया गया है:

क्र.सं.	राज्य	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित, अभिनिर्धारित जिलों की सूची	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	खम्माम
2.	बिहार	6	औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, जमुई, गया और रोहतास
3.	छत्तीसगढ़	7	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा और कांकेर
4.	झारखण्ड	11	लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, गुमला, पलामू, बोकारो और रामगढ़

1	2	3	4
5.	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट
6.	महाराष्ट्र	2	गोंदिया और गढ़चिरौली
7.	ओडिशा	5	संभलपुर, गजपति, मल्कानगिरि, रायगडा और देवगढ़
8.	उत्तर प्रदेश	1	सोनभद्र

विवरण-II

(ङ) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं, निर्मित सड़कों, को प्रदान की गई वित्तीय सहायता:

राज्य	चल रही परियोजनाएं			निर्मित सड़कें कि.मी. में			आवंटित निधियां करोड़ रुपए		
	सं.	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2009-2010	2010-2011	2011-2012
आन्ध्र प्रदेश	24	557	1054	0	77	204	50	130	271
बिहार	33	585	559	0	49	293	0	160	200
छत्तीसगढ़	30	1361	1684	0	34	215	5	175	260
झारखंड	15	533	708	0	0	12	0	30	115
मध्य प्रदेश	4	131	106	0	9	40	5	20	35
महाराष्ट्र	22	365	612	0	66	105	5	80	135
ओडिशा	13	615	904	0	0	69	5	140	160
उत्तर प्रदेश	2	67	42	0	16	0	3	15	24
जोड़	143	4214	5669	0	251	938	73	750	1200

विवरण-III

(च) और (छ) चल रही विलम्बित और लम्बित परियोजनाओं पर संस्वीकृति का ब्यौरा:

राज्य	विलम्बित परियोजनाएं			लम्बित परियोजनाएं			कारण
	सं.	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	सं.	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	2	26	28	0	0	0	
बिहार	6	93	74	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़	11	286	302	0	0	0	
झारखंड	0	0	0	8	0	135	हाल ही में प्राप्त हुआ
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	
महाराष्ट्र	4	56	61	0	0	0	
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	
उत्तर प्रदेश	2	67	42	0	0	0	
जोड़	25	528	507	8	0	135	

[हिन्दी]

आसियान देशों के साथ व्यापार

883. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ मौजूदा व्यापार संबंध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में व्यापार असंतुलन के कारण भारत को आर्थिक क्षति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या व्यापार की प्रमात्रा बढ़ाने के मद्देनजर भारत दस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बातचीत के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इनमें शामिल प्रत्येक देश की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) इन देशों के साथ हुए इन द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद भारत को क्या संभावित लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत एवं आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी.ई.सी.ए.) के व्यापक कार्यढांचे के तहत दिनांक 13 अगस्त, 2009 को भारत एवं ब्रुनेई दारेस्सलाम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी.डी.आर., मलेशिया, म्यांमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की सदस्यता वाले दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र परिसंघ (आसियान) ने वस्तु व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए थे।

(ख) और (ग) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान आसियान देशों को क्रमश: 18.11 बिलियन अम. डॉलर तथा 27.28 बिलियन अम. डॉलर के निर्यात किए गए थे। वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान आसियान देशों से क्रमश: 25.80 बिलियन अम. डॉलर तथा 30.61 बिलियन अम. डॉलर के आयात किए गए थे। चूंकि वस्तु व्यापार करार का पूर्ण कार्यान्वयन दिनांक 1 अगस्त, 2011 से ही प्रारंभ हुआ है अत: व्यापार असंतुलन का कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी। तथापि वर्ष 2010-11 के दौरान व्यापार असंतुलन में कमी आई है।

(घ) और (ङ) भारत एवं सिंगापुर ने दिनांक 1 अगस्त, 2005 से सी.ई.सी.ए. लागू किया है। भारत एवं मलेशिया ने भी दिनांक 1 जुलाई, 2011 को सी.ई.सी.ए. लागू किया है। भारत एवं थाईलैंड एक व्यापक भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार करार हेतु वार्ताएं कर रहे हैं जिसमें एक एकल वचनबद्धता के रूप में वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार एवं निवेश संबंधी करार शामिल हैं। भारत एवं इंडोनेशिया ने भी भारत-इंडोनेशिया

सी.ई.सी.ए. हेतु वार्ता करने पर सहमति की है जिसमें, वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग संबंधी करार शामिल होंगे।

(च) द्विपक्षीय व्यापार करारों के निष्पादन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। भारतीय निर्यातकों को इन देशों में अतिरिक्त बाजार पहुंच प्राप्त होगी और भारतीय विनिर्माता इन बाजारों से लाभकारी कीमतों पर उत्पादों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। निवेश में वृद्धि होगी और भारतीय व्यवसायी, सेवा क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। इसके परिणामस्वरूप इन देशों के साथ व्यापार अवसरों और गहन आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं

884. श्री के. सुगुमार:

श्री माणिकराव होडल्या गावित:

श्री भरत राम मेघवाल:

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

श्री राम सिंह कस्वां:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाग्रस्त मिराज-2000, सुखोई-30 और मिग-21 सहित मिग श्रृंखला के विमान तथा भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घटना में विमानचालकों/कर्मियों सहित कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी;

(ग) जांच में प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण सामने आए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या विमान दुर्घटना के कारणों में एक मुख्य कारण विमानचालकों के अनुभव की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें वर्तमान में मुहैया कराए जा रहे उड़ान घंटे को दर्शाते हुए विमानचालकों के उड़ान कौशल में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार मिग-21 सहित मिग श्रृंखला के विमानों की सेवा समाप्त करने का है क्योंकि उनका सेवा समय समाप्त हो चुका हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11 तक) और चालू वर्ष 2011-12 (दिनांक 13-03-2012 तक) के दौरान 33 लड़ाकू विमान जिनमें 01 जगुआर, 02 मिराज-2000, 03 सुखोई-30 और 27 मिग श्रृंखला के विमान (मिग-21 श्रृंखला के 16 विमानों सहित) शामिल हैं और भारतीय वायुसेना के 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में 13 पायलटों सहित 26 रक्षा कार्मिक मारे गए। इसके अतिरिक्त 06 सिविलियन भी मारे गए।

(ग) उपर्युक्त अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय चूक और तकनीकी त्रुटि के कारण हुई हैं। भारतीय वायुसेना की प्रत्येक विमान दुर्घटना की जांच अदालत द्वारा पूरी तरह से जांच की जाती है ताकि दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा सके। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तदनुसार उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

तथापि, पायलटों की दक्षता में सुधार करना एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, प्रक्रियाओं और आपातकालीन कार्रवाई का अभ्यास करने के लिए सिमुलेटरो का अधिक इस्तेमाल, मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अतिरिक्त जोर देने के साथ केन्द्रित और यथार्थवादी प्रशिक्षण, मिशन को सुरक्षित ढंग से शुरू किए जाने के लिए चालक-दल संसाधन प्रबंधन और प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, वायुकर्मी-दल के प्रशिक्षण के प्रारंभ में विमानन मनोविज्ञान पाठ्यक्रम और एयरोस्पेस सुरक्षा कैप्सूल शामिल है।

(च) विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए निर्णय विभिन्न पहलुओं के आधार पर लिया जाता है जिसमें विमान का शेष उपयोगिता-काल और संक्रियात्मक दृष्टिकोण शामिल होता है और सरकार द्वारा इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

885. **श्री अंजन कुमार एम. यादव:**

श्री रवनीत सिंह:

श्री भक्त चरण दास:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

श्री जी.वी. हर्ष कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का अन्तर्प्रवाह संस्वीकृत एफ.डी.आई. से कम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ.डी.आई. के संबंध में भारत का रैंक कम हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत को एफ.डी.आई. हेतु और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को परियोजनाओं को प्रारंभ करने में देरी और राज्य सरकारों के साथ हुए समझौतों का उल्लंघन करने की जानकारी मिली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देरी के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय-वार, दी गई सूचना के अनुसार क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (इक्विटी) अंतर्वाह का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

यह ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार है तथा यह राज्य-वार अंतर्वाह में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक राज्य में मुख्यालय रखने वाली कंपनियों का प्रचालन एक अथवा उससे अधिक राज्यों में हो सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय एक से ज्यादा राज्य को कवर करते हैं।

(ग) अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट, 2011 के अनुसार एफ.डी.आई. अंतर्वाह के रूप में भारत की वैश्विक रैकिंग 2008 में 13वीं, 2009 में 8वीं तथा 2010 में 14वीं थीं।

(घ) सरकार ने एफ.डी.आई. संबंधी निवेशक अनुकूल नीति बनाई है जिसके तहत ज्यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। हाल ही में एफ.डी.आई. नीति व्यवस्था में काफी बदलाव किए गए हैं, ताकि भारत उत्तरोत्तर आकर्षक तथा निवेशक अनुकूल बना रह सके। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसकी सतत आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ङ) आर.बी.आई. द्वारा एन.आर.आई. निवेश के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एन.आर.आई. शीर्ष (अलग-अलग निवेशक के अनुसार) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर प्रवासी भारतीयों के निवेश सहित एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्वाह का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	एफ.डी.आई. (करोड़ रुपए)	एफ.डी.आई. (अमेरिकी मिलियन डॉलर)
1.	2008-09	7,314.18	1,603.82
2.	2009-10	1,691.96	354.75
3.	2010-11	1,074.75	241.23

(च) और (छ) मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के तहत भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) या तो स्वत: मार्ग अथवा सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से किया

जा सकता है। ज्यादातर क्षेत्र/क्रियाकलाप एफ.डी.आई. के लिए स्वत: मार्ग के तहत खुले हैं तथा केवल कुछ सीमित क्षेत्र हैं जिनमें सरकार के पूर्व अनुमोदन से एफ.डी.आई. की अनुमति है। स्वत: मार्ग के तहत मौजूदा अनुमति के लिए क्षेत्रों/क्रियाकलापों में एफ.डी.आई. के लिए सरकार द्वारा किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्ते अनुमोदनों के लिए प्रक्रिया में राज्य सरकारों के साथ समझौता शामिल नहीं है।

विवरण

अप्रैल, 2008 से दिसम्बर, 2011 तक वित्तीय वर्ष-वार एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्प्रवाह

(राशि रुपए करोड़ एवं मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2008-09 (अप्रैल-मार्च)		2009-10 (अप्रैल-मार्च)		2010-11 (अप्रैल-मार्च)		2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर)	
		रुपए	अमेरिकी डॉलर	रुपए	अमेरिकी डॉलर	रुपए	अमेरिकी डॉलर	रुपए	अमेरिकी डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धातुकर्मी उद्योग	4,152.56	959.94	1999.30	419.88	5,023.34	1,098.14	6,881.17	1,495.25
2.	खनन	161.09	301.16	829.92	174.40	357.42	79.51	614.42	136.84
3.	विद्युत	4,033.47	907.66	6,138.32	1,271.79	5,796.22	1,271.77	6,639.34	1,447.39
4.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	602.88	125.88	2,872.41	822.52	977.71	214.40	1,353.48	281.97
5.	कोयला उत्पादन	1.07	022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	1,633.38	349.29	1,298.90	265.53	2,543.14	556.43	920.47	196.07
7.	बॉयलर तथा भाप जेनेरेटिंग संयंत्र	0.00	0.00	18.48	3.98	2.87	0.63	155.74	31.62
8.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनरेटर के अलावा)	341.51	74.88	182.99	39.50	758.13	166.44	1,092.51	223.09
9.	विद्युत उपकरण	1,931.48	417.35	3,484.32	728.27	898.85	153.90	1,830.11	400.00
10.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	6,740.41	1,543.34	4,126.76	871.86	3,551.24	779.81	2,625.55	563.93
11.	इलैक्ट्रॉनिक्स	659.25	147.51	246.73	52.14	274.75	59.72	813.98	179.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	दूरसंचार	11,684.81	2.548.83	12,269.68	2,539.26	7,542.04	1,664.50	8,968.77	1,988.72
13.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	3,378.28	735.04	2,340.55	490.83	1,887.17	412.11	1,531.27	328.32
14.	ऑटोमोबाइल उद्योग	5,218.03	1,150.03	5,892.81	1,238.27	5,864.18	1.299.41	2,785.30	609.58
15.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	281.79	81.37	111.47	23.73	620.83	136.60	126.98	27.50
16.	समुद्री परिवहन	231.35	50.21	1,343.58	284.85	1,370.27	300.51	447.82	100.17
17.	पत्तन	2,019.87	493.15	304.61	65.41	49.84	10.92	0.02	0.00
18.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	71.41	18.01	160.27	34.43	318.50	70.66	164.18	35.25
19.	औद्योगिक मशीनरी	514.31	110.54	1,594.83	341.88	2.109.07	467.92	1,992.04	432.51
20.	मशीन औजार	200.45	45.66	640.06	133.83	53.01	11.63	159.89	35.10
21.	कृषि मशीनरी	22.43	5.57	8.70	1.88	2.21	0.49	9.30	2.07
22.	अर्थ मूविंग मशीनरी	10.80	2.27	75.89	15.62	8.12	1.77	82.71	13.88
23.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	635.43	142.31	725.18	149.59	493.96	108.87	5,580.56	1,239.52
24.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	53.66	12.63	371.28	78.98	115.14	25.12	68.94	15.36
25.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	352.03	75.42	789.51	167.35	146.66	32.22	660.91	134.09
26.	औद्योगिक उपकरण	83.65	17.48	36.85	7.61	115.55	25.48	17.79	3.99
27.	वैज्ञानिक उपकरण	3.56	0.83	0.01	0.00	11.16	2.49	19.02	4.07
28.	गणितीय सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	उर्वरक	823.96	133.75	38.46	8.20	83.77	18.18	160.48	32.55
30.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	2,950.66	651.22	1.726.24	365.94	1,811.53	398.28	2,607.13	610.39
31.	फोटोग्राफी, अपरिस्कृत फिल्म और कागज	4.44	1.05	0.01	0.00	3.80	0.81	0.00	0.00
32.	डाई स्टफ	5.62	1.17	19.53	4.02	24.25	5.37	0.44	0,08
33.	ड्रग्स तथा फार्मास्युटिकल्स	20,614.14	4,246.76	1,006.29	213.08	981.09	209.38	14,405.31	3,192.82
34.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	756.52	157.52	714.82	150.27	588.95	129.65	444.34	93.44
35.	कागज तथा लुगदी (कागज उत्पाद सहित)	1,181.59	272.51	76.39	16.42	30.15	6.53	1.580.83	310.82
36.	चीनी	22.68	5.01	0.48	0.10	0.79	0.17	19.95	4.44
37.	किण्वन उद्योग	628.42	144.70	536.70	112.02	262.28	57.71	251.66	53.15
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	455.59	102.71	1,314.23	278.89	858.03	188.87	602.84	125.93
39.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	198.13	42.88	338.09	69.74	267.35	58.07	294.50	60.40
40.	साबुन कॉस्मेटिक्स तथा प्रसाधन संबंधी उत्पादित पदार्थ	105.94	22.03	117.27	24.50	463.98	102.90	801.71	160.02
41.	रबड़ की वस्तुएं	400.71	84.88	114.82	24.12	78.71	17.21	599.62	127.50
42.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	15.56	3.32	23.71	5.06	42.10	9.26	24.85	5.55
43.	ग्लू तथा जिलेटिन	0.00	0.00	1.26	0.27	0.04	0.01	30.68	5.84
44.	कांच	103.86	23.16	13.28	2.83	35.46	7.60	66.12	14.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	सिरेमिक	850.44	198.43	33.60	7.21	54.06	12.00	45.22	9.67
46.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	3,143.53	724.80	159.07	33.80	2,911.03	637.68	877.08	183.19
47.	काष्ठ उत्पाद	55.75	11.27	30.82	6.54	7.19	1.56	54.19	11.58
48.	रक्षा उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	3.86
49.	परामर्श सेवाएं	1,211.47	256.59	1,623.57	341.31	1,257.69	274.84	1,157.58	251.94
50.	सेवा क्षेत्र	28,691.79	6,183.48	19,944.85	4,176.21	15,053.94	3,296.09	21,430.99	4,575.16
51.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	1,019.96	239.71	639.26	135.57	1,177.33	256.00	506.04	108.12
52.	शिक्षा	1,033.36	214.52	300.50	63.35	173.24	37.94	276.58	59.79
53.	होटल तथा पर्यटन	2,098.23	463.92	3,566.32	753.02	1,405.15	308.05	3,867.81	816.36
54.	व्यापार	2,761.01	639.72	3,509.09	739.62	2,252.72	498.46	2,368.69	501.26
55.	खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड)	20.45	4.00	47.52	10.28	116.53	25.84	11.49	2.57
56.	कृषि सेवा	24.61	5.35	5,922.29	1,222.22	202.60	43.90	213.47	46.46
57.	हीरे, सोने के आभूषण	388.46	83.50	145.59	31.08	89.36	19.59	153.60	32.45
58.	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय तथा कॉफी और रबड़)	175.00	37.06	37.60	8.15	14.40	3.12	16.87	3.76
59.	पुस्तकों का मुद्रण (लियो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	141.12	31.61	337.65	70.51	168.42	36.03	141.43	30.84
60.	कयर	0.00	0.00	1.19	0.25	0.46	0.10	2.89	0.55
61.	निर्माण कार्यकलाप	8,666.57	1,996.67	13,483.54	2,855.33	4,978.75	1,103.02	7,634.94	1,602.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	आवास और अचल संपदा	12,758.91	2,833.55	14,027.29	2,935.37	5,600.31	1,226.60	2,544.32	550.86
63.	विविध उद्योग	6,691.46	1,549.70	5,407.13	1,147.66	6,852.65	1,484.45	3,084.46	673.71
	कुल	142,828.90	31,395.07	123,119.85	25,834.41	88,519.53	19,428.93	112,019.40	24,187.77

क्षेत्र-वार (वित्तीय वर्ष-वार) एफ.डी.आी. इक्विटी अंतर्वाह
अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2011 तक

(एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्वाह करोड़ रु. व मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र. सं.	आर.बी.आई. क्षेत्र कार्यालय	शामिल किए गए राज्य	2008-09 (अप्रैल-मार्च)		2009-10 (अप्रैल-मार्च)		2010-11 (अप्रैल-मार्च)		2011-12 (अप्रैल-जून)	
			रुपए	अमेरिकी डॉलर	रुपए	अमेरिकी डॉलर	रुपए	अमेरिकी डॉलर	रुपए	अमेरिकी डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	5,405.70	1,237.81	5,710.05	1,202.74	5,753.27	1,262.38	3,433.67	728.06
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	176.47	41.54	50.93	10.89	36.50	8.11	4.45	0.94
3.	पटना	बिहार, झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	5.46	33.34	6.43
4.	अहमदाबाद	गुजरात	12,747.46	2,825.76	3,876.30	807.00	3,294.12	724.19	3,740.93	806.23
5.	बंगलौर	कर्नाटक	9,143.39	2,026.38	4,852.22	1,029.21	6,133.32	1,332.10	5,655.84	1,216.32
6.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	355.22	81.87	606.48	127.97	167.16	36.81	1,708.42	358.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	209.36	44.47	254.56	54.22	2,092.69	450.97	527.06	114.37
8.	मुंबई	महाराष्ट्र दादर नागर हवेली द्वीप समूह	57,065.76	12,430.57	39,408.89	8,249.18	27,668.94	6,096.94	37,857.49	8,194.06
9.	भुवनेश्वर	ओडिशा	42.39	8.68	701.76	148.93	67.61	14.69	122.15	27.23
10.	जयपुर	राजस्थान	1,656.12	342.66	148.74	31.10	230.30	50.95	74.08	15.98
11.	चैन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी	7,756.73	1,724.14	3,653.25	773.80	6,115.38	1,351.91	5,005.73	1,085.12
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश उत्तरांचल	0.00	0.00	226.85	48.25	513.60	112.31	600.40	132.65
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,089.46	489.17	531.25	115.32	426.42	94.59	1,723.47	375.32
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	1,038.10	223.91	1,892.41	416.07	193.43	42.42
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ भाग	7,942.61	1,868.09	46,196.52	9,694.59	12,183.59	2,676.51	29,016.86	6,321.37
16.	पणजी	गोवा	133.96	28.58	807.74	168.99	1,376.24	302.20	119.08	25.51
17.	नहीं बताए गए क्षेत्र	नहीं बताए गए क्षेत्र	38,104.29	8,246.05	15,056.00	3,148.30	20,543.32	4,490.73	22,203.01	4,737.53
	कुल योग		142.828.90	31,395.97	123,119.65	25,834.41	88,519.53	19,426.93	112,019.40	24,187.77

➢ उपर्युक्त एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्वाहों का वर्गीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई द्वारा प्रस्तुत किए गए आर.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय-वार अंतर्प्रवाहों के अनुसार किया गया है।

[अनुवाद]

राशन आपूर्ति में अनियमितताएं

886. **श्री यशवीर सिंह:**

श्री जगदीश शर्मा:

श्री के. सुगुमार:

श्री नीरज शेखर:

श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में मिली रिपोर्ट पर सैन्यकर्मियों को आपूरित राशन में कथित अनियमितताओं का संज्ञान लिया है और उन्हें आपूरित खाद्य मदों के उपयोग की मियाद समाप्त पायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार सैन्यकर्मियों हेतु उच्च गुणवत्ता वाले राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राशन आपूर्ति प्रणाली की समीक्षा करने और कदाचार रोकने के लिए आपूर्ति डिपो और आपूर्ति केन्द्रों को कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जोड़ने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सरकार, सैन्यकर्मियों को आपूरित राशन में कथित अनियमितताओं, जब कभी वे ध्यान में आती है, को हमेशा संज्ञान में लेती है और सुधारात्मक उपाय करती है। खाद्य मदों की आपूर्ति अनुमोदित विनिर्देशों के आधार पर की जाती है और उन्हें आपूरित करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता परीक्षण के लिए तंत्र मौजूद है।

राशन में सुधार लाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सैन्य टुकड़ियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, सैनिकों को बेहतर किस्म और गुणवत्ता का राशन मुहैया कराने के लिए हाल में ही अनेक उपाय शुरू किए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं;

(i) जूनियर कमीशन अधिकारियों/अन्य रैंक के लिए अण्डे और ताजे फलों की मात्रा में वृद्धि।

(ii) जूनियर कमीशन अधिकारियों/अन्य रैंक के लिए मांस/साफ किए गए (ड्रेस्ड) चिकन (ब्रायलर) की मात्रा में वृद्धि।

(iii) मांस/ड्रेस चिकन (ब्रॉयलर) के बदले में फ्रोजेन मांस/चिकन (ब्रॉयलर) प्राधिकृत करना।

(iv) 12000 फुट से अधिक ऊंचाई पर तैनात सैन्य टुकड़ियों के लिए विशेष राशन प्राधिकृत करना।

(v) प्रतिविद्रोही संक्रिया में तैनात सैन्य टुकड़ियों के लिए विशेष राशन की कतिपय मदें स्वीकृत करना।

(vi) सैनिकों की प्राथमिकता के अनुसार बकरा/भेड़ के मांस की स्वीकृति।

(vii) वातित जल के बदले में सॉफ्ट पेय की अधिप्राप्ति।

(viii) घातक पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को राशन की विशेष मात्रा की स्वीकृति।

(ix) गेहूं को पीस कर आटा बनाने के बदले ब्रांड होलमील आटे की अधिप्राप्ति।

(x) ब्रांड वाले परिष्कृत नमक की अधिप्राप्ति।

(xi) सूखी सब्जियों की बजाय लंबी अवधि तक चलने वाली रिटोर्ट पाउच में खाने के लिए तैयार सब्जियों की शुरुआत।

(xii) चावल के विनिर्देशनों में सुधार।

(xiii) दाल और चाय के विनिर्देशनों में सुधार।

इस समय एक उन्नत और आधुनिक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का विकास किया जा रहा है। दिल्ली और चण्डीगढ़ में परीक्षण के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं बनाई जाती हैं। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का लक्ष्य आपूरित खाद्यान्न सप्लाई के भंडार का आकलन करना व उसकी मानीटरिंग में सहायता प्रदान करना तथा इन आपूर्तियों की उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ) का प्रबंधन करना है।

[हिन्दी]

सीमेंट का आयात/निर्यात और कीमतें

887. **श्री हरीश चौधरी:**

श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्री लक्ष्मण टुडु:

श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीमेंट के आयात/निर्यात का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीमेंट की दरों में वृद्धि की बात सरकार के ध्यान में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर निर्माण कंपनियों हेतु सीमेंट की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सीमेंट और कागज की दरों में अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है और हाल के वर्षों के दौरान देश में इन उद्योगों के लाभ में वृद्धि दर्ज की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपयुक्त दरों पर सीमेंट तथा कागज के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की उपलब्धता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में सीमेंट की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सीमेन्ट के आयात और निर्यात का, पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष (अप्रैल, 2011-नवंबर, 2011) का राष्ट्र-वार तथा मात्रा-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ख) से (घ) कागज की कीमत बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा शासित होती है। सीमेन्ट की कीमत तथा वितरण पर से 1989 से नियंत्रण हटा दिया गया है। उद्योग को आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत 1991 में लाइसेंसमुक्त किया गया था। सीमेन्ट को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से भी हटा दिया गया है। सीमेन्ट की कीमतें बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा शासित होती हैं। देश के प्रमुख खपत केन्द्रों में पिछले तथा वर्तमान वर्ष के लिए सीमेन्ट की औसत कीमत संलग्न विवरण-III में दिया गया है। सीमेन्ट का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV पर है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों (2007-08 से 2010-11) के दौरान, सीमेन्ट की क्षमता में 114.90 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। पिछले तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सीमेन्ट का उत्पादन और खपत निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	सीमेंट का उत्पादन	सीमेंट की खपत
2010-11	210.69	207.90
2011-12 (अप्रैल-जनवरी)	181.15	178.78

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सीमेन्ट अनिवार्य बी.आई.एस. प्रमाणन के अंतर्गत समाविष्ट है, जिसमें निहित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे सीमेंट का विनिर्माण, विक्रय अथवा वितरण नहीं कर सकता जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार न हो तथा जिस पर मानक चिन्ह न लगा हो। मानकों का विकास भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा किया जाता है। बी.आई.एस. और राज्य सरकारों के पास मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार तथा जिम्मेदारी है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 के लिए सीमेंट का आयात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
आस्ट्रेलिया	64	3413
आस्ट्रिया	1200	21813
बांग्लादेश	101971000	430301588
बेल्जियम	35	167601
भूटान	1992450	6967769
चीन	97141825	273167293
क्रोएशिया	21100	569165
फ्रांस	602496	14176038
जर्मनी	1248321	19337203
ग्रीस	225	20078
इंडोनेशिया	38501000	23927025
इटली	3700	183771
जापान	5660	774854
कोरिया	3000	68584
मलेशिया	2132000	6942620
नेपाल	425000	1929092
नीदरलैंड	478914	18959661
नार्वे	230	87166
पाकिस्तान	739164614	2513755460
सिंगापुर	7231	309231
स्वीडन	63000	1578646
स्विट्जरलैंड	200	26548

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
थाईलैंड	34990000	97181665
संयुक्त अरब अमीरात	6526478	36699860
यू.के.	84159	2252534
यू.एस.ए.	24984	370603
विनिर्दिष्ट नहीं	442000	1363349
कुल	1025830886	3451142630

वर्ष 2009-10 के लिए सीमेंट का आयात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
आस्ट्रेलिया	140	13025
बांग्लादेश	169586312	624565233
भूटान	3060500	9519829
चीन	568756808	1371538100
चेक गणराज्य	79	3518
फ्रांस	1010370	29933916
जर्मनी	1161413	18592534
इंडोनेशिया	113389500	256724128
इटली	3825	301931
जापान	390483970	868779522
कोरिया	97197400	225438726
मलेशिया	17854000	51762105
नेपाल	76273	18874322

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
नीदरलैंड	975882	25525215
ओमान	83	4063
पाकिस्तान	652059073	1936300423
सिंगापुर	2009	252282
स्वीडेन	2007	410701
ताइवान	34650000	71220428
थाईलैंड	55264150	124940544
तुर्की	100000	2049391
संयुक्त अरब अमीरात	5983315	38777486
यू.के.	265689	6707137
यू.एस.ए.	15174	360505
विनिर्दिष्ट नहीं	100000	675000
कुल	2111997972	5683270064

वर्ष 2010-11 के लिए सीमेंट का आयात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
अफगानिस्तान	1320460	2625462
बांग्लादेश	289083500	1056092027
बेल्जियम	1200	80603
भूटान	3277400	12367063
कनाडा	4000	411151
चीन	177999296	542014046
क्रोएशिया	21000	693128

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
डेनमार्क	921	5265
फ्रेंच गिनी	63000	2154600
फ्रांस	993668	28767064
जर्मनी	7421633	74223176
गिनी	420000	957443
हांगकांग	139	13852
आयरलैंड	700000	1928946
इजराइल	100000	339660
इटली	23360	1455410
जापान	20	28206
कोरिया	1913928	4679631
मलेशिया	8896185	29920340
नीदरलैंड	1264128	24779017
न्यूजीलैंड	20000	848610
पाकिस्तान	594481109	1688540540
सेशेल्स	280000	800946
सिंगापुर	24822	1939024
श्रीलंका	700000	2042861
स्विट्जरलैंड	500	23950
थाईलैंड	15690	753309
तुर्की	19380	662621
संयुक्त अरब अमीरात	4799600	31086216
यू.के.	307344	6759839
यू.एस.ए.	778416	5089262
यूगांडा	100	5514
विनिर्दिष्ट नहीं	693000	4296789
कुल	1095623799	3526385571

अप्रैल, 2011 से नवंबर, 2011 की अवधि के लिए सीमेंट का आयात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
अफगानिस्तान	3053680	6352608
आस्ट्रेलिया	140000	416346
बांग्लादेश पी.आर.	143296000	549865000
बेल्जियम	844006	2688494
बेनिन	700000	2142451
भूटान	539000	2003700
कनाडा	560000	1819435
चीन	11324014	151297577
डेनमार्क	500	48846
फ्रांस	626000	21363895
जर्मनी	2657188	40685735
गिनी	980000	3068421
गिनी बिसाऊ	1400000	4421654
हांगकांग	1520000	4882343
हंगरी	75	12763
इंडोनेशिया	1000	95319
इटली	700577	1971024
जापान	492181	1695006
कोरिया	633055	3288944
मलेशिया	3555400	18077668
नीदरलैंड	1044564	18429116
नीदरलैंड्स एंटाइल्स	20000	826950
नार्वे	5000	30117

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
ओमान	2524	14153
पाकिस्तान	316527620	980272265
कतर	71400	2183805
रूस	330000	1585934
सऊदी अरब	1064000	2636873
सिंगापुर	304200	1526696
दक्षिण अफ्रीका	28000	74439
स्पेन	480	35158
श्रीलंका	3024000	8941262
स्वीडन	24000	703885
ताइवान	270366	15107904
थाईलैंड	128000	1225025
तुर्की	290	9606
संयुक्त अरब अमीरात	3366437	23360517
यू.के.	68311	2292160
यू.एस.ए.	1163427	4727167
युगांडा	2000	6819
विनिर्दिष्ट नहीं	7417225	32813820
कुल	507884520	1913000900

विवरण-II

2008-09 के लिए सीमेंट का निर्यात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
अंगोला	328000	2231919
बहरीन	34075077	91301033

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
बांग्लादेश	9318508	21149604
बेल्जियम	27554297	82791784
भूटान	3101485	9264567
कैमरून	87363	588060
कनाडा	12488082	42196257
चाड	84000	311220
चीन	259103	1276519
कोलंबिया	54880	384786
कांगो	103310	856734
जिबुटी	3021000	4356495
इक्वाडोर	28000	163302
इथोपिया	24500	87959
गांबिया	28000	200612
जर्मनी	388	1570
गिनी	194000	1235088
इंडोनेशिया	50	600
ईरान	12904	31863
इराक	463702992	1312906615
इजराइल	150	7931
इटली	798	541
जापान	679	3707
केन्या	2198563	11438244
कुवैत	204900100	511298955
लेबनान	15000	19861
लाइबेरिया	51800	1138525

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
मेडागास्कर	76617	418555
मलावी	196196	1335910
मालदीव	3969484	17165103
मारीशस	22003300	56374888
मोजांबिक	8549549	26822489
म्यांमार	55000	308256
नेपाल	721438974	1894683812
नीदरलैंड	200	498
न्यूजीलैंड	143379	591477
नाइजीरिया	6867760	37019589
ओमान	74266026	222961302
पाकिस्तान	100000	314307
कतर	488148000	1273007077
सऊदी अरब	1699194	7562924
सेनेगल	83000	754462
सेशेल्स	48786	132736
सिएरा लियोन	28000	217171
सोमालिया	1902000	5399420
दक्षिण अफ्रीका	11056687	57126449
स्पेन	23400000	57798000
श्रीलंका	98379351	264150443
सूडान	144096635	381711441
स्विट्जरलैंड	201	2000
ताइवान	52940	229182
तंजानिया	44978370	124963402

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
थाईलैंड	1724000	9083626
ट्यूनिशिया	6500	33156
संयुक्त अरब अमीरात	470834580	1279074152
यू.के.	2993	85760
यू.एस.ए.	856200	5627134
युगांडा	8000	34312
विनिर्दिष्ट नहीं	82000	584364
यमन रिपब्लिक	373555000	988426226
जाम्बिया	21933	191845
कुल	3260263884	8809435819

2009-10 के लिए सीमेंट का निर्यात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
अंगोला	19614757	66143160
आस्ट्रेलिया	55526	247214
बहरीन	782294	3363872
बांग्लादेश	54904935	131463683
बेलारूस	28000	129640
बेल्जियम	208524	1402389
बेनिन	89000	559670
भूटान	1479415	5187363
कैमरून	533000	4308813
कोमोरोस	6321000	16110990
कांगो	72119	376611

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
जिबूटी	299000	2100257
इक्वाडोर	41564	209461
इजिप्ट	17335000	33292000
इथोपिया	118440	1054683
फ्रांस	8010000	18353447
गेबन	3920	11575
गाम्बिया	5	109
जर्मनी	15165	10858
गिनी	331000	1903807
हांगकांग	28000	140372
इंडोनेशिया	343	1176
ईरान	174000	168633
ईराक	175150100	474169207
इटली	920	46220
केन्या	3978682	18810651
लेबनान	4008	22000
लाइबेरिया	136136	988635
मेडागास्कर	41736000	78179311
मलावी	106646	767036
मालदीव	21934904	56445776
मारीशस	47000	27420
मोजाम्बिक	65037860	122069262
म्यांमार	55000	270976
नेपाल	1351941685	3416817437
न्यूजीलैंड	73104	339956

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
नाइजीरिया	5313402	28877830
नार्वे	22400	218440
ओमान	91940000	213125749
पाकिस्तान	155586	580816
फिलीपींस	55000	281711
पोलैंड	217	1437
कतर	207289000	442424419
सऊदी अरब	9883565	39789663
सेशेल्स	3082379	10927271
सिएरा लियोन	38027	229349
सिंगापुर	833	6000
सोमालिया	4035390	16312519
दक्षिण अफ्रीका	28079223	115624174
श्रीलंका	206250255	442858282
सूडान	31386549	92532320
स्विट्जरलैंड	1410	53149
सीरिया	10000	159004
ताइवान	2062709	8770595
तंजानिया	1225261	6229628
थाईलैंड	3928000	18114571
त्रिनिनाड	11000	46344
संयुक्त अरब अमीरात	50636470	157718786
यू.के.	100	810
यू.एस.ए.	318449	2784170
युगांडा	26000	132713

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
निर्दिष्ट नहीं	824000	4560742
वियतनाम	10000	52659
यमन रिपब्लिक	272255700	599359285
कुल	2689487977	6657266106

वर्ष 2010-11 के लिए सीमेंट का निर्यात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
अंगोला	387083	3182679
अर्जेन्टीना	37912280	66226563
बहरीन	1495004	6525523
बांग्लादेश	20603963	52922239
बेल्जियम	101355	1706563
बेनिन	243100	704542
भूटान	785000	3196725
ब्राजील	300000	644725
सी अफ्री. रिप.	200000	1671780
कैमरून	102000	556619
कनाडा	144235	455105
चिली	7532540	13841106
कांगो	66610	963873
आइवरी कोस्ट	33000	185609
जिबूती	485000	2731988
पूर्वी तिमोर	579800	2046274
मिस्र	65658000	104618200

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
इथोपिया	51433	770700
फ्रांस	1306	14902
गाम्बिया	27000	167670
जर्मनी	19237	28604
गिनी	112000	698692
हांगकांग	52000	274630
इंडोनेशिया	7264	32577
ईरान	1098400	7360388
इराक	189982136	472490283
इटली	902	3564
जापान	74	470
केन्या	4181948	21178037
लाइबेरिया	26400	999029
लीबिया	13452000	25894427
मेडागास्कर	58421000	108353055
मलावी	27628	2049434
मालदीव	49947574	181315564
मौरिटेनिया	11164290	54965775
मारीशस	21050	49006
मोरक्को	41346	169965
मोजांबिक	52560388	108453081
म्यांमार	9709000	28367712
नेपाल	1769938443	5236139051
नीदरलैंड	300000	4336782
न्यूजीलैंड	123552	556417

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
नाइजीरिया	6638904	36637196
ओमान	359100	3247600
फिलीपींस	193000	963461
कतर	27000	743002
रवांडा	27046	116715
सऊदी अरब	38617638	162460247
सिशेल्स	3112034	11738759
दक्षिण अफ्रीका	69037558	214157140
श्रीलंका	917503834	1841619950
सूडान	8227011	28015189
स्विट्जरलैंड	2819	790
ताइवान	2947669	13158790
तंजानिया	44435371	80393176
थाइलैंड	6144089	32453220
ट्यूनीशिया	120000	362526
तुर्की	20176	175195
संयुक्त अरब अमीरात	51511601	135914525
यू.के.	4	26
यू.एस.ए.	334630	2079874
युगांडा	33326	89030
निर्दिष्ट नहीं	8604000	20998168
वियतनाम	5000	76063
यमन रिपब्लिक	37822334	69792568
जांबिया	45791	284213
कुल	3493913935	9172327651

अप्रैल, 2011 से नवंबर 2011 की अवधि के लिए सीमेंट का निर्यात (राष्ट्र-वार)

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
अंगोला	276710	4046277
आस्ट्रेलिया	29128057	63246712
बहरीन	329265	2517090
बांग्लादेश	6775655	25710976
बेल्जियम	340000	5283862
भूटान	46200514	300667113
सी. अफ्री. रिप.	751082	9731986
कैमरून	2010	72983
कनाडा	94810	65634
चीन	28000	142713
कोमोरस	6482980	18497162
कांगो	43900	745289
आइवरी कोस्ट	140000	793905
जिबूटी	75025	1331554
इथोपिया	82029	894491
फिनलैंड	80	825
जर्मनी	82418	2795333
घाना	25022	176160
गिनी	56000	378831
हांगकांग	2678	160522
इंडोनेशिया	10700	112720
ईरान	60000	3213502
इटली	160818	5343447
केन्या	3029218	25125864

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
मेडागास्कर	43228369	87614769
मलावी	58416	429653
मालदीव	21568687	119030308
मोजांबिक	19727340	79227845
म्यांमार	24656	127694
नेपाल	583779897	1427476481
नीदरलैंड	420000	6560640
न्यूजीलैंड	107114	685589
नाइजीरिया	3860181	34823127
ओमान	112056	842625
फिलीपींस	167256	1176669
कतर	254942	5269013
रीयूनियन	43120000	93181000
रवांडा	625	11075
साऊदी अरब	2223786	10656266
सेनेगल	152248	3766753
सेशेल्स	12949603	35063972
सिएरा लियोन	40000	443912
सिंगापुर	2960	2890
दक्षिण अफ्रीका	33231142	252979979
श्रीलंका	660654110	2903816110
सूडान	965360	5782458
स्वीडन	100000	1419222
स्विट्जरलैंड	2776	7419
ताइवान	1018196	9641344

देश	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रुपए)
तंजानिया	1681509	14290291
थाईलैंड	3082224	32819478
संयुक्त अरब अमीरात	8831702	56171082
यू.एस.ए.	254667	2152830
युगांडा	4006	144931
निर्दिष्ट नहीं	798722	2066946
जांबिया	21136	287231
कुल	1536620657	5659024553

विवरण-III

प्रमुख खपत केंद्रों में सीमेंट का औसत मूल्य 50 किग्रा. प्रति बैग

(रुपए में)

क्षेत्र/केंद्र	अप्रैल '10	मई '10	जून '10	जुलाई '10	अगस्त '10	सितंबर '10	अक्तूबर '10
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	251	245	248	241	234	228	236
करनाल	246	245	247	244	240	238	240
चंडीगढ़	258	258	256	253	247	245	250
जयपुर	227	225	226	225	221	215	225
रोहतक	238	240	240	239	235	233	237
भटिंडा	253	249	249	246	242	235	242
लुधियाना	260	260	259	256	251	248	252
जम्मू	319	319	320	321	319	318	325
शिमला	269	270	270	269	264	260	259

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वी क्षेत्र							
कोलकता	266	261	258	253	241	218	223
पटना	258	257	255	252	250	241	241
भुवनेश्वर	283	282	278	275	264	245	257
गुहावटी	265	265	265	259	255	255	249
मुजफ्फरपुर	255	255	255	252	249	245	248
सिलचर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पश्चिम क्षेत्र							
मुंबई	265	263	258	258	255	250	256
अहमदाबाद	221	206	205	196	185	173	192
नागपुर	236	237	230	218	202	198	219
पुणे	254	250	235	214	209	223	241
राजकोट	221	202	199	191	182	166	186
बड़ौदा	229	207	206	199	187	176	191
सूरत	230	209	206	198	188	177	192
दक्षिण क्षेत्र							
चेन्नई	271	254	236	208	190	225	266
तिरूवनंतपुरम	280	271	259	235	225	255	301
बंगलोरू	255	231	207	204	200	223	266
हैदराबाद	207	176	145	150	148	184	225
कालीकट	280	271	268	242	227	253	306
विशाखापटनम	227	183	163	170	175	205	241
गोवा	255	240	231	227	222	241	277
मध्य क्षेत्र							
लखनऊ	263	260	255	239	226	209	226

1	2	3	4	5	6	7	8
मेरठ	246	239	243	238	231	222	229
फैजाबाद	291	280	263	251	227	215	241
बरेली	250	247	250	241	233	219	220
भोपाल	234	229	227	224	213	208	208
औसत	253	245	240	233	225	225	241

(रुपए में)

क्षेत्र/केंद्र	नवम्बर '10	दिसम्बर '10	जनवरी '11	फरवरी '11	मार्च '11	औसत
1	9	10	11	12	13	14
उत्तरी क्षेत्र						
दिल्ली	231	226	232	261	280	243
करनाल	230	223	233	255	275	243
चंडीगढ़	249	242	252	276	290	256
जयपुर	221	214	224	256	267	229
रोहतक	227	219	221	240	261	236
भटिंडा	244	239	239	261	286	249
लुधियाना	251	245	254	277	290	259
जम्मू	328	330	333	361	371	330
शिमला	259	261	261	272	286	267
पूर्वी क्षेत्र						
कोलकता	219	196	208	236	265	237
पटना	245	231	225	238	251	245
भुवनेश्वर	254	232	237	266	287	263
गुवाहाटी	245	245	245	250	250	254
मुजफ्फरपुर	250	245	238	249	254	250

1	9	10	11	12	13	14
सिलचर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पश्चिम क्षेत्र						
मुंबई	258	252	254	269	288	260
अहमदाबाद	213	211	223	251	278	213
नागपुर	234	226	230	253	264	229
पुणे	243	234	249	270	286	242
राजकोट	207	205	224	253	266	208
बड़ौदा	213	212	225	253	274	214
सूरत	215	214	225	258	278	216
दक्षिण क्षेत्र						
चेन्नई	260	249	260	260	264	245
तिरूवनंतपुरम	305	300	305	310	314	280
बंगलुरु	265	256	265	275	280	244
हैदराबाद	228	223	230	260	260	203
कालीकट	310	304	310	315	319	284
विशाखापटनम	245	233	245	255	263	217
गोवा	275	255	275	285	285	256
मध्य क्षेत्र						
लखनऊ	228	209	221	266	279	240
मेरठ	219	206	224	261	276	236
फैजाबाद	243	225	230	275	282	252
बरेली	224	220	226	259	277	239
भोपाल	209	202	208	245	253	222
औसत	**244**	**236**	**243**	**266**	**279**	**244**

स्रोत: सीमेंट विनिर्माणकर्ता संघ, ए.सी.सी. लि. और अंबुजा सीमेंट्स लि.

प्रमुख खपत केंद्रों में सीमेंट का औसत मूल्य 50 किग्रा. प्रति बैग

(रुपए में)

क्षेत्र/केंद्र	अप्रैल '11	मई '11	जून '11	जुलाई '11	अगस्त '11	सितंबर '11	अक्तूबर '11
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	273	273	261	249	241	245	270
करनाल	275	275	272	261	246	247	264
चंडीगढ़	288	290					
जयपुर	261	258	256	249	235	242	267
रोहतक	263	268	264	254	239	244	259
भटिंडा	285	283	277	265	244	251	281
लुधियाना	288	290					
जम्मू	376	377					
शिमला	291	289					
पूर्वी क्षेत्र							
कोलकाता	265	247					
पटना	250	246					
भुवनेश्वर	290	281	268	254	244	266	295
गुवाहाटी	254	255					
मुजफ्फरपुर	256	253					
सिलचर	उपलब्ध नहीं						
पश्चिम क्षेत्र							
मुंबई	292	294	294				
अहमदाबाद	277	261	242				
नागपुर	266	266	264				

1	2	3	4	5	6	7	8
पुणे	289	294	287				
राजकोट	266	253	230				
बड़ौदा	273	260	238				
सूरत	276	264	240				
दक्षिण क्षेत्र							
चेन्नई	278	283	283	290	278	283	286
तिरूवनंतपुरम	320	323	323	323	315	315	315
बंगलुरु	291	290	288	300	295	295	298
हैदराबाद	269	273	263	263	258	258	261
कालीकट	323	323	323	323	315	315	315
विशाखापटनम	274	278	268	270	265	265	265
गोवा	295	295	288	288	270	288	291
मध्य क्षेत्र							
लखनऊ	267	253	250	232	218	237	271
मेरठ	276	268	258	252	243	248	278
फैजाबाद	273	257	247	235	226	232	270
बरेली	271	265	259	250	239	241	273
भोपाल	247	242	232	229	223	227	253
औसत	**280**	**276**	**267**	**266**	**255**	**261**	**278**

(रुपए में)

क्षेत्र/केंद्र	नवम्बर '11	दिसम्बर '11	जनवरी '12	फरवरी '12	मार्च '12	औसत
1	9	10	11	12	13	14
उत्तरी क्षेत्र						
दिल्ली	275	270	263			262

1	9	10	11	12	13	14
करनाल	274	272	269			266
चंडीगढ़						289
जयपुर	277	270	263			258
रोहतक	269	267	264			259
भटिंडा	290	290	283			275
लुधियाना						289
जम्मू						376
शिमला						290
पूर्वी क्षेत्र						
कोलकाता						256
पटना						248
भुवनेश्वर	313	311	305			283
गुवाहाटी						255
मुजफ्फरपुर						255
सिलचर						
पश्चिम क्षेत्र						
मुंबई						293
अहमदाबाद						260
नागपुर						265
पुणे						290
राजकोट						250
बड़ौदा						257
सूरत						260
दक्षिण क्षेत्र						
चेन्नई	290	290				285

1	9	10	11	12	13	14
तिरूवनंतपुरम	320	320				319
बंगलोरू	305	305				296
हैदराबाद	270	270				265
कालीकट	320	320				320
विशाखापटनम	280	280				272
गोवा	295	295				289
मध्य क्षेत्र						
लखनऊ	274	264	266			253
मेरठ	282	277	280			266
फैजाबाद	283	270	263			256
बरेली	276	261	255			259
भोपाल	263	260	257			243
औसत	**286**	**283**	**270**			**272**

स्रोत: सीमेंट विनिर्माणकर्ता संघ, ए.सी.सी. लि. और अंबुजा सीमेंट्स लि.

विवरण-IV

माह/वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
2011	147.9	150.9	153.8	154.4	155.3	153.6	153	151.7	152.2	157.9	160.8	161.7
2012	160.7	160.3										

(स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और विकास के लिए धनराशि

888. **श्री महाबली सिंह:**

श्री कपिल मुनि करवारिया:

श्री रतन सिंह:

श्रीमती सुमित्रा महाजन:

डॉ. बलीराम:

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

श्री अधीर चौधरी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या और उनकी लंबाई का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सड़क की स्थितियों/जर्जर राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण/अध्ययन का ब्यौरा क्या है तथा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा बिहार में उन राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी हालत जर्जर है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि जारी/आबंटित की गई/उपयोग में लाई गयी;

(घ) उक्त अवधि में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार मरम्मत किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन न करने के संबंध में राज्य-वार प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इस संबंध में ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षर की गई संविदाओं का ब्यौरा क्या है तथा बिहार राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग कब तक पूरे हो जाएंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (च) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की अवस्था का आवधिक आंकलन क्षति के प्रकार और मात्रा को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए निष्पादक एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात घनत्व और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर उनकी अवस्था का आकलन करके उपलब्ध संसाधनों से समय-समय पर उनको यातायात योग्य स्थिति में रखे जाने के लिए किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए इस मंत्रालय को वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा आयोजना-भिन्न आवंटन मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वास्तविक अपेक्षा का 40 प्रतिशत होता है। तदनुसार, राज्य सरकारों द्वारा आकलित अपेक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए पर्याप्त निधि आवंटित किया जाना संभव नहीं है।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई और उनकी अवस्था के आधार पर निधि आवंटित करके अनुरक्षण के लिए उपलब्ध निधि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और पूरे किए गए प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विकास के चल रहे सभी कार्य मई, 2014 तक विभिन्न चरणों में पूरे हो जाने की आशा है।

विवरण-I

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय राजमार्ग

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रारा सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222 और 234	4537

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रारा सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्तार, 52सी और 37 विस्तार	2027
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 31ई, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 52सी, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153	2940
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 31एफ, 57, 57ए, 77, 80, 80ए, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 104ए, 105, 106, 107, 107ए और 110	4106
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 78ए, 200, 202, 216, 217, 111 और 221	2289
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	80
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एन.ई.-I, 3बी, 6, 6ए, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 8एफ, 14, 15, 59, 76ए, 113 और 228	4032
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 10ए, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, 236 और एन.ई. II	1633
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20. 20ए, 21, 21ए, 22, 22ए, 70, 72, 72बी, 88 और 73ए	1506
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1245
13.	झारखंड	2, 2डी, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 78ए, 80, 80ए, 98, 99 और 100	2170
14.	कर्नाटक	4. 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234	4396
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213, और 220	1457
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 14ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86 और 92	5064
17.	महाराष्ट्र	3, 3बी, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 204, 211 और 222	4257
18.	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19.	मेघालय	31ई, 40, 44, 51 और 62	1171
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 54सी, 150 और 154	1027

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रारा सं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	ओडिशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23.	पुडुचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557
25.	राजस्थान	3, 3ए, 8, 10ए, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 14ए, 14बी, 15, 65, 65ए, 71बी, 76, 76ए, 76बी, 79, 79ए, 89, 89ए, 90, 113, 112, 114, 116 और 116ए	7130
26.	सिक्किम	31ए, और 31जी	149
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 45डी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230 और 234	4943
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74. 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	2042
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 3ए, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232ए, 233, 235 और एन.ई.-II	6788
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 2बी विस्तार, 2डी, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 41ए, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2681
32.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	223	300
		कुल	75,430

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त, अनुमोदित और पूरे किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा					
		प्राप्त		अनुमोदित		पूर्ण	
		संख्या	लागत (करोड़ रुपए)	संख्या	लागत (करोड़ रुपए)	संख्या	लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	21	66.75	21	66.75	19	57.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	26.20	6	23.70	6	23.70
3.	असम	89	340.53	60	152.98	54	138.53
4.	बिहार	128	256.68	111	213.45	98	159.10
5.	चंडीगढ़	3	1.88	3	1.88	3	1.74
6.	छत्तीसगढ़	50	106.59	32	61.22	30	57.70
7.	दिल्ली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	गोवा	6	15.70	3	5.68	3	4.77
9.	गुजरात	48	167.24	48	147.42	36	185.16
10.	हरियाणा	28	61.45	21	47.65	20	42.15
11.	हिमाचल प्रदेश	57	149.28	51	119.74	37	47.13
12.	जम्मू और कश्मीर	3	3.59	3	3.59	3	3.59
13.	झारखंड	27	87.25	20	57.26	12	35.31
14.	कर्नाटक	34	155.94	24	117.27	20	81.51
15.	केरल	13	66.61	12	61.59	9	38.41
16.	मध्य प्रदेश	53	139.57	41	113.73	34	88.93
17.	महाराष्ट्र	51	206.74	51	203.72	42	164.11
18.	मणिपुर	14	31.30	13	15.49	7	9.41

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	मेघालय	18	91.09	18	105.32	7	18.17
20.	मिजोरम	36	264.09	20	101.47	12	33.74
21.	नागालैंड	35	91.85	35	91.85	19	27.49
22.	ओडिशा	106	193.00	71	153.74	57	126.70
23.	पुडुचेरी	2	2.02	2	1.80	2	1.80
24.	पंजाब	18	62.63	18	62.63	17	49.65
25.	राजस्थान	166	573.78	82	227.62	85	163.61
26.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	तमिलनाडु	36	144.22	20	99.02	19	86.11
28.	त्रिपुरा	8	16.21	8	15.61	5	13.88
29.	उत्तराखंड	146	362.02	125	276.09	125	218.87
30.	उत्तर प्रदेश	56	116.18	46	116.23	35	73.61
31.	पश्चिम बंगाल	23	61.63	23	50.93	21	40.48
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	31.14	0	0.00	0	0.00

विवरण-III

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित निधि और किए गए व्यय

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12€	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.25	97.70	56.25	63.89	67.06	64.13	65.37	46.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.82	0.02	0.91	2.73	26.53	27.07	6.41	4.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	40.20	40.47	78.85	67.19	111.36	99.04	62.90	39.32
4.	बिहार	44.50	38.02	69.51	50.92	93.84	79.06	81.04	46.01
5.	चंडीगढ़	0.68	0.80	0.75	0.67	0.66	0.31	0.68	0.37
6.	छत्तीसगढ़	27.26	27.76	33.40	31.94	22.66	22.66	24.91	9.82
7.	दिल्ली	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
8.	गोवा	5.01	4.61	5.35	4.93	4.85	1.66	9.04	1.08
9.	गुजरात	42.04	41.92	43.03	41.68	82.74	82.21	66.05	54.09
10.	हरियाणा	19.64	19.79	18.97	18.61	30.06	28.15	21.62	20.50
11.	हिमाचल प्रदेश	18.84	20.94	31.37	26.43	22.25	21.69	37.39	30.97
12.	झारखंड	20.38	18.56	28.97	18.23	33.20	32.92	18.18	10.52
13.	कर्नाटक	71.24	67.04	64.76	66.98	77.61	61.43	52.59	32.38
14.	केरल	21.75	30.12	28.50	60.45	52.08	41.88	34.62	12.89
15.	मध्य प्रदेश	48.66	50.37	57.15	59.53	45.39	43.30	35.46	11.75
16.	महाराष्ट्र	62.92	53.04	66.98	65.38	104.40	99.50	99.33	80.84
17.	मणिपुर	10.24	9.72	7.24	7.61	18.68	17.46	25.30	7.70
18.	मेघालय	17.53	17.41	14.78	17.79	48.92	44.93	47.22	22.74
19.	मिजोरम	9.20	7.40	3.58	2.22	39.69	37.44	24.42	8.13
20.	नागालैंड	10.78	12.55	12.30	10.72	14.57	12.77	51.40	36.74
21.	ओडिशा	52.56	61.88	59.50	61.83	80.77	80.77	37.48	26.17
22.	पुडुचेरी	1.10	1.47	1.63	0.89	3.46	1.64	1.51	0.19
23.	पंजाब	25.58	27.47	23.00	26.86	21.38	16.13	19.45	14.28
24.	राजस्थान	72.35	75.06	76.53	48.39	85.72	77.30	101.05	81.82
25.	तमिलनाडु	49.40	46.55	32.62	41.21	54.36	53.90	51.21	28.32
26.	उत्तराखंड	55.22	61.04	73.93	84.83	97.50	97.11	103.02	69.86
27.	उत्तर प्रदेश	21.87	20.86	25.31	23.40	73.59	59.46	64.79	27.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	31.49	21.69	27.15	36.70	57.65	54.75	26.41	17.72
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण$	70.00	70.00	87.94	87.94	617.65	617.65	92.00	92.00
31.	सीमा सड़क संगठन$	26.35	21.68	24.00	23.73	65.00	44.50	55.00	40.86
	कुल जोड़	961.86	965.94	1,058.76	1,053.68	2,053.63	1,920.82	1,318.43	875.16

∈ - फरवरी, 2012 के अनुसार

$ - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के लिए राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

889. **डॉ. रत्ना डे:**

श्री कीर्ति आजाद:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटरक्षक सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु कई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेना सहित बलों के आधुनिकीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2011-2012 हेतु संस्वीकृत आधुनिकीकरण परियोजनाओं हेतु वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उसी वर्ष में वित्तीय सहायता की कुछ राशि वापस ले ली गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) तटरक्षक बल सहित सशस्तद्यर सेनाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक चुनौतियों, प्रौद्योगिकीय बदलावों तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होता है। यह प्रक्रिया 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत संदर्शी योजना (एल.टी.आई.पी.पी.), पंचवर्षीय पूंजीगत अर्जन योजना (एस.सी.ए.पी.) तथा वार्षिक अर्जन योजना (ए.ए.पी.) पर आधारित है। उपस्कर तथा सशस्त्र प्रणालियों की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वार्षिक अर्जन योजना के अनुसार की जाती है।

(ग) वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ तथा तटरक्षक बल सहित सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत अर्जन से संबंधित बजटीय आबंटन इस प्रकार है:-

वर्ष	बजट आबंटन (करोड़ रु. में)
2008-09	38,515.24
2009-10	41,671.59
2010-11	44,899.25
2011-12	54,598.02

(घ) से (च) वर्ष 2011-12 के दौरान सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान इस प्रकार है:-

सेना/बजट का शीर्ष	बजट अनुमान 2011-12 (करोड़ रु. में)	संशोधित अनुमान 2011-12 (करोड़ रु. में)	अंतर (बजट अनु.- संशो.अनु. वृद्धि (+) कमी (-) (करोड़ रु. में)
सेना	10,740.02	4,950.02	5,790.00(-)
नौसेना	13,149.02	16,040.27	2,891.25(+)
वायुसेना	28,412.74	26,033.92	2,378.82(-)
संयुक्त स्टाफ	696.24	385.24	311.00(-)
तटरक्षक	1,600.00	1,600.00	0.00
कुल	54,598.02	49,009.45	5,588.57(-)

वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवा अनुमानों के पूंजीगत खंड में वर्ष 2011-12 में संशोधित अनुमान में उपलब्ध कराई गई निधियों के आधार पर आधुनिकीकरण के लिए निधियों के आबंटन में संशोधन किया गया है। तथापि, आयुध निर्माणियों से पूंजीगत उपस्करों की आपूर्ति सहित सेना की अन्य पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए 2585 करोड़ रु. का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

बुनकरों को पैकेज

890. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:**

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:

श्री राजेन गोहैन:

श्री मानिक टैगोर:

डॉ क्रुपारानी किल्ली:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

श्रीमती रमा देवी:

श्री बाल कुमार पटेल:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों/शिल्पकारों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने संबंधी योजनाओं की प्रगति के मूल्यांकन तथा बुनकरों की कम होती संख्या को काबू करने के लिए रोजगार सृजन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में हथकरघा बुनकरों/शिल्पकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी तथा छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी जैसे कुछ परंपरागत वस्त्र उत्पादों के विकास हेतु विशेष पैकेजों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना सहित चल रही विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने बुनकर तथा शिल्पकार लाभान्वित हुए;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से बुनकर एवं शिल्पकार समुदाय को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की समीक्षा करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विकास के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी हां। भारत सरकार को हथकरघा बुनकरों के समक्ष आ रही कठिनाइयों की जानकारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। सरकार बुनकरों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निरंतर समन्वित प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए 11वीं योजना में निम्नलिखित 5 योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(ii) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(iii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(iv) मिल गेट कीमत योजना

(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

सरकार हस्तशिल्प शिल्पकारों के समग्र विकास के लिए 11वीं योजना में निम्नलिखित 6 योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही हैं:-

(i) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

(ii) विपणन सहायता एवं सेवा

(iii) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

(iv) अनुसंधान एवं विकास

(v) मानव संसाधन विकास; और

(vi) हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण योजना।

फील्ड दौरे करके, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट मंगवाकर तथा हथकरघा के प्रभारी राज्य निदेशकों के साथ तिमाही बैठकें करके योजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए योनाओं का कारगर कार्यान्वयन तथा ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी तथा छत्तीसगढ़ के कोसा सहित परंपरागत वस्त्रों के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) देश में विभिन्न किस्मों के रेशमी धागे के मूल्यों में कमी लाने के लिए कच्चे रेशमी धागे पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 5% किया है।

(ii) आयातित चीनी रेशमी वस्त्र पर पाटन रोधी शुल्क के लिए संदर्भ मूल्य में दिनांक 5-12-2011 में वृद्धि की गई है जो नीचे सारणी में दी गई है:-

चीन गणराज्य से उत्पादित तथा निर्यातित चीनी रेशमी वस्त्र के लिए संदर्भ मूल्य

प्रमुख उत्पाद	भार (ग्राम/मीटर)	पिछला संदर्भ मूल्य (यू.एस. डालर/मीटर)	दिनांक 5-12-2011 से सनसैट समीक्षा संदर्भ मूल्य (यू.एस. डालर/मीटर)
क्रेप	40	2.1	3.1
	60	2.8	4.3
	80	3.7	5.7
जार्जट	40	2.2	2.6
	60	3.0	3.6
अन्य	40	2.1	3.6
	50	2.5	4.2

इस उपाय से सस्ते चीनी, रेशमी वस्त्र के पाटन की रोकथाम होगी।

(iii) भारत सरकार ने 3884 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दिनांक 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार बुनकर सहकारी सोसाइटियों तथा व्यक्तिगत बुनकरों के अतिदेय ऋण की माफी के लिए वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है। इससे करीब 15000 बुमकर सहकारी सोसाइटियों और 3 लाख व्यक्तिगत बुनकरों की अवरुद्ध क्रेडिट लाइन खुलेंगी।

(iv) इसके अलावा, वित्तीय पैकेज के अन्तर्गत शामिल न किए गए हथकरघा बुनकरों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रति बुनकर 4200 रुपये की दर से मार्जिन राशि सहायता, पहले संवितरण की तारीख से 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 3% का ब्याज परिदान/तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) द्वारा 3 वर्षों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करेगी, जिसके लिए सरकार अपेक्षित गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान करेगी।

(v) सरकार द्वारा सस्ता हैंक यार्न उपलब्ध कराने के लिए सिल्क और कॉटन हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी अनुमोदित की गई है ताकि हथकरघा क्षेत्र की सब्सिडी प्राप्त यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(vi) सरकार ने ईंधन की लागत में वृद्धि को समायोजित करने के लिए हथकरघा क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त विभिन्न किस्मों के धागे की ढुलाई के लिए माल-भाड़ा प्रतिपूर्ति में बढ़ोत्तरी भी मंजूर की है।

(vii) बनारसी साड़ी और कोसा साड़ी, दोनों वस्तुओं को वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है ताकि अन्यों द्वारा इन उत्पादों के अप्राधिकृत उपयोग को रोका जा सके।

(ग) वर्तमान विकास और कल्याण योजना के अंतर्गत लाभानिवत बुनकरों और शिल्पकारों की राज्य-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) बुनकरों को प्रदत्त वित्तीय सहायता में वृद्धि के लिए आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों तथा बुनकरों के ऋण की माफी, सब्सिडी प्राप्त यार्न उपलब्ध कराने इत्यादि के बारे में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) हथकरघा क्षेत्र के ऋण की माफी के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने दिनांक 31-3-2010 की स्थिति के अनुसार बुनकर सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के अतिदेय ऋण की माफी के लिए 3884 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज अनुमोदित किया है। हथकरघा क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण जरूरतों, यथा; रियायती दरों पर संस्थागत ऋण और यार्न की उपलब्धता के समाधान के लिए चालू वित्त वर्ष 2011-12 तथा 12वीं योजना के लिए 2362.15 करोड़ रुपये का एक वित्तीय पैकेज भी अनुमोदित किया गया है।

विवरण-I

एकीकृत हथकरघा विकास योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के क्लस्टर, ग्रुप, विपणन प्रोत्साहन संघटक के अंतर्गत लाभान्वित हथकरघा बुनकरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संगठन का नाम	2010-11 के दौरान क्लस्टर, ग्रुप, विपणन प्रोत्साहन के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या	दिसम्बर, 2010 से नवम्बर, 2011 की नीति अवधि के दौरान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	2010-11 के दौरान महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	106391	140000	84966
2.	अरुणाचल प्रदेश	13750	1787	-

1	2	3	4	5
3.	असम	311377	355322	34322
4.	बिहार	5898	46300	-
5.	छत्तीसगढ़	4810	4900	1816
6.	दिल्ली	460	500	638
7.	गुजरात	16001	5000	5062
8.	गोवा	-	-	-
9.	हरियाणा	752	23100	-
10.	हिमाचल प्रदेश	22611	11900	5501
11.	जम्मू और कश्मीर	3875	15000	200
12.	झारखंड	16081	15001	-
13.	कर्नाटक	182836	45000	36298
14.	केरल	22074	18900	15154
15.	मध्य प्रदेश	21891	18030	1459
16.	महाराष्ट्र	68459	1527	676
17.	मणिपुर	18989	34587	1062
18.	मेघालय	6058	30000	2920
19.	मिजोरम	1883	1129	59
20.	नागालैंड	15800	50000	-
21.	ओडिशा	69248	48300	31362
22.	पुडुचेरी	-	-	2112
23.	पंजाब	-	-	-
24.	राजस्थान	9265	4965	2255
25.	सिक्किम	630	400	-
26.	तमिलनाडु	246521	314253	250880
27.	त्रिपुरा	31278	52988	1548

1	2	3	4	5
28.	उत्तर प्रदेश	112493	200032	12999
29.	उत्तराखंड	5826	4000	1108
30.	पश्चिम बंगाल	274021	352079	28434
31.	अन्य संगठन	501437		
	कुल	2090715	1795000	520831

विवरण-II

बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण योजना, जनश्री बीमा योजना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता एवं सेवा तथा मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत लाभान्वित शिल्पकारों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संगठन का नाम	2010-11 के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या	2010-11 के दौरान हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या	2010-11 के दौरान जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या	2010-11 के दौरान डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या	2010-11 के दौरान विपणन सहायता एवं सेवा के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या	2010-11 के मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4720	-	-	520	2830	390
2.	अरुणाचल प्रदेश	300	25	-	160	15	520
3.	असम	4100	7110	5038	2400	3365	1960
4.	बिहार	4215	-	2732	440	1890	410
5.	छत्तीसगढ़	700	-	-	30	450	223
6.	दिल्ली	300	2418	64	360	1651	1822

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	3400	-	536	320	1170	440
8.	गोवा	-	-	-	-	165	-
9.	हरियाणा	1200	2550	-	240	700	350
10.	हिमाचल प्रदेश	800	941	4543	160	1540	110
11.	जम्मू और कश्मीर	2670	3589	15401	960	840	470
12.	झारखंड	1650	1842	-	240	675	305
13.	कर्नाटक	1025	-	2012	120	1160	340
14.	केरल	900	-	24432	440	910	490
15.	मध्य प्रदेश	2300	-	-	1440	2565	1240
16.	महाराष्ट्र	2270	-	-	640	1215	630
17.	मणिपुर	3877	1025	-	1920	2130	900
18.	मेघालय	1500	251	-	30	165	490
19.	मिजोरम	507	-	-	30	-	-
20.	नागालैंड	3505	150	-	240	390	260
21.	ओडिशा	2054	.	1221	600	3645	570
22.	पुडुचेरी	-	-	-	-	300	40
23.	पंजाब	600	2810	27932	360	520	450
24.	राजस्थान	1700	-	12338	520	1215	807
25.	सिक्किम	-	-	-	-	150	40
26.	तमिलनाडु	1400	-	4210	280	1640	450
27.	त्रिपुरा	2767	4633	-	280	-	1390
28.	उत्तर प्रदेश	9726	-	20518	2600	2550	2990
29.	उत्तराखंड	1893	4358	6064	320	330	149
30.	पश्चिम बंगाल	4080	4337	10726	600	1500	506
31.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	-	-	-	-	150	-
32.	अंडमान तथा निकोबार	-	-	-	-	-	50
	कुल	64159	36039	137765	16250	35826	13707

नदियों की सफाई

891\. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**

श्रीमती प्रिया दत्त:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नदियों की सफाई के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित राशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के पश्चात नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत और नदियों को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार देश में नदियों के संरक्षण तथा उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किसी प्रकार की विदेशी सहायता लेने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के अंतर्गत नदियों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रमुख नदियों की जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) के संबंध में जल गुणवत्ता में एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्यों को प्रारम्भ करने से पहले की जल गुणवता की तुलना में सुधार होने की सूचना प्राप्त हुई है। तथापि, फेकल कॉलीफॉर्म के संबंध में जीवाणुज संदूषण के स्तरों में विभिन्न नदियों से लगें अनेक स्थानों में अधिकतम अनुमत सीमा से बढ़ोतरी की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ) नदी संरक्षण कार्यक्रम, वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.) चरण-I प्रारम्भ के साथ शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त नदियों/शहरों का समावेशन, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों, प्रदूषण की मात्रा और लागतों के मैचिंग शेयर के योगदान हेतु राज्य सरकारों की वचनबद्धता पर आधारित एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान में एन.आर.सी.पी. में 20 राज्यों के 190 शहरों में फैली 40 नदियां शामिल हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं:

(च) और (छ) नदियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता प्राप्त की जाती है। यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) चरण-I के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.), जापान सरकार द्वारा 17.77 विलियन येन की ऋण सहायता प्रदान की गई थी और वाई.ए.पी. चरण-II के लिए इस एजेंसी से 13.33 बिलियन येन की ऋण सहायता बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त जे.आई.सी.ए., इस कार्यक्रम के अगले चरण के लिए 32.571, बिलियन येन की ऋण सहायता प्रदान करने पर सहमत हुआ है।

वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए जे.आई.सी.ए. से 11.184 बिलियन येन की ऋण सहायता प्राप्त की गई है। गंगा नदी के प्रदूषण के उपशमन के लिए विश्व बैंक की सहायता से -7000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक परियोजना अप्रैल, 2011 में अनुमोदित की गई है जिसमें विश्व बैंक का परियोजना के लिए योगदान 1 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2008 से 2011 तक के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राज्य-वार और वर्ष-वार निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	नदी	जारी की गई निधियां		
			2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी और मुसी	25.38	36.89	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	बिहार	गंगा	0.00	15.37	20.00
3.	झारखंड	दामोदर, गंगा और सुवर्णरेखा	0.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	साबरमती	1.49	0.00	0.39
5.	गोवा	मंडोवी	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	भद्रा, तुंग-भद्रा, कावेरी, तुंग और पेन्नर	2.25	0.00	0.96
7.	महाराष्ट्र	कृष्णा, गोदावरी, तापी और पंचगंगा	0.35	7.38	11.82
8.	मध्य प्रदेश	बेतवा, ताप्ती, वेणगंगा, खान, नर्मदा, शिप्रा, बीहड़, चंबल और मंदाकिनी	3.35	0.90	0.00
9.	ओडिशा	ब्राहमिणी और महानदी	16.44	0.00	0.00
10.	पंजाब	सतलुज और ब्यास	0.00	0.00	45.75
11.	राजस्थान	चंबल	0.00	20.00	0.00
12.	तमिलनाडु	कावेरी, अडयार, कूवम, वेन्नार, वेगई और तम्बरणी	9.52	3.10	0.00
13.	दिल्ली	यमुना	45.85	66.50	83.29
14.	हरियाणा	यमुना	20.80	14.90	4.10
15.	उत्तर प्रदेश	यमुना, गंगा और गोमती, रामगंगा	105.60	112.80	238.59
16.	उत्तराखंड	गंगा	2.50	17.94	31.88
17.	पश्चिम बंगाल	गंगा, दामोदर और महानंदा	29.60	51.08	194.13
18.	केरल	पम्बा	1.00	0.00	0.00
19.	सिक्किम	रानी चू	5.00	15.00	26.14
20.	नागालैंड	डिफु और धनसिरि	0.00	0.00	0.00
	कुल		269.13	367.86	657.05

[हिन्दी]

न्यूनतम मासिक पेंशन

892. **श्रीमती दीपा दासमुंशी:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री पी. लिंगम:
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य नधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के अन्तर्गत कवर सभी कर्मचारियों को नियत न्यूनतम पेंशन मुहैया कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार पेंशनभोगियों को न्यूनतम कितनी पेंशन राशि देने की योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों की ई.पी.एफ. पेंशन में उपयुक्त वृद्धि करने के लिए कामगारों की मांगों के दृष्टिगत मौजूदा स्कीम को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो बढ़ी हुई पेंशन कब तक संवितरित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्तमान में ई.पी.एफ.ओ. से पेंशन लाभ लेने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन क्रियान्वयन समिति, नामक एक उप-समिति ने ई.पी.एस., 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन में 1000 रु. प्रतिमाह की वृद्धि की सिफारिश अंतरिम उपाय के रूप में की है। यह मामला केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, के.भ.नि. की दिनांक 22-02-2012 को आयोजित 198वीं बैठक में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें बोर्ड ने विचार-विमर्श को आस्थगित करने का निर्णय किया था।

(ङ) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या 36,00,009 है।

[अनुवाद]

यमुना नदी पर टी.ई.आर.आई. द्वारा किया गया अध्ययन

893. **श्री पी. लिंगम:**

श्री गुरुदास दासगुप्त:

प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनीसेफ समर्थित टाटा एनर्जी एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टी.ई.आर.आई.) द्वारा किए गए हाल के अध्ययन में यमुना के निकट जल और मृदा में भारी धातुओं के उच्च स्तर की उपस्थिति की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यमुना के पानी को संदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टी.ई.आर.आई.) द्वारा आयोजित और संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि (यू.एन.आई.सी.ई.एफ.) द्वारा वित्त पोषित, "यमुना बेसिन के दिल्ली खण्ड में भारी धातु संदूषण" शीर्षक से हाल ही के लिए गए अध्ययन में यमुना नदी के कुछ विस्तारों में निर्धारित नमूना स्थलों पर भारी धातु संदूषण के उच्च स्तर, समान रूप से पाए गए हैं।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत निधियां जारी करने के द्वारा यमुना सहित विभिन्न नदियों में प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरक कर रहा है। इस प्रयोजन हेतु, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ बनाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में इंगित की गई स्कीम के अतिरिक्त, यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने के लिए यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) चरण-I और वाई.ए.पी. चरण-II हेतु जैपनीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के लिए वाई.ए.पी.-III के अंतर्गत 1656 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है जिसमें जे.आई.सी.ए. से सहायता शामिल है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में शिल्पकारों की भागीदारी

894. **श्री गणेश सिंह:**

श्री इज्यराज सिंह:

श्री हरीश चौधरी:

श्री महाबल मिश्रा:

श्री लक्ष्मण टुडु:

श्री यशवंत लागुरी:

कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भारतीय शिल्पकारों ने किन-किन स्थानों पर भाग लिया और ऐसी प्रदर्शनियों में भाग लेने के नियम/मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड और जम्मू तथा कश्मीर सहित देश में हस्तशिल्प कार्य को बढ़ावा देने हेतु नई स्कीम तैयार करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) ओडिशा सहित देश में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय शिल्पियों द्वारा जिन स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया गया, वे इस प्रकार हैं:-

बुडापेस्ट (हंगरी), बर्लिन, फ्रेंकफर्ट एवं म्यूनिख (जर्मनी), मिलान (इटली), बोगोटा (कोलम्बिया), दुबई (यू.ए.ई.), शिकागो, लास वेगास, अटलांटा न्यूयार्क (यू.एस.ए.), साओ पॉलो (ब्राजील), जेग्रेब (क्रोशिया), हांगकांग, ब्यूनस आइरिस (अर्जेन्टीना), थेसोलोनिकी (ग्रीस), थिम्पू (भूटान), बरमिंघहम (यू.के.), मेडरिड (स्पेन), मेलबॉर्न (आस्ट्रेलिया), मॉस्को (रूस), वियाना (आस्ट्रीया), गुदलाजारा (मैक्सिको), मसकट (ओमान), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)।

भारतीय शिल्पियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में विपणन सहायता एवं सेवा स्कीम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भाग लिया जो निम्नानुसार है-

1. शिल्प आदान-प्रदान कार्यक्रम
2. अन्तर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम:-
   (i) अन्तराष्ट्रीय मेलों एवं विदेशों में प्रदर्शनियों में भागीदारी।
   (ii) स्टैण्ड अलोन शो/रोड शो आदि।
   (iii) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, अवसंरचना एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित दो नई स्कीमें 12वीं योजना के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) इस कार्यालय द्वारा ओडिशा सहित देश में हक्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास तथा परंपरागत हस्तशिल्पों के संरक्षण के लिए कई स्कीमें कार्यान्वनत की जा रही हैं जैसे चुनिंदा शिल्प समूहों के एकीकृत विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.); विपणन सहायता एवं सेवा; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; अनुसंधान एवं विकास; मानव संसाधन विकास एवं हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम।

इस्पात की कीमतों में वृद्धि

895. **श्री नारनभाई कछाड़िया:**

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

श्री लक्ष्मण टुडु:

श्री राधामोहन सिंह:

श्री पी.के. बिजू:

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी बार कीमतों में वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस्पात कंपनियों द्वारा छूट की दर में कमी से इस्पात की दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस्पात की कीमतों में वृद्धि का इस्पात कंपनियों की कार्य क्षमता तथा विशेषकर निर्माण और रियलटी क्षेत्र द्वारा देश में इस्पात की आम मांग सहित इस्पात कंपनियों के लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस्पात की कीमतों में कमी करने और घरेलू बाजार में इसकी मांग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) अप्रैल से जुलाई, 2008 के दौरान घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतें उच्चतम स्तर पर थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में इस्पात मदों की कीमतें मांग-आपूर्ति परिदृश्य, कच्ची सामग्रियों की कीमतों में परिवर्तन आदि सहित बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रही हैं। बाजार में इस्पात मदों की प्रतिनिधित्व श्रेणी के मामले में प्रति तिमाही में कीमतों में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) छूट निजी कंपनियों का एक वाणिज्यिक निर्णय होता है जो प्रचलित बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

(घ) इस्पात मदों की कीमत विभिन्न कारकों में से एक है जो इस्पात कंपनी की लाभप्रदत्ता, इसकी कार्यक्षमता और इस्पात की मांग को प्रभावित करती है।

(ङ) देश में इस्पात की कीमत एक नियंत्रणुक्त क्षेत्र है और मांग-आपूर्ति परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय इस्पात बाजार में इस्पात की कीमतों में परिवर्तन, कच्ची सामग्रियों की लागत तथा अन्य आदानों की लागत जैसी बाजार परिस्थितियों के आधार पर निजी उत्पादकों द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है। घरेलू बाजार में इस्पात की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए सरकार ने घरेलू बाजार में एक सतत् आपूर्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए और देश में इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक राजकोषीय कदम उठाए हैं। ये उपाय निम्न प्रकार हैं:-

(i) कोकिंग कोल और स्टील मैल्टिंग स्क्रैप जैसी कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क शून्य है।

(ii) लौह अयस्क (पैलेट्स को छोड़ कर) के सभी ग्रेडों तथा किस्मों के निर्यात पर 30 प्रतिशत यथामूल्य निर्यात शुल्क लगाया गया है।

(iii) इस्पात मदों पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत है।

विवरण

जून, 2008 से फरवरी, 2012 के दौरान दिल्ली के बाजार से खुदरा इस्पात की कीमतों की स्थिति

(रुपये/टन)

माह	हाट रोल्ड क्वाल्स 2.0 एम.एम.	टी.एम.टी. 10 एम.एम.
जून 2008	50045	47451
सितम्बर, 2008	45327	41934
दिसम्बर 2008	36498	36565
अप्रैल, 2009	34450	34262
जून 2009	34289	35479
सितम्बर 2009	35653	32818
दिसम्बर 2009	35310	32290
मार्च 2010	36240	35100
जून 2010	44660	39210
सितम्बर 2010	43320	36350

माह	हाट रोल्ड क्वाल्स 2.0 एम.एम.	टी.एम.टी. 10 एम.एम.
दिसम्बर 2010	44840	36930
मार्च 2011	45540	41990
जून 2011.	43330	43220
सितम्बर 2011	43210	43870
दिसम्बर 2011	47430	46370
फरवरी 2012	47550	46790

परिवहन, कर और शुल्क सहित दिल्ली के बाजार में सांकेतिक कीमतें (स्रोत: जे.पी.सी.)

हर्बल दवाओं का निर्यात

896. **श्री रमेश बैस:**

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

श्री नारनभाई कछाड़िया:

श्री पी.सी. मोहन:

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हर्बल दवाओं के कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हर्बल दवाओं के देश-वार और मूल्य-वार कुल निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हर्बल दवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और हर्बल दवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वैश्विक भेषज निर्यात प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख आधिकारिक स्रोत यू.एन. कॉमट्रेड है जो हर्बल औषधियों के संबंध में अलग से जानकारी नहीं देता है। इस प्रकार हर्बल औषधियों के कुल वैश्विक निर्यातों में भारत के हिस्से पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

गत तीन वर्षों के दौरान आयुष के संबंध में भारत से निर्यात, जिसमें हर्बल औषधियां भी शामिल हैं, निम्नानुसार रहे थे:-

(करोड़ रुपए में)

श्रेणी	2008-09	2009-10	2010-11
आयुष	666.77	741.15	710.8
हर्बल	594.87	570.76	607
महायोग	1261.64	1311.91	1317.8

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अग्रणी निर्यात गंतव्यों को किए गए हर्बल औषधियों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

देश	2008-09	2009-10	2010-11
यू.एस.ए.	250.28	203.70	222.40
पाकिस्तान	48.09	69.65	63.51
जर्मनी	35.07	32.94	37.29
जापान	30.06	47.16	32.46
बांग्लादेश	10.59	13.96	24.27
वियतनाम	11.28	13.19	19.48
इटली	10.34	8.78	19.31
फ्रांस	12.21	7.96	13.78
चीन	18.29	7.47	13.25
यू.के.	22.94	14.54	12.48

(घ) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, व्यापार बैठकों के आयोजन इत्यादि हेतु फार्मेक्सिल, भेषज उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद एवं अन्य व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत से हर्बल औषधियों के निर्यात को लोकप्रिय बनाने और उनका संवर्धन करने के लिए फार्मेक्सिल में आयुष उत्पादों के लिए एक अलग पैनल का सृजन किया गया है।

[अनुवाद]

एस.ई. जेड की स्थिति

897. **श्री पी. विश्वनाथन:**

श्री शिवकुमार उदासी:

श्री सज्जन वर्मा:

श्री महाबल मिश्रा:

श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में राज्य-वार और स्थान-वार कुल कितने विशेष आर्थिक जोनों (सेज) स्वीकृत, कार्यशील, अधिसूचित और अनुमोदन बोर्ड के पास लंबित है;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सहित पिछड़े जोनों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा न देने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कर माफी सहित वित्तीय सहायता तथा रोजगार सृजन के संदर्भ में कार्य निष्पादन तथा इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों को स्थापित करने हेतु भूमि अर्जन के संबंध में कोई पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति आरंभ की है; तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ **तटीय** विनियमन जोन तथा हरित पट्टी संबंधी नियमों में **ढील** देकर विशेष आर्थिक जोनों हेतु भूमि अर्जन की अनुमति **देने** के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का अर्जन न करने के **परामर्श**

सहित विशेष आर्थिक जोन संबंधी दिशानिर्देशों एवं नीति की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया): (क) एस.ई.जेड. अधिनियम 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित 7 केन्द्र सरकार के एस.ई.जेडों और 12 राज्य/गैर-सरकारी क्षेत्र के एस.ई.जेडों के अलावा, 587 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया जिनमें से 380 एस.ई.जेडों को अधिसूचित कर दिया गया। कुल 154, एस.ई.जेड. पहले से ही निर्यात कर रहे हैं। एस.ई.जेडों के राज्य-वार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ख) अनुमोदन बोर्ड द्वारा एस.ई.जेडों की स्थापना हेतु प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकार की लिखित सम्मति के बाद ही विचार किया जाता है। अधिनियम के अधीन स्थापित किए जा रहे एस.ई.जेड. निजी निवेश संचालित होते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित इंदौर एस.ई.जेड. के अलावा 15 एस.ई.जेडों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया है जिनमें से 5 मध्य प्रदेश में अधिसूचित किए गए हैं। आज की तारीख की स्थिति के अनुसार एक एस.ई.जेड. पहले से ही निर्यात कर रहा है।

(ग) एस.ई.जेड को दिए जाने वाली वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 में ही अंतर्निहित हैं। वे छूटें निर्यात हेतु प्रोत्साहन के रूप में हैं और सरकार के निर्यात संबर्धन पहलों को सामान्य रूप से निर्देशित करने वाले सिद्धान्तों के संगत हैं। पिछले तीन वर्षों में हुए निर्यात और एस.ई.जेडों में सृजित प्रत्यक्ष रोजगार निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यात मूल्य (करोड़ रुपए)	प्रत्यक्ष रोजगार
2008-2009	99,689	384957
2009-2010	2,20,711	503611
2010-2011	3,15,868	676608

(घ) जहाँ तक की प्रभावित व्यक्ति के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज का संबंध है; ये राज्य नीतियों के प्रावधानों के अनुसार अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

(ङ) और (च) विशेष आर्थिक जोनों के लिए भूमि का अधिप्रापण संबंधित राज्य सरकारों की नीति और क्रियाविधि के अनुसार किया जाता है। एस.ई.जेड. के अंतर्गत भूमि का अधिकांश अधिग्रहण कर लिया गया है। यह कार्य संबंधित राज्य एजेंसियों द्वारा किया गया है।

विवरण

अनुमोदित एस.ई.जेड. का राज्यवार वितरण

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एस.ई.जेड.	निर्यात कर रहे एस.ई.जेड. (केन्द्र सरकार + राज्य सरकार/गैर-सरकारी एस.ई.जेड. + अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित एस.ई.जेड.)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	110	76	37
चंडीगढ़	2	2	2

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	2	1	0
दिल्ली	3	0	0
दादरा और नगर हवेली	2	1	0
गोवा	7	3	0
गुजरात	47	30	16
हरियाणा	46	35	3
झारखण्ड	1	1	0
कर्नाटक	61	38	20
केरल	29	20	6
मध्य प्रदेश	15	5	1
महाराष्ट्र	103	63	18
नागालैण्ड	2	1	0
ओडिशा	10	5	1
पुडुचेरी	1	0	0
पंजाब	8	2	1
राजस्थान	10	9	4
तमिलनाडु	70	55	31
उत्तर प्रदेश	34	21	8
उत्तराखण्ड	2	1	0
पश्चिम बंगाल	22	11	6
कुल योग	587	380	154

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

898. **श्री बदरुद्दीन अजमलः**

श्री शिवकुमार उदासीः

श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः

डॉ. कृपारानी किल्लीः

श्री प्रेमचन्द गुड्डूः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत विद्यालय और महाविद्यालय जाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न राज्यों में कितने छात्रावास स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में इस प्रकार के और छात्रावासों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता/अनुदान निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (14-03-2012 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2011-12 के लिए, "बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना" के अंतर्गत 145.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2007-08 से 2010-11 तथा 2011-12 (14-03-2012 तक) के दौरान स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम	9
3.	बिहार	14
4.	छत्तीसगढ़	48
5.	गुजरात	4
6.	जम्मू और कश्मीर	2
7.	झारखंड	12
8.	हरियाणा	5
9.	हिमाचल प्रदेश	5
10.	कर्नाटक	27
11.	केरल	5
12.	मध्य प्रदेश	40
13.	महाराष्ट्र	46
14.	ओडिशा	167
15.	पंजाब	1
16.	राजस्थान	87
17.	तमिलनाडु	31
18.	त्रिपुरा	1
19.	उत्तर प्रदेश	21
20.	उत्तराखंड	3
21.	पश्चिम बंगाल	19
22.	पुडुचेरी	2
	कुल	559

राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण हेतु भूमि अर्जन

899. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:

श्री शिवकुमार उदासी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2011 तक कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण हेतु भूमि अर्जन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपासों के संरेखण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) तथा बनाओ-चलाओ और सौंपो (बी.ओ.टी.) सहित उनके निर्माण का तरीका क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भूमि अधिग्रहण की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना	अधिग्रहित की जाने वाली कुल अतिरिक्त भूमि (हेक्टेयर में)	संचयी प्रगति				क्या बाईपास के लिए संरेखण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है	पूर्ण/पूर्ण होने की संभावना	निर्माण की विधि
			3ए	3डी	3जी	कब्जा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रारा-48 के देवीहाली-हसन खण्ड के कि.मी. 110/0 से कि.मी. 189/500 तक को चार लेन का बनाना (पैकेज-II)	236.41	236.41	236.41	8.10	228.31	हां	जून-13	बी.ओ.टी.
2.	रारा-4 के मुलबागल-ए.पी./कर्नाटक सीमा खण्ड (कि.मी.) 216/932 से कि.मी. 238/0) को चार लेन का बनाना	49.60	49.60	49.60	49.60	-	हां	रियायत करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।	बी.ओ.टी.
3.	एन.एच.डी.पी. चरण-VII के अंतर्गत हैदराबाद-बंगलौर खंड के कि.मी. 534.720 से कि.मी. 556.840 तक का उन्नयन, प्रचालन और अनुरक्षण	44.85	44.85	44.85	33.26	11.59	हां	पूर्ण	बी.ओ.टी.
4.	एन.एच.डी.पी. चरण-IVबी के अंतर्गत रारा-207 के कि.मी. 57.740 से कि.मी. 138.175 होसकोट-	395.5	-	-	-	-	हां	निविदा प्रक्रियाधीन। परियोजना का	बी.ओ.टी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	डोबेसपेट-डोडाबलापुर खंड के मौजूदा चौड़ीकरण को चार लेन का बनाना							कार्य अभी सौंपा जाना है।	
5.	रारा-48 के कि.मी. 189/500 से 328/000 के हसन-बी.सी. खंड	138.5 (अनन्तिम)	-	-	-	-	संरेखण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।		
6.	एन.एच.डी.पी. चरण-V के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में टुमकुर और चित्रदुर्ग बाईपासों को छोड़कर रारा-4 के टुमकुर (कि.मी. 75/000) से चित्रदुर्ग (कि.मी. 189+000) खंड को छः लेन का बनाना, कुल लम्बाई 114.00 कि.मी.	6.8880	6.8880	6.8880	-	-	हां	दिस. 13	बी.ओ.टी.
7.	एन.एच.डी.पी. चरण-III के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में रारा-4ए बेलगाम-कर्नाटक/गोवा सीमा को चार/छः लेन का बनाना (कुल लम्बाई 84 कि.मी.)	307 (208 निजी +99 वन भूमि)	208	208	188	113	हां	जुलाई 14	बी.ओ.टी.
8.	एन.एच.डी.पी. चरण-III के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में रारा-13 के कि.मी. 102.00 से कि.मी. 2.00 तक (100 कि.मी.) बीजापुर-हगंगुद खंड को चार लेन का बनाना						हां	पूर्ण	बी.ओ.टी.

9.	एन.एच.डी.पी. चरण-III के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में रारा-13 के कि.मी. 202.00 से कि.मी. 299.00 (97 कि.मी.) हगंगुद खंड को चार लेन का बनाना	384	384	384	344.00	344.00			
10.	एन.एच.डी.पी. चरण-V के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में रारा-4 के धारवाड़/बलगव खंड (80 कि.मी.) को छ: लेन का बनाना	3.445	3.445	3.445	-	-	हां	अक्टूबर 13	बी.ओ.टी.
11.	कर्नाटक राज्य में रारा-63 के होसपेट-बैलारी-ए.पी. सीमा खंड का चौड़ीकरण/चार लेन का बनाना	423.29	423.29	-	-	-	हां	रियायत करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।	बी.ओ.टी.
12.	कर्नाटक राज्य में रारा-63 के हुगली-होसपेट खंड का चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना	529	473	-	-	-	हां	अभी सौंपा जाना है।	बी.ओ.टी.
13.	कर्नाटक राज्य में रारा-63 के अंकोला-हुबली खंड का चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना	315.88	295	-	-	-	हां	अभी सौंपा जाना है।	बी.ओ.टी.
14.	कर्नाटक रज्य रारा-13 के होसपेट-चित्रदुर्ग खंड का चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना	443.79	443.79	-	-	-	हां	रियायत करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।	बी.ओ.टी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों (कर्नाटक भाग) में रारा-9 के शोलापुर-संगारेड्डी खंड का चौडीकरण	279.81 (कर्नाटक)	279.81	-	-	-	हां	रियायत करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।	बी.ओ.टी.
16.	रारा-218 का बीजापुर-गुलबर्ग-हुमनाबाद खंड	125	-	-	-	-	हां	अभी सौंपा जाना है।	बी.ओ.टी.
17.	एन.एच.डी.पी. चरण-III के अन्तर्गत रारा-17 के कुन्दापुर-सुरतकल व नानतूर से (केरल सीमा) को चार लेन का बनाया जाना	170.32	136.75	127	71.85		हां	मार्च 13	बी.ओ.टी.
18.	न्यू मंगलौर पत्तन सड़क सम्पर्क	11.54	11.54	11.54	11.54	10.84	हां	मई 12	एस.पी.वी.
19.	गोवा/कर्नाटक सीमा से कुन्दापुर को 4/6 लेन का बनाया जाना	257 (अनन्तिम)	0	0	0	0	हां	निविदा प्रक्रिया के अधीन परियोजना का कार्य अभी सौंपा जाना है।	बी.ओ.टी.
20.	विश्व बैंक सहायता परियोजना से कि.मी. 19.80 (बी.सी. रोड) से कि.मी. 149.20 (मुल्लाबगल)	19.01	धारा 3 (ए) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया				डी.पी.आर. को अन्तिम रूप दिया जाना है	डीप परामर्शदाता द्वारा डी.पी.आर. सौंप दी गई है परियोजना की पूर्ण तारीख बताना अभी जल्दबाजी होगी।	विश्व बैंक सहायता
21.	विश्व बैंक सहायता से कि.मी. 343.80 (मधुगिरी) से	36.36	धारा 3 (ए) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया				डी.पी.आर. अन्तिम रूप	परामर्शदाता द्वारा डी.पी.आर.	विश्व बैंक सहायता

	कि.मी. 508.375 (आन्ध्र प्रदेश सीमा)						दिया जाना है	सौंप दी गई है। परियोजना पूर्ण होने की तारीख बताना अभी जल्दबाजी होगी।	
22.	विशेष परियोजना कि.मी. 147.935 (बेलूर) से कि.मी. 194.555 (बनवाडा)	19.2		धारा 3 (ए) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया			-	सितम्बर 2013	विशेष परियोजना
23.	विशेष परियोजना कि.मी. 243.30 (हुलयार) से कि.मी. 290.20 (सीरा)	13.7		धारा 3 (ए) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया			-	निविदा प्रक्रिया के अधीन	विशेष परियोजना
24.	एन.एच.डी.पी. चरण-IVए के अन्तर्गत रारा-13 के कि.मी. 422.00 से कि.मी. 528.30 तक चित्रदुर्ग-शिमोगा खंड का चौड़ीकरण	58.33	58.33	58.33	-	-	हां	पी.पी.पी.ए.सी. अनुमोदन के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।	बी.ओ.टी.
25	एन.एच.डी.पी. चरण-IVए के अन्तर्गत रारा-212 के कि.मी. 117.80 से कि.मी. 268.40 तक कोजीकोड-कोलेगल खंड का चौडीकरण	34.69	34.69	-	-	-	हां	आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना पूर्ण होने की तारीख बताना अभी जल्दबाजी होगी।	बी.ओ.टी.

[हिन्दी]

पश्चिमी घाट में खनन की स्वीकृति पर प्रतिबंध

900. **श्रीमती सीमा उपाध्याय:**

श्री नीरज शेखर:

श्री यशवीर सिंह:

श्रीमती सुशीला सरोज:

श्रीमती ऊषा वर्मा:

श्री महेश्वर हजारी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने गोवा तथा महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ई.एस.जेड.) में खनन हेतु नई पर्यावरणीय स्वीकृतियों पर अनिश्चितकालीन अधिस्थगन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इसने पत्थर और रेत निकालने हेतु नए लाइसेंसों पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श कर रहा है और रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों पर अभी तक कोई मत प्रकट नहीं किया है।

[अनुवाद]

परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियां

901. **श्री सोमेन मित्रा:**

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई फास्ट ट्रैक प्रणाली लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अब तक सरकार के पास कुल कितने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव लंबित पड हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 प्रकाशित की है, जिसमें इसके अंतर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं/गतिविधियों को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के उपबंधों और इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और समय-सीमा के अनुसार किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की क्षेत्र-वार बैठकें प्रत्येक माह में 2-3 दिनों के लिए आयोजित की जाती है।

(घ) फ़रवरी, 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति के लिए 760 परियोजनाएं प्रतिक्षित हैं।

(ङ) विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की नियमित और दीर्घकालिक बैठकें आयोजित करने के द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करने हेतु प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

किन्नरों संबंधी आंकड़े

902. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:**

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्नरों को मूल-भूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं, जिसके कारण उन्हें पहचान-पत्र, मोबाइल नंबर लेने, बैंक खाते खोलने तथा मतदाता पहचान-पत्र मिलने में

कठिनाई हो रही है तथा स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आधार कार्ड में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए स्थान है परन्तु किन्नरों हेतु कोई स्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें सामान्य नागरिकों के समान सुविधाएं प्रदान करने हेतु उचित व्यवस्था करने तथा समाज में उनका सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नियमावली पंजीकरण 1960 के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेश जारी किए हैं कि मतदाता सूची में नामांकन के संबंध में फार्म (फार्म 6, 7 एवं 8) में, किन्नर/ट्रांससैक्सुअल "अन्य" के रूप में अपना लिंग शामिल कर सकते हैं, जहां वे पुरुष अथवा महिला के रूप में वर्णित करना नहीं चाहते हैं। "अन्य" सहित मतदाता सूचियों में नामांकित सभी व्यक्ति एक मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त (ई.पी.आई.सी.) करने के हकदार हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भी इस मामले में संवेदनशील है और नामांकन करते समय इस प्रकार का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

नदियों का अध्ययन

903. **श्रीमती जे. शांता:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जलवायु परिवर्तन तथा नदी प्रणाली की हाइड्रोलॉजिक प्रतिक्रिया का अध्ययन करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रमुख नदियों के अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा नदियों के चैनलीकरण, निचले क्षेत्रों की प्रक्रिया तथा सभी प्रमुख नदियों के प्रवाह के बारे में ताजा अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत बेसिन-वार अध्ययन प्रारम्भ किए गए हैं।

(ग) और (घ) गंगा हेतु समग्र नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संकाय के साथ जुलाई, 2010 में सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

टेट्रा ट्रकों की खरीद में अनियमितताएं

904. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सेना हेतु टेट्रा ट्रकों के कलपुर्जों की खरीद में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की अधिक लागत

905. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**

श्री नरहरि महतो:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत 16000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत

वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखण्ड राज्यों में स्थित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन तथा इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने 16-11-2011 को आयोजित अपनी बैठक में 15,680 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 1742 कि.मी. के कुल राजमार्ग निर्माण की 15 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें निर्माण-पूर्व के क्रियाकलापों की लागत शामिल है। परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिनमें ओडिशा राज्य की दो परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) परियोजनाओं का कार्य पूरा होने की अवधि 18 से 30 माह तक है।

विवरण

राजमार्ग निर्माण हेतु परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम (डी.बी.एफ.ओ.टी./पी.पी.पी. आधार पर बी.ओ.टी. पथकर/वार्षिकी) विधि से निष्पादित किए जाने के लिए	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ में)
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में रारा-69 के ओबेदुल्लागंज-बेतूल खंड को चार लेन का किया जाना	121.360 कि.मी. (87.860 कि.मी. को पेव्ड शोल्डर्स सहित 4 लेन का बनाना और 33.500 कि.मी. को पेव्ड शोल्डर्स सहित 2 लेन का बनाया जाना)	1165.60
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में रारा-9 के महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा-सांगारेड्डी खंड को 4 लेन का किया जाना।	145.000	1318.66
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में रारा-13 होसपेट-चित्रदुर्गा खंड को 4 लेन का किया जाना।	120.030	1165.37
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत ओडिशा राज्य में रारा-42 के कटक-अंगुल खंड को चार लेन का किया जाना-IV	112.000	1236.57
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में	93.226	856.384

1	2	3	4
	रारा-24 और रारा-87 के रामपुर-काठगोदाम खंड को चार लेन का किया जाना		
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVए के अंतर्गत ओडिशा राज्य में रारा-42 के अंगुल-संबलपुर खंड को चार लेन का किया जाना	153.00	1340.09
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVए के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-200 के रायपुर-बिलासपुर खंड को चार/छह लेन का किया जाना	126.525	1371.73
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVए के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-24बी के लखनऊ-रायबरेली खंड को चार लेन का किया जाना	70.000	705.394
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-2 के आगरा-इटावा बाइपास खंड को छह लेन का किया जाना	124.520	1343.82
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-2 के इटावा-चाकेरी (कानपुर) खंड को छह लेन का किया जाना	160.210	1652.385
11.	राजस्थान राज्य में रारा-79 के चित्तौड़गढ़-नीमच खंड तथा रारा-113 के निम्बाहेरा-प्रतापगढ़ खंड का विकास और प्रचालन	116.997	548.89
12.	राजस्थान राज्य में रारा-15 के बीकानेर-सूरतगढ़ खंड को पेव्ड शोल्डर्स के साथ दो लेन का बनाया जाना	172.38	506.08
13.	मध्य प्रदेश राज्य में रारा-75ई के सीधी से सिंगरौली खंड को पेव्ड शोल्डर्स के साथ चार लेन का बनाया जाना	102.60	954.47
14.	मध्य प्रदेश राज्य में रारा-12 के भोपाल-बायोरा खंड को चार लेन का बनाया जाना	107.300	776.23
15.	मध्य प्रदेश राज्य में रारा-7 के रेवा-म.प्र./उ.प्र. सीमा खंड को चार लेन का बनाया जाना	89.3	736.72
	कुल	1742	15680

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठन

906. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त कितने गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) ये किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तथा इनके कार्यों की प्रकृति किस प्रकार की है;

(ग) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सभी गैर-सरकारी संगठनों को प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्रदान की जाती है तथा किन-किन कार्यों के लिए यह राशि प्रदान की जाती है;

(घ) क्या उक्त गैर-सरकारी संगठनों के खातों की नियमित रूप से लेखा-परीक्षा की जाती है, यदि हां, तो किस विभाग द्वारा;

(ङ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राशि को खर्च करने में अनियमितताओं का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने लक्ष्य समूहों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान प्रदान करता है:-

क्र.सं.	लक्ष्य समूह	वे मुख्य प्रयोजन जिनके लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है
1.	अनुसूचित जातियां	शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक केन्द्रों अर्थात् चल डिस्पेंसरी, आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालय, 10 बिस्तर अस्पताल, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि की स्थापना।
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए।
3.	विकलांग व्यक्ति	जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, अत्याधुनिक तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक यंत्रों और उपकरणों के प्रापण, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करने हेतु परियोजनाओं इत्यादि के लिए सहायता।
4.	वरिष्ठ नागरिक	वृद्धाश्रम, दिवा देखभाल केन्द्र, चल चिकित्सा एककों इत्यादि की स्थापना और रखरखाव।
5.	नशीले पदार्थ दुरुपयोग पीड़ित	व्यसनियों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्रों, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/संचालन, जागरूकता सह नशामुक्ति शिविर आयोजन तथा कार्यस्थल रोकथाम कार्यक्रम इत्यादि।

गैर-सरकारी संगठनों के योजना-वार, राज्य-वार ब्यौरे तथा उनके लिए निर्मुक्त धनराशि वर्ष-दर-वर्ष भिन्न है। तथापि, विगत वित्त वर्ष 2010-11 के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां। गैर-सरकारी संगठनों के खातों की चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है।

(ङ) जी, हां।

(च) जब कभी इस प्रकार की घटनाओं की सूचना मिलती है, उन्हें जांच के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है। प्रमाणित अनियमितताओं के मामले में, गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला जाता है तथा संबंधित राज्य सरकार को वसूली हेतु कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2008-09 से 2010-11 तक, दो गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है।

विवरण

गैर-सरकारी संगठनों की संख्या के योजना-वार, वर्षवार ब्यौरे और गत 2010-11 के दौरान निर्मुक्त धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान		अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता की योजना		यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता की योजना (एडिप योजना)		दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	163.1	0	0.00	2	41.00	94	2063.86
2.	बिहार	0	0.00	1	0.85	0	0.00	7	100.57
3.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	20.07
4.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.05
5.	गुजरात	8	13.18	2	5.38	3	101.70	8	50.88
6.	हरियाणा	3	17.62	3	11.20	3	14.00	11	107.58
7.	हिमाचल प्रदेश	1	12.84	0	0.00	0	0.00	5	52.39
8.	जम्मू और कश्मीर	1	25.71	0	0.00	1	4.00	3	21.92
9.	झारखंड	0	0.00	0	0.00	1	17.00	2	24.02
10.	कर्नाटक	26	359.99	0	0.00	1	21.00	58	1057.62
11.	केरल	1	2.04	0	0.00	0	0.00	49	789.99
12.	मध्य प्रदेश	20	126.75	6	19.72	1	6.71	20	175.81
13.	महाराष्ट्र	43	560.1	11	26.55	9	179.34	19	217.50
14.	ओडिशा	28	392.61	4	8.43	5	198.79	35	591.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	पंजाब	0	0.00	0	0.00	2	8.33	12	130.28
16.	राजस्थान	41	300.81	0	0.00	2	309.00	21	179.45
17.	तमिलनाडु	1	7.79	0	0.00	2	98.00	40	421.49
18.	उत्तर प्रदेश	34	401.5	5	7.39	11	333.01	46	612.36
19.	उत्तराखंड	4	18.19	1	4.99	3	14.00	11	132.60
20.	पश्चिम बंगाल	6	93.98	1	9.78	4	46.36	31	591.74
पूर्वोत्तर क्षेत्र									
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.36
22.	असम	0	0.00	5	11.34	8	337.48	15	184.57
23.	मणिपुर	10	66.79	15	38.03	0	0.00	14	305.91
24.	मेघालय	9	43.16	0	0.00	0	0.00	5	73.60
25.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.45
26.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	त्रिपुरा	1	3.11	0	0.00	0	0.00	2	6.20
28.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
संघ शासित प्रदेश									
29.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	दिल्ली	25	334.02	6	21.37	2	19.00	13	249.07
31.	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.35
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	1	3.00	0	0.00
	कुल	280	2943.29	60	165.03	61	1751.72	530	8225.64

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) के दुरुपयोग रोकथाम की योजना		समेकित वृद्धजन कार्यक्रम		कुल	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	133.63	79	423.82	207	2825
2.	बिहार	10	105.37	2	1.73	20	209
3.	छत्तीसगढ़	2	7.80	3	7.76	9	36
4.	गोवा	1	7.50	0	0.00	2	22
5.	गुजरात	1	22.66	0	0.00	22	194
6.	हरियाणा	10	98.34	13	56.73	43	305
7.	हिमाचल प्रदेश	1	4.35	1	9.51	8	79
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	5	52
9.	झारखंड	1	1.40	0	0.00	4	42
10.	कर्नाटक	21	246.50	35	233.40	141	1919
11.	केरल	19	190.73	2	21.07	71	1004
12.	मध्य प्रदेश	5	38.60	3	7.25	55	375
13.	महाराष्ट्र	42	398.35	26	99.05	150	1481
14.	ओडिशा	22	226.18	44	355.50	138	1773
15.	पंजाब	13	283.12	6	15.87	33	438
16.	राजस्थान	9	124.65	5	14.89	78	929
17.	तमिलनाडु	25	253.12	47	263.80	115	1044
18.	उत्तर प्रदेश	21	188.85	19	118.68	136	1662
19.	उत्तराखंड	3	43.38	2	12.01	24	225
20.	पश्चिम बंगाल	5	62.42	26	142.82	73	947

1	2	11	12	13	14	15	16
पूर्वोत्तर क्षेत्र							
21.	अरुणाचल प्रदेश	1	9.78	1	1.49	3	15
22.	असम	4	33.55	15	102.32	47	669
23.	मणिपुर	17	238.76	24	140.73	80	790
24.	मेघालय	1	11.25	0	0.00	15	128
25.	मिजोरम	6	65.75	0	0.00	8	106
26.	नागालैंड	5	48.97	0	0.00	5	49
27.	त्रिपुरा	0	0.00	3	13.75	6	23
28.	सिक्किम	1	4.98	0	0.00	1	5
संघ शासित प्रदेश							
29.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0
30.	दिल्ली	7	80.91	3	25.29	56	730
31.	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	1	7
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0
34.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0
35.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	1	3
	कुल	267	2930.9	359	2067.47	1557	18084.05

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सिद्ध जाति को शामिल करना

907. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से सिद्ध जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पथ कर से छूट

908. **श्री भरत राम मेघवाल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में लोगों/वाहनों की श्रेणियों को पथ कर का भुगतान करने से छूट प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पथ कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने वाले इन लोगों/वाहनों की श्रेणियों की तत्संबंधी तारीख का ब्यौरा रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 11 में छूट का उपबंध है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पथकर से छूट-प्राप्त वाहन/व्यक्ति

"11. फीस के संदाय से छूट - (i) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी

(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं:-

(i) भारत के राष्ट्रपति;

(ii) भारत के उपराष्ट्रपति;

(iii) भारत के प्रधान मंत्री;

(iv) किसी राज्य के राज्यपाल;

(v) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति;

(vi) लोक सभा अध्यक्ष;

(vii) संघ के कैबिनेट मंत्री;

(viii) किसी राज्य के मुख्य मंत्री;

(ix) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति;

(x) संघ के राज्य मंत्री;

(xi) संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल;

(xii) चीफ ऑफ स्टाफ जिसका रैंक पूरे जनरल अथवा समकक्ष रैंक का हो;

(xiii) राज्य विधान परिषद के सभापति;

(xiv) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष;

(xv) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;

(xvi) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;

(xvii) संसद सदस्य;

(xviii) सेना कमांडर/उप-सेना प्रमुख अथवा अन्य सेवाओं के समकक्ष अधिकारी;

(xix) संबंधित राज्य के भीतर राज्य सरकार के मुख्य सचिव;

(xx) भारत सरकार के सचिव;

(xxi) सचिव, राज्य सभा;

(xxii) सचिव, लोक सभा;

(xxiii) सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(xxiv) अपने-अपने संबंधित राज्यों में राज्य विधान सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद् के सदस्य, यदि वह संबंधित राज्य विधान मंडल द्वारा जारी किया गया अपना कार्ड प्रस्तुत करता/प्रस्तुत करती है;

(xxv) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे वीरता पुरस्कार पाने वालों से संबंधित यान, यदि ऐसा पुरस्कार विजेता ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है-

(i) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे यान भी शामिल हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो नौ सेना पर भी लागू किए गए हैं, के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं;

(ii) अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल;

(iii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट;

(iv) अग्न शमन विभाग या संगठन; और

(v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य सरकारी संगठन जो ऐसे यान का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन और रखरखाव के लिए कर रहा है।

(ग) एंबुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन; और

(घ) शव वाहन के रूप में प्रयुक्त वाहन"।

ट्रांसजेंडरों हेतु योजनाएं

909. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ट्रांसजेंडरों की अनुमानित जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या ट्रांसजेंडर समुदाय की पहुंच सभी सार्वजनिक योजनाओं तक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सीमांत अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक-राजनीतिक मुख्य धारा में लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस समय, इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तदनुसार, ट्रांसजेंडरों सहित सभी नागरिक संविधान द्वारा उन्हें गारंटीशुदा अधिकारों का उपभोग करने का हक प्राप्त है।

भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नियमावली पंजीकरण 1960 के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश जारी किए हैं कि मतदाता सूची में नामांकन के संबंध में फार्म (फार्म 6, 7 एवं 8) में, किन्नर/ट्रांससैक्सुअल "अन्य" के रूप में अपना लिंग शामिल कर सकते हैं, जहां वे पुरुष अथवा महिला के रूप में वर्णित करना नहीं चाहते हैं। आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के प्रपत्र में तथा इस संबंध में नामांकन से संबंधित सभी फार्मों में सभी आवश्यक संशोधन करने के लिए भी निर्देश दिए हैं।

पथ कर संबंधी शिकायतें

910. **श्री पी.के. बिजू:**

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर संग्रहण संबंधी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर संबंधी लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के समाधान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर एक प्रणाली स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार पथकर केन्द्रों की निगरानी हेतु एक नया प्राधिकरण स्थापित करने तथा देशभर में एक समान पथ कर संग्रहण आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, पथकर संग्रहण के संबंध में जब भी कभी कोई शिकायत प्राप्त

होती है तो उसकी शीघ्रता से जांच-पड़ताल की जाती है और आवश्यक कार्यवाई की जाती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पथकर संबंधी शिकायतों का निवारण किए जाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रानिक पथकर संग्रहण प्रारंभ किए जाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे प्रयोक्ता फीस संग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

(ङ) और (च) पथकरों का अनुवीक्षण किए जाने के लिए किसी नवीन प्राधिकरण का गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर की दरें सम्पूर्ण देश में एकरूप नीति दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। दिनांक 5-12-2008 को अथवा उसके बाद किए गए ठेकों के संबंध में मौजूदा पथकर दरें समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली 2008 के अनुरूप हैं। दिनांक 5-12-2008 से पूर्व किए गए ठेकों के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियमावली, 1997 लागू होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियमावली, 1997 की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्ष के बाद थोक मूल्य सूचकांक और 5 रु. के गुणज में निर्धारित किए जाने के आधार पर की जानी थी। किन्तु यह आशोधन नहीं किया जा सका। यदि इन दरों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता तो ये 2008 नियमावली द्वारा निर्धारित दरों के लगभग समान होतीा इस प्रभाव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दरों में विषमता दूर करने और 1997 की दरों को 2008 की दरों के समान करने के लिए एक परिवर्तन प्लान दिनांक 12-10-2011 पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है जो कि मंत्रालय की वेबसाइट www.morth@nic.in. पर उपलब्ध है।

विवरण

1997 नियमावली और 2008 नियमावली के अनुसार आधार दरों की तुलना

वाहनों की श्रेणी	1997 नियमावली के अनुसार आधार दर (डब्ल्यू.पी.आई. 131.4)	01-04-2007 के अनुसार आधार दर (डब्ल्यू.पी.आई. 208.7)	2008 नियमावली के अनुसार आधार दर	% परिवर्तन
कार/जीप/वैन	0.40	0.64	0.65	2.312
एल.सी.वी.	0.70	1.11	1.05	-5.558
बस/ट्रक	1.40	2.22	2.20	-1.061
एम.ए.वी. (तीन से छः धुरीय)	1.40	2.22	3.45	55.154
एच.सी.एम./ई.एम.वी.	3.00	4.76	3.45	-27.595
बृहद आकार (7 या अधिक धुरीय)	1.40	2.22	4.20	88.884

एक लेन वाले राजमार्गों को दो लेन का बनाना

911. **श्री आर. थामराईसेलवनः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई.) की योजना सरकार के वित्तपोषण से एक लेन वाले राजमार्गों को चौड़ा कर दो लेन का बनाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एच.ए.आई. को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को चौड़ाई के लिए सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों में से 1785 कि.मी. एकल लेन/मध्यवर्ती लेन के हैं। इन सड़कों को चौड़ा करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत यातायात की मात्रा की अनुसार 2/4/6 लेन हेतु किया जाएगा। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए एकल/मध्यवर्ती लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र.सं.	खण्ड	रारा सं.	एकल लेन/मध्यवर्ती लेन की लम्बाई (कि.मी. में)	राज्य
1	2	3	4	5
1.	लुंका-लुम्बडिंग-सिल्चर	54	263	असम
2.	लाडपुर-भीलवाड़ा-गंगापुर-राजसमंद	758	160	
3.	उनियारा-नैनवां-हिन्डोल-जहांपुर-शाहपुरा-गुलाबपुर	148डी	190	राजस्थान
4.	लाडनू-खाटू-डेगाना-मेडता सिटी-लाम्बिया-जैतारन-रायपुर-भीम-परसोली-गुलाबपुरा	458 और 148डी	300	राजस्थान
5.	उदयपुर-कामदल नया खेडा-जाडौल-सोम-नालवा-देया (गुजरात सीमा)-इदार	रारा 58 का विस्तार	180	राजस्थान
6.	उंचानागल-खानुवाडा-रोपास-धौलपुर	123	80	राजस्थान
7.	धुपगुडी-फलकता	31डी	11.12	पश्चिम बंगाल
8.	सोनपुर-अलीपुरद्वारा	31डी	6.235	पश्चिम बंगाल
9.	फोरबेसगंज से जोगबनी	57ए	9.28	बिहार
10.	पटना से बक्सर	84	66	बिहार
11.	मुजफ्फरपुर से सोनबरसा	77	58	बिहार
12.	गोपालगंज से छपरा	85	94.7	बिहार
13.	मोकमा से मुंगेर	80	42	बिहार
14.	धुले से औरंगाबाद	211	7.7	महाराष्ट्र
15.	चंडीखोल-दुबुरी-तलचर	200	70.36	ओडिशा

1	2	3	4	5
16.	कि.मी. 161 से 181	59ए	20	मध्य प्रदेश
17.	कि.मी. 191 से 201	59ए	10	मध्य प्रदेश
18.	कि.मी. 201 से 215	59ए	14	मध्य प्रदेश
19.	कि.मी. 42 to 77 और कि.मी. 127 to 126	59ए	39	मध्य प्रदेश
20.	कि.मी. 104.340 से 126.140	26बी	21.8	मध्य प्रदेश
21.	कि.मी. 130.00 से 156.32 और कि.मी. 157.5 से 188.52	86	57.34	मध्य प्रदेश
22.	विलुपुरम-पुडुचेरी-नगापत्तीनतम खंड	45ए	13.35	तमिलनाडु
23.	बेलगम-खानपुर-कर्नाटक/गोवा सीमा खंड	4ए	28.12	कर्नाटक
24.	बाराबंकी-बैहरेच-रूपेदिहा	28सी	43	उत्तर प्रदेश
		कुल	1785.00	

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र के कामगार

912. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**

श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **श्रम और रोज़गार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कामगारों हेतु कितनी कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गईं तथा उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना हेतु कितना बजट आबंटन किया गया;

(ग) इन योजनाओं हेतु आवंटित बजट में से कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा इससे राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितने लोगों को लाभ पहुंचा; और

(घ) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की किस सीमा तक रक्षा की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा 2004-05 में आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कुल रोजगार 45.9 करोड़ था, जिसमें से 43.3 करोड़ (लगभग 94%) असंगठित क्षेत्र में था। छत्तीसगढ़ राज्य में, असंगठित कामगारों की संख्या 1.05 करोड़ थी।

(ख) से (घ) असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की व्यवस्था करता है जो असंगठित कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने यथा जीवन एवं अपंगता छत्र, स्वास्थ्य प्रसूति प्रसुविधाएं, वृद्धावस्था संरक्षण तथा सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य किन्हीं लाभों की सिफारिश करेगा। ऐसे ही सामाजिक सुरक्षा बोर्ड राज्य स्तर पर भी गठित किए जाएंगे।

असंगठित क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों (पांच की इकाई वाले) को 30,000 रुपये का नकदी रहित स्मार्ट कार्ड आधारित बीमा छत्र प्रदान करने के लिए 1-10-2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) आरम्भ की गई थी।

सरकार ने भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को मृत्यु एवं अपंगता हेतु बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.) शुरू की है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) को पात्रता मानदण्ड संशोधित करके विस्तारित किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति प्रतिमाह 200 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 500 रुपये कर दिया गया है।

राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की संख्या के आधार पर आंशिक प्रीमियम निधि प्रदान की जाती है। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं होता। आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.) के अंतर्गत, कायिक निधि विद्यमान है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु संयुक्त आबंटन होता है जिसका आई.जी.एन. ओ.ए.पी.एस. एक घटक है। पिछले तीन वर्ष के संबंध में आर.एस.बी.वाई., ए.ए.बी.वाई. तथा आई.जी.एन.ओ.ए.पी. के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत जारी प्रीमियम का राज्यवार केन्द्रीय अंश दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

आई.एस.बी.वाई. के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (29-02-2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	15711	39615
2.	असम	81565	204465	204548
3.	बिहार	2038909	5101901	7096914
4.	चंडीगढ़	5407	4913	4913
5.	छत्तीसगढ़	927672	1230378	1384680
6.	दिल्ली	218055	113608	144518
7.	गोवा	3505	योजना समाप्त कर दी	
8.	गुजरात	682354	1919086	1850643
9.	हरियाणा	682354	621741	584683
10.	हिमाचल प्रदेश	115828	237946	235131
11.	झारखण्ड	434762	1329254	9484

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	36971	157405	1060286
13.	केरल	1173388	1796315	1748471
14.	महाराष्ट्र	1440407	1516687	2172918
15.	मणिपुर	-	18259	31921
16.	मेघालय	22579	59055	67150
17.	मिजोरम		15240	43256
18.	नागालैंड	39301	39290	77870
19.	ओडिशा	341653	433079	1100793
20.	पंजाब	169306	193541	220486
21.	तमिलनाडु	149520		योजना समाप्त कर दी
22.	त्रिपुरा	145780	258402	258402
23.	उत्तर प्रदेश	4296865	4233626	4145925
24.	उत्तराखंड	53940	335424	338879
25.	पश्चिम बंगाल	802974	3527137	4486192
	कुल	13865338	23362463	27987800

विवरण-II

आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.)

क्र.सं.	राज्य	2009-2010 31 मार्च तक संचित	2010-11 संचित	2011-12 के दौरान वर्धित नए जीवन फरवरी, 2012 तक
1	2	3	4	5
1.	हिमाचल प्रदेश	5000	5000	
2.	आन्ध्र प्रदेश	5368797	7292606	208992

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र	985927	1608818	1390249
4.	गुजरात	382398	860053	
5.	चंडीगढ़	1297	1297	936
6.	जम्मू और कश्मीर	86097	91740	
7.	मध्य प्रदेश	1364232	1381965	89696
8.	बिहार	1161154	1921604	
9.	झारखण्ड	37546	37546	19274
10.	कर्नाटक	604687	745843	
11.	केरल	299624	393160	
12.	उत्तर प्रदेश	1869176	2234849	285665
13.	छत्तीसगढ़	333870	333870	38336
14.	पश्चिम बंगाल	397409	662987	45993
15.	पुडुचेरी	148452	148452	
16.	पंजाब	0	19013	
17.	असम	0	8677	45868
	कुल	13045666	17747480	2125009

विवरण-III

आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1.	आन्ध्र प्रदेश	919230	971709	1011153
2.	बिहार	2369656	2341267	3203771
3.	छत्तीसगढ़	513829	530193	586882
4.	गोवा	2734	2734	2136

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
5.	गुजरात	238550	298519	320110
6.	हरियाणा	137666	130306	131326
7.	हिमाचल प्रदेश	91440	90619	94220
8.	जम्मू और कश्मीर	129000	129000	-
9.	झारखण्ड	676003	650145	640044
10.	कर्नाटक	834405	782538	933891
11.	केरल	176064	185316	185316
12.	मध्य प्रदेश	1056881	1166199	1215452
13.	महाराष्ट्र	1086027	1072113	1071000
14.	ओडिशा	643400	1193176	1777083
15.	पंजाब	159292	159292	159048
16.	राजस्थान	480040	574828	629906
17.	तमिलनाडु	919069	1014172	1019232
18.	उत्तर प्रदेश	3274780	3274780	3380290
19.	उत्तराखण्ड	168221	191168	252827
20.	पश्चिम बंगाल	1252795	1271631	1728948
21.	अरुणाचल प्रदेश	17500	-	31209
22.	असम	628949	598965	-
23.	मणिपुर	72514	50714	-
24.	मेघालय	44586	48112	48112
25.	मिजोरम	23747	23747	23747
26.	नागालैंड	40462	40462	46483
27.	सिक्किम	18916	15169	-
28.	त्रिपुरा	136592	136592	136592
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	861	1063	-

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	4357	4094	3863
31.	दादरा और नगर हवेली	944	944	-
32.	दमन और दीव	125	130	-
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	194150	94000	372793
34.	लक्षद्वीप	36	36	-
35.	पुडुचेरी	20757	15523	23607
	कुल	16333578	17059756	19029041

विवरण-IV

आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत जारी प्रीमियम

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 से (14-03-2012 तक)
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	87713545	343142968	582872061
2.	पंजाब	59448426	58851448	46227695
3.	तमिलनाडु	26874987	0	0
4.	हिमाचल प्रदेश	16424305	68137697	55822579
5.	हरियाणा	270959665	180955446	250395488
6.	बिहार	319840734	558609116	1160251051
7.	केरल	183391322	526891880	659251112
8.	पश्चिम बंगाल	200796334	506335682	1633281747
9.	महाराष्ट्र	371772336	339225072	511612267
10.	उत्तराखण्ड	24325476	36686084	69210580
11.	उत्तर प्रदेश	690965169	1623383206	1485459777

1	2	3	4	5
12.	झारखण्ड	89129799	114855777	236582256
13.	चंडीगढ़	2044616	2085200	0
14.	दिल्ली	14662950	74651575	38978918
15.	छत्तीसगढ़	160628600	225204806	536193013
16.	असम	7670286	74309260	64174547
17.	नागालैंड	23982349	22908242	38508639
18.	त्रिपुरा	66789826	68098618	63664819
19.	मेघालय	7713085	12420030	9555827
20.	गोवा	0	1517920	0
21.	कर्नाटक	0	49107797	9620460
22.	ओडिशा	0	204357326	36315270
23.	मिजोरम	0	0	4296529
24.	मणिपुर	0	0	20588713
	कुल	2625133810	5091735150	7512863348

[अनुवाद]

ग्रीन क्रेडिट योजना

913. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में गुजरात सरकार से 'ग्रीन क्रेडिट' प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, महोदया। गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रीन क्रेडिट योजना, वन अपवर्तन मामलों में बाध्यकारी क्षतिपूर्वक वनीकरण को बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और इस पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन अपेक्षित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24

914. **श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (हापुड़ बाईपास) को चौड़ा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग को चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। सरकार का एन.एच.डी.पी. VI के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का चौड़ीकरण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के रूप में किए जाने का विचार है। निजामुद्दीन पुल से दिल्ली/यू.पी. सीमा तक के सड़क खंड को दोनों ओर 4 लेन की सर्विस रोड सहित 8 लेन के केन्द्रीय कैरिजवे में चौड़ा किया जाएगा, दिलली/यू.पी. सीमा में डासना तक के सड़क खंड को 8 लेन के केन्द्रीय कैरिजवे में और दोनों ओर 3 लेन की सर्विस रोड के रूप में और डासना से हापुड़ तक के सड़क खंड को इस परियोजना के अंतर्गत 6 लेन में चौड़ा किया जाएगा।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुमोदन समिति का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और उसकी जांच की जा रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुमोदन समिति और उसके पश्चात अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के बाद परियोजना को पूरा किए जाने की तारीख को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

कार्बन का उत्सर्जन

915. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **परिवहन और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दशक से प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में वद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो वातावरण में कार्बन के बढ़ते उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने तथा पूर्व की भांति कम कार्बन दृष्टि की दिशा बढ़ने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के अनुसार भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एल.यू.एल.यू.सी.एफ.) सहित भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन डाई-ऑक्साइड (Co_2) समकक्ष उत्सर्जन वर्ष 1994 में 1.3 टन/व्यक्ति से वर्ष 2007 में 1.5 टन/व्यक्ति तक बढ़े हैं।

(ख) सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिनांक 30 जून, 2006 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) प्रारम्भ की। एन.ए.पी.सी.सी. में सौन ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत बनाना, हरित भारत, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में आठ मिशन शामिल है।

इन मिशनों के उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, ईंधनों का समुचित मिश्रण तथा नाभिकीय, जल एवं नवीकरणीय स्रोतों, ऊर्जा कीमत निर्धारण, प्रदूषण उपशमन, वनीकरण और व्यापक परिवहन सहित प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन द्वारा सतत विकास के लिए भारत की नीतियों का समर्थन करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2020 तक 20-25% कम करने के घरेलू लक्ष्य की घोषणा की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्यनीति 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए कार्यक्रमों और स्कीमों में प्रदर्शित है।

कच्ची सामग्री की कमी

916. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह अयस्क की कमी तथा कोकिंग कोल के अधिक मूल्यों के कारण इस्पात निर्माता, विशेषकर छोटे निर्माता ऋण पुनर्गठन करने को विवश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं दोनों के लाभ हेतु, इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) देश में वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के दौरान लौह अयस्क की लगभग 111 मिलियन टन की घरेलू खपत और लगभग 97.66 मिलियन टन निर्यात की तुलना में इसका उत्पादन लगभग 208 मिलियन टन था। इसीलिए, कुल मिलाकर देश में लौह अयस्क की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोककर कोयले की कीमतों में गिरावट आई है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात परियोजना के वित्त पोषण के संबंध में निर्णय संबंधित उद्यमियों द्वारा

निधि की उपलब्धता, संसाधनों को जुटाना, प्रचलित ब्याज दरों आदि के आधार पर लिया जाता है। ऋण पुनर्संरचना, यदि कोई हो सहित संबंधित परियोजनाओं के वित्त पोषण के मामले में इस्पात मंत्रालय की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती।

(ग) घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग को वहनीय कीमतों पर लौह अयस्क की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने दिनांक 30-12-2011 से लौह अयस्क के सभी गेडों (पैलेटों को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया है।

कृषि प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र

917. **श्री जगदीश ठाकोर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू कृषि उत्पाद, डेयरी तथा कुक्कुट प्रसंस्करण के मूल्य संवर्धन हेतु कृषि प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश के भीतर से प्राप्त कच्ची सामग्री के प्रसंस्करण पर सीमा शुल्क लगाए बिना कृषि प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्रों से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों को घरेलू बिक्री की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मुक्त व्यापार के इस युग में घरेलू कृषि उत्पाद इकाइयों को प्रतिस्पर्धात्क बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा वस्तुओं का विनिर्माण करने या सेवाएं प्रदान करने अथवा दोनों कार्यों के लिए अथवा मुक्त व्यापार अथवा कृषि प्रसंस्करण एस.ई.जेड. सहित मुक्त व्यापार और बेअर हाउसिंग जोन के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पथक रूप से की जा सकती है। एस.ई.जेड. स्थापित करने के प्रस्तावों पर अनुमोदन मण्डल द्वारा विचार, संबंधित राज्य सरकारों की लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे एस.ई.जेड प्राथमिकत: गैर सरकारी निवेश संचालित होते हैं।

एस.ई.जेड विकासकर्ताओं और यूनिटों को एस.ई.जेड अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए विनियमों के तहत वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ प्रदान किए जाते हैं।

समुद्रीय विकास कार्यक्रम

918. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रमुख पत्तनों के विस्तार/विकास/आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम (एन.एम.डी.पी.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत दिया गया है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान, पत्तन-वार इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित तथा जारी की गई तथा उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत विभिन्न पत्तनों पर अब तक प्रमुख पत्तन-वार क्या-क्या कार्य किए गए:

(ङ) क्या इन परियोजनाओं की प्रगति की रफ्तार धीमी है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा दी गई इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने तथा शेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा पत्तन-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम (एन.एम.डी.पी.) के अंतर्गत, 01-04-2005 से 31-03-2012 तक की अवधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए 276 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पत्तन क्षेत्र के लिए कुल 55,804 करोड़ रूपये का निवेश शामिल है।

(ख) सौंपी गई और सौंपी जानी प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

(घ) एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत विभिन्न महापत्तनों में आरंभ किए गए कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) पत्तन परियोजनाओं को सौंपे जाने में विलंब आमतौर पर विभिन्न कारणों अर्थात् विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.एस.) को पूरा करने में विलंब होने, निविदाओं की निकासी, सुरक्षा अभिकरणों द्वारा अंतिम सूची में रखे गए बोलीदाताओं के संबंध मे सुरक्षा अनापत्ति लेने में विलंब होने, अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण में विलंब होने, मुकदमेबाजी, पर्यावरणीय अनापत्ति आदि लेने से होता है। फिर भी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जिसमें आर.एफ.क्यू., आर.एफ.पी. और एम.सी.ए., जिनमें बोली प्रक्रियाओं में दी गई घोषणाओं में एकरूपता और पारदर्शिता होती है जैसे मानक बोली दस्तावेजों को तैयार किया जाना शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी गई है।

विवरण-I

एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत पी.पी.पी. परियोजनाओं की स्थिति

(जनवरी, 2012 को रही स्थिति के अनुसार)

(क) सौंपी गई और पूरी कर ली गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	पत्तन	परियोजनाओं की कुल सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	क्षमता विस्तार (एम.एम.टी. में)	निजी क्षेत्र के जारिये निवेश (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हल्दिया	1	इम्पाउंडेड गोदी के भीतर बहुउद्देशीय घाट (सं. 13)	39.56	1.00	39.56
		2	संचालनात्मक उत्पादकता बढ़ाने हेतु घाट सं. 2 और 8 को सुसज्जित करना।	300.00	8.00	300.00
2.	इन्नौर	1	एल.पी.जी., पी.ओ.एल., रसायनों और अन्य द्रव्यों को संभालने के लिए एक समुद्री द्रव्य टर्मिनल का विकास (क्षमता 3 एम.टी.पी.ए.)	200.00	3.00	200.00
		2	टी.एन.ई.बी. के अलावा प्रयोक्ताओं के लिए कोयला संभालने हेतु एक कोयला टर्मिनल का विकास	399.13	8.00	399.13
		3	एक लौह अयस्क टर्मिनल का विकास	480.00	12.00	480.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	चेन्नै	1	दूसरा कंटेनर टर्मिनल	492.00	0.08	492.00
4.	कोचीन	1	कोच्चि रिफाइनरी लि. हेतु कच्चा तेल संभाला जाना	743.60	7.50	743.60
5.	नव मंगलूर	1	मार्शलिंग यार्ड का विकास	40.00	-	30.00
		2	कैप्टिव प्रयोक्ता हेतु कोयला संभालने की सुविधाओं का विकास	230.00	3.00	230.00
6.	मुरगांव	1	लौह अयस्क आयात हेतु यानांतरक	140.00	9.00	140.00
7.	जवाहरलाल नेहरू	1	बल्क टर्मिनल को कंटेनर टर्मिनल में पुनः विकसित करना	1078.60	15.60	1078.60
8.	कांडला	1	40 एकड़ के बैकअप क्षेत्र सहित 11वें और 12वें कार्गो घाट में बी.ओ.टी. के माध्यम से बैकअप क्षेत्र और अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल की स्थापना सहित 12वें कार्गो घाट का निर्माण	446.77	7.20	330.77
		2	मै. एस्सार तेल लि. के लिए वाडीनार में मै. वी.ओ.टी.एल. द्वारा समुद्री टर्मिनल की स्थापना	750.00	12.00	750.00

एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत पी.पी.पी. परियोजनाओं की स्थिति

(जनवरी, 2012 को रही स्थिति के अनुसार)

(ख) सौंपी गई और पूरी कर ली गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	पत्तन	परियोजनाओं की कुल सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	क्षमता विस्तार (एम.एम.टी. में)	निजी क्षेत्र के जारिये निवेश (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोलकाता	1	आई.डब्ल्यू.टी. घाटों में आई.डब्ल्यू.टी. टर्मिनलों की स्थापना, मशीनीकृत लदाई/ उतराई सुविधाओं का विकास	100.00	-	60.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	पारादीप	1	बी.ओ.टी. आधार पर गहरे डुबाव वाले लौह अयस्क घाट का निर्माण	591.35	10.00	591.35
3.	विशाखापट्टनम	1	बाहरी बंदरगाह में जी.सी.बी. में मशीनीकृत रूप से कार्गो संभालने की सुविधाएं	444.10	10.18	444.10
		2	एल्यूमिना निर्यात के लिए आंतरिक बंदरगाह में डब्ल्यू.क्यू.-6 घाट का आबंटन विकास	114.50	2.10	114.50
		3	सेकेण्ड स्टेट-आंतरिक बंदरगाह प्रवेश जलमार्ग और टर्निंग सर्किल को 11.0 मी. से 12.5 मी. तक गहरा किया जाना	70.00	1.20	70.00
		4	14 मी. के डुबाव वाले जलयानों को संभालने के लिए आंतरिक बंदरगाह (4 घाटों और अनुषंगी सुविधाएं) में पूर्वी गोदी का विकास (निम्न के रूप में पुन: नामित)	313.39	7.36	313.39
			1. डी.बी.एफ.ओ.टी. के अंतर्गत पूर्वी क्वे के दक्षिणी छोर पर ई.क्यू. 1 क का विकास			
			2. डी.बी.एफ.ओ.टी. के अंतर्गत पूर्वी क्वे के दक्षिणी छोर पर ई.क्यू. 1 का विकास	323.18	6.41	323.18
4.	इन्नौर	1	एक कंटेनर टर्मिनल का विकास (1000 मी. लम्बा) (क्षमता-1.5 एम.टी.ई.यू.पी.ए.)	1407.00	18.00	1407.00
5.	कोचीन	1	अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल	2118.00	12.50	2118.00
		2	पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र	850.00	-	750.00
		3	एल.एन.जी. पुन: गैसीकरण टर्मिनल	3200.00	2.50	3200.00
6.	नव मंगलूर	1	बी.ओ.टी. के आधार पर मशीनीकृत रूप से लौह अयस्क संभालने की सुविधाओं की स्थापना (घाट सं. 14 में)	296.03	2.00	296.03
7.	मुंबई	1	दो अप तट कंटेनर टर्मिनल का विकास। 6000 टी.ई.यू.एस. क्षमता से युक्त जलयानों को संभालने हेतु कुल 700 मी. लम्बे क्वे और संबंधित उन्नयन के दो कंटेनर घाटों का विकास। क्षमता (0.8 एम.टी.ई.यू.एस.)	1460.52	9.60	1015.66

1	2	3	4	5	6	7
8.	कांडला	1	मशीनीकरण सहित बी.ओ.टी. आधार पर 15वें से 18वें घाट का निर्माण (पुन: नामित मशीनीकरण सहित बी.ओ.टी. आधार पर 13वें से 16वें कार्गो घाट का निर्माण)	755.00	8.00	728.50

एन.एम.डी.पी. के अंतर्गत पी.पी.पी. परियोजनाओं की स्थिति

(जनवरी, 2012 को रही स्थिति के अनुसार)

(क) अभी सौंपे जाने वाली परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	पत्तन	परियोजनाओं की कुल सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	क्षमता विस्तार (एम.एम.टी. में)	निजी क्षेत्र के जारिये निवेश (करोड़ रु. में)
1.	पारादीप	1	0.5 एम.टी.ई.यू. हेतु कंटेनर टर्मिनल का विकास	150.00	-	150.00
		2	बी.ओ.टी. आधार पर स्वच्छ कार्गो के लिए घाटों का निर्माण	138.00	-	138.00
2.	विशाखापट्टणम	1	एल्यूमिना निर्यात हेतु आंतरिक बंदरगाह में डब्ल्यू.क्यू. 8 घाट का निर्माण	208.87	4.56	208.87
		2	एल्यूमिना निर्यात के लिए कैप्टिव प्रयोक्ता हेतु डब्ल्यू.क्यू. 7 में मशीनीकृत सुविधाएं	244.66	5.66	244.66
3.	तूतीकोरिन	1	घाट 8 कोकंटेनर टर्मिनल के रूप में बदलना (बी.ओ.टी.)	150.0	4.80	150.00
4.	नव मंगलूर	1	एन.एम.पी. में यानांतरण हेतु कंटेनर टर्मिनल	275.82	4.41	275.82
5.	मुरगांव	1	पनकट दीवार के पश्चिम में लौह अयस्क टर्मिनल का विकास (वैगन संभालने की प्रणाली की स्थापना के स्थान पर)	721.00	8.00	721.00
6.	कांडला	1	टुना के निकट टेकरा में बर्थिंग और संबद्ध सुविधाओं का निर्माण (कांडला खाड़ी के बाहर)	1058.16	14.00	818.16

विवरण-II

31-01-2012 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय समुद्री विकास परियोजना कार्यों की पत्तन वार स्थिति

क्र.सं.	पत्तन का नाम	परियोजनाओं की कुल सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	क्षमता आवर्द्धन (एम.टी. में)	वित्त पोषण व्यवस्था (करोड़ रु. में)			
						बजटीय सहायता	आंतरिक संसाधन	निजी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कोलकाता	1.	अं.ज.प. टर्मिनलों की स्थापना, अं.ज.प. व्हार्फों पर लदान/उतराई की यांत्रिकृत सुविधाओं का विकास	100.00		-	40.00	60.00	-
	जोड़:	**1**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**60.00**	**0.00**
2.	हल्दिया	1.	डॉक के अंदर और बाहर जल निकासी आदि सहित सड़क अवसंरचना का विकास (चरणों में)	30.00	1.00	-	30.00	-	-
	जोड़:	**1**		**30.00**	**1.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**
3.	पारादीप	1.	1,25,000 डी.डब्ल्यू.टी. जलयानों की संभलाई हेतु जलमार्ग को गहरा बनाया जाना	253.36		45.00	208.36	-	-
		2.	ब्रेक वॉटर का विस्तार फेज-I	6.00		-	6.00	-	-
		3.	भंडारण क्षेत्र को प्रकाशमान करना	10.00		-	10.00	-	-
		4.	रेल संपर्क को बढ़ाना (हरिदासपुर-पारादीप)	598.00		-	27.50	-	570.50
		5.	बी.ओ.टी. आधार पर गहरे डुबाव वाले लौह अयस्क घाट का निर्माण	591.35	10.00	-	-	591.35	-

		6.	मल निकास एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली में सुधार	30.00		-	30.00	-	
		7.	पैनामैक्स जलयानों की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा डॉक प्रणाली में डुबाव में बढ़ोत्तरी	40.00	5.00	40.00	-	-	-
		8.	ऊर्जा आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली का उन्नयन	21.51		-	21.51	-	-
	जोड़:	**8**		**1550.12**	**15.00**	**85.00**	**303.37**	**591.35**	**570.50**
4.	विशाखापट्टणम	1.	सड़क पुलों/फ्लाईओवर पुलों के साथ सड़क अवसंरचना में सुधार-फेज: 1	40.00		-	40.00	-	-
		2.	पत्तन रेल प्रणाली में सुधार	35.00		-	35.00	-	-
		3.	अतिरिक्त स्टैकिंग स्थान का विकास-5,000 वर्ग मीटर का पारगमन शेड और 20,000 वर्ग मीटर का खुला भंडारण शेड (2)	21.23		-	21.23	-	-
		4.	पर्यावरणीय उन्नयन योजनाएं: फेज-I	24.03		-	24.03	-	-
		5.	रेलवे साईडिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण	25.00		-	25.00	-	-
		6.	एक टग नेत्रवति का प्रतिस्थापन	83.20		-	83.20	-	-
		7.	1 टग का प्रतिस्थापन (टी.टी. स्वर्ण)						
		8.	12.5 मीटर डुबाव वाले जलयानों की मांग को पूरा किए जाने हेतु ई.क्यू.5, ई.क्यू.6 और डब्ल्यू.क्यू.1, डब्ल्यू.क्यू2, डब्ल्यू.क्यू.3 घाटों को मजबूत बनाया जाना	35.19	0.06	-	35.19	-	-
		9.	पर्यावरणीय उन्नयन योजनाएं: फेज-II	38.00		-	38.00	-	-
		10.	बाहरी बंदरगाह पर जी.सी.बी. पर यांत्रिकृत कार्गो संभलाई सुविधाएं	444.10	10.18	-	-	444.10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11.	अलूमिना निर्यात के लिए अंदरूनी बंदरगाह में डब्ल्यू.क्यू. 6 घाट का आवंटन विकास	114.50	2.10	-	-	114.50	-
		12.	दूसरा चरण-अंदरूनी बंदरगाह प्रवेश जलमार्ग और टर्निंग सर्किल को 11.0 मीटर से 12.5 मीटर तक गहरा बनाया जाना।	70.00	1.20	-	-	70.00	-
		13.	14 मीटर के डुबाव वाले जलयानों को सुविधा देने के लिए अंदरूनी बंदरगाह में पूर्वी डॉक्स का विकास (4 घाट और सहायक सुविधाएं) (पुन: नामकरण)	313.39	7.36	-	-	313.39	-
			1. डी.बी.एफ.ओ.टी. के अंतर्गत पूर्वी क्वे के दक्षिणी सिरे पर ई.क्यू.1ए का विकास	323.18	6.41	-	-	323.18	-
			2. डी.बी.एफ.ओ.टी. आधार पर पूर्वी क्वे के दक्षिणी सिरे पर ई.क्यू.1 घाट का विकास						
	जोड़:	**13**		**1566.82**	**27.31**	**0.00**	**301.65**	**1265.17**	**0.00**
5.	इन्नौर	1.	इन्नौर-मनाली मार्ग पर सुधार परियोजना (ई.एम.आर.आई.पी.) के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा-4, रारा-5 और रारा-45) को इन्नौर पत्तन से जोड़ने वाले तिरुवोट्टीयूर-पोन्नेरी-पन्चेटि सड़क (टी.पी.पी. मार्ग) की 9 कि.मी. लंबाई (मनाली-वल्लूर खंड) को चार लेनों का बनाया जाना। ई.पी.एल. ने वित्तीय योगदान की प्रतिबद्धता की है।	34.02 (ई.पी.एल. का)		-	34.02	-	
		2.	कोयला, लौह अयस्क और कंटेनर टर्मिनलों को सुविधा प्रदान करने के लिए इन्नौर पत्तन और भारतीय रेल के मुख्य मार्गों के बीच (इन्नौर	51.60		-	51.60	-	-

			पत्तन से अट्टीपट्टू रेलवे स्टेशन तक) रेल संपर्क।						
		3.	पुन: नामकरण: कैपिटल ड्रैजिंग (फेज II और III): 16 मी. और 18.5 मी. का डुबाव सृजित करने के लिए लौह अयस्क और कंटेनर घाट छोर क्षेत्रों में ड्रैजिंग (इससे पहले कैपिटल ड्रैजिंग (फेज II): 15 मी. का डुबाव तैयार करने के लिए एल.एन.जी. टर्मिनल के घाट छोर के क्षेत्रों में ड्रैजिंग)	440.00		217.00	223.00	-	-
		4.	कंटेनर टर्मिनल का विकास (1000 मी. लंबाई) (क्षमता 1.5 एम.टी.ई.यू.पी.ए.)	1407.00	18.00	-	-	1407.00	-
	जोड़:	**4**		**1932.62**	**18.00**	**217.00**	**308.62**	**1407.00**	**0.00**
6.	चेन्नै	1.	जलमार्गों, बेसिन और घाटों को गहरा बनाया जाना	143.00		-	143.00	-	-
		2.	चेन्नई पत्तन का आधुनिकीकरण	200.00		-	200.00	-	-
		3.	भूमिपुन:उद्धार द्वारा अतिरिक्त खुले भंडारण यार्डों का सृजन	200.00		-	200.00	-	-
		4.	पत्तन से मदुरावोयाल तक रारा-4 पर विशेष एलीवेटिड कॉरीडोर (संशोधित अनुमानित लागत: रु. 1655/- करोड़ ब्यौरा उपलब्ध नहीं)	400.00	-	-	200.00	-	200 00
	जोड़:	**4**		**943.00**	**0.00**	**0.00**	**743.00**	**0.00**	**200.00**
7.	तूतीकोरिन	1.	टी.पी.टी. और पालायमकोटाई के बीच रारा 7ए को चार लेनों का बनाया जाना।	25.00		-	25.00	एन.एच. ए.आई.	-
		2.	पत्तन के प्रचालन और प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	5.00		-	5.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.	सहायक सुविधाएं	20.00		-	20.00	-	-
		4.	एच.टी./एल.टी. ओवरहैड लाईनों का रूपांतरण	10.00		-	10.00	-	-
		5.	डॉक बेसिन और जलमार्ग की ड्रेजिंग* (*निजी क्षेत्र से रुचि की अभिव्यक्ति मांगी जा रही है)	538.00		269.00	269.00	-	-
		6.	एन.एल.सी.-टी.एन.ई.बी. के लिए एन.बी.डब्ल्यू. पर कोयला घाट का निर्माण	40.00	6.30	-	40.00	-	-
	जोड़:	**6**		**638.00**	**6.30**	**269.00**	**369.00**	**0.00**	**0.00**
8.	कोचीन	1.	अंतरराष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल (आई.सी.टी.टी.)	2118.00	12.50	-	-	2118.00	-
		2.	वल्लारपदम में आई.सी.टी.टी. परियोजना स्थल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क	557.00		-	-	-	557.00
		3.	रेल संपर्क	246.00		246.00	-	-	-
		4.	पत्तन पर आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन	850.00		-	100.00	750.00	-
		5.	14.5 मी. डुबाव के लिए पहले चरण में आई.सी.टी.टी. के लिए और 11.5 मी डुबाव तैयार करने के लिए एल.एन.जी. बेसिन की कैपिटल ड्रैजिंग	381.25		381.25	-	-	-
		6.	एल.एन.जी. पुन:गैसीकरण टर्मिनल	3200.00	2.50	-	-	3200.00	-
	जोड़:	**6**		**7352.25**	**15.00**	**627.25**	**100.00**	**6068.00**	**557.00**
9.	नव मंगलूर	1.	यांत्रिकृत लौह अयस्क संभलाई सुविधाओं की स्थापना (घाट सं. 14 पर)-बी.ओ.टी.	296.03	2.00	-	-	296.03	-
		2.	तेल डॉक शाखा पर पी.ओ.एल. घाट	95.00	3.00	-	95.00	-	-

		3.	पत्तन तक सड़क संपर्क	19.65		-	19.65	-	-
	जोड़:	**3**		**410.68**	**5.00**	**0.00**	**114.65**	**296.03**	**0.00**
10.	मुरगांव	1.	दो स्टेकरों का प्रतिस्थापन	15.00		-	15.00	-	-
		2.	मूरिंग डॉल्फिन के लिए कैपिटल ड्रैजिंग (हुबाव को 14.10 मी. से 15.10 मी. तक बढ़ाने के लिए पहुंच जलमार्ग और घाट सं. 9 को गहरा बनाए जाने के स्थान पर)	50.00	6.00	25.00	25.00	-	-
		3.	ब्रेकवॉटर के साथ घाटा का निर्माण (ब्रेकवॉटर को मजबूत बनाए जाने के स्थान पर)	47.00		-	47.00	-	-
	जोड़:	**3**		**112.00**	**6.00**	**25.00**	**87.00**	**0.00**	**0.00**
11.	मुंबई	1.	तटीय नौवहन का विकास	50.00	1.28	10.00	40.00	-	-
		2.	दो अपतटीय कंटेनर टर्मिनल का निर्माण। 6000 टी.ई.यू. के जलयानों की संभलाई के लिए 700 मी. की कुल क्वे लंबाई के दो कंटेनर घाटों का विकास और संबंधित उन्नयन क्षमता (0.8 एम.टी.ई.यू.)	1460.52	9.60	-	444.86	1015.66	-
		3.	रेल और सड़क अवसंरचना में सुधार						
			(क) वडाला और कुर्ला के बीच रेल संपर्क।	131.00		-	131.00	-	-
			(ख) मुंबई पत्तन न्यास संपदा के भीतर सड़क सुधार	35.00		-	35.00	-	-
			(ग) मुंबई पत्तन न्यास संपदा के बाहर सड़क सुधार						
			(i) वडाला मेहुल से ट्रक टर्मिनस लिंक #	15.00		-	7.50		7.50
			(ii) अनिक पंजरपोल लिंक #	152.00		-	35.00		117.00
	जोड़:	**3**		**1843.52**	**10.88**	**10.00**	**693.36**	**1015.66**	**124.50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	जे.एन.पी.टी.	1.	पर्यावरणीय उपाय	10.00		-	10.00	-	-
		2.	पर्यावरणीय उपाय	20.00		-	20.00	-	-
		3.	पत्तन तक सड़क संपर्क	300.00		-	30.00	-	270.00
		4.	तीन पायलेट लांचेज, एक वी.आई.पी. लांच, एक यूटिलिटी लांच का प्रतिस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण जलयानों की खरीद, वी.आई.पी. लांच प्रतिस्थापित	22.00			22.00		
		5.	पत्तन पर आधारित उद्योगों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं-फेज-II	45.00		-	45.00	-	-
		6.	एक आर.एम.क्यू.सी. की खरीद और दो पुरानी आर.एम.क्यू.सी. को एस.डब्ल्यू.बी. पर ले जाया जाना	35.00	3.60	-	35.00	-	-
		7.	लाईन 1 और 2 पर एक आर.एम.जी.सी. का का प्रतिस्थापन	12.00		-	12.00	-	-
		8.	तीन आर.एम.क्यू.सी. की खरीद और 2 आर.एम.क्यू.सी. को एम.सी.बी. से एस.डब्ल्यू.बी. ले जाया जाना	196.00		-	196.00	-	-
	जोड़:	**8**		**640.00**	**3.60**	**0.00**	**370.00**	**0.00**	**270.00**
13.	कांडला	1.	कांडला पत्तन न्यास के नौचालनात्मक जलमार्ग को 13.5 मी. डुबाव से अधिक गहरा बनाया जाना	136.00		-	136.00	-	-
		2.	कांडला में समर्थन क्षेत्र की पिछली ओर घाट सं. 11 से 18 तक सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार	17.39			17.39		

	3.	कांडला में जल आपूर्ति को बढ़ाया जाना	12.80			12.80	-	-
	4.	अपेक्षाकृत बड़े आकार के जलयानों की संभलाई के लिए मैरीन अवसंरचना/फ्लोटिला का उन्नयन	154.01	एन/ए		154.01		
	5.	गांधीधाम कांडला गेज रूपांतरण	25.00		-	25.00	-	-
	6.	यांत्रिकरण सहित बी.ओ.टी. आधार पर 15वें से 18वें कार्गो घाट का निर्माण (पुन: नामकरण यांत्रिकरण सहित बी.ओ.टी. आधार पर 13वें से 16वें कार्गो घाट का निर्माण)	755.00	800	-	27.00	728.50	-
कुल:	**6**		**1100.20**	**8.00**	**0.00**	**372.20**	**728.50**	**0.00**
कुल जोड़:	66		18219.31	116.09	1233.25	3832.85	11431.71	1722.00

(#) मुंबई: राज्य सरकार की योजनाएं

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन का बनाना

919. **श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में सड़कों के निर्माण संबंधी लक्ष्य का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है; और

(ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन वाला मार्ग बनाने की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान निर्धारित लक्ष्य और पूरे किए निर्माण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लम्बाई कि.मी. में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2010-11	2500	1785
2011-12	2500	1880 (फरवरी 2012 तक)

(ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 को चार लेन का बनाने की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सड़क निर्माण के संबंध में तय लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	खण्ड	रारा क्रं.	कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण की गई लम्बाई (कि.मी.)	किस द्वारा वित्त पोषित	प्रारम्भ की तिथि	ठेके के अनुसार पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	कुल परियोजना तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	कोनधाली-टेलीगांव	6	50	50	बी.ओ.टी.	सितम्बर. 2006	मार्च-2009	मार्च-2009	212	अगस्त 2005	पूर्ण
2.	नागपुर-वेनगंगा ब्रिज (अनुमोदित लम्बाई 58 कि.मी.)	6	45.43	0	बी.ओ.टी.	मई 2011 में एल.ओ.ए. जारी किया गया			484.19	मई 2011	कार्यान्वयाधीन
3.	टेलीगांव-अमरावती (अनुमोदित लम्बाई 58 कि.मी.)	6	67.8	11	बी.ओ.टी.	नवम्बर-2009	नवम्बर-2013	नवम्बर-2013	567	अगस्त 2009	कार्यान्वयाधीन
4.	नागपुर-कोन्डाली	6	40	39.84	बी.ओ.टी.	जून-2006	दिसम्बर-2008	जून-2008	168	सितम्बर, 2005	कार्यान्वयाधीन
5.	छत्तीसगढ़/ महाराष्ट्र सीमा वेनगंगा ब्रिज	6	80	80	बी.ओ.टी.	मार्च-2008	सितम्बर-2010	सितम्बर-2010	424	दिसम्बर-2006	पूर्ण

युद्ध के आधिकारिक रिकॉर्ड

920. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के अधिकांश अधिकारिक रिकॉर्ड नष्ट हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

सचिन तेंदुलकर और सायना नेहवाल को उनके प्रदर्शन पर बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सौ शतक बनाने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

इस उत्कृष्ट बल्लेबाज ने 16 मार्च, 2012 को मीरपुर में बांग्लादेश के विरुद्ध एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच के दौरान यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की, यह असाधारण उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव की बात है और सदैव पूरे विश्व के क्रिकेटरों को प्रेरित करती रहेगी।

हम सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट टीम के उनके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

माननीय सदस्यों, मैं अपनी तथा सभी सदस्यों की ओर से सायना नेहवाल को भी बेसल (स्विटजरलैंड) में स्विस बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट जीतने पर हार्दिक बधाई देती हूं। उनकी शानदार उपलब्धि ने उन्हें स्पष्ट रूप से विश्व के बेहतरीन महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों की श्रेणी में ला दिया है।

हम सायना नेहवाल को भी उनके भावी प्रयासों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर रखे जाएंगे।

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदया, मैं छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 346 की उपधारा (4) के अंतर्गत छावनी बोर्ड के सदस्यों को छुट्टी की मंजूरी नियम, 2011 जो 26 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 12(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6184/15/12]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): महोदया, मैं अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 जो 23 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 896(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6185/15/12]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री मुकुल वासनिक]

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6186/15/12]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदया, अपनी सहयोगी श्रीमती पनबाका लक्ष्मी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 को उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 88(अ) जो 18 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न और चीनी की जूट पैकेज सामग्री में 100% पैकेजिंग अनिवार्य की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6187/15/12]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) क अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6188/15/12]

(ख) (एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6189/15/12]

(दो) सेंट्रल कार्टेज इंडट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6189/15/12]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नेशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सिफिकेशन के वर्ष 2007-2008 से 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6190/15/12]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल राय): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6191/15/12]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 11(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2012 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 6(अ) जो 11 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2012 का अनुमोदिन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6192/15/12]

(4) वाणिज्य पोत्त परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं का पंजीकरण) संशोशन नियम, 2012 जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6193/15/12]

(दो) का.आ. 67(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 435ख के प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार के प्रत्येक यान या पोत, मत्स्ययान और पालपोत से भिन्न लेकिन केवल मत्स्य ग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे धाऊ जैसे परंपरागत मत्स्ययान शामिल है, पर किसी भी भारतीय भाषा में "भारतीय मत्स्य नौकाएं" विनिर्दिष्ट किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6194/15/12]

(तीन) सा.का.नि. 9(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 20 मीटर की लम्बाई से कम आकार वाली भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य ग्रहण नौकाओं का निरीक्षण) नियम, 1988 की अपेक्षाओं से अधिसूचना की तारीख से दो **वर्ष** की अवधि के लिए छूट दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6195/15/12]

अपराह्न 12.03 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं वर्ष 2011-12 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6196/15/12]

अपराह्न 12.03½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2009-10

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं 2009-10 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शानें वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 6197/15/12]

अपराह्न 12.04 बजे

*नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सभा पटल पर रख दें।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[अध्यक्ष महोदया]

केवल उन्हीं मामले को सभा पटल रखा गया माना जाएगा जिनके लिए निर्धारित समय के अंदर पर्चियां सभा पटल पर रख दी जायेंगी। शेष मामलों को व्ययगत माना जायेगा।

(एक) असम के पंचग्राम में बराक नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के खंड एक विशेष की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य (करीमगंज): राष्ट्रीय राजमार्ग 53 का वाणिज्यिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह हैलाकांडी और कछार होते हुए गुवाहाटी को त्रिपुरा और मिजोरम से जोड़ता है। किंतु पंचग्राम में बराक नदी के साथ-साथ जाते इस राष्ट्रीय राजमार्ग का एक भाग मिट्टी के कटाव के कारण बार-बार टूट-फूट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार और वाणिज्य पूरी तरह से ठप्प हो जाता है।

2004 से मैं इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंत्रियों और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को पत्र लिखकर और उनके साथ व्यक्तिगत बैठकें करके हर संभव प्रयास कर रहा हूं परन्तु अभी तक समाधान नहीं हुआ। पिछले वर्ष यह सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। पुन: सारे प्रयास करके मैंने संबंधित अधिकारियों को विशेषज्ञ की सलाह लेने पर जोर डाला ताकि स्थायी समाधान हो सके जैसाकि नदी तल सुरक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिलीगुड़ी में रा.रा. 44 पर किया गया है। बहुत गुहार के बाद सड़क की मरम्मत की गयी थी जो पहले ही धंस चुकी है। आगामी वर्षा ऋतु में इस सड़ की हालत और बदतर बना देगी।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के इस भाग को पक्की सड़क के रूप में विकसित करने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए।

(दो) उपलब्ध लाभार्थियों को कृषि कार्य के लिए अनुमति देने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): केन्द्र सरकार नरेगा की सबसे अधिक सुधारवादी योजना के संबंध में 14वीं लोक सभा अवधि के दौरान एक विधेयक लायी थी। इसे संशोधित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार का अवसर प्रदान करना है। यह भूमिहीन गरीब लोगों गैर-कृषि दिनों में अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। अब, सड़क निर्माण, नहरों और जल स्रोतों की खुदाई आदि के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य कराये जाते हैं। चूंकि, सरकार प्रत्येक कार्य के लिए प्रतिदिन 100 रुपये से भी अधिक भुगतान कर रही है, अत: किसानों के लिए अपने खेतों में कार्य के लिए मजदूर प्राप्त करना कठिन हो गया है। इसलिए, सरकार को निर्माणों में संशोधन करना चाहिए ताकि किसान भी अपने खेतों में इन मजदूरों को लगा सकें। और जो किसान के इस योजना के माध्यम से मजदूर ले रहे हैं उनके संबंध में यह प्रावधान किया जा सकता है आधी मजदूरी का भुगतान वे करें और शेष आधी राशि ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाए। यदि यह लागू हो जाता है तो एक परिवार को 200 दिनों का रोजगार मिल सकता है - आधा सरकार से और आधा कृषकों से। इन मजदूरों को फसलों के उत्पादन के लिए लगाया जा सकता है।

(तीन) 'मेहंदी उद्योग' को केन्द्रीय बिक्री कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लालचन्द कटारिया (जयपुर ग्रामीण): मेहंदी उद्योग पर खुदरा मूल्य का 10.3 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। मेहंदी उद्योग एक कुटीर उद्योग है और यह राजस्थान के पाली जिले के लोगों का मुख्य रोजगार का साधन है। मेहंदी एक कृषि उत्पाद है जो राजस्थान के पिछड़े एवं रेगिस्तान क्षेत्रों में उगाया जाता है तथा इसके हजारों किसान, मजदूर एवं महिलाएं कार्यरत हैं। इसकी पैकिंग छोटे-छोटे पाउचों में ऐसे मजदूरों द्वारा की जाती है जो आर्थिक रूप से गरीब एवं पिछड़े हुए हैं। अगर मेहंदी उद्योग में खुदरा मूल्य पर 10.03 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगा दिया जायेगा तो यह उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में नहीं टिक पायेगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे तथा यह कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर खड़ा हो जायेगा।

अत: क्षेत्र की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि मेहंदी उद्योग को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाए नहीं तो राजस्थान के इस रेगिस्तानी एवं पिछड़े क्षेत्र के लाखों गरीब किसान, मजदूर एवं महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगे।

(चार) प्रस्तावित न्यू विशाखापतनम-साई नगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन को विजयवाड़ा-गुंदुर-नालगोंडा-सिकंदराबाद-मनमाड से होकर चलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि शिरडी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और गुंटूर मंडल में बहुत से मंत्री या तो विजयवाड़ा से या सिकंदराबाद से ट्रेन पकड़कर शिरडी जाते हैं जो शारीरिक और वित्तीय दोनों तरह से कष्टप्रद है। अनेक रेलगाड़ियां विजयवाड़ा काजीमेट सिकंदराबाद होते हुए नागरसोल या शिरडी जा रही है। गुंटूर, नालगोंडा होते हुए विजयवाड़ा - सिकंदराबाद मार्ग अपेक्षाकृत छोटा है और इस मार्ग से विजयवाड़ा और सिकंदराबाद के बीच की यात्रा केवल छह घंटे में पूरी हो जाती है। गुंटूर और नालगोंडा जिलों के यात्री शिरडी के लिए सीधी गाड़ी की सुविधा से वंचित है। अत: कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित कर उन्हें वाया गुंटूर या गुंटूर और शिरडी के बीच वाया नालगोंडा - सिकंदराबाद नई गाड़ी शुरू की जाये। इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं का कहना है रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है क्योंकि शिरडी के लिए सीधी रेलगाड़ी के लिए बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अत: मैं अध्यक्ष पीठ के माध्यम से रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित न्यू विशाखापत्तनम साई नगर शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन (मद सं.-24, अनुबंध 20) (साप्ताहिक) को वाया विजयवाड़ा - गुंटूर - नालगोंडा - सिकंदराबाद - मनमाड चलाया जाए।

(पांच) मध्य प्रदेश इटारसी के स्थित आयुध निर्माण में रोजगार कार्यालय के माध्यम से स्थानीय लोगों की भर्ती किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): मैं इटारसी आयुध निर्माण फैक्ट्री, मध्य प्रदेश में डिफेंस सिविलियन एवं केन्द्र सरकार के ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती विज्ञापनों के माध्यम से नहीं करके मध्य प्रदेश के लोकल रोजगार कार्यालयों द्वारा किए जाने बाबत आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

कुछ वर्षों पहले तक इटारसी आयुध निर्माण फैक्टरी, मध्य प्रदेश में ग्रुप-सी कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य के लोकल रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाती थी लेकिन आजकल केन्द्र सरकार के सभी कार्यलयों में भर्ती विज्ञापनों के माध्यम से की जा रही है। महोदय, इटारसी एक आदिवासी एवं पिछड़ा हुए क्षेत्र है, जहां पर बड़ी संख्या में युवक एवं युवतियां ब्रेरोजगारी के कगार पर हैं। आयुध निर्माण फैक्टरी में वर्तमान में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है एवं विज्ञापनों के माध्यम से दूसरे राज्यों के लोगों की भर्ती की जा रही है, जिससे वहां के स्थानीय गरीब एवं आदिवासी युवक बेरोजगार ही रह जाते हैं।

इस समय वर्तमान में अनुकंपा के आधार पर आश्रितों का कोटा केवल 5 प्रतिशत ही है जो कि तर्कसंगत नहीं है। अत: इटारसी आयुध फैक्टरी, मध्य प्रदेश में इसे बढ़ाकर शत-प्रतिशत किया जाए, जिससे कि स्थानीय एवं गरीब आदिवासी लोग बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकें। दूसरे राज्यों से आकर यहां पर काम करने वाले कर्मचारी कुछ दिनों बाद अपना स्थानांतरण करवाकर अपने पैतृक राज्यों में चले जाते हैं जिससे वहां पर पुन: स्थान रिक्त हो जाता है और फिर उन्हें पुन: विज्ञापन के माध्यमों से भर दिया जाता है, जिससे समस्या वहीं की वहीं रहती है।

अत: बेरोजगारी की विकराल समस्या को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि इटारसी आयुध फैक्टरी, मध्य प्रदेश में डिफेंस सिविलियन एवं केन्द्र सरकार के ग्रुप-सी कर्मचारियों को भर्ती स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश के लोकल रोजगार कार्यालयों द्वारा की जाये।

(छह) उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुन:संरेखण किए जाने की आवश्यकता

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं पर्वतीय राज्यों के राजमार्गों की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। वर्तमान में इन राजमार्गों का पुन: एलाइमेंट होना चाहिए। गलत एलाइमेंट की वजह से समय व ईंधन दोनों ही बर्बाद होते हैं। आज जब ईंधन बचाने के मुहिम पूरे विश्व में चल रही है तो ऐसे में जरूरी है कि मार्गों का निर्माण इस

[श्री मुकुल वासनिक]

प्रकार किया जाये कि ईंधन की बचत हो। उत्तराखंड में ही यदि आप ऋषिकेश से ऊपर बद्रीनाथ की ओर चलते हैं तो व्यासी से सकानीधार तक काफी खड़ी चढ़ाई है, पहले नीचे से ऊपर जाओ फिर ऊपर से नीचे आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, एलाइंमेंट सीधा होना चाहिए, जिसमें ईंधन और समय दोनों की बचत हो। यदि इसका सही एलाइंमेंट कर दिया जाये तो समय व ईंधन दोनों बचेंगे। यहां यह कहना चाहता हूं कि मानकों के आधार पर सड़क नहीं बनती है। कालियासौड़-सेराबगड़ में सुरंग का निर्माण होना चाहिए, जिससे वह सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। भूटान में दंतक द्वारा सड़क बनाई जाती है, वहां भी हमारे देश का बी.आर.ओ. सड़क बनाता है लेकिन वहां सड़के ए-वन क्वालिटी की बनती है और हमारे यहां सड़कों की गुणवत्ता में कमी रहती है। विशेषकर पर्वतीय राज्यों में सड़कों का निर्माण ज्यादा मुश्किल है। पर्वतीय मार्गो को ज्यादा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है परंतु ब्लाइंड मोड़ों को चौड़ा किया जा सकता है पुलियों की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। पानी की सड़कों से निकासी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नालियां न होने के कारण सड़कों पर पानी रुकता है और सड़कों को क्षतिग्रस्त करता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ही बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मार्गो पर नालियां न होने के कारण पानी की निकासी नहीं होती है।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों का रि-एलाईमेंट करें एवं नालियों की व्यवस्था करें, जिससे समय व ईंधन दोनों की बचत हो सके।

(सात) देश के विद्यालय परिसरों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अरूण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन हैं, क्योंकि वे हमारे भविष्य के नेता हैं। हम आज उन्हें क्या दे रहे हैं, उस पर हमारा कल निर्भर करता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इसलिए, बच्चों के विकास पर निवेश करना किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्कूली बच्चे सामान्य भोजन के स्थान पर जंक फूड खा रहे हैं। वेफर्स, कोला, पिज्जा, चॉकलेट और बर्गर आम जंक फूड हैं। इनका ना केवल शरीर पर बल्कि बच्चे के मस्तिष्क और व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें वसा एवं शुगर की मात्रा काफी होती है; जिससे वजन और मोटापा बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में मधुमेह, हृदयरोग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। आजकल कम होती शारीरिक गतिविधियों के कारण ये अस्वास्थ्यकारी स्नैक्स समस्या को और भी बढ़ा देते हैं तथा वसा की परतों के जमा होने का कारण बनते हैं।

अभिभावकों को बच्चे के खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा अपने अभिभावकों से दूर हो, स्कूल को एक अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए तथा वह काम करना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अच्छा हो। जबकि अभिभावक विद्यार्थियों के खाने को देखने के लिए वहां उपस्थित नहीं होते हैं इसलिए स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस भोजन में जंक फूड शामिल ना हो बल्कि उसमें राजमा चावल, चपाती, फल तथा उबले अंडे आदि परंपरागत भोजन उपलब्ध हो।

इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि स्कूल परिसरों में जंक फूड को प्रतिबन्धित किया जाए क्योंकि हमारे देश का भविष्य हमारे स्कूलों में पनप रहा है।

(आठ) गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहमदाबाद-हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा खंड पर समपार संख्या 121ग को खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात), जो कि आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है तथा देश की आजादी के 64 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास की दौड़ में काफी बिछड़ा एवं पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में इतने वर्षों बाद भी रेल परिवहन का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए रेल खास उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है।

इस क्षेत्र की वर्तमान में एक बड़ी ही गंभीर समस्या यह है कि पश्चिम रेलवे-विभाग के अहमदाबाद-हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा प्रखंड के मध्य में स्थित मानवरहित समपार नं. 121 सी जो कि पिछले 50 से ज्यादा सालों से स्थित है

तथा इस क्षेत्र के केशरगंज इत्यादि पांच-छः गांवों के लोगों, विशेषकर किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी था। इस समपार को रेल विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों के विश्वास में लिए बगैर तथा उसका विकल्प दिए बिना सिर्फ कम यातायात का बहाना बनाकर बंद कर दिया है।

इसी समपार को खुलवाने हेतु अभी एक जन आंदोलन हुआ। उस वक्त रेल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि हम यह जरूरी फाटक खोल देंगे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी संदर्भ में हमने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भी ईंट की थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर आपके जिला कलेक्टर समपार खोलने की मांग करेंगे तो हम खोल देंगे। बाद में जिला कलेक्टर ने भी 121 सी समपार को खोलने की मांग की लेकिन फिर भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला तथा अभी भी यहां के क्षेत्रवासी समपार बंद होने की वजह परेशान हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त समपार के आसपास के निवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए संबंधित रेल अधिकारियों को समपार को खोलने हेतु निर्देशित करें।

(नौ) गोवा में आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को गिराए जाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चौड़ा किए जाने संबंधी कार्य को रोके जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): गोवा स्थित एन.एच.-4 तथा एन.एच.-17 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा नए राजमार्ग एन.एच.-4ए को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है। इसका मोलेम से पणजी तक का सर्वे आदि भी किया गया है। यह सर्वे करने से पहले अथॉरिटी ने राज्य सरकार अथवा अन्य किसी भी सरकारी एजेंसी को विश्वास में नहीं लिया। पूर्व में इस राजमार्ग की चौड़ाई 45 मीटर रखने का प्रस्ताव था जिसके कारण फोंडा से पणजी तक के सैकड़ों मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि टूटने के कगार पर आ गए थे। किन्तु सरकार ने अब इसकी चौड़ाई 45 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र के हजारों मकानों के टूटने की संभावना है तथा लोगों के बेघर होने की संभावना है। जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

इस राजमार्ग के बनने से हजारों लोगों के बेघर होने की संभावना को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त दोनों राजमार्गों को जोड़ने के लिए जो राजमार्ग एन.एच.-4ए का चौड़ाईकरण किया जा रहा है उसके लिए किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाए जैसे फोंडा सिटी आने से पहले ही फोंडा से वेर्णा तक नया रास्ता बनाकर उक्त दोनों राजमार्गों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य विकल्प मौजूद है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए राजमार्ग बनाने के कार्य को तुरंत रोककर अन्य विकल्प पर विचार कर उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-4ए का चौड़ाईकरण किया जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश, मेरठ में सोफीपुर फायरिंग रेंज के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सेना की सोफीपुर फायरिंग रेंज स्थित है। यह रेंज ब्रिटिश काल में बनाई गई थी जिसका हर तीसरे वर्ष नवीनीकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उक्त रेंज में मेरठ कैन्ट के सैनिक तथा मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर व मुरादाबाद आदि जिलों के एन.सी.सी. कैडेट्स को फायरिंग व गोला दागने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में सोफीपुर, ललसाना, मामेपुर व उल्देपुर आदि गांव जिनकी जमीन रेंज में शामिल है, की आबादी बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप उक्त रेंज आबादी के काफी नजदीक आ गई है। विगत वर्षों के दौरान सोफीपुर फायरिंग रेंज पर युद्धाभ्यास के दौरान गोलीबारी से हुकुम सिंह नामक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है तथा अनेक व्यक्ति घायल होते रहे हैं। रेंज के आसपास के गांवों में दुर्घटना होने की आशंका बने रहने के कारण किसान अपने खेतों पर कृषि कार्य हेतु भी नहीं जा पा रहे हैं।

ग्रामीणों की मांग है कि उक्त रेंज के अधीन निर्मित तीनों बट्स को सुरक्षा के लिहाज से ऊंचा करा दिया जाए तथा तीनों रेंजों को पोखरन व महाजन रेंजों की भांति बफर रेंजों में परिवर्तित कर दिया जाए। ग्रामीणों की यह भी मांग है कि ब्रिटिश काल में घोषित डेंजर जोन को रिव्यू भी किया जाए उस समय उक्त डेंजर जोन तोप के गोलों से फायर करने की आवश्यकताओं को ध्यान में

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

रखकर बनाया गया था जबकि वर्तमान में केवल स्माल आर्म्स फायरिंग होती है तथा उस समय निर्मित 9 में से 6 बटस वर्तमान में बंद भी हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में लगभग 800 एकड़ जमीन में डेंजर जोन बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

मेरा अनुरोध है कि सोफीपुर रेंज के मामले में ग्रामीणें की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें तथा रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के गरहा, जबलपुर में केन्द्रीय विद्यालय को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर की आबादी 20 लाख के करीब है और सेना तथा आयुध निर्माण उत्पादन की पांच बड़ी इकाइयों सहित अनेकों केन्द्रीय शासन के कार्यालय है जसके कारण नए केन्द्रीय विद्यालय की मांग वर्षों से बनी हुई है। अनेकों बार मांग करने के बाद यहां के उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना मंजूर हुआ। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अस्थायी तौर पर यहां की एक शासकीय शाला के छः कमरों में नए केन्द्रीय विद्यालय को शुरू तो कर दिया गया किंतु शाला भवन न होने के कारण विगत दो वर्षों से इस विद्यालय में छात्रों को प्रवेश देना बंद कर दिया गया है। विद्यालय का सुचारु रूप से संचालन हो सके इसकी स्थायी व्यवस्था के लिए नए भवन के निर्माण हेतु राज्य शासन ने भूमि भी उपलब्ध करा दी है। किन्तु आज चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इस शाला के लिए नए भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। केन्द्र द्वारा इसके लिए चिन्हित भूमि के विवादित होने का कारण बताया जा रहा है। महोदया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भूमि को विवादित बताया जा रहा है वह कुल भूमि का मात्र एक छोटा भाग है जबकि शेष भू-भाग गैर-विवादित है जिस पर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इस अनदेखी के कारण जिन छात्रों को प्रारंभ में प्रवेश दिया गया है उनका भविष्य अधर में है। साथ ही ऐसे छात्र जो दूरी के कारण अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। अपने क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खुलने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

मेरा आग्रह है कि केन्द्र शासन इस दिशा में सार्थक कदम उठाये और बंद किए गए प्रवेश को शुरू करे साथ ही राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि पर शीघ्र ही नए शाला भवन का निर्माण कराए ताकि क्षेत्रीय विद्यार्थियों को इस विद्यालय में प्रवेश मिल सके।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघा मिल को फिर से चालू किए जाने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): मेरा संसदीय क्षेत्र क्षेत्र मिसरिख अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है और काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की संडीला तहसील में कताई की मिल थी, जो पिछले काफी समय से बंद पड़ी हुई है। इस मिल के अभी तक चालू न होने के कारण श्रमिक बेकार हो गए हैं और उनकी जीविका का सहारा छूट गया है। उनके परिवार अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है तथा भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं मेरे क्षेत्र के लोगों द्वारा इस कताई मिल को पुनः चालू करवाए जाने हेतु पिछले काफी समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

मेरा अनुरोध है कि मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत संडीला में बंद पड़ी कताई मिल का पुनः चालू कराए जाने हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकार को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर उक्त बंद पड़ी मिल को चालू कराने का प्रयत्न करे, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिल सके।

(तेरह) बिहार, गोपालगंज में दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली अप्रोच रोड की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार के गोपालगंज के दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन के सरकूलेटिंग रोड रेलवे की है तथा लगभग दस वर्षों से खराब है। उस सड़क से आने-जाने वाले यात्रियों को काफी कष्ट होता है। दिघवा दुबौली स्टेशन आने-जाने के लिए मात्र यही एक सड़क है।

मैं माननीय मंत्री रेलवे से मांग करता हूं कि जनहित में यात्रियों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पथ को यात्रियों के आने-जाने के लिए शीघ्र मरम्मत करावें।

(चौदह) तमिलनाडु राज्य को केन्द्रीय पूल से और अधिक बिजली आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुवन्नामलाई): महोदय हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन के लिए बिजली आवश्यक हे। देश की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, बिजली उत्पादन ना केवल राज्य सरकार, बल्कि केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल के दौरान तमिलनाडु में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किये। लेकिन केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जरूरी सहयोग नहीं दिया। पावरग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायसंगत विकास के लिये सभी राज्यों को बराबर विद्युत वितरण करना है। भारत सरकार को उन राज्यों को सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए जहां बिजली उत्पादन तथा पारेषण लाइनें स्थापित करने की सम्भावना केन्द्र सरकार को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ कार्य योजना बनानी चाहिए। वर्तमान में, निजी कंपनियों, जो केवल विद्युत वितरण कर रही हैं, का इस क्षेत्र में प्रभुत्व है। तमिलनाडु में, मांग और आपूर्ति में लगभग 30 प्रतिशत का अंतर है। इससे चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण राज्य में बहुत सी औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप, औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलो बेल्लोर और तिरुवन्नामलाई बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साथ ही इससे कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

इसलिए भारत सरकार को तमिलनाडु राज्य को केन्द्रीय पूल/ग्रिड से अधिक बिजली देने हेतु कदम उठाने चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके तथा राज्य के आर्थिक विकास में सहायता हो। मैं भारत सरकार से प्रभावित किसानों तथा कृषि मजदूरों को मुआवजा देने का भी अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) ओडिशा के बोलांगीर जिले में बडमाल स्थित आयुध निर्माणी में पिनाक रॉकेट यूनिट की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलांगीर): आयुध निर्माणी बड़माल (ओ.एफ.बी.एल.) आंडिशा के बोलांगीर जिले में 12,200 एकड़ में फैली हुई है। वर्तमान में ओ.एफ.बी.एल. द्वारा लगभग 800 एकड़ भूमि प्रयोग में लाई जा रही है जिसमें 2360 एकड़ आवासीय क्षेत्र, 1770 एकड़ संरक्षित वन और 1539 एकड़ में डेडिकेटेड डूमरबहल जलाशय जो प्रतिदिन 60 लाख गैलन पानी की आपूर्ति कर सकता है, शामिल है। इस तरह से ओ.एफ.बी.एल. के पास 4000 एकड़ भूमि है जिसमें से 1900 एकड़ एक साथ उपलब्ध है।

आयुध निर्माणी बोर्ड का पिनाका रॉकेट इकाई स्थपित करने का पस्ताव है और एक समिति ने ओ.एफ.बी.एल का दौरा करके स्थान के बारे में संतोष व्यक्त किया।

के.बी.के. क्षेत्र देश के सबसे गरीब इलाकों में से है, जहां 71 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बहुत सीमित हैं। वर्तमान में ओ.एफ.बी.एल. ने 4000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, और यदि प्रस्तावित पिनाका रॉकेट इकाई को ओ.एफ.बी.एल. में स्थापित किया जाता है तो 2500 और लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

(सोलह) पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर रेलवे के पश्चिमी भाग में रेल बुकिंग काउंटर खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): मिदनापुर कस्बा पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले का जिला मुख्यालय है और मिदनापुर रेलवे स्टेशन देश के इस हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हजारों यात्री जिनमें कार्यालय जाने वाले, विद्यार्थी तथा अन्य लोग शामिल हैं रोजाना इस स्टेशन से यात्रा करते हैं। बडी संख्या में शैक्षणिक संस्थान जैसे उच्च माध्यमिक स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि आई.आई.टी. खड़गपुर विभिन्न सरकारी कार्यालय मिदनापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम की तरफ स्थित है।

क्योंकि पश्चिम की तरफ कोई टिकट घर नहीं है, इसलिए काफी संख्या में यात्रियों को टिकट खरीदने के लिये पूर्व की तरफ आना पड़ता है और फिर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिये दोबारा पश्चिम की तरफ जाना पड़ता है। यदि स्टेशन के पश्चिम की तरु एक टिकट घर हो तो यात्रियों की परेशानी कम हो जायेगी।

इसलिए मेरा रेल मंत्री से यह अनुरोध है कि वे रेल यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिये मिदनापुर रेलवे स्टेशन की पश्चिम की तरफ नये टिकट काउन्टर खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

अपराह्न 12.05 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जाएगी।

श्री जसवंत सिंह।

श्री जसवंत सिंह (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदया, संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

मैं बहुत थोड़े में अपनी बात कह दूंगा, अध्यक्षा जी, क्योंकि मैं समझता हूं कि संसद् का भाव भी अभी जल्दी-जल्दी काम को निपटाने का है, आगे चलने का है। चन्द दिनों में संवत्सरी का अवसर है, शायद उस दिन मुझे सबसे इस प्रकार मिलने का सौभाग्य प्राप्त न हो।

देश अभी एक परीक्षा पर्व से गुजरा है। नव-वर्ष लगेगा, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस परीक्षा पर्व से उत्तीर्ण हो, सफलता मिले और आने वाले दिन भी अच्छे रहें। मेरे सिर्फ 2-3 पाइंट्स हैं। एक अभी सवेरे मेरे काबिल दोस्त यशवन्त जी ने और अन्य दोस्तों ने उस मसले को उठाया। मैं उसको नहीं दोहरा रहा, पर प्रधानमंत्री जी से अवश्य कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, कई बार ऐसा अखबारों में पढ़ने को आता है कि नवजात शिशु नाले के किनारे पाया गया।

मेरी आपसे अर्ज है कि रेल बजट कहीं ऐसा ही नवजात शिशु न हो जाए, जो किसी नाले के किनारे पड़ा है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री जी यह इसलिए है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मातृत्व एक सुस्थापित सत्य है जबकि पितृत्व के संबंध में सदैव संदेह रहता है। इसलिए रेल बजट एक अनाथ बच्चे की तरह न हो जाए।

मैं आम बजट पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। *[हिन्दी]* मेरे काबिल दोस्त यशवंत जी उस पर चर्चा करेंगे। मुझे सिर्फ दो बातें अर्ज करनी हैं, काबिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, गुस्ताखी माफ करें, *[अनुवाद]* आप बहुत विद्वान हैं और पेशे से शिक्षक हैं। मैं एक अशिक्षित व्यक्ति हूं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं रेगिस्तानी क्षेत्र से हूं महोदय, क्या मैं आपसे पोलोनियस के बारे में आपके द्वारा दिए संदर्भ की फिर से जांच करने का अनुराध कर सकता हूं। आपने यह कहते हुए हैमलेट का उद्धारण दिया है "मुझे दयालु लोगों के प्रति निर्दयी बनना पड़ता है।" हैमलेट गलतफहमी का शिकार होकर यह सोचते हुए कि उसका चाचा उसे मारने आया है, पोलोनियस को तलवार से मार देता है। इससे बेहतर एक पोलिनियस के बारे में संदर्भ है जो मैं नम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अपने पुत्र से विदा लेते समय उसने यह कहा था "ध्यान रखना न उधार लो और न उधार दो।" अब वित्त मंत्री जी मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो उद्धरण दिया है उसकी अपेक्षा शेक्सपियर का यह उद्धारण बेहतर है।

[हिन्दी]

वह दूसरी बात है। मैंने आपका एक जिक्र अखबार में पढ़ा कि फिसकल डेफीसिट को देखकर आपको रात को नींद नहीं आती है। मुझे इसको पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप गलती से नींद की गोलियां की दवाई वगैरह मत लेने लग जाना, फिसकल डेफीसिट तो अभी भी होते रहते हैं। जो हम इलाज करते हैं, उसका जरा एक-दो बार आजमाकर देखिए। आप हमारी बात नहीं मानते, तो मेरे दोस्त शत्रुघ्न जी से पूछ लीजिए। आप अच्छी तरह से चलाएं और आप सफल हों यह हमारी मंशा है। हम यह चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता में मुल्क की सफलता है।

प्रधानमंत्री ज़ी से मैं निवेदन करना चाहूंगा,

[अनुवाद]

माननीय प्रधानमंत्री जी हम आपके राजनैतिक शत्रु नहीं है जैसा कि एक अवसर पर हाउस ऑफ कामन्स में कहा गया था, "हम आपके राजनैतिक प्रतिद्वन्दी हैं। महोदय, आपके राजनैतिक या अन्य शत्रु आपके पीछे और आपके आस-पास बैठे हुए हैं। यदि आप ध्यान देना चाहते हैं तो इस बात पर ध्यान दें।

[हिन्दी]

मेरी वजीर-ए-आजम साहब से एक और अर्ज है। ऐसा मैंने पढ़ा, आप राष्ट्रपति भवन या कहीं और पधारे हुए थे, तब अखबार वालों ने आपसे पूछा, अखबार वाले अक्सर ऐसा ही करते हैं, बड़े ऊट-पटांग से सवाल पूछ लिया करते हैं, तो उन्होंने आपसे पूछा कि आपके पास नंबर हैं या नहीं? आपने कहा कि "हमारे पास संख्या है।" मेरी आपसे एक अर्ज है, यह वाकया हम पहले भी देख चुके हैं, इसी राष्ट्रपति भवन में, आपको शायद जरूर याद होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।...*(व्यवधान)*...

श्री शरद यादव (मधेपुरा): जसवंत जी, आप एक ट्रैक पर चलिए। आप अंग्रेजी में भी जा रहे हैं और हिन्दी में भी जा रहे हैं, तो मुश्किल हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: अब मैं हिन्दी में ही बोलूंगा। कुछ हिन्दी में बोलूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक-दो अंग्रेजी में अर्ज करनी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति भवन से एक बार ऐलान हुआ था, "हमारे पास 272 सदस्य हैं और अन्य सदस्य भी समर्थन देना चाहते हैं।" कहीं आप यह गफलत तो नहीं कर रहे हैं। यह सवाल नंबर्स का नहीं है, यह सवाल इकबाल का है। मेरा आप से अर्ज है कि आज के दिन वाकई में देश के इकबाल का सवाल है। अगर आज हम किसी बात की चिंता ले कर चलते हैं तो देश के इकबाल और इज्जत की लेकर चलते हैं। इसलिए शुरू में अर्ज किया था कि संवत श्री का पर्व है। जो परीक्षा पर्व देश का है वह समाप्त हो चुका है। हम चाहते हैं कि आप सफल हों।

[अनुवाद]

हम चाहते हैं कि आपको सफलता मिले क्योंकि आपकी सफलता में ही देश की सफलता है। और मैंने यही कहा है।

[हिन्दी]

मेरे दो पार्ट और हैं। पहला, डेजर्ट नेशनल पार्क। मैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बिल्कुल छोर पर रहने वाला हूं।...*(व्यवधान)* मैं डेजर्ट नेशनल पार्क का अनुवाद क्या करूं? रेगिस्तान में उद्यान तो नहीं होता है। इसलिए डेजर्ट नेशनल पार्क ही कहना पड़ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: *सुषमा जी,* मरुस्थल में उद्यान कहां से आएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: हम लगाएंगे। वह आएगा। आपके कार्यक्रम से आएगा।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: वहां बाईस गांव हैं। सरकार से मेरी अर्ज है कि बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके के बाईस गांव हैं। अब इन बाईस गांवों में कुंए से पानी निकालने के लिए आप बिजली नहीं देते हैं। आप कहेंगे यह राज्य सरकार का काम है। हम कहां से दें?...*(व्यवधान)* शत्रुघ्न जी, मैंने आप के गैरहाजिरी में आपका रेफरेन्स कर दिया है...*(व्यवधान)* आप कहेंगे यह सरकार का काम है। मेरी आप से अर्ज है कि उन बाईस गांवों में, मेरा घर, मेरा गांव उसके छोर पर है, मैंने अपना बचपन वहां बिताया है, हम कुओं से पानी नहीं निकाल पायेंगे तो क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं?

[अनुवाद]

मेरा अगला और अंतिम मुद्दा गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के बारे में है, महोदया, बिना किसी आपत्ति के मैं स्पष्ट रूप से सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री और उसके बाद माननीय गृह मंत्री और तत्पश्चात उनके पूर्व सहायक श्री माकन जी 'जो कि उनके पीछे बैठे हुए हैं को और सरकार को गोरखा संबंधी मुद्दे पर समर्थन देने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन की स्थापना करने के लिए तृणमूल के नेतृत्व को भी बधाई देना चाहता हूं। यह सामरीक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है जो कि बंगाल में तृणमूल सरकार की तत्परता और कार्यकुशलता को दर्शाता है। मैं ममता जी, केन्द्रीय गृहमंत्री, श्री चिदम्बरम जी, और उनके कुशल राज्य मंत्रियों, श्री माकन साहिब और वित्त मंत्री जी को इस संबंध में दिए गए समर्थन पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

मैं गोरखालैंड के बारे में दो या तीन अनुरोध करना चाहता हूं। यह क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पूरी सभा को इसका समर्थन करना चाहिए। संयोग से दार्जिलिंग जिला जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे नेता आडवाणी जी और दार्जिलिंग के गोरखा लोगों के

[श्री जसवंत सिंह]

आग्रह के कारण यह देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा चार अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है कृपया इस क्षेत्र के महत्व को पहचानिए।

प्रादेशिक प्रशासन, गोरखालैंड के गठन की दिशा में पहला कदम है, परन्तु वे सीधे गोरखालैंड नहीं बना सकते। अत: गोरखालैंड प्रशासन की स्थापना की जाए। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है मानो यह चिकन की नैक पर स्थित हो और जैसा कि मैंने एक बार बंगाल के वर्तमान राज्यपाल से भी यही कहा था, यह न केवल नैक पर स्थित है बल्कि यह चिकन नैक की ग्रासनली पर स्थित है। यह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसका विकास किया जाना चाहिए। अत: वित्त मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि संलग्न क्षेत्रों को महत्व दें जहां बड़ी संख्या गोरखा लोग रहते हैं। मेरा तृणमूल कांग्रेस से भी अनुरोध है कि यदि संलग्न क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन किया जाता है तो उस समिति के तर्क को स्वीकार किया जाए। संलग्न क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए और तत्पश्चात उन्हें शामिल किया जाए।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): यदि मुझे कुछ समय बोलने का अवसर दिया जाए तो मैं आपको यह जानकारी दे सकता हूं कि पूर्व मुख्य न्यायधीश और बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जस्टिस श्यामल सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका हैं। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और माननीय गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि किस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। नवीनतम कदम गोरखालैंड प्रादेशिक अधिनियम (जी.टी.ए.) हैं; पहले यह दार्जिलिंग गोरखा टिप्स परिषद (डी.जी.एच.सी.) था और अब इसे बदलकर जी.टी.ए. कर दिया गया है। अत:, हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी की पहल पर गृह मंत्रालय ने इस निर्णय का अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने दार्जिलिंग का दौरा किया था। वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लोगों ने इस विचार का समर्थन किया। इससे कथित रूप से कुछ संदेह पैदा हुए हैं किंतु हम यह सोचते हैं कि बातचीत के माध्यम से इनका समाधान कर लिया जाएगा।

लोक सभा के सदस्य के रूप में आप उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अत: आप इस समस्या का समाधान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस और हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी हल्का हल तलाशने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि यदि सी.पी.आई.(एम.) रुकावट पैदा न करें तो इसका समाधान कर लिया जाएगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: गुरुदास दासगुप्त जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

हम इस विषय पर कोई व्यापक चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जसवंत सिंह जी क्या आप इनकी बात का जवाब देंगे? आप अपनी बात जारी रखिए। हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वह जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वह आपकी बात जवाब दे रहे हैं। क्या आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं? आप बोलिए। इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह: मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। जसवंत सिंह जी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मेरे लिए भी यह मुश्किल है...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जसवंत सिंह: यदि व्यवधान पैदा न किया जाए तो मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। कृपया मुझे दो मिनट दीजिए।

यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। उनमें से लगभग 175 हजार लोग फौज में है। मैं बंगाल के विभाजन का सुझाव नहीं दे रहा हूं। कृपया इस बात को स्वीकार कीजिए कि युनान ने हमारे लिए अगला द्वार खोला है*...(व्यवधान)*

मैं इसकी सिफारिश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक प्रतिनिधि हूं; आप वहां रह रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें और अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जसवंत सिंह: एक और मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदया: मेरे विचार से समय बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जसवंत सिंह: मेरा अनुरोध माननीय ग्रह मंत्री जी से है*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: थोड़ा सा शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कुछ गोरखा लोगों को जनजाति का दर्जा दिया गया है। अन्य को नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री इस मामले को बहुत संवेदनशीलता और समझदारी से संभालेंगे। मेरा उनसे और सरकार से यह अनुरोध है कि गोरखा लोगों को जनजाति और गैर जनजाति वर्गों में न बांटा जाए क्योंकि यदि उनमें से कुछ जनजाति वर्ग में हैं तो शेष भी जनजातियां ही हैं। इससे एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।

मेरा अंतिम अनुरोध माननीय वित्त मंत्री जी से है। मुझे सभी वित्त मंत्रियों की समस्याओं की जानकारी है। मुझे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार की भी जानकारी है परन्तु, इस बात को समझिए कि दार्जिलिंग 30 वर्षों तक परेशानियों का सामना करने के बाद फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए उन्हें धनराशि की आवश्यकता है। कृपया इस पर सहानुभूतिपूर्वक विस्तार कीजिए।

अंत में क्योंकि *[हिन्दी]*

यहां मैंने देखा स्पीकर साहिबा, आजकल यहां शेर-ओ-शायरी बहुत चलती है।*...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): शेर-ओ-शायरी वाले गए। उनकी छुट्टी हो गई।*...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: वो त्रिवेदी जी थे।*...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: मैं नहीं जानता कि अभी बदायूं के कौन रिप्रैजेंटेटिव हैं, लेकिन बदायूं के एक शायद फानी थे। फानी का एक शेर है प्रधान मंत्री जी के लिए -

देश 'फानी' वो तेरी तकदीर की मैय्यत न हो,

जा रहा है इक जनाजा दौश पर तकदीर के।

***श्री नवीन जिन्दल** (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय डॉ. गिरिजा व्यास जी द्वारा पेश किए गए तथा डॉ. शशी थरूर द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा डॉ. व्यास ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण देश की विभिन्न दिशाओं में वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करके सरकार द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे तथा आने वाले वर्ष में किए जा रहे प्रयासों का विवरण है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

इनमें न किसी घटनाक्रम को छिपाने का प्रयत्न है तथा न ही वस्तुस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर रखने की अनावश्यक कोशिश की गई है। इससे पहले कि मैं इस अभिभाषण में की गई बातों का उल्लेख करूं तथा उन पर अपने विचार रखूं, अनुभव के आधार पर जो मेरी एक धारणा बनी है, वह मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं।

इस वर्ष भारत की संसद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तथा हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत में संसदीय संस्थाओं एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं का लगातार विकास हो रहा है। इन संस्थाओं की जड़ें भारत में मजबूत हुए हैं तथा जनता जनार्दन की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में आस्था बढ़ी है। भारत में संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार है, निष्पक्ष न्यायप्रणाली है, व्यवस्थित कार्यपालिका है तथा पूर्णत: स्वतंत्र मीडिया तंत्र है। हर व्यक्ति एवं संस्था को बिना किसी भेदभाव के भारतीय संविधान के प्रति कटिबद्ध रहकर अपने विचार व्यक्त करने की तथा अपना विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अभी पांच राज्यों में मतदाताओं ने अपने मत का अपने प्रदेशों की सरकार बनाने का प्रयोग किया है। यह गर्व की बात है कि इतने बड़े स्तर पर भारत के लगभग एक चौथाई मतदाताओं ने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग किया है।

इतने बड़े चुनाव को शांतिप्रिय ढंग से करवाने के लिए मैं भारत के निर्वाचन आयोग तथा शासकीय व्यवस्था को बधाई देना चाहता हूं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आम भारतीय मतदाता का विश्वास जनतांत्रिक प्रणाली में और मजबूत हुआ है।

यह भी हर्ष का विषय है कि इन चुनावों मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और इन्हीं प्रदेशों में पहले की अपेक्षा डाले गए मतों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। हमारे आसपास के देशों में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, उसके मुकाबले हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता व परस्पर विश्वास का वातावरण है। यह हम सबके लिए हर्ष तथा गौरव का विषय है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, उसमें यह स्वीकार किया गया है कि 2010-11 में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.4 फीसदी थी, लेकिन वह इस वर्ष घटकर 7 फीसदी हो गई है। इस अभिभाषण में यह विश्वास दिलाया गया हैं कि इस विषय में उठाए जा रहे सकारात्मक सुधारों व योजनाओं के द्वारा देश की आर्थिक विकास दर पुन: 8-9 फीसदी पर आ जायेगी। जहां कई पाश्चात्य देशों में तथा यूरोप के देशों में मेदी फैली हुई है और उनकी विकास दर दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है।

यह हमारे नीति निर्धारकों तथा भारत नेतृत्व तथा जनता की मूलभूत सुदृढ़ सोच का फल है कि हमारे विशाल देश में उस मंदी और कमी का असर कम से कम हुआ है तथा अभी भी हमारी विकास दर एक अच्छे स्तर पर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद के हर वर्ग द्वारा सरकार को हर प्रकार का सहयोग मिलेगा तथा देश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

खाद्यान्न उत्पादन, वितरण तथा कुपोषण उन्मूलन व लिंगानुपात समस्या दूसरी ज्वलंत समस्या जो देश के सामने मुंह खोले खड़ी है, वह है भुखमरी, कुपोषण तथा लिंगानुपात। हमारी आबादी 120 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अभी हाल ही में प्रकाशित आंकडों के आधार पर लगभग 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। 2011 में हुई जनगणना के आधार पर 1000 बालकों के अनुपात में 0 से 6 साल की आयु तक केवल 914 बालिकाएं हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह अनुपात सबसे कम है जो गंभीर चिंता का विषय है और इस दिशा में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शीघ्रताशीघ्र उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

मेरा सुझाव है कि भ्रूण हत्या करने वाले के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस दिशा में जो भी नियम हैं, उनका सख्ती से अनुपालन किया जाए। यह भी उतना ही आवश्यक है कि लड़कियों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं चलाई जाएं, बाल विवाह पर पूर्णत: रोक लगे, तथा परिवार का आकार सीमित करने में मातृशक्ति का भी पूर्ण अधिकार हो।

2011 की जनगणना के आंकड़ों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि 90 वर्षों में पहली बार ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या अधिक अनुपात में बढ़ी है। इसके कई कारणों का उल्लेख माननीच राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में किया है। ग्रामीण क्षेत्र में उपयुक्त

जीविका साधनों का न होना, शिक्षा, स्वास्थ्य की तथा अन्य सुविधाओं का न होना इनके मुख्य कारण हैं। बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम है, जिससे ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में ही लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत काम ढूंढ़ने वालों के लिए तथा अपने छोटे व्यवसायों को शुरू करने के लिए सस्ते बयाज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाएं अन्य तकनीकी व प्रशासकीय सहायता आसानी से मिले, जिससे नगरों की तरफ जनता का पलायन रुके और हमारे देश के गांव अपने आप में एक समृद्ध इकाई के रूप में उभर सकें।

यहां पर एक और विषय पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है कि गांवों से शहर में हो रहे लगातार लोगों के पलायन से शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण वहां की आधारभूत संरचना व लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है।

पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन ने देश के महानगरों में लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने का सराहनीय कार्य किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में बताया है कि अब इस मिशन को देश के अन्य प्रथम श्रेणी और मध्यम नगरों में भी कार्यान्वित किया जाएगा। इस कदम से न केवल महानगरों पर दबाव कम होगा, बल्कि यह शहरीकरण के व्यापक प्रसार और विकास को भी सुनिश्चित करेगा।

बड़ी खुशी की बात है कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्दी ही आजीविका मिशन शुरू करने जा रही है, जो काम ढूंढ़ने के इच्छुक कारीगरों के लिए कौशल प्रदान करने की व्यवस्था तथा साधन उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रपति के भाषण में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता पद्धति के विकास हेतु समान सिद्धान्त और दिशा-निर्देश तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसायी शिक्षा योग्यता व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई है। मेरा यह मानना है कि इस व्यवस्था से आने वाले वर्षों में देश के युवाओं को कुशल एवं योग्य बनने के लिए बेहतरीन अवसर मिलेंगे।

यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष 2012-13 में 85 लाख लोगों को और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 1500 नए प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संख्याओं और 5000 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। निश्चित रूप से इस व्यवस्था के स्थापित हो जाने पर आने वाले वर्षों में युवाओं को कुशल एवं योग्य बनने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।

यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष 2012-13 में 85 लाख लोगों को और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 1500 नए प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और 5000 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। निश्चित रूप से इस व्यवस्था के स्थापित हो जाने पर आने वाले वर्षों में युवाओं के कुशल एवं योग्य बनने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।

इस अभिभाषण में भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा काले धन को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का भी उल्लेख है। मेरी मान्यता है कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सर्वप्रथम देश में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी की अत्यंत आवश्यकता है। 120 करोड़ की आबादी के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना अपने आप में एक विकराल समस्या है। बड़ी खुशी की बात है कि 12वीं पंचवर्षीय परियोजना में वर्तमान 2.5 फीसदी से 4 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है।

उचित उत्पादन के साथ-साथ उसके व्यवस्थित वितरण की व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है। हमारी सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले, उसके उत्पाद का उचित भंडारण हो सके, उन कारणों को समाप्त किया जाए जिनसे पैदा किए हुए अनाज की आवश्यक बर्बादी होती है। यह अति चिंता का विषय है कि एक तरफ एकत्रित अनाज सड़ता रहे, तथा जिनको उसकी आवश्यकता है, उन तक वह न पहुंच सके।

देश की आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद पर समय समय पर सदन में चर्चा हो चुकी है और उस चर्चा के आधार पर केन्द्रीय तथा राजकीय सरकार जो कदम उठा रही है, उनमें एक समन्वय होकर इन तत्वों को समाप्त करने की क्षमता आनी चाहिए। इसके लिए एक समन्वित

[श्री नवीन जिन्दल]

नीति की तथा उसके संपादन की आवश्यकता है। यदि किसी विषय को लागू करने से पूर्व चर्चा की आवश्यकता है, तो उसमें संकोच नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि हमारी सरकारें देशवासियों को एक भयमुक्त तथा उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण दे सकें।

मैं स्वयं एक खिलाड़ी हूं तथा देश में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण संचालन तथा खिलाड़ियों को अपने अपने क्षेत्र में विलक्षणता प्राप्त हो सके इसका पक्षधर हूं। मैं चाहता हूं कि हर खिलाड़ी को उचित प्रशिक्षण मिले, सुख-सुविधाएं मिलें ताकि न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह खेल के इतिहास में गौरवशाली प्रदर्शन कर सके। इस दिशा में समुचित धन सामग्री आवंटित की जाए। हो सके तो कॉरपोरेट सेक्टर को भी सरकार इसमें बराबर का भागीदार बनाए।

बहुत सारे अन्य विषय है, जिनकी ओर मैं समय के अभाव के कारण केवल संक्षेप में ही उनका उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे

- सरल कर प्रणाली तथा कर दाताओं को सुविधाएं
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं
- लाभ वंचित वनवासियों के लिए सुविधाएं
- कमजोर, असुरक्षित तबकों का विकास
- अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण
- किसानों को उर्वरक (खाद) की उचित उपलब्धता तथा सब्सिडी
- शहरी बेघर लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- पर्यटन उद्योग में रोजगार पैदा करना
- विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उपाय
- रेलवे का आधुनिकीकरण
- सड़कों के विकास को प्राथमिकता
- गैस उत्पादन में वृद्धि
- वैज्ञानिक व औद्योगिक उत्कृष्टता के जरिए सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन
- सेना के तीनों अंगों को आधुनिक व विकसित बनाने के लिए किए जा रहे उपाय

अतः मैं मेरा यह कहना है कि संयुक्त प्रगतिशील संगठन की सरकार (यू.पी.ए.) माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तथा कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्ग-निर्देशन में एवं युवा नेता श्री राहुल गांधी जी के अथक प्रयासों द्वारा भारत को एक सर्वांगीण व समग्र विकास की ओर निश्चित रूप से लेकर जाएंगे जिसमें हर भारतीय एक सामान्य सुख साधन सम्पन्न जीवन व्यतीत कर सकेगा, जिससे भारत विश्व में एक आर्थिक औद्योगिक व राजनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाएगा।

इन्हें शब्दों के साथ, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया तथा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय राष्ट्रपति जी को उनके ज्ञानवर्धक अभिभाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद करने हेतु तथा अपनी ओर से इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा हुई है जिसमें श्री जसवंत सिंह जी ने भी अपना योगदान दिया है। मैं चर्चा में भाग लेने के लिए दलों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के उद्देश्यों और उनके अनुपालन के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का खाता प्रस्तुत करने के साथ साथ अभिभाषण में उल्लेखित चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार के प्रयासों की भी चर्चा करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पैरा 10 में उन पांच महत्वपूर्ण चुनौतियों का जिक्र किया गया है जिनका सामना आज हमारा देश कर रहा है। वे हैं:-

(1) हमारी बहुसंख्यक आबादी के लिए आजीविका सुरक्षा हेतु प्रयास करना और अपने देश से गरीबी, भूख और निरक्षरता को समाप्त करने के कार्य में योगदान करना;

(2) अपने लोगों के लिए तीव्र और व्यापक विकास के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा हासिल करना; तथा देश के लोगों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना;

(3) अपने तीव्र विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(4) अपनी पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा को संकट में डाले बिना अपने विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना; और

(5) न्यायसंगत, बहुलवादों, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी विकास के ढांचे के भीतर अपनी आंतरिक और बाहरी सुरंक्षा की गारंटी देना।

महोदया, ये पांच चुनौतियां हैं जिनका सामना शेष ढाई वर्षों में हमारी सरकार को करना है।

जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो मेरे सहयोगी, माननीय वित्त मंत्री जी में आर्थिक सर्वेक्षण सभा पटल पर रख दिया है और आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति का व्यापक लेखाजोखा पेश करता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में हमारे सामने उपस्थिति चुनौतियों का भी जिक्र किया है। महोदया, इन सब विषयों पर अगले सप्ताह सामान्य बजट के दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसलिए, मैं देश की अथव्यवस्था पर विचार करते हुए संक्षेप में बात करूंगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सभी देशों के हालात अत्यंत कठिन हैं। वर्ष 2011-12 सभी देशों के लिए मुश्किलों भरा रहा है। हर जगह वैश्विक विकास में कमी आई है। 2011 में औद्योगिक देशों की वृद्धि दर केवल 1.6 प्रतिशत रही। जो कि पूर्व वर्ष की दर से आधी है। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के के दौर से गुजर रही है। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में घटनाओं से हाइड्रोजन के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई जिससे अन्य चीजों के साथ-साथ उर्वरकों और खाद्यान्नों के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसने हमारे भुगतान संतुलन पर भी दबाव डाला है।

महोदय, इस पृष्ठभूमि, में हमारी आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत रही है जो यद्यपि हमारी आशा से धीमी थी परन्तु इसे प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। निश्चय ही, हम इसे स्वीकार्य नहीं मान सकते। हमें अगले वर्ष इसे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और यथासंभव उच्च विकास मार्ग पर लौटना चाहिए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उचित मूल्यों में स्थिरता लाने के साथ साथ समावेशी विकास के अपने उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। महोदय, इसके लिए हमें इस सम्माननीय सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक वर्गों की राय को शामिल करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है यह एक ऐसा अवसर है जब हमें संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।

महोदया, 2008 से पहले पांच वर्षों तक इसने 9 प्रतिशत की दर से विकास किया और मैं मानता हूं कि हम विकास दर को पुनः प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि अनेक कठिन फैसलों पर हम सहमति बना सके। यदि हम उस उद्देश्य में सफल होते हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत विकसित होता रहे और हम अपने देश से गरीबी कम करने की आर्थिक क्षमता हासिल कर सकें तथा स्वास्थ्य; शिक्षा, कौशल विकास और स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विद्यमान अंतर को दूर कर सकें। श्री जसवंत सिंह ने पेयजल आपूर्ति की समस्या का जिक्र किया था। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि देश के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है...

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, अनेक सदस्यों ने हमारे समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं का जिक्र किया है और मैं उनसे सहमत हूं कि हमें विशेषरूप से असंतुलित विकास जिसको हमारी आबादी के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाता हूं कि हम इस महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान देंगे...*(व्यवधान)*

महोदया, बारहवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे इस वर्ष के मध्य में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) को प्रस्तुत किया जाएगा, आर्थिक तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के लिए विश्वसनीय कार्य-योजना निर्धारित करेगी। मैं विस्तार

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ. मनमोहन सिंह]

में नहीं जाना चाहता परन्तु माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा मार्ग सरल नहीं है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को भी समझेंगे कि हम जो कठिन फैसले लेते हैं वे इस तथ्य से और भी कठिन हो जाते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार है और हमें आम सहमति कायम रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार करनी होगी। वह रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद घटनाक्रम से इस प्रकार की चुनौतियां स्पष्ट रूप से सामने आती है। मैं इस मौके पर माननीय सदस्यों को नवीनतम स्थिति की जानकारी दे रहा हूं। महोदय, मुझे पिछली देर रात्रि में भी दिनेश त्रिवेदी से एक ई-मेल संदेश और उसके बाद एक औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर अपना त्यागपत्र दिया है।

मैं, श्री त्रिवेदी का त्यागपत्र स्वीकार कर लेने की सिफारिश के साथ इस पत्र को राष्ट्रपति जी को अग्रेसित कर रहा हूं। मुझे श्री त्रिवेदी के जाने पर खेद है। उन्होंने ऐसा रेल बजट पेश किया था जिसमें उनके पूर्ववर्ती रेल मंत्री द्वारा तैयार किए गए विजन 2020 को पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई थी। जल्दी ही नए रेल मंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। उनके पास हमारी रेल व्यवस्था को आधुनिकीकरण जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य आगे बढ़ाने की दायित्व होगा।

अध्यक्ष महोदया, हमारे जैसे विशाल और जटिल देश में और जहां हमारे देश के किसान श्रम-बल का 65 प्रतिशत हिस्सा हैं, यह अवश्यंभावी है कि संसद और सरकार को भारत में कृषि की स्थति के बारे में चिंता हो। माननीय सदस्यों के साथ साथ मंत्री द्वारा किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के प्रति दु:ख व्यक्त करता हूं।

मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम एक नये जोश के साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के किसी भी किसान को आत्महत्या जैसा गंभीर गदम उठाने के लिए मजबूर न होना पड़े।

हमारी सरकार ने कृषि के विकास, कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि में प्रौद्योगिकी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, उच्च प्राथमिकता देती है। इसी का परिणाम है कि विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर तीन प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक ऊंची रही। इस वर्ष 250 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है।

पिछले वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और खाद्य सुरक्षा मिशन ने कृषि के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में भरपूर योगदान दिया है। किंतु मैं यह नहीं कहूंगा कि और कुछ नहीं किया जा सकता। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हम कृषि के विकास पर और ध्यान देंगे क्योंकि किसानों का हित हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। यह हमारी प्राथमिकता होगी जिस पर हम पूरी मेहनत से कार्य करेंगे।

महोदय, देश में कीमतों की स्थिति का भी जिक्र किया गया था। मैं यह स्वीकार करता हूं कि पिछले दो वर्षों में कीमतों की वृद्धि एक समस्या बन गई है। सौभाग्य से ऐसे संकेत हैं कि कीमतें नियंत्रण में आ रही हैं परन्तु हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री जी के वित्तीय घाटा नियंत्रित करने के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यस्था में आ रहे बदलावों के कारण वर्ष 2008-09 में हमारा वित्तीय घाटा बढ़ गया था किंतु हमें आशा थी कि वर्ष 2011-12 में वित्तीय घाटे को कम करके उचित स्तर तक वापस ले आयेंगे। वित्त मंत्री में उस वर्ष के लिए 4.8 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया था। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय घाटा 5.9 प्रतिशत तक ऊपर जा सकता है। वित्त मंत्री जी ने हमारी सरकार से अगले वर्ष तक वित्तीय घाटे को कम करके 5.1 प्रतिशत तक लाने का वायदा किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री जी वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, वह भुगतान संतुलन के घाटे को भी यथोचित स्तर तक नियंत्रित करने में सफल रहे हैं क्योंकि मूल स्थिरता के साथ विकास के साथ-साथ मूल्यों में यथोचित स्थिरता लाना अनिवार्य है।

चूंकि इन सभी मुद्दों पर बजट के दौरान विस्तार से चर्चा की जाएगी अत: मैं इन मुद्दों को अधिक नहीं लगाऊंगा। तथापि, कुछ ऐसे मामले हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और इनमें से एक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एन.सी.टी.सी.) की स्थापना से संबंधित है। एन.सी.टी.सी. से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए श्री राजनाथ सिंह जी ने आतंकवाद की समस्या से निपटने में हमारी सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाये थे।

महोदया, आतंकवाद से निपटना और प्रभावपूर्ण ढंग से बामपंथी उग्रवाद से निपटना ये दो प्रमुख चुनौतियां हैं जो आज देश में विकास के लक्ष्यों विशेषकर मध्य भारत के क्षेत्रों में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिहाट, झारखंड राज्य बामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। यदि हमें अपने विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।

महोदया, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार अपने नागरिकों को पूर्णतया सुरक्षित जीवन दशाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए हर संभव कदम उठायेगी। वास्तव में एन.सी.टी.सी. की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह चिंता व्यकत की जा रही है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है और यह सुझाव दिया गया है कि इससे पूर्व की एन.सी.टी.सी. कार्य करना शुरू करे राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सबसे पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त मंत्री समूह की रिपोर्ट और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं तब से एन.सी.टी.सी. की स्थापना के प्रश्न पर विभिन्न यंत्रों पर विचार विमर्श किया गया है। 2001 में पहले से एक मल्टी-एजेंसी सेंटर एन.सी.टी.सी. की स्थापना भी की गई थी और मुख्यमंत्रियों की आंतरिक सुरक्षा संबंधी इसकी बैठकों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए परस्पर समन्वय बनाने के लिए सकेंद्रित और प्रभावी विचार-विमर्श की आवश्यकता पर चर्चा की गई। जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया है कि आदेश जारी होने के पश्चात अनेक मुख्य मंत्रियों ने चिंता व्यक्त की थी और मैंने उन्हें जवाब दिया है कि अगला कदम उठाने से पूर्व उनसे परामर्श किया जाएगा।

12 मार्च, 2012 को विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ परामर्श किया गया था। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक पहले 15 फरवरी 2012 को होनी थी लेकिन चुनावों के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। यह अब 16 अप्रैल 2012 को होनी है। इसलिए अगली कार्यवाही करने से पहले उचित और व्यापक परामर्श किया जाएगा।

महोदया, मेरे विचार से एन.सी.टी.सी. की संकल्पना और एन.सी.टी.सी. का कार्यकरण दो अलग मुद्दे हैं। इस बात पर सभी सहमत हैं कि एन.सी.टी.सी. की संकल्पना निरपवाद है। और एन.सी.टी.सी. के कार्यकरण के संबंध में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि विचार विमर्श और बातचीत के द्वारा इन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है और सहमति बनाई जा सकती है। इस दिशा में यह हमारा पूरी ईमानदारी से किया गया प्रयास होगा।

महोदया, चर्चा के दौरान उठाया गया दूसरा मुद्दा श्रीलंकाई तमिलों की स्थिति से संबंधित है। कुछ सदस्यों ने श्रीलंका की स्थिति के संबंध में चिन्ता जताई है। श्रीलंकाई तमिलों के कल्याण के संबंध में माननीय सदस्यों की चिन्ताओं और भावनाओं से केन्द्र सरकार पूर्णत: सहमत है। श्रीलंका में संघर्ष समाप्ति के बाद से हमारा ध्यान लगातार श्रीलंका के तमिल नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है। उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

14 मार्च को दिये गये विदेश मंत्री के स्वप्रेरित वक्तव्य में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों को रेखांकित किया गया है। श्रीलंका सरकार के साथ हमारे रचनात्मक समझौतों और हमारे वृहद कार्यक्रमों सहायता के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में स्थिति सामान्य नही है। श्रीलंका सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों के हटाने और श्रीलंका के उत्तरी प्रान्तों में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने से भी स्थिति में सुधार हुआ है। सदस्यों ने श्रीलंका में दीर्घकालिक संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन और जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 19वें सत्र में अमरीका द्वारा श्रीलंका में समाधान और उत्तरदायित्व के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रारूप प्रस्ताव संबंधी मुद्दे भी उठाए हैं। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार द्वारा तमिल समुदाय की शिकायतों के निवारण के लिए सुलह की यथोचित प्रक्रिया के अपनाए जाने पर बल दिया है। इस संबंध में हमने श्रीलंका सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की रिपोर्ट, जो कि श्रीलंकाई संसद के समक्ष रखी गयी है, में निहित सिफारिशों को लागू करने का आह्वान किया है। इनमें संघर्ष के दौरान पैदा हुए घावों को भरने तथा श्रीलंका में स्थायी शान्ति और सुलह की प्रक्रिया को कायम रखने के लिए बहुत से रचनात्मक उपाय शामिल किये गये हैं।

हमने श्रीलंकाई सरकार को कहा है कि वह श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को पूरी तरह लागू करने के लिए तमिल राष्ट्रीय गठबंधन सहित सभी दलों के साथ

[डॉ. मनमोहन सिंह]

व्यापक चर्चा के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने की अपनी वचनबद्धता का पालन करे ताकि सत्ता का उचित हस्तांतरण हो सके और समस्या का सही राष्ट्रीय समाधान किया जा सके। हम आशा करते हैं कि श्रीलंकाई सरकार इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए इस संबंध में स्पष्टता निर्णायक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उनके संपर्क में रहेंगे और उन्हं श्रीलेकाई तमिलों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ वार्ता आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे।

जहां तक जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 19वें सत्र में अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारूप प्रस्ताव का संबंध है, हमें अभी तक संकल्प का पाठ प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, मैं सभा को अंतिम विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के पक्षधर हैं। हमें आशा है कि इसमें हम श्रीलंका में तमिल समुदाय का भविष्य सुरक्षित करने उन्हें वहां समानता गौरव और न्याय प्रदान कराने तथा उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने के अपने उद्देश्य को पूरा कर पायेंगे।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): क्या आप प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया जारी रखें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, श्री जसवंत सिंह जी ने गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन का मुद्दा उठाया है। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने इस कठिन समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है इस परिणाम तक पहुंचने के लिए हम पश्चिम बंगाल सरकार के योगदान की सराहना करते हैं। मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी मुद्दे छूट गये हैं उनमें और स्थायी समाधान के लिए हम उसी रचनात्मक भावना के साथ काम करेंगे।

महोदया, मैं इस सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं एक बार पुन: अपनी ओर से तथा सभी सदस्यों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके इ ाानवर्धक अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा अब पूरी हो गयी है। इससे पहले कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूं, मैं यह सूचित करना चाहती हूं कि सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के क्रम संख्या को दर्शाने वाली पर्चियां श्रीमती सुषमा स्वराज, सर्वश्री भर्तृहरि महताब, शैलेन्द्र कुमार, अर्जुन चरण सेठी, गणेश सिंह, राजू शेट्टी, गुरुदास दासगुप्ता, बसुदेव आचार्य, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री शेख सैदुल हक द्वारा सभा पटल पर रख दी गयी थी। क्योंकि इस बारे में एक घोषणा 14 मार्च, 2012 को ही कर दी गई थी।

मुझे यह भी सूचित करना है कि संशोधन संख्या 1165 की पर्ची सर्वश्री गुरुदास दास गुप्ता और अर्जुन चरण सेठी एवं संशोधन संख्या 1279 के लिए श्री बसुदेव आचार्य, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री शेख, सैदुल हक द्वारा पटल पर रखी गयी थीं। संशोधन संख्या 1165 एवं 1279 एक जैसे हैं। सामान्यत: एक जैसे संशोधनों के संबंध में सूचना देने वाले सदस्यों के नाम मुद्रित सूची में सूचना प्राप्ति की तारीख और समय के अनुसार एक साथ रखे दिये जाते हैं। किन्तु समय के अभाव में ऐसा नहीं किया जा सका। यदि नामों को एक साथ रखा जाता तो श्री बसुदेव आचार्य का नाम सर्वश्री गुरुदास दासगुप्ता और अर्जुन चरण सेठी के नामों से ऊपर प्रदर्शित किया जाता।

इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान निर्देश सं. 42 की ओर भी आकृष्ट कराना चाहती हूं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है कि जब कार्य सूची में कई सदस्यों के नाम में रखा हुआ कोई प्रस्ताव, उन सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचना देने पर प्रस्तुत समझा जाये; तो उसे उस सदस्य द्वारा प्रस्तुत समझा जायेगा, जिसका नाम कार्य-सूची में पहले आता हो और यदि वह सभा में उपस्थित न हो या उसने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अपने अभिप्राय की सूचना न

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दी हो, तो दूसरे या तीसरे आदि सदस्य द्वारा, जो कि उपस्थित हो और केवल उसी सदस्य का नाम, यथास्थिति, उस प्रस्ताव, के प्रस्ताव के रूप में कार्यवाही में दिखाया जाएगा।

निर्देश 42 को देखते हुए संशोधन संख्या 1279, जोकि संशोधन संख्या 1165 के समरूप है, को श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया माना जाएगा। क्रम संख्या 1165 और 1279 पर प्रदर्शित पर्चियों, जो इस संशोधन के संदर्भ में अन्य सदस्यों द्वारा भेजी गयी थी, पर विचार नहीं किया जाएगा।

अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों को सभा के मतदान हेतु रख रही हूं। क्या मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान हेतु एक साथ रखूं?

कुछ माननीय सदस्य: नहीं।

अध्यक्ष महोदया: आप लोगों को इस पर आपत्ति है? ठीक है। श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं संशोधन (1) जो एक नंबर सूची में प्रकाशित है, प्रस्तुत करती हूं। सामान्यत: महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजे जाने वाला धन्यवाद प्रस्ताव संशोधनों के साथ पारित नहीं होता है लेकिन अगर परिस्थिति असमान्य हो जाय तो इस विधा का उपयोग करना पड़ता है। इस बार भी एक ऐसी असाधारण परिस्थिति निर्मित हुई है कि मुझे लोक सभा की नियमावली के नियम 18 का उपयोग करना पड़ रहा है। मैंने एक ही संशोधन पेश किया है, जो आपके सामने अभी प्रस्तुत किया है। हमारे संविधान का ढांचा कुछ बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। उन बुनियादी तत्वों की जब गणना की जाती है तो संघीय ढांचा प्रमुखता से आता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकानेक निर्णय देकर यह कहा है कि देश के बुनियादी तत्वों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यह सरकार जब से आई है, बार-बार अलग-अलग तरीके से देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही हा, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है।...*(व्यवधान)* हमने अलग से चर्चा मांगी है।...*(व्यवधान)* हमने केन्द्र राज्य संबंधों पर अलग से चर्चा मांगी है। बी.ए.सी. में चर्चा तय भी हो गई है इसलिए उन तमाम उदाहरणों और प्रसंगों को हमारी तरफ से उस समय प्रस्तुत किया जाएगा जब केन्द्र राज्य संबंधों पर चर्चा करेंगे। आज मैं चर्चा का फलक लंबा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे केवल संशोधन पर बोलना है। मैं अपनी बात संशोधन तक ही सीमित रखूंगी और कहूंगी कि एन.सी.टी.सी. कर गठन इस सरकार की एक ताजा मिसाल है जिसने संघीय ढांचे पर प्रहार किया है। मेरे पास 3 फरवरी, 2012 का आर्डर है जिसमें संविधान की धारा 73 से शक्तियां लेते हुए इस सरकार ने एक आफिस मेमोरेंडम जारी किया, इसको कहा गया-

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केन्द्र (संगठन कार्य, शक्तियां और दायित्व) आदेश, 2012"।

[हिन्दी]

मैं केवल इसका 3.1 और 3.2 एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना चाहती हूं।

[अनुवाद]

"पैरा 3.1 और 3.2: एन.सी.टी.सी. के निदेशक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2(ई) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट होंगे। एन.सी.टी.सी. के परिचालन खण्ड के अधिकारियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43ए के तहत गिरफ्तार करने और तलाशी लेने की शक्तियां प्राप्त होंगी।"

[हिन्दी]

इससे दो प्रश्न उभरते हैं, पहला है कि एन.सी.टी.सी. का गठन इन्टेलीजेंस ब्यूरों में किया जा रहा है। एक गुप्तचर एजेंसी को एक जांच एजेंसी बनाया जाय, यह अपने आप में, न्यायिक व्यवस्था में विकृति पैदा करता है। लेकिन आप उन्हें इतनी बृहद शक्तियां दे दें, पावर टू सर्च पावर टू अरेस्ट, जो काम कानून के नीचे राज्य और राज्य सरकारों का है। आप कहते हैं कि डायरेक्टर्स और सारे एन.सी.टी.सी. के अफसर पावर आफ सर्च, पावर आफ अरेस्ट रखेंगे, क्या यह सीधे-सीधे संघीय ढांचे पर अतिक्रमण नहीं है?...*(व्यवधान)*...क्या यह राज्य के अधिकारों का हनन नहीं है। जैसे ही यह आर्डर जारी हुआ, उसके बाद एक

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

के बाद एक मुख्यमंत्री ने विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। दस मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ये एक ही विचारधारा के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अगर इसमें छः भा.ज.पा. के मुख्यमंत्री हैं तो एक डी.जे.डी. के हैं एक अन्ना डी.एम.के., एक ज.द.यू. के हैं और एक इनकी सरकार में शामिल दल, सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी है। मेरे पास सभी मुख्यमंत्रियों के पत्र हैं, लेकिन मैं केवल ममता बनर्जी के पत्र के दो पैराग्राफ पढ़ना चाहती हूं, जो इनके सहयोगी दल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लिखा है-

[अनुवाद]

"इस आदेश के तहत आसूचना ब्यूरो में स्थित राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केन्द्र, एन.सी.टी.सी. को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। एन.सी.टी.सी. के परिचालन खण्ड के अधिकारियों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43ए के तहत गिरफ्तार करने और तलाशी लेने की शक्तियां प्राप्त होंगी। राज्य सरकारों के पदाधिकारियों सहित सभी प्राधिकारी एन.सी.टी.सी. को सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिये भी बाध्य होंगे।

[हिन्दी]

आगे लिखती हैं-

[अनुवाद]

इस प्रकार से यह आदेश जांच और व्यवस्था बनाए रखने के मामलों में राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन प्रतीत होता है।

[हिन्दी]

और आगे वह कहती हैं

[अनुवाद]

"हमारे जैसे किसी संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार का कोई भी निर्णय, जो राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, पर्याप्त परामर्श तथा राज्य सरकारों की सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।"

[हिन्दी]

यह उनका आरोप है।

[अनुवाद]

राज्य सरकार को केन्द्र सरकार या फिर केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा शक्तियों का मनमाना प्रयोग जिससे भारत के संविधान में निहित राज्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का हनन होता है, स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए मैं अनुरोध..."

[हिन्दी]

यह ममता जी कह रही हैं।

[अनुवाद]

"इसलिए मैं दिनांक 3 फरवरी, 2012 के आदेश के पुनरीक्षण एवं वापस लेने हेतु आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करती हूं।"

[हिन्दी]

यह ममंता जी का पत्र है और ऐसे ही पत्र दस आफर मुख्य मंत्रियों में लिखे हैं। अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री जी जब यह मुद्दा विवादित हो चुका था, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख करवाने की क्या जरूरत थी और अगर आपने उल्लेख करवाना ही था, आपको यह लगता था कि यह आपकी उपलब्धि है तो एक वाक्य आप आगे डलवा देते कि एन.सी.टी.सी. के गठन को लेकर कुछ आशंकाएं मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रकट की गई हैं, हम उनकी शंका का समाधान करने के बाद ही इसे लागू करेंगे। अगर आप इतना ही लिख देते तो मामला समाप्त हो जाता। लेकिन यह आपने नहीं लिखवाया, क्यों नहीं लिखवाया? अध्यक्ष जी, यह इस सरकार की अहंकारी कार्यशैली है, जिसके कारण ऐसे संकट खड़े होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह इसी अहंकारी कार्यशैली का परिणाम है कि रेल बजट प्रस्तुत होने के बाद रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। यह इसी अहंकारी कार्यशैली का परिणाम है कि आपके अपने दल के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आपके नेतृत्व को ललकारते हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त कीजिए, आपकी बात आ गई। यह अमैन्डमेन्ट है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह इसी अहंकारी कार्यशैली का परिणाम है कि आपके सहयोगी दल के मंत्री गांधी मूर्ति के सामने धरना देने पर मजबूर होते हैं। यह आप ही की अहंकारी शैली का परिणाम है कि जिस दिन वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं तो आपके सहयोगी दल के वित्त राज्य मंत्री सदन से नदारद होते हैं।

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, अभी-अभी प्रधान मंत्री जी ने एन.सी.टी.सी. पर बोला है। मैं आज भी यह कहती हूं कि अगर गृह मंत्री खड़े होकर यह कहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस ऑर्डर में लिखा है कि यह 1 मार्च, 2012 से लागू होगा। अगर आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि आपने मुख्य मंत्रियों की जो बैठक 16 अप्रैल को बुलाई है, उसमें उनकी शंकाओं का समाधान करने के बाद आप इसे लागू करेंगे तो मैं यह संशोधन वापस ले सकती हूं...*(व्यवधान)* नहीं, यह नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बैठक बुलाई है। मैं इसे स्पष्ट कर दूं। बैठक एक औपचारिकता मात्र है। अभी प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 12 तारीख को डीजीज और चीफ सेक्रेटरीज की बैठक बुलाई गई थी। मैं बता दूं कि उस बैठक में स्थिति को बद से बदतर करने का काम किया है। अगले ही दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर निकली थी

[अनुवाद]

"दिल्ली लेक्चर्स स्टेट्स ऑन एन.सी.टी.सी.: डॉन्ट बी. सी.एम.स. स्टेनोग्राफर्स"

[हिन्दी]

गृह मंत्री जी आपको याद है कि अगले दिन एक पूरक प्रश्न पूछते हुए मैंने आपसे कहा था कि इसकी सच्चाई क्या है और आपने कहा था कि आपने होम सैक्रेटरी को बुलाकर पूछा।

[अनुवाद]

मुझे सभा का संचालन करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: तब होम सैक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूं...

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए, पूरा स्टेटमैन्ट मत दीजिए।

[अनुवाद]

आप संशोधन पर बोल रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने इसकी खोज की है। आपने यहां यह कहकर कि होम सैक्रेटरी ने यह बात नहीं कही, इस बड़े अखबार की प्रतिष्ठा और उसके संवाददाता की प्रतिष्ठा के सामने प्रश्नचिह्न लगाया था। लेकिन मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि मैंने उस अधिकारी से स्वयं बात की है, जिसका उल्लेख इसमें है।

अध्यक्ष महोदया: देखिये, आप अमैन्डमेन्ट पर बोलिये, आप और विषय पर मत जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उस अधिकारी ने कहा है कि होम सैक्रेटरी ने यह कहा कि

[अनुवाद]

मुझे आशुलिपिक बनने की यह प्रवृत्ति पसन्द नहीं है।

[हिन्दी]

उस अधिकारी ने यह तक कहा, उस अधिकारी ने विरोध जताते हुए कहा कि मैं कुछ दिन पहले तक यही था, क्या राज्य में जाकर मैं स्टेनोग्राफर हो गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सुषमा जी, कृपया स्वयं को संशोधन के मुद्दे तक सीमित रखिये। पूरा भाषण मत दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री यहां बैठे हैं, गृह मंत्री यहां बैठे हैं, अगर आपने यह बैठक उसी औपचारिकता के तौर पर बुलानी है और अगर

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

उन्हें धमकाना है तो हमारा समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर गृह मंत्री यह कहने के लिए तैयार हैं कि वह 16 तारीख की मीटिंग तक इसे लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 1 मार्च, 2012 लिखा है।

अध्यक्ष महोदया: अब ठीक है, आपकी बात समाप्त हो गई।

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदया: अगर आप यह कहने को तैयार हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि अगर आप यह कहने को तैयार हैं कि 16 अप्रैल तक आप इसे लागू नहीं करेंगे और मुख्यमंत्रियों की शंकाओं का समाधान करने के बाद ही लागू करेंगे तभी मैं अपना संशोधन वापस ले सकती हूं, वर्ना हम इस पर मतदान करवाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई अन्य माननीय सदस्यगण अलग से अपने संशोधन को मतदान हेतु सभा के समक्ष रखना चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं अपना संशोधन अलग से रखना याहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: आपकी संशोधन संख्या क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य: मेरी संशोधन संख्या 1279 है। यह नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन जैसा ही है।

अध्यक्ष महोदया: यह एक अलग संशोधन होना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं एन.सी.टी.सी. के गठन पर संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदया, जब 2009 में एन.आई.ए. विधेयक सभा में रखा गया था तो हमने आपत्तियां उठाई थी। हमने उसका विरोध किया था। हमने उस समय सभा में कहा था कि यह राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करेगा। उस विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह राज्य सरकारों से परामर्श करेंगे और यदि जरूरी हुआ तो राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना वह मामले को दोबारा देखेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, खड़े क्यों हो गए हैं।

[अनुवाद]

मैंने इसे अपनी टिप्पणी में पढ़ा है। क्या आपने मेरी टिप्पणी सुनी हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।...*(व्यवधान)* अब, राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना सरकार ने एम.सी.टी.सी. के गठन का निर्णय लिया है। एक आदेश जारी किया गया है कि एन.सी.टी.सी. 12 मार्च से काम करना शुरू कर देगा। यह इस सरकार की मंशा दिखाता है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाएगा।

मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा निर्णय लेने से पहले - जो राज्य की शक्तियों का उल्लंघन करता हो - इस सरकार द्वारा किस प्रकार राज्य सरकारों, इस देश के संघीय ढांचे और संविधान पर एक के बाद एक हमला किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। धन्यवाद, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं जानना चाहता हूं कि एन.सी.टी.सी. के गठन का निर्णय वापिस लिया जाएगा। इस पर राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श किया जाएगा। हम ऐसे संगठन के खिलाफ हैं जो राज्य की शक्तियों का उल्लंघन करता हो। देश का संघीय ढांचा और संविधान पहले ही इस सरकार के बहुत से कार्यों के कारण गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं तथा अपना संशोधन मतदान हेतु रखता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री भर्तृहरि महताब। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिए। आपको संशोधन संख्या क्या है?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया मेरी संशोधन संख्या 1177 है। ग्यारह सौ सतहत्तर का संबंध राष्ट्रीय आतंकरोधी केन्द्र के तहत केन्द्र सरकार की शक्तियों से संबंधित है।

यहां महामहिम राष्ट्रपति ने यह उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड और राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र का उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता में सुधार करना है। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता में सुधार करने का दावा किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय प्रधानमंत्री ने यह उल्लेख किया है कि इस संबंध में परामर्श किया जाएगा। महानिदेशक (पुलिस) ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ विचार विमर्श किया है और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श 16 अप्रैल को किया जाएगा।

साथ ही, प्रधानमंत्री ने दो बातों का उल्लेख किया है- पहली बात है एन.सी.टी.सी. के गठन की संकल्पना और दूसरी बात है एन.सी.टी.सी. का कार्यकरण। यह कोई नई बात नहीं है। गत फरवरी से केन्द्र सरकार यह कहने का प्रयास कर रही है कि एन.सी.टी.सी. के गठन का सिद्धान्त रूप में कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। परन्तु मुद्दा यह नहीं है। यदि कुछ मुख्य मंत्री लगातार प्रधान मंत्री को 3 फरवरी के कार्यालय आदेश के वापस लेने के लिए लिख रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि वे एन.सी.टी.सी. के गठन की संकल्पना का विरोध कर रहे हैं एन.सी.टी.सी. के कार्यकरण का मुद्दा उसके बाद आता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: क्या आपकी बात हो गई?

श्री भर्तृहरि महताब महोदया: अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: आप कहिए, जल्दी कहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया जाइए। कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। अब श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब महोदया: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जहां तक मुझे अंग्रेजी व्याकरण का थोड़ी बहुत ज्ञान है उसके आधार पर मैं यह समझता हूं कि 2001 संयुक्त राज्य अमरीका में स्थापित की गई एजेंसी जैसी ही एक तर्ज पर एक एजेंसी "एन.सी.टी.सी." के गठन की संकल्पना की गई थी। हिटलर के शासन काल के अतिरिक्त सिक्युरिटी सर्विस संस्थाओं को आसूचना के अतिरिक्त पुलिस शक्तियां भी प्राप्त थी विश्व की किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आसूचना एजेंसियों को पुलिस शक्तियां प्राप्त नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपकी बात बहुत लंबी हो रही है। आप इतनी लंबी बात मत कीजिए। शैलेन्द्र कुमार जी सीट से उठिये और बोलिये।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मैं उस पत्र का उल्लेख कर रहा हूं जो हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक ने 13 फरवरी को प्रधान मंत्री को लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि आदेश का पैरा सं. 301 निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में निदेशक, एन.सी.टी.सी. को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 23 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान करता है। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार राज्य सरकार के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकारों को छीन रही है। ये पुलिस शक्तियां हैं और ये पुलिस शक्तियां आसूचना एजेंसियों को कभी नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, हम इस रूप में एन.सी.टी.सी. के गठन के विरुद्ध हैं। एन.सी.टी.सी. आदेश को वापस लिया जाए और तत्पश्चात् प्रधान मंत्री मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैंने भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर संशोधन दिये हैं। संशोधन संख्या 140 से 148 और 1179 से 1181 है। अभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप अपना अमेंडमेंट नम्बर बतायेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, मैंने अभी बता दिया है।

अध्यक्ष महोदया: आप कौन सा मूव कर रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, 140 से 148 और 1179 से 1181, एन.सी.टी.सी. पर जो मैंने संशोधन दिया है।

अध्यक्ष महोदया: यह आप कौन सा अमैंडमैंट मूव कर रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार: संशोधन संख्या 140 से 148 और 1179 से 1181 है। इसमें मैंने कई संशोधन दिये हैं। इनमें मैं केवल एन.सी.टी.सी. पर कहना चाहूंगा। जैसा अभी सम्मानित सदस्यों के सुझाव आए हैं कि संवैधानिक संघीय ढांचे में राज्यों को जो अधिकार दिये गये हैं, चूंकि एन.सी.टी.सी. पर वर्तमान में बहुत बृहद् रूप से चर्चा है, सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों की भी मीटिंग यहां बुलाई गई थी, उनकी भी राय ली गई थी। कुछ राज्यों से इस पर एतराज हुआ है। मैं उसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा लेकिन अपने दल की तरफ से इतना कहना चाहूंगा कि संघीय ढांचे में राज्यों को जो अधिकार दिये गये हैं, उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, उसका हनन नहीं होना चाहिए। अगर प्राइम निमिस्टर की तरफ से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप किस अमैंडमैंट पर बोल रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं एन.सी.टी.सी. पर ही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: आपने जो नंबर दिये हैं, वे एन.सी.टी.सी. से संबंधित नहीं हैं। आप नंबर कुछ और दे रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। यह उस पर नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैंने कई सुझाव दिये हैं। उसमें एन.सी.टी.सी. का भी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, उसका नंबर बताइये।

श्री शैलेन्द्र कुमार: 1179 से 1181 में मैंने चार-पांच संशोधन दिये हैं। एन.सी.टी.सी. उसमें मुख्य है। उसी पर मैं बोल रहा था। मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो हम पूरी तरीके से उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और पाटी लीडर्स को बुलाकर विचार-विमर्श करें और उसी आधार पर हो तो ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया मैं सं. 1166 से 1172 तक अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सभी संशोधन भारत के कामकाजी वर्ग से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में न तो महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख किया है और न ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभिभाषण का उत्तर देते हुए कोई उल्लेख किया है। यह वस्तुतः आश्चर्य की बात है कि महामहिम राष्ट्रपति ने माननीय प्रधान मंत्री के परामर्श पर अनेक समस्याओं जैसे देश में श्रम कानूनों के उल्लंघन की समस्या; ठेका श्रमिकों के हाशिए पर जाने की समस्या; कामकाजी वर्ग के बीच बढ़ती निर्धनता की समस्या का उल्लेख किए बिना अपना अभिभाषण दिया है। यह वर्ग देश की संपदा का सृजन करता है। श्रमिक संपदा का निर्माण करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री के पास करों की चोरी करने वाले व्यक्ति के साथ उसकी एयरलाइन संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए समय है। उनके पास करों की चोरी करने वाले लोगों से बात करने का समय है परन्तु, देश के श्रमिक संघों से बात करने का समय नहीं है। अतः मैं ये सभी संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए:-

"परन्तु खेद है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कोई परामर्श किए बिना राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड और राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र का गठन किया गया है और इन संस्थाओं का गठन देश के संघीय ढांचे पर अतिक्रमण है और इनसे राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन होता है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य: हां।

अध्यक्ष महोदया: जो विरोध में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं।

अध्यक्ष महोदया: मेरे विचार से निर्णय 'नहीं' निर्णय वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य: निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, हम केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदेश सरकारों के अधिकारों के अतिक्रमण का और संघीय ढांचे पर प्रहार का विरोध करते हैं और वॉकआउट करते हैं।

अपराह्न 01.15 बजे

[अनुवाद]

तत्पश्चात् श्री दारा सिंह चौहान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

...(व्यवधान)

इस समय श्री कल्याण बनर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा से बाहर चले गये।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। वे सभा से बाहर कैसे जा सकते हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कुछ को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, दीर्घाएं खाली हो गयी हैं। अब महासचिव सदस्यगणों को स्वचालित मत अंक मशीन के संचालन की प्रक्रिया के बारे में सूचित करेंगे।

महासचिव: स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

2. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्ष-पीठ के दोनों तरफ सूचक बोर्ड पर लालबत्ती जल रही है। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गई है।

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को कृपया एक-साथ दबायें अर्थात्

   माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्ले 2 पर लगा एक "लाल" बटन और साथ ही सीट के डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बटनों में से एक बटन

   पक्ष में ... हरा बटन

   विपक्ष में ... लाल बटन

   भाग नहीं लिया ... पीला बटन

4. जब तक अलार्म दूसरी ओर न बज जाए और 'लाल' बत्ती "बुझ" न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

5. **महत्वपूर्ण:** माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि यदि दूसरी बार अलार्म बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता। तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

6. मत विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बटन (पी.) नहीं दबायें।

7. माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान 'सूचक बोर्डों' पर तथा अपने 'डेस्क युनिट' पर देख सकते हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[महासचिव]

8. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, यथा:-

"लेकिन खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड और राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र का गठन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श के बिना किया गया है तथा इन दो संगठनों के प्रावधान देश के संघीय ढांचे पर अतिक्रमण है तथा राज्यों के अधिकारों का हनन है।"

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं मत विभाजन की मांग करती हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब मत विभाजन होगा: लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। चूंकि मशीन चल नहीं रही है, हम इसे बंद कर पुन: चालू कर रहे हैं।

इसलिए, अब पुन: मत-विभाजन होगा:

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

मत विभाजन संख्या 1 पक्ष में अपराह्न 1.30 बजे

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावली)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

*आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

*गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रामगढ़)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (विंडोरी)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौहाण श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर हि.प.)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

पटेल, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर चम्पा)

पटेल, श्री देवजी एम (जालौर)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नागर हवेली)

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री सी.आर. (नवखारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडोह)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

*बैस, श्री रमेश (रायपुर)

मंडेल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट)

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकि नगर)

*महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

*यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी)

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगी)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर)

रामशंकर, प्रो. (आगरा)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच विहार)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी)

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

लिंगम, श्री पी. (तेनूकासी)

बसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच)

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

शर्मा, श्री जगदीश (जहांनाबाद)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर)

*पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (बडोदरा)

सतपथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलगिर)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिमा)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

*सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सुशांत, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सेम्मलई, श्री एस. (सलेप)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजी भाई (अहमदाबाद)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर पूर्व दिल्ली)

अजमल, श्री बदरुद्दीन (धुबरी)

अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आरून रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशाली जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ओला, श्री शीशराम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादुद्दीन (हैदराबाद)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुबई उत्तर-पश्चिम)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

के.पी., श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महोदव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलवर्गा)

*खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस.(नामाक्कल)

गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरवार)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

*घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (असकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोडा)

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगर)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली)

थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री संदीप (पूर्वी दिल्ली)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुबई-उत्तर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वनसाड)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डास गोंदिया)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागेज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाल, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इठावा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल ऊधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरुम्बुदूर)

बावलिया, श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई (राजकौर)

बिसवाल, श्री हेमानन्द (सुन्दरगढ़)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बैठा, श्री कामेश्वर (फ्लामू)

*बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

भगोरा, श्री ताराचंन्द्र (बांसवाड़ा)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मणि, श्री जोस. के. (कोटट्यम)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुबीर सिंह (उदयपुर)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिदेर्शित)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुक्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

यादव, श्री अरुण (खंडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामासुब्बू, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राव, डॉ. के.एस. (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनंतपुर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानन्द, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बासमूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतियादित्य माधवराव (मुना)

सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (वारामती)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्याधीन, ** मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 141

विपक्ष में: 226

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संबोधन संख्या 1279 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड और नेशनल काउन्टर टेररइज्म सेन्टर की स्थापना राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श किए बिना कर दी गई है तथा दोनों निकायों के उपबंध देश के संघीय ढांचे का अतिक्रमण करते हैं तथा राज्यों के अधिकारों को कम करते हैं, के बारे में उल्लेख नहीं है।"

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं मत-विभाजन की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं:

प्रश्न यह है:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

---

*निम्नलिखित सदस्यों के पर्चियों के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की पक्ष में 141 + सर्वश्री कीर्ति आजाद, रमेश बैस ए. गणेशमूर्ति, सुमित्रा महाजन, सर्वाती उड़िया मुंडा, पशुपतिनाथ सिंह और प्रो. रंजन प्रसाद यादव: 148

विपक्ष में 226 + सर्वाती खिलाड़ी लाल बैस, कामेश्वर बैठा, पतन सिंह घारोवन और हसन खान = 230

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड और नेशनल काउन्टर टेररइज्म सेन्टर की स्थापना राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श किए बिना कर दी गई है तथा दोनों निकायों के उपबंध देश के संघीय ढांचे का अतिक्रमण करते हैं तथा राज्यों के अधिकारों को कम करते हैं, के बारे में उल्लेख नहीं है।"

...(व्यवधान)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 2 पक्ष में अपराह्न 1.32 बजे

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

*आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

*गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (डिंडोरी)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर हि.प.)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

पटेल, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर चम्पा)

पटेल, श्री देवजी एम (जालौर)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नागर हवेली)

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री बैजयंत (केन्द्रपाड़ा)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री सी.आर. (नवखारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

*बैस, श्री रमेश (रायपुर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट)

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकि नगर)

*महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

*मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

*यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी)

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर)

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रामशंकर, प्रो. (आगरा)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच विहार)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी)

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

लिंगम, श्री पी. (तेनूकासी)

बसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच)

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

शर्मा, श्री जगदीश (जहांनाबाद)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर)

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (बडोदरा)

सतपथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलगिर)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिमा)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

*सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, डॉ. भोला (नबादा)

सिंह, श्री मूरारी लाल (सरगुजा)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सुशांत, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेप)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजी भाई (अहमदाबाद)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर पूर्व दिल्ली)

अजमल, श्री बदरुद्दीन (धुबरी)

अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख (श्रीनगर)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आरून रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशाली जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ओला, श्री शीशराम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुबई उत्तर-पश्चिम)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

के.पी., श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महोदव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

*खान, श्री हसन (लद्दाख)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस.(नामाक्कल)

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरवार)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

*घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (असकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागस्कुरनूल)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोडा)

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगर)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली)

थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरुकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)

निरुपम, श्री संजय (मुबई-उत्तर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वनसाड)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डास गोंदिया)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाल, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इठावा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल ऊधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरुम्बुदूर)

बावलिया, श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई (राजकोट)

बिसवाल, श्री हेमानन्द (सुन्दरगढ़)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बैठा, श्री कामेश्वर (फ्लामू)

*बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

भगोरा, श्री ताराचन्द्र (बांसवाड़ा)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मणि, श्री जोस. के. (कोटट्यम)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुबीर सिंह (उदयपुर)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)

मुखर्जी, श्री प्रणव (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

यादव, श्री अरुण (खंडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एव.के. (कोझिकोड)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामासुब्बू, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राव, डॉ. के.एस. (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (मुंदूर)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनंतपुर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

लाल, श्री पकौड़ी (राबर्टसगंज)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानन्द, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बासमूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीसबाद)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

साई प्रताप, श्री ए. (रोजमपेट)

सारदीना श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतियादित्य माधवराव (मुना)

सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (वारामती)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन; * महाविभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 146

विपक्ष में: 227

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत संबोधन संख्या 1177 को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हम मत विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया: दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है:

कि प्रस्ताव में अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात:

"परन्तु खेद है कि "राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र" के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारों के बारे में इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ:

मत विभाजन संख्या 3 पक्ष में अपराह्न 1.35 बजे

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

*आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

*गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

---

*निम्नलिखित सदस्यों के भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की पक्ष में 146 + सर्व श्री कीर्ति आजाद, श्रीमती सुमित्रा महाजन और कमलेश पासवान = 149

विपक्ष में 227 + सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, पवन सिंह घाटोवार, हसनखान, विलास मुत्तेमवार और शीशराम ओला = 232

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रामगढ़)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौहाण श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर हि.प.)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर चम्पा)

पटले, श्री देवजी एम (जालौर)

पटले, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नागर हवेली)

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

*बैस, श्री रमेश (रायपुर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट)

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकि नगर)

*महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

*मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

*यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी)

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगी)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर)

रामशंकर प्रो. (आगरा)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच विहार)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी)

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

लिंगम, श्री पी. (तेनूकासी)

बसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच)

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

शर्मा, श्री जगदीश (जहांनाबाद)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर)

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (बडोदरा)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिमा)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

*सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, डॉ. भोला (नवादा)

सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सुशांत, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेप)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजी भाई (अहमदाबाद)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर पूर्व दिल्ली)

अजमल, श्री बदरुद्दीन (धुबरी)

अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आरून रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशाली जिला-असम)

इलंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

एटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ओला, श्री, शीशराम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुबई उत्तर-पश्चिम)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

के.पी., श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महोदव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

*खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

*घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (असकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

*पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोडा)

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगर)

डि.एस., श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली)

थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नारायणसामी, श्री वी. (पुड्डुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुबई-उत्तर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वनसाड)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डास गोंदिया)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इठावा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल ऊधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरुम्बुदूर)

बावलिया, श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई (राजकोट)

बिसवाल, श्री हेमानन्द (सुन्दरगढ़)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

*बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

भगोरा, श्री ताराचन्द्र (बांसवाड़ा)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मणि, श्री जोस. के. (कोटट्यम)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, श्री नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुबीर सिंह (उदयपुर)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिदेर्शित)

मुखर्जी, श्री प्रणव (जंगीपुर)

मुक्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

यादव, श्री अरुण (खंडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एव.के. (कोझिकोड)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामासुब्बू, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राव, डॉ. के.एस. (मछलीपट्टनम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनंतपुर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, श्री आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन, * मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 145

विपक्ष में: 227

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: मैं श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1166 से 1172 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): महोदया, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया: दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गयी हैं।

प्रश्न यह है:

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की बढ़ रही घटनाओं को गंभीरता से न लिए जाने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (1166)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्थायी/बारहमासी काम के बढ़ रहे ठेकों जहां संविदा कामगारों को, नियमित

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की पक्ष में 145 + श्री कीर्ति आजाद, श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र = 148 विपक्ष में 227 + सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, पवन सिंह घाटोवार और हसन खान = 230.

कर्मकारों को दी जा रही मजदूरी तथा अन्य लाभों से मना कर दिया जाता है, पर ध्यान न देने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (1167)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता जिससे सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके ताकि सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण 10,000 रु. प्रतिमाह से कम न हो, के बारे में उल्लेख नहीं है।" (1168)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ट्रेड यूनियनों के 45 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण को लागू करने आई.एल.ओ. कन्वेंशन सं. 87 और 98 के तत्काल अनुसमर्थन के बारे में उल्लेख नहीं है।" (1169)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाभ अर्जित करने वाले केन्द्र सरकार के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश को रोकने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (1170)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिक कानूनों के उल्लंघन के लिए बिना किसी अपवाद अथवा छूट के और कड़े दंडात्मक उपायों के साथ श्रमिक कानूनों को सख्ती से लागू करने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (1171)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु बिना किसी रुकावट के सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने और श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पर्याप्त संसाधनों में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के सृजन की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (1172)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 4 पक्ष में अपराह्न 1.37 बजे

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

*आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

*गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतपाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पर.,

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौहाण श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर हि.प.)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर चम्पा)

पटले, श्री देवजी एम (जालौर)

पटले, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नागर हवेली)

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

विश्नोई, श्री कुलदीप

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट)
मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)
मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)
महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकि नगर)
*महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)
*मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)
मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)
मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)
*यादव, प्रो. रजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुवनी)
राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगी)
राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण)
राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)
राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर)
रामशंकर प्रो. (आगरा)
राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)
राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच विहार)
राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुड़ी)
राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)
राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
लिंगम, श्री पी. (तेनूकासी)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरुच)
विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)
वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)
शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)
शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)
शिवासामी, श्री सी. (तिरुपुर)
शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (बडोदरा)
सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)
सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)
साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)
साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)
सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)
सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलगिर)
सिंह, श्री उदय (पूर्णिमा)
*सिंह, श्री कल्याण (एटा)
सिंह, श्री गणेश (सतना)
सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)
सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)
सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)
सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)
सिंह, डॉ. भोला (नबादा)
सिंह, श्री मूरारी लाल (सरगुजा)
सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)
सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)
सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)
सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)
सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिंहा, श्री यशवंत (हजारीबाग)

सिंहा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सुशांत, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेप)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजी भाई (अहमदाबाद)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर पूर्व दिल्ली)

अजमल, श्री बदरुद्दीन (धुबरी)

अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आरून रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशाली जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ओला, श्री शीशराम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुबई उत्तर-पश्चिम)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुरुप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

के.पी., श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महोदव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलवर्गा)

*खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस.(नामाक्कल)

गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

*घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोडा)

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगर)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली)

थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरुकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुबई-उत्तर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डास गोंदिया)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाल, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इठावा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल ऊधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरुम्बुदूर)

बावलिया, श्री कुंवरजी भाई मोहनभाई (राजकोट)

बिसवाल, श्री हेमानन्द (सुन्दरगढ़)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

*बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

भगोरा, श्री ताराचन्द्र (बांसवाड़ा)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

*मणि, श्री जोस. के. (कोट्यम)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुबीर सिंह (उदयपुर)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिदेशित)

मुखर्जी, श्री प्रणव (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

यादव, श्री अरुण (खंडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एव.के. (कोझिकोड)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामासुब्बू, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राव, डॉ. के.एस. (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनंतपुर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वासनिक, श्री मुकुल (एमटेक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानन्द, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजासुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वुणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बासमूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहींसबाद)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

सारदीना श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतियादित्य माधवराव (मुना)

सिंह, श्री आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (वारामती)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

हक, श्री मोहम्मद असरारुल (किशनगंज)

हर्ष, कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

अध्यक्ष महोदया: शुद्धि के अध्यधीन,* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में: 144

विपक्ष में: 227

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।'

अध्यक्ष महोदया: अब मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

सभी संशोधन प्रस्तुत हुए और अस्वीकृत हुए।

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए किए जो उन्होंने 12 मार्च, 2012 को एक साथ समवेत संसद की दोनों के समक्ष देने की कृपा की है उसके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की पक्ष में 144 + श्री कीर्ति आजाद, श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्री कल्याण सिंह = 147 विपक्ष में 227 + सर्वश्री खिलाड़ी लाल बैरवा, पवन सिंह घाटोवार और हसन खान, जोसके मणि और शीशराम ओला = 232

अपराह्न 2.33 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.33 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई)

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण, श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सदन में मुद्दा संख्या 16 पर चर्चा की जायेगी। श्री गुरुदास दासगुप्ता।

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष जी, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आपने मजदूरों के बारे में एक चर्चा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाने की हमें अनुमति दी है। हमने पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाकर देखा है कि दस साल में कभी लोक सभा में मजदूरों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। आपने इसके लिए अनुमति दी, इसलिए आपको हम बधाई देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: आपको इसलिए बधाई क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: अध्यक्ष जी, आपको हम सिर्फ स्पीकर के नाते बधाई नहीं देंगे।

एक चीज और है कि हिन्दुस्तान में पहले श्रम मंत्री श्री बाबू जगजीवन राम जी थे। उनका पार्लियामेन्ट्री कैरियर हमारे सामने है। वे सिर्फ पहले श्रम मंत्री नहीं थे उनके नेतृत्व में हिन्दुस्तान में मजदूरों के हित में बहुत कानून पार्लियामेन्ट में बनाए गए थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया, आप उनकी लड़की हैं। महोदया, आपकी नसों में उन्हीं का खून है। आपके पूर्वजों का एक गरिमामय इतिहास रहा है। अतः इस समय जबकि अध्यक्ष पीठ पर आप विराजमान हैं, यह सर्वथा उचित है कि भारतीय संसद कामकाजी भारतीयों की समस्याओं पर चर्चा करे। मैं बाबू जगजीवन राम जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं तथा पूरे एक वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने के लिये आपको शुभकामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

हम हमारे साथी, पार्लियामेन्ट मेम्बर सब को यह बताएंगे कि कोई पालिटिकल कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम हिन्दुस्तान के वंचित जनता का सवाल उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनें। हम आप की भी मेहरबानी चाहते हैं कि इस सवाल के ऊपर आपको जो बोलना है। बोलिए। देखिए, जब हम हिन्दुस्तान के पचास करोड़ मेहनतकश जनता के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में इस समय कितने लोग हाजिर हैं?...*(व्यवधान)* आप लोग हाजिर हैं, आपकी मेहरबानी है। यह हम नहीं बोल सकते हैं कि प्रेस गैलरी कैसी है।

[अनुवाद]

यद्यपि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। किंतु मीडिया, संसद और पूरा देश, देश में आधारभूत मानवीय समस्याओं को अनदेखा किये जाने संबंधित गंभीर मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र यही एक दुखद पहलू है। कृपया संसद सदस्यों, मीडिया और सरकार को इस विषय पर सोच विचार करने दें। महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अल्पावधि चर्चा की अनुमति दी है। सबसे पहले मैं तीन मुद्दों पर चर्चा करूंगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेहरबानी करके बात मत कीजिए।

[अनुवाद]

मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने मन की बात कहता हूं। मैं कोई मंजा हुआ वक्ता नहीं हूं। समस्या यह है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर पार्लियामेंट्री मिनिस्टर को कोड आफ कन्डक्ट मांगने के लिये बोलिए।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः आप बात कर रहे हैं। हम को बोलने नहीं देते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह चर्चा देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुई हड़ताल के कारण हो रही है।

[हिन्दी]

इतिहास में पहली बार, हिन्दुस्तान में जितनी भी ट्रेड यूनियन्स हैं, आई.एन.टी.यू.सी. जिसका प्रेसिडेंट कांग्रेस का एक एम.पी. है।

[अनुवाद]

देश के इतिहास में पहली बार सभी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन्स एक साथ थीं। माननीय श्रम मंत्री इसकी सत्यता की जांच करा सकते हैं। देश में 11 केन्द्रीय मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन्स हैं। सभी एक साथ थीं। हम राजनैतिक बाधाओं को दूर करने में सफल रहे हैं। यह एक उपलब्धि है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। स्टेक होल्डर्स के बारे में चर्चा हो रही थी।

[हिन्दी]

मैडम, सुबह हम प्रधान मंत्री जी का भाषण सुन रहे थे।

[अनुवाद]

वह स्टेक होल्डर्स के बारे में बोल रहे थे। स्टेक होल्डर्स कौन हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पहली बार, हिन्दुस्तान में सब ट्रेड यूनिन्स इकट्ठी हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि केरल में मुस्लिम लीग की जो ट्रेड यूनियन है उसने हम को सपोर्ट किया। महाराष्ट्र में शिवसेना की ट्रेड यूनियन ने हमको सपोर्ट किया।

[अनुवाद]

देश में कामकाजी वर्ग में दलगत राजनीति से परे वृहत एकता है। यह हुआ और सभी ने इस बात को माना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह देश में सबसे बड़ी हड़ताल थी। यह एक मुद्दा था।

दूसरा, यह चर्चा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के बाद चली है। बजट से पहले यह घोषणा की गई थी कि भविष्य निधि पर ब्याज दर में 1.25% की कटौती की जायेगी। इसका हम सभी पर प्रभाव पड़ेगा। पहले यह 9.5% थी। बजट से एक दिन पहले यह घोषणा की गई थी कि इसे 8.25% कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

हमारे हिन्दुस्तान में मेहनतकश जनता के लिये सोशल सिक्युरिटी नहीं है। 63 साल की आजादी में हमारे लिए कोई सोशल सिक्युरिटी नहीं थी। सिर्फ एक प्रॉविडेंट फंड है। आपने उस प्रॉविडेंट फंड का इंटरस्ट घटा दिया।

[अनुवाद]

सभी ट्रेड यूनियन्स ने इसका विरोध किया।

[हिन्दी]

मेरी खबर है कि हमारे श्रम मंत्री जी भी इसके खिलाफ थे। पूरे न्यास बोर्ड ने इसका विरोध किया, किन्तु उन्होंने ऐसा बजट के एक दिन पहले किया। देश में कामकाजी वर्ग के हितों की किस हद तक सरकार अवहेलना कर सकती है - सिंनिकल डिसरिग्रार्ड में जानबूझ कर ऐसी अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा हूं।

[हिन्दी]

बजट से एक दिन पहले उन्होंने प्रॉविडेंट फंड का सूद 1.25 प्रतिशत कम कर दिया। इससे पहले इतना कम नहीं था। यह दूसरी बार है।

जब हिन्दुस्तान में इतना शोर-शराबा हो रहा है, प्रधान मंत्री जी हमसे नहीं मिलते, ट्रेड यूनियन से नहीं मिलते। क्या कारण है? वे पूंजीपतियों से मिलते हैं, बिजनसमैन से मिलते हैं, कारपोरेट हाउस से मिलते हैं। वे उनकी जनरल बॉडी मीटिंग में जाते हैं।

कल वित्त मंत्री

[अनुवाद]

जी कारपोरेटस की बैठक में उपस्थित थे किंतु, हमें प्रधान मंत्री जी से बात करने का मौका नहीं मिला। क्या लोकतंत्र इसी प्रकार काम करता है और आम आदमी के सरोकारों की चिंता करता है। यह पृष्ठभूमि है।

महोदया, अब मुद्दा यह है कि कामगार कौन है? क्या वह जो मजदूरी के लिये काम करता है। उसकी संपत्ति क्या है? उसकी संपत्ति शारीरिक क्षमता है। उसकी सम्पत्ति उसकी श्रम शक्ति है...*(व्यवधान)* बल प्रयोग नहीं बल्कि शारीरिक शक्ति। मसल पावर या बल प्रयोग गुंडे करते हैं। कृपया कामकाजी लोगों को गुंडा न कहें...*(व्यवधान)* अज्ञानता किसी संसद सदस्य का गुण नहीं है।

महोदया, वे अपनी श्रम शक्ति के बदले मजदूरी पाते हैं। वास्तव में देश को संपन्न वही लोग बनाते हैं।

[हिन्दी]

हम आपसे पूछेंगे बिजली कौन बनाता है? इंजीनियर नहीं मजदूर बनाते हैं। हमारा मैनसन किसने बनाया, मजदूर ने बताया। साड़ी किसने बनाई, मजदूर ने बनाई, ताजमहल किसने बनाया, मजदूर ने बताया। हम बनाते हैं, सैम, पित्रोदा ने नहीं बनाया। हम सब जानते हैं कि मशीन से उत्पादन नहीं होता।

[अनुवाद]

केवल मशीनों से कुछ नहीं बनाया जा सकता, हमें श्रमशक्ति की आवश्यकता होती है। चाहे मशीन कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, कामगारों की आवश्यकता होती ही है, कृपया मेरी बात समझने का प्रयास करें, जो देश को संपन्न बनाने का कार्य करते हैं, वे स्वयं इस संपन्नता का भोग नहीं कर पाते।

[हिन्दी]

हम बनाते हैं लेकिन खाते नहीं। जो बनाने वाला है वह खाता नहीं, जो लूटने वाला है वह खाता है। क्या देश में ऐसा चलेगा? बनाने वाला खाएगा नहीं।

[अनुवाद]

मैं आपके समक्ष पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता हूं, अपनी नहीं बल्कि सरकारी सेवा की। बनाने वाला खाएगा नहीं, लूटने वाला खाएगा। क्या यह जनवादी है? क्या यह सामाजिक व्यवस्था समानता पर आधारित है?

क्या महात्मा गांधी ने ऐसी स्वतंत्रता चाही थी। क्या लाखों लोगों ने इसी स्वतंत्रता के लिये अपने प्राण-न्यौछावर किये? मैं पूछता हूं कि देश में कितने लोग कामगार हैं? वह मसल पावर या बल शक्ति के बारे में बात कर रहे थे।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान में कितनी आबादी है? हिन्दुस्तान में 110 करोड़ आबादी है और मजदूर 50 करोड़ हैं...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): 120 करोड़ हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह भी चर्चा का विषय है; मैं मानता हूं कि 120 करोड़ हैं। किंतु चौधरी जी आपको यह मानना पड़ेगा कि देश की 50% जनसंख्या कामगार है। आपको मानना पड़ेगा। आपके कारखाने में भी बीड़ी कामगार है। यदि कुल जनसंख्या 120 करोड़ है तो 50% जनता कामगार है। उनकी स्थिति कैसी है? 50 करोड़ कामगारों, कामकाजी लोगों में से 97% असंगठित मजदूर हैं।

[हिन्दी]

असंगठित मजदूर किसे कहते हैं। जिनको कोई सहारा नहीं, कानून का सहारा नहीं।

[अनुवाद]

जो किसी भी सामाजिक लाभ के अंतर्गत नहीं आता।

[हिन्दी]

जिनके लिये प्राविडेंट फंड नहीं है, मनिमन वेजेज नहीं है, ई.एस.आई.सी. नहीं है, उनको इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। देश की आजादी के 63 साल बाद भी यह हाल है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता प्राप्ति के 63 साल बाद भी भारतीय लोकतंत्र की यह स्थिति है।

महोदया, असंगठित मजदूर कौन हैं? वे जो अपने मालिक की दया पर निर्भर करते हैं। मालिक उन्हें बोलेंगे कि चले जाओ, तो वे चले जायेंगे। वे सभी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करते हैं। संगठित मजदूर कौन से हैं? संगठित मजदूरों की स्थिति कुछ बेहतर है किंतु उन्हें भी सरकार

[श्री गुरुदास दासगुप्ता]

द्वारा अपनाई जा रही नयी उदारवादी आर्थिक नीति ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। वे भी इस नयी उदारवादी नीति का शिकार बने हैं।

हाशिए पर बैठे इस वर्ग की दुखद स्थिति का पूरा विवरण देने के लिये मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं। मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूं; 18 साल की आयु में मैं राजनीति में आ गया। उनकी अत्यंत दुखद और निराशाजनक स्थिति का वर्णन करने के लिये मैं आपको कोई झूठा वाक्या बताने नहीं जा रहा। मैंने सरकारी दस्तावेजों को भी पढ़ा है ताकि मेरे विवरण में कोई विरोधाभास न हो। सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2007 में प्रस्तुत की। उसने क्या कहा? मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं; मेहरबानी करके सुन लीजिए। उन्होंने कहा:

"उनमें से अधिकांश की कार्य करने की स्थिति बहुत शोचनीय है और आजीविका के विकल्प बहुत कम हैं। हम 'शाइनिंग इंडिया' का नारा दे रहे हैं अर्थात् हम कह रहे हैं कि भारत ने सफलतापूर्वक वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना किया है।" किंतु देश में ऐसी दुखद स्थिति अभी भी विद्यमान है।

यह मेरी रिपोर्ट नहीं है; यह उनकी रिपोर्ट है, यह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री की रिपोर्ट है,

[हिन्दी]

एक तरफ शाइनिंग इंडिया बोल रहे हैं, मार्जिग इकोनॉमी बोल रहे हैं। अमेरिका और चीन के बाद हिन्दुस्तान है। यह भाषण हमारे मंत्री देते हैं, लेकिन

[अनुवाद]

रिपोर्ट यह दर्शाती है कि शाइनिंग इंडिया के पीछे देश के 97 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों की जीवनयापन स्थिति बहुत खेदजनक है। क्या यह लोकतंत्र है?

[हिन्दी]

हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन क्या जीने का अधिकार है? मैडम, आप बताइए कि हमें जीने का अधिकार है? हमें वोट देने का अधिकार जरूर है, लेकिन आज हमें जीने का अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

आज हमें जीने का अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

यह एक राष्ट्रीय आयोग के निष्कर्ष हैं।

राष्ट्रीय आयोग ने आगे भी बहुत कुछ कहा है; इस भाग में जो कुछ कहा गया है यदि मैं उसे पढ़ता हूं तो विश्व का सबसे अधिक असंवेदनशील व्यक्ति भी भावुक हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि 79 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों के पास अपने रोजगार या कार्य करने की स्थिति अथवा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, वे अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं और 'शाइनिंग इंडिया' की गरिमा से बाहर है। उक्त अर्थशास्त्री ने कितनी खेदजनक स्थिति को उभारा है।

[हिन्दी]

शाइनिंग इंडिया उनके लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए है। शाइनिंग इंडिया हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, लेकिन मजदूर के लिए नहीं है।

[अनुवाद]

क्या उनके लिये एक दृढ़ नीति तैयार करने के लिए यह सब पर्याप्त नहीं है?

महोदया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने दो पत्र लिखे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने कल दो पत्र लिखे थे। एक पत्र माननीय प्रधान मंत्री जी को संबोधित था। चूंकि इस विषय पर चर्चा की जा रही है, इसलिए मैंने उनसे सभा में उपस्थित रहने के लिए कहा था परन्तु वह यहां उपस्थित नहीं है। मैंने वित्त मंत्री जी से भी यही अनुरोध किया था परन्तु वे भी यहां मौजूद नहीं है। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से भी सभा में उपस्थित रहने का आग्रह किया था परन्तु वे भी यहां मौजूद नहीं है। सरकार इसी तरह 47 करोड़ भारतीय लोगों की मानवीय समस्याओं पर ध्यान दे रहा है।

[हिन्दी]

जान से बात करो दिल से बात करो।

[अनुवाद]

मगरमच्छी आंसू बहाने से आपको कोई समर्थन नहीं मिलेगा। गरीबी की पीड़ा समझिए; भुखमरी की पीड़ा समझिए; कृपया इस बात को महसूस कीजिए कि जब किसी व्यक्ति का रोजगार चला जाता है तो उस पर क्या गुजरती है। आप यहां केवल मेरी बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। मुझे विश्वास है कि वे लोग सभा की कार्यवाहियों को भी कभी नहीं देखते। यह एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था है जो इस देश को संपन्न बनाने वालों के प्रति कायरतापूर्ण तरीके से निष्क्रिय है।

महोदया, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के लगभग 90 करोड़ लोग प्रतिदिन 20 रुपये में गुजारा करते हैं और 79 प्रतिशत श्रमिक प्रतिदिन 20 रुपये पर जीवनयापन करता है।

[हिन्दी]

अधीर बाबू बोलिए, एक बंडल बीडी का दाम क्या है?

श्री अधीर चौधरी: आपकी इस रिपोर्ट से हम सहमत नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: ठीक है।

[हिन्दी]

आप हमारी रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं लेकिन वेज कितना है बताइए?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपके वक्तव्य के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं परन्तु मेरा यह कहना है कि यह आपकी सरकार द्वारा, प्रधान मंत्री जी द्वारा 2004 में गठित एक राष्ट्रीय आयोग का वक्तव्य है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: दासगुप्ता जी, आप बोलिए। कोई अन्य नहीं बोल रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग सुनिए। फिर आपकी बारी आएगी, आपको भी बोलना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों खड़े हो गए?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डाक्टर डोम आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मैं वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण का अवलोकन कर रहा हूं। मैं उद्योग और कृषि के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण का संदर्भ दे रहा हूं। इन दोनों क्षेत्रों के बारे में सर्वे में वर्णन किया गया है। कृषि के संबंध में यह कहा गया है:

> "सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की कम होती हिस्सेदारी के रुझानों के बावजूद आप वितरण के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व है क्योंकि देश का लगभग 58% रोजगार कृषि क्षेत्र प्रदान करता है।"

उनका यह कहना है कि कृषि की हिस्सेदारी में कमी आ रही है जिसका अर्थ है कि उत्पादन लागत में कमी आ रही है। यदि उत्पादन लागत में कमी आ रही है जैसा कि उनका कहना है तो मजदूरी में भी कमी आनी चाहिए। यह आरंभिक अर्थशास्त्र की एक सामान्य सी बात है।

अब मैं आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर उद्योग क्षेत्र की बात करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार 64.6 मिलियन से बढ़कर 100.07 मिलियन हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है परन्तु, यह वृद्धि किन लोगों के लिए है? इसमें यह उल्लेख किया गया है यह निर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होने के कारण हुआ है और निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों का प्रतिशत 21.9 है।

[हिन्दी]

वे कह रहे हैं कि निर्माण कर्मियों का काम ज्यादा हुआ है।

[अनुवाद]

देश में निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार है।

महोदया, निर्माण श्रमिकों की क्या स्थिति है? मैं कारपोरेट समाचार पत्रों द्वारा किए गए कुछ सर्वेक्षणों का उल्लेख कर रहा हूं न कि किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी कारपोरेट समाचार पत्रों का उल्लेख कर रहा हूं। 11 जुलाई, 2011 को एक अग्रणी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में यह कहा गया था:

"दिल्ली मेट्रो के निर्माण कार्य में लगे ठेका श्रमिकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया..."

आगे यह भी कहा गया है:

"मामूली सी बात पर हमारा रोजगार समाप्त कर दिया जाता है। हमें प्रतिमाह वेतन नहीं दिया जाता है। हमें दो माह में एक बार भुगतान किया जाता है। हमें छुट्टी के दिन काम करने का पैसा नहीं दिया जाता..."

इसमें कुछ और भी बातें कही गई हैं:

"भर्ती के समय हमें ठेकेदार को 15,000 से लेकर 70,000 रुपये तक देने होते हैं, इसके बावजूद हमें न्यूनतम दिहाड़ी से कम भुगतान किया जाता है।"

वहां जैसा कि बताया गया है बहुत से नारे लगाए जा रहे थे, ये नारे कौन-कौन से श्रमिकों ने भविष्य निधि, ई.एस.आई.सी. सुविधाओं और छुट्टी के दिन काम करने के लिए दोगुनी दिहाड़ी की मांग कर रहे थे। साथ ही वे भविष्य निधि ई.एस.आई.सी. और न्यूनतम मजदूरी कानूनों को लागू करने की मांग भी कर रहे थे। यह दिल्ली की स्थिति है। धनराशि कौन खर्च करता है? हमने दिल्ली मेट्रो हेतु बजट में धनराशि स्वीकृत की है। यह भारत सरकार और दिल्ली सरकार की जानकारी में है...*(व्यवधान)* इसमें हंसने की बात नहीं है। बल्कि खेदजनक है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कार्यालय दिल्ली में है। उनका यह कहना है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। उनका कहना है कि उन्हें भविष्य की सुविधा नहीं मिलती। उनका यह भी कहना है कि उन्हें प्रतिमाह भुगतान नहीं किया जाता। वे यह भी कह रहे हैं कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए।

सरकार का यह कहना है कि इन ठेका श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु, ठेका श्रमिकों की यह स्थिति है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है या केन्द्र सरकार? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किसने बनाया? यह कानून किसी राज्य विधानमंडल ने नहीं बनाया है। यह कानून संसद द्वारा बनाया गया है। इसका प्रवर्तन कौन सी एजेंसी करेगी? सरकार प्रवर्तक एजेंसी हैं। आरोपी कटघरे में है। केन्द्र सरकार कटघरे में है।

यदि आप अपने कानूनों को दिल्ली में भी लागू नहीं कर सकते तो देश में अन्य स्थानों पर क्या होगा? महोदया, कृपया मेरी बात सुनिए। यदि ऐसा दिल्ली में हो रहा है तो देश के अन्य भागों में क्या होगा?

निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़ा एक अन्य पहलू है। एक कानून बनाकर उनके लिये एक कल्याण कोष का गठन किया गया था। यह कोष उनके उत्थान के लिये निर्मित किया गया है। कोष की धनराशि का चौदह प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। महोदया, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। ठेका श्रमिकों हेतु कल्याण कोष से केवल 14 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है जबकि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस संबंध में आपको द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण आपको मेरी बात पर हंसना चाहिये या खेद व्यक्त करना चाहिए?

मैं स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं क्योंकि इस विषय पर चर्चा के दौरान सरकार के महत्वपूर्ण सदस्य अनुपस्थित हैं। यह उनकी राजनैतिक उदासीनता को दर्शाता है। यह राजनैतिक उदासीनता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरुदास दासगुप्त के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री गुरुदास दासगुप्त: भारत के एक अन्य अंग्रेजी दैनिक इकॉनामिक समाचार पत्र में 14 सितम्बर, 2011 को एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

यह सर्वेक्षण ग्रामीण मजदूरी के रुझान के संबंध में है।

[हिन्दी]

हम गांव की बात कर रहे हैं जहां 60 प्रतिशत लोग रहते हैं।

[अनुवाद]

कुल 60 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि कार्य में लगी है।

[हिन्दी]

उनकी वेज की हालत क्या है? हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

एक अग्रणी समाचारपत्र इस स्थिति के बारे में क्या कह रहे हैं? अग्रणी समाचार पत्र के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को समायोहित करने के उपरान्त पिछले 10 वर्षों के दौरान ग्रामीण मजदूरी के रुझान में कमी आई है।

[हिन्दी]

अरे महंगाई हो रही है, मजदूर की मजदूरी कम हो रही है और सरकार सो रही है। जनवादी सरकार तो चलेगी जरूर, वोट भी मिलेगा जरूर, दुबारा मंत्री भी बनेंगे जरूर, लेकिन महंगाई हो रही है और मजदूरों का वेज कम हो रहा है।

[अनुवाद]

मैडम, यह एक आर्थिक समाचार-पत्र की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं। कुछ मामलों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकतर मामलों में इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। यदि यह अपरिवर्तित रही है तो इसका अर्थ है कि वास्तविक मजदूरी कम हुई है। आप महंगाई को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु प्रबंध नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनकी मजदूरी कम हो रही है।

[हिन्दी]

स्पीकर जी *

दिल चाहिए, दिल नहीं है तो...

[अनुवाद]

ऐसे लोग हैं...

[हिन्दी]

हम आपको नहीं पॉलिटिकल सिस्टम को बोल रहे हैं।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सुनिये, आपको बात करने का अधिकार है, क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार है लेकिन...*(व्यवधान)* ऐसी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम सिस्टम को बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: कृपया आप अपनी बात को हमें समझाइये क्योंकि आप सीनियर हैं और मैं जानता हूं आप अपने हिसाब से बेहतर हैं...

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: ठीक है। मैं इस बात को समझता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आपकी बात सुनकर हमें खुशी होती है कि कम से कम आप अच्छे सजेशन्स देते हैं, तो उसका हमें कुछ न कुछ लाभ होगा और

[अनुवाद]

हम इसे लागू करने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

अगर आप इंस्ट्रीगेट या प्रवोकेट करेंगे तो वह फेल हो जाएगा। कृपया आप अपने को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए, आपको अच्छा भाषण आता है, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, कोन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, वैस्ट बंगाल से आते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैडम, मैं इनसे पूर्णत: सहमत हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं भुक्तभोगी हूं।

मैं इनसे पूर्णत: सहमत हूं परन्तु मैं कह रहा हूं कि मैं भुक्तभोगी हूं।

मैडम, अब मैं एक पाक्षिक राष्ट्रीय पत्रिका से दो रिपोर्टों का उल्लेख कर रहा हूं। एक रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश में बुनकरों के बारे में है तथा दूसरी तमिलनाडु में पत्थर तोड़ने वालों से संबंधित है।

एक राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका ने बुनकरों एवं पत्थर तोड़ने वालों से संबंधित सर्वाधिक उपेक्षित असंगठित श्रमिकों के दो वर्गों के जीवन यापन की परिस्थितियों के बारे में एक उल्लेखनीय सर्वेक्षण कराया था, इनमें से एक आन्ध्र प्रदेश तथा दूसरा तमिलनाडु में किया गया था।

बुनकरों के बारे में उनका कहना है "बुनकर सबसे ज्यादा ऋणग्रस्त हैं।"...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिये। यह रिपोर्ट किसकी है? यह भारत सरकार का हैंडलूम सेंसस है।

[हिन्दी]

फोर्टनाइट जरनल से मैं दो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, यह कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है। हमार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंडलूम सेंसस से कोट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उनके अनुसार "बुनाई पर आश्रित परिवार की औसत आय 75/- रु. प्रतिदिन है।" यदि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो यह आय प्रति व्यक्ति 5/- रु. प्रतिदिन होती है। यह उनको जीवन यापन की स्थिति है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 1,77,000 है। यह बात कौन कह रहा है? यह मेरी तरह कोई कम्युनिस्ट अथवा जोशी की तरह कोई कट्टरवादी नहीं कह रहा है *(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): मैं खुश हूं कि आपने मुझे कट्टरवादी कहा। इसका अर्थ है कि मेरा कट्टरवाद बहुत कमजोर नहीं अपितु मजबूत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मेरे विचार से आपको अब समाप्त करना चाहिए। आप 30 मिनट बोल चुके हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैडम, मैं अब बस समाप्त करने वाला हूं। यह भारत सरकार के हैंडलूम सेंसस को उद्धृत करते हुए एक राष्ट्रीय पक्षिक पत्रिका द्वारा कहा जा रहा है। हमें शर्मिन्दा होना चाहिए।

अब मैं एक पत्थर तोड़ने वाले के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं उसी पाक्षिक द्वारा 9 मार्च, 2012 को प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं। इसका शीर्षक है "पिट्स ऑफ हॉरर".

> "पत्थर तोड़ने का काम करने वाले एक कामगार को उसके घर से बाहर खींचकर बुरी तरह पीटा गया और मानव मल खाने के लिए बाध्य किया गया।" महोदया, यह रिपोर्ट है। मैं रोकूं? उसे मानव मल खाने के लिए बाध्य किया गया। यह खबर एक जाने माने पाक्षिक में प्रकाशित हुई है। यह हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने विरोध किया था। वहां जो जघन्य बर्बरता हो रही है वह मानवता के प्रति पाप है। हम श्रीलंका में मानवता के प्रति किये जा रहे अपराधों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। किंतु तमिलनाडु में हो रहे इस प्रकार के अपराधों के बारे में आप क्या कहेंगे? खुलेआम होने वाले इस अपराध के बारे में आपका क्या कहना है?...*(व्यवधान)* यह दो वर्ष पहले हुआ था।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, मुझे बस थोड़ा ही और बोलना है। मैं समाप्ति पर हूं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में क्या कहना है? मैंने निजी क्षेत्र के बारे में यह कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या हुआ? केंद्र सरकार स्वामी है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत कामगार ठेका और नैमित्तिक कामगार हैं। महोदया, संसद में भी ठेका मजदूर हैं। संभवत: कुछ मामलों में उन्हें भी नियमानुसार भुगतान नहीं मिलता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारणर यह किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं के पास किसी भी मजदूरी पर काम स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हर जगह यह हो रहा है।

महोदया, शाइनिंग इंडिया उभरते हुए भारत की यह कहानी है। एक उभरते हुए राष्ट्र के पीछे यही कहानी है। राजनैतिक प्रणाली के विश्वासघात की यही कहानी है। मैं केवल एक सरकार पर आरोप नहीं लगाता। यह पूरी राजनैतिक व्यवस्था का विश्वासघात है। हम इस तरह से प्रगति करेंगे और इस तरह से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं। कामकाजी जनता को दर किनार करके ही अभी तक विकास किया जाता रहा है।

महोदया, यह और भी दुखद है कि एक लोकतांत्रिक समाज में विरोध करने के अधिकार को भी छीना जा रहा है। हमें विरोध नहीं करने दिया जा रहा है। हमें यूनियन बनाने से मना किया जा रहा है। हमें हड़ताल करने से रोका जा रहा है। यह हमारा मूल अधिकार है। संसद द्वारा बनाये गए 48 कानून देश में लागू हैं। इन सभी कानूनों का उललंघन किया जाता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। भविष्य निधि योजना में 4,50,00,000 लोग लाभार्थी हैं और चूक 1,50,000 करोड़ रुपये की है। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? कानून कहां है?

क्या मैं कह सकता हूं कि सरकार इस कटु सच्चाई के प्रति आंखें बंद किए हुए है। यह कटु सच्चाई से अनजान है। प्रधान मंत्री कामगारों की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि प्रधान मंत्री यहां होते तो मैं ऐसा कहता। वह मेरे अच्छे मित्र हैं। वह संसद में कब आए थे? वह 1985 में आए थे। मैं कहता कि प्रधान मंत्री जी को बताने दो कि मैं उनसे कितनी बार मिला। कितनी बार मैंने उनसे अनुरोध किया कि मारुति में आरोप-पत्र न होने पर भी 500 कामगारों की छंटनी कर दी गई; उन्हें वापिस लीजिए। कितनी बार मैंने प्रधान मंत्री को कहा, मैंने उनसे प्रार्थना की कि गुड़गांव में ट्रेड यूनियनों को पंजीकृत नहीं होने दिया जा रहा है; कृपया हस्तक्षेप करें। मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री के पास किंगफिशर के मालिक, जिसने कर अपवंचन किया है, मिलन का वक्त है परन्तु उनके पास ट्रेड यूनियनों से मिलने का वक्त नहीं है। जब हम 2004-2008 तक सरकार का समर्थन कर रहे थे तो केवल एक बार बैठक हुई थी। वह हमसे नहीं मिल सकते। हम पहुंच से बाहर हैं; हम हितधारक नहीं हैं; हम पर ध्यान देने के जरूरत नहीं है; हमें अलग-थलग कर दिया जाता है। महोदय, क्या यही होता रहेगा?

यदि प्रधान मंत्री की कारपोरेट के प्रति प्रतिबद्धता है तो उन्हें कामगारों के प्रति भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। किंतु ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री जी का एक ही नेत्र है।

अंत में, मैं सभी ट्रेड यूनियनों की तरफ से इस संसद में यह घोषणा करता हूं, हम कामगारों पर यह अत्याचार नहीं होने देंगे। हम तुमको नहीं मानेंगे। ट्रेड यूनियनों को एक और हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर न करें। कामगारों को दो दिन की हड़ताल करने पर मजबूर न करें। सभी ट्रेड यूनियन संगठित हैं। हम कई दशकों से सरकार द्वारा की जा रही गैर-कानूनी गतिविधि को स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

हम क्या चाहते हैं? हम काम का दाम चाहते हैं। मेहरबानी करके बताओ। हम क्या चाहते हैं? हम ट्रेड यूनियन करने का अधिकार चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सब काम का समान दाम होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम मिनिमम वेजेज चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम असंगठित मजदूर के लिए कानून चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम जीने का अधिकार चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम बिजली बनाते हैं। लेकिन हमारे घर में

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

बिजली नहीं है। हम कपड़ा बनाते हैं लेकिन हमारी घरवाली बिना कपड़ों के हैं। हम गेहूं बनाते हैं लेकिन हम भूखे रहते हैं। क्या ऐसे चलेगा? बनाते हम हैं और खाएंगे आप।

[अनुवाद]

मैं एक सरल तथ्य से अपनी बात समाप्त करूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ संख्या 225 पर लिखा है:

"यह न केवल उद्योग की संक्रमण लागत को बढ़ाता है बल्कि यह कई प्रकार से संभावित निवेशकों को भी हतोत्साहित करता है।"

वे श्रम कानून की बात कर रहे हैं। वे श्रम कानून नरम बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। यह चर्चा में किसी भी कानून को अनुमति नहीं दी जा रही है; किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा रहा, क्य यह पूंजीवादियों के लिए खुली छूट नहीं है। प्रगति के लिए, विकास के लिए कामगारों का बलिदान तो अवश्य दिया जाना चाहिए। किंतु उनकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। सरकार यह दलील दे रही है। महोदया, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है।

मेरे प्रिय मित्र श्री मल्लिकार्जुन ने एक साक्षात्कार दिया है। इसकी एक प्रति मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि श्रम कानून आर्थिक विकास के रास्ते में नहीं आते। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में वह इस सरकार में कामगारों के हिमायती मंत्री हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

महोदया, अंत में हम चाहते हैं कि आप लोग मेहरबानी करके हमारे साथ इस सवाल को उठाइए। सरकार को मजबूत कीजिए। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हम चाहते हैं कि इकट्ठा होकर हम सब रोटी के लिए लड़ें। हम आंजादी के लिए जरूर लड़ें। रोटी के लिए हम लड़ें कि हमारे देश में जो मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनके हित में हम आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं। आप सब ट्रेड यूनियन को आशीर्वाद दीजिए। हमें लड़ने दीजिए। हम लड़ते हुए ही आगे बढ़ेंगे और लड़ते लड़ते इंसान की मंजिल तक आगे जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं नियम 193 के अंतर्गत श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए मुद्दे की प्रशंसा करता हूं; परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय के लिए मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है जितनी मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी की थी क्योंकि मेरे दल के नेता द्वारा मुझे एक घंटा पहले ही वाद-विवाद में भाग लेने का निदेश दिया गया है।

हम सबने श्री गुरुदास दासगुप्ता जी की भावनाओं से पूर्ण संवेदनशील भाषण को सुना और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ट्रेड यूनियन के मंच पर व्याख्यान दे रहे हों। हम जानते हैं कि श्रमिक हित उनका मुख्य मुद्दा रहता है। वह बहुत पुराने और विख्यात ट्रेड यूनियन नेता हैं। हम सब भारत में श्रम आंदोलन में उनके योगदान की प्रशंसा करते हैं। परन्तु सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं और श्री गुरुदास दासगुप्त को याद दिलाना चाहता हूं कि निर्यात ने कम्युनिस्टों को इस देश के कुछ भागों विशेषकर पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा पर शासन की जिम्मेदारी दी थी। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों ने 34 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया था। पश्चिम बंगाल में कम्यूनिस्ट शासन के दौरान कम्युनिस्ट शासन द्वारा प्रतिपादित गलत और पुरानी पड़ गई अप्रचलित विचारधारा के कारण 65 हजार औद्योगिक इकाईयां बंद कर दी गईं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या हो रहा है? कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी: उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कामगारों को केवल पैसा दिया जाना चाहिये। उनसे काम नहीं लिया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन के दौरान कार्य संस्कृति पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। वामपंथी शासन के दौरान लाखों कामगारों की छंटनी की गई।

मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक गरीब कामगार भिखारी पासवान जो दलित समाज से संबंधित हैं जिसने मिल मालिक के अत्याचार का विरोध करने के लिए हड़ताल में भाग लेने का साहस किया था,

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसे मरवा दिया गया जबकि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार इस भयानक घटना को मूक दर्शक बनी देखती रही।

अब, दिल्ली में वे संत बन रहे हैं, परन्तु पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों और कामकाजी वर्ग का वर्षों तक उनके असभ्य रूप से ही सामना हुआ।

श्री अधीर चौधरी: यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के लोगों जिसमें मजदूर भी शामिल हैं, ने उन्हें सत्ता से हटाना पसन्द किया। ये लोग यहां श्रमिकों के कल्याण की बात कर रहे हैं। मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत में पश्चिम बंगाल ही अकेला ऐसा राज्य है जहां भविष्य निधि का सर्वाधिक पैसा बकाया था।

भारत में पश्चिम बंगाल ही अकेला ऐसा राज्य है जहां हजारों मजदूरों को उनके भविष्य निधि देयों से वंचित किया गया क्योंकि इनके 34 साल के शासन के दौरान इनकी औद्योगि और निगमित क्षेत्रों के साथ मिलीभगत थी जिनपर गरीब मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखने हेतु दबाव डाला गया था। अब ये सब कुछ भूल रहे हैं। अब ये मजदूर वर्ग के कल्याण हेतु उपदेश दे रहे हैं।

क्या कभी उन्होंने गरीब लोगों को काम का अधिकार देने के बारे में सोचा? क्या आम आदमी को काम का अधिकार कभी उनके घोषणा पत्र में शामिल किया गया नहीं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी की प्रेरणा से पहली बार इसकी संकल्पना की गयी और इसे लागू किया जा रहा है, हालांकि सभी लोग संप्रग सरकार को बुर्जुआ की सरकार कहते हैं जो साम्राज्यवादियों की समर्थक हैं, लेकिन इसी बुर्जुआ सरकार ने आम आदमी को काम का अधिकार दिया है।

क्या इन्होंने कभी सोचा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जा सकती है? नहीं। इसी सरकार ने ऐसा सोचा। यही नहीं, इस सरकार ने हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को लागू करना शुरू भी कर दिया है। इसे इस वर्ष के बजट में भी शामिल किया गया है, जिसका पाठ इस प्रकार है:

"हमारी सरकार ने सभी लक्षित लोगों विशेषकर गरीब और दुर्बल वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा का एक कानूनी हक बनाते हुए परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा सृजित करने के निश्चित उपाय किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है।"

इन्हें इस बुर्जुआ सरकार से कुछ सीखना चाहिए। इन्हें इस संप्रग सरकार से कुछ सीखना चाहिये।

क्या इन्होंने कभी सोचा कि आम आदमी को शिक्षा का अधिकार दिया जा सकता है नहीं। हमने इस सरकार ने ही महसूस किया कि भारत तेजी से समृद्ध होता हुआ देश है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: शिक्षा का अधिकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिये, आप उन्हें डिस्टर्ब मत करिये। आप क्यों खड़े हो गये, बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री अधीर चौधरी के अतिरिक्त कुछ भी संसद के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी: महोदया, मैं छद्म आधुनिकतावादियों से बात कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाईये। उन्हें बोलने दीजिये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री चौधरी, आप जारी रखें। कृपया आसन को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर चौधरी: पश्चिम बंगाल पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य सभी सामाजिक क्षेत्रों में बदनाम है। वाम दलों के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल पहले ही बदनाम हो चुका है।...*(व्यवधान)* हमारा देश उन्नति कर रहा है; औद्योगिक जगत समेत पूरा विश्व हमसे ईर्ष्या कर रहा है, यहां तक कि अमरीका के राष्ट्रपति श्री ओबामा अमरीका में छात्रों को प्रोत्साहित करते रहे हैं कि "यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो सारी नौकरियां बैंगलोर चली जाएंगी। इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब विकसित देश भारत का अनुकरण और इससे होड़ कर रहे हैं और यही कारण है कि हमें विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति का दर्जा मिला है, और यही श्री गुरुदास जी की ईर्ष्या का कारण भी है।

हमारी सरकार ने इससे कभी इंकार नहीं किया है कि हमने सभी क्षेत्रों में पूरी प्रगति कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ अरुचिकर पहलू भी हैं। हम अन्य क्षेत्रों जहां से हमारे समाज का गरीब और कमजोर तबका आता है, में अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया है। हमने बहुत सारा काम कर लिया है परन्तु अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अभी हमें मीलों आगे जाना है। हमारा उद्देश्य केवल राजनैतिक उद्धार ही नहीं बल्कि आर्थिक उद्धार भी करना है। हां, अभी भी असंतुलन है...*(व्यवधान)* अभी भी असमानता है, अभी भी विसंगतियां हैं; और अभी भी हमारे समाज में भेदभाव है और कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

मैं संबंधित मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2004-2005 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 45.9 करोड़ था। इसमें से 42.6 करोड़ संगठित क्षेत्र में था और शेष 43.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में भी। असंगठित क्षेत्र के 43.3 करोड़ श्रमिकों में से 26.9 करोड़ श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे; 2.6 करोड़ श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे; 2.6 करोड़ निर्माण क्षेत्र में; और शेष विनिर्माण गतिविधियों, व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाओं में लगे हुए थे। बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक गृह-आधारित हैं और बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, सिलाई और कढ़ाई कार्य जैसे व्यवसाय में लगे हुए हैं।

समस्या यह है कि हमारे देश में कामकाजी वर्ग के कल्याण हेतु अनेक कानून हैं। हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है परन्तु समस्या यह है कि उन कानूनों के आशय और विषय वस्तु का सही अर्थों में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है और यही कानून की आवश्यकता है। अनेक कानून जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 विद्यमान हैं जो संगठित क्षेत्र में कर्मकारों पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लागू हैं। परन्तु इन कानूनों को कौन लागू करेगा जिससे कर्मकारों को लाभ मिल सके? यह राज्य सरकार का दायित्व है।

महोदया, मैं ऐसे जिले से हूं जहां बड़ी संख्या में बीड़ी कर्मकार रहते हैं। मेरे जिले में लाखों बीड़ी कर्मकार बीड़ी बनाने, बीड़ी निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री उस क्षेत्र से निर्वाचित हैं जहां बीड़ी कर्मकारों की बड़ी आबादी है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक 1976 की बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम का संबंध है, जो कि बीड़ी कर्मकारों के लाभ के लिए संसद द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, यह पता चला है कि निधि की मात्रा में तेजी से कमी आ रही है। यह निधि बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए आवश्यक पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं कर पा रही है। यह विशेष निधि विनिर्मित प्रति हजार बीड़ियों पर 0.5 प्रतिशत उपकर एकत्र करके बनाई गई थी। किंतु महंगाई के दौर में जब हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं मैं समझता हूं कि यह निधि गरीब बीड़ी कर्मकारों का अपेक्षित कल्याण करने के लिए अपर्याप्त है।

महोदया, इस कल्याण अधिनियम में एक प्रावधान है कि बीड़ी कर्मकारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा क्योंकि बीड़ी कर्मकार दमा, स्पॉन्डिलाइटिस, फेफड़े के रोगों, त्वचा रोगों इत्यादि से पीड़ित हैं। स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि देश भर में सात अस्पतालों और 204 औषधालयों के माध्यम से 5.5 लाख चिन्हित किए गए बीड़ी कर्मकारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पंजीकृत कर्मकारों और गैर-पंजीकृत कर्मकारों की संख्या

के संबंध में भारी बेमेल और विवाद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक बेईमान व्यापारी हमेशा बीड़ी कर्मकारों की वास्तविक संख्या छिपाने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक बीड़ी कर्मकारों को इस अधिनियम के माध्यम से प्रदान की जा रही कल्याण सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।

समिति ने यह भी कहा कि बीड़ी कर्मकारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्पतालों की संख्या अपर्याप्त है। इनमें से अधिकांश अस्पताल दूरदराज के स्थानों पर और कर्मकारों की पहुंच से बाहर हैं जिसके कारण वे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। समिति ने पाया कि बीड़ी रोलिंग से जुड़ी सामान्य समस्याएं हैं - श्वास संबंधी, दमा, शरीर दर्द, सिर दर्द, आंखों में चुभन, क्षय रोग और स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीड़ी रोलर्स और बीड़ी बनाने में लगे हुए अन्य लोगों को भी प्रभावित करती हैं। समिति नोट करती है कि बीड़ी कर्मकारों के लिए बने सभी सात अस्पतालों में स्थान उनकी आबादी के अनुपात में नहीं हैं। यही नहीं, हम अस्पतालों में बीड़ी कर्मकारों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त उपकरण भी नहीं है और इन अस्पतालों में चिकित्सा तथा पैरामैडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है।

अध्यक्ष महोदया: अधीर रंजन जी, आपका समय पूरा हो गया।

श्री अधीर चौधरी: महोदया, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वह हमारे देश में कर्मकारों के कल्याण के सरोकारों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो जूट की खेती और जूट उद्योग के लिए विख्यात है। पश्चिम बंगाल राज्य में कई जूट मिलें बंद हो चुकी हैं। सैंकड़ों कर्मकारों को उनके हक से वंचित रखा गया है। बिना बकाया चुकाये भाग जाने वाले मिल मालिक जूट कर्मकारों का शोषण कर रहे हैं। तथापि, कुकर्मो के बावजूद भी वे जूट मिल मालिक खुलेआम घूम रहे हैं।

अपराह्न 03.37 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना पीठासीन हुए)

जहां एक तरफ लाखों जूट किसान पश्चिम बंगाल में जूट पैदा कर रहे हैं परन्तु उन्हें अपनी उत्पादन लागत के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ जो जूट मिलों में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी उनके हक से वंचित किया जाता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरी चिंताओं पर ध्यान दें और मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री हर निश्चित और प्रभावी उपाय करेंगे ताकि हमारे देश में गरीब कर्मकारों की कार्य की दशाओं में सुधार किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति जी, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह विषय अब किसी एक राजनैतिक पार्टी या किसी एक सरकार से संबंधित नहीं है। यह देश की 70 से 75 प्रतिशत गरीब जनता के भाग्य से संबंधित है जो किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वे सभी पार्टियों में हैं और इस आशा से हैं कि कोई न कोई शायद उनकी अंधेरी रात में भी सुबह का उजाला ला सके। इसलिए मेरा सदन से यह अनुरोध है कि इस सवाल पर पार्टी के हिसाब से नहीं, परंतु देश की जो नीतियां हैं, उनके हिसाब से चर्चा होनी चाहिए।

सभापति जी, जब हमारा संविधान बना था, तब उसमें हमने कुछ बातें कही थीं। हमने संविधान के अनुच्छेद 43 में यह कहा था और उसमें जो डायरैक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है -

[अनुवाद]

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 में यह कहा गया है कि:-

राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

[हिन्दी]

मैंने संविधान के इस अनुच्छेद का ज़िक्र इसलिए किया, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर ने यह कहा है कि सबसे अधिक मजदूरों का शोषण एग्रीकल्चर वेज वर्कर का होता है। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की सबसे अधिक दुर्गति है, सबसे अधिक शोषण है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि पचास प्रतिशत उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इस देश की एग्रीकल्चरं लेबर की संख्या, इस देश की कुल मजदूरों की संख्या का पचास प्रतिशत है। 94 प्रतिशत मजदूर इस देश में असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसमें 11 करोड़ लोग कृषि के मजदूर हैं और इनमें भी 50 प्रतिशत संख्या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। अब यह देखने की बात है कि इतनी बड़ी मजदूर संख्या, इतना बड़े लेबर फोर्स की आर्थिक स्थिति क्या है? सरकार की नीतियों ने अभी तक इसके बारे में क्या किया है? हमारे देश की सभी सरकारों की नीतियां इसमें उजागर होंगी। क्या इन मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है? इन मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निश्चित करने के लिए क्या कोई काम प्लानिंग कमीशन ने या सरकारों ने या श्रम मंत्रालय ने किया है? यह बुनियादी सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं -

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग का यह कहना है कि भारत में अधिकांश कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय इतनी कम है कि वे अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते। फिर आगे वह यह भी कहता है कि ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों की अत्यंत गरीबों का प्राथमिक कारण यह है कि पर्याप्त मजदूरों की तो बात ही छोड़िए उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है।

[हिन्दी]

कोई सिद्धांत तो होना चाहिए कि न्यूनतम वेतन कितना होगा? अगर संविधान यह कहता है कि डिसेंट लिविंग स्टैंड्र्ड मिलना चाहिए। अगर संविधान यह कहता है, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ कर सुनाया -

[अनुवाद]

कृषि, औद्योगिक और अन्य सभी कामगारों को ऐसी जीवन निर्वाह मजदूरी, कार्य करने की स्थिति सुरक्षित करना जिससे एक अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित हो सके। एक अच्छा जीवन स्तर क्या है?

[हिन्दी]

क्या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ केवल शहरी लोगों के लिए होगा? क्या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ केवल धनी लोगों के लिए होगा या एक सामान्य आदमी को, कृषक को, किसी मजदूर को, असंगठित मजदूर को और यहां तक कि संगठित क्षेत्र के मजदूर को भी यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा? यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? इस डिसेंट का क्या मतलब है? जैसा वह अभी बता रहे थे और जैसा मैंने कुछ रिपोर्ट्स में देखा है कि गोबर में से चुनकर अनाज खाने की स्थिति आज बहुत से शेड्यूल्ड कॉस्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों की है। क्या यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है? कोई व्यक्ति वहां बीमार हो जाने पर एक टेबलट खाने के लिए भी पैसा न जुटा सके, क्या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है? ऐसे किसी परिवार का बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए न जा सके, क्या यह डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है? क्या यह वही डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जिसके लिए वर्ष 1948 में मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया था और उसको फिर आगे बढ़ाया गया? आज हम यह पूछना चाहेंगे कि किन सरकारों ने मिनमम वेज एक्ट की परिभाषा दी है? क्या वह आज की परिस्थिति में ठीक है? क्या इस मिनिमम वेज में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोई समानुपातिकता है, कोई प्रपोशन है, कोई डिफेरैंशियल है? क्या आप कोई वजह बता सकते हैं कि नीतियां क्यों नहीं बन रही हैं? संविधान कहता है कि नीति बनाइए, कानून बनाइए। अब यह हम सब जानते हैं कि डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स का...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कभी नहीं से देर भली। अब हम वंदेमातरम और भारत माता की जय बोलने जा रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदया: माननीय सदस्यो कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: ये क्या हैं? मिनिमम कन्ज़म्पशन नीड्स कितनी होंगी? सभापति महोदय, ये सारे बुनियादी सवाल हैं जो सरकार को तय करना है। अगर इस देश की आबादी का 60-70 प्रतिशत इस तरह से गुजारा करेगा तो आप इस देश को बड़ा कैसे बनाएंगे? इमर्जेन्ट इंडिया तो इस तमाम रेगिस्तान के बीच में एक बहुत छोटा-सा द्वीप है, और सफ्फरिंग इंडिया भी इस देश का एक बहुत बड़ा इलाका है, जो भाग्य लेकर नहीं, केवल दुर्भाग्य लेकर आया है। इसलिए शायद वह इस दुर्भाग्य को बदलने के लिए आपकी तरफ देखते हैं कि कभी आप इसे भाग्य में बदलेंगे और फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। यह सवाल बड़ा गहरा है। ऐसा भारत कभी भविष्य में महाशक्ति नहीं बन सकता? आप कैसे इस देश को महाशक्ति बनाएंगे? अगर 70-75 करोड़ लोग इस दुर्दशा में ग्रस्त हैं, आर्थिक दृष्टि से बदहाली में हैं जो बीमारी में इलाज नहीं करा सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, दो जून खाना नहीं खा सकते, ऐसे इस देश भारत को हम दुनिया की महान शक्ति बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं? वह केवल कागजों में होगा।

मुझे अफसोस है कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। योजना विभाग भी उन्हीं के पास है। माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां नहीं हैं। माननीय श्रम मंत्री जी हैं, लेकिन माननीय उद्योग मंत्री यहां नहीं हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं। टेक्नॉलोजी, शिक्षा, ये सारी चीजें इन चीजों के साथ जुड़ी हुई हैं। केवल श्रमिक को हम वायदा कर दें या कागज पर कुछ बना दें तो इससे काम नहीं होगा। उनके बच्चे कैसे प्रशिक्षित होंगे? उनको कैसे आप ले जाएंगे? उनको उत्पादक कैसे बनाएंगे? वह देश के उद्योगों में, देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अपना योगदान दे सकेंगे, इसके बारे में आप क्या व्यवस्था करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता।

हमारे पास आपके श्रम विभाग की रिपोर्ट है जो श्रम की स्थिति के बारे में बताती है कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। यह भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति

[अनुवाद]

रोजगार और भारत में बेरोजगारी की स्थिति, 2009-10

[हिन्दी]

वह कहता है कि बेरोजगारी दर श्रम बल में हजार व्यक्तियों में बेरोजगारों की संख्या सामान्य स्थिति के अनुसार पी.एस.एस. प्लस ए.एस.एस., ग्रामीण क्षेत्रों में 16 एवं शहरी क्षेत्रों में 34 है। यह शहरी महिलाओं में 57 और शहरी पुरुषों में 28, और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं में 16 है। चालू दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की दर सामान्य स्थिति एवं साप्ताहिक स्थिति के अनुसार प्राप्त दरों से अधिक है और इसके अनुसार बेरोज़गारी की दर ग्रामीण क्षेत्र में 33 एवं शहरी क्षेत्र में 41 है। चालू दैनिक स्थिति सी.डी.एस. के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 68 और शहरी क्षेत्रों में 58 है। इसी तरह से युवकों में, जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष थी, इनमें बेरोजगारी दर पूरी जनसंख्या की तुलना में बहुत अधिक है। यही 15 से 29 वर्ष आयु की वह शक्ति है जो सबसे प्रोडक्टिव है, सबसे ऊर्जावान है। अगर वह पिछड़ गयी तो फिर वह बहुत सालों तक पिछड़ी रहेगी। उसका फिर कोई उपयोग नहीं होगा।

[अनुवाद]

यह आर्थिक शक्ति है।

[हिन्दी]

भारत आगे वर्ष 2025-30 तक नहीं, शायद वर्ष 2040 तक दुनिया का सबसे नौजवान देश रहेगा। अगर आज उसकी हालत यह है कि वह बेरोजगार रहेगा तो मैं नहीं जानता कि आप उस देश के भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं? मुझे चिंता होती है, मुझे डर होता है। यह रिपोर्ट कहती है कि सामान्य स्थिति के अनुसार इन शिक्षित युवकों में बेरोजगारी दर ग्रामीण पुरुषों के लिए 8 प्रतिशत, ग्रामीण महिलाओं के लिए 18 प्रतिशत, शहरी पुरुषों के लिए 10 प्रतिशत और शहरी महिलाओं के लिए 23 प्रतिशत है।

आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की दर की यह स्थिति है। यह किन नीतियों का परिणाम है, इसको तो हम आगे देखेंगे। लेकिन, अभी जरा लैटेस्ट इकॉनोमिक सर्वे की तरफ भी देख लें। संगठित क्षेत्र में रोजगार यह इकॉनोमिक सर्वे के 13.16 में लिखता है -

[अनुवाद]

2010 में सार्वजनिक और निजी संगठित क्षेत्र में सम्मिलित रूप से रोजगार में 1.9 प्रतिशत की दर से

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

वृद्धि हुई जो कि गत वर्ष की वार्षिक वृद्धि से कम है। निजी क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर सार्वजनिक क्षेत्र से काफी अधिक थी। तथापि, दोनों क्षेत्रों के संबंध में 2010 में रोजगार में वार्षिक वृद्धि में कमी आई है।

मार्च, 2010 में संगठित क्षेत्र में रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 20.4 प्रतिशत थी और तब से यह बस स्थिर बनी हुई है।

[हिन्दी]

अब आप देखिए, क्या हालत है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समग्र रोजगार यही है।

[हिन्दी]

आपकी टेबल 13.9 कहती है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र में 2008 से 0.7 प्रतिशत परिवर्तन हुआ जो कि 2010 में 0.4 प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ है कि दर में कमी आई है।

[हिन्दी]

पहले जो 0.7 परसैंट था, वह 0.4 परसैंट हो गया।

[अनुवाद]

रोजगार की विकास दर में कमी आई है।

[हिन्दी]

यानी नौकरियां, जॉब्स और साधन कम हैं। प्राइवेट सैक्टर में जो ये सन् 2008-09 का परसंटेज 5.1 था, वह घट कर 4.5 रह गया है। इस तरह से सारे देश में जो दोनों सैक्टर्स हैं, उनमें मिला कर, जो पहले ग्रोथ रेट सन् 2008-09 में 2.3 था, वह 2009-10 में घट कर 1.9 रह गया है। सन् 2010-11 में वही ट्रेंड है। तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके सर्वे बराबर कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर, इन दोनों में एम्प्लॉयमेंट घट रही है। ये घटा हुआ एम्प्लॉयमेंट है तो ये कहां जाता है? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो वह उधर जाता है, जिसका नाम इन्होंने कांट्रेक्चुअल लेबर कहा। यह जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट था, यह जब कम हुआ, कम तो हो रहा है, तो यह कहा गया? इसलिए कांट्रेक्चुअल लेबर में जाने की रफ्तार बढ़ रही है और परमानेंट लेबर में आने की रफ्तार घट रही है। कांट्रेक्चुअल लेबर की दास्तान कुछ तो गुरुदास दास जी ने सुनाई, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यह सबसे खराब बात है। मैं अभी देख रहा था, कौटिल्य ने जो आज से ढ़ाई हजार साल पहले बात कही थी, मुझे देख कर कुछ आश्चर्य भी हुआ। वह सरकार को कहता है-

वह कह रहा है कि जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है और देश की सम्पत्ति में वृद्धि कर रहा है और देशभक्त है, उसको आप परमानेंट करिए। उसको आप कांट्रेक्ट एवं टेम्परेरी में मत रखिए, उसे परमानेंट बनाइए, क्योंकि वह कहता है कि वह ईमानदारी से काम कर रहा है। वह देश की सम्पत्ति को बढ़ा रहा है। वह भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, इसलिए उसे आप परमानेंट करिए। यहां जो ईमानदार आदमी काम कर रहा है, अपना खून-पसीना बहा कर काम कर रहा है, उसे आप कांट्रेक्ट के लिए भेज रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, माफ कीजिए, उनको आप प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जा रहे हैं। यह क्या बात है? सारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में इतना आंदोलन है। आज भी भ्रष्टाचारी खुले घूम रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार एवं देशभक्त आदमी है, जिसका कोई निहित स्वार्थ नहीं है, जो दो-जून रोटी के लिए मेहनत करना चाहता है, अपना खून-पसीना बहाना चाहता है, जो देश की सारी, जितनी भी मशीनरी है, उसे चलाता है, रेल, मोटर, बस एवं मशीन जो चलाता है, उसको आप निकाल कर बाहर कर देते हैं कि तू ईमानदार है, इसलिए तुम बाहर चले जाओ। तुम ठेके पर काम करो और ये बेईमान है, इसे आगे बढ़ाओ। इसका नतीजा क्या हुआ है, आप जरा देखीए। हमारे देश में इसका एक और परिणाम हुआ है, वह परिणाम यह है, आप देखें कि वेजेस का क्या हाल हुआ है। आज जिस तरह से वेजेस बढ़ रहे हैं, वे ये हैं -

[अनुवाद]

"भारतीय बाजार ने सी.ई.ओ. की वेतन वृद्धि में विश्व के अग्रणी देशों को पछाड़ दिया" सी.ई.ओ. की पगारें किस तरह बढ़ रही हैं। 2010-11 में वेतन और भत्ते के रूप में

7.35 करोड़ रु. किसी व्यक्ति का वेतन मैं यहां व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

ये 11 परसैंट से बढ़ गया, 2.04 किसी दूसरे को मिला, वे भी कहीं सी.ई.ओ. थे, वह 27.5 परसैंट से बढ़ा। किसी को 1.84 करोड़ का मिला और किसी एक सी.ई.ओ. को 0.58 मिलियन डालर्स का कम्पनसेशन मिला। दूसरी तरफ 15 रुपए प्रति दिन के ऊपर आप लोगों को रहने के लिए मजबूत कर रहे हैं। 15 रुपए प्रति दिन आपने, आपकी प्लानिंग कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि 15 रुपए बेसिक मिनिमम है। 25-26 रुपये होने पर और 32 रुपये होने पर तो वह अमीर हो जाता है, लेकिन 15 रुपया सब्सिस्टेंस है और यहां हमने कैलकुलेट किया कि एक उद्योग में एक उद्योगपति की आमदनी 17 लाख रुपये प्रति दिन है। उसका कोई हिसाब तो होना चाहिए, 17 लाख रुपये प्रति दिन और उसी के यहां आप कोई न्यूनतम वेतन तय नहीं करना चाहते। कोई हिसाब रहेगा कि नहीं रहेगा।

सम्पत्ति बढ़नी चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं है। गुरुदास दासगुप्त जी को भी एतराज नहीं है, बसुदेव आचार्य जी चले गये, उनको भी एतराज नहीं है, मुझे भी एतराज नहीं है। देश की सम्पत्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन उसका वितरण ठीक होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना चाहिए और वह तभी हो सकता है, जब आप न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन, इसका कोई तो फार्मूला तय करिये, कहीं से तो शुरू करिये। एक समय जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय नारे लगते थे कि न्यूनतम और अधिकतम में एक और दस का अनुपात होना चाहिए। 1:10, हमारे यहां समाजवादी पार्टी के संसद् सदस्य बैठे हैं, डॉ. लोहिया यही कहते थे, 1:10, आज क्या हाल है। 15 रुपया और 17 लाख रुपया, इसमें कोई हिसाब है, कोई अनुपात है? उसको 17 लाख देना है तो दीजिए, मगर इसको भी तो 1.70 लाख दीजिए। मुझे इसमें ऐतराज नहीं है कि पैसा कमाइये, लाइये, देश की सम्पत्ति को बढ़ाइये, लेकिन नहीं...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: पोलिटिकल पार्टीज को दीजिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: पोलिटिकल पार्टीज़ को दें तो आपको भी मिलेगा, उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह सम्पत्ति की वृद्धि और वितरण, सारे देश का सामूहिक रूप से संगठित आन्दोलन यह मांग करता है और सरकार उससे मिलना भी नहीं चाहती। मुझे जानकर बहुत तकलीफ हुई, जब गुरुदास दासगुप्ता जी ने यह कहा कि सारी ट्रेड यूनियंस के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने मिलने की तकलीफ गवारा नहीं की और तब मिलने लगे, जबकि सारी स्ट्राइक घोषित हो गई और तब उन्होंने अपनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि को बुलाया कि आइये, जरा बात कर लें। मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि मैं अकेले बात नहीं करूंगा, अगर आप सबको बुलाएंगे, सब के साथ बात होगी तो मैं बात करूंगा। आप इस बात पर गौर कीजिए कि यह परिस्थिति इस देश के सामने क्यों आ रही है। अब यह नहीं चलेगा कि हम कुछ खास-खास लोगों को और बहुत अधिक मात्रा में धनवान बनने दें और देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को हम गरीबी के रौरव नर्क में जूझने के लिए इजाजत दें। आपको देखना चाहिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है।

वे अभी बीड़ी मजदूर की बात कर रहे थे, मेरे यहां बहुत बड़ी मात्रा में बुनकर हैं, सारे आन्ध्र प्रदेश में बुनकर हैं। हमारे यहां देश के अन्दर जो काम करने वाले हजारों-लाखों लोग हैं, वे कहां जाएंगे? वे भी मनुष्य हैं, हमारे इसी संविधान के अन्तर्गत उन्हें जीवन का अधिकार मिला है। आप जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रस्तावों की आप सम्पुष्टि नहीं करते, उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते। सारी दुनिया में दो देश हैं, जो इन अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कानूनों को नहीं मान रहे हैं। एक यूनाइटिड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा देश सो-कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। यह क्या बात है? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो बात है, आप वर्ल्ड बैंक की और सारी नीतियां तो मान लेते हैं, जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद यहां की अर्थ-व्यवस्था के लिए हमारे मित्र, ये लोग नारे लगाते थे कि लाइसेंस-कोटा-परमिट राज है, एल.पी.क्यू. है, अब एल.पी.जी. का राज हो गया है, लिब्रलाइज्ड-प्राइवेटाइज्ड एण्ड ग्लोब-लाइज्ड, फ्रॉम

[अनुवाद]

एल.पी.क्यू. से एल.पी.जी.

[हिन्दी]

यह क्या बात है? इसे आपने बदलकर जी कर दिया, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। मैं एक बात के बारे

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

में आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं, जिसे वाशिंगटन कंसेंसस और ब्रिटेन वुड्स संगठनों की नीतियां कहा जाता है, वे दुनिया भर में फेल हो गईं। उन नीतियों का मतलब केवल यह है कि ग्रोथ और ग्रोथ के लिए इनइक्वेलिटी कम्पलसरी है। वैस्टर्न सिस्टम ऑफ ग्रोथ - बिना इनइक्वेलिटी में ग्रोथ नहीं हो सकती। जो भी उस सिस्टम को अपनाता है, हमारे पड़ोस में चाइना है, वहां भी इनइक्वेलिटी है। वहां भी लेबर लॉज़ पर पूरा हर तरह का अंकुश है, कुछ कानून नहीं है। प्रोस्पैरिटी बढ़ रही है, मगर लैबरर्स में असंतोष वहां भी बढ़ रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

परिस्थिति को समझने की जरूरत है। जो भी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिक्स है, यह जो भी अर्थव्यवस्था है, यह इनइक्वलिटी पर बेस्ड है। उसका फंडामेंटल विषमता है, बिना विषमता के ग्रोथ वह नहीं मानते हैं। इसलिए वह मेंटेन करते हैं इनइक्विलिटी को, चाहे वह वॉलमार्ट यहां आए, चाहे वह कैरी फोर आए, चाहे कोई और एम.एन.सी. आए, चाहे दवा कंपनियां आएं, वह इनइक्विलिटी मेंटेन करती हैं।

मैंने लेबर मिनिस्ट्री का बयान पढ़ा है। अगर वह बयान सही है, तो मैं बहुत बधाई दूंगा कि लेबर मिनिस्ट्री

[अनुवाद]

ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कभी मंजूरी नहीं दी।

[हिन्दी]

आपके सेक्रेटरी का बयान है कि यह गलत है। एफ.डी.आई. नहीं आना चाहिए, उन्होंने ठीक कहा है। श्रमिकों के घोर विरोध में होगी, अगर एफ.डी.आई. यहां रीटेल में आयेगी, सारे श्रमिकों की दुर्गति होगी और सारे उद्योगपतियों की दुर्गति होगी। इसलिए अगर यह बात सही है और आपके मंत्रालय की यह पॉलिसी है, तो मैं आपको बधाई दूंगा और यह मैं निवेदन करूंगा कि इस पर टिके रहें। यह हम लोगों की मांग है। एफ.डी.आई. इन रीटेल में मिनिमम और मैक्सिमम वेजेज का अंतर ठीक हो। यह क्या है? आप मिनिमम वेजेज डिसाइड कीजिए। लिविंग वेजेज तो बहुत बाद में हैं, फेयर वेजेज भी नहीं हैं, मिनिमम वेजेज से फेयर वेजेज और लिविंग वेजेज। मिनिमम वेजेज ही नहीं आए अभी तक 1948 के कानून के बाद, फेयर वेज कब आएगा, लिविंग वेज तो पता नहीं कि 22वीं सदी में आएगा या 23वीं सदी में आएगा। इस बात को बहुत गहराई के साथ देखने की जरूरत है।

महोदय, जो अर्थव्यवस्था है यह बुरी तरह से फेल हो गयी है। इसको आप किसी नाम से दें, रिफार्म्स कहें या कुछ और। ये रिफार्म्स केवल बड़े आदमियों के रिफार्म्स हैं, यह गरीब आदमियों के नहीं हैं। स्टिग्लिट्ज जो किसी जमाने में वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. के एडवाइजर हुआ करते थे, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि

[अनुवाद]

वैश्वीकरण गरीबों के हित में नहीं हैं। यह गरीब देशों के हित में नहीं है। यह किसी देश में गरीबों के हित में काम नहीं कर रहा है। इसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मैंने कहा है कि

[अनुवाद]

इसका ना सिर्फ प्रबन्धन गलत है बल्कि वैश्वीकरण का ढांचा ही गरीब विरोधी है।

[हिन्दी]

उसका फंडामेंटल ही यही है। इनक्वलिटी को बनाए बगैर ग्लोबलाइजेशन काम नहीं कर सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रों के बीच असमानता और दो राष्ट्रों के बीच असमानता।

[हिन्दी]

घर में यहां इनइक्वलिटी लाओ और दुनिया में इनइक्वलिटी लाओ, यह कभी भी एक इगैलेटेरियन इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकता, इस बात को हमें समझना चाहिए। पश्चिम में जो कुछ हो रहा है, उसको देखिए। लोग जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स कह

रहे हैं और वहां के जो नए आर्थिक विचारक हैं, वे चिंतित हैं। वे कहते हैं कि अगर जॉब्स नहीं आएंगे, अगर लोगों को उचित मात्रा में वेतन नहीं मिलेंगे, तो देशों में भीषण क्रांतियां हो सकती हैं। हम एक ज्वालामुखी पर बैठेंगे, अगर हमारे देश में इन सब लोगों ने, इन बेसहारा लोगों ने, इन सर्वहारा लोगों ने अगर यह ठान लिया कि इस सारी अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो उस अस्सी करोड़ जनसंख्या के सामने आप कितने दिन टिकेंगे? अगर अमेरिका की तरह से जैसे ऑक्यूपाइड दी वालस्ट्रीट हुआ है, अगर यहां ऑक्यूपाइ दी पार्लियामेंट होने लगा या आक्यूपाई कोई और स्ट्रीट होने लगा, तो कितने दिन आप टिकेंगे, किसकी मदद से टिकेंगे? समझ जाइए, सावधान रहिए। इस देश के लिए खतरे की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि जो उस समय वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट श्री जेम्स डी. वोल्फेन्सन थे, उन्होंने आज से कुछ साल पहले क्या कहा था? उसकी भी कथा यह है कि मैंने उनको मजबूर किया कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए तो उनके आदमी ने आकर मुझे उनकी तकरीर थमायी। वह कहते हैं?

[अनुवाद]

"पिछले सप्ताह पेरिस में मैं विभिन्न संगठनों के युवा नेताओं से मिला जो दुनिया भर के 120 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बैठक में ग्रामीण युवा और बेघर बच्चे, एड्स और गृहयुद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चे, बहिष्कृत रोम समुदाय के युवा और अक्षम युवा लोग शामिल थे। वे लोग शक्ति और परस्पर सद्भाव से मिले। उन्होंने पूछा कि हमारी पीढ़ी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है।"

[हिन्दी]

वह हमसे पूछ रहे हैं कि हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं निजाम बदलने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर वह आगे कहता है कि

[अनुवाद]

सभापति महोदय, वर्ष 2015 तक 25 वर्ष से कम आयु के 3 अरब लोग होंगे और उनमें से ज्यादातर भारत में होंगे। वही लोग भविष्य हैं। लेकिन जैसा कि पेरिस में युवा लोगों ने जोर देकर कहा, वे केवल भविष्य ही नहीं हैं वो अभी वर्तमान हैं।

भविष्य के नाम पर आप उनका वर्तमान बर्बाद नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

आप किसी भविष्य की आशा में उनके वर्तमान को नष्ट नहीं कर करते हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने यह भी कहा "हमें बहुत आशाएं भी हैं"

[हिन्दी]

वे आगे कहते हैं:

[अनुवाद]

"उन्हें उत्तर देने के लिए हमें अपनी दुनिया से कट्टरपंथी ताकतों को दूर करना होगा। कई मामलों में ये वो ताकतें हैं जिनके कारण असंतुलन बना हुआ है। विश्व की 6 अरब की जनसंख्या में 1 अरब लोगों ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 80 फीसदी पर कब्जा किया हुआ है जबकि बाकी अरबों लोग 1 डॉलर प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन हेतु संघर्ष कर रहे हैं। विश्व में यह असंतुलन बना हुआ है। अगले 25 वर्षों में अमीर देशों की जनसंख्या में 5 करोड़ लोग और जुड़ जायेंगे और लगभग डेढ़ अरब लोग गरीब देशों की जनसंख्या में। अमीर देशों में और भी अधिक असंतुलन है जो हथियारों और साजो-सामान के विकास पर खर्च करते हैं। वे उस पर भारी धनराशि खर्च करते हैं। वे गरीब देशों की स्थिति पर नाम मात्र का ध्यान देते हैं।"

तत्पश्चात् उसने बहुत से उदाहरण दिये कि यह विकसित दुनिया गरीब दुनिया के साथ किस प्रकार का भेदभाव कर रही है। यही वो नीतियां हैं जिनको आप अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

यही पालिसिज हैं। आप भी वही कर रहे हैं। हर साल आप पांच लाख करोड़ रुपये बड़े उद्योगपतियों के लिए रेवेन्यू फोरगोन करते हैं। आप बीड़ी उद्योग के लिए बात कर रहे थे। आप उनको कितना पैसा देते हैं? मैं बुनकरों की बात करता हूं। मैं छोटे कारखानेदारों की बात करता

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

हूं। आप कितना पैसा उनको देते हैं? आप नए बजट में चालीस हजार करोड़ रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स दिया है वह इसी गरीब आदमी के ऊपर जा रहा है। पूरा मजदूर के ऊपर जा रहा है।...*(व्यवधान)* आप की कौन-सी नीतियां हैं। जब मैं आप कह रहा हूं तो उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह केवल एक ही सरकार की है।

[अनुवाद]

यह सब की विशेषता है।

[हिन्दी]

हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस तरफ और उस तरफ, इधर और उधर, बाहर जो चले गए हैं वे भी, आपके साथ जो हैं वे भी और जो हमारे साथ हैं वे भी एक बार मिल कर भगवान के वास्ते कुछ विचार कीजिए।...*(व्यवधान)* अगर नहीं हो तो कम से कम देश के वास्ते, अपनी मातृभूमि के वास्ते, इसकी उन संतानों के वास्ते विचार कीजिए जो पिछले साठ-पैंसठ सालों से आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं जिनके आंसू अभी तक पुंछे नहीं हैं। आप उस आदमी की तरफ देखिए जिनके चेहरे पर झुर्रियां हैं। आप उस आदमी की तरफ देखिए जिसकी आंखें बिल्कुल स्थिर हो गई हैं, जिसके लिए समय स्थिर हो गया है। जिसके लिए अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। यह लड़ाई, यह संघर्ष हमें मिल कर उन आदमियों के लिए करना है। केवल इसी भारत के लिए नहीं दुनिया के तीन बिलियन आदमियों की लड़ाई हमें अपने संसद के माध्यम से छेड़नी है कि कहीं भी कोई भूखा नहीं रहेगा। कहीं भी किसी को वेजेज के आधार पर इनडिसेन्ट लाइफ के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सारी दुनिया के भव्य विश्व का निर्माण करने का संकल्प आज यहां से लें। सब को मिल कर संकल्प लेना होगा। यही भारत का संदेश होगा कि इक्कीसवीं सदी अगर भारत की होनी है और भारत को यदि महान बनना है तो पहला संकल्प यहां से शुरू करना होगा कि अगर भारत के हर व्यक्ति को कम से कम आप लिविंग वेजेज नहीं दे सकते हैं, फेयर वेजेज नहीं दे सकते हैं तो मिनिमम वेजेज तो दीजिए और इस भारी असंतुलन को दूर कीजिए। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा अगर आप इस तरफ कुछ ध्यान दें।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): जब यह सदन लंच के लिए उठा और मैं घर गया तो मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से सूचना मिली कि यहां हम मजदूरों की चर्चा कर रहे थे और वहां हजारों कि संख्या में मजदूरों को इनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर घर से निकाला जा रहा है। हमारे यहां यह बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कोल इंडस्ट्री हमारे यहां है। हमारे यहां कोयला की खदानें हैं। यह सब जो कुछ किया जा रहा है यह भयानक जुल्म है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अभी तुरन्त इस बात को संज्ञान में लीजिए और उनको जो नोटिसेज दिए गए हैं उनको वापस लीजिए। मजदूरों को इस तरह जो किसी गुरबत में जी रहे हैं उनको इस तरह बेघर करने का काम आप एकदम मत कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने अपनी बात रखी। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा 24 मार्च, 2011 को सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष की चर्चा पर नियम 193 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले सम्मानित सदस्य गुरुदास दासगुप्त जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही नपे-तुले और अच्छे तरीके से हिन्दी में अपनी स्पीच दी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भविष्य में दादा इस प्रकार बोलें ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और आज भी देश की जो 70 फीसदी जनता गांवों में रहती है, वह आपकी बेहतर स्पीच सुनकर कुछ लाभ ले सकें। आप सरकार के संज्ञान में जो बात लाए हैं, सरकार भी उस पर कुछ करने के बारे में सोचे।

अपराह्न 4.41 बजे

(**श्री अर्जुन चरण सेठी** पीठासीन हुए।)

सभापति जी, यहां गुरुदास दासगुप्त जी ने हमारे स्वर्गीय नेता जगजीवन राम जी का नाम लिया। वे देश के

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रम मंत्री रह चुके हैं। वे हमारे बीच दलित, शोषित समाज से आए थे। उन्होंने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यभार देखते हुए देश का काफी विकास किया, खासकर ऐसे समाज के विषय में जो दलित, शोषित और गरीब लोग थे। हमें याद है जब हम छोटे-छोटे थे तो जगजीवन राम जी के लिए हमेशा यह नारा लगाते थे - हरिजन नेता एक ही नाम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। आपने उनका उल्लेख किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। उसी कड़ी में मुझे याद आता है, मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी भी इंदिरा जी, राजीव जी की मिनिस्ट्री में लेबर मंत्री थे। मेरा भी थोड़ा सा सैंटिमैंट लेबर मंत्रालय से जुड़ा रहता है। इसलिए मैं आपके बीच बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज यहां जो बातें हुईं, जैसे अभी तमाम लोगों ने यह बात कही, देश की करीब 77 प्रतिशत आबादी के 84 करोड़ लोग, जिनके बारे में यहां चर्चा हो रही थी, मैं उनके विषय में कहना चाहूंगा कि अगर जनगणना करवा ली जाए, तो मेरे ख्याल से उसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है। वे आजादी से पहले, आजादी के बाद और अब भी बराबर नींव के पत्थर की तरह अपना खून-पसीना बहाकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज यहां उनकी बेहतरी के लिए हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। सम्मानित दासगुप्त जी ने बड़े विस्तार से बताया। ये चूंकि कामरेड हैं और कम्युनिस्ट से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है कि गुरुदास दासगुप्त जी ने हमेशा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस सदन में आवाज उठाई। उसी कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो जो 50 करोड़ मेहनतकश लोग हैं जिनमें खेतिहर मजदूर से लेकर कर-कारखानों में काम करने वाले हैं, उनकी पूरी जिंदगी जोखिम भरी होती है। उनका घर और जीवन स्तर देख लीजिए, साक्षरता नहीं है, स्वास्थ्य की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि अगर वे रोज न कमाएं तो उन्हें खाने को नहीं मिल पाता। उनके खुद के बच्चे भूखे रहते हैं। अगर आप आज भी देश के महानगरों में रात्रि में निकलें तो सरकारी भवनों के नीचे, पुलिया के नीचे या बड़े-बड़े पुलों के नीचे जहां वे सोते हैं, उसके ऊपर छत भी नहीं होती। यह स्थिति है और हम ऐसे मजदूरों के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। बहुत दिनों से यह देखा गया है कि जो भी सरकारें आती हैं, वे किसानों, मजदूरों, खासकर बेरोजगार लोगों के लिए बात करती हैं। लेकिन अमीरी-गरीबी के बीच जो खाई है, वह देश की 64 वर्ष की आजादी के बाद भी दूर नहीं हो पाई है, बढ़ती जा रही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खाई भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। आज यही कारण है कि जब ऐसे वंचित लोगों को अत्याचार, शोषण झेलकर भी मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो वे देहात, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। आज बड़ी संख्या में मजदूर देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरू, मुम्बई आदि जाते हैं। बड़े-बड़े महानगरों में आप देखेंगे, तो आपको झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग ऐसे ही समाज के मिलेंगे। देश में बहुत सी सरकारें आयीं और उन्होंने इनकी बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाएं बनायीं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अभी मैं रिपोर्ट में देख रहा था। लघु एवं मध्यम मध्यम मंत्रालय द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर सम्मानित राज्य सभा या लोक सभा में भी प्रश्न पूछे गये। सरकार की तरफ से जवाब आया कि इनके उत्थान के लिए, इनको काम देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और कुछ वर्षों पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना भी आपने लागू की। लेकिन हमने क्या किया, आज उसका मूल्यांकन करने का वक्त आ गया है। हमारे जो शहर के सम्मानित सदस्य हैं, उनसे न कहकर मैं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, मेरे पांचों विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आज भी उनकी स्थिति, उनका जीवनस्तर बहुत बदतर है। सरकार ने उनका जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत से कार्यक्रम लागू किये हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, लेकिन हम उनके जीवनस्तर को अभी तक ऊपर नहीं उठा पाये हैं। आप शहर में देख लीजिए। हम लोग शहर से आते हैं और इलाहाबाद में हमारा घर है। माननीय मंत्री जी वहां बहुत से चौराहे हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन लेबर चौराहे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यदि इलाके का नाम अल्लाहपुर है, तो कहेंगे कि लेबर चौराहा चले जाओ। यहां पर जोशी जी बैठे हैं, वे जानते हैं। बड़े-बड़े महानगरों के जो भी चौराहे हैं, वहां पर ये मजदूर गांव से चलकर शहरों में केवल काम ढूंढने के लिए आते हैं। यही नहीं, हजारों की संख्या में वे बेचारे वहां खड़े रहते हैं। उसमें राजगीर, मजदूर आदि तमाम लोग हैं। अगर काम मिलता है, तो बेचारे काम करते हैं, नहीं तो फिर वापस चले जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

उनकी बोली लगती है। यहां पर लाल सिंह जी बैठे हुए हैं। वे बता रहे हैं। यह बात सही है कि उनकी बोली लगती है। उनसे पूछा जाता है कि कितनी मजदूरी लेंगे— सौ रुपये लेंगे या 120 रुपये लेंगे। अगर वह दो सौ रुपये कहता है कि रेट नीचे करते हैं। अगर उसे काम नहीं मिलता, तो वह कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाता है। आज यह स्थिति है। ऐसे लोगों के लिए हम यहां चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। आपके श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आयी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू ही किया है।...*(व्यवधान)* आप आज इसी पर बहस करने दीजिए, क्योंकि रेल मंत्रालय पर डिसकशन होनी थी, लेकिन वह नहीं हो रही।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट आयी है, जिसमें आपने श्रम शक्ति का एक आंकड़ा दिया है कि आज भी देश में 93 फीसदी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार, जिनकी देश में 43 करोड़ संख्या है, 64 वर्ष आजादी के बाद भी आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। वे लाचार और बेबस हैं। अगर वे एक दिन काम न करें, तो खा नहीं पाते। उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। वे एक ही वक्त खा पाते हैं। उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। पड़ोस के घर से वे उधार लाते हैं, तमाम दुकानों से उधार लाकर वे खा पाते हैं। आज उनकी यह स्थिति है। यह सोचने की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाये। जैसे दादा ने कहा कि संगठित क्षेत्र के लिए हमने प्रॉविडेंट फंड सहित थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हमने अभी तक कोई कारगर योजना नहीं बनायी। आज उनका शोषण और असुरक्षा व्यापक पैमाने पर बड़ी हुई है। कहीं भी कोई बात आती है, तो इन्हीं के ऊपर थोपा जाता है। चूंकि ये न तो कानून जानते हैं और न ही साक्षर हैं। ये कमजोर होते हैं और शरीर से भी बलवान नहीं होते। इनके ऊपर कोई भी तोहमत लगायी जाती है, तो वे बेचारे उसे झेलते भी हैं। ये आज हमारे समाज की विसंगतियां हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे तबके के लिए हमें सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अगर कोई दैवी आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो या सूखे की स्थिति आती है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ही ज्यादा चोट पड़ती है, ऐसे लोग ही उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुझे याद है कि ऐसे लोगों के लिए ही काम के बदले अनाज की योजना चलाई गयी थी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमने कोई परमानेंट योजना नहीं बनाई है जिससे हम उनके जीवन-स्तर को उठाने के लिए कुछ कर सकें। जैसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा, अगर रिकॉर्ड देखा जाए, तो नवसृजित प्रदेशों जैसे झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की स्थिति बहुत बदतर है, ऐसे राज्यों की ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा। यहां के लोग बड़े महागनरों में जाते हैं, वे कलाकार हैं, अपने हाथों से इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, नक्काशी करते हैं, उनके हाथों में हुनर है, लेकिन उसका आज तक हमने उपयोग नहीं किया है। ऐसी कोई कारगर योजना नहीं बनी है, जिससे हम उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। यही लोग बी.पी.एल. में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। आज यह दुर्भाग्य है देश का, सदन में कई बार चर्चा भी हुई है, कि आज तक हमने सही मायने में गणना ही नहीं की कि बी.पी.एल., गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कैसे और कितने लोग हैं। सक्सेना कमेटी, अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी, योजना आयोग है, आपके श्रम मंत्रालय से या ग्रामीण विकास मंत्रालय से जो फिगर्स आते हैं, लेकिन सही फिगर्स हम नहीं बता पाए हैं। अब आप जनगणना शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं-कहीं प्रदेशों में, जिलों में शिकायतें आ रही हैं कि बी.पी.एल. की सूची ठीक तरीके से नहीं बनाई जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि अगर नयी योजना चालू हो, नए तरीके से देख रहे हैं, तो इसको जरा गंभीरता से देखना पड़ेगा। इनके लिए आपने एक योजना चलाई है - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें आपने स्मार्ट कार्ड बनाया है। जब ये बीमार होते हैं, इनकी स्थिति होती है, तो उसके लिए स्मार्ट कार्ड बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों का इलाज मुफ्त में करना चाहिए। आपके मंत्रालय में यह है, चिकित्सा व्यवस्था है, मोबाइल गाड़ियां हैं, आपके पास डाक्टर्स हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। जहां पर बहुत संख्या में इस प्रकार के लेबर हैं, वहां पर आपकी वैन्स और डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसे

देखने की जरूरत है। अर्जुन सेनगुप्ता जी ने रिपोर्ट दी कि 48 करोड़ लोग हैं, जो 20 रुपये से कम पर अपना गुजारा करते हैं। यह बात पहले भी आई है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सरकार ने एक योजना लागू की है - भारतीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसका बिल भी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में किसी ने पी.आई.एल. की, तो सुप्रीम कोर्ट ने योजना आयोग से रिपोर्ट मांगी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया कि 26 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 32 रुपये शहरी क्षेत्र में कमाने वाले लोग गरीब नहीं हैं। यह ऐसे तबके के साथ बहुत बड़ा मजाक है। ये सब बातें दिल और मन को बहुत कचोटती हैं। खासकर दासगुप्ता जी को बहुत तकलीफ होती होगी, तकलीफ हम लोगों को भी होती है क्योंकि हम लोग भी उसी समाज से आते हैं। हम लोगों ने गरीबी-गुरबत देखी है। हम लोगों ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): बाकी समाज में भी हैं ऐसे लोग।

श्री शैलेन्द्र कुमार: हां, हैं ऐसे लोग।

महोदय, आज अगर देखा जाए, तो जो फूड सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर वालों को दो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 35 किलोग्राम प्रतिमाह देने की बात आप कह रहे हैं। यह बड़ी अच्छी योजना है, अगर लागू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ भुखमरी से मरने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज करीब छः करोड़ टन से ज्यादा अनाज सड़ जाता है, भीग जाता है, बेकार हो जाता है, जिसको हम वितरित नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसे वंचित लोग भी हैं जो एक किलोग्राम गेहूं के लिए काम करने के लिए जाते हैं, जब वे लौटकर आते हैं, तब उनके बच्चों का पेट भरता है। हमें ऐसे बच्चों के लिए भी सोचना होगा। यू.पी.ए. सरकार वर्ष 2020 का जो विजन मानकर चल रही है, उसमें अगर देखा जाए तो विकास दर की बात कही है। लेकिन वर्ष 2010-11 में आप देखें तो विकास दर 9 प्रतिशत से लुढ़ककर 6.1 प्रतिशत हो गयी है। यू.पी.ए. सरकार ने आठ से नौ प्रतिशत बढ़ाने की बात कही है। देश की जनगणना के अनुसार हमारे मुल्क में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोगों की, ये भी युवा ही कहलाएंगे, संख्या 60 प्रतिशत है। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है इसलिए इन लोगों के हाथ में काम दीजिए, उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कीजिए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: जैसा कि यू.पी.ए. सरकार ने और पूर्व राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि अगर हम विकास दर आठ से नौ या दस प्रतिशत तक ले जाएं तो हिन्दुस्तान विकसित देश कहलाएगा, लेकिन यह आज भी विकासशील देशों में गिना जाता है।

सभापति जी, मुझे और बातें भी कहनी थीं, लेकिन आपने समय का हवाला दिया है इसलिए मैं अब अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया। मैं अंत में सरकार से और खासकर मल्लिकार्जुन खरगे जी से अनुरोध करूंगा, वह कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काफी सोचते हैं, उनके लिए योजनाएं भी लाते हैं, इनके दिल में उनके प्रति दर्द है, आप जरूर कुछ न कुछ इस तबके के लिए अपने जवाब में घोषणा करेंगे।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति जी, आपने मुझे नियम 193 के तहत इस विषय पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात कहने से पहले श्री गुरुदास दासगुप्त को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सदन में उठाया है, जो कि गरीबों से सम्बन्धित है।

आज पूरे मुल्क में असंगठित मजदूर किस हालत में जी रहे हैं, इसका जिक्र हमारे कई माननीय सदस्यों ने किया है। आजादी के पहले 1942 में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने इस बात को रखा था और कहा था कि देश में 80 प्रतिशत ऐसे असंगठित मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, जिनके बच्चों को तन ढकने के लिए न कपड़ा मिलता है और न खाने को भोजन। इस तरह से ये लोग और इनके बच्चे नंगे और भूखे ही सो जाते हैं। जो खेत मजदूर हैं, अनाज पैदा करते हैं, लेकिन इनके बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता है। अगर सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी तो ये लोग अपने घरबार छोड़कर देश के बड़े-बड़े महानगरों में चले जाएंगे।

[डॉ. बलीराम]

आज आजादी के 64 साल बीत रहे हैं। इन 64 सालों में इस देश की सरकारों ने ऐसे मजदूरों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। वैसे तो बड़े पैमाने पर कई आयोग बिठाए गए और कई समितियों का गठन हुआ। इन आयोगों और समितियों की रिपोर्ट्स में भी यह दर्शाया गया है कि आज भी 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए से कम में अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को, विशेषकर श्रम मंत्री जी को, जो यहां मौजूद हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। असंगठित मजदूर चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे किसी भी इंडस्ट्रियल बैल्ट में हों, उन्हें उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती है, जितना वे काम करते हैं। काम के हिसाब से मजदूरी नहीं मिल रही है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह उन मजदूरों की मजदूरी तय करे। आज जिस कद्र महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से ऐसे असंगठित मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने के कारण उनके बच्चे आवश्यक वस्तुओं से वंचित रह जाते हैं इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर उनके लिए मजदूरी तय करनी चाहिए। आज जैसे बाजारों में सामान बिक रहा है उसी तरह से आज मजदूर बड़े-बड़े शहरों में और यहां तक कि गांव के जो जिला मुख्यालय हैं, जैसा कि माननीय शैलेन्द्र जी ने भी जिक्र किया है, चट्टी-चौराहों पर बैठते हैं कि कोई हमारा सामान खरीदे। इस तरह से मजदूर दिन-भर वहां बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई खरीदार आये। इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आजादी के 64 सालों के बाद भी सरकार 2020 के मिशन का सपना देख रही है कि हम तरक्की करेंगे, लेकिन ऐसे मजदूरों के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं जो वास्तव में खाने के लिए भी मोहताज हैं और जिनके बच्चों को दो वक्त तक का खाना नहीं मिल रहा है।

बी.पी.एल. की सूची बनी है, तमाम हमारे आयोग गठित हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं कि यहां पर 40 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन-यापन कर रहे हैं। इसलिए बी.पी.एल. की जो सूची बनी है जो कार्ड्स उपलब्ध कराए गये हैं क्या उस मात्रा में उपलब्ध कराए गये हैं? चाहे झारखंड हो, ओडिशा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ऐसा तमाम इलाके हैं जहां पर बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। आज झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के मजदूर बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में फसली सीजन के समय, खेती करने के लिए जाते हैं। वे खेतीहर मजदूर वहां पर 5-6 महीने रहते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। बहुत से मजदूर भट्टों पर, ठेके प्रर काम करते हैं और ठेकेदार उन्हें काम करवाने के लिए ले आते हैं और उन्हें पूरी मजदूरी न देकर बीच में अपना हिस्सा रखते हैं।

आज दिल्ली में झारखंड के लोग भरे पड़े हैं, बिहार और छत्तीसगढ़ के लोग भरे पड़े हैं और वे घरों में काम करते हैं। अगर उन्हें 4000 रुपये मिलते हैं तो 2000 रुपये ठेकेदार उनसे ले लेता है, उन्हें केवल 2000 रुपये ही मिलते हैं। इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो परिवार ऐसे मजदूरों से काम करवाते हैं उनके द्वारा उनकी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेकेदारों को बीच में से हटाकर मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिले, तब जाकर उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे असंगठित मजदूरों को आपकी तरफ से न्याय मिलना चाहिए। आज तमाम इंडस्ट्रियल बैल्ट में उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और वे मजदूर झुग्गी डालकर रहते हैं और होता यह है कि जो उस जमीन के मालिक होते हैं वे उनकी झुग्गी को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं और वे खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने के लिए विवश होते हैं। ऐसे लोगों की ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग मजदूरी करके अपना जीवन-यापन कर रहे हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हम देखते हैं कि किस पार्टी का आदमी इस मुद्दे पर बोल रहा है तो दूसरी पार्टी का आदमी उठता है और कहता है कि आपकी सरकारें दूसरे राज्यों में क्या कर रही हैं, आपके राज्यों में क्या हो रहा है। आज गरीबी का सवाल है यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, असंगठित मजदूरों का सवाल है। यह इस देश की विडम्बना है कि हम बात तो 21वीं सदी की कर रहे हैं, दूसरे देशों से अपने मुल्क की तुलना कर रहे हैं तो हमें अपने देश के गरीबों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। अगर गरीब लोग, असंगठित मजदूर खुशहाल नहीं होंगे, तो देश भी कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे

असंगठित गरीब परिवारों में खुशहाली आ सके, इसके लिए सरकार को नए नीतियां और नई योजनाएं बनानी चाहिए। सरकार ने योजनाएं बनाई भी हैं, जैसे मनरेगा योजना चल रही है, स्वर्ण जयंती योजना चल रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना चल रही है और इसी तरह कई और भी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। हम लोग इन्हीं लोगों द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम कैसे अंतिम आदमी तक इन योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचा सकते हैं। इन योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार फैला है कि काम कोई कर रहा है और उसका फायदा कोई और उठा रहा है। जिसके पास कार्ड है, अगर उससे पूछें तो वह कहता है कि मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके कार्ड पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है और लाभ उठा रहा है। इन योजनाओं की सुचारू रूप से मोनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे गरीब लोगों के साथ न्याय हो सके, भेदभाव न हो सके तथा उनकी मजदूरी का कोई हक न छीन सके।

अंत में मैं पुन: श्री गुरुदास जी का धन्यवाद करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे असंगठित मजदूरों की तरफ निश्चित रूप से ध्यान दे, जिससे हर वर्ग के लोगों का फायदा हो सके। हम आज सदन में उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से कोई ऐसा प्लान बनाएं, जिससे कि आपका जो दायित्व गरीब लोगों के स्तर को उठाने का है, वह पूरा हो सके और गरीबों के हित की योजनाएं बननी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, आज की चर्चा बहुत जरूरी है और समाज की विकट समस्या है। आज देश में जो हालात हैं, वे बेकाबू हैं। विशेष तौर पर जिस सवाल को गुरुदास जी ने आज सदन में उठाने का काम किया है, वह समस्या बहुत विकट है और साथ ही साथ दुखदायी और तकलीफ देने वाली है। मैं तो कहूंगा कि देश एक तरह से लाचारी, बेबसी, गुरबत के ऐसे गंभीर संकट से गुजर रहा है, जो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी आंखें ठहर गई हैं, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वे बिलकुल जानते नहीं हैं कि सुबह उठने के बाद क्या शाम को उनको खाना नसीब होगा या नहीं। मंडियां और ठेके, जहां मेले में जानवर बिकते हैं, उनमें और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूं कि इस मंत्रालय की इतनी उपेक्षा जब से बाजार आया है, जब से नई नीति आई है तब से हो रही है। ग्लोबलाइजेशन के बाद यह विभाग बहुत उपेक्षित हुआ है और मंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं है। मैं लेबर मिनिस्टर रहा हूं। अभी अभी बजट पेश होने के पहले ही जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 9.5 थी, उसे घटाकर 8.25 कर दिया गया। मैं मंत्री था मेरे जमाने में भी यह बात बहुत जोर शोर से उठी थी और मैंने दुनियाभर के दबाव के बाद यह बात नहीं मानी और 9.5 जो उनकी ब्याज दर थी, उसे बनाये रखा। उससे हमें बहुत दिक्कत हुई लेकिन हम सुविधा के लिये यहां नहीं आए। यह ओल्ड गोल्ड है, यह बात आपके यहां नहीं चलती। यह सब नकली बातें बनी हुई हैं। मजदूरों के बावत जितने कानून हैं, वे सब के सब पूरी तरह से किताब में ही बने हुए हैं। उनको फाड़कर फेंकने की जरूरत है। वे किसी काम के नहीं हैं। कोई सुनता नहीं है। ये बता रहे थे तब ये मजदूरों के बारे में बोल रहे थे। गुरुदास दासगुप्ता जी जब बोले तो उन्होंने जब समय मांगा था, प्रधान मंत्री जी का वक्त नहीं मिला। मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले कहूंगा कि इस देश की आजादी का कोई मकसद था। विश्व के सबसे बड़े आदमी महात्मा गांधी थे। उनके अनुसार यह था कि इस देश में आने वाली सरकारें चुनी हुई सरकारें होंगी। उनको लग गया था कि आजादी आने वाली है। उस समय अंतरिम सरकारों का सिलसिला बन गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में सरकारें आएंगी। वे बड़ी-बड़ी बातें करेंगी कि हमने यह कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन उनको मानना नहीं। हिन्दुस्तान में 1-2 कि.मी. पैदल चलोगे तो आपको हिन्दुस्तान का बनिहार मिल जाएगा। जो असंगठित लेबर के बारे में उन्होंने कहा कि गांधी जी उसे बनिहार कहते थे, जिसे हम मजदूर कहते हैं। गुजराती में और हमारे इलाके में इसको बनिहार कहते हैं। वो आपको 1-2 कि.मी. के अंदर मिल जाएगा। वह जो दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद की सरकार बोल रही है, यदि बनिहार की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आए तो उसी समय तय कर लेना कि वह सरकार असत्य बोल रही है और उसे

[श्री शरद यादव]

पलटने का, उसे बदलने का उसी दिन विचार कर लेना। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि यह आजादी इसके लिए लड़ी जा रही है। यह गुलामी सबसे ज्यादा इसे तबाह कर रही है। यह जो ब्रिटिश हुकूमत आई है, यह सिर्फ इसके अंगूठे और इसके काम को तहस नहस करने के लिए आई है। उनका कहना यह था कि आजादी सिर्फ इनके लिए आई है और यह आजादी रोज सरक-सरक कर उनसे दूर जा रही है।

जी.डी.पी. बढ़नी चाहिए, प्रधान मंत्री सुबह जिक्र कर रहे थे। सरकार जी.डी.पी. बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है। बढ़नी चाहिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो हालात हैं, अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट है, 80 फीसदी आदमी 20 रुपये रोज पर है और वह भी एवरेज है। मैं उनकी बात को दरकिनार कर देता हूं। आपके अनुसार यह कितना प्रतिशत है? यह बात भी पता लगाने का काम आप नहीं करते हैं। अर्जुन सेन गुप्ता को आप एब्यूज करते हैं। वे नरसिंह राव जी के वित्त सलाहकार थे। आपकी पार्टी के राज्य सभा के मैम्बर थे और बहुत नेक इंसान थे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उनका स्वर्गवास जरूर हो गया है। उन्होंने देश के सामने हकीकत लाने का काम किया। जब मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी, मैं कहूंगा कि उनकी रिपोर्ट को हर राजनीतिक कार्यकर्ता को जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने हालात की जिस सच्चाई को खड़ा किया है, जिस तरह से बेनकाब किया है, वे सच्चे देशभक्त थे लेकिन यह सरकार उनकी रिपोर्ट को मंत्री जिस हिकारत से देखते हैं, गलत है, झूठ है। सच क्या है बताओ? तुम बता दो सच क्या है? देश की इतनी बड़ी आबादी जो श्रम करती है, पसीना बहाती है, दौलत बनाती है, उसमें और जी.डी.पी. में कोई समन्वय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई संतुलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई मेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह देश किसका है? एक तरफ 80 फीसदी लोग हैं, देश इनका है या दूसरी तरफ 10-12 फीसदी लोग हैं, उनका है? 10-12 फीसदी लूट लें, पूरी तरह से हर तरह के कानून को रोंद दें, अदालत उनकी, विधान सभा उनकी, मीडिया उनका और लोक सभा में हम लोग हैं लेकिन लोक सभा हमारे काबू में नहीं आती। हम बहुत दिन से यहां हैं लेकिन काबू में नहीं आती। लोक सभा भी ऐसे आदमी को बनाती है, ऐसे आदमी को खड़ा करती है जो दिन भर इसकी रक्षा करता है, दिन भर व्यवस्था के हक में लाठी लेकर खड़ा रहता है और तर्क पर तर्क करने की पूरी क्षमता रखता है। कहते हैं देश चमक रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। जब सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब मैं भी बोल रहा था कि चमक रहा है, जो अंधेरा है वह अंधेरा है वह छोटा नहीं है। पूरा देश संपूर्ण है। लोकतंत्र यदि है, लोकशाही यदि है तो बहुसंख्यक बेबस हैं, लाचार हैं। वे दाने-दाने को तरसते हैं। जानवर एक बार मेले में बिकता है और आदमी इस देश में रोज बिकता है। हर शहर में, हर कस्बे में, हर चौराहे पर मजदूर की मंडी लगती है। हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं। मैं ऊब गया हूं, ये योजनाएं नहीं हैं ये भक्षण के लिए हैं, कुछ लोगों के खाने के लिए, लुटेरों के लिए हैं। गांव और शहर में जबरा है, जो मजबूत हैं, उनकी लूट के लिए हमने करोड़ों रुपए बहाए हैं। ये योजनाएं कहीं काम नहीं करती हैं। मैं कितने नाम लूं, मेरे पास वक्त नहीं है और आप घंटी बजा देंगे। इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं एक एम.पी. को खड़ा करके पूछ लूं तो वह बता नहीं पाएगा। बनाने वाले को भी नहीं पता है जबकि अधिकारी को पता है। उसे मालूम है क्योंकि वह व्यवस्था को बचाने वाला सबसे चतुर कारीगर है। अधिकारी अच्छी तरह से जानता है, वह चतुर आदमी है। सीधी बात है कि बहुत योजनाएं हैं। खरगे साहब, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। प्रधानमंत्री जी से कहिए कि इन पूर्व योजनाओं को ठप्प करें, बंद करें ठीक करें और एक सीधी सरल योजना शुरू करें। मैं नहीं कहता इसे बांटो, आप इस पैसे को देश में निर्माण पर इतने बड़े पैमाने पर लगा सकते हैं। 70 फीसदी खेती बिना पानी के है, आप सारी योजनाएं पानी पर लगा दो और कह दो कि इसी पर रोजगार मिलेगा। और देश भी सम्पन्न होगा और आप जिस लेबर की बात कर रहे हो, जिसके बारे में बहुत तरह से श्री दासगुप्ता जी और अन्य वक्ताओं ने वर्णन किया होगा, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया होगा कि इसकी क्या हालत है। आजकल जो बिल्डर्स हैं और यह ठीक कह रहे थे कि जो ईंट भट्ठे वाले हैं, लेकिन ईंट भट्ठे वाले गांवों में काम खोले हुए हैं। लेकिन जो बिल्डर्स हैं, जो 20 मंजिल, 30 मंजिल और सौ मंजिलें खड़ी कर रहे हैं, उनके यहां जो लेबर है, उन्हें देखने की जरूरत है। वह किस तरह से अपनी जान को जोखिम में ही नहीं डालता है, बल्कि वह रोज फांसी पर चढ़ता है और रोज फांसी से उतरता है। वह जल जाए, उसकी कोई खबर नहीं है। गाजियाबाद

में मर जाए, कोई खबर नहीं है। नोएडा में उसके बारे में कोई खबर नहीं है और गुड़गांव में तो बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, लेकिन वहां भी उसके मरने की कोई खबर नहीं है। यानी उसकी मौत और उसका जन्म दोनों जुड़ गये हैं। वह कब पैदा होता है, कब मरता है, उसकी उम्र ज्यादा है। लेकिन मेहनत कर करके उसकी उम्र 10, 15 या 20 साल कम हो जाती है। ये जो इतनी योजनाएं बनाकर रखी हैं, जो जी.डी.पी. है, यदि देश ठीक रास्ते पर चलना चाहता है, खरगे साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिन लोगों की नकल कर रहे हो, वह सभ्यता आज नहीं तो कल डूबेगी। वह सभ्यता इंसान विरोधी है, वह सभ्यता इसलिए टिकी हुई है, क्योंकि उन्होंने 200, 250 और 300 सालों तक दुनिया को लूटा है। आप उनकी सम्पन्नता पर मत जाओ, उनकी सम्पन्नता दुनिया भर में हैं। इस देश को उन्होंने ढाई सौ साल लूटा है और सब जगह उनका राज रहा है। आस्ट्रेलिया, अमरीका और कनाडा यूरोप की औलाद है, आप उनकी बराबरी मत करो। वह सभ्यता इतने सालों तक दुनिया को लूटकर बनी है कि उस लूटी हुई सभ्यता की जो अर्थ नीति है, उसका जो इकोनोमिक मॉडल है, उसे आप पूरी तरह से हाथ से नहीं पकड़े हुए हो, बल्कि उसे आप दांत से पकड़े हुए हो और उसे पकड़कर सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि पूरा देश मौत के कगार पर जा रहा है, यह रिटेल एफ.डी.आई. को लीजिए। जो हमारा हजारों वर्ष का बाजार है, उसका इवेलुएशन हुआ। यह कोई दो-चार वर्ष की बात नहीं है। अभी जैसे ही दीपावली आयेगी तो आप देखना ये चाकलेट वाले लोग, ये कैडबरी वाले लोग सारी जगहों पर षड्यंत्र करेंगे और सारे दिन टी.वी. पर आयेगा। जो किसान दिल्ली के आसपास दो गाय या चार, पांच भैंसे रखे हुए हैं, उनके बारे में मिलावट की खबर देंगे। लेकिन अभी मिलावट की कोई खबर नहीं है। वे सब अनआर्गेनाइज्ड लेबर हैं। लेकिन अभी उनके बारे में कोई खबर नहीं है। उसे ढोकर लाने वाला वही है, लेकिन वे खबर शुरू कर देंगे कि इसमें यह मिलावट है और टीवी पर इतना प्रचार करेंगे कि लोग मिठाई खरीदना बंद कर देंगे, एक दिन ऐसा भी आने वाला है। आज हिंदुस्तान की जो मिठाई है, दुनिया में उतनी वैरायटी कहीं नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी सड़ी हुई मिठाई यानी मशीन से बनाई हुई दो और तीन वर्ष पुरानी चीज को यहां बेचते हैं। जबकि यहां ताजा कलाकंद बनता है, ताजी मिठाई बनती है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रचार नहीं है। अभी दीवाली आयेगी, अभी होली गई है, तब 24 घंटे टीवी पर मिठाई में मिलावट के बारे में चर्चा होने लगेगी। बाल्टियां दिखायेंगे, पता नहीं कौन सा एक नकली आदमी खड़ा करेंगे और आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, खासकर इस धंधे में दिल्ली के आसपास गुज्जर जाति के लोग लगे हुए हैं। उनके पास अन्य कोई दूसरा धंधा नहीं है, उनके पास सिर्फ यही धंधा है। यानी देश को चलाने की सारी जिम्मेदारी और ईमान की जिम्मेदारी उसी की है। उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे सच्चा होना चाहिए, उसे अपमानित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने ऐसी सभ्यता बनाकर रखी है, यह कोई ग्लोबलाइजेशन से नहीं बनी, हजारों वर्ष की हमारी सभ्यता है, इसके बारे में मुझे तकलीफ होती है कि इस सभ्यता को कैसे सुधारूं। इस सभ्यता का जो मतलब है कि जो छोटा है, जितना छोटा है, जितनी मेहनत करता है, उतना हम लोग उसे हिकारत से देखते हैं। उतनी ही हिकारत से हम लोग उसे देखते हैं। जो बड़ा है, लुटेरा है, जो बेईमान है, उसे बड़ा कह कर सलाम करते हैं। जो छोटा है उसे हड़काते हैं। उसे कहते हैं - ऐ! चुप और जो बड़ा है उसे कहते हैं सलाम साहब। हमारी सभ्यता यह हो गई है कि जो ऊपर है, उसे चाटो और जो नीचे है, जो अस्सी फीसदी लोग हैं, जिन लोगों की चर्चा हो रही है उनको काटो। और लोक सभा भी यही कर रही है।

सभापति महोदय: यादव जी, आप अभी कितनी देर और बोलेंगे?

श्री शरद यादव: सभापति जी, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। आप तो इस दर्द और तकलीफ को सबसे ज्यादा जानते हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, खरगे साहब तो उन्हीं लोगों में से निकल कर आए हैं। लेकिन मैंने इनके चेहरे पर तेज और गुस्सा नहीं देखा है। मंत्री हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि विभाग की हर चीज को प्रोटेक्ट करने की ओथ आपको संविधान ने दिलाई है। आप इसमें ढीले क्यों पड़ रहे हैं। गुरुदास जी ने जो सवाल उठाया है, उस सवाल को आप देश का सवाल क्यों नहीं बनाते हैं? हम लोग आपके साथ हैं। आप खड़े होइए। आप बिल्कुल एक सा चेहरा बना कर बैठे हैं। यह ठीक नहीं है। यह बहुत दर्द और तकलीफ का सवाल है। यह इस देश के इंसानों का सवाल है। यह आजादी, महात्मा जी ने रोज कहा उसी के लिए आ

[श्री शरद यादव]

रही है। यह आजादी उससे दूर होती जा रही है। आपका सूबा तो गजब कर रहा है। वहां तो आयरन ओर बेचा जा रहा है और करोड़ों रुपयों में चुनाव हो रहा है। गरीब तो कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। इसलिए वहां तो और नाश हो रहा है कि जो वोट है, जो संविधान का आईना है, जब वही बांझ हो जाएगा तो लोकतंत्र क्या बचेगा?

सभापति जी, मैं इस सवाल का समाधान देता हूं कि आपने जितनी भी केंद्रीय योजनाएं बनाई हैं, इनको समेटो, लपेटो और एक निर्माण की योजना लाओ पानी लाने की, बिजली बनाने की, सड़क बनाने की और उसमें लोगों को काम दो। इस गरीबी को बचाए रखने का यह फालतू का काम क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इस देश को कंगाली का समुद्र बनाए हुए हैं? यह पूरी तरह से बज-बज कर रहा है। चारों तरफ इंसानों की जिंदगी तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ी है। इस सवाल को सबसे पहले लेना चाहिए और लोक सभा को इसमें इनिशिएट करना चाहिए। श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी, आपको खड़ा हो कर इसमें एक नया रास्ता पकड़ना चाहिए। आज आप बगैर पूछे सारी बात कह दीजिए।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय सभापति महोदय, आज गुरुदास जी ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। अगर मैं कहूं कि आंकड़ों की हेराफेरी के बाद भी मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में शोचनीय स्थिति है लेकिन कुल मिलाकर वे लोग अच्छी स्थिति में नहीं हैं। मैं सरकार या फिर वर्तमान श्रम मंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं।

दशकों से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें मजदूरों की स्थिति सुधारने का प्रयास करती रही हैं। उन्हें अच्छे जीवन यापन की स्थिति देना ना केवल केन्द्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी है।

गुरुदास जी ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है लेकिन उनकी सरकार 35 सालों में पश्चिम बंगाल के मजदूरों को अच्छी जीवन यापन की स्थिति नहीं दे पाई। श्रम कानूनों को लागू करना केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में श्रम कानून मौजूद हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

(डा. एम. तम्बिदुरई पीठासीन हुए)

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों ही उन्हें लागू करने में असफल रही हैं। यही वास्तविकता है। यही व्यावहारिकता है। इसीलिए मजदूरों की वर्तमान स्थिति के लिए ना केवल वर्तमान सरकार दोषी है बल्कि इससे पहले की सरकारें चाहे वो केन्द्र में रही हो या राज्यों में, उन्हें भी दोष दिया जाना चाहिए। वो सब संयुक्त रूप से श्रम कानूनों को लागू करने के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में विफल रही हैं चाहे वह कानून इस सदन द्वारा बनाये गये हों या फिर संबंधित राज्यों द्वारा अपने विधानमंडलों में संशोधन कर बनाए गए हों।

मैं श्री गुरुदास दासगुप्त को याद दिलाना चाहता हूं कि तीन साल पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कई चायबागान मजदूरों ने आत्महत्या की थी। इसलिए सभी राज्यों में मजदूरों की स्थिति खराब है। जो नीतियां बनाई गयी और जो कानून बनाए गए वो हमारे देश में लागू ही नहीं किए गये। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ले लीजिए। यदि इस सदन में इस देश के कर्मकारों और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी है और ये न्यूनतम मजदूरियां श्रमिकों तक नहीं पहुंची हैं तो यह केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों तंत्रों की गलती है। यह सर्वमान्य स्थिति है। इसका तात्पर्य है कि अधिकारी और अन्य लोग अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हैं।

महोदय, मैं ठेका श्रमिकों का एक उदाहरण देता हूं। सबसे दयनीय स्थिति ठेका श्रमिकों की है। जिन श्रमिकों को 25 या 30 वर्ष पूर्व ठेका श्रमिकों के रूप में लगाया गया था उन्हें अपने-अपने प्रतिष्ठानों में अभी तक नियमित या आमेलित नहीं किया गया है।

महोदय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम की धारा 10 के अनुसार यदि कोई कार्य बारहमासी प्रकृति का है तो किसी भी ठेका श्रमिक को इस प्रकार के बारहमासी प्रकृति के कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वहां ठेका श्रमिकों को समाप्त करना पड़ेगा। सही है या गलत है परन्तु 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.ए.ई.एस. मामले में एक निर्णय दिया

गया था। जब भी इस अधिनियम की धारा 10 लगाई जाएगी तो ठेका श्रमिकों को समाप्त कर दिया जाएगा परन्तु वे उस कार्य में नियमित अथवा अभिलित किए जाने के पात्र नहीं है। उस निर्णय के आने के बाद से 11 वर्ष बीत चुके हैं। हम सब इन श्रमिकों की बात कर रहे हैं परन्तु हम यह कहकर कि जैसे ही धारा 10 की अधिसूचना जारी की जाती है उस प्रतिष्ठान के ठेका श्रमिकों को आमेलन का अधिकार मिल जाएगा, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में अभी तक कोई संशोधन नहीं लागू है। अभी तक हम यह नहीं लाए हैं।

मैं माननीय श्रम मंत्री–यह पहले अपने राज्य में छह या सात बार श्रम मंत्री रहे हैं–से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें। महोदय, आज आप पाएंगे कि कुछ प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों की संख्या नियमित श्रमिकों से ज्यादा है। दुर्भाग्य से इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। दोनों सक्षम सरकारें अपने-अपने संशोधन ला सकती हैं। अत: केंद्र सरकार अथवा वर्तमान श्रम मंत्री पर ही आरोप लगाना गलत है।

महोदय भारत सरकार ने 11 नवम्बर, 2011 को पत्रकारों और गेर-पत्रकार समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के लिए न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित किया था। परन्तु यह बहुत ही दुर्भायपूर्ण है कि चार माह बीत जाने के बाद भी समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के प्रबंधन द्वारा वह अधिसूचना लागू नहीं की गई, जिससे मीडिया संगठनों के कर्मचारियों, जिन्हें पिछले चौदह वर्षों से वेतन में वृद्धि नहीं मिली है, के लिए भारी समस्या पैदा हो रही है।

महोदय, समाचार-पत्र और समाचार एजेंसी कर्मचारी संगठन परिसंघ ने कल 1 बजे संसद का घेराव करने का निर्णय लिया है। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री से कल 1 बजे से पूर्व उनके मामले का निपटारा करने का अनुरोध करता हूं। मंत्री महोदय, जब अपने पहले ही सिफारिशें अधिसूचित कर दी हैं तो आप उन्हें लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी 14 वर्षों की मांगों पर विचार किया जा चुका है और सिफारिशें उनके पक्ष में हैं। अधिकार को पारदर्शी बना दिया गया है। आय अधिकार को स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप उस अधिकार का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जूट उद्योग के बारे में, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योगों की दशा बहुत ही खराब है। पश्चिम बंगाल और असम राज्य में बहुत सारे जूट उद्योग हैं। परन्तु बहुत से जूट उद्योग अक्सर बंद किए जा रहे हैं और कोई भी वहां कार्य करने वाले जूट श्रमिकों पर ध्यान देने वाला नहीं। हजारों जूट कामगार अचानक बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि जिन जूट उद्योगों में वे कार्य कर रहे थे वे बंद हो रहे हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने और हमारे देश में जूट बैग के उपयोग को प्रोत्साहित करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में अचानक कमी जिसका श्री गुरुदास दासगुप्त ने पहले ही जिक्र किया है, निराशाजनक है। केवल कर्मकार या कर्मचारी ही नहीं बल्कि सभी मध्यवर्गीय लोग संकट के समय अपनी भविष्य निधि और अपनी भविष्य निधि पर ब्याज पर निर्भर रहते हैं। यदि इसमें से कोई भी राशि छेड़ी जाती है या कम की जाती है तो यह उनके जीवन में बहुत बड़ी कमी होगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से पहले वाली स्थिति बहाल करने का अनुरोध करता हूं।

यद्यपि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय हैं परन्तु दुर्भाग्यवश वे सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जिस कामगार के पास अपना ई.एस.आई. कार्ड हैं उसे भी जरूरत के समय ई.एस.आई. कार्ड का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ई.एस.आई. चिकित्सकों में और आधुनिक उपकरण तथा और अधिक चिकित्सकों की आवश्यकता है ताकि संकट के समय, जब किसी कामगार को कोई गम्भीर रोग हो जाए तो उस समय यूं कहें कि जब उसे गम्भीर दिल का दोरा पड़ता है तो उसका तत्काल उपचार हो सके।

महोदय, सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है। आप असंगठित श्रमिक वर्ग के बारे में जानते हैं। ये असंगठित श्रमिक सबसे दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। इसलिए, इन असंगठित श्रमिक वर्गों का ध्यान रखने के उद्देश्य से नई और अधिक अत्याधुनिक नीतियां लाये जाने की जरूरत है।

महोदय, चूंकि मैं विधि व्यवसाय से जुड़ा हूं इसलिए मैं प्रतिदिन ऐसी दयनीय दशा से पीड़ित श्रमिकों के चेहरे

[श्री कल्याण बनर्जी]

देखता हूं। विशिष्ट तौर पर औद्योगिक श्रम कानूनों के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों में बताया गया तंत्र बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है।

यदि हम अधिकरण में जाएं तो हमें कहां कोई न्यायाधीन नहीं मिलता। यदि वहां न्यायाधीश होता भी है तो वह 12 बजे आएगा। वह केवल एक या दो घंटे के लिए वहां रहेगा। श्रमिक अनाथ बच्चों की भांति अधिकरण के गलियारों में घूमते रहते हैं। अधिकरण में उच्चतम न्यायालय तक त्रि-स्तरीय प्रणाली है; पहला - अधीकरण, दूसरा उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय। क्या किसी श्रमिक के लिए इसे झेलना संभव है? यह असंभव है। इसलिए, एक तंत्र निर्धारित करना होगा। यद्यपि, अधिनियम स्वयं त्वरित तंत्र की बात करता है परन्तु वास्तविकता में यह त्वरित तंत्र नहीं बन पाया है। श्रमिकों की शिकायतों के समाधान हेतु उद्देश्य से एक त्वरित तंत्र लाना होगा।

चूंकि मुझे यह अवसर इसलिए मिला है क्योंकि श्री गुरुदास दासगुप्त ने यह अति संवेदनशील मुद्दा उठाया है इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत एक उपयुक्त संशोधन लाने का अनुरोध करता हूं ताकि उन्हें समझौते के स्तर पर या अधिकरण के स्तर पर अंतरित राहत का अधिकार मिल सके। अधिनियम में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अधिनियम यह शक्ति नहीं देता है। यदि किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके पास समझौते के स्तर पर या अधिकरण के स्तर पर अंतरिम राहत का कोई अधिकार नहीं होता है। कृपया इसके बारे में सोचें और इसे लेकर आएं। इसका श्रमिकों के लिए संतुलनकारी प्रभाव होगा।

मैंने जहां से शुरू किया था उसी पर समाप्त करता हूं। आज, श्रम प्रतिष्ठान के कार्यालयों को सभी श्रम कानून लागू करने चाहिए। हमारे पास लगभग 50 या 60 श्रम कानून हैं। सारे श्रम कानून विद्यमान हैं। कम से कम आप इसे लागू करें। यद्यपि, संविधान ने निदेशक तत्वों के अंतर्गत हमें कामगारों को अच्छे जीवन स्तर का सिद्धान्त दिया है परन्तु हम जानते हैं कि यह असंभव है। अच्छे जीवन स्तर को भूल जाइये। हमारे देश में दैनिक श्रमिकों का कोई सार्थक जीवन भी नहीं है। इसलिए, मैं श्रम मंत्री से सभी श्रम कानून लागू करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री कल्याण बनर्जी: मैं अब समाप्त करूंगा।

मुझे आशा है कि यहां सभा में जो भी सदस्य उपस्थित हैं उनमें से कोई भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर यह नहीं कहेगा कि श्रमिकों का जीवन स्तर अच्छा है। हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका न्यूनतम जीवन स्तर भी नहीं है। इसलिए, आज इस सभा में एक संकल्प पारित किया जाना चाहिए कि श्रमिकों को अर्थपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। कम से कम, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित अधिकारों का लाभ मिलने दें।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): महोदय, मेरे विद्वान वरिष्ठ सहयोगी श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा आरंभ की गई चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं उसी मुद्दे पर अपनी बात आरंभ करूंगा जिस मुद्दे पर मेरे मित्र श्री कल्याण बनर्जी ने अपनी बात समाप्त की है। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सम्माननीय सभा में इस देश के कामकाजी वर्ग के संबंध में एकजुटता दर्शाई है।

मैं श्रमिक वर्ग के मुद्दों को उठाने, उनके लिए प्रचार करने और पहली बार सफलतापूर्वक हड़ताल करने जिसमें इस देश के सभी राष्ट्रीय श्रमिक संघों ने भाग लिया, के लिए इस देश के संपूर्ण कामकाजी वर्ग का धन्यवाद करता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अब हमें यह अनुभव हो रहा है।

महोदय, आपने देखा होगा कि चर्चा के दौरान जब कुछ बहुत वरिष्ठ नेता इस सम्माननीय सभा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे थे। दुर्भाग्यवश मेरे कुछ मित्र व्यंग्य में मुस्करा रहे थे और उनमें से कुछ हंस भी रहे थे।

आपकी अनुमति से मैं माननीय श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे की सहायता लेना चाहता हूं। हम सभी की उनसे कुछ आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं। उनका एक लक्ष्य होना चाहिए। परन्तु, अब हम क्या देख रहे हैं? मैं उन्हें और मेरे मित्रों को भी इस सम्माननीय सभा में आमंत्रित करता हूं। यदि हम 'शाइनिंग इंडिया' के बारे में चर्चा कर रहे हैं

तो निसंदेह हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि असल में शाइन कौन कर रहा है। मुझे लगता है कि कब्रिस्तान के कंकाल ही सम्पन्न हो रहे हैं। मैं अपने मित्रों को चमचमाती हुई विलासिनतापूर्ण गाड़ियों की बजाय सड़क पर निकल कर लोगों की दशा देखने के लिए अपने साथ चलने का निमंत्रण देता हूं। महोदय, आंख और कान होते हुए भी कुछ लोग कुछ देखना और सुनना नहीं चाहते।

मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां क महान दलित नेता, श्री अय्यंकली ने 115 वर्ष पहले लोगों को यह नारा दिया था कि "यदि शासक, महाराजा और अधिकारी आपके अधिकारों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हड़ताल कर दो। भुखमरी आपके लिए कोई नई बात नहीं है।" तत्पश्चात पश्चिम बंगाल में पालकी ले जाने वाले और उनके बाद हावड़ा में रेलवे श्रमिकों ने हड़ताल की। हमें इस बात का कड़ा अनुभव है। रायल इंडियन नेवी में काम करने वाले हमारे लोगों, हमारे बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने बगावत की। अत: यह सब इस देश में हुआ है।

महोदय, मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे। वर्ष 1957 में पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों ने भी हमारे इस तर्क की पुष्टि कर दी। परन्तु आज क्या स्थिति है? इस वर्ष फरवरी माह की 14 और 15 तारीख को भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वें सत्र के एजेंडा में तीन मुख्य विषय थे। पहला न्यूनतम मजदूरी दूसरा सामाजिक सुरक्षा और तीसरा रोजगार और नियोजनीयता महोदय, यदि श्रमिक संघ का कोई नेता श्रमिकों की समस्याएं उठाता है तो हमारे मंत्री उन्हें सुनने के लिए इतने अनिच्छुक क्यों हैं? कम से कम उन्हें आमंत्रित करके आमने सामने बैठकर उनके साथ एक कप कॉफी पीते हुए उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता।

महोदय, इस देश में, हमारे शासक कारपोरेट जगत की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं परन्तु, वे आम आदमी की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे विद्वान मित्र श्री कल्याण बनर्जी ने ठीक ही कहा है 'कि एक आदमी उच्चतम न्यायालय कैसे जा सकता है?' मैं पिछले 25 वर्षों से वकालत के पेशे में हूं? मैं कई बार उच्चतम न्यायालय गया हूं? उच्चतम न्यायालय के गलियारों में यह अफवाह है और मैंने अपने मित्रों के मुंह से भी यह सुना है कि यह 'कैसिनो' न्यायपालिका है। यदि लोगों को न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें कहां न्याय मिलेगा? आप नौकरशाहों की प्रक्रिया और उनकी 'ए.बी.सी.डी.' से परिचित है। ए का अर्थ है 'अवायड', बी का अर्थ है 'बाइपास यह मजाक नहीं है आप कहीं भी जाकर इसकी जांच कर सकते हैं; सी का अर्थ है 'कन्फ्यूज' - वे हर समय कन्फ्यूज रहते हैं। और डी का अर्थ है 'डिले' - हर कार्य में विलंब होना। यह भारतीय नौकरशाही की 'ए.बी.सी.डी.' है। यदि यह सब चलता रहता है तो लोग सहन नहीं करेंगे। हर बात की एक सीमा होती है।

महोदय, आप और मैं सभी इस बात को जानते हैं कि इस देश में 40,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में न कोई कानून है न सरकार वहां कोई डाकघर भी नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आप सबको इस बारे में पता है इसलिए मैं कुछ और नहीं बताऊंगा। श्रम कानूनों का सबसे अधिक उल्लंघन कौन करता है? यह कार्य भारत सरकार करती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रो. के.वी. थॉमस वहां मौजूद थे। 48 घंटे पहले मलप्पुरम जिला जहां से हमारे एक माननीय मंत्री जी आते हैं, के कुट्टीपुरम में एफ.सी.आई. के एक डिपो को एफ.सी.आई. प्रबंधन ने बंद कर दिया। एफ.सी.आई. प्रबंधन के अंतर्गत पिछले 22 वर्षों से हजारों लोग नैमित्तिक श्रमिक और ठेका श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध सारी अनुशासनात्मक कार्यवाही तो की जाएगी परन्तु उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। एयर इंडिया के अंतर्गत, 20 वर्ष पहले बहुत से युवा नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में भर्ती हुए। वे आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आज वे कितने घंटे कार्य करते हैं? बारह घंटे से अधिक...*(व्यवधान)*

1980 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका में एक संगठित श्रम आंदोलन हुआ। उनकी मांग थीं आठ घंटे कार्य, आठ घंटे आराम और आठ घंटे मनोरंजन। यहां भारत में क्या होता है हम सभी जानते हैं। क्या हम शर्म शब्द को भूल गए हैं क्या हमें स्वयं पर शर्म नहीं आती? यहां महिलाओं और बच्चों का सबसे अधिक शोषण होता है। यह वस्तुस्थिति है। हम आज भी बच्चों को काम पर रखते हैं। वस्त्र जो हम पहनते हैं जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं जो हम खाते पीते हैं उन सबमें भारत के बच्चों के आंसू, खून और पसीने का अहसास होता है। यह सब आज भी होता है। मैं इसके लिए बहुत शर्मिन्दा हूं।

[श्री ए. सम्पत]

आज हमने विभिन्न समाचार पत्रों में कुछ लेख पढ़े हैं। फ्लोरेंस नाइटेंगल को आदर्श मानने वाली नर्सें आज आंदोलन के मार्ग पर चल रही है। मेरे जन्म लेने के बाद सबसे पहले मुझे उठाने वाली मेरी मां नहीं थी। मेरे जन्म के पश्चात् सबसे पहले मेरे रोने की आवाज सुनने वाली मेरी मां नहीं थी। मेरा जन्म होने पर सबसे पहले मेरे चेहरे को देखकर हंसने वाली भी मेरी मां नहीं थी। वह एक अनजान महिला एक नर्स थी जो मुझे लेकर मेरी मां के पास आई। परन्तु आज देश में हजारों नर्सों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है उनका कार्य करने का समय भी निर्धारित नहीं है; उनके मामले में कोई श्रम कानून लागू नहीं है; सभी श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। अत: श्रम प्रवर्तन उल्लंघन किया जाता है। अत:, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार का प्राथमिक दायित्व लोगों का भरण पोषण करना, उन्हें वस्त्र और आश्रय प्रदान करना और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है।

मैं भारत में कामकाजी वर्ग की दशा के संबंध में बहुत चिंतित हूं। देश के 90 प्रतिशत लोग कामकाजी वर्ग से जुड़े हैं। दुर्भाग्य से ऐसे कुछ जन प्रतिनिधि हैं जिन्हें उनकी आवज और चीखें सुनाई नहीं देती, जो उन्हें कभी-कभी एक मुसीबत समझते हैं। वे देश के आम लोग हैं। कुछ ऐसे जन प्रतिनिधि या राजनैतिक दलों के ऐसे नेता हैं जो यह मानते हैं कि वे आर्थिक शक्ति के बल पर राजनैतिक अधिकारों को खरीद सकते हैं। नहीं, महोदय, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह देश बिकाऊ नहीं है।

मेरे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इन संस्थानों को चलाने के लिए और संविधान के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास धनराशि नहीं है। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान की नींव की संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं। इन अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है। संस्था बनाने के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा समय था जबकि बंदूक की नोंक पर कुछ भी किया जा सकता था। एक ऐसा समय था जब लोकोमोटिव चालकों को लोकोमोटिव चलाने के लिए बाध्य किया जाता था। परन्तु याद रखिए एक ऐसा भी समय था जबकि दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस आई.टी.बी.पी., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. में आम पुलिसकर्मी भी अपने अस्त्र-शस्त्र त्यागकर हड़ताल पर चले गए थे। यह घटना 1979 की है।

अत:, यदि सरकार यह कहती है कि उसके पास धनराशि नहीं है तो मेरा यह नम्र निवेदन है कि भारत और भारत के ब्राहर विदेशी बैंकों में काफी धनराशि जमा है। मैं कठिन परिश्रम से अर्जित धनराशि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं परिश्रम से अर्जित धनराशि का कोई भाग नहीं चाहता। मैं अपने मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार चाहता हूं। यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अत:, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। केन्द्र सरकार, भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाए। सरकार को एक आदर्श स्थापित करना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मुझे केवल पांच बातें कहनी हैं। मैं यहां दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण कामकाजी वर्ग में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर अपने मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा शुरू की गई चर्चा पर विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पिछले दो दशकों से हमारे देश में भारी बदलाव आए हैं। सरकार ने निश्चय ही गरीबी उन्मूलन में कुछ प्रगति की है और रोजगार गारंटी, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सस्ता खाद्यान्न और किसानों को कम ब्याज पर ऋण जैसे कार्यक्रमों ने निर्धनतम लोगों को राहत प्रदान की है परन्तु इनसे देश में शांति स्थापित करने में मदद नहीं मिल रही है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि देश में असमानता निरंतर बढ़ती जा रही। बड़ी कम्पनियों के लाभों में लगभग 28 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गई है जबकि बिक्री में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका क्या अर्थ है? लाभ में भारी वृद्धि का अर्थ है कि व्यापारी पैसा बना रहे हैं। दूसरी ओर स्थिर बिक्री का अर्थ है कि लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिए क्रम शक्ति नहीं है।

कृषि वस्तुओं की कीमत ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर है। गांव वाले बेहतर आय की तलाश में शहरों में पलायन कर रहे हैं। गांवों और शहरों के बीच असमानता बढ़ रही है। ऐसी ही असमानता शहरों के अंदर भी बढ़ रही है। शहरी कामगारों का वेतन लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा है परन्तु इसी अवधि में व्यापारियों की आय 20 गुणा

बढ़ी है। हमने जो नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल की है यह उसकी वास्तविक तस्वीर है। विकास दर प्रशंसनीय है परन्तु इस वृद्धि के साथ असमानता में भारी वृद्धि हुई है। उच्च विकास दर से सरकार अधिक कर एकत्र कर पायेगी और इस धन का उपयोग गरीबी उन्मूलन की योजनाएं चलाने के लिए कर पायेगी परन्तु वास्तव में यह सरकार असमानता को दूर करने में पूरी तरह से विफल रही है। वस्तुतः उनकी यह नीति असमानता में वृद्धि की स्वीकार्यता पर आधारित है।

मुझे इस देश में हाल ही में हुई हड़ताल पर कुछ अलग बात कहनी है। इसी राजनैतिक परिदृष्य में 11 प्रमुख ट्रेड यूनियनों द्वारा हाल ही में की गई 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल इस सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में थी। परन्तु इसके हास्यास्पद पक्ष को देखिये। सरकार के खिलाफ एक गम्भीर आरोप यह है कि यह श्रम मोर्चे पर विफल रही है जिससे दक्षता और विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। संप्रग-। पर कम्यूनिस्टों के गतिरोध के कारण श्रम सुधार नहीं हो सके। पश्चिम बंगाल और केरल में कम्यूनिस्टों को सत्ता से हटा दिए जाने के बावजूद भी संप्रग-।। यथास्थिति बनाकर रखे हुए हैं।

क्या वह प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ही नहीं थे जिन्होंने पिछले माह भारतीय श्रम सम्मेलन में स्वीकार किया कि वर्तमान नीतियों ने "हाल ही में नियोजित" लोगों के हितों की "अनुचित रूप से" रक्षा की है। क्या इसने नई नौकरियां सृजित करने में बाधा नहीं पहुंचाई है? मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मांग कम होने की स्थिति में अतिरिक्त श्रमशक्ति, से पीछा छुड़ाने के लिए औद्योगिक इकाईयों के लिए नियम पर्याप्त रूप से लचीले नहीं है। परिणामस्वरूप, अनेक कम्पनियां अर्थव्यवस्था में उछाल भी कंपनी की श्रमशक्ति में विस्तार न करके कम लोगों से कार्य करने की प्राथमिकता देती हैं।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्दिष्ट विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों को कर्मचारियों की नियुक्ति और छंटनी पर विशेष लाभ के विरुद्ध निर्णय लिए जाने के पश्चात् सरकार के एक प्रमुख नीतिगत कदम, "राष्ट्रीय विनिर्माण नीति" ने अपनी उपयोगिता खो दी है, उसके क्षेत्र का संकुचन हो गया है परन्तु ट्रेड यूनियनों को अपना अस्तित्व सही सिद्ध करने की जरूरत है और इसलिए हड़ताल कराई गई, संभवतः केवल हड़ताल के लिए हड़ताल।

संप्रग सरकार ने 2009 में सत्ता में वापसी के बाद से पांच प्रमुख हड़तालों का सामना किया है। पहले की हड़तालें ईंधन के मूल में वृद्धि और मल्टी बांड रिटेल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने के कदम से संबंधित थीं। यह सच है कि पिछले वर्ष के ग्यारह माह के दौरान 9 प्रतिशत की मुद्रास्फीति ने आम आदमी की क्रय शक्ति घटा दी है किंतु बैंक कर्मचारियों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, जिन्होंने बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लिया था, का वेतन मुद्रास्फीति-सूचकांक से प्रभावित होता है।

हमारे देश में ट्रेड यूनियनों की बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति है। इस बार भा.रि.बै. के क्लियरिंग हाउस बंद थे। गैर-सरकारी और विदेशी बैंक जहां ट्रेड यूनियनें नहीं हैं, वे भी प्रभावित हुए।

सभापति महोदयः श्री महताब, कृपया अब समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताबः इससे क्या हासिल हुआ? देश को श्रम और उत्पादक क्षमता का नुकसान हुआ। तथापि, हड़ताल का एक रोचक पहलू भी है। पश्चिम बंगाल में कुमारी ममता बनर्जी सरकार ने एक खुली चेतावनी जारी की कि सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी से अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना जाएगा। बाद में उन्होंने वाम-प्रायोजित बंध को तोड़ने में सफलता का दावा किया और घोषणा की कि विध्वंसकारी बंध उनके राज्य और देश का भविष्य नहीं है। एक बात सिद्ध करने के बाद अब उन्हें इसे अगले पड़ाव पर ले जाने की जरूरत है न कि लम्बे समय से लम्बित श्रम कानून सुधारों को रोकने में अपनी राजनीतिक कट्टर प्रतिद्वंदिता दोहराने की।

आज, सम्पूर्ण भारत में उद्योग और सेवा दोनों क्षेत्रों में, ठेका-श्रम औद्योगिक की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन बन गया है। इसके अलावा, भारत के निम्न मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं में वृद्धि और कुशल श्रम की आपूर्ति बढ़ाने में व्यवस्था की असमर्थता के कारण तेजी मजदूरी में होने वाली तीव्र वृद्धि से लागत में भी भारी वृद्धि हुई है। उद्योग अब स्थायी रोजगार को एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के साधन के रूप में नहीं देखते।

[श्री भर्तृहरि महताब]

भारत में, कुछ सीमा तक विनिर्माण क्षेत्र सफेदपोश का वर्ग अर्थात् बाबू वर्ग का दबदबा रहा जबकि श्रमिक वर्ग घटता गया अथवा श्रम के नैमित्तिकरण से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुझे बोलने के लिए दो मिनट और चाहिए।

सभापति महोदय: मैं आपको समाप्त करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि 6 बजे हमें सारा काम पूरा करना पड़ेगा।

श्री भर्तृहरि महताब: जी श्रीमान, अब ठेका श्रमिक अब मुआवजे और लाभों में वार्षिक वृद्धि, कार्यकाल की सुरक्षा और पदोन्नतियों की आशा नहीं कर सकते बल्कि ठेका व्यवस्था से उन्होंने असुरक्षा कर ही अनुभव किया। ठेका श्रम में लचीलापर और कम लागत आती है परन्तु यह श्रम की योग्यता नष्ट कर देता है।

हमें यह न भूलना चाहिए कि बड़े पैमाने पर यूनियनों के गठन और स्थायी श्रम दशाओं के साथ साथ बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से उच्च और उच्च मुआवजा, कम उत्पादकता, पूरी तरह प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ न होना, जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और अंततोगत्वा सम्पूर्ण उद्योग का विनाश होता है।

भारत के विनिर्माण उद्योग ने यही प्रवृत्ति देखी है और देखा एक संवेदनशील सरकार। जिसने अपनी बात पर अडिग श्रमिकों से हार मान ली। श्रमिकों के पुनर्गठन से उद्योग को बहुत नुकसान हुआ।

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री अनंत गंगाराम गीते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं यह सुझाव देने जा रहा हूं। श्रम कानूनों से अधिक मदद नहीं मिली क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता श्रमिकों के और छंटनी की योग्यता सीमित थी इससे पहले कि यह और फैले और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, इस संबंध में नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, नियोक्ताओं को आवश्यक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत के श्रम कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नवीन पारिस्थितियों में नीतिगत प्रतिक्रिया न करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। स्थिति काबू से बाहर हो, इससे पहले ही भारत को नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है। अगले 20 वर्ष भारत निर्माण के हैं। यदि हम अपना कार्य ठीक कर लें तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया जा सकता है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को निष्पक्षता और बराबरी का ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री अनंत गीते जी कृपया अपना भाषण पांच मिनट में पूरा करें क्योंकि हमें छह बजे तक इस बहस को पूरा करना है। दस और वक्ता हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, जी, मैं श्री गुरूदास दासगुप्त जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह चर्चा करने का अवसर हमें यहां पर दिया है। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि 28 फरवरी को पूरे देश के कामगार संगठनों ने एक दिन की हड़ताल की। हड़ताल सफल रही। सारे राजनीतिक दलों की यूनियन्स उस हड़ताल में शामिल हुईं। इससे पूर्व जितने भी कामगार संगठनों के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहा लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी उस हड़ताल से पूर्व नहीं मिल पाए या उन्होंने शायद इन कामगार संगठनों से मिलना उचित नहीं माना। इसलिए आज नियम 193 के तहत गुरूदास दासगुप्त जी ने यह चर्चा सदन के सामने पेश की है और सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। जो कामगारों का दु:ख-दर्द है उसे सुनने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है।

सभापति महोदय जी, ये जो वर्किंग क्लास है, लगभग 70 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। जब दो दिन पहले वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने बजट पेश किया तब बजट के पहले ही रात, एक दिन पहले जो संगठित क्षेत्र के मजदूर एवं कर्मचारी हैं उनके प्राविडेंट फंड पर 1.25 परसेंट इंटरेस्ट कम कर के करोड़ों कर्मचारियों के ऊपर हमारे वित्त मंत्री जी ने अन्याय किया। फिर यह लग रहा था कि शायद बजट से कुछ राहत मिलेगी लेकिन बजट से कुछ राहत नहीं मिली। उन्होंने इन्कम टैक्स छूट की लिमिट एक लाख अस्सी हजार रुपये से दो लाख रुपये तक बढ़ा दी है। उन्होंने इन्कम टैक्स छूट

की लिमिट बीस हजार रुपये तो बढ़ा दी है लेकिन सर्विस टैक्स फ्लैट दो प्रतिशत बढ़ा कर, एक तरफ तो बीस हजार रुपये की सहूलियत और दूसरी तरफ उन्होंने चालीस हजार रुपये उन्हीं कर्मचारियों की जेब से निकाल लिए। आपने जो फ्लैट सर्विस टैक्स दो परसेंट बढ़ा दिया है, लगभग साल भर में एक कर्मचारी पर उससे ज्यादा बोझ बढ़ा दिया है। लगभग 43 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। श्रम मंत्री जी ने पिछले सत्र में कई प्रश्नों के जवाब में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक रोजगार चाहने वाले जो पढ़े-लिखे शिक्षित युवक हमारे देश में हैं, वर्ष 2008 का जो आंकड़ा है, उनके अनुसार संख्या 26 करोड़ 96 लाख 53 हजार, यानि लगभग 27 करोड़ है। लगभग 27 करोड़ युवक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं जो रोजगार चाहते हैं।

ऐसे युवकों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। इसलिए 70 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले लोगों के दुख-दर्द की चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं श्रम मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यहां जो चर्चा हो रही है, उसका उत्तर अंत में वे देंगे। यह उनका अधिकार है, उन्हें उत्तर देना है। लेकिन यह सदन उनसे केवल उत्तर नहीं चाहता, केवल जवाब नहीं चाहता बल्कि सरकार इस बात को स्वीकार करे कि 70 करोड़ से अधिक लोग, जो इस वर्किंग क्लास से जुड़े हुए हैं, वे देश में आज दुखी हैं, परेशान हैं। उनका जीना मुश्किल हो गया है। इस बारे में मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। इसलिए सरकार को वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि आज 70 करोड़ से ज्यादा आबादी परेशान है। हम वर्ष 2020 में विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में जाने का, उनकी बराबरी करने का सपना देश रहे हैं, लेकिन आज भी इस देश की 120 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ आबादी ऐसी है जिनके लिए सम्मान से जीना भी मुश्किल है यानि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता।

मैं पिछले महीने कामर्स मिनिस्ट्री के अध्ययन दौरे पर दार्जिलिंग गया था। जब हम वहां के चाय बागानों में गए तो हमें मजदूर यूनियन के नेता मिले। उन्होंने कहा कि चाय बागानों में जो लोग मजदूरी करते हैं, उन्हें एक दिन का रोजगार 65 रुपये से लेकर 90 रुपये तक मिलता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब यूनियन के नेता स्टैंडिंग कमेटी से मिलने आए तो उन्होंने रोजगार बढ़ाकर नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि हमें रोजगार मिलेगा या नहीं, बढ़ेगा या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन आज जो मजदूर 65 रुपये, 90 रुपये में मजदूरी करके जी रहा है, उसे जीवित रहने के लिए कम से कम एक सरकारी अस्पताल दीजिए। यह देखिए कि यूनियन की मांग क्या थी। कामर्स मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के रिकार्ड में यह सारी बातें आई हुई हैं।...(*व्यवधान*) सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित हो, यह कामगारों की हालत है।

23 फरवरी, 2012 के 'जनसत्ता' अखबार में एक आर्टिकल आया है। उसकी हैडिंग है - रोजगार सुरक्षा की बात क्यों नहीं होती। उसके एक पैराग्राफ को यहां उद्धृत करना सही होगा। मैं आपकी इजाजत से उसे यहां पढ़ना चाहूंगा। जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा है, उनका नाम श्री मस्तराम कपूर है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप संक्षेप में कहें। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ चार लाइनें पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है - गरीबी की समस्या मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, मंत्री जी, आप भी सुनेंगे तो ठीक होगा।...(*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मैं सुन रहा हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: धन्यवाद। उन्होंने कहा है - गरीबी की समस्या मनरेगा, खाद्य सुरक्षा या नकद सब्सिडी देकर हल नहीं हो सकती। यह योजनाएं राजनेताओं के लिए वोट बैंक और भ्रष्ट लोगों के लिए अवैध कमाई का स्रोत तो हो सकती हैं लेकिन रोजगार से मिलने वाला...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह सुसंगत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, आप कमेंट पास करने से पहले अगला वाक्य तो सुनिये। आप अगला वाक्य

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सुनिये, उसके बाद कमेंट पास कीजिए। मैं भ्रष्टाचार पर नहीं बोल रहा हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं उससे आगे का वाक्य पढ़ रहा हूं, जिसे आप सुनिये। 'लेकिन रोजगार से मिलने वाला स्वाभिमान और सम्मानपूर्ण जीवन नहीं दे सकती। प्रत्येक श्रम योग्य व्यक्ति के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था ही आर्थिक नीतियों का लक्ष्य होना चाहिए।' यह अगला वाक्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

सभापति जी, इसी सोच से सरकार को अपनी नीतियां बनानी चाहिएं। आज दासगुप्ता जी ने नियम 193 में कहा है, वह सरकार की गलत नीति के कारण है। वर्किंग क्लास के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उनकी जो हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, उनका जीना मुश्किल हो रहा है, वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है। इसलिए इन नीतियों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप ऐसी नीति बनायें, जिस नीति के तहत जो श्रम मंत्री हैं, जो इस देश के 70 करोड़ श्रमिकों के श्रम के गार्जियन हैं, उन्हें इस श्रम को हमारे देश का ऐसेट मानना चाहिए, हमारे देश की सम्पदा माननी चाहिए। यदि हमारे मंत्री इन 70 करोड़ श्रमिकों के श्रम को देश की सम्पदा मानते हैं, तो उस सम्पदा के तहत हमारी श्रम नीति होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अत: विशेष मामले के रूप में जिन सदस्यों के पास लिखित भाषण है और वे इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे रख सकते हैं।

अब श्री सी. शिवासामी।

***श्री सी. शिवासामी** (तिरुपुर): आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे नियम 193 के तहत इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया। एक तरफ ऊंची-ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग और दूसरी तरफ झुग्गी-झोंपड़ियों में अभाव की जिन्दगी जीना और इसे एक समृद्ध दुनिया कहना हंसी उड़ाने लायक है तथा पूरी दुनिया भगवान के साथ हम पर हंसेगी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी यही राग अलाप रहे हैं। यह एक कटु सत्य है कि केन्द्र की सरकार केवल अमीरों का पक्ष लती है तथा उन्हें और अधिक धनवान बनाने में लगी है। कोई भी निश्चित कार्य योजना और नीतियां गरीबों के उत्थान के लिए नहीं है। मेरे तिरूपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में तिरूपुर एक बुनकर उद्योग कस्बा है जो विदेशी मुद्रा के रूप में हजारों करोड़ रुपये कमाता है। चूंकि मैंने वहां औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे मजदूरों की जीवन यापन स्थितियों तथा परेशानियों को देखा है, इसलिए मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूं ताकि उनके विचार और भावनाओं को सामने रख सकूं।

आज मेहनतकश और मजदूर दो प्रकार की श्रेणियां हैं। एक तरफ वो हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है तथा उनके लिए औद्योगिक तथा श्रम कानून हैं और दूसरी तरफ मजदूरों की वो श्रेणी है जिनके पास न तो सामाजिक सुरक्षा है और न ही वो संगठित हैं। बीड़ी मजदूर, कृषि मजदूर, दैनिक वेतन भागी तथा कृषि क्षेत्र में भार वाहक मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। वस्त्र उद्योग तथा कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर श्रम कानूनों के दायरे में हैं तथा संगठित क्षेत्र के मजदूरों के रूप में उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। यदि हम मजदूरों की इन दो श्रेणियों की तुलना करें तो हमें पता चलता है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बमुश्किल सामाजिक सुरक्षा मिल पाती है तथा उनका जीवन स्तर भी पिछड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम संगठित क्षेत्र की जमीनी हकीकत को देखें और सवाल करें कि क्या वे खुश और समृद्ध हैं, तो जवाब निराशाजनक हो सकता है। वैश्वीकृत और मुक्त अर्थव्यवस्था में नीतियों का क्रियान्वयन इस तरह से किया जा रहा है कि वो संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। हमारी अधिकांश औद्योगिक इकाईयां सरकार की नीतियों खासतौर पर निर्यात नीति से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से औद्योगिक इकाईयां बंद हुई हैं और नौकरी जाने से कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इसके कारण उन्हें जीवन में मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अपनी बात समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। कपास उत्पादकों, किसानों तथा कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाने के नाम पर सरकार ने कपास के निर्यात की अनुमति दी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका असर एकदम उल्टा होगा।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कपास को संसाधित किए बिना उसका निर्यात करने से न तो खेतिहर समुदाय को फायदा होगा और न ही कताई बुनाई मजदूरों को। इस तरह सीधे कपास निर्यात करने की नीति से तो केवल जमाखोर व्यापारियों और बिचौलियों को ही फायदा होगा। कताई और बुनाई इकाईयां जोकि संसाधित कपास पर निर्भर हैं, सरकार की कपास निर्यात नीति से बुरी तरह प्रभावित होगी। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि ऐसी इकाईयां बंद हो जायेंगी और बहुत से कामगार बेरोजगार हो जाएंगे।

तिरुपुर कस्बा जो बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र और बुनाई के तैयार सामानों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा के रूप में हर साल दस हजार करोड़ रुपये अर्जित करता है। सरकार की कपास निर्यात से प्रतिबन्ध हटाने की गलत नीति ने कपास उत्पादकों और कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। रंगाई इकाईयों के संबंध में न्यायिक आदेशों के कारण कई रंगाई इकाईयां बंद हो गयी हैं। इसके कारण वहां बुनाई और वस्त्र उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार को औद्योगिक इकाईयों और औद्योगिक कामगारों दोनों को बचाना चाहिए।

सरकार को तिरुपुर की बुनाई और रंगाई इकाइयों में कार्यरत मजदूरों से ई.एस.आई. कोष हेतु भारी भरकम राशि मिलती है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उस कस्बे से ई.एस.आई. कोष में इतना अधिक योगदान होने के बावजूद तिरुपुर में कोई भी ई.एस.आई. अस्पताल नहीं खोला गया है। सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पर दिये जाने वाले ब्याज में कटौती करना भी दु:खदायी है।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के रूप में हमारी नेता के मार्ग-निर्देशन में अच्छा शासन किया जा रहा है। उनके द्वारा गरीब मजदूरों को 20 किलो चावल का मुफ्त वितरण करने जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गयी हैं। यह भूख मुक्त कार्य बल और भुखमरी से होने वाली मौतों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए है। समाज के निम्नतम वर्ग की महिलाओं के उत्थान के लिए तथा उनके द्वारा सामान्य जीवन यापन करने के लिए हमारी नेता द्वारा मिक्सी, ग्राइन्डर तथा पंखे आदि वितरित किए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों को स्व-रोजगार देने तथा उनके जीवन-स्तर को सुधारने हेतु उन्हें भेड़ एवं बकरियां दी गयी हैं।

मैं इस सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह उद्योग जगत के हाथों की कठपुतली बन गई है जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर वर्ग को मंझधार में छोड़ दिया है। सरकार को पहल करके दोनों क्षेत्रों के मजदूरों की जिन्दगी को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए तथा निवारक एवं पुनर्वास के उपायों को लागू करना चाहिए। सरकार से यह अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि वह ऐसी उचित नीतियां बनायें जिनसे कामगार वर्ग की आंखों के आंसू पोंछे तथा ज्यादा कामगारों और उनके परिवारों के जीवन में सुधार हो।

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): पूरी दुनिया 1 मई को श्रम दिवस मना रही है। श्रमिक अभी भी भूखे हैं और भोजन न होने के कारण भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के सभी श्रमिकों को संगठित हो जाना चाहिए, यह नारा तब लगाया गया था जब कुछ श्रमिकों की जघन्य हत्या कर दी गई थी। उस खून-खराबे के बाद से हम श्रम दिवस मना रहे हैं। परन्तु दुनिया में हुआ क्या? गरीब और गरीब हो रहे हैं और धनवान और धनवान हो रहे हैं। यह अंतर सम्पन्न और विपन्न के बीच खाई को बढ़ा रहा है। ताज महल से कोणार्क तक और मिस्र के स्फिंक्स से कम्बोडिया से अंगकोर वाट तक श्रमिकों के महान बलिदान को सब जानते हैं। श्रमिक के बलिदान का श्रम दिवस के इतिहास में कभी वर्णन नहीं किया गया। हमारी ऐतिहासिक धरोहर से आधुनिक कला तक, गिरजा मंदिर और मास्को से बौद्ध स्तूप तक, अंजता एलोरा से सिंधु सभ्यता तक जहां भी आप जाएं तो पाते हैं कि वहां पत्थरों पर उकेरी हुई भव्य कलाएं श्रमिकों के स्वर्णिम हाथों के कारनामे हैं। इसके अलावा भी आधुनिक भारत में भी आप बड़े-बड़े बंगले, भवन निर्माताओं के महल जैसे भवन, बाग-बागीचों से लेकर पत्थरों और बाल तक में हर जगह श्रमिकों की उंगलियों से बने आलंकारिक डिजाइन देखने को मिलते हैं। गरीब आदमी को बुद्धिमत्ता और त्याग को स्वीकार करना चाहिए। गरीब श्रमिक हर जगह पत्थर और चट्टान तोड़ते हुए पर्वतों पर पसीना बहा रहे हैं। श्रमिक आज भी धूप में पसीना बहा रहे हैं, अपने सुखों की कुर्बानी दे रहे हैं और फिर भी अपने बच्चों के यहां तक कि एक दिन का भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाते। वे दुख और गरीबी में जीवन जीने के आदी हो गये हैं क्योंकि यही उनकी सम्पत्ति है। स्वतंत्रता के पश्चात् उनकी अनदेखी नहीं की जानी

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

चाहिए थी। जब तक सरकार द्वारा अपने जीवन का बलिदान करने वाले इन श्रमिकों को मान्यता नहीं दी जाती तब तक असमानता, उनमें बढ़ रही उत्तेजना और आवेश को शांत नहीं किया जा सकता। आज अल्सेशियाई कुत्ता भी प्रतिदिन 1 कि.ग्रा. से ज्यादा मटन खाता है। मटन का दाम अब लगभग 300/- रुपये है जबकि श्रमिक की मजदूरी इस समय लगभग 150/- रुपये है। यह एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है जिस पर चर्चा की जा सकती है। एक कुत्ता जो किसी धनवान व्यक्ति के भवन में अपना जीवन मजे से बिताता है उसका दाम एक भूखे व्यक्ति से अधिक है जो भोजन और मकान के बिना कष्टपूर्ण जीवन बिताता है।

सरकार, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित बिना नकद मूल्य चुकाए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) शुरू की गई थी और कुछ और प्रावधान भी किए गए थे। आर.एस.बी.वाई. भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों फेरी वाले, बीड़ी कामगारों, और अन्य लाभार्थियों जिन्होंने 15 दिनों से अधिक कार्य किया है के साथ-साथ घरेलू कामगारों के लिए भी लागू की गई है। पात्रता मानदंड में संशोधन करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार किया गया है। पहले 65 वर्ष की आयु के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र थे। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, बीमा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, जलापूर्ति और मातृत्व लाभ सहित कल्याणकारी उपाय किए गए हैं तथा सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए तैयार की गई सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इसके बावजूद, श्रमिक भोजन के बिना मर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है, उनकी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। क्या देश के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों की दशा के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है अथवा उनके योगदान का कोई आकलन किया गया है। पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है और कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है? सरकार द्वारा वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। महिला श्रमिकों की स्थिति के बारे में विशिष्ट अध्ययन कराया गया है। राज्य-वार विनिर्माण उद्योगों, में लगे महिला और पुरुष कर्मकारों से संबंधित जानकारी एकत्र की गई है जिसमें श्रमिक विकास अप्रभावी है और समान पारिश्रमिक अधिनियम, जिसमें किसी भेदभाव के बिना समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता बनाये रखने का उपबंध किया गया है, लागू किया गया किन्तु श्रमिकों के फायदे के लिए कुछ नहीं हुआ और वे अभी भी आश्रम, जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना कष्ट झेल रहे हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या देश में शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति वर्णित करती है। रोजगार कार्यालयों में लगभग 38.8 मिलियन बेरोजगारों के नाम दर्ज थे। कैंपस भर्तियों के कारण अधिकांश स्नातक पंजीकरण नहीं कराते। यह जरूरी नहीं कि काम मांगने वाले सभी लोग जो बेरोजगार होते हैं, रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराते हों। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें नौकरी मांगने वाली निर्धारित अवधि में अपने कार्डों का नवीकरण न करा सके हों और नवीकरण न होने के कारण उनके नाम रजिस्टर से हटा दिये गये हों।

मेरा सम्माननीय सदन में विनम्र निवेदन है कि कुछ भी प्रगति नहीं हुई और जीवन अभी की दशाएं अभी भी दयनीय है और प्रगति में बाधक हैं। सरकार को श्रमिकों और उनके परिवारों, जो बूढ़े होने से पहले ही मर रहे हैं, की सुरक्षा पर समुचित ध्यान देना चाहिए था। बेहतर भविष्य के लिए सीमा के माध्यम से उनके परिवारों के लिये स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मैं विधान सभा में चयनित होने से पहले से ही ट्रेड यूनियन नेता के रूप में लम्बे समय से लड़ता आ रहा हूं और फिर विधान सभा तथा संसद का सदस्य निर्वाचित होने के बाद मैं बार-बार इस बात को उठाता रहा हूं और माननीय मंत्री को याद दिलाता रहा हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजधानी क्षेत्र भुवनेश्वर में एक श्रमिक अस्पताल बनवाया जाए। धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और सरकार ने स्थान भी पहले ही निश्चित कर लिया है। मैं नहीं जानता कि कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है और मेरे द्वारा किये गये प्रयासों और राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित कर दिए जाने के बावजूद भी कमी कहां है। पर्याप्त धन आवंटित कर दिए जाने के बावजूद भी केंद्र कार्य शुरू

करने की अनदेखी क्यों कर रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गरीब कामगारों, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, की सुरक्षा करने हेतु इसी वर्ष तत्काल युद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ करने पर उचित ध्यान दें।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में जिन लोगों ने इस पार्लियामेंट का ऊंचा खम्भा बनाया होगा, उन पर आज बहस हो रही है। गांव-देश में जो कामगार हैं, जो खेत-खलिहान में काम कर रहे हैं, कहीं हलवाही कर रहे हैं, चरवाही कर रहे हैं, घसवाही कर रहे हैं, भुसवाही कर रहे हैं, दवनी-निकौनी कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, कहीं-कहीं फावड़ा चला रहे हैं, कारखानों में जो काम कर रहे हैं, ईंटा ढोने का काम, पत्थर तोड़ने का काम, हथौड़ा चलाने का काम, कारखानों में अथवा देश के निर्माण में जो लोग लगे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मेहनतकश जहां कहीं भी लगे हैं, ये जो करोड़ों लोग काम में लगे हुए हैं, उन पर आज यह बहस हो रही है। गुरूदास दासगुप्ता जी ने इसे शुरू किया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, इसीलिए जो माननीय सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं कि जो करोड़ों मेहनतकश लोग हैं, उन पर आज बहस चल रही है। उनका क्या सवाल है, उनकी समस्याएं क्या हैं, इस पर विचार होना है और फिर उसके लिए क्या समाधान होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई एवं जीवन की बुनियादी चीजों की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, इस पर विचार हो रहा है। आप कहते हैं कि संक्षेप में कहें। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी की बात तो संक्षेप में ही कह दी जाएगी, लेकिन जरूरत है कि जो कहा जाए उस पर ध्यान देने की। हम लोग ज्यादा बहस करके उनकी समस्याओं को उलझा देते हैं।

देश में तीन तरह के कामगार हैं। एक हैं बेरोजगार कामगार, जिनके पास काम नहीं है, दूसरे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनकी यूनियन होती है और हमारे कई वामपंथी मित्र उन यूनियंस के लीडर भी हैं। ये लोग थोड़ा-बहुत लड़-झगड़कर उन्हें राहत पहुंचाते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का पूर्णतः समाधान नहीं होता है। तीसरे हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जिन्हें हम प्रवासी मजदूर भी कह सकते हैं। ये लोग अपने गांवों से पलायन करके रोजी-रोटी की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। सन् 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा पलायन इन्हीं लोगों का हुआ है और पलायन बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है।

प्रवासी मजदूर यानि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग शहरों में और अन्य जगहों में घर बनाने का काम करते हैं। आज रिएल इस्टेट का काफी नाम है। ये मजदूर वहां ईंटें ढोने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि उन्हें कितनी मजदूरी मिल रही है, वे कैसे रह रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम बना दिया, उससे इन लोगों को कुछ मदद मिली। साल में 100 दिन इन्हें काम मिला, लेकिन बाकी दिनों में ये खेत में काम करेंगे अथवा कहां करेंगे, इसे देखने वाला कोई नहीं है। इसकी स्थिति क्या है, इनके परिवार में बच्चों के पास पढ़ाई-लिखाई के साधन नहीं हैं, बीमार को दवा उपलब्ध नहीं है यानि इनकी समस्याएं बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। हमारे देश में पत्रकार संगठित क्षेत्र में आते हैं। इनकी बात काफी महत्व रखती है। ये लोग पढ़े-लिखे, अच्छा बोलने वाले होते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अनपढ़ होते हैं, अपनी पीड़ा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो पत्रकार लोग हैं, इनके एक नहीं कई संगठन हैं। ये लोग पढ़े-लिखे हैं, राजनीति में उथल-पुथल करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। इनके कई संगठन हैं, जैसे - कंफडरेशन ऑफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसीज इम्प्लाइज आर्गेनाइजेशन, आल इंडिया न्यूजपेपर इम्प्लाइज फैडरेशन, इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, फैडरेशन ऑफ पी.टी.आई. इम्पलाइज यूनियंस, यू.एन.आई. वर्कर्स यूनियन। ये सब इनके संगठन हैं। कल ये सभी संसद का घेराव करेंगे। आज 19 तारीख है, कल यानि 20 मार्च को ये लोग संसद का घेराव करने वाले हैं, इसलिए कि इनके वेतनमानों के लिए सरकार ने मजीठिया वेज बोर्ड का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। सरकार ने उस बारे में नोटिफिकेशन चार महीने पहले जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। इस कारण ये लोग

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कल संसद का घेराव करेंगे। इन संघों के द्वारा कंफडरेशन ऑफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसीज इम्पलाइज आर्गेनाइजेशन द्वारा सरकार से कहा जा रहा है कि मजीठिया आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की जा रही है। जब पढ़े-लिखे और संगठित लोगों की यह हालत है, तो जो अनपढ़ हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं, मेहनतकश हैं, जिनकी कोई यूनियन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उनकी क्या हालत होगी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब इन पढ़े-लिखे, संगठित लोगों की, जो राजनीति में कोई भी उलट-पुलट कर देते हैं, उनकी यह दुर्दशा है तो हमारे गरीब आदमी, जो खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में, घर निर्माण में कार्य करते हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या स्थिति होगी?

सायं 6.00 बजे

एक राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का क्या हुआ, क्या खाली कागजों में मजदूरों का फायदा हुआ। राजीव गांधी जी का नाम ले दिया लेकिन उस योजना का हुआ क्या? सरकार को बताना चाहिए कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का क्या हुआ?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या है कि उन्हें बीमारी होगी तो उनका कुछ इलाज होगा, तो दवाइयों के लिए 30,000 रुपया दिया जाएगा। क्या गरीब को कैंसर नहीं होगा, क्या गरीब आदमी की किडनी खराब नहीं हो रही है, हार्ट की खराबी नहीं हो रही है, डायबिटीज, ब्लड-प्रैशर उसको नहीं हो रहा है लेकिन गरीब आदमी का 30,000 रुपये में क्या होगा? क्या उसका इतने पैसे में इलाज हो पाएगा? हमारे गरीब मजदूर के इलाज की व्यवस्था क्या आपने की है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के ऊपर हमारे दो सवाल हैं। वर्ष 2004-2005 के आंकड़ों के अनुसार 43 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन अब तो उनकी संख्या 50 करोड़ को पार कर गयी होगी। अब तक उनका कितना बीमा हुआ है, सरकार बताए? रोजगार गारंटी कानूनी में जो मजदूर काम कर रहा है 100 फीसदी उसकी स्वास्थ्य बीमा हुई या नहीं।

आम बीमा योजना में गरीब आदमी का क्या हुआ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, कृपया समाप्त कीजिये। 6 बज चुके हैं। आपको संक्षेप में बात करनी होगी। मैंने आपको पहले ही पांच मिनट दे दिए हैं। आपने इतना ज्यादा समय ले लिया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

अब, 6 बज चुके हैं। सात और सदस्यों को अभी बोलना है। यदि सभा सहमत हो तो हम इस चर्चा के लिए 7 बजे तक का समय बढ़ा सकते हैं। हमें 'शून्य काल' भी लेना होगा।

अनेक माननीय सदस्यगण: जी हां।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह करोड़ों मजदूरों का सवाल है जिससे निर्माण का काम होगा। भाषणों से और लिखा-पढ़ी से देश का कुछ नहीं होता। अनाज का उत्पादन मेहनत करने से होता है, कारखाने में उत्पादन मेहनत करने से होता है, दुनिया में जिंदगी मेहनत से चलती है। मेहनत के सवाल पर हम क्या कंजूसी से बात करेंगे। देश के करोड़ों लोगों की नजर संसद पर लगी हुई है कि यहां क्या बोला जा रहा है तो हम पूरी बहस करेंगे। तभी तो मजदूर पूरा निर्माण करेगा और खेतों में उत्पादन बढ़ेगा, कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा तथा देश-प्रदेश के निर्माण का काम होगा।

दक्षता उन्नयन एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना का क्या हुआ? राष्ट्र की सामाजिक सुरक्षा निधि के द्वारा मजदूरों की समय-समय पर सहायता की जाएगी, उस निधि का क्या हुआ? उस निधि से मजदूरों की सहायता होनी चाहिए।

महोदय, असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कामगार लोग हैं उनकी पेंशन का क्या हुआ? आज 8 लाख 87 हजार लघु उद्योग बंद हैं। अगर 10-10 मजदूर भी उसमें होंगे तो करीब डेढ़ करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गये। उनके लिए सरकार ने क्या किया, यह हम जानना चाहते हैं। जो मेहनतकश लोग हैं उनके लिए रोटी-कपड़ा-मकान की गारंटी का इंतजाम जब तक नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान पिछड़ा रहेगा। इसलिए सरकार को सभी संगठनों के साथ मिलकर-बैठकर सोचना होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे हो।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी, आर.एस.पी. की तरफ से उन निर्भीक श्रमिकों जिन्होंने कुछ दिन पूर्व सफलतापूर्वक औद्योगिक हड़ताल की थी को बधाई देता हूं। मैं नियम 193 के अंतर्गत इस सम्माननीय सभा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए श्रमिक नेता श्री गुरुदास दासगुप्त का भी धन्यवाद करता हूं।

भारतीय अर्थव्यवस्था दो स्तम्भों पर टिकी हुई है जिनमें एक किसान है और दूसरा मजदूर। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2012 प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कृषि खेत्र में तेजी से कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की मजदूरी में कमी आई है। इस आधार पर निर्धन किसानों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। उत्पादों की घटती कीमतों के साथ मजदूरी में भी कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्र भी इस समस्या को देखा जा सकता है। श्रमिकों को कठिन परिश्रम करने के बाद भी उचित मजदूरी नहीं मिलती। उनमें से अधिकांश निर्माण क्षेत्र में ठेका श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन असहाय लोगों को नियमित मजदूरी नहीं मिलती। उन्हें अवकाश नहीं मिलता और यदि वे अवकाश लेते हैं तो उनकी मजदूरी काट ली जाती है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं है। उनके ऊपर हमेशा बेरोजगारी की तलवार लटकी रहती है।

भारत सरकार के पास लगभग 48 श्रम कानून हैं परन्तु इन कानूनों का कभी समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जाता। 97% कामकाजी लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। जब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरती तब तक देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। उत्तरी बंगाल में मैं जिस स्थान से आता हूं वहां चाय बागान श्रमिक बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बीच-बीच में उनकी छंटनी होती रहती है और बेरोजगार श्रमिकों के सामने कोई विकल्प नहीं होता। चाय बागान बंद हो रहे हैं और निर्धन श्रमिक भूखे मर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जूट मिलों की भी यही स्थिति है। अधिकांश कारखाने बंद हो चुके हैं और श्रमिक पीड़ित हो रहे हैं। हजारों मजदूरों का रोजगार छिन चुका है। सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय आयोग जैसे अनेक आयोगों का गठन किया है परन्तु, कोई उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। मध्यस्तथा न्यायालय की शरण में जाने पर श्रमिकों को कुछ नहीं मिलता क्योंकि जब न्यायालय उनके पक्ष में निर्णय देता है तो संसद तुरंत उस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संकल्प पारित कर देती है। इस परंपरा पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

हाल ही में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में हड़ताली श्रमिकों का उत्पीड़न और उनकी धमकी दी जा रही हैं। यह ठीक बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्य मंत्री को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से आदरणीय श्रम मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है।

पूरे विश्व में श्रमिक उन पर हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध संगठित हो रहे हैं। वे आंदोलन कर रहे हैं और सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। वे न्याय चाहते हैं अपने अधिकार वापस पाना चाहते हैं। श्रमिक अपने साथ हो रहे अनुचित व्यवहार, अवैध श्रम कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं और यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ऐसी और हड़तालें करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में भी श्रमिक अपने हितों के संरक्षण के लिए संगठित हो रहे हैं। उनकी बात को धैर्य पूर्वक सुना जाना चाहिए; अन्यथा वे अपना आंदोलन तेज कर सकते हैं और अपने अधिकारों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

पत्रकार और मीडियाकर्मी भी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बहुत शीघ्र हड़ताल करने जा रहे हैं। अत: कामगार वर्ग में फिर से शक्ति का संचार हो रहा है। उन्हें उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। अन्यथा देश कभी प्रगति नहीं करेगा अर्थव्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू): सभापति महोदय, आज सदन में मुझे उस विषय पर बोलने का अवसर मिला है, जिस पर हम तमाम देशवासी जिंदा है, जो राज कर रहे हैं, हम उनकी मेहनत पर चाहे वह खेत का मजदूर हो, चाहे

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री कामेश्वर बैठा]

वह फैक्टरी का मजदूर हो, आज उनकी ही मेहनत पर हम तमाम देश के लोग राज कर रहे हैं।

हमें उस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि हम आज आजाद भारत की संतान हैं। हमारा देश आजाद भारत के नाम से जाना जाता है। आजाद प्रजातंत्र के नाम से हमारा देश जाना जाता है। पूरी दुनिया में हमारे आजाद भारत का कैसा स्वरूप है? इस स्वरूप के बारे में हम माननीय सदस्यों को सोचना होगा कि कैसा आजाद भारत है? जो दिन भर खेतों में काम करे, उसके बच्चे शाम को भूखे सो जाएं। यह कैसा आजाद भारत है कि लाखों महिलाएं सिर्फ रोटी की खातिर जिस्म बेचने को मजबूर हैं? मैं अपने झारखंड प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे बगल में छत्तीसगढ़ राज्य है। बंगाल और उड़ीसा भी है। आज भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, सूरत हो, दिल्ली हो, आप इन सभी राज्यों में झ ारखंड के लोग देख सकते हैं, चाहे वो आदमी हों, या महिलाएं हों या बच्चे हों, हर गांव की महिला या बच्चे कहीं न कहीं इन प्रदेशों में जरूर आपको मिल जाएंगे चाहे वो चौका-बर्तन कर रहे हों या वो ईंट-भट्टे का काम कर रहे हों या होटल में झूठी प्लेटें धोने का काम कर रहे हों।

आज झारखंड जो इतना बड़ा राज्य है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा देता है लेकिन आज झारखंड की हालत बहुत दयनीय है। हमारे यहां बहुत सी खदानें हैं, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि की खदानें हैं। उत्तर प्रदेश में भी एल्युमिनियम की फैक्टरी है लेकिन छत्तीसगढ़ से चलती है लेकिन उन माइन्स में 70 से 75 पैसे की भी बेसी मजदूरी मजदूरों को नहीं मिलती है। हमारे यहां खेत में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी आप देखेंगे तो उनकी मजदूरी जो वर्षों से थी, आज भी कई जगह पर कमोबेश वहीं है। मैं 26 साल तक उनके लिए ही संघर्ष कर रहा था जो दो जून की रोटी के लिए तरस रहे थे और जिनकी अस्मिता लूटी जा रही थी तथा जो सामन्ती हुकूमत के चलते तलवे के नीचे रौंदे जा रहे थे। माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी ने जिस तरह से सदन में उन मजदूरों के प्रति जो पीड़ा रखी है, उनके दर्द के बारे में जो जिक्र किया है चाहे वो असंगठित मजदूर हो चाहे वह खेत या कारखाने का मजदूर हो। मैं इसके लिए उनका तहेदिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास हुआ कि इस सदन में कहीं न कहीं ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी दीन-दशा और उनकी पीढ़ा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और तमाम सदन को इस पीड़ा से उन्होंने अवगत कराने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, मेरा भी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन असंगठित मजदूरों की पीड़ा के बारे में सोचें। हमारे यहां जितनी भी फैक्टरीज हैं, जितनी भी माइन्स हैं, उन माइन्स में असंगठित मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी को तो छोड़ दिया जाए, वे अपनी मजदूरी के लिए ठेकेदारों के रहमोकरम पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सरकार उन असंगठित मजदूरों की पीड़ा-दर्द को समझे। मेरा इतना ही निवेदन है।

***श्री गणेश सिंह** (सतना): आज नियम 193 के तहत मा. सदस्य श्री गुरुदास दास गुप्ता ने जो विषय देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में उठाया है, मैं अपने दल के नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी के विचारों से अपने को संबद्ध करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि देश के लगभग 50 करोड़ श्रमिक जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए शोषण के शिकार हो रहे हैं। यह देश के लिए अत्यंत शर्म की बात है। आजादी के बाद नारा लगाया गया था "कौन बनाता हिन्दुस्तान भारत का मजदूर किसान"।

लेकिन आज देश को बनाने वाले किसान मजदूर दोनों की हालत दिनों दिन खराब हो रही है, दोनों के सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। श्रमिक कई क्षेत्रों में काम करता हुआ कई हिस्सों में बंटा हुआ है। उसके शोषण का सबसे बड़ा कारण यही है। कोई ऐसा कठोर कानून नहीं है जिससे उसकी रक्षा हो सके। उसके मौलिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भवन बनता है उसके पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो अनाज पैदा करता है वह भूखा है, जो कपड़ा बनाता है उसके बदन में कपड़ा नहीं है, जो दिन रात जीवन भर काम करता है उसके पास मृत्यु के बाद कफन का कपड़ा तक खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सुबह से अपना श्रम बेचने के लिए श्रमिक खड़ा रहता है। ऐसा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यूरोप के देशों में जो अधिक मेहनत करता है, उसे सबसे अधिक वेतन मिलता है लेकिन हमारे देश में उल्टा है जो सबसे अधिक मेहनत करता है उसे सबसे कम पैसा मिलता है। जो सबसे कम काम करता है, वह सबसे अधिक पैसा पाता है। उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।

एक तरफ एक व्यक्ति 15 रुपये दिन भर में एवरेज कमाई आंकी गई है, दूसरी तरफ 17 लाख रुपये हर रोज उद्योगपति की कमाई आंकी गई है, इस अंतर को कैसे खत्म किया जायेगा। उद्योग क्षेत्रों में श्रमिकों का भयंकर शोषण हो रहा है। स्थायी मजदूर, बदली का मजदूर, ठेका का मजदूर, सबका काम एक जैसा है किंतु बदली मजदूर तथा ठेके के मजदूर को 100 रुपये से कम मजदूरी मिलती है।

उद्योगों में हर रोज एक्सीडेंट में श्रमिक मारे जा रहे हैं, परंतु उसके बदले परिवार को कुछ नहीं मिलता।

श्रम न्यायालयों के फैसलों को कोई भी कंपनी मानने को तैयार नहीं है। श्रमिकों की सुरक्षा के सारे कानूनों का मजाक उड़ाया जा रहा है देश में एक सशक्त कानून की जरूरत है।

मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को दो हिस्सों में बांटकर योजनाओं का लाभ दे रही है। पहली योजना में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना दूसरी मुख्यमंत्री भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल योजना।

इन दोनों योजनाओं के तहत पूरे परिवार की सुरक्षा, इलाज की व्यवस्था, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था, बेटी की शादी की व्यवस्था, मकान की सुविधा, गर्भवती माता की 45 दिन की घर बैठे मजदूरी, पति को 15 दिन की घर बैठे मजदूरी, पौष्टिक आहार के लिए पैसा, यहां तक कि अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो उसके लिए आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। देश के कई शहरों में भवन बनाने वाले मजदूरों का भयंकर शोषण हो रहा है, उन पर रोक लगानी चाहिए। इसी तरह की नीति पूरे देश में बनायी जाए। पूरे देश में काम करने वाले श्रमिकों की पहचान करायी जाए। बुनियादी सुविधाएं तथा न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। श्रमिकों के उत्थान के लिए नए और कठोर कानून बनाये जाएं।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाई गई गंभीर चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मुझे बताया गया कि दस साल बाद इस विषय पर चर्चा सदन में चली है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की बात सदन में उठाई जा रही है। हम इस विषय की गंभीरता को इससे समझ सकते हैं कि आज हाउस खाली है। हम कितने गंभीर हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं। उन मेहनतकश लोगों की बात कह रहे हैं, जिन्हें मजदूर कहते हैं। आज जनतांत्रिक प्रणाली वाले देश में मेहनतकश लोगों की बात कहने वाले लोग, गंभीरता से सोचने वाले कितने कम हैं, ये हम समझ सकते हैं। अभी बजट आया और एफ.डी.आई. का रेट और कम कर दिया गया। हम एक तरफ पूंजीवादी सभ्यता से होड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था कहीं न कहीं चुनौती दे रही है। आज दैनिक मजदूरी करने वाले, कलकारखाने में मजदूरी करने वाले ढेरों मजदूर हैं जो कठिन श्रम और संघर्ष करते हैं लेकिन अगर उनके साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं होता है। उनके लिए कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, उनकी तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उनके अपाहिज होने के बाद उनके घर की स्थिति क्या होती है, उनके बच्चे कैसे भूखे रहते हैं, उनका परिवार कैसे दाने-दाने को मोहताज हो जाता है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। कोई सामाजिक या न्यायिक व्यवस्था इनके लिए नहीं है। हमें इनकी तभी याद आती है, हम इनकी सुध तभी लेते हैं जब चुनाव आता है और वोट लेना होता है। फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए भविष्य निधि भी होती है, उन्हें सहायता भी मिलती है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कहना चाहती हूं जो असंगठित हैं, उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। बीड़ी बनाने वाले, पत्तल बनाने वाले, खेतिहर मजदूर, बुनकर जैसे बहुत लोग हैं। बीड़ी बनाने वाली मजदूर औरतें ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 25 रुपए कमाती हैं। जब वे बीड़ी बनाकर ले जाती हैं तो कंपनी का मुंशी एक तिहाई हिस्से को यह कहकर अलग कर देता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता की कमी है, हम इसे नहीं ले सकते। उन्हें शर्तों के हिसाब से बाध्य किया जाता है। मैं उन मुंशियों के बारे में कह रही हूं जो औरतों का शोषण करते हैं। उनका परिवार 25 रुपए प्रतिदिन कमाने के बाद नमक के साथ रोटी खाकर दिन गुजारता है। जब उनका शरीर 50-60 साल की उम्र में स्वस्थ नहीं रहता, कमर झुक जाती है,

[श्रीमती पुतुल कुमारी]

पैर दुख जाते हैं, आंखों में मोतियाबिंद उतर आता है, तब उनको कोई नहीं पूछता। मैं पत्तल बनाने वाले मजदूरों की बात कह रही हूं जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। ये उनकी आजीविका का साधन है, जब वे पत्तल बनाकर लेकर जाते हैं उन्हें रास्ते में तंग किया जाता है। रेल में टीटी तंग करता है, सी.आर.पी.एफ. के जवान तंग करते हैं।

महोदय, मैं बुनकरों के बारे में बहुत गंभीर बात कह रही हूं और बुनकरों को मजदूरों की श्रेणी में रख रही हूं जो बहुत खराब बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि होनहार बुनकरों के हाथ के कपड़े ब्रांडिड दुकानों में बिकते हैं। उन मजदूरों को होली, दीवाली और ईद के मौके पर पैसे दे दिए जाते हैं जबकि वे पूरे साल कामगार मजदूर की तरह उनके लिए काम करते हैं। आज बंधुआ मजदूरी को देश से हटा दिया गया है लेकिन आज भी बंधुआ मजदूरी उन गांवों में जिंदा है जहां बुनकर काम करते हैं। एक परिवार के चार आदमी कपड़ा बनाते हैं, पूरे दिन में पांच मीटर और ज्यादा से ज्यादा छः मीटर कपड़ा बनाते हैं। एक मीटर कपड़े का दाम 15 रुपए मिलता है और ज्यादा अच्छा कपड़ा होता है तो 20 रुपए मिलता है। चार लोग मिलकर काम करते हैं और 80 रुपए मजदूरी मिलती है। "इंडिया ग्रोइंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया इमर्जिंग" के बारे में कितना ही कहें, कितना ही आर्थिक सुधार के बारे में कहें लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है। सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ अंधेरा है, जहां मजदूर सिसक रहे हैं, जहां वे गरीब और लाचार हैं। हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। जब तक दोनों पहलू बराबर नहीं होंगे तब तक हम आर्थिक सुधारों की बात नहीं कर सकते हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा तभी हम विश्वस्तर पर चुनौती दे सकेंगे, एक नई व्यवस्था को कायम कर सकेंगे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, अगर आप इस समय के पीछे जीरो और लगा दें तो काम सही है, अन्यथा फायदा क्या है। हमारे देश में जो आर्गेनाइज्ड और अनआर्गेनाइज्ड मजदूर हैं, अगर इनके लिए हम नहीं बोलेंगे और जो इतनी बढ़िया डिस्कशन हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई श्री दासगुप्ता जी ने शुरू की है। मैं कह सकता हूं कि यह मसला एक सोच का है। सवाल यह नहीं है, सरकारें कई आईं और कई चली गईं, कई आयेंगी और कई चली जायेंगी। सवाल यह है कि इतने वर्षों के बाद मैं उस सरकार को क्रिटिसाइज करूंगा और वह इस सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे। अफसोस है कि हम सोचते क्यों नहीं, हम सारे क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मजदूर का शोषण हो रहा है, यह सब मानते हैं। सब मान रहे हैं कि मजदूर गरीब है। सब मानते हैं कि मजदूर की हालत खराब है। सब मानते हैं कि वह बी.पी.एल. से भी नीचे है। सब मानते हैं कि उसका गुजारा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मानने के बाद इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई एक मिनिमम रेट कर दीजिए। जो ऊपर देना चाहता है, वह दे, लेकिन कम से कम मजदूर की जिंदगी का गुजारा तो चले, आखिर वह भी इंसान है, ह्यूमैन जस्टिस है, इंसानी इंसाफ की बात है। वह भी इस देश के इंसान है। वह इस देश का महत्वपूर्ण पिलर है। जिसकी मेज्योरिटी, जिसकी तादाद, जिसकी पापुलेशन इस देश में सबसे ज्यादा है। क्या उस बंदे का सिर्फ एक्स्प्लायटेशन होगा, उसे सिर्फ लूटा ही जायेगा। मैं आपको क्या सुनाऊं, हम सारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अब मैं आपको अपने स्टेट की बात सुनाता हूं। मेरे राज्य में आर्टिकल 370 है और 370 के कारण जो इस देश के बनाये गये कानून हैं, वे लागू ही नहीं होते हैं। वहां जो डेली वेजर है, कांट्रेक्ट लेबर है, उन्हें दो सौ रुपये पर मंथ मिलते हैं, जो नीड बेस्ड लगा है। इसके अलावा एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, उसे पांच सौ रुपये महीना मिलता है, लेकिन उन्हें 28 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तीस महीने की तनख्वाह नहीं मिली। वे कौन है, वे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हैं, उनकी अंग्रेजी इतनी जबरदस्त है, अंग्रेजी के वर्ड्स इतने जबरदस्त हैं, लोग कहने हैं कि हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में लगाओ और जब उसे लगाते हैं तो उसकी शादी हो जाती है। क्योंकि सबको मालूम होता है कि लड़का नौकरी पर लग गया। उसकी औरत इंतजार करती है कि इसकी तनख्वाह नहीं आ रही है। एक महीना हो गया, दो महीने हो गये फिर चार महीने हो गये। पहला धोखा उसके साथ सरकार ने किया और उसने उस औरत के साथ भी धोखा कर दिया। उसका परिवार भी बन गया। लेकिन तनख्वाह नहीं आई। वह घुमाने नहीं ले गया,

खाना ढंग से नहीं खिलाया, इज्जत नहीं मिली। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज जितने भी हम पोलिटीशियंस हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यह नहीं है, वह नहीं है। इसके लिए सारे जिम्मेदार हैं।

महोदय, हमने दुनिया में टैक्स सुने हैं, अमीरों पर टैक्स सुने, अभी भी टैक्सों की बात हो रही थी। टैक्सों के बारे में कई लोगों ने बोला। लेकिन यह मेरी समझ से बाहर है कि जहां हमारे नीति में ही कोई कमी है। कटरा के 25 हजार मजदूर, जो पिट्ठू, पालकी वाले और घोड़े वाले हैं। क्या आपने दुनिया में कहीं लेबर टैक्स सुना है। हमने हमेशा इन्कम टैक्स के बारे में सूना, सरचार्ज या टोल टैक्स के बारे में सुना। लेकिन यह लेबर टैक्स कहां से आया। मैं अचम्भित हूं कि कोई पूछने वाला नहीं है। खरगे साहब को मैंने पहले भी बताया है। लेकिन क्या करें, यह इनके बस का रोग नहीं है। यह किसी के बस का रोग नहीं है, यदि हम सब मिलकर चलेंगे तो यह हमारे बस का रोग है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मजूदर सुन रहे होंगे, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। क्योंकि नीति नहीं है, मन ही नहीं है, सोच नहीं हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं तकरीर ठोकूं और वाह-वाह सुनूं और तकरीरें करूं। इन्होंने भी सरकारें चलाई हैं।

उन्होंने भी सरकारें चलाई हैं। लेकिन कोई माडल नहीं बना। कोई स्टेट माडल है? कोई पार्टी माडल है? कम्यूनिस्ट, कांग्रेस, बी.जे.पी. या कोई और पार्टी बताए कि किसने अपने राज्यों में इन मजदूरों के लिए कुछ किया है? केवल लूट मची है।

मनरेगा की बात की जाती है जिसमें लोगों को सौ दिन का रोजगार दिया जाता है और 120 रुपये महीना दिहाड़ी में दिए जाते हैं। उस दिहाड़ी की भी चोरी और हेरा-फेरी की जाती है, उसमें भी टांका लगाया जाता है। मजदूरों की बहुत दुर्दशा है। मुझे इसके लिए खेद है। मुझे आपसे कहना पड़ेगा। डी.डी.सी. बनी, बी.डी.सी. बनी, एस.पी.ओ. बने और पांच सौ नौजवान एक्प्लाइट होकर 23 वर्षों में टर्माइल में, मिलिटेंसी में गोलियों का शिकार हो कर शहीद हो गए हैं। लेकिन वह एस.पी.ओ. था, वह बी.डी.सी. में था, वह डी.डी.सी. में था, उसका खाता कहीं नहीं था, उसके लिए कोई कानून नहीं था, न उसके परिवार को कुछ मिला। मिला तो सिर्फ शोषण।

हमारे लोगों को दूर पहाड़ों पर पढ़ाने के लिए टीचर के पद पर नियुक्त किया गया। मोबाइल स्कूलों में नियुक्त किया गया। सर, सुनिए पढ़े-लिखे और अनपढ़ मजदूर की हालत बहुत दयनीय और मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इन्होंने एक कमेटी बनाई, इतनी रिपोर्टें आईं, इतने प्रपोजल आए, वे किस बात के हैं? अब तक इंपिलिमेंट क्यों नहीं हुए।

[अनुवाद]

श्रमिक विरोधी कौन है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।

चौधरी लाल सिंह: सर, मंत्री जी से मेरी आखिरी विनती है। मंत्री जी, अगर आप एक स्टैंड लें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी मजदूर को क्या न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि मजदूर को कम से कम पांच सौ रुपये प्रति दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए, नहीं तो वह नहीं जी सकता है।

[अनुवाद]

***श्री एस.एस. रामासुब्बू** (तिरुनेलवेली): कामगार वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा कार्य योजना लागू की है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने में सहायक है। साथ ही यह योजना श्रमिकों के शोषण की समस्या का समाधान करने में भी सहायक है।

सरकार की वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीति के कारण अधिकांश बिल्डर्स और शिक्षित श्रमिकों को विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है।

संगठित कामगारों को सरकार से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु, साथ ही श्रमिक संघों के नेताओं और प्रबंधन के बीच सहयोग न होने के कारण अधिकांश उद्योगों में कम उत्पादन हो रहा है और उनमें तालाबंदी की संभावना है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.एस. रामासुब्बु]

हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर रहते हैं। इन मजदूरों का ठेका बीड़ी प्रबंधन द्वारा शोषण किया जाता है। उक्त ठेका बीड़ी प्रबंधक पेंशन और भविष्य निधि का उचित रूप से संचालन नहीं करते।

असंगठित कामगारों का विनियमन किया जाना आवश्यक है। सरकार को उनके बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने तथा भविष्य निधि और अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए और समुचित कानून बनाने चाहिए।

सेवानिवृत्त बीड़ी मजदूरों और कपास मजदूरों को बहुत कम पेंशन मिलती है। बहुत कम पेंशन होने के कारण बीड़ी मजदूरों के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन सामान्यत: कम से कम 2000/- रुपये निर्धारित की जानी चाहिए। इससे उन्हें अपनी वृद्धावस्था में अपना भरण पोषण करने में सहायता मिलेगी।

आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की कमी है। उन्हें खेतों में काम करने के लिए प्रोत्साहित काम हेतु कृषि मजदूरी में वृद्धि की जानी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मुक्कुडल स्थित अस्पताल बीड़ी मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। आजकल डाक्टर निर्धन बीड़ी मजदूरों को उचित उपचार नहीं दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए और अस्पताल खोले जाने चाहिए।

कपास उद्योगों में महिला कामगारों को न्यूनतम वेतन न मिलने से उनके सामने अनेक परेशानियां आ रही हैं। उन्हें अस्थायी कामगारों के रूप में रखा जाता है। उन्हें कर्मचारियों के शोषण से बचाए जाने की आवश्यकता है।

हमारे देश का निर्माण करने के लिए स्वस्थ कामगारों की आवश्यकता है। अत: हमारी सरकार को कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। किसी भी तरह का आर्थिक संकट क्यों न हो सरकार को श्रमिकों की धनराशि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्रमिकों के लाभ में कमी नहीं की जानी चाहिए। केवल तभी कामगारों के बीच किसी असंतोष के बिना हमारा देश विकास कर सकता है।

***श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम): सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण मजदूर वर्ग से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महोदय, हमारी सरकार श्रम कानूनों को मजबूत बनाने का हमेशा स्वागत करती है तथा मजदूरों के जीवन को मजबूत बनाने हेतु विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा उन्हें बेहतर जिंदगी प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न श्रम कानूनों को कठोरता से लागू करने पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देती है। माननीय श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा हमारी प्रिय संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल नेतृत्व में मजदूरों की भलाई हेतु पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी योजनाओं को लागू किया है।

मनरेगा योजना बड़ी योजनाओं में से है तथा संप्रग सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं इस सबका उल्लेख इसलिये कर रही हूं क्योंकि बहुत से कृषि मजदूर मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे हैं तथा उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। महोदय, बहुत सारे मजदूर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बहुत सी महिला मजदूर देशभर में अनेकों उद्योगों तथा कंपनियों में काम कर रही हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह मेरे विजयनगरम निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे तथा बहुत गरीबों में जीवन यापन कर रहे जूट उद्योग मजदूरों की स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार हेतु एवं उनके परिवारों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाएं एवं उन्हें लागू करें।

[हिन्दी]

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज): आज नियम 193 के अंतर्गत भारत में कार्यरत श्रमिकों के समक्ष कठिनाई की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया में चायना के बाद भारत में ही सबसे अधिक संगठित एवं असंगठित मजदूरों की संख्या है। इतने बड़े मानव संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके योगदान से भारत के समक्ष पिछले वर्षों में आई मंदी के बावजूद श्रमिकों की मेहनत के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बनाए रखने में सफल हो सके। इसके बावजूद श्रमिकों के समक्ष काफी चुनौतियां एवं कठिनाई आज भी विद्यमान है। भारत में लगभग 50 तरह के श्रमिक कानों के उपलब्ध होने के बावजूद श्रमिकों का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शोषण बरकरार है। आज भी उन कानूनों से कामगारों के हितों की रक्षा कम हो पा रही है। श्रमिक कानूनों को पालन करने वाले श्रम आयुक्त एवं उनके अधीन राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में असफल साबित हो रहे हैं। एक तरफ श्रमिक गरीब एवं असंगठित होते हैं जिससे वह कानूनी रूप से मिल-मालिकों के खिलाफ लड़ने में प्रभावी नहीं हो पाता है। उद्योगपति आजकल श्रमिकों को न्याय देने के बजाय उन्हें उच्चतम न्यायालय तक कानूनी लड़ाई में उलझाता रहता है जिसमें तमाम श्रमिकों की या तो मौत हो जाती है या वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। भारत में संगठित श्रमिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। पिछले तीन वर्षों में वैश्विक मंदीकरण के नाम पर भी श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती हुई। दूसरी तरफ भारत के असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा बिल्कुल नहीं हो पा रही है। असंगठित मजदूर अपने हक एवं हकूक के लिए, न्याय के लिए केवल भटकते रहते हैं और वह निराश होकर के घर बैठ जाते हैं। आज देश में बहुत बड़ी संख्या में घरों, कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों में सुरक्षाकर्मियों की भर्ती हो रही है। सुरक्षाकर्मियों को रोजगार देने वाली निजी एजेंसी है। वे निजी एजेंसी बहुत बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है। उदाहरण स्वरूप यदि एजेंसी अपने द्वारा दिए गए सुरक्षाकर्मी के लिए प्रतिष्ठानों से 5000 रुपया लेता है तो उसे बमुश्किल 5000 रुपया दिया जाता है। इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। यदि कोई कानून है तो वह प्रभावी नहीं हो पा रहा है। इसी तरह प्रवासी मजदूर, खेतिहर, मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं में लगे हुए श्रमिकों को भी पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के पद रिक्त रहने के बावजूद नियमित नियुक्तियां न करके आउटसोर्सिंग संविदा के मजदूरों से काम कराया जाता है। संविदा के मजदूरों को पूरा पैसा भी नहीं मिलता है तथा उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों को न तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है और न तो श्रमिक कानूनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होता है। महिलाओं को प्रसूति लाभ भी नहीं मिल पाता है। खान के श्रमिकों का भी बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। इसी तरह चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। अतः सरकार को प्रभावी ढंग से देश के श्रमिकों की समस्याओं को लागू करना चाहिए तथा उद्योगपतियों एवं मालिकों के द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की अपेक्षा करता हूं। क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार उस देश का श्रमिक होता है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को क्रियान्वयन की अपेक्षा राज्य सरकारों से आपके माध्यम से करना चाहता हूं। भारत सरकार को अर्जुनसेन गुप्ता की संस्तुतियों को भी लागू करने हेतु राज्य को सलाह भेजनी चाहिए।

अंत में मैं कहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा, बीमा पेंशन, वृद्ध, विकलांग आदि लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों के हितों की सुरक्षा राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से करें।

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण श्रमिक वर्ग के बीच व्यापक असंतोष की स्थिति:

नियम 193 के अधीन श्रमिकों में व्यापक असंतोष की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने पर मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं।

भारत के आजादी के बाद बनाया गया संविधान और डॉ. बाबा साहब अंबेडकर एवं अन्य संविधान के स्थापतियों ने संविधान में श्रमिकों के बारे में जो भी प्रावधान किया गया है। उस से विपरीत नीतियों के लिए ये सरकार जवाबदेह है।

इस देश में श्रमिक और किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और इस बड़े देश का विकास में अपना अहम योगदान देते हैं। मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन दोनों वर्गों को इस सरकार की गलत नीतियों के तहत किनारे पर किया गया है।

श्रमिकों की बात करें तो उनके बारे में गठित की गई नीतियों को नजर अंदाज करके उनको भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की नीतियों की बजट से सबसे ज्यादा श्रमिक प्रभावित हुआ है। आउटसोर्सिंग एवं कोंट्रैक्चुअल जोब की नीतियों के कारण श्रमिकों पर अतिक्रमण हुआ है और श्रमिकों का जिसको नजर अंदाज करके ठेकेदारों को तगड़ा मुनाफा मिल रहा है। श्रमिक वर्ग अपना खून, पसीना एक करते हुए भी दो वक्त की रोटी भी नहीं पा सकता है।

[डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

उदारीकरण का आउटसोर्सिंग और कोन्ट्रैक्चुअल जोब की बजट से आरक्षण की संविधानिक नीतियों को चोट पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि ये नीति असंवैधानिक एवं गरीब और दलितों के विरुद्ध है। श्रमिक वर्ग में सबसे ज्यादा दलित एवं गरीब आते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सांविधानिक आरक्षण को चुस्त किया जाए और आउटसोर्सिंग एवं कोंटैक्चुअल प्रथा की तिलांजली देनी चाहिए।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति और भी बदतर है और इन वर्ग का शोषण किया जाता है और उनके लिए स्पष्ट रूप से उनके हितों के लिए कानून बनाने चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): मैं मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट की अनुपालना शीघ्रता से चाहता हूं जिसमें प्रेस से जुड़े हुए हॉकर को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। हॉकर भी लेबर है तथा अधिकतर 'वीकर सेक्शन ऑफ सोसायटी' से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, जो भी अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सभापति जी, श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने आज सदन के सामने विचार के लिए विषय रखा है–

[अनुवाद]

"दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण मजदूर वर्ग में उत्पन्न व्यापक असंतोष की स्थिति"

[हिन्दी]

इस विषय पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं:- श्री अधीर चौधरी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री यशवंत सिन्हा, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. बलीराम, श्री शरद यादव, श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए. सम्पत, श्री अनंत गंगाराम गीते, श्री सी. शिवासामी, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार, श्री कामेश्वर बैठा, श्रीमती पुतुल कुमारी और चौधरी लाल सिंह।

17 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और बहुत से विषय प्रस्तावित किये हैं। अगर मैं भी फिर से उन सभी विषयों को प्रस्तावित करूं तो शायद और दो घंटे लगेंगे। इसके बजाय जो मोटी चीजें हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, उनके बारे में कहूंगा। उसके बाद जो हमने नोट किया है, जो कुछ भी हमें उसके बारे में कहना है, फिर मैं एक-एक करके बताता जाऊंगा। जो बाकी विषय रह जायेंगे, उन पर हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मजदूर वर्ग की समस्याओं पर प्रकाश डाला और इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं खासतौर पर माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमेशा से ही सरकार द्वारा मजदूरों की समस्याओं के संबंध में उठाये गये कदमों के बड़े समर्थक रहे हैं...*(व्यवधान)* "समर्थक" का अर्थ यह नहीं है कि वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसका अर्थ मजदूरों के मुद्दों को सुलझाने से है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मंत्री बनाओगे तो सपोर्ट करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: बनायेंगे, आइये जल्दी आइये।

[अनुवाद]

मैं सदन का ध्यान सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उठाये गये कुछ कदमों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ऐसे श्रमिकों के लिये बहुत चिंतित है और इसीलिये हमने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया है। हमारा यह प्रयास है कि श्रमिकों के इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये योजनाएं बनायी जायें। इसी प्रकार कल्याण योजनाओं के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष की भी स्थापना की गयी है।

गरीबी की रेखा से नीचे वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिये स्मार्ट

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" शुरू की गयी थी। 2.83 करोड़ परिवार इस योजना के दायरे में है। इस योजना के आरम्भ से सरकार इस पर 1630 करोड़ खर्च कर चुकी है। वर्तमान में 24 राज्य और संघ क्षेत्र में यह योजना लागू है और बाकी राज्य भी इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें भवन एवं अन्य निर्माण मजदूरों, पटरी पर सामान बेचने वालों, मनरेगा मजदूरों/लाभार्थियों जिन्होंने पिछले वर्ष में 15 दिनों से अधिक काम किया हो तथा बीड़ी मजदूरों को भी शामिल किया गया है। सरकार का प्रयास है कि असंगठित क्षेत्रों के अन्य व्यवसाय समूहों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना में शामिल किया जाये।

ठेका मजदूरों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के संबंध में काफी चिन्ता है। उनकी दुर्दशा से हम भी बहुत चिन्तित हैं और इसीलिये हमने ना केवल अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है, बल्कि ठेका मजदूरी को प्रतिबंधित करने के लिये 82 अधिसूचनायें भी जारी की हैं।

ठेका मजदूरी से संबंधित मुद्दों की जांच के लिये सरकार द्वारा एक त्रिपक्षीय समूह गठित किया गया है। समूह ने 31 दिसम्बर, 2009 को अपनी रिपोर्ट पेश की है। मुद्दों के महत्व को देखते हुए 22 जनवरी 2010 को सम्पन्न हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इन पर विस्तार से चर्चा की गयी थी। रिपोर्ट को 23-24 नवम्बर, 2010 को सम्पन्न हुए 43वें भारतीय श्रम सम्मेलन में भी पेश किया गया था।

इन विचार-विमर्शों के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव सामने आये हैं। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर ठेका मजदूरी (विनियमिन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और सरकार इन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू कराने के लिये हम वचनबद्ध हैं। जहां तक केन्द्रीय परिक्षेत्र का प्रश्न है तो श्रम कानूनों को लागू कराने हेतु मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के आधीन एक सुस्पष्ट तथा प्रभावी तंत्र मौजूद है।

इसी प्रकार राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) का अपना पूर्वतन तन्त्र है। राज्यों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। चूंकि राज्य सरकारों की भी श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में भूमिका है इसलिए हम राज्यों में श्रम मशीनरी को सुदृढ़ बनाने और श्रम कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। सरकार ने निम्नलिखित नौ अधिनियमों अर्थात मजदूरी संदाय अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, शिक्षु अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, प्रसूति, प्रसुविधा अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किए हैं।

इन नौ अधिनियमों में गत दो वर्षो के दौरान संशोधन किए गए हैं। यह मजदूरों के प्रति सरकार की चिंता को दर्शाता है। परन्तु, इसके बावजूद हमें बहुत कार्य करना है ...*(व्यवधान)* हमें इन कानूनी कार्यान्वयन के माध्यम से अभी बहुत कार्य करना है। राज्य सरकारों और हमें अभी कानूनों का कार्यान्वयन करना है। मैं आपसे सहमत हूं परन्तु, साथ ही यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनका राज्यों में भी कड़ाई से कार्यान्वयन हो।

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तन्त्र सदैव यह प्रयास रहा है कि केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में शांति और सामंजस्य बनाए रहे। केन्द्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर संतोषजनक है, यद्यपि, मेरे मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त और आचार्य इस बात से सहमत नहीं होंगे। यह एक अलग बात है परन्तु, कुल मिलाकर इनके संबंध शांतिपूर्ण हैं।

रोजगार का सृजन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। वैश्विक आर्थिक मंदी ने विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और बड़े पैमाने पर रोजगार समाप्त हुए हैं। वैश्विक संकट ने भारत को भी प्रभावित किया है। तथापि, महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक मंदी के बावजूद इस अवधि के दौरान कुल रोजगार में कोई कमी नहीं आई...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आई.एल.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख श्रमिकों का रोजगार छिन गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: मैं उस बात पर चर्चा करूंगा।

भारत श्रम बाजार सहित भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस संकट के दौरान लचीलापन बनाए रखा और 2009-10 में

[श्री मल्लिकार्जुन खरगे]

66वें सर्वेक्षण हेतु एन.एस.एस.ओ. द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान अद्यतन दैनिक स्थिति के आधार पर लगभग 20 मिलियन नए रोजगारों का सृजन हुआ। इस अवधि के दौरान बेरोजगारी दर भी 8.3 प्रतिशत से कम होकर 6.6 प्रतिशत हो गई जबकि अधिकांश देशों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि दर्ज की गई।

देश में वार्षिक आधार पर आंकड़े प्राप्त करने और रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए सरकार ने वार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया है। इससे सरकार को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी समय पर जरूरी कदम उठाने में सहायता मिलेगी।

अर्थव्यवस्था की नियोजित वृद्धि हेतु विभिन्न कदम उठाने के अतिरिक्त सरकार ने रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों जिनमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शामिल है, का कार्यान्वयन करने जैसे विशेष उपाय भी किए हैं।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2011 तक 10.98 लाख लोगों को लाभ मिला है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु ऋण संबद्ध राजसहायता प्रदान करके प्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना का कार्यान्वयन 2008-09 से 2012-13 तक किया जाना है तथा इसके अंतर्गत 37.37 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लक्ष्य रखा गया जिसके लिये मार्जिन धनराशि के लिए 4735 करोड़ रुपये के और पिछड़े और संपन्न क्षेत्रों के बीच एक लिंक बनाए रखने के लिए 250 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत योजना के आरंभ से जनवरी 2012 तक बैंक ऋण राजसहायता के माध्यम से लगभग 173.34 लाख स्वरोजगारी लोगों की सहायता की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष में फरवरी, 2012 तक लगभग 4.10 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।

स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में इसके अंतर्गत आवंटन में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु 2012-13 में 23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

सरकार, विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों के कौशल विकास हेतु गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री ने 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 100 मिलियन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। हमने 2011-12 में 1.9 मिलियन लोगों के लक्ष्य की तुलना में मंत्रालय की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाकर 2.7 मिलियन कर दिया है।

सभी सरकारी आई.टी.आईस. को आधुनिक बनाया जा रहा है और उनमें नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं और अधिकांश आई.टी.आई. दो से तीन पालियों में चल रहे हैं। गत पांच वर्षों में 4000 से अधिक सरकारी और निजी आई.टी.आई. की स्थापना की गई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, आधुनिक आई.टी.आई. में बेहतर अवसंरचना के कारण रोजगार दर बढ़कर लगभग 80% से 99% तक हो गई है।

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में स्कूल की पढ़ाई बीच छोड़ने वाले और मौजूद श्रमिकों की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मॉड्युलर एम्प्लोपेबल स्किल्स (एम.ई.एस.) पर आधारित कौशल विकास पहल (एस.डी.आई.) आरम्भ की गई है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक 12.65 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार ने लगभग 233 करोड़ रुपये के आवंटन के लाभ एक नई योजना आरंभ की है।

सरकार वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी के कारण भारत में रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर तिमाही सर्वेक्षणों के माध्यम से सितम्बर, 2008 से लगातार निगरानी बनाए हुए है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मंत्री के भाषण में व्यवधान न डालें। माननीय मंत्री को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए ऐसा पिछला सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा अक्तूबर-दिसम्बर 2011 की अवधि हेतु कराया गया था।

सर्वेक्षण के दौरान आठ चयनित क्षेत्रों नामत: वस्त्र जिसमें परिधान भी शामिल है, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी/बी.पी.ओ. तथा हथकरघा/पावरलूम में 2188 इकाइयों/प्रतिष्ठानों से जानकारी एकत्र की गई थी। चयनित क्षेत्रों में समग्र रोजगार में अक्तूबर 2008-दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान 25.84 लाख की निवल वृद्धि हुई। यह अर्थव्यवस्था के केवल आठ क्षेत्रों के लिए एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का निष्कर्ष है। ऐसी आशा है कि सभी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार सृजन इससे बहुत अधिक होगा।

असंगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि के अलावा संगठित क्षेत्र के रोजगार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां 2004-05 में संगठित क्षेत्र का रोजगार 26.4 मिलियन था वहीं यह बढ़कर 28.7 मिलियन हो गया है जो कि अब तक का सबसे अधिक है।

देशभर में समान वेतन ढांचा बनाने और न्यूनतम मजदूरी में असमानता कम करने के लिए नेशनल फ्लोर लेवेल मिनिमम वेज राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा विकसित की गई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया कोई टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें, उनके भाषण में व्यवधान न उत्पन्न करें। यह सही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: महोदय, मुख्यतया औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया है। इसे 01-04-2011 से 100/- रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 115/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। चूंकि यह एक गैर-सांविधिक उपाय है इसलिए राज्य सरकारों का न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार तय/संशोधित करने के लिए कहा जाता है कि किसी भी अधिसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों को कवर करने हेतु वेतन सीमा को 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए एक पहचान आई.डी. कार्ड योजना शुरू की गई है और लगभग 70 लाख लाभार्थियों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस कार्ड से बीमित व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य कहीं भी कभी भी यहां तक कि अलग-अलग स्थानों पर रहते हुए भी चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। क.रा.बी.नि. (ई.एस.आई.सी.) ने प्रत्येक राज्य में मॉडल अस्पताल के रूप में एक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है और अभी तक 18 राज्यों में मॉडल अस्पताल खोले जा चुके हैं। मृतक कर्मचारी के सभी पात्र आश्रितों को आश्रित लाभ के आवधिक मासिक भुगतान की न्यूनतम राशि ई.एस.आई. नियम 1950 के अंतर्गत 1 मार्च 2012 से बढ़ाकर 1200/- रुपये कर दिया गया है। ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. दोनों ने अपने संगठनों के कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई हैं।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत चिकित्सा बोनस की राशि को 2500/- रुपये से बढ़ाकर 3500/- रुपये कर दिया गया है।

सरकार ने मानव द्वारा ढुलाई हेतु अधिकतम वजन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय सं. 127 की भी अभिपुष्टि की है। कार्य-स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति और एच.आई.वी./एड्स संबंधी राष्ट्रीय नीति घोषित कर दी गई है। खान अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है।

श्रम से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन सर्वोच्च त्रिपक्षीय मंच है। भारतीय श्रम सम्मेलन का 44वां सत्र फरवरी 14-15, 2012 को हुआ था।

[श्री मल्लिकार्जुन खरगे]

उसने विचार-विमर्श के लिए तीन महत्वपूर्ण विषय चुने - एक सदस्य ने भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया है अर्थात न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, नियोजनीयता और रोजगार इन कार्यसूची मदों पर विचार विमर्श तीन भिन्न-भिन्न सम्मेलनों, समितियों में हुआ जिनमें कामगार, नियोक्ता और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकार को इन मदों पर बहुमूल्य सिफारिशें प्राप्त हुईं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार निश्चय ही इन सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इसके अलावा रघुवंश प्रसाद सिंह जी, फिर गुरुदास दासगुप्त जी ने मेट्रो रेल के मुद्दों का उल्लेख किया। न्यूनतम मजदूरी क्रियाकलापों और रोजगारों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, प्रतिष्ठानों के लिए नहीं। दिल्ली मेट्रो से जुड़े हुए बहुत से क्रियाकलाप यथा-सफाई करना, निर्माण, लदाई, उतराई, वाच एंड वार्ड इत्यादि पहले ही केंद्र के अधीन आते हैं और मैं निश्चय ही रिपोर्ट मंगाकर इसे देखूंगा।

इसके बाद श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने मजीठिया वेतन बोर्ड के बारे में कहा। मजीठिया बोर्ड का पंचाट 11-11-2011 को अधिसूचित किया गया था। हमने सभी राज्यों और नियोक्ताओं से पंचाट लागू करने का अनुरोध किया है। हाल ही में, श्रम और रोजगार मंत्री दोनों ने और सचिव ने सभी राज्य सरकारों को इस वेतन बोर्ड के शीघ्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक समिति गठित करने हेतु लिखा है और हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं इसे देखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि इसे तत्काल लागू किया जाए। इसके साथ ही मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनायें।

सभापति महोदय: सदस्य यह काम कैसे कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: हमारे अपने-अपने राज्यों में अलग-अलग सरकारें हैं। यदि हमारे सांसद दबाव बनायें तो निश्चित ही संबंधित मंत्रालय इसे करेंगे...*(व्यवधान)*

आप सब जानते हैं कि श्रम समवर्ती सूची में शामिल है। जो भी कानून आ सकते हैं वह राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाएंगे। अधिक से अधिक हम निगरानी कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं। परन्तु अंततोगत्वा राज्य सरकारों को शक्तिशाली बनना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। इसीलिए, मैं यह कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

अब, अर्जुन सेनगुप्ता जी की अध्यक्षता में अंसगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यमिता आयोग के संबंध में, हमारे वयोवृद्ध नेता गुरुदास दासगुप्तजी और अन्य नेताओं ने इस बारे में उल्लेख किया है। मैं सिर्फ दो या तीन उदाहरण देता हूं जिनमें हमने कार्रवाई की है। हमने संभवत: इसे पूरी तरह लागू न किया हो परन्तु कुछ क्षेत्रों में हमने कार्रवाई की है।

एक है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एन.सी.ई.यू.एस. की रिपोर्ट पर विचार किया असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया था। असंगठित कर्मकारों के लिए बहुत सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई गई थी जैसे कि स्वास्थ्य बीमा कवर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत उच्चतर वृद्धावस्था पेंशन, और जीवन तथा नि:शक्तता बीमा की व्यवस्था हेतु आम आदमी बीमा योजना। ये सब योजनाएं जिन्हें असंगठित कर्मकारों पर लागू किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए। मंत्री के भाषण अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: विनिर्माण कामगारों का कल्याण सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात रही है...*(व्यवधान)* हमने बार-बार राज्यों से उनके लिये कल्याणकारी योजनाएं बनायें और उनके कल्याणार्थ विनिर्माण कामगार उपकर निधि का उपयोग करने का आग्रह किया है। कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने विनिर्माण कामगारों और उपकर के क्रियान्वयन के संबंध

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में लिखा है। कुछ राज्यों ने अच्छा कार्य किया है, उदाहरणार्थ, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और यहां तक कि दिल्ली। परन्तु कुछ राज्यों ने उपकर के माध्यम से धनराशि का प्रयोग किसी भी योजना के लिए नहीं किया है। मैं नाम दे सकता हूं परन्तु मैं उन सब चीजों पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता। यह राज्य सरकारों के हाथों में है। वे समिति गठित करते हैं; वे ही इसे लागू करते हैं और पैसा भी उन्हीं के अधिकारों में होता है; जो बैंकों में है।

इसलिए उन्हें ही यह करना है। उन्हें इस समस्या के प्रति और संवेदनशील बनाना चाहिए।...*(व्यवधान)* न्यूनतम मजदूरी बदलते हुए महंगाई भत्ते में सम्बद्ध होती है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। सीधे मत पूछिये। आप जो कर रहे हैं उचित नहीं है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 66वें सर्वेक्षण के अनुसार नैमित्तिक श्रमिक हेतु ग्रामीण मजदूरी को 2004 में 49 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 2009-10 में 93 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। परन्तु यह भी पर्याप्त नहीं है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। अगले वर्ष एक बार फिर हमें इस पर विचार करना होगा।

अब, बीड़ी कर्मकार कल्याण कोष के बारे में - उपकर के माध्यम से एकत्रित धन बीड़ी कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिये आवश्यक धनराशि को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार ने अतिरिक्त अस्पताल और औषधालय खोलने के लिए बजटीय सहायता के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है। पश्चिम बंगाल, आन्ध्र में जहां कहीं भी बीड़ी बनाने की इकाईयां हैं नये औषधालय तथा अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं;...*(व्यवधान)* हमने बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल स्वीकृत किए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री की बात के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है...*(व्यवधान)* सब जानते हैं कि बीड़ी उपकर अपर्याप्त है। हमारे पास छात्रवृत्ति निधि और अंस्पतालों के लिए बजटीय सहायता है। हमें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी गई है और यह हम उस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पहले उन्हें पूरा करने दो।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यह मेरा अंतिम मुद्दा है। मैं डिटेल में अभी बोलता हूं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन सजेशन मैंने आपके सामने रखा है। एक बात जरा मुझे अच्छी नहीं लगी, जंची नहीं, वह यह है कि बार-बार गुरुदास दासगुप्त जी और बहुत से मैम्बर्स हिट एण्ड रन हो गये। बहुत से सदस्यों ने बात की और चले गये।

[अनुवाद]

अधिकांश समय वे हमारे सुझाव का हम जो भी कहना चाहते हैं उसे सुनना नहीं चाहते। आप देखिये। माननीय प्रधान मंत्री 15 सितम्बर, 2010 और 13 अक्तूबर 2011 को प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार समारोह के लिए आये थे। उन्होंने हाल ही में 14 फरवरी 2012 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन, कामगारों की संसद को भी संबोधित किया है। माननीय वित्त मंत्री ने फरवरी, 2012 में हुए ई.एस.आई.सी. की हीरक जयंती समारोह में शामिल होकर कामगारों के पक्ष को प्रोत्साहित किया था। वह कामगारों और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करके हमारे मंत्रालय की हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं।

सायं 07.00 बजे

हमारे मंत्रालय ने हाल ही में बीड़ी कामगारों के लिए नए अस्पताल और औषधालय खोलने की योजना बनाई है। हम वित्त मंत्रालय से प्राप्त बजटीय सहायता के माध्यम से योजना को लागू करने जा रहे हैं।

इस प्रकार, वे इन सब चीजों में हमारी सहायता कर रहे हैं। प्रधान मंत्री हमारा समर्थन कर रहे हैं। वित्त मंत्री

[श्री मल्लिकार्जुन खरगे]

हमारा समर्थन कर रहे हैं...*(व्यवधान)* कृपया एक मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अगर गरीबों और वर्कर्स के लिए उनके पास मन नहीं होता, तो आज जो एलोकेशन सोशल सिक्योरिटी में है, खासकर चाहे मनरेगा हो, मिड-डे-मील हो, राइट-टू-एजूकेशन हो...*(व्यवधान)* आप जितना काम करायेंगे, उतना पैसा आएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। पहले काम कराइए। पहले फूड सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं और सारी गरीबों के लिए ही हैं और उनके हित में ही किया जा रहा है। इसके बावजूद भी यह कहना कि इस गवर्नमेंट को गरीबों के बारे में कोई चिंता नहीं, कर्मचारियों के बारे में चिंता नहीं है, बी.पी.एल. लोगों के बारे में चिंता नहीं है, यह ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो, रूरल हेल्थ मिशन हो, ये सारी चीजें इन्हीं के लिए हैं और जो दूसरी योजनायें जिनके बारे में मैंने बताया, ये सभी लेबर के हित में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि इस गवर्नमेंट को गरीबों और कर्मचारियों के बारे में कोई चिंता नहीं है।

दूसरी बात, अब प्रोवीडेंट फंड के लिए...*(व्यवधान)* आप ठहरिए। आप रेज करते हैं, फिर उसका रिप्लाई तो होना ही है। रूल 193 में जो आपने रेज किया और दूसरी बहुत सी बातें भी कीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री का स्वागत करता हूं। कम से कम भाषण समाप्ति के समय तो वह आ गए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यहां पर बहुत क्रिटिसाइज इसके लिए हुआ कि प्रोवीडेंट फंड का इंट्रेस्ट रेट 8.25 हुआ है, यह कम है। इसे गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। ऐसा कहा गया।...*(व्यवधान)* आप सुनिये।

मैं आंकड़े पढ़ता हूं। वर्ष 2005-06 में 8.5 परसेंट दिया था, वर्ष 2006-07 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2007-08 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2008-09 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2009-10 में 8.5 परसेंट, वर्ष 2010-11 में 9.5 परसेंट, यानी 1 परसेंट ज्यादा दिया। यह क्यों दिया, वहां पर एकाउन्टिंग में जो एक्युमुलेटिड पैसे थे, 1722 करोड़, सारे ट्रस्टी ने यह सोचा और यह सलाह दी कि यह जो 1722 सरप्लस फंड है, इसे हमारे वर्कर्स को, बेनीफिशरीज को और कंस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाये। उनकी सलाह के अनुसार हमने लास्ट टाइम वित्त मंत्री जी को रिकमेंड किया कि हमारे पास एडीशनल इतनी सेविंग है, इसलिए आप हमको 9.5 परसेंट की मंजूरी दीजिये। उस वक्त भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एतराज किया। वह बोले कि आपका एक्चुअल एनुअल इनकम केवल 8.5 का है, 9.5 का नहीं है, इसलिए आप 8.5 परसेंट कीजिये। फिर हमने लिखित में दिया कि अगर इसमें कुछ कमी होती है तो हम अगले साल, जो हमारे पास रेवेन्यू आयेगा, उस रेवेन्यू में से इसे आप डिडक्ट कर सकते हैं। सारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, प्रोवीडेंट फंड के जितने भी मेंबर्स हैं, सबने मिलकर यह डिसीजन लेकर भेजा और 9.5 परसेंट पर आए। इस वक्त हमारी इन्कम 8.25 परसेंट तक है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह कहना है कि 8.25 ही आपकी एनुअल इन्कम है, इसलिए आप 8.25 परसेंट से ज्यादा अगर दिए तो कल के दिन ई.पी.एफ.सी. में पैसे कम होंगे और आगे दूसरे लोगों को तकलीफ होगी। यह गरीबों का पैसा है। हम इसको निकाल कर दूसरे जगह पर डाल नहीं सकते हैं। इसे कोई लेकर नहीं जा सकता है। इसे हम सेफर साईड, ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जिस जगह से हमें यह गारंटी हो कि हमारा पैसा भी सेफ रहे और इन्टरेस्ट भी समय पर मिले ताकि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। इस नीयत से पैसा रखते हैं। अगर हम पैसे को शेयर होल्डिंग में इधर-उधर या बाहर के कंपनियों को दिया तो और भी ज्यादा आ सकता है। अगर यह पैसा किसी दूसरे जगह पर वह सेफ नहीं रहा वहां कोई घोटाला हुआ तो कल के दिन चार करोड़ लोग या हमारे दूसरे मेम्बर्स जो भी हैं, छह करोड़ लोग उन सबका पैसा गायब हो जाएगा। इस नीयत से ही हम सिक्योर्ड डिपॉजिट रखते हैं जिस जगह हमारा पैसा सेफ रहता है और इन्टरेस्ट भी मिलता है। हम ने इस नीयत से पैसा रखा है। आज हमको 8.25 इंटरेस्ट रेट मिला है। यह लास्ट ईयर का इन्कम है। इस साल थोड़ा ज्यादा मिलने की आशा इसलिए है कि बैंक की दर दिसम्बर से ज्यादा हो गई हैं तो नेचुरली हम को भी वह फायदा इस साल मिलेगा और नेक्स्ट ईयर वह ज्यादा हो जाने की संभावना है। इसलिए इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग

नहीं होनी चाहिए। गलतफहमी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको 9.5 परसेंट से आज एकदम 8.25 परसेंट कर दिया है। गवर्नमेंट है इसलिए ऐसा कर दिया है। यह एंटी लेबर है। यह ठीक नहीं है। पैसा हमारे पास है। पंचायत में जैसे - एक तरफ ट्रेड यूनियन के लीडर्स रहते हैं, इम्प्लायर्स रहते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेन्ट रहती है। ये तीनों लोग और फायनेंस डिपार्टमेंट के रिप्रजेन्टेटिव सभी मिल कर एक निर्णय लेते हैं उसमें डेफिनेटली कभी ट्रेड यूनियन के लीडर अपना डिमांड ज्यादा रखते हैं और कभी इम्प्लॉयर यह कहते हैं कि उसको उतना देना ठीक नहीं है। ओवर ऑल पिक्चर, हम को उस आर्गेनाइजेशन को चलाना है, उस आर्गेनाइजेशन को जिन्दा रखना है और लोगों के हित में काम करना है। इस दिशा में गवर्नमेंट ने यह काम किया है। इसलिए इसमें कोई दूसरी मिसअंडरस्टैंडिग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि यह 9.5 परसेंट से एकदम 8.25 परसेंट कर दिया ऐसी न्यूज स्प्रेड होना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं उनसे अपना रिकार्ड स्ट्रेट रखने की विनती करता हूं। सारे इरेस्पेक्टिव ऑफ पालिटिकल पार्टीज और सभी सदस्यों ने ऐसा सलाह मुझे दिया है कि इसमें कोई पार्टी पालटिक्स नहीं लाए इसलिए मैं तमाम सदस्यों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हां, श्री गुरुदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मंत्री जी, मेरी ओर से एक ही प्रश्न है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि कृपया ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और कानून के क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक बुलायें। कृपया एक बैठक बुलाएं और न्यूनतम मजदूरी की अनुमति दें। कृपया सभी सदस्य राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाने के सुझाव पर सहमति दें।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): न्यूनतम मजदूरी को भी शामिल किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: न्यूनतम मजदूरी को शामिल कर दिया गया है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, जब श्री दासगुप्त जी बोल रहे हैं तो आप शोर क्यों कर रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मंत्री महोदय, क्या आप राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक के लिए सहमत हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: यह अच्छा सुझाव है मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

हां, श्री विष्णु पद राय, आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सेफ धन के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक पहले से 9.25 की ब्याज दर दे रहा है।

[हिन्दी]

आपने वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक 8.5 परसेंट इंटरेस्ट रेट दिया। स्टेट बैंक और इंडिया के पार्लियामेंट ब्रांच में डिपाजिट पर 9.25 इंटरेस्ट रेट देता है तो आप वहां पैसा क्यों नहीं रखते हैं। मजदूर के हित में आपने काम नहीं किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सेफ मनी के लिए 9.25 इंटरेस्ट रेट एस.बी.आई. दे रहा है तो आपने क्यों घटा दिया?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, माननीय मंत्री ने बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल का जिक्र किया है। मेरे जिले पुरुलिया में झालदा में एक अस्पताल है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मैंने पहले ही एक पत्र मंत्री जी को लिखा है।

अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अस्पताल चालू करने के लिए क्या सरकार आवश्यक स्टाफ और डाक्टर उपलब्ध कराएगी ताकि बीड़ी मजदूरों को बिना और देर किए इसका लाभ मिल सके।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: हर माननीय सदस्य ने कहा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट रखें तो 9.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है, तो आप 8.5 प्रतिशत क्यों दे रहे हैं? उसके पूरे रीजन्स हैं। अगर मैं उन्हें पढ़ूं तो एक-दो पेज और हैं कि अगर हम सिक्युरिटी में रखें तो कितना मिलता है। सेविंग्स में रखें तो कितना मिलता है। इन

[श्री मल्लिकार्जुन खरगे]

सारी चीजों की वजह से रिवैन्यू की ओवर ऑल जो पिक्चर इमर्ज होती है, वह रिवैन्यू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लें आप भी मेरी जगह पर आएं तो यही करने वाले हैं क्योंकि आपको इस फंड को सेफ रखना है और कंट्रीब्यूटर्स के हित में काम करना है।...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: हमारे पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही हैं, मैं दूसरी जगह नहीं रखने देता। बहुत से लोग कहते हैं कि वहां रखें, लेकिन वहां भी अलग-अलग है। अगर आप कहें तो मैं पढ़कर बता देता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, यह बिल्कुल ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आपने अस्पताल के बारे में कहा। बीड़ी वर्कर्स अस्पताल के लिए हमने एडिशनल फंड्स दिए हैं। अगर कहीं दिक्कत है तो मैं अपने डायरेक्टर जनरल (लेबर वेल्फेयर) से कहूंगा कि जहां डॉक्टर्स नहीं हैं, वहां स्टाफ भेजने की कोशिश करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमें स्टाफ भर्ती करना होगा। हम इसके लिए प्रयास करेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा 'शून्य काल' आरंभ करेगी।

श्री निखिल कुमार चौधरी

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री निखिल कुमार चौधरी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी है। हर सदस्य को बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक लोक महत्व के विषय पर बोलने की इजाजत दी।...*(व्यवधान)* बिहार राज्य के कटिहार जिला होकर गुजरने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर पुरसेला में कोसी नदी पर अवस्थित पुल जो सामरिक, भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। उस पुल से होकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम के तमाम प्रांतों से होकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वह सड़क महत्वपूर्ण है। वह राष्ट्रीय उच्च पथ है। अभी फोर लेन में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन उस पर बने हुए ब्रिज की हालत बहुत खराब है। उसकी समय-समय पर मरम्मत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पुल की स्थिति ठीक नहीं है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। राजमार्ग के माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अगर उस सड़क की मरम्मत पुरजोर ढंग से नहीं की गई तो बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चूंकि वह सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 फोर लेन में कन्वर्ट है। उस पर फोर लेन पुल बनाने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। स्थिति यह है कि उस सड़क पर ऐसे जाम लगते हैं जिससे दो-दो दिन तक लोगों की गाड़ियां उस पुल और उसके दोनों किनारों पर खड़ी रहती हैं। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं इस लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस पुल को तवज्जह मिले और जल्द से जल्द उस पर फोर लेन का पुल बने।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र नागौर के मकराना शहर की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं जो अपने मार्बल के लिए सदैव विश्व प्रसिद्ध रहा है। मकराना मार्बल की खासियत पूरे संसार में फैली हुई है। विश्व प्रसिद्ध इमारतें जैसे आगरा का ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर दिलवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिरों तक अनगिनत इमारतें, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में मकराना मार्बल शोभा बढ़ा रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों व पत्थर के जानकारों का मत है कि

मकराना का मार्बल विश्व में सबसे पुराना व सबसे बेहतरीन किस्म का है। यह 90 प्रतिशत से ज्यादा शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसमें पानी की सीपेज बिल्कुल नहीं होती। यह बहुत कठोर होते हुए भी गढ़ाई के लिए सर्वोत्तम है। इसकी सतह पर एक भी पिनहोल या स्क्रैचेज बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से यह सीधे ही उपयोग किये जाने योग्य होता है। इसकी खासियत है कि इसमें किसी किस्म के कैमिकल की जरूरत नहीं पड़ती और सदियों बाद भी इसकी सफेदी बनी रहती है। मकराना में लगभग 56 मिलियन टन मार्बल का भंडार है, जिससे लाखों लोग अपना रोजगार पूरे भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी चलाते हैं। इससे हर साल करोड़ों रुपये का रिवेन्यू प्राप्त होता है।

महोदय, इन सब विशेषताओं के बाद भी आज मकराना मार्बल अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। मकराना मार्बल उद्योग की सबसे बड़ी परेशानी उसके स्क्रैप के डिस्पोजल से लेकर उसके नाम से नकली मार्बल बेचे जाने तक की है।

मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि इतनी सारी खूबियों और मकराना मार्बल के नाम से अन्य मार्बलों को बेचे जाने से रोकने के लिए आवश्यक है कि मकराना मार्बल को जियोग्राफिकल इंडीकेशन दिया जाये, जिससे मकराना मार्बल की विश्व-प्रसिद्धि बरकरार रहे और इससे एक सामूहिक, सामुदायिक अधिकार की प्राप्ति मकराना को प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): धन्यवाद महोदय। बर्दवान जिला, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर पनगढ़ बाई पास को यद्यपि कई वर्ष पहले स्वीकृत किया गया था परन्तु उसे अभी तक आरंभ नहीं किया गया है और पनगढ़ बाजार में मौजूदा दो लेन वाला मार्ग दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है और वहां प्रतिदिन वाहनों की लंबी कतार लगती है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कई बैठकें होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस दो लेन वाले मार्ग का रख-रखाव करने में विफल रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस मार्ग पर अवरोध और भीड़भाड़ को दूर करने के लिए और इसे अच्छी स्थिति में लाने के लिए तत्काल उक्त दो लेन मार्ग को विकसित कराने का अनुरोध करती हूं।

श्री ए. संपत (अटिंगल): मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। यह मुद्दा देश के विभिन्न निजी अस्पतालों में कार्य करने वाले नर्सों की दुर्दशा के बारे में है। सरकार बस मूकदर्शक की तरह कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। परन्तु, नर्सें जिनमें से अधिकांश कम उम्र की महिलाएं हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना कर रही हैं। कई अस्पतालों का प्रशासन उनके कार्य ग्रहण करने के दिन ही उनके प्रमाण पत्र और दस्तावेज जब्त कर लेता है। उनके साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि उनसे त्यागपत्र लिखवाकर फाइल में रख लिया जाता है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी, तक नहीं दी जाती; उन पर मातृत्व लाभ अधिनियम और बोनस संदाय अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाता, उन्हें भविष्य निधि और पेंशन लाभ भी प्रदान नहीं किया जाता। उन्हें कितने वर्षों तक इसी तरह कार्य करना होगा? उनमें से अधिकांश विभिन्न निजी अस्पतालों में पांच से आठ वर्षों से कार्य कर रही है परन्तु, उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। उनका निर्दयतापूर्ण तरीके से शोषण किया जाता है। यह अमानवीय व्यवहार है।

कई अस्पतालों में उन्होंने अपना संघर्ष अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्हें संगठित होने के अधिकार से वंचित किया गया है। उन्हें संगठित होने; संघ और संस्थाएं बनाने का अधिकार है। परन्तु, देश के कई भागों में प्रबंधन उनके कार्यकलापों पर रोक लगाने और इन संस्थाओं द्वारा वार्ता किए जाने पर रोक लगाने के लिए असामाजिक तत्वों की सेवाएं ली जा रही हैं। अत: मेरा यह नम्र निवेदन है कि सरकार इस संबंध में पहल करें। भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करे और सभी अस्पतालों में श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास करे। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मुझे आशा है कि सभी राज्यों से विद्वान मित्र इसमें भाग लेंगे। महोदय, इस संबंध में हम सब आपकी सहायता चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जो सदस्य स्वयं को इससे संबद्ध करना चाहते हैं वे पर्चियां भेज सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सर्वश्री प्रशान्त कुमार मजूमदार, पी.आर. नटराजन, एंटो एंटोनी, पी.टी. थॉमस, पी. करुणाकरन और एस.एस. रामासुब्बू को श्री ए. संपत द्वारा उठाए गए मामले के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पर्वतीय राज्यों को फार्मासिटी एवं मेडिसिटी के रूप में विकसित करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिमालय की गोद में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य हैं, जहां की जलवायु जड़ी-बूटियों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। इन जड़ी-बूटियों के उत्पादन से अनेक रोगों के उपचार की दवाइयां विकसित की जा सकती हैं। उत्तराखण्ड के चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि ऐसे जिले हैं, जहां जड़ी-बूटियों के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर चमोली जिले में गैरसैंण और द्रोणागिरी पर्वत। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पर्वतीय राज्यों में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर सरकार उनको फार्मासिटी एवं मेडिसिटी के रूप में विकसित करने की कोई विशेष कार्ययोजना बनाए और उसे कार्यान्वित करे।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि देश में जो लगातार कुपोषण के मामले सामने आए हैं और खास तौर पर हमारे देश के नन्हे-मुन्ने बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जो पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु होती है, उनमें करीब 22 फीसदी हमारे देश में होती है और ग्लोबली जो नियो-नेटल डेथ होती हैं, उनमें से 30 फीसदी हमारे देश में होती हैं। खासतौर से मैं जिस राज्य से आती हूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण के मामले, 55 फीसदी मामले सामने आए हैं और खास तौर पर आठ आदिवासी बाहुल्य जिलों में सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अगर इस पर ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में हम अपने देश के भविष्य का निर्माण किस तरह कर पाएंगे। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में ले और राज्य सरकारों के साथ बैठकर इस विषय पर गंभीरता से कदम उठाए, फिर इस पर जो अध्ययन कराए, उसके बाद उसका क्रियान्वयन भी हो। मुझे उम्मीद है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने भी इस पर काफी सुझाव दिए हैं, उस पर क्रियान्वयन की जब बारी आएगी, तब केन्द्र की सरकार गंभीरता का रुख अपनाएगी और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पर आवश्यक कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: बच्चों में कुपोषण के बारे में कुमारी मीनाक्षी नटराजन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ श्रीमती अन्नू टंडन, डॉ. ज्योति मिर्धा और श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी को संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

***श्री शिवराम गौड़ा** (कोप्पल): माननीय सभापति महोदय, मैं कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोप्पल के अंतर्गत सिंगपुरा और कुकंडा गांवों के लोगों के खराब स्वास्थ्य की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, डिस्टिलरी इकाइयों के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंगपुरा और कुकंडा गांवों में सॉवरन डिस्टिलरी इकाई है। उक्त डिस्टिलरी के कारण तुंगभद्रा नदी में प्रदूषण हो रहा है, जो कि मेरे क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है। कर्नाटक में एक कहावत है "तुंग पण, गंगा स्नान" जिसका अर्थ है तुंग नदी का पानी पीने के लिए और गंगा नदी का पानी नहाने के लिए अच्छा है। परन्तु, सॉवरन डिस्टिलरी इकाई के अपशिष्ट और खतरनाक पदार्थों के उत्सर्जन के कारण इन दिनों तुंग नदी का पानी प्रदूषित हो गया है।

उक्त डिस्टिलरी को इस आधार पर पांच हजार एकड़ भूमि दी गई थी कि वह मेरे जिले के लोगों के लिए एक पेयजल परियोजना लगाएगी। दुर्भाग्यवश, हमारे लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, इसके विपरीत इस डिस्टिलरी इकाई के कारण उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यह बहुत चिंता की बात है कि इससे महिलाएं और बच्चे अधिक प्रभावित है क्योंकि उन्हें त्वचा रोग और अन्य बीमारियां हो रही हैं। लोग प्रतिदिन दयनीय जीवन जी रहे हैं। उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए स्वच्छ वायु, जल और पर्यावरण नहीं मिल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक और समाचारपत्र/पत्रिकाएं इन सभी समस्याओं को कवर और उजागर करती हैं। गत एक सप्ताह से

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का **हिन्दी** रूपान्तर

लोग आंदोलन कर रहे हैं और डिस्टिलरी इकाई के विरुद्ध गंभीर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से समस्या का अध्ययन करने हेतु पर्यावरण विदों और विशेषज्ञों का एक दल भेजने और संबंधित डिस्टिलरी इकाई के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के. सुगुमार (पोल्लाची): पोल्लाची निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है। पोल्लाची की जनसंख्या में अधिकांशतः उद्योगपति, श्रमिक, छात्र और कार्यालय में कार्य करने वाले लोग हैं। वे लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। पोल्लाची में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है और मैं सरकार से इस कार्य में तेजी लाने और उसे शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

पोल्लाची में वर्तमान रेलवे स्टेशन, पोल्लाची शहर के एक कोने में स्थित है और लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पोल्लाची रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग बहुत संकरा है। जनता पोल्लाची के उत्तर में अचीपट्टी गांव के निकट एक और रेलवे स्टेशन की मांग कर रही हैं। उस रेलवे स्टेशन को पोल्लाची का स्थायी रेलवे स्टेशन बनाया जा सकता है। पोल्लाची नगरपालिका ने भी इस संबंध में एक संकल्प पारित किया है और उसे आगे की कार्यवाही के लिए रेल मंत्रालय को भेजा गया है।

मैं इस सभा के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने पर कोयम्बटूर की तरफ कोविलपलयम, तामराइकुलम, और चेट्टीपलयम और पलानी की तरफ थिरपम पट्टी और पूलनकीनर में रेलवे स्टेशन बनाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि, जब यह रेल लाइन मीटर गेज थी उस समय यहां ये रेलवे स्टेशन थे।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): सभापति महोदय, बिहार राज्य में नेशनल हाइवेज की सड़कें केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की उपेक्षा के कारण या तो बन नहीं पा रही हैं या जो आधी-अधूरे बनी हैं, वह धनराशि उपलब्ध न कराने की वजह से मरम्मत नहीं हो पाने के कारण टूट रही हैं। राज्य सरकार द्वारा बार-बार परिवहन मंत्रालय से सड़कों के निर्माण हेतु लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति की मांग की जा रही है, परंतु केन्द्र सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है।

महोदय, मैं अपने बिहार राज्य की एक सड़क की उपेक्षा के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एन.एच. 103 सड़क का आधा-अधूरा निर्माण वर्ष 2008-2010 में हुआ था, पर खेद की बात है कि उसके द्वितीय चरण की स्वीकृति वर्तमान समय तक मंत्रालय के समक्ष लंबित है। राज्य सरकार द्वारा बार-बार मंत्रालय को प्राक्कलन भेजा गया, पर केन्द्र सरकार किन कारणों से स्वीकृति नहीं दे रही है, समझ से परे है।

एन.एच. 103 सड़क जिला वैशाली से समस्तीपुर और बेगुसराय को जोड़ती है। इसकी लंबाई 59 किलोमीटर है तथा यह इन जिलों की मुख्य सड़क मार्ग भी है। इसके निर्माण में केन्द्र सरकार द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है, यह चिंताजनक है।

महोदय, इसी मार्ग में जन्दाहा के आगे बाया नदी पर अत्यंत पुराना एक जर्जर पुल है, वह कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इस पुल के निर्माण हेतु भी राज्य सरकार द्वारा कई बार वर्ष 2008 से ही प्राक्कलन भेजा जा रहा है, पर खेद की बात है कि इस पुल के निर्माण की भी स्वीकृति मंत्रालय द्वारा नहीं दी जा रही है।

मेरा आग्रह है कि अविलम्ब एन.एच. 103 के द्वितीय चरण और बाया नदी पर पुल के निर्माण हेतु मंत्रालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर अमल सुनिश्चित किया जाए, जिससे सड़क के दूसरे चरण का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो और स्थानीय जनता को सुदृढ़ सड़क का लाभ मिल सके। साथ ही बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का अपने कोष से निर्माण कराया गया था। उस राशि का भारत सरकार बिहार सरकार को भुगतान करे, जिससे वह अगले चरण में भी काम कर सके।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): महोदय, मैं कोयम्बटूर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। कोयम्बटूर एक

[श्री पी.आर. नटराजन]

उद्योगोन्मुखी शहर है। साथ ही यह शहर शैक्षणिक और चेन्नई के बाद चिकित्सा पर्यटन का केन्द्र है। इसीलिये इस क्षेत्र में राजमार्ग विभाग की भूमिका पर अधिक बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कोयम्बटूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47, 67 और 209 से अच्छी तरह जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पश्चिमी और उत्तरी तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। सलेम-चेंगापल्ली तक 100 किलोमीटर के हिस्से को फेज-दो के तहत 4 लेन की सड़क के रूप में विकसित किया गया है तथा चेंगापल्ली से वलायार तक का बाकी हिस्सा 100/00 कि.मी. से 182/400 कि.मी. अभी हाल ही में आई.वी.आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि. को 6/4 लेन करने हेतु प्रदान किया गया है। इस परियोजना में पूर्वी सिरे पर स्थित कोयम्बटूर बाई पास को भी शामिल किया गया है। 30 वर्षों अर्थात 2-10-2029 तक की निर्माण अवधि के लिये एल एण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ दिनांक 3-10-1997 को हुए समझौते के तहत कोयम्बटूर बाईपास का निर्माण मूलतः बी.ओ.टी. योजना के तहत किया गया था और यह 19-1-2000 से अस्तित्व में आया। नवम्बर 2009 में जब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर को समाप्ति नोटस जारी किया गया, तब एल एंड टी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का सहारा लिया। जहां तक मुझे पता है, भारत सरकार ने याचिका के विरोध में आज तक कोई भी प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप आई.वी.आर.-सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस लि. पर कार्य नहीं कर सका।

पिछले नौ महीनों में मामले की अत्यावश्यकता के बारे में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को कई बार सूचित किया गया किन्तु कोई भी सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कम से कम अब मामले को गम्भीरता से लें और रिट याचिका का जल्द से जल्द निपटान कराने के लिये एक प्रति शपथ पत्र दाखिल करें ताकि कोयम्बटूर बाईपास सड़क को 4 लेन बनाने के लिये कोई समाधान निकल सके। धन्यवाद।

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): महोदय, इस मामले पर मैं स्वयं को संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री नृपेन्दुनाथ राय (कूच बिहार): महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा भारत भर के आंतरिक ब्लॉकों में आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में 8 ब्लाक हैं। इनमें से सिताई ब्लॉक सामाजिक-आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और वहां साक्षरता प्रतिशत भी बहुत कम है। इस ब्लॉक के ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति का मुस्लिम समुदाय से संबंधित है जोकि क्रमशः 63 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत हैं।

ब्लॉक की अदबारी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कोनछात्रा गांव में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था ताकि इस क्षेत्र में शिक्षा का समय परिदृश्य तैयार हो सके। इस आदर्श विद्यालय को खोलने के लिये आवश्यक 4 एकड़ जमीन की खोजबीन पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा की गयी थी, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने पर भी इस आदर्श विद्यालय को स्थापित करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।

इसलिए मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं ताकि कूच बिहार, पश्चिम बंगाल के सिताई ब्लाक की अदबारी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कोनछात्रा गांव में जल्द से जल्द आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा सके।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति जी, आज बिहार अपने शताब्दी वर्ष के प्रकाश-उत्सव को मना रहा है। इतिहास ने जो उसे पिछड़ेपन का शिकार बनाया है, आज उसकी कालिमा को वह धोने में लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि शताब्दी वर्ष में मोकामा, बड़हिया, नालंदा की एक लाख हैक्टेयर जमीन जो ताल जमीन है, जहां मसूड़ी और चराद की पैदावार होती है। पहले हैलीकोप्टर से वहां दवाई का छिड़काव होता था लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से वह व्यवस्था समाप्त हो गयी है। डॉ. के.एल. राव जो उस समय भारत सरकार के सिंचाई मंत्री थे, उस इलाके में गये थे और वहां प्रत्येक वर्ष हरोहर नदी से पानी आता है और उसी से उसका पटबन होता है लेकिन वह पानी चला जाता है और उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। के.एल. राव जी ने

जो सुझाव दिया कि वहां 12-13 नाले बनाए जाएं और उन नालों के किनारे पौधे और वृक्ष लगाए जाएं। वहां चिड़ियां आकर बैठेंगी और वे चिड़ियां कीड़ाखोरी करेंगी और किसानों की पैदावार की रखवाली करेंगी। हम आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि स्वयं इंदिरा जी कहा करती थीं कि मैं दाल इसलिए मंगाती हूं कि हमारे बच्चों की हड्डियां पुष्ट हों। आज दाल के कारण सरकार भी सकते में रहा करती है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इतना बड़ा कटोरा नालंदा, बड़हिया, मुकामा है, इसे के.एल. राव के जो निर्देश हैं आप उसके आलोक में डेम बनाकर के, पानी को संजोकर के पानी की व्यवस्था करें। इन्हीं तथ्यों की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश भर में जो घोटालों की गूंज सुनाई दे रही है, उसके संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो एन.आर.एच.एम. के तहत स्कीम चलती हैं, उसमें जो समय-समय पर घोटाले होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के भी घोटाले आपने सुने हैं, हमारे राजस्थान में भी एन.आर.एच.एम. के तहत घोटाला घटित हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए जो हुआ है उसमें तीन एंगल हैं। एक तो टर्म ऑफ रैफरेंस इस तरह से डिजाइन किये गये कि एक विशेष कंपनी को ही उसका ठेका मिला। दूसरा एंगल यह है कि इसमें बिल बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए हैं। जितनी पेमेंट होनी चाहिए थी उससे 10 गुना, 20 गुना तथा कई जगह तो सौ गुना ज्यादा पेमेंट की गई है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एन.आर.एच.एम. के जो राज्य को वित्तीय निदेशक हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जिन्होंने आडिट की है, उन्होंने यह आरोप लगाया है। एन.आर.एच.एम. स्कीम भारत सरकार की है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।

तीसरा एंगल नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। जिस कम्पनी को ठेका दिया गया है, वह कम्पनी पाकिस्तान के आई.एस.आई. ओर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। मेरा कहना है कि इसमें सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए और दूध का दूध तथा पानी का पानी होना चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि एन.आर.एच.एम. स्कीम में इतना घोटाला क्यों हो रहा है।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं अपने को श्री मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, कृषि से संबंधित यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे संसदीय क्षेत्र तिरूनेलवेली में काफी अधिक संख्या में लोग कृषि कार्य में लगे हैं और वे मुख्यत: धान, केला और सब्जियों की खेती करते हैं। अनेक अवसरों पर उनकी तैयार फसल जो कटाई हेतु तैयार होती हैं अचानक शक्तिशाली चक्रवातों के कारण नष्ट हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप, रातों-रात उनको भारी नुकसान होता है और वो अपनी बुवाई लागत भी वसूल नहीं कर पाते तथा प्राय: कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

हाल ही में 10 मार्च 2012 को आये शक्तिशाली चक्रवात के कारण लगभग 3 लाख केले के पौधे जो पकने के लिये तैयार थे, नष्ट हो गये। ऐसा बार-बार होता है जिसके कारण तिरूकरानकुड़ी, चेरानमादेवी, इरावदी, कलाकड़, वी.के. पुरम, अंबासमुद्रिम, कड़ायम और ननगुनेरी के किसानों को भारी नुकसान होता है।

हालांकि सरकार बाढ़, सूखा और सूनामी को 'प्राकृतिक आपदा' मानते हुए इनके कारण फसलों को हुए नुकसान के लिये किसानों को मुआवजा दे रही है, लेकिन चक्रवात को 'प्राकृतिक आपदा' नहीं माना गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अधिकारियों को मेरे क्षेत्र के केला उत्पादकों को 'चक्रवात' की वजह से हुए भारी नुकसान का समुचित मुआवजा प्रदान करने हेतु निर्देश दे और साथ ही 'चक्रवात' को 'प्राकृतिक आपदा' माना जाए ताकि किसानों को समुचित मुआवजा मिले क्योंकि 'चक्रवात' न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में आ रहे हैं और किसानों को प्रभावित कर रहे हैं। किसानों को प्रभावित कर रहे 'चक्रवात' को 'प्राकृतिक आपदा' माना जाना चाहिये।

सभापति महोदय: श्री पी.टी. थॉमस को इस विषय से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं देश के कपास उत्पादन करने वाले किसानों की समस्या के बारे में

[श्री हंसराज गं. अहीर]

कहना चाहता हूं। यह समस्या सरकार द्वारा निर्मित है। देश में कपास की उपज देश की जरूरत से अधिक हो रही है। पिछले वर्ष भी हमारे देश में अधिक उपज हुई थी और हम कपास का निर्यात कर रहे थे। इस वर्ष भी कपास निर्यात करने की देश की पॉलिसी होते हुए भी अचानक छह मार्च को वाणिज्य मंत्री ने कपास निर्यात पर पाबंदी लगाने से कपास के दाम एक हजार रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गए। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था जब कपास का मूल्य छह हजार रुपए प्रति क्विंटल था, तो अचानक वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, तो कपास का मूल्य तीन हजार रुपए मतलब आधा दाम हो गया था। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बार-बार ऐसे निर्णय लेने के कारण किसान परेशान है और कपास उत्पादन करने वाले किसानों का नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि देश में दो सौ से ढाई सौ बेल्स की कपास की गठानों की जरूरत है, जबकि हमारे यहां वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में अधिक उपज हुई है और उपज लगातार बढ़ती जा रही है। बंगलादेश, पाकिस्तान तथा अन्य देशों में, चाइना में भी भारतीय कपास की मांग हो रही है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है, यह नुकसान वाणिज्य मंत्रालय की वजह से हुआ है। कृषि मंत्री कहते हैं कि मुझसे पूछा नहीं गया है। कृषि मंत्री जी के बयान से शंका पैदा होती है। अखबारों में छप रहा है और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दूसरी इंडस्ट्रीज से भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए करोड़ों किसानों का नुकसान करने वाले वाणिज्य मंत्रालय की नीति पर हमें आरोप लगाना है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि सी.बी.आई. जांच हो। किसानों का बार-बार नुकसान किया जा रहा है। ये किसान वहीं के हैं, जहां किसान आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अहमदाबाद एवं गुजरात के अन्य शहरों में दिल्ली और मुम्बई की तरह सस्ती सी.एन.जी. गैस उपलब्ध कराई जाए। अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में जो बाहर से गैस मंगवाते हैं, वह बहुत महंगी पड़ती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गुजरात में भी सस्ती गैस मुहैया कराई जानी चाहिए।

गुजरात सरकार गैस सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार के तकरीबन 660 करोड़ रुपये बचत करने में सहयोग देती है। गुजरात सरकार ने पाइपलाइन के जरिये करीबन 8.7 लाख घरों में गैस मुहैया करवाई है। इसी वजह से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं लेना पड़ता है। इस हिसाब से केन्द्रीय गैस कंपनियों के 21356 सिलेंडर में सब्सिडी की बचत होती है जो कुल मिलाकर 281 करोड़ रुपये है। इसी तरह गुजरात सरकार समग्र राज्य में 242 सी.एन.जी. आउटलेट के तहत तकरीबन 2 लाख 60 हजार वाहनों को सी.एन.जी. गैस उपलब्ध करवाती है। इसी तरह पैट्रोल एवं डीजल में सब्सिडी में 380 करोड़ रुपये की बचत में राज्य सरकार केन्द्र सरकार को सहयोग देती है।

इसी तरह गुजरात सरकार के सकारात्मक प्रयत्नों से केन्द्र सरकार को तकरीबन 660 करोड़ रुपये की सब्सिडी के रूप में बचत होती है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अहमदाबाद एवं गुजरात के अन्य शहरों में दिल्ली और मुम्बई की तरह ए.पी.एम. के तहत सस्ता सी.एन.जी. गैस उपलब्ध करवाया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. किरीट सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध हो सकते हैं।

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल तट पर मछुआरों के साथ बार-बार हो रही दुखद घटनाओं से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर तत्काल ध्यान दें। इटली के जहाज से मछुआरों की गोली मारकर हत्या तथा मछली पकड़ने की नौका से जहाज टकराने की एक अन्य घटना से मछुआरों में असुरक्षा की भावना फैल गई है। यह घटनाएं तटीय सुरक्षा बढ़ाने तथा तटरक्षक पुलिस की कार्यशैली सुधारने की जरूरत को उजागर करती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपने तटीय एवं जल क्षेत्र की सुरक्षा सभी समुद्र तटीय देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय जहाज अवैध रूप से भारत के मत्स्य क्षेत्र में घुसकर भारत की समुद्री पारिस्थिति को बुरी तरह क्षति पहुंचा रहे हैं तथा मछलियों की उपलब्धता और समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। **इन सभी**

पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तटीय जलक्षेत्रों में जल्द से जल्द अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। मैं अनुरोध करता हूं कि तटीय सुरक्षा पुलिस थानों को समुचित जहाज और तकनीक सुसज्जित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं जाएं।

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से कोच्चि तट पर तेल खोज के लिये खुदाई शुरू करने का अनुरोध करता हूं, जिसे पिछले 2 साल से अस्थायी तौर पर बन्द किया हुआ है। यह पता चला है कि कोच्चि तट पर मौजूद तेल खोज कुंओं से प्राप्त भूगर्भीय नमूनों की रसायनिक जांच में हाइड्रो-कार्बन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य रसायनिक तत्वों के मिलने की पुष्टि हुई है। इससे पता चलता है कि कोच्चि तट पर तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्रचुरता है। कोच्चि तट के तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार को देश की बिजली जरूरतों एवं घरेलू उद्देश्यों के लिये प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि विद्युत उत्पादन के लिये कोच्चि तट की गैस की कीमत 2 रुपये प्रति यूनिट होगी। वहीं आयातित गैस की कीमत 17/- रुपये प्रति यूनिट होती है। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृपया कोच्चि तट पर तेल खोज का कार्य शुरू किया जाये।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जोकि त्वरित रोग निदान की अग्रणी तकनीक है, किसी भी भयानक बीमारी या दुष्कर रोग की पहचान और उपचार करने में समर्थ है। परन्तु दुर्भाग्य से सरकारी अस्पतालों के पास ना तो सुविधाएं हैं, ना उपकरण हैं, और ना ही विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। इसलिए, लोगों को निजी अस्पतालों, कारपोरेट अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ता है जहां सभी सुविधाएं हैं। वे सम्पूर्ण देश में हर जगह फैले हुए हैं। दुर्भाग्यवश गरीब और वंचित वर्ग इनका खर्च नहीं उठा सकते। वे इन अस्पतालों में इलाज पर आने वाला खर्च वहन नहीं कर सकते। इसलिए, आधुनिक उपचार सुविधाएं गरीब वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। हम प्रतिदिन विभिन्न बीमारियां देखते हैं।

मैं जब 2004 में विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ तो हृदय रोग, गर्भाशय का आंत से संबंधित रोगों या अन्य प्रकार के विभिन्न रोगों से ग्रस्त बहुत से बच्चे, वृद्ध, पुरुष और महिलाएं आदि मेरे पास आया करते थे। वे इलाज कराने में असमर्थ थे क्योंकि वे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। वे बेसहारा महसूस करते थे। सौभाग्य से उस समय वर्ष 2007 में आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार राजीव आरोग्य श्री नामक नीति लेकर आई जहां आन्ध्र प्रदेश में 90 प्रतिशत परिवार लगभग सभी परिवार इस नीति के अंतर्गत शामिल किए गए जिसके वे प्रतिवर्ष 2 लाख रुपये तक का इलाज किसी भी कारपोरेट, अस्पताल निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में करा सकते थे। इस प्रकार राजीव आरोग्य श्री जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न परिवारों को कुछ हद तक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया गया है। यह एक बीमा योजना थी।

सभापति महोदय: कृपया मुझे बताईये कि आप सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री एल. राजगोपाल: प्रत्येक राज्य में इस योंजना पर प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी योजना देशभर में उपलब्ध होनी चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपये आई थी और इस आधार पर पूरे देश में इसे लागू करने पर लगभग 24,000 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसलिए, हम चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसी योजना लेकर आए। वस्तुत: तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केरल सरकार ने भी इस योजना को लागू किया था। किंतु उन्होंने इसे आंशिक तौर पर लागू किया था। हम चाहते हैं कि भारत सरकार सम्पूर्ण देश में इस योजना को लागू करे और इस पर आने वाला व्यय साझा करे। बीमा लागत का लगभग 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा और शेष भाग राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो करोड़ों लोगों को विशेषकर वंचित और गरीब लोगों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर पायेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ यह नहीं है कि केवल धनवान लोगों को ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लोगों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और राजीव आरोग्य श्री नामक स्वास्थ्य योजना को लागू करे।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): महोदय, मैं श्री एल. राजगोपाल द्वारा उठाये गए मामले के साथ स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): मैं देश के बहुत भागों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी

[श्री हंसराज गं. अहीर]

(वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2007 के धीमे क्रियान्वयन पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अधिनियम का कार्यान्वयन देश के अनेक राज्यों में बेहद असंतोषजनक है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी है जो राज्य सरकारें जनजातीय लोगों को वन भूमि का अधिकार देने से इंकार करती हैं वे जनजातीय लोगों को विस्थापित करके नव उदार नीति के तहत वन भूमि का बड़ा भाग कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर रही हैं। जहां तक गैर-जनजातीय परम्परागत वन निवासियों को अधिकार देने का प्रश्न है तो स्थिति उतनी ही खराब है। अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए इन वन निवासियों को कम से कम तीन पीढ़ियों अर्थात 75 वर्ष तक वनों में रहना पड़ता है। संप्रग-II सरकार गैर-जनजातीय वन निवासियों का दुख भूल चुकी है। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि वन अधिकार अधिनियम को पूरी गम्भीरता से शीघ्र लागू करें और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए 75 वर्ष पुराने साक्ष्य खंड को परिवर्तित करें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): महोदय, असम की लगभग 30 प्रतिशत आबादी जनजातीय आबादी है। इसमें बोदो, राभा, मिसिंग, कारबी, टी ट्राइब्स और कुछ अन्य जातियां सम्मिलत हैं। किंतु इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, इन लोगों की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है? जनजातीय विकास की योजनाओं के समस्त लाभ इन लोगों तक नहीं पेहुंच पाते जिसके कारण आप बेहतर जानते हैं।

मैं असम की राभा जनजाति की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। राभा जनजाति, असम की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इनकी अपनी एक समृद्ध संस्कृति है।

परन्तु आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से वे बहुत पिछड़े हैं। दो वर्ष पूर्व इन जनजातियों ने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, उन्होंने मौत और तबाही का सामना किया जिसे मैंने इस सभा में उठाया था।

राभा जनजाति ने राभा हासोंग क्षेत्र को अलग इंगित करने की मांग की थी जो लम्बे समय से विलम्बित हैं। वे इसे शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता, बातचीत और विचार-विमर्श के माध्यम से करना चाहते हैं। अन्य जनजातियों या गैर-जनजातीय लोगों के साथ झगड़ा करके नहीं। वे चाहते हैं कि उनकी समस्या बातचीत से सुलझाई जाए। राभा हास्योंग के चुनाव बहुत समय से नहीं हुए हैं। परिणामस्वरूप अब वे नौकरशाहों की दया पर निर्भर हैं। इस जनजाति के मात्र एक प्रतिशत लोग ही सरकारी सेवा में हैं।

अत: पहचान कायम रखने के लिए, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और समग्र विकास हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि ये लोग देश के शेष भागों से मुकाबला कर सकें।

सभापति महोदय: सभा कल 20 मार्च, 2012 पूर्वाह्न 11 बजे तक पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 07.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 मार्च 2012/30 फाल्गुन, 1933 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	61
2.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	62
3.	श्री अम्बिका बनर्जी श्री एस. पक्कीरप्पा	63
4.	डॉ. भोला सिंह श्री वीरेन्द्र कुमार	64
5.	श्री राम सिंह कस्वां	65
6.	श्री मंगनी लाल मंडल श्री पी. कुमार	66
7.	श्री सुशील कुमार सिंह श्री माणिकराव होडल्या गावित	67
8.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री महेश्वर हजारी	68
9.	श्री पोन्नम प्रभाकर	69
10.	श्री दत्ता मेघे श्री जगदीश शर्मा	70
11.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव कुमारी सरोज पाण्डेय	71
12.	श्री पूर्णमासी राम श्री आनंद प्रकाश परांजपे	72
13.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार श्री मनोहर तिरकी	73
14.	श्री कौशलेन्द्र कुमार श्री रामकिशुन	74
15.	श्री पी.सी. मोहन श्री नामा नागेश्वर राव	75
16.	श्री बैजयंत पांडा श्री रवनीत सिंह	76
17.	श्री भूदेव चौधरी श्रीमती सुमित्रा महाजन	77
18.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	78
19.	श्रीमती मेनका गांधी श्री गोपाल सिंह शेखावत	79
20.	श्री ए. सम्पत श्रीमती जे. शांता	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री बसुदेव आचार्य	775
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	783, 784, 804, 847
3.	श्री आनंदराव अडसुल	783, 784, 804, 847
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	795, 796, 808, 884
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	860, 888
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	777, 842
7.	श्री बदरुद्दीन अजमल	898
8.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	750

1	2	3
9.	श्री अनंत कुमार	808, 819
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	770, 846
11.	श्री सुरेश अंगड़ी	820, 897
12.	श्री घनश्याम अनुरागी	762
13.	श्री अशोक अर्गल	729
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	778
15.	श्री कीर्ति आजाद	809, 889
16.	श्री गजानन ध. बाबर	783, 784, 804, 847, 877
17.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	891
18.	श्री रमेश बैस	896
19.	श्री कामेश्वर बैठा	876
20.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	716, 781, 785, 915
21.	डॉ. बलीराम	837, 888
22.	श्री अम्बिका बनर्जी	872
23.	श्री सुदर्शन भगत	861
24.	श्री ताराचन्द भगोरा	859
25.	श्री संजय भोई	878, 879
26.	श्री समीर भुजबल	767, 880
27.	श्री पी.के. बिजू	706, 895, 910
28.	श्री हेमानंद बिसवाल	758
29.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	814, 832
30.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	711, 815, 820, 896
31.	श्री सी. शिवासामी	702, 867
32.	श्री हरीश चौधरी	694, 763, 775, 887, 894

1	2	3
33.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	792
34.	श्री संजय सिंह चौहान	810
35.	श्री दारा सिंह चौहान	764
36.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	718, 791, 793, 890
37.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	774
38.	श्री निखिल कुमार चौधरी	869
39.	श्रीमती श्रुति चौधरी	695, 795, 814
40.	श्री अधीर चौधरी	763, 876, 888
41.	श्री भक्त चरण दास	851, 885
42.	श्री राम सुन्दर दास	765
43.	श्री गुरुदास दासगुप्त	784, 796, 892, 893
44.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	892
45.	श्री रमेन डेका	807
46.	श्री के.डी. देशमुख	754
47.	श्रीमती रमा देवी	730, 790, 839, 890
48.	श्री के.पी. धनपालन	738
49.	श्री संजय धोत्रे	872, 873
50.	श्री आर. ध्रुवनारायण	731
51.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	795, 813, 880, 895, 896
52.	डॉ. रामचन्द्र डोम	775
53.	श्री निशिकांत दुबे	763, 829
54.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	797, 880, 892,
55.	श्रीमती प्रिया दत्त	788, 891
56.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	811

1	2	3
57.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	868
58.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	878, 879
59.	श्री वरुण गांधी	824, 871, 797
60.	श्री ए. गणेशमूर्ति	778, 789
61.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	884
62.	श्री राजेन गोहैन	801, 890
63.	श्री एल. राजगोपाल	778, 830,
64.	श्री शिवराम गौडा	856
65.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	777, 784, 823
66.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	795
67.	शेख़ सैदुल हक	775
68.	श्री महेश्वर हजारी	713, 793, 870, 900
69.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	888
70.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	694, 871
71.	श्री बलीराम जाधव	843
72.	डॉ. संजय जयसवाल	825
73.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	761, 795
74.	श्री बद्रीराम जाखड़	733
75.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	865, 901
76.	श्री हरिभाऊ जावले	726, 919
77.	श्री नवीन जिन्दल	746, 808, 822
78.	श्री महेश जोशी	834
79.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	778, 883
80.	श्री प्रहलाद जोशी	777, 814, 892
81.	श्री पी. करुणाकरन	775, 780
82.	श्री कपिल मुनि करवारिया	776, 887, 888

1	2	3
83.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	902
84.	श्री राम सिंह कस्वां	884, 907
85.	श्री लालचन्द कटारिया	765, 845, 877
86.	श्री चंद्रकांत खैरे	699, 793, 833, 872, 880
87.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	795, 808, 822, 890, 898
88.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	877, 920
89.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	763, 850
90.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	700
91.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	782, 791, 885
92.	श्री विश्व मोहन कुमार	773, 795
93.	श्री अजय कुमार	828
94.	श्री पी. कुमार	774
95.	श्री शैलेन्द्र कुमार	756
96.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	854
97.	श्री यशवंत लागुरी	790, 826, 839, 894
98.	श्री सुखदेव सिंह	692
99.	श्री पी. लिंगम	892, 893
100.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	693, 759, 784, 856
101.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	888
102.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	727
103.	श्री नरहरि महतो	697, 836, 905
104.	श्री भर्तृहरि महताब	838
105.	श्री प्रदीप माझी	781, 853, 871, 879

1	2	3
106.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	874, 879, 882
107.	श्री मंगनी लाल मंडल	872, 873
108.	श्री जोस के. मणि	769, 791, 873
109.	श्री हरि मांझी	736
110.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	760, 793, 803, 871
111.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	710, 910, 912
112.	श्री भरत राम मेघवाल	704, 884, 908
113.	श्री महाबल मिश्रा	857, 894, 897
114.	श्री सोमेन मित्रा	901
115.	श्री पी.सी. मोहन	896
116.	श्री गोपीनाथ मुंडे	717, 896
117.	श्री विलास मुत्तेमवार	835, 886
118.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	708
119.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	892
120.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	752, 769, 881, 882
121.	श्री नामा नागेश्वर राव	874
122.	श्री इंदर सिंह नामधारी	794
123.	श्री नारनभाई कछाड़िया	880, 895, 896
124.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	743, 781, 791, 820
125.	श्री पी.आर. नटराजन	759, 870
126.	श्री जगदम्बिका पाल	848, 877
127.	श्री वैजयंत पांडा	760, 875
128.	श्री प्रबोध पांडा	796, 858, 892
129.	कुमारी सरोज पाण्डेय	777, 795, 801, 894
130.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	852
131.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	878, 879
132.	श्री देवजी एम. पटेल	749, 778, 876
133.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	691, 884, 913
134.	श्री बाल कुमार पटेल	862, 890
135.	श्री किसनभाई वी. पटेल	781, 853, 871, 879
136.	श्री हरिन पाठक	792, 795, 805
137.	श्री संजय दिना पाटील	752, 769, 881, 882
138.	श्री ए.टी. नाना पाटील	703, 762
139.	श्रीमती भावना पाटील गवली	797, 880, 892
140.	श्री सी.आर. पाटिल	766
141.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	878, 879
142.	श्रीमती कमला देवी पटले	742, 890, 912
143.	श्री पोन्नम प्रभाकर	825, 910, 916
144.	श्री नित्यानंद प्रधान	760, 875
145.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	786, 898
146.	श्री प्रेमदास	844
147.	श्री पन्ना लाल पुनिया	698, 870, 906
148.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	778
149.	श्री एम.के. राघवन	821
150.	श्री एम.बी. राजेश	719
151.	प्रो. रामशंकर	796
152.	श्री कादिर राणा	829
153.	श्री निलेश नारायण राणे	748

1	2	3
154.	श्री रायापति सांबासिवा राव	701, 734, 763, 835
155.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	871
156.	श्री रामसिंह राठवा	735, 780
157.	डॉ. रत्ना डे	867, 889
158.	श्री अशोक कुमार रावत	757
159.	श्री अर्जुन राय	770, 778
160.	श्री विष्णु पद राय	723
161.	श्री रुद्रमाधव राय	774, 785, 854, 882
162.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	777
163.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	706, 816, 884
164.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	788, 817, 881
165.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	724, 831, 888, 918
166.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	697, 836, 905
167.	श्री एस. अलागिरी	722, 761, 871
168.	श्री एस. सेम्मलई	732, 778
169.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	771, 774, 791, 844, 881
170.	श्री ए. सम्पत	871
171.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	795, 812, 895
172.	श्रीमती सुशीला सरोज	870, 900
173.	श्री तूफानी सरोज	829, 849
174.	श्री हमदुल्लाह सईद	705, 784, 827, 909
175.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	815, 855
176.	श्रीमती जे. शांता	784, 808, 872, 903

1	2	3
177.	श्री जगदीश शर्मा	886
178.	श्री नीरज शेखर	818, 882, 886, 900
179.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	751, 782
180.	श्री राजू शेट्टी	725
181.	श्री एंटो एंटोनी	799
182.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	790, 793, 871
183.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	720, 780, 844, 885
184.	श्री भूपेन्द्र सिंह	696, 795, 904
185.	श्री दुष्यंत सिंह	783, 784, 804, 847, 877
186.	श्री गणेश सिंह	791, 856, 894
187.	श्री इज्यराज सिंह	694, 763, 775, 894
188.	श्री जगदानंद सिंह	772
189.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	827
190.	श्री महाबली सिंह	888
191.	श्रीमती मीना सिंह	779
192.	श्री मुरारी लाल सिंह	707
193.	श्री पशुपति नाथ सिंह	740, 871
194.	श्री राधा मोहन सिंह	840, 887, 895
195.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	835
196.	श्री राकेश सिंह	730, 739
197.	श्री रतन सिंह	795, 888
198.	श्री रवनीत सिंह	871, 885
199.	श्री यशवीर सिंह	817, 818, 882, 886, 900

1	2	3
200.	चौधरी लाल सिंह	874
201.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	841
202.	श्री रेवती रमण सिंह	774, 867
203.	श्री राधे मोहन सिंह	768
204.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	770, 883
205.	राजकुमारी रत्ना सिंह	795, 833, 890
206.	श्री उदय प्रताप सिंह	765, 845, 877
207.	श्री उमाशंकर सिंह	793
208.	डॉ. संजय सिंह	790, 826, 875
209.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	701, 763
210.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	769, 866, 901
211.	श्री मकनसिंह सोलंकी	747, 795
212.	श्री के. सुधाकरण	737
213.	श्री के. सुगुमार	871, 884, 886
214.	श्रीमती सुप्रिया सुले	881, 882
215.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	744, 777, 784
216.	डॉ. राजन सुशान्त	755
217.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	741, 915
218.	श्री मानिक टैगोर	802, 890
219.	श्रीमती अन्नू टन्डन	782
220.	श्री अशोक तंवर	728, 778, 808
221.	श्री बिभू प्रसाद तराई	822
222.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	778, 787, 890
223.	श्री मनीष तिवारी	879
224.	श्री जगदीश ठाकोर	721, 917
225.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	902

1	2	3
226.	श्री आर. थामराईसेलवन	709, 871, 911
227.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	795, 864
228.	श्री पी.टी. थॉमस	753, 871
229.	श्री मनोहर तिरकी	874, 879, 882
230.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	800
231.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	711, 714, 815
232.	श्री लक्ष्मण टुडु	875, 887, 894, 895
233.	श्री शिवकुमार उदासी	815, 897, 898, 899
234.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	713, 870, 900
235.	श्री हर्ष वर्धन	798
236.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	745, 795, 863
237.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	823, 872, 890
238.	श्री सज्जन वर्मा	795, 806, 815, 897
239.	श्रीमती ऊषा वर्मा	713, 870, 900
240.	श्री अद्गुरु एच. विश्वनाथ	898, 899
241.	श्री पी. विश्वनाथन	820, 897
242.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचोरे	863
243.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	694, 722, 730, 790, 885
244.	श्री धर्मेन्द्र यादव	783, 784, 804, 847, 877
245.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	770, 846
246.	श्री ओम प्रकाश यादव	715, 914
247.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	882, 893
248.	श्री मधुसूदन यादव	712
249.	योगी आदित्यनाथ	831

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	61, 69, 74
रक्षा	:	62, 75, 77
पर्यावरण और वन	:	66, 70, 72, 79
श्रम और रोजगार	:	67, 68
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	63, 65, 78, 80
पोत परिवहन	:	73
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	64
इस्पात	:	71
वस्त्र	:	76.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	691, 706, 710, 721, 731, 751, 754, 769, 776, 781, 782, 783, 787, 791, 795, 797, 798, 799, 830, 835, 838, 843, 846, 847, 870, 872, 883, 885, 887, 896, 897, 917
रक्षा	:	698, 702, 704, 705, 718, 730, 739, 741, 755, 767, 775, 785, 801, 802, 809, 810, 818, 823, 844, 848, 855, 859, 860, 862, 867, 869, 873, 877, 884, 886, 889, 904, 920
पर्यावरण और वन	:	696, 699, 700, 701, 703, 708, 711, 713, 717, 719, 720, 725, 729. 734, 738, 740, 745, 748, 750, 753. 763, 768, 770, 771, 772, 788, 792, 805, 806, 822, 826, 831, 832, 833, 841, 845, 856, 857, 861, 863, 868, 891, 893, 900, 901, 903, 913, 915
श्रम और रोजगार	:	695, 714, 716, 722, 724, 726, 736, 759, 760, 774, 777, 779, 780, 784, 789, 796, 808, 816, 817, 824, 827, 840; 875, 892, 912
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	692, 693, 697, 707, 709, 712, 715, 732, 737, 743, 744, 747, 749, 752, 758, 761, 762, 764, 765, 766, 786, 790, 793, 800, 803, 807, 811, 813, 815, 820, 828, 834, 836, 839, 842, 849, 850. 853. 858, 865. 866, 871, 878, 880. 881, 882, 888, 899, 905, 908, 910, 911, 914, 919

पोत परिवहन	:	728, 812, 819, 821, 851, 852, 854, 876, 879, 918
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	723, 727, 735, 742, 756, 757, 874, 898, 902, 906, 907, 909
इस्पात	:	733, 773, 794, 804, 829, 837, 864, 895, 916
वस्त्र	:	694, 746, 778, 814, 825, 890, 894.